03803

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार

039 03

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार

http:/www.cag.gov.in

विषय सूची

	परिच्छेद	*पृष्ठ*
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
पहला अध्याय: राज्य सरकार के वित्त		
परिचय	1.1	1
राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन	1.2	3
राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु पद्धति का अंगीकरण	1.3	4
मूल सूचकों द्वारा राज्य की वित्त व्यवस्था	1.4	5
संसाधनों की प्रयुक्ति	1.5	9
आवंटित अग्रताओं द्वारा व्यय	1.6	14
परिसम्पत्तियां एवं दायित्व	1.7	20
दायित्वों का निर्वहण न करना	1.8	23
घाटों का प्रबन्धन	1.9	28
घाटे/अधिशेष की प्रमात्रा	1.10	29
राजकोषीय अनुपात	1.11	30
निष्कर्ष	1.12	32
दूसरा अध्याय: आवंटित अग्रताएं एवं विनियोग		
परिचय	2.1	34
विनियोग लेखाओं का सार	2.2	34
आवंटित अग्रताओं की पूर्ति	2.3	35

	परिच्छेद	पृष्ठ
तीसरा अध्याय: निष्पादन समीक्षाएं		
शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा जनजातीय विकास विभाग		
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का शैक्षणिक विकास	3.1	39
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग		
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	3.2	62
लोक निर्माण विभाग		
राष्ट्रीय उच्च मार्ग	3.3	75
दक्षिण अंचल में ग्रामीण सड़कें	3.4	92
ग्रामीण विकास विभाग		
जल विभाजक विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	3.5	105
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग		
एकीकृत बाल विकास सेवाएं	3.6	126
वित्त विभाग		
ऑन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली तथा इ-पैंशन सॉफ्टवेयर की सूचना एवं प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	3.7	145
चौथा अध्याय: लेन-देनों की लेखापरीक्षा		
अतिरिक्त/अधिक भुगतान/अपव्यय/निष्फल/निरर्थक व्यय		
आवास एवं शहरी विकास विभाग		
निष्फल व्यय	4.1	157
अधिक भुगतान	4.2	157
पर्यटन एवं नागरिक विमानन तथा वन कृषि एवं संरक्षण विभाग		
नौका विहार झील के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.3	158
वित्त विभाग		
पैंशन लाभों का अधिक भुगतान	4.4	159
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
उठाऊ सिंचाई स्कीमों पर निरर्थक व्यय	4.5	159
उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों पर निरर्थक व्यय	4.6	160

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रवाह सिंचाई स्कीम के संवर्धन पर निरर्थक व्यय	4.7	161
नलकूप के निर्माण पर निरर्थक व्यय	4.8	161
सिंचाई क्षमता की अल्प उपयोगिता	4.9	162
उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के संवर्धन पर निरर्थक व्यय	4.10	163
प्रवाह सिंचाई स्कीमों के निर्माण पर अपव्यय	4.11	163
हरिजन बस्ती हेतु नलकूप आधारित सिंचाई स्कीम के निष्पादन में विलम्ब	4.12	164
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग		
व्यय की प्रतिपूर्ति न करना	4.13	164
योजना विभाग		
निधियों की अव्यवस्था	4.14	165
लोक निर्माण विभाग		
सड़कों के निर्माण पर निरर्थक व्यय	4.15	166
अधूरे सड़क कार्यों पर निरर्थक व्यय	4.16	167
सड़क एवं पुलों के निर्माण पर निरर्थक व्यय	4.17	167
सड़कों के निर्माण पर निरर्थक व्यय	4.18	168
अधूरे आधार पुलों पर निरर्थक व्यय	4.19	169
कला केन्द्र की अधूरी इमारत पर निरर्थक व्यय	4.20	170
हैलीपैड के निर्माण पर निरर्थक व्यय	4.21	171
संविदाकारों को अनुचित लाभ/परिहार्य व्यय		
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग		
गैर सरकारी संगठन को अनुचित लाभ	4.22	171
बेकार निवेश/निधियों का अवरोधन/निधियों का अपवर्तन		
योजना विभाग		
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम निधियों का अपवर्तन	4.23	172
निधियों का अविवेकपूर्ण जारी करना	4.24	173
लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग		
जमा कार्यों का निष्पादन न करने के कारण निधियों का अवरोधन	4.25	174
निधियों का अपवर्तन	4.26	174

	परिच्छेद	*पृष्ठ*
राजस्व विभाग		
आपदा राहत निधियों का अपवर्तन	4.27	175
नियामक मामले एवं अन्य बातें		
लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
बजट के व्यपगमन से बचने के लिए निधियों का अनियमित आहरण	4.28	177
पशुपालन विभाग		
दूध की बिक्री में हानि	4.29	178
शिक्षा विभाग		
विवेवकहीन व्यय	4.30	179
वन कृषि एवं संरक्षण विभाग		
घटिया विनिर्दिष्ट तार क्रेट कार्यों का निष्पादन	4.31	179
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
डॉक्टरों द्वारा सामान्य पूल आवास में अनाधिकृत रूप से रहना	4.32	180
गृह विभाग		
अवकाश वेतन तथा पैंशन अंशदान की वसूली न करना	4.33	181
आवास एवं शहरी विकास विभाग		
जलापूर्ति में हानि	4.34	182
योजना विभाग		
अनियमित व्यय	4.35	182
ग्रामीण विकास विभाग		
अस्वीकार्य कार्यों पर अनियमित व्यय	4.36	183
परियोजना का अनियमित कार्यान्वयन	4.37	184
सामान्य		
विविध विभाग		
दायित्व का अपक्षय	4.38	185
पांचवां अध्याय: आंतरिक नियंत्रण पद्धति		
उद्योग विभाग		
आंतरिक नियंत्रण पद्धति	5.1	187

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-I	भाग-क सरकारी लेखाओं का ढांचा तथा प्रपत्र	203
	भाग-ख वित्त लेखों का प्रदर्शन	204
	भाग-ग अध्याय-1 में प्रयुक्त शब्दों की सूची तथा उनके गणना आधार	205
	भाग-घ मूल सूचकों की स्थिति	206
परिशिष्ट-II	31 मार्च 2007 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	207
परिशिष्ट-III	वर्ष 2006-2007 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	209
परिशिष्ट-IV	स्रोत व निधि प्रयुक्ति	212
परिशिष्ट-V	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	213
परिशिष्ट-VI	31 मार्च 2007 को बकायों उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभागीयवार विखण्डन का ब्यौरा	215
परिशिष्ट-VII	लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित दुर्विनियोग के मामले	216
परिशिष्ट-VIII	मुख्य कारणों सहित महत्वपूर्ण बचतों का विवरण	217
परिशिष्ट-IX	2006-2007 के दौरान नियमित किये जाने हेतु अपेक्षित प्रावधानों से अधिक व्यय	218
परिशिष्ट-X	अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों को दर्शाने वाली विवरणी	219
परिशिष्ट-XI	वास्तविक आवश्यकता से अधिक किए गए अनुपूरक प्रावधान से सम्बन्धित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी	220
परिशिष्ट-XII	अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान से सम्बन्धित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी	221
परिशिष्ट-XIII	निरन्तर आधिक्यों का विवरण	222
परिशिष्ट-XIV	निधियों का अभ्यर्पण	223
परिशिष्ट-XV	वसूलियों की मुख्य भिन्नताएं	224
परिशिष्ट-XVI	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले	225

		पृष्ठ
परिशिष्ट-XVII	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम/मरूस्थल विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाएं, शिनाख्त किया गया तथा उपचारित क्षेत्र, उपचारित किए जाने वाले व वास्तव में उपचारित क्षेत्र सहित मार्च 2007 को पूर्ण की गई अथवा पूर्णता के लिए बकाया परियोजनाएं	226
परिशिष्ट-XVIII	नमूना जांच किए गए सात जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के संदर्भ में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवृत्त क्षेत्र काग्रक्रम/मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2002-2003 से 2006-2007 तक निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्तियों को दर्शाने वाली विवरणी	227
परिशिष्ट-XIX	राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूरक पोषण हेतु निधियां उपलब्ध न करवाने तथा प्राप्त निधियों की प्रयुक्ति न करने का ब्यौरा	228
परिशिष्ट-XX	वर्ष 1998-2007 के दौरान पैंशन/परिवार पैंशन आदि के अधिक भुगतानों को दर्शाने वाली विवरणी	229
परिशिष्ट-XXI	जून 2007 तक बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों/पैरों का वर्षवार विखण्डन	231
परिशिष्ट-XXII	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में गम्भीर अनियमितताओं पर की गई टिप्पणियां दर्शाने वाली विवरणी	232

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के क्रमश: अध्याय- I व II में 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य सरकार के वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जांच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

3. शेष अध्याय लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, भण्डार और स्टॉक की लेखापरीक्षा तथा स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा सहित विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा और लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्धित हैं।

4. सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा के संदर्भ में टिप्पणियां तथा प्राप्तियों पर टिप्पणियों से समाविष्ट प्रतिवेवदन पृथक से प्रस्तुत किए गए हैं।

5. प्रतिवेदन में सम्मिलित वे मामले हैं जो वर्ष 2006-2007 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा वे मामले जो पूर्व वर्षों से ध्यान में आए थे परन्तु पूर्व प्रतवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके। वर्ष 2006-2007 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, भी सम्मिलित किए गए हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में वित्त तथा विनियोजन लेखों पर टिप्पणियों के अतिरिक्त 38 लेखापरीक्षा परिच्छेद, आठ निष्पादन समीक्षाएं (आंतरिक नियंत्रण पद्धति पर एक समीक्षा सहित) सम्मिलित हैं। प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेद तथा प्रारूप लेखापरीक्षा समीक्षाएं महालेखाकार द्वारा राज्य सरकार के सम्बद्ध सचिवों को आठ सप्ताह के भीतर उत्तर देने के अनुरोध सहित भेजे गए हैं। प्रारूप निष्पादन समीक्षाओं से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर राज्य सरकार के सचिवों के साथ चर्चा की गई तथा जहां भी उपयुक्त था, वहां सरकार के विचारों को समाविष्ट किया गया।

1. राज्य सरकार के वित्त

- राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2005-06 में 6,559 करोड़ रू0 2006-07 में 19.45 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर 7,835 करोड़ रू0 हो गई। जबकि 2006-07 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत राज्य के अपने स्रोतों (कर तथा कर-भिन्न) से प्राप्त हुआ, केन्द्रीय कर अंतरण तथा सहायता अनुदान दोनों कुल राजस्व का 62 प्रतिशत था।

- राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों से अन्तर्विष्ट राज्य का समग्र व्यय 2005-06 में 7,301 करोड़ रू0 से 2006-07 में 20.26 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर 8,780 करोड़ रू0 हो गया। 2006-07 में गैर-विकासात्मक रूप में लिया गया सामान्य सेवाओं तथा ब्याज भुगतानों पर व्यय कुल व्यय का 38.28 प्रतिशत लेखांकित किया गया।

- 2002-07 के दौरान वेतन तथा मजदूरी ; पैंशन और ब्याज के भुगतान तथा उपदान का औसतन 94 प्रतिशत आयोजनेत्तर राजस्व व्यय से वचनबद्ध व्यय के रूप में उपभोग निरन्तर रहा।

- राज्य की राजकोषीय दायिताएं संगत रूप से बढ़ी तथा 2006-07 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 64 प्रतिशत तक उच्च स्तर से बढ़ती हुई विशेषकर जब इसकी तुलना बारहवें वित्त आयोग के मार्च 2009 तक प्राप्त किये जाने वाले मानकों के 31 प्रतिशत के साथ की जाती है, प्रतीत होती है।

- सांविधिक सरकारी निगमों एवं सरकारी कम्पनियों द्वारा 644.51 करोड़ रू0 की दीर्घसंचित हानियों विशेषकर हिमाचल पथ परिवहन निगम: 405.34 करोड़ रू0 तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड: 239.17 करोड़ रू0 के परिणामस्वरूप सरकार के निवेश पर प्रतिफल (एक प्रतिशत से कम होते हुए) की नगण्य दर रही तथा अपर्याप्त ब्याज लागत वसूली राज्य सरकार की चिन्ता का विषय है।

(अध्याय-I)

2. आबंटित अग्रताएं एवं विनियोग

- सरकार द्वारा राज्य विधानसभा की संस्वीकृति से राशियों के सारभूत रूप से अधिक व्यय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार नियमित करवाए जाने की आवश्यकता है। अगस्त 2007 तक 2001-07 के दौरान किये गये 15,614.79 करोड़ रू0 के अधिक व्यय का नियमन अपेक्षित है।

- 2006-07 के दौरान 30 मामलों में कुल 218 करोड़ रू0 की बचतें थीं। इनमें से 187 करोड़ रू0 (86 प्रतिशत) की बचतें चार अनुदानों तथा एक विनियोग में हुई।

- वर्ष के दौरान चार मामलों में प्राप्त कुल 11.67 करोड़ रू0 के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल बजट प्रावधानों से कम था।

- तीन अनुदानों के मामलों में 27.28 करोड़ रू0 अभ्यर्पित किए गए यद्यपि व्यय अनुदानों से बढ़ गया तथा अभ्यर्पण हेतु कोई बचतें उपलब्ध नहीं थी।

- आठ अनुदानों से अन्तर्ग्रस्त 10 मामलों (उप-शीर्ष) में 88.12 करोड़ रू0 का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था, क्योंकि मूल अनुदान पर्याप्त थे अथवा अभ्यर्पण हेतु कोई बचतें उपलब्ध नहीं थी।

(अध्याय-II)

3. निष्पादन समीक्षाएं

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास

विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसेकि उन बच्चों जो मैल दूर करने सम्बन्धी व्यवसायों में लगे हो, को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति स्कीम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों, आदि की योग्यता का उन्नयन करने के लिए कार्यान्वयन में कार्यरत विभागों का वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन सकल रूप से अधूरा था। इन स्कीमों का कार्यान्वयन कमियों जैसेकि राज्य द्वारा निधियों का अल्प अंशदान, पात्र लाभार्थियों की अल्प आवृत्ति, छात्रवृत्ति भुगतान में विलम्ब, बढ़ी हुई दरों पर छात्रवृत्ति का भुगतान न करने, लाभार्थियों के चयन की असंतोषप्रद प्रणाली, छात्रावास भवन की पूर्णता में विलम्ब, परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों, आदि के कारण प्रभावित हुआ। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत है:

- प्रत्येक शैक्षणिक विकास स्कीम के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए लक्षित जनसंख्या को सुनिश्चित् करने हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

- 2002-07 के दौरान राज्य में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की आवृत्ति में 66 प्रतिशत की कमी थी। नमूना-जांचित जिलों में 59 प्रतिशत लाभार्थी अनावृत्त रहे।

- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे परीक्षा-पूर्व अनुशिक्षण केन्द्र का निष्पादन 33 प्रतिशत की निर्धारित सफलता दर के प्रति शून्य तथा नौ प्रतिशत के मध्य था।

(परिच्छेद 3.1)

4. त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य परम्परागत जल स्रोतों को पुररूज्जीवित करने के अतिरिक्त पेयजल प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनावृत्त वास क्षेत्रों को आवृत करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के वास क्षेत्रों की प्रास्थिति तथा इस संदर्भ में शिनाख्त को सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2003 तक पूर्ण किया जाने वाला सर्वेक्षण दिसम्बर 2005 में पूर्ण किया गया। कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा से वित्तीय कुप्रबन्ध, अनियमित स्टॉक समायोजन, आंतरिक नियन्त्रण, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन में कमियों के मामले उद्घाटित हुए। कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च 2003 तक पूर्ण की जाने वाली सुरक्षित पेयजल उपलब्धता के सम्बन्ध में वासों की प्रास्थिति की शिनाख्त एवं सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण को दिसम्बर 2005 में पूर्ण किया गया। शिनाख्त किये गये 51,848 वासों में से 25,756 को पूर्णरूप से आवृत्त किया गया तथा 19,504 को आंशिक रूप से आवृत्त किया गया जबकि 6,588 वासों को आवृत्त नहीं किया गया।

- पांच मण्डलों में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आंबटित की गई 3.50 करोड़ रू0 की निधियां 68 जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन पर व्यय की गई, जो कि त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित नहीं थी।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए चिन्हित 87.86 लाख रू0 का दो मण्डलों द्वारा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अन्य क्षेत्रों को अपवर्तन किया गया।

(परिच्छेद 3.2)

5. राष्ट्रीय उच्च मार्ग

राष्ट्रीय उच्चमार्ग, आधुनिकतम सड़क सुरक्षा प्रतिमानों के समानुरूप, राज्य राजधानियों, औद्योगिक नगरों, पर्यटन आकर्षण के स्थानों तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के अन्य स्थानों के मध्य महत्वपूर्ण सड़कें हैं। राष्ट्रीय उच्चमार्गों की निष्पादन लेखापरीक्षा से यह प्रकट हुआ कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय निधियां अधोप्रयुक्त रहीं, जबकि भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के विभिन्न दावे निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने के कारण या तो रोक लिए गए या फिर अस्वीकृत कर दिए गए। राष्ट्रीय उच्चमार्गों के अनुरक्षण हेतु मानकों से अधिक श्रमशक्ति तैनात की गई। समुचित सर्वेक्षण तथा आकलन के अभाव में, समय व धन अधिक लगा, निर्माण कार्य अधूरे रहे तथा निर्माण कार्य प्रदान करने में विलम्ब हुआ। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है:

- 2004-05 के दौरान पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत 45 करोड़ रू0 के आवंटन के प्रति, विभाग केवल 39.56 करोड़ रू0 ही प्रयोग कर सका। परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 हेतु आवंटन घटाकर 39 करोड़ रू0 कर दिया गया।

- राज्य सरकार ने 2002-07 के दौरान राष्ट्रीय उच्चमार्गों के अनुरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक श्रम शक्ति तैनात की, जिसके कारण 17.97 करोड़ रू0 का अप्राधिकृत व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा तैनात श्रमशक्ति इसके अपने ही मानकों से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप 7.26 करोड़ रू0 का परिहार्य व्यय हुआ।

- कुल्लू नगर को 25.26 करोड़ रू0 की लागत से पूर्ण किया गया (सितम्बर 2004) उपमार्ग, जिया में अन्य पुल के पूर्ण न होने के कारण प्रयुक्त नहीं हो सका, जिसे सितम्बर 2004 तक पूर्ण किया जाना था। बाद वाले पुल पर मार्च 2007 तक 14.06 करोड़ रू0 की राशि व्यय की जा चुकी थी।

(परिच्छेद 3.3)

6. दक्षिण अंचल में ग्रामीण सड़कें

राज्य के दक्षिण अंचल में ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का उद्देश्य सभी संगणित गांवों के लिए समयबद्ध तरीके से सम्पर्क प्रदान करना है। सभी गणना गांवों के लिए समयबद्ध तरीके से शिनाख्त करने तथा सम्पर्क प्रदान करने के लिए दीर्घ अवधि मास्टर योजना के कोर नेटवर्क को निर्मित नहीं किया गया था। सड़कों का निर्माण तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त किये बिना किया गया था तथा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की गई निधियों पर दीर्घ आधिक्य थे। अधिक संख्या में सड़क कार्य विभिन्न कारणों से अधूरे थे जिसके परिणामस्वरूप बेकार निवेश हुआ। सीमित संसाधनों के बावजूद किलोमीटरों में सड़कों के निर्माण की वास्तविक उपलब्धता असाधारण रूप से उच्चतर की तरफ थी जबकि लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों को पूर्ण किया जाना प्रतीक्षित

था। वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण आकलन तैयार नहीं किये गये थे। लेखापरीक्षा में पाये गये मुख्य तथ्य निम्नवत् है:

- ग्रामीण सड़कों के निर्माणार्थ वार्षिक लक्ष्यों को वास्तविकता के आधार पर नियत नहीं किया गया था। भौतिक तथा वित्तीय प्रगति मेल नहीं खाती क्योंकि 2002-07 के दौरान दोनों के मध्य भारी अंतर था।
- विभाग द्वारा राज्य में सभी संगणित गांवों का चरणबद्ध तरीके से जोड़ने हेतु दीर्घावधि योजना को तैयार नहीं किया गया था। 14 मण्डलों द्वारा निष्पादन हेतु आरम्भ किए गए 770 सड़क निर्माण कार्यों में से मार्च 2007 तक केवल 189 कार्य पूर्ण किए गए थे। इनमें से 26.11 करोड़ रू0 की लागत के 28 कार्य 10 महीनों तथा 216 महीनों के मध्य के विलम्ब से पूर्ण हुए।
- 10 मण्डलों में 21.11 करोड़ रू0 की लागत के 36 सड़क निर्माण कार्यों को 2002-03 तथा 2006-07 के मध्य तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना निर्माणार्थ लिया गया।

(परिच्छेद 3.4)

7. जल विभाजक विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

तीन कार्यक्रमों अर्थात मरूस्थल विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को बंजर/निम्नस्तरीय भूमि का विकास करना, जल-नियंत्रण द्वारा पारिस्थितिक संतुलन की पुनः स्थापना करना, प्राकृतिक स्रोतों जैसाकि भूमि, जल तथा वानस्पतिक आवरण का संरक्षण करना तथा समग्र आर्थिक विकास का प्रोत्साहन करना तथा परियोजना क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के संसाधनहीन तथा सुविधावंचित प्रवर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सुधार करने के मख्य उद्देश्य से आरम्भ किया गया था।

कार्यक्रमों की निष्पादन समीक्षा से पाया गया कि उपलब्ध करवाई गई निधियां पूर्णरूप से उपयोग में नहीं लाई गई, कुछ मामलों में क्षेत्र सुधार के साख्य का अनुरक्षण नहीं किया गया था तथा 165 जल विभाजकों से समाविष्ट नौ चयनित परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों में स्वावलम्बन ग्रुप नहीं बनाए गए थे। लेखापरीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत थे:

- राज्य सरकार ने बंजर/निम्नस्तरीय भूमि, सूखाग्रस्त तथा मरूभूमि क्षेत्रों के सुधार हेतु दीर्घावधि अवलोकन योजना तैयार नहीं की थी।
- सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2002-07 के दौरान क्षेत्र सुधार में कमियां क्रमशः 31 एवं 52 ; 50 एवं 85 तथा 16 एवं 53 प्रतिशत के मध्य रही।
- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1.69 करोड़ रू0) तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (4.37 करोड़ रू0) के अंतर्गत 2002-07 के दौरान बंजर भूमि/निम्न स्तरीय भूमि के सुधार पर चार चयनित परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने 6.06 करोड़ रू0 व्यय किये परन्तु माप पुस्तिका/उपस्थिति नामावली में वास्तविक रूप से विकसित/समुपचारित क्षेत्र का कोई भी साक्ष्य नहीं रखा गया था। इस प्रकार 6.06 करोड़ रू0 का संदेहास्पद व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.5)

8. एकीकृत बाल विकास सेवाएं

0-6 वर्ष की आयुवर्ग में बच्चों, सम्भावित एवं संरक्षक माताओं तथा समाज के अत्यधिक परित्यक्त वर्गों से सम्बन्धित किशोर बालिकाओं के पावन विकास के उद्देश्य से एकीकृत बाल विकास सेवाऐं एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। स्कीम के अंतर्गत निधियां वर्ष प्रतिवर्ष अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। शिनाख्त किये गये लाभार्थियों की कार्यक्रम आवृत्ति स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सेवाओं, पोषाहार तथा स्वास्थ्य सेवा और किशोरी शक्ति योजना के

अंतर्गत अधूरी थी। अधिक संख्या में आंगनवाड़ी केन्द्र अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में चलाये जा रहे थे। कर्मियों का प्रशिक्षण एवं स्थिति निर्धारण अपूर्ण था। कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत है:

- जबकि स्टॉफ लागत तथा प्रशासनिक व्यय में कुल व्यय के 57 से 70 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई थी तो कार्यक्रम कार्यान्वयन में तदनुरूप से 2002-05 के दौरान कमी हुई।
- राज्य में निर्धारित 18,248 आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 10,894 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं खोले गये थे जिससे स्कीम के अभिप्रेत लाभों से अधिक संख्या में लाभार्थी वंचित रहे।
- 2002-07 के दौरान पांच चयनित जिलों में अनुपूरक पोषाहार के अंतर्गत शिनाख्त किये गये लाभार्थियों की आवृत्ति में बच्चों के लिए 20 से 30 प्रतिशत तथा सम्भावित एवं पोषक माताओं के लिए 22 से 30 प्रतिशत तक की कमी रही जबकि उसी अवधि के दौरान राज्य स्तर पर समग्र कमी क्रमश: 41 से 46 प्रतिशत तथा 26 से 42 प्रतिशत के मध्य रही।

(परिच्छेद 3. 6)

9. ऑन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली तथा इ-पैंशन सॉफटवेयर की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

ऑन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली (ओएलटीआईएस) का उद्देश्य बजट के अनुसार आबंटन, निधियों का अपवर्तन रोकना और व्यय के गलत अभिलेखन आदि के संदर्भ में व्यय पर नियन्त्रण रखना है। इ-पैंशन प्रणाली का लक्ष्य कम्प्यूटरीकृत पैंशन वितरण प्रणाली लागू करना है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रणाली के स्वतन्त्र परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों व प्रयुक्ति नियमावली की अनुपलब्धता थी। इसके अतिरिक्त इनपुट नियन्त्रण की अनुपस्थिति में व्यय का गलत अभिलेखन हुआ तथा अदेय भुगतान हुए। ऑन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली तथा ई-पैंशन प्रणाली में निम्नांकित मुख्य बातें ध्यान में आई।

- सभी नमूना जांचे गये कोषागारों में प्रयुक्ति नियमावलियां, परिचालन नियमावलियां और प्रणाली नियमावलियां उपलब्ध नहीं थी।
- विभाग ने कोई आपदा पुनरूत्थान योजना तैयार तथा अभिलिखित नहीं की थी। ऐसा कोई प्रणालीबद्ध दस्तावेज नहीं था जो आंकड़े को वापिस लेने, इसके भण्डारण तथा पुन: स्थापना हेतु आवृति को दर्शाता हो। कोषाधिकारी तदर्थ आधार पर बैक अप ले रहे थे।
- इनपुट नियन्त्रणों की अनुपस्थिति के कारण ओएलटीआईएस में बिलों के दोहरे आहरण तथा पैंशन के अतिदेय/गलत भुगतान की सम्भावना विद्यमान थी।

(परिच्छेद 3.7)

10. आंतरिक नियन्त्रण पद्धति

उद्योग विभाग में आंतरिक नियंत्रण पद्धति की लेखापरीक्षा से वित्तीय प्रबन्धन, बजट तैयार करने के क्षेत्र में नियमों, नियमावलियों तथा संहिताओं की अनुपालना न करने, व्यय नियंत्रण, ऋणों की वसूली तथा विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई जो निम्नवत है:

- छ: आहरण एवं संवितरण अधिकारिों द्वारा प्राप्त की गई (2002-07) 25.04 करोड़ रू0 की स्कीम की निधियों तथा 9.44 करोड़ रू0 राशि की विभागीय प्राप्तियों को रोकड़ बही में प्रविष्टि किये बिना प्रत्यक्ष रूप से बैंक/कोषागार में प्रेषित किया गया।
- अधीक्षण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा संसारपुर टैरेस में अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए संस्वीकृत किये गये 4 करोड़ रू0 हेतु गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये यद्यपि वास्तव में राशि का विपथन किया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा अन्य कार्यों पर प्रयुक्त की गई थीं।

- भविष्य प्रभावी उद्यमों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं के विकास हेतु भूमि के आबंटन का अनुश्रवण सरकार के स्तर पर नहीं किया गया। उद्योग विभाग को स्थानांतरित की गई 1415.03 बीघा में से मार्च 2007 तक केवल 42 बीघा (तीन प्रतिशत) भूमि महाप्रबन्धकों, जिला उद्योग केन्द्र, लाहौल एवं स्पिति, शिमला तथा सोलन द्वारा आवंटित की गई थी।

- केलांग (लाहौल एवं स्पिति जिला) में अगस्त 2002 में एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 77.10 लाख रू0 की लागत पर सृजित की गई अधोसंरचाना औद्योगिक क्षेत्र के चयन एवं विकास हेतु विभाग की अनुचित योजना के कारण अप्रयुक्त रही।

(परिच्छेद 5.1)

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

11. अतिरिक्त/अधिक भुगतान/अपव्यय/निष्फल/निरर्थक व्यय

- शिमला जिले में दो उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन पर किया गया 1.74 करोड़ रू0 का व्यय निरर्थक रहा क्योंकि पंपिंग मशीनरी प्रतिस्थापित नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 4.6)

- बग्गी मण्डल में 1.35 करोड़ रू0 की लागत पर निर्मित एवं अनुरक्षित दो उठाऊ सिंचाई स्कीमों की सिंचाई क्षमता का अधिकांशतया अल्प उपयोग किया गया।

(परिच्छेद 4.9)

- बाढ़ के जोखिम क्षेत्र में प्रवाह सिंचाई स्कीम, कौरिक (लाहौल एवं स्पिति जिला) का अभिकल्प करने में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की घटिया योजना के फलस्वरूप 65.43 लाख रू0 का अपव्यय हुआ क्योंकि पारचू झील की जल निकासी में वृद्धि के कारण स्कीम बह गई।

(परिच्छेद 4.11)

- स्पिति घाटी में दो सड़कों के निर्माण पर किया गया 3.98 करोड़ रू0 का व्यय निरर्थक हुआ क्योंकि मार्ग में कच्चा भू-स्तर एवं हिमखण्ड क्षेत्र होने के कारण सड़कों को वाहन यातायात के लिए नहीं खोला जा सका।

(परिच्छेद 4.15)

- लोक निर्माण विभाग द्वारा उपयुक्त योजना की कमी के परिणामस्वरूप मढ़ी-कमलाह-टिहरा-संधोल मोटरयोग्य सड़क के निर्माण पर 5.61 करोड़ रू0 का निरर्थक व्यय हुआ।

(परिच्छेद 4.17)

- सोलन जिला में गुरूकुण्ड-टाली सड़क तथा चम्बा जिले में लूना-ओहरा सड़क के निर्माण पर किया गया 3.89 करोड़ रू0 का व्यय उत्कृष स्थल बिंदू (टेक ऑफ प्वांइट) पर पुलों का निर्माण न करने के कारण निरर्थक सिद्ध हुआ।

(परिच्छेद 4.18)

- चम्बा जिले के सतरूंडी में पूर्ण किये जा चुके हैलीपैड को पर्यटन एवं नागरिक विमानन विभाग को न सौंपे जाने से इसके निर्माण पर किया गया 30.09 लाख रू0 का व्यय निरर्थक हुआ।

(परिच्छेद 4.21)

12. बेकार निवेश/निधियों का अवरोधन/निधियों का विचलन

- उपायुक्त शिमला ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत 38.30 लाख रू0 की निधियां स्कीम के प्रावधानों के विपरीत अपवर्तित की।

(परिच्छेद 4.23)

- चार जिलों के उपायुक्तों द्वारा आपदा राहत निधियों से अनियमित रूप से प्राकृतिक आपदाओं से असम्बद्ध कार्यों हेतु 1.92 करोड़ रू0 का अपवर्तन किया गया।

(परिच्छेद 4.27)

13. विनियामक मामले एवं अन्य बातें

- वाणिज्यिक संगठनों से अवकाश वेतन तथा पैंशन अंशदान हेतु गृह (पुलिस) विभाग द्वारा कार्रवाई का अनुसरण न करने के परिणामस्वरूप 14.63 करोड़ रू0 की अवसूली हुई।

(परिच्छेद 4.33)

- हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वास्तविक व्यय के प्रति सही रूप से जलापूर्ति दरें निर्धारित करने में विफलता के फलस्वरूप 1.73 करोड़ रू0 की हानि हुई।

(परिच्छेद 4.34)

पहला अध्याय

राज्य सरकार के वित्त

पहला अध्याय

राज्य सरकार के वित्त

1.1 परिचय

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं। (i) संचित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखा (**परिशिष्ट-। भाग-क**)। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखे उन्नीस विवरणियों में रखे जाते हैं, जो राज्य सरकार की संचित निधि, आकस्मिक निधि, और लोक लेखा में प्राप्तियों एवं व्यय, राजस्व तथा पूंजी को दर्शाते हैं। वित्त लेखों का प्रदर्शन **परिशिष्ट-1 भाग-ख** में दर्शाया गया है।

1.1.1 प्राप्तियों तथा संवितरणों का सारांश

वित्त लेखों की **विवरणी-1** तथा अन्य विस्तृत विवरणियों से प्रकट वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय तथा लोक लेखा प्राप्तियां संवितरणों से आवृत्त वर्ष 2006-2007 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के वित्त **तालिका-1.1** में सारांशित हैं।

तालिका-1.1: वर्ष 2006-2007 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(करोड़ रूपए)

2005-2006	प्राप्तियां	2006-2007	2005-2006	संवितरण	2006-2007		
प्रवर्ग-क: राजस्व							
					गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़
6,558,63	I-राजस्व प्राप्तियां	7,835.22	6,466.16	I-राजस्व व्यय	6,318.92	1,325.19	7,644.11
1,497.02	कर राजस्व	1,656.38	2818.08	सामान्य सेवाएं	3,269.39	30.46	3,299.85
689.68	कर-भिन्न राजस्व	1,336.85	2,308.51	सामाजिक सेवाएं	1,753.82	832.13	2,585.95
493.26	संघीय करों/शुल्कों का भाग	629.16	1,333.38	आर्थिक सेवाएं	1,292.84	462.60	1,755.44
3,878.67	भारत सरकार से अनुदान	4.212.83	6.19	सहायता अनुदान/अंशदान	2.87	..	2.87
प्रवर्ग-ख पूंजीगत							
	II-विविध पूंजीगत प्राप्तियां	..	820.76	II-पूंजीगत परिव्यय	66.70	1043.11	1,109.81
21.97	III-ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	23.41	14.13	III-संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1.85	23.90	25.75
1,781.47	IV-लोक ऋण प्राप्तियां	2,079.75	1,308.03	IV-लोकऋण चुकौतियां*	1,269.19	..	1,269.19
..	V-आकस्मिक निधि	..	..	V-आकस्मिक निधि	..	..	..
4,933.39	VI-लोक लेखा प्राप्तियां	5,265.12	4,386.69	VI-लोक लेखा संवितरण	5,370.04	..	5,370.04
(-)108.43	अथशेष	191.26	191.26	अंतशेष	..	..	(-)24.14
13,187.03	जोड़	15,394.76	13,187.03	जोड़			15,394.76

गत वर्ष के प्रति 2006-07 के दौरान निम्नवत् महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए;

---

* अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त।

- गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में 1,276 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यत: कर-भिन्न राजस्व (647 करोड़ रू0) तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (344 करोड़ रू0) के योगदान से हुई।
- गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में वृद्धि क्रमश: 1,178 करोड़ रू0 तथा 289 करोड़ रू0 हुई।
- ऋणों तथा अग्रिमों के वितरण में 12 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई जबकि ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियों में वृद्धि केवल एक करोड़ रू0 थी।
- लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि 299 करोड़ रू0 हुई जबकि इनकी चुकौतियों में 39 करोड़ रू0 की कमी हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों में 332 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई जबकि इनके वितरण में 983 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई।
- 2005-06 के 191.26 करोड़ रू0 के अंतशेष के प्रति 2006-07 के दौरान 24.14 करोड़ रू0 का ऋणात्मक अंतशेष था।

1.1.2 राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

अप्रैल 2005 में राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 राजकोषीय प्रबन्धन में मितव्ययिता तथा राजकोषीय स्थिरता, राजस्व घाटे की प्रगतिशील कमी तथा राजकोषीय स्थिरता के साथ ऋण प्रबन्धन सघनता, सरकार के राजकोषीय परिचालन में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति का संचालन करने को सुनिश्चित करता है। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में दिए गए राजकोषीय प्रबन्धन के सिद्धान्तों को प्रभावी करने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- 31 मार्च 2009 को राजस्व घाटे को खत्म करने हेतु कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटे को पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो प्रतिशत तक कम करना ;
- 31 मार्च 2009 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद को तीन प्रतिशत तक लाने के लिए राजकोषीय घाटे में प्रगतिशील कमी करना ; तथा
- दीर्घावधि ऋणों पर इसकी बकाया गारंटियों में उत्तरोत्तर कमी करना, जब तक कि यह विगत वित्तीय वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की बकाया जोखिम भारित गारंटियों का 80 प्रतिशत समाप्त न कर सकता हो।

1.1.3 राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमावली में निर्धारित किये गये राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु रूपरेखा

राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार ने अपना राजकोषीय शुद्धि पथ भी निर्धारित किया जिसमें अतिरिक्त संसाधन एकत्रित करने के लिए संरचनात्मक समायोजनों का विवरण तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उन क्षेत्रों जिनमें व्यय कम किया जा सकता हो, की शिनाख्त भी की जा सकती हो।

1.1.4 राजकोषीय नीति विवरण 2006-2007

जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है, राज्य सरकार ने बजट के साथ मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरण मार्च 2007 में विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरण के अनुसार राजस्व घाटा 31 मार्च 2007 को (-) 3.90 प्रतिशत पर प्रक्षिप्त था, राजकोषीय घाटा प्रतिशतता के रूप में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3.90 प्रतिशत पर प्रक्षिप्त था तथा कुल प्रतिभूतियां विगत वर्ष के कुल राजस्व प्राप्तियों के 72.85 प्रतिशत पर प्रक्षिप्त थीं।

1.1.5 राजकोषीय स्थिति की मध्यावधि समीक्षा

राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निर्धारित राजकोषीय सिद्धान्तों तथा लक्ष्यों की अनुपालना प्रवृत्त करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक छः मास की समाप्ति पर बजट के संदर्भ में प्राप्तियों तथा व्यय की समीक्षा करनी होती है तथा इस प्रकार से की गई समीक्षा के परिणाम तथा उपचारी पग जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उठाने का प्रस्ताव हो, विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अनुसरण में वित्त मंत्री ने दिसम्बर 2006 में राज्य विधानसभा में इसके संदर्भ में स्थिति प्रस्तुत की।

अधिनियम में दिए गए राजकोषीय लक्ष्यों को सरकार ने चालू वर्ष के अंत तक 191 करोड़ रू0 के राजस्व अधिशेष के रूप में प्राप्त किया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.26 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा 922 करोड़ रू0 था जो कि मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरण के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के भीतर था तथा राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन के 3 प्रतिशत प्रक्षेप-पक्ष की ओर गतिमान था। राज्य सरकार द्वारा दी गई बकाया प्रतिभूति सीमा अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के भीतर थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने ऋण समेकन तथा राहत सुविधा[2] के अन्तर्गत भारत सरकार से 72.49 करोड़ रू0 की ऋण राहत प्रदान की।

1.2 राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन

1.2.1 राजकोषीय जोड़ों में प्रवृत्तियां

पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति को **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका: 1.2

(करोड़ रूपए)

2005-2006	क्रमांक	मुख्य पूर्णयोग	2006-2007
6,559	**1.**	**राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)**	**7,835**
1,497	2.	कर, राजस्व	1,656
690	3.	कर-भिन्न राजस्व	1,337
4,372	4.	अन्य प्राप्तियां	4,842
22	**5.**	**गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां**	**23**
22	6.	जिसमें से ऋणों की वसूली	23
6,581	**7.**	**कुल प्राप्तियां (1+5)**	**7,858**
5,286	8.	गैर-योजना व्यय	6,388
5,284	9.	राजस्व लेखे पर	6,319
1,563	10.	जिसमें से ब्याज अदायगियां	1,669
1	11.	पूंजीगत लेखे पर	67
1	12.	संवितरित ऋणों पर	2

[2] बारहवें वित्तयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राजकोषीय समेकन तथा राजस्व घाटे के विलोपन हेतु भारत सरकार ने "राज्य ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (2005-06 से 2009-10 तथा)" एक स्कीम बनाई जिसमें राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के जारी होने पर राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों की ब्याज दर में पर्याप्त कमी लाकर पुनः सूची बनाने तथा जिसमें राज्य के राजस्व घाटे में कमी लाने के प्रयोजन से राजकोषीय निष्पादन के आधार पर डेबिट के अधित्याग करके राज्यों को राजस्व घाटे में सामान्य कमी लाने का प्रावधान है।

2,015	13.	**योजनागत व्यय**	2392
1,182	14.	राजस्व लेखे पर	1,325
820	15.	पूंजीगत लेखे पर	1,043
13	16.	संवितरित ऋणों पर	24
7,301	17.	**कुल व्यय(13+8)**	8,780
(+)93	18.	**राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)(1-(9+14)**	(+) 191
(-)720	19.	**राजकोषीय घाटा (17-1-5)**	(-) 922
(+)843	20.	**प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)(19-10)**	(+) 747

चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में 19.5 प्रतिशत (1,276 करोड़ रू0) की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में 18 प्रतिशत (1,178 करोड़ रू0) की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप 2006-07 के दौरान राजस्व लेखा में 98 करोड़ रू0 राजस्व अधिशेष में फालतू वृद्धि हुई। राजस्व अधिशेष में 98 करोड़ रू0 की दी गई वृद्धि तथा गैर ऋण प्राप्तियों में 1 करोड़ रू0 की आंशिक वृद्धि तथा गत वर्ष की अपेक्षा 2006-07 के दौरान पूंजीगत व्यय तथा वितरित ऋण व अग्रिमों में 301 करोड़ रू0 की संयुक्त वृद्धि हुई जबकि चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में 202 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई। गत वर्ष की अपेक्षा 2006-07 के दौरान राजकोषीय घाटे में वृद्धि के साथ-साथ ब्याज अदायगियों में 106 करोड़ रू0 की वृद्धि से प्राथमिक अधिशेष 96 करोड़ रू0 तक नीचे गिरा।

1.3 राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु पद्धति का अंगीकरण

वित्त लेखाओं की विवरणियों में विगत पांच वर्षों (2002-03 से 2006-07 तक) में दर्शाए गए प्राप्तियां तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय सम्मुचयों का आवश्यकतानुसार विश्लेषण किया गया तथा उनकी प्रवृत्तियों से सम्बन्धित अभ्युक्तियां **परिशिष्ट -II से IV** एवं टाईम सीरीज डाटा **(परिशिष्ट -V)** में प्रदर्शित की गई हैं। राज्य की वित्तीय योजना की पुन: रचना करने के विषय में बारहवें वित्तायोग ने राजकोषीय सम्मुचय के मानकों के निर्धारण तथा अन्य मानकीय विस्तारों के प्रक्षेपण हेतु सिफारिश की। इसके सिवाय बारहवें वित्तायोग ने सिफारिश की थी कि सभी राज्यों द्वारा राजकोषीय दायित्व अधिनियम बनाए जाने तथा तदनुसार पांच वर्षों के लिए (2005-06 से 2009-10 तक) राजकोषीय शुद्धि पथ की रचना करना अपेक्षित है ताकि राज्य के राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियमों/नियमों में स्वीकार की गई राजकोषीय स्थिति में मध्यांतर से लम्बे समय तक सुधार आए। बारहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित मानकीय विस्तारों के साथ-साथ राज्य सरकार के राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में प्रदर्शित वायदों/उपायों जो कि अधिनियम के अनुसार विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हों उनके राजकोषीय सम्मुचय के सम्बन्ध में कार्यान्वयन की स्थिति का गुणात्मक निर्धारण चालू वर्ष के दौरान किया जाना अपेक्षित है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक संसाधनों जैसे कि कर राजस्व, गैर कर राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे आदि मुख्य राजकोषीय सम्मुचयों के निष्पादन के अच्छे द्योतक हैं, इन्हें सकल राज्य घरेलू उत्पाद की चालू बाजारी कीमतों पर प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उत्प्लावकता कर राजस्व, गैर कर राजस्व, राजस्व व्यय आदि के संदर्भ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रयुक्ति में सहयोग देती है जिसकी गणना इन आधारों में प्रयुक्त परिवर्तनों अथवा राजकोषीय सम्मुचय को प्रभावित करने वाले अन्य संसाधनों के निर्धारण से की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं

सांख्यिकी विभाग द्वारा निर्दिष्ट सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उत्पत्ति की प्रवृत्तियां तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका-1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की रचना तथा उत्पदकता की प्रवृत्ति

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रूपए)	18,905	20,721	23,024	25,435	28,298
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उत्पादकता (प्रतिशतता में)	10.25	9.61	11.11	10.47	11.26

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार का अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग

इस उद्देश्यार्थ आधारभूत राजकोषीय सम्मुचय चार मुख्य शीर्षों में वर्गीकृत किए गए हैं (i) परिमात्रा तथा स्त्रोतों द्वारा संसाधन, (ii)संसाधनों का उपयोग, (iii)परिसम्पत्तियां तथा दायित्व तथा (iv) घाटों का प्रबन्धन। निगमित निकाय के रूप में राज्य सरकार के समग्र वित्तीय निष्पादन को राजकोषीय सम्मुचय से सम्बन्धित निर्वहन हेतु अपनाए गए सामान्य अनुपातों के प्रयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार के वित्तीय निष्पादन के चयनित सूचकांकों को इस प्रवर्ग में भी सूचीबद्ध किया गया है। राजकोषीय सम्मुचय की प्रवृत्तियों तथा प्रतिरूपों के निर्धारण में प्रयुक्त की गई कुछ चयनित मदों की परिभाषाएं **परिशिष्ट-I भाग-ग** में दी गई हैं।

1.4 मूल सूचकों द्वारा राज्य की वित्त व्यवस्था

1.4.1 परिमाणों एवं स्त्रोतों द्वारा संसाधन:

राज्य सरकार के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राज्य के संघीय कर एवं शुल्कांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान अन्तर्विष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेशों से आय, ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियों (बाजारी ऋण, वित्तीय संस्थाओं से उधार/वाणिज्यिक बैंक) और लोक-लेखा से उपार्जित सहित भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम जैसे विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। **तालिका-1.4** में प्रदर्शित है कि वर्ष 2006-2007 के लिए राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां 15,203 करोड़ रू0 थीं। इसमें से राजस्व प्राप्तियां 7,835 करोड़ रू0 थीं जो कुल प्राप्तियों का 51प्रतिशत थी। शेष उधारों (14 प्रतिशत) तथा लोक लेखा से प्राप्तियां (35 प्रतिशत) थीं।

तालिका-1.4 पूर्ण योग प्राप्तियों की वृद्धि तथा संयोजन की प्रवृत्ति

(करोड़ रूपए)

राज्य की प्राप्तियों के स्त्रोत		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
I.	**राजस्व प्राप्तियां**	**3,659**	**3,981**	**4,635**	**6,559**	**7,835**
II.	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**2,228**	**3,790**	**2,703**	**1,803**	**2,103**
	लोक ऋण प्राप्तियां	2,199	3,762	2,677	1,781	2,080
	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	29	28	26	22	23
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	..	..	..	..	..
III.	**आकस्मिकता निधि**	..	..	..	..	..
IV.	**लोकलेखा प्राप्तियां**	**4,156**	**5,033**	**5,030**	**4,933**	**5,265**
(क)	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	827	833	922	1,026	1,112
(ख)	आरक्षित निधि	273	140	53	214	129
(ग)	निक्षेप एवं अग्रिम	704	1,375	1,323	708	790
(घ)	उचन्त एवं विविध	172	172	205	219	148
(ड.)	प्रेषण	2,180	2,513	2,527	2,766	3,086
	कुल प्राप्तियां	**10,043**	**12,804**	**12,368**	**13,295**	**15,203**

1.4.2 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखाओं की **विवरणी-II** में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा है। राज्य की राजस्व प्राप्तों में इसके अपने कर एवं कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरण और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान है। समग्र राजस्व प्राप्तियां, इसकी वार्षिक वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को इन प्राप्तियों का अनुपात व इसकी उत्प्लावकता **तालिका-1.5** में इंगित है।

तालिका-1.5: राजस्व प्राप्तियां-मूल पैरामीटर

	2002-2003	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रूपए)	**3,659**	**3,981**	**4,635**	**6,559**	**7,835**
स्वकीय कर (प्रतिशत)	890 (24.32)	984 (24.72)	1,252 (27.01)	1,497 (22.82)	1,656 (21.14)
कर-भिन्न राजस्व (प्रतिशत)	175 (4.78)	292 (7.33)	611 (13.18)	690 (10.52)	1,337 (17.06)
केन्द्रीय कर अन्तरण (प्रतिशत)	346 (9.46)	450 (11.30)	537 (11.59)	493 (7.52)	629 (8.03)
सहायता अनुदान (प्रतिशत)	2,248 (61.44)	2,255 (56.65)	2,235 (48.22)	3,879 (59.14)	4,213 (53.77)
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	**(-)1.53**	**8.80**	**16.43**	**41.51**	**19.45**
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	**19.35**	**19.21**	**20.13**	**25.79**	**27.69**
राजस्व उत्प्लावकता(अनुपात)[2]	**(-) 0.149**	**0.916**	**1.479**	**3.965**	**1.727**
राज्य के स्वकीय कर की उत्प्लावकता (अनुपात)	**(-) 0.28**	**1.10**	**2.45**	**1.87**	**0.94**
राज्य के स्वकीय कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात)	**(-)0.53**	**0.83**	**0.60**	**2.12**	**1.84**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)	**10.25**	**9.61**	**11.11**	**10.47**	**11.26**

1.4.3 सामान्य प्रवृत्तियां

भारत सरकार से सहायता अनुदान तथा कर-भिन्न राजस्व के अंश में दर्शनीय परिवर्तन सहित 2002-07 अवधि के लिए राजस्व प्राप्तियां प्रगतिशील वृद्धि दर्शाती हैं, जबकि उक्त अवधि स्वकीय कर तथा केन्द्रीय अंतरण के अंश में आंशिक भिन्नता प्रदर्शित करती है। 2006-07 के दौरान जबकि कुल राजस्व का 38 प्रतिशत करों तथा

[2] गत वर्ष की अपेक्षा उत्प्लावकता का ऋणात्मक अनुपात राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर में कमी के कारण है।

कर-भिन्न युक्त अपने संसाधनों से प्राप्त हुआ शेष 62 प्रतिशत का अंशदान केन्द्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश के केन्द्रीय अंतरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से हुआ।

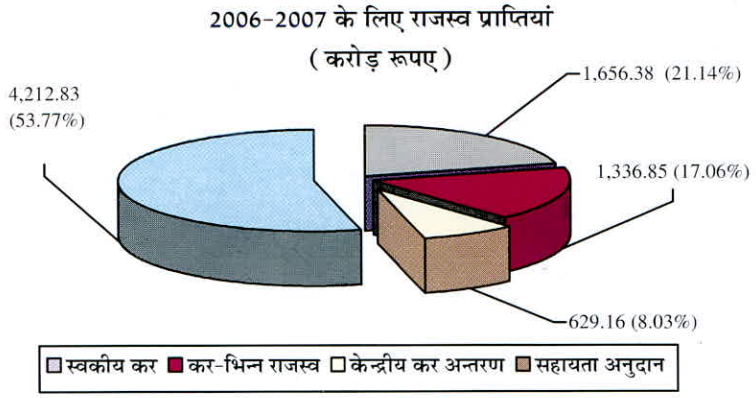

1.4.4 कर राजस्व

2005-06 में 1,497 करोड़ रू0 से 2006-07 में 1,656 करोड़ रू0 तक कर-राजस्व में 10.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर राजस्व (81 प्रतिशत) के मुख्य अंश में केवल बिक्री कर ही राजस्व नहीं था बल्कि उसमें गत वर्ष की अपेक्षा 26 प्रतिशत (187 करोड़ रू0) की वृद्धि भी हुई। गत वर्ष की अपेक्षा बिक्री कर राजस्व में तीव्र वृद्धि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई। यद्यपि विगत वर्ष की अपेक्षा विद्युत पर कर एवं शुल्कों में 89 करोड़ रू0 से 30 करोड़ रू0 की गिरावट मुख्यत: अप्रैल 2007 में विद्युत बोर्ड से विद्युत शुल्क की देर से प्राप्ति के कारण आई तथा आगामी वर्ष हेतु प्राप्तियों में अभिलेखित किया गया। तालिका 1.6 में 2002-07 के दौरान कर राजस्व की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: कर राजस्व

(करोड रूपए)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
बिक्री कर	383	437	542	727	914
राज्य आबकारी	274	280	300	329	342
वाहन पर कर	82	78	108	102	106
स्टाम्प एवं पंजीकरण	37	52	75	82	93
विद्युत	..	17	88	89	30
अन्य कर[4]	114	120	139	168	171
कुल योग	**890**	**984**	**1,252**	**1,497**	**1,656**

[4] अन्य करों में भू-राजस्व, माल एवं यात्री कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सम्मिलित हैं।

1.4.5 कर-भिन्न राजस्व

कुल राजस्व प्राप्तियों का कर भिन्न राजस्व 17 प्रतिशत संघटित हुआ तथा गत वर्ष की अपेक्षा 94 प्रतिशत की वृद्धि दर से 647 करोड़ रू0 की वृद्धि अभिलिखित की गई। वृद्धि मुख्यत: विद्युत क्षेत्र (659 करोड़ रू0) रॉयल्टी के कारण अन्य क्षेत्रों में आंशिक कमी के कारण, विद्युत परियोजनाओं के निवेश आंवटन तथा उच्चतर दरों पर विद्युत बिक्री से अंशत: प्रतिसंतुलित हुई। इसके अतिरिक्त "विविध सामान्य सेवाओं" के अन्तर्गत ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के अधीन अभिलेखित भारत सरकार द्वारा दी गई 72.49 करोड़ रू0 की ऋण राहत राज्य के कर-भिन्न राजस्व में तीव्र वृद्धि दर्शाती है। तथापि ये वृद्धियां 2006-07 के दौरान नए अभिकरण क्षतिपूरक वनारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजनागत प्राधिकरण के क्षतिपूरक वनारोपण तथा जलागम क्षेत्रों से हस्तांतरित प्राप्तियों के कारण वानिकी एवं वन्य प्राणी उपक्रम से 104 करोड़ रू0 की प्राप्तियों से संतुलित हुई।

सरकार द्वारा उचित माल एवं सेवाओं की पूर्ति में चालू वसूली लागत स्तर (राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु 1.38 प्रतिशत लघु सिंचाई हेतु 0.39 प्रतिशत और विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा हेतु 4.30 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने पहले से ही राज्य विद्युत नियामक आयोग स्थापित कर लिया है। परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल तथा सिंचाई जैसी विभिन्न सेवाओं हेतु उपयोक्ताओं से उपयुक्त लागत मूल्य पर वसूली सुनिश्चित क्द्दरने के लिए तथा नवीनतम बेहतर इमदादी लक्ष्यों के निर्धारण हेतु हिमाचल प्रदेश टैरिफ बोर्ड की स्थापना सरकार के विचाराधीन थी।

वास्तविक राजस्व प्राप्तियां बारहवें वित्तायोग द्वारा किया गया निर्धारण तथा 2006-07 हेतु राज्य सरकार की स्थिति नीचे दी गई है:-

तालिका-1.7: तुलनात्मक विवरण

(क्द्दरोड़ रूपए)

	बारहवें वित्तायोग द्वारा किया गया निर्धारण	में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण		वास्तविक
		राजकोषीय शुद्धि पथ	मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरण	
क्द्दर राजस्व	1,619	1,506	1,506	1,656
क्द्दर-भिन्न राजस्व	415	683	554	1,337

बारहवें वित्तायोग द्वारा किए गए निर्धारण की अपेक्षा क्द्दर-राजस्व में 2.29 प्रतिशत तथा क्द्दर-भिन्न राजस्व में 222 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वास्तविक वसूलियां भी राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारणों से बढ़ गई थीं।

1.4.6 राजस्व प्राप्तियों को सरकारी लेखे में जमा न करना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में निर्धारित है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया सभी राजस्व राज्य सरकार की संचित निधि में जमा किया जाएगा तथा विधि के अनुसार तथा संविधान के अन्तर्गत उपलब्ध रीति को छोड़कर कोई भी धन उपरोक्त निधि के बाहर विनियोजित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने निर्देश (जून 2006) भी जारी किए थे कि सरकार द्वारा नियत करों एवं शुल्कों को सरकारी लेखाओं में जमा किया जाएगा तथा समितियों द्वारा जैसा कि चिकित्सा कल्याण समिति, रोगी कल्याण समिति, इत्यादि में कोई भी मामला प्रतिधारित नहीं किया जाएगा।

प्रधानाचार्य, डा0 राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा विद्यालय, टांडा (कांगड़ा जिला) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा छानबीन (दिसम्बर 2006) तथा मार्च 2007 में एकत्रित अतिरिक्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि 2005-06 तथा 2006-07 की मध्यावधि के दौरान गैर आवासीय भारतीय विद्यार्थियों से प्राप्त 1.03 करोड़ रू0 के राशि के शिक्षा शुल्क सम्बन्धी इन प्राप्तियों को सरकारी लेखे में जमा करने के बजाय विद्यार्थी निधि लेखा में जमा किया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित (मई 2007) किए जाने के पश्चात 1.03 करोड़ रू0 की समस्त राशि को सरकारी लेखे में जमा किया गया (जून 2007)। 3.50 लाख रू0 की ब्याज राशि को भी जमा करवाया गया (सितम्बर 2007)।

1.4.7 केन्द्रीय कर अंतरण

गत वर्ष की अपेक्षा केन्द्रीय कर अंतरण में 136 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई तथा राजस्व प्राप्तियां 8 प्रतिशत संघटित हुई। वृद्धि मुख्यत: निगम कर (196.36 करोड़ रू0), उत्पाद शुल्क (122.71 करोड़ रू0), संघीय आबकारी शुल्क (130.30 करोड़ रू0) तथा निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (119.24 करोड़ रू0) के अन्तर्गत हुई।

1.4.8 सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान में 2005-06 में 3,879 करोड़ रू0 से चालू वर्ष में 4,213 करोड़ रू0 तक की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यत: राज्य योजनागत स्कीम (292 करोड़ रू0), केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (38 करोड़ रू0) तथा राज्य गैर योजनागत अनुदान (4 करोड़ रू0) के अन्तर्गत हुई। वर्ष के दौरान कुल अनुदानों से राज्य का गैर-योजनागत अनुदान (2,416 करोड़ रू0) 57 प्रतिशत संघटित होता है जो बारहवें वित्तायोग की सिफारिशों के कारण गैर योजनागत राजस्व घाटे का मुख्यत: 87 प्रतिशत (2,107 करोड़ रू0) था। भारत सरकार से सहायता अनुदान का ब्यौरा **तालिका 1.8** में दिया गया है:-

तालिका सं0 1.8: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(करोड़ रूपए)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	1,176	1,335	1,215	1,173	1,465
गैर योजनागत अनुदान	874	760	830	2,412	2,416
केन्द्रीय स्कीमों/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु अनुदान	198	160	190	294	332
कुल:	**2,248**	**2,255**	**2,235**	**3,879**	**4,213**
गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	(-)1.27	0.31	(-)0.89	73.56	8.61

1.5 संसाधनों की प्रयुक्ति

1.5.1 व्यय की वृद्धि

वित्त लेखाओं की **विवरणी-12** लघु शीर्षों द्वारा विस्तृत राजस्व व्यय एवं मुख्य शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय प्रदर्शित करती है। राज्य का कुल व्यय 2002-2003 में 6,029 करोड़ रू0 से बढ़कर 2006-2007 में 8,730 करोड़ रू0 हो गया। राज्य का कुल व्यय, इसकी प्रवृत्ति तथा वार्षिक वृद्धि दर तथा इसकी राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्तियों का अनुपात तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद व राजस्व प्राप्तियों के सम्बद्ध में इसकी

उत्प्लावकता निम्न **तालिका-1.9** में इंगित है:

तालिका-1.9: कुल व्यय - मूल पैरामीटर

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कुल व्यय [5] (करोड़ रू0)	6,029	6,393	6,471	7,301	8,780
वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	14.71	6.04	1.22	12.83	20.26
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	31.89	30.85	28.11	28.70	31.03
राजस्व प्राप्तियां/कुल व्यय अनुपात *(प्रतिशत)*	60.69	62.27	71.63	89.84	89.24
निम्न में कुल व्यय की उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.435	0.629	0.110	1.225	1.799
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	(-)9.614[6]	0.686	0.074	0.309	1.042

गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान व्यय में 1,479 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई जिसमें राजस्व व्यय का अंश 1,178 करोड़ रू0, पूंजीगत व्यय अंशदान 289 करोड़ रू0 तथा ऋणों तथा अग्रिमों की चुकौतियां 12 करोड़ रू0 थीं। चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय का 89 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों से तथा शेष पूंजीगत प्राप्तियों व उधार निधियों से संगठित हुआ। 2005-06 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्राप्त किए गए कुल व्यय की उत्प्लावकता जो कि 2006-07 में 1.8 पर थमी, खर्च के आय से अधिक होने तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कुल व्यय की उच्चतर लचक को दर्शाता है।

1.5.2 क्रियाकलापों द्वारा कुल व्यय में प्रवृत्ति

क्रिया-कलापों के अनुसार कुल व्यय को ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, ब्याज भुगतान सहित, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायता अनुदान तथा ऋणों एवं अग्रिमों पर संकलित व्यय के रूप में माना जाएगा। कुल व्यय में इन घटकों का सापेक्ष अंश **तालिका 1.10** में इंगित है।

तालिका: 1.10 व्यय के घटक-सापेक्ष अंश

(प्रतिशत)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सामान्य सेवाएं	**35.53**	**39.21**	**42.54**	**39.31**	**38.28**
में से ब्याज अदायगियां	19.44	23.04	25.36	21.41	19.01
सामाजिक सेवाएं	**30.74**	**34.98**	**34.31**	**36.68**	**35.99**
आर्थिक सेवाएं	**32.36**	**25.46**	**22.73**	**23.74**	**25.40**
सहायत अनुदान	**0.91**	**0.05**	**0.05**	**0.08**	**0.03**
ऋण व अग्रिम	**0.47**	**0.31**	**0.37**	**0.19**	**0.30**

5 कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण अग्रिम सम्मिलित हैं।

6 गत वर्ष की अपेक्षा उत्प्लावकता का ऋणात्मक अनुपात राजस्व प्राप्तियों में सवृद्धि दर में कमी के कारण है।

व्यय का इन घटकों के सापेक्षांश संचलन इंगित करता है कि सभी व्यय घटकों का अन्तर्वर्षीय विचलन था। किन्तु सामान्य सेवाओं और ब्याज भुगतानों पर व्यय, जिसे गैर-विकासात्मक माना गया है, वर्ष 2005-2006 में 39.31 प्रतिशत से 2006-07 में 38.28 प्रतिशत तक नाममात्र घटा। दूसरी ओर, विकास व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक दोनों सेवाओं पर वर्ष 2005-2006 में 60.42 प्रतिशत के प्रति 2006-2007 में 61.39 प्रतिशत लेखांकित किया गया।

1.5.3 राजस्व व्यय का प्रभाव क्षेत्र

कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रबलांश था। राजस्व व्यय सेवाओं के चालू स्तर बनाए रखने एवं पूर्व दायित्वों के भुगतान पर खर्च किया गया और इसलिए राज्य की अवसंरचना व सेवा जाल में कोई वृद्धि नहीं हुई। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्तियों के राजस्व व्यय का अनुपात तथा इसकी उत्प्लावकता **तालिका-1.11** में दर्शाई गई है।

तालिका-1.11: राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर

(करोड़ रूपए)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व व्यय में से	5,141	5,588	5,793	6,466	7,644
आयोजनेतर राजस्व व्यय	3,755	4,748	4,815	5,284	6,319
योजनागत राजस्व व्यय	1,386	840	978	1,182	1,325
आयोजनेतर राजस्व व्यय वृद्धि की दर (प्रतिशत)	11.29	26.44	1.41	9.74	19.59
योजनागत राजस्व व्यय वृद्धि की दर (प्रतिशत)	15.31	(-)39.39	16.43	20.86	12.10
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	23.13	26.29	23.96	23.60	22.33
कुल व्यय के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	85.67	87.68	89.86	88.73	87.32
राजस्व प्राप्तियों के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	62.28	74.27	74.41	72.37	71.97
राजस्व व्यय के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	102.62	119.27	103.88	80.56	80.65
आयोजनेतर राजस्व व्यय से राजस्व व्यय की प्रतिशतता	73.04	84.97	83.12	81.72	82.67
योजनागत राजस्व व्यय से राजस्व व्यय	26.96	15.03	16.88	18.28	17.33
निम्न में राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.205	0.904	0.330	1.110	1.618
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	(-) 8.072	0.988	0.223	0.280	0.937

राजस्व व्यय में 2002-03 में 5,141 करोड़ रू0 से 2006-07 में 7,644 करोड़ रू0 तक 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेतरराजस्व व्यय अवधि की अपेक्षा 14 प्रतिशत की औसत दर पर सुसंगत वृद्धि को दर्शाता है तथा राजस्व व्यय का अंश 73.85 प्रतिशत की संकीर्ण श्रेणी में प्रबल समानुपात में घटता-बढ़ता रहा। दूसरी ओर योजनागत राजस्व व्यय घटते-बढ़ते हुए 2003-2004 में 39 प्रतिशत की कमी से 2005-06 में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि तीव्र अस्थिरता को दर्शाता है तथा चालू वर्ष के दौरान वृद्धि दर में 12 प्रतिशत की अतिरिक्त कमी हुई।

चालू वर्ष के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय में 1,035 करोड़ रू0 की वृद्धि मुख्यत: पैंशन (242 करोड़ रू0), वेतन (532 करोड़ रू0) में वृद्धि, जिला परिषदों को सहायता (31 करोड़ रू0) तथा उपदानों के भुगतान (201

करोड़ रू0) के कारण हुई। गत वर्ष की अपेक्षा योजनागत राजस्व व्यय में (143 करोड़ रू0) में वृद्धि मुख्यत: ग्रामीण विकास (18 करोड़ रू0), सामान्य शिक्षा (45 करोड़ रू0) तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों (14 करोड़ रू0) में बढ़ौतरी के कारण हुई।

वास्तविक आयोजनेतर राजस्व व्यय अर्थात बारहवें वित्तायोग द्वारा किए गए निर्धारण तथा राज्य सरकार की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका: 1.12: वास्तविक आयोजनेतर राजस्व व्यय अर्थात प्रक्षिप्तियां

(करोड़ रूपए)

		में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण		
	बारहवें वित्तयोग द्वारा किया गया निर्धारण	**राजकोषीय शुद्धि पथ**	**मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरण**	**वास्तविक आयोजनेतर राजस्व व्यय**
आयोजनेतर राजस्व व्यय	4,688	5,616	5,538	6,319

चालू वर्ष के दौरान राज्य आयोजनेतर राजस्व व्यय राज्य सरकार द्वारा किये गये निर्धारण से ही नहीं बढ़ा परन्तु बाहरवें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण मानक से भी 1631 करोड़ रू0 बढ़ गया।

1.5.4 वचनबद्ध व्यय

1.5.4.1 वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

तालिका-1.13: वेतन पर व्यय

(करोड़ रूपए)

शीर्ष	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में से	2271	2382	2204	2515	3,057
आयोजनेतर शीर्ष	इस अवधि हेतु योजनागत/आयोजनेतर वार वेतन का विखण्डन उपलब्ध नहीं था।			2,115	2,577
योजनागत शीर्ष				400	480
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार प्रतिशत	12.01	11.50	9.57	9.89	10.80
राजस्व प्राप्तियों के अनुसार प्रतिशत	62.07	59.83	47.55	38.34	39.02

क्रमश: 22 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की वृद्धि दर अभिलिखित करते हुए चालू वर्ष के दौरान आयोजनेतर तथा योजनागत के अन्तर्गत वेतन पर क्रमश: 2,577 करोड़ रू0 तथा 480 करोड़ रू0 का व्यय हुआ। चालू वर्ष के दौरान वेतन व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरण (2,714 करोड़ रू0) तथा राजकोषीय शुद्धि पथ (2,294 करोड़ रू0) में दिए गए प्रक्षिप्तियों से बढ़ गया। वेतन व्यय ब्याज तथा पैंशन अदायगियों का निवल राजस्व व्यय 60 प्रतिशत था जो कि बारहवें वित्तायोग द्वारा की गई सिफारिशों के मानकों के 35 प्रतिशत से उच्चतर था। वेतन के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि लोक निर्माण विभाग के लगभाग 10,000 वेतन भोगी स्टॉफ को नियमित करने तथा विभिन्न विभागों का मार्च 2007 का वेतन 2006-07 के लेखाओं में बुक करने के कारण बताई गई।

1.5.4.2 पैंशन अदायगियां

तालिका-1.14: पैंशन पर व्यय

(करोड़ रूपए)

शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
पैंशन पर व्यय	490	533	591	670	912
वृद्धि दर	10.61	8.78	10.88	13.37	36.12
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार प्रतिशता	2.59	2.57	2.57	2.63	3.22
राजस्व प्राप्तियों के अनुसार प्रतिशतता	13.39	13.39	12.75	10.21	11.64
राजस्व व्यय के अनुसार प्रतिशतता	9.53	9.54	10.20	10.36	11.93

स्रोत: वित्त लेखाओं से

गत वर्ष की अपेक्षा 36 प्रतिशत की वृद्धि दर अभिलिखित करते हुए चालू वर्ष के दौरान पैंशन अदायगियों में 242 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई। पैंशन के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि पैंशन के संशोधन के कारण बताई क्योंकि वेतन मानों को संशोधन पर पैंशन के क्रमोतन के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के परिणाम स्वरूप हुआ। इसके अतिरिक्त वृद्धि अधिकतर संख्या में सेवानिवृत्तियां तथा मंहगाई राहत के निस्तारण के कारण हुई। चालू वर्ष हेतु वास्तविक व्यय क्रमश: बारहवें वित्तायोग, राजकोषीय शुद्धि पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरण में दिए गए प्रक्षिप्तियों से बढ़ गया जो नीचे दर्शाया गया है।

तालिका: 1.15: वास्तविक पैंशन अदायगियां अर्थात प्रक्षिप्तियां

(करोड़ रूपए)

	बाहरवें वित्तयोग द्वारा किया गया निर्धारण	में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण		पैंशन पर वास्तविक व्यय
		राजकोषीय शुद्धि पत्र	मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरण	
पैंशन अदायगियां	800	698	753	912

सरकार ने भविष्य में बढ़ते हुए पैंशन दायित्वों को कम करने के लिए मई 2003 को अथवा उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारिों के लिए अंशदान पैंशन स्कीम शुरू की है।

1.5.4.3 ब्याज अदायगियां

तालिका: 1.16: ब्याज अदायगियां

(करोड़ रूपए)

वर्ष	कुल राजस्व प्राप्तियां	ब्याज अदायगियां	के संदर्भ में ब्याज अदायगियों की प्रतिशतता	
	(करोड़ रूपए)		कुल राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय
2002-2003	3,659	1,172	32.03	22.80
2003-2004	3,981	1,473	37.00	26.36
2004-2005	4,635	1,641	35.40	28.33
2005-2006	6,559	1,563	23.83	24.17
2006-2007	7,835	1,669	21.30	21.83

उधारों का मुख्य स्रोत 7.74 से 8.35 प्रतिशत तक बढ़ते घटते ब्याज दर पर बाजार ऋण पर है। ब्याज अदायगियों में गत वर्ष की अपेक्षा 7 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि मुख्यत: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों, बाजार, ऋण, अन्य आंतरिक ऋण, राज्य भविष्य निधि पर ब्याज अदायगी के कारण हुई। यह वृद्धि वर्ष 2006-07 के लिए बारहवें वित्तायोग (1,450 करोड़ रू0) द्वारा प्रक्षिप्तियों से अधिक थी परन्तु राजकोषीय शुद्धि पथ (1,755 करोड़ रू0) में दी गई प्रक्षिप्तियों से कम थी।

1.5.4.4 उपदान

राज्य सरकार विभिन्न निगमों, आदि को वर्षों से उपदान अदा कर रही है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए उपदान को **तालिका 1.17** में दिया गया है।

तालिका: 1.17 उपदान

(करोड़ रूपए)

वर्ष	राशि	पिछले वर्ष से वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशतता	ऋणों एवं अग्रिमों को छोड़कर कुल व्यय में उपदान की प्रतिशतता
2002-2003	148.17	(+)23.81	2.47
2003-2004	83.78	(-)43.46	1.31
2004-2005	158.98	(+)89.75	2.47
2005-2006	142.09	(-)10.62	1.95
2006-2007	343.44	(+)141.71	3.92

स्रोत: वीएलसी/वित्त लेखा

चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय का उपदान 4 प्रतिशत संघटित हुआ। उपदान के मुख्य संघटक बागवानी एवं वनस्पति फसलें:24.89 करोड़ रू0; परिवहन; 48 करोड़ रू0 तथा विद्युत बोर्ड: 244.87 करोड़ रू0 थे। 2006-07 के दौरान उपदान में वृद्धि (201 करोड़ रू0) मुख्यत: टैरिफ की कीमतों के अवधारण के रोल बैक की क्षतिपूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को उपदान में वृद्धि के कारण हुई। 2006-07 में 245 करोड़ रू0 का विद्युत उपदान राजकोषीय शुद्धि पथ (86.5 करोड़ रू0) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना गत विवरण (91 करोड़ रू0) दोनों में प्रक्षिप्त से उच्चतर है। इसके अतिरिक्त 98 करोड़ रू0 का सामान्य उपदान राजकोषीय शुद्धि पथ में प्रक्षिप्त (79 करोड़ रू0) से भी उच्चतर था।

1.6 आवंटित अग्रताओं द्वारा व्यय

1.6.1 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिविम्बित करती है। कुल व्यय से पूंजीगत व्यय के अनुपात के साथ-साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व व्यय का हिस्सा विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं की कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता पर खर्च करते हुए व्यय की गुणवत्ता को निर्धारित करेगा। कुल व्यय तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के इन संघटकों का उच्च अनुपात व्यय

की अच्छी गुणवत्ता बताता है। वर्ष 2002-2007 के दौरान इन अनुपातों को **तालिका- 1.18** में दिया गया है।

तालिका- 1.18: व्यय की गुणवत्ता के सूचकांक

(करोड़ रूपए)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
पूंजीगत व्यय	**860**	**785**	**654**	**821**	**1,110**
राजस्व व्यय	**5,141**	**5,588**	**5,793**	**6,466**	**7,644**
में से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं	2,955	3,102	3,067	3,642	4,341
(i) वेतन एवं मजदूरी संघटक	1,686 (32.80)	1,617 (28.94)	1,830 (31.59)	2,023 (31.29)	2,497 (32.67)
(ii) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	1,269 (24.68)	1,485 (26.57)	1,237 (21.35)	1,619 (25.04)	1,844 (24.12)
कुल व्यय के अनुसार प्रतिशतता[8]					
पूंजीगत व्यय	14.33	12.32	10.14	11.27	12.68
राजस्व व्यय	85.67	87.68	89.86	88.73	87.32
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार प्रतिशतता					
पूंजीगत व्यय	4.55	3.79	2.84	3.23	3.92
राजस्व व्यय	27.19	26.97	25.16	25.42	27.01

यद्यपि पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता हेतु कोई विशिष्ट मानक नहीं बनाए गए थे, गत वर्ष की अपेक्षा 2006-07 में पूंजीगत व्यय में 289 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई जो कि व्यय की गुणवत्ता में सुधार तथा परिसम्पत्ति निर्माण में दिए गए आवेग को सूचित करती है। जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा शिक्षा लाभभोगी क्षेत्र हैं जहां पूंजीगत व्यय का अवशोषण हुआ। 2002-07 की अवधि के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर संघटक के साथ-साथ गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक राजस्व व्यय के लगभग स्थिर रहे।

1.6.2 सामाजिक सेवाओं पर व्यय

इस तथ्य को देते हुए कि मानव विकास सूचकांक जैसे कि आधारभूत शिक्षा का अभिगम, स्वास्थ्य सेवाएं तथा पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएं, आदि गरीबी को खत्म करने तथा आर्थिक उन्नति की प्रबल कड़ी है, राज्य में इन सेवाओं के विस्तार तथा कार्यकुशल प्रावधान के संदर्भ में निर्धारण करना महत्वपूर्ण होगा। वर्ष 2002-2007 के दौरान राज्य में सामाजिक सेवाओं के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का सारांश **तालिका 1.19** में दिया गया है।

[8] ऋणों एवं अग्रिमों को छोड़कर कुल व्यय/कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

तालिका: 1.19: सामाजिक सेवाओं पर व्यय

(करोड़ रूपए)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति					
राजस्व व्यय में	937	969	1,037	1,172	1,325
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	827	861	907	1,004	1,154
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	110	108	130	168	171
पूंजीगत व्यय	20	37	48	41	99
जोड़	**957**	**1,006**	**1,085**	**1,213**	**1,424**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
राजस्व व्यय में	278	296	311	345	397
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	235	243	256	284	330
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	43	53	55	61	67
पूंजीगत व्यय	20	50	61	48	44
जोड़	**298**	**346**	**372**	**393**	**441**
जलापूर्ति स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास					
राजस्व व्यय में	201	470	321	404	518
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	66	69	73	94	181
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	135	401	248	310	337
पूंजीगत व्यय	201	212	209	244	412
जोड़	**402**	**682**	**530**	**648**	**930**
अन्य सामाजिक सेवायें					
राजस्व व्यय में	193	197	221	387	346
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	40	35	37	42	50
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	153	162	184	345	296
पूंजीगत व्यय	3	5	12	36	19
जोड़	**196**	**202**	**233**	**423**	**365**
जोड (सामाजिक सेवायें)					
राजस्व व्यय में	1,609	1,932	1,890	2,309	2,586
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	1,168	1,208	1273	1,425	1,715
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	441	724	617	884	871
पूंजीगत व्यय	244	304	330	369	574
जोड़	**1,853**	**2,236**	**2,220**	**2,678**	**3,160**

स्रोत: वीएलसी/वित्त लेखे

सामाजिक क्षेत्र में 2002-03 में 1,853 करोड़ रू0 से 2006-07 में 3,160 करोड़ रू0 तक के आवंटन की वृद्धि सामाजिक सोसाइटियों में अच्छा सुधार लाने की सरकार की वचनबद्धता को सूचित करती है। चालू वर्ष (3,160 करोड़ रू0) के दौरान सामाजिक क्षेत्र पर व्यय कुल व्यय का 36 प्रतिशत तथा विकास व्यय[9] का 59 प्रतिशत लेखाबद्ध किया। गत वर्ष की अपेक्षा शिक्षा व्यय में 211 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व्यय गत वर्ष की अपेक्षा केवल 48 करोड़ रू0 की वृद्धि दर्शाता है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को स्वीकार करके सुधार करने की आवश्यकता है, बारहवें वित्तायोग ने सिफारिश की थी कि शिक्षा तथा

9 विकास व्यय की परिभाषा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय के रूप में है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत आयोजनेतर वेतन व्यय में केवल पांच छः प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए जबकि वर्ष के दौरान पंचाट अवधि में आयोजनेतर शीर्ष के अन्तर्गत गैर वेतन व्यय में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि होनी चाहिए। तथापि 2005-06 से व्यय की प्रवृत्ति शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत वेतन तथा मजदूरी संघटक में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि उदघाटित करती है जबकि गैरवेतन एवं मजदूरी संघटक में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी संघटक में 16 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि गैर वेतन एवं मजदूरी संघटक में 10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। दोनों शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में व्यय प्रतिमान बारहवें वित्त आयोग के मानकों के अनुसार नहीं था जिसमें आगामी वर्षों में सुधार की आवश्यकता है।

1.6.3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय

आर्थिक सेवाओं पर व्यय में सभी व्यय जैसे कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पदोन्नति, उत्पादक क्षमता सहित राज्य की अर्थव्यवस्था सम्मिलित है। आर्थिक सेवाओं पर व्यय (2,229 करोड़ रू0) कुल व्यय का 25 प्रतिशत लेखाबद्ध किया। इसमें से कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा एवं परिवहन में व्यय का उपभोग लगभग 85 प्रतिशत रहा। जैसा कि निम्नवत् दी गई **तालिका- 1.20** में देखा जा सकता है:

तालिका: 1.20 आर्थिक सेवाओं पर व्यय

(करोड़ रूपए)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कृषि एवं सम्बद्ध क्रिया कलाप					
राजस्व व्यय में से,	585	394	386	470	498
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	*214*	*223*	*220*	*243*	*287*
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	*371*	*171*	*166*	*227*	*211*
पूंजीगत व्यय	23	17	12	10	25
जोड़	**608**	**411**	**398**	**480**	**523**
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
राजस्व व्यय में से,	70	70	69	90	130
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	*32*	*34*	*36*	*46*	*88*
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	*38*	*36*	*33*	*44*	*42*
पूंजीगत व्यय	46	82	73	104	176
जोड़	**116**	**152**	**142**	**194**	**306**
विद्युत एवं ऊर्जा					
राजस्व व्यय में से,	131	152	73	123	314
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	*130*	*151*	*72*	*122*	*312*
पूंजीगत व्यय	359	94	2	..	..
जोड़	**490**	**246**	**75**	**123**	**314**
परिवहन					
राजस्व व्यय में से	360	363	400	412	512
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	**211**	**91**	**236**	**238**	**325**
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	**149**	**272**	**164**	**174**	**187**
पूंजीगत व्यय	**174**	**257**	**200**	**274**	**243**
जोड़	**534**	**620**	**600**	**686**	**755**

अन्य आर्थिक सेवाएं					
राजस्व व्यय में से	199	190	249	238	301
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	**59**	**60**	**64**	**70**	**80**
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	**140**	**130**	**185**	**168**	**221**
पूंजीगत व्यय	3	8	7	12	30
जोड़	**202**	**198**	**256**	**250**	**331**
कुल (आर्थिक सेवायें)					
राजस्व व्यय में से	1,345	1,169	1,177	1,333	1,755
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	**517**	**409**	**557**	**598**	**782**
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	**828**	**760**	**620**	**735**	**973**
पूंजीगत व्यय	**605**	**458**	**294**	**400**	**474**
जोड़	**1,950**	**1,627**	**1,471**	**1,733**	**2,229**

स्रोत: वी.एल.सी./वित्त लेखे

2006-07 के दौरान आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत कुल व्यय में से 34 प्रतिशत परिवहन, 14 प्रतिशत प्रत्येक सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत एवं ऊर्जा तथा 23 प्रतिशत कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों पर व्यय किया। 2002-2003 की तुलना में 2006-2007 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (163 प्रतिशत) तथा परिवहन सेवाएं (41 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत कुल व्यय में वेतन संघटक 25 तथा 38 प्रतिशत के मध्य दर्ज किया गया। वार्षिक 26 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के अनुसार 2004-05 में 620 करोड़ रू0 से 2006-2007 में 973 करोड़ रू0 तक गैर वेतन संघटक में निरन्तर वृद्धि हुई।

सामाजिक सेवाओं पर राजस्व तथा पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति सूचित करती है कि 2002-03 में 605 करोड़ रू0 से 2004-05 में 294 करोड़ रू0 (51 प्रतिशत) तक की कमी आई जबकि गत दो वर्षों की अपेक्षा 2006-07 में 474 करोड़ रू0 (61 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय 2003-04 में 1,169 करोड़ रू0 से 2006-07 में 1,754 करोड़ रू0 (50 प्रतिशत) तक बढ़ा। गत वर्ष की अपेक्षा 2006-07 के दौरान राजस्व व्यय में 421 करोड़ रू0 की वृद्धि (32 प्रतिशत) मुख्यत: विद्युत एवं ऊर्जा (191 करोड़ रू0) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (40 करोड़ रू0) तथा परिवहन (100 करोड़ रू0) में वृद्धि के कारण हुई। 2002-07 के दौरान राजस्व व्यय के वेतन एवं मजदूरी संघटक 35 तथा 47 प्रतिशत के मध्य थे। इनमें 2003-04 में 409 करोड़ रू0 (35 प्रतिशत) से 2006-07 में 782 करोड़ रू0 (45 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। जबकि गैर वेतन संघटक में 828 करोड़ रू0 (2002-03) से 620 करोड़ रू0 (2004-05) तक कमी आई तथा 2006-07 में 973 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई जो सम्भवत: आवंटित अग्रताओं के अनुरक्षण एवं उनकी बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाओं की ओर संकेत करती हैं।

1.6.4 स्वायत्त निकाय तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1.6.4.1 सहायता की सीमा

2002-2007 की छ: वर्ष की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्यों को अनुदानों तथा ऋणों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सहायता की प्रमात्रा को **तालिका-1.21** में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका-1.21: वित्तीय सहायता

(करोड़ रूपए)

नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
शिक्षण संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	78.44	94.58	103.24	132.81	117.50
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	45.15	19.50	28.83	32.68	46.74
जिला परिषद तथा *पंचायती राज* संस्थायें	42.87	48.82	63.28	70.08	100.58
विकास एजेंसी	10.45	77.47	52.62	112.10	93.44
हस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.05	0.21	0.06	0.40	0.12
अन्य संस्थान*	8.73	32.83	27.50	31.56	41.11
जोड़	**185.69**	**273.41**	**275.53**	**379.63**	**399.49**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	3.62	4.89	4.76	5.87	5.23

2002-07 वर्षों से स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को प्रदान किए गए अनुदान समनुरूप वृद्धि को दर्शाते हैं। गत वर्ष की अपेक्षा इनमें 20 करोड़ रू0 (5 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय में अनुदान अंश 2002-03 में 4 प्रतिशत से 2005-06 में 6 प्रतिशत तक अन्त: वर्षीय अन्तर दर्शाता है। **तालिका 1.21** से अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह प्रकट होती है कि अन्य संस्थानों में 2002-03 में 8.73 करोड़ रू0 से 2006-07 में 41.11 करोड़ रू0 तक लगभग पांच गुणा तीव्र वृद्धि हुई जो कि विभिन्न राज्य सरकारी संस्थानों को तदर्थ आधार पर दी गई वित्तीय सहायता को सूचित करती है। वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत तीव्र वृद्धि मुख्यत: नगर निगम/नगर पालिकाओं (14.06 करोड़ रू0) तथा जिला परिषदों तथा पंचायती राज संस्थानों (30.50 करोड़ रू0) को अधिक अनुदान निस्तारण करने के कारण हुई। इसी प्रकार "अन्य संस्थान" शीर्ष के अन्तर्गत 2005-06 की तुलना में वृद्धि (9.55 करोड़ रू0) मुख्यत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अन्तर्गत अधिक अनुदान निस्तारण (7.5 करोड़ रू0) करने के कारण हुई।

* अन्य संस्थानों में वे संस्थान शामिल हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान तदर्थ तथा एक समय अनुदान प्राप्त किया है।

1.6.5 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

2005-2006 तक दी गई 718.09 करोड़ रू0 के अनुदानों के संदर्भ में 4,796 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के पूर्णयोग में से 444.30करोड़ रू0 के कुल राशि के 3,277 उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभागीयवार विखण्डन का ब्यौरा **परिशिष्ट-VI** में दिया गया है।

1.6.6 लेखाओं का प्रस्तुत न करना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, की धारा 19(2) में आच्छादित लेखापरीक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 से 2005-2006 हेतु हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के लेखे प्राप्त, नहीं हुए।

1.6.7 दुर्विनियोजन, हानियां, गबन आदि

राज्य सरकार ने जून 2007 तक की अवधि हेतु 1.60 करोड़ रू0 की सरकारी मौद्रिक राशि से सम्मिलित दुर्विनियोजन, गबन, आदि के 61 मामले प्रतिवेदित किए, जिन पर अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभागीयवार विखण्डन **परिशिष्ट- VII** में दिया गया है।

1.6.8 हानियों, आदि को बट्टे खाते डालना

जैसा कि लेखापरीक्षा को सूचित किया गया 2006-2007 के दौरान सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तीन मामलों में 1.23 करोड़ रू0 की राशि के चोरी होने, आग लगने तथा वसूल न होने योग्य राजस्व आदि के कारण हुई हानियों को बट्टे-खाते में डाला गया।

1.7 परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

सरकारी लेखांकन पद्धति में सरकार द्वारा अपने भूमि भवन आदि की भान्ति निश्चित परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया गया है। तथापि, सरकारी लेखे वित्तीय दायित्व और सरकार द्वारा किए गए व्यय में से सृजित परिसम्पत्तियां परिग्रहण करते हैं। **परिशिष्ट-II** में 31 मार्च 2007 तक के ऐसे दायित्व व परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। इस दायित्व परिशिष्ट में मुख्यत: आन्तरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा तथा आरक्षित निधि से प्राप्तियां हैं तो परिसम्पत्तियों में मुख्यत: पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नगद शेष हैं। **परिशिष्ट-V** में 2002-2007 की अवधि हेतु राज्य सरकार के वित्तों पर टाईम सिरीज डॉटा प्रदर्शित है।

1.7.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2007 तक अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित विभागीयवार सूचना **तालिका 1.22** में नीचे दी गई है:

***तालिका-1.22*: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागीयवार पार्श्वचित्र**

(करोड़ रूपए)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31.03.2007 तक संचित वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	25	66.05	116.60♦	139.18	73.13
लोक निर्माण विभाग	5	16.22	15.93♥	21.04	4.82
जोड़	**30**	**82.27**	**132.53**	**160.22**	**77.95**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि राज्य सरकार ने 82.27 करोड़ रू0 की बजटीय लागत के प्रति 160.22 करोड़ रू0 का व्यय किया जिसके फलस्वरूप 77.95 करोड़ रू0 की लागत वृद्धि हुई। ये परियोजनाएं भूमि चयन में झगड़े,

♦ नौ परियोजनाओं के संदर्भ में लागत संशोधित नहीं की गई है।

♥ तीन परियोजनाओं के संदर्भ में लागत संशोधित नहीं की गई है।

पर्याप्त निधियों की अनुलपब्धता, अभिकल्पों/आरेखण को अंतिम रूप देने में विलम्ब, न्यायिक मामलों, सीमित कार्यकारी मौसमों, इत्यादि के कारण अपूर्ण पड़ी हुई थीं।

1.7.2 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2007 तक सरकार ने अपने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारी समितियों में 1,861 करोड़ रू0 का निवेश किया **(तालिका-1.23)**। इस निवेश पर औसत प्रतिफल पिछले पांचवर्षों में 0.3 प्रतिशत से कम था जबकि 2002-2007 के दौरान सरकार ने अपने उधारों पर 9.20 से 10.98 प्रतिशत के औसतन दर पर ब्याज भुगतान किया1 2006-2007 के दौरान प्रतिफल में वृद्धि विभिन्न सरकारी कम्पनियों आदि के विमोचन अंश मूल्य के कारण थी।

तालिका- 1.23: निवेश पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष के अन्त तक निवेश	प्रतिफल	प्रतिफल की प्रतिशतता	सरकारी उधारों पर औसतन दर से ब्याज	ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिफल में अंतर
	(करोड़ रूपए)			*(प्रतिशत)*	
2002-2003	1,796	0.61	0.03	10.37	10.34
2003-2004	1,922	0.50	0.03	10.98	10.95
2004-2005	1,943	0.58	0.03	10.60	10.57
2005-2006	1,842	28.61	1.55	9.20	7.65
2006-2007	1,861	1.80	0.10	9.40	9.30

अधिकांश निवेश छ: सांविधिक निगमों/बोर्डों (596 करोड़ रू0), 19 सरकारी कम्पनियों (157 करोड़ रू0) तथा एक केन्द्रीय सरकारी कम्पनी (1,027.20 करोड़ रू0) में किया गया। मार्च 2007 के अन्त तक दो सांविधिक निगमों ने 644.51 करोड़ रू0 (हि0प्र0 पथ परिवहन निगम: 405.34 करोड़ रू0 तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड: 239.17 करोड़ रू0) की संचित हानियां वहन की। 31 मार्च 2007 तक अधिकतर ऋण लेने वाली सरकारी कम्पनियों ने हिमाचल प्रदेश एग्रो-इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड (57.29 करोड़ रू0), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम लिमिटेड (32.76 करोड़ रू0) हिमाचल प्रदेश वन निगम (29.18 करोड़ रू0) तथा हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड (10.85 करोड़ रू0) संचित हानियां वहन की।

1.7.3 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम

सहकारिताओं, निगमों और कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार इनमें से बहुत सी संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी दे रही है। 31 मार्च 2007 को कुल बकाया ऋण व अग्रिम 237 करोड़ रू0 था **(तालिका-1.24)**। इन अग्रिमों के प्रति प्राप्त किया गया ब्याज क्षीण था तथा यह 2004-05 से 11.11 प्रतिशत

से 2006-07 के दौरान 4.66 प्रतिशत तक कमी हुई।

तालिका-1.24: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण पर प्राप्त औसत ब्याज

(करोड़ रूपए)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
अथ शेष	253	252	244	242	234
वर्ष के दौरान दी गई राशि	28	20	24	14	26
वर्ष के दौरान चुकौती राशि	29	28	26	22	23
अंतशेष	252	244	242	234	237
निवल जमा (+)/कमी (-)	(-)01	(-)08	(-)02	(-)08	(+)03
प्राप्त ब्याज	08	09	27	10	11
बकाया ऋणों व अग्रिमों पर प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	3.31	3.63	11.11	4.20	4.66
राज्य सरकार द्वारा उधारों पर भुगतान की गई भारित ब्याज दर (प्रतिशत में)	10.37	10.98	10.60	9.20	9.40
भारित भुगतान किए गए तथा प्राप्त किए गए ब्याज में अंतर	7.06	7.35	(-)0.51	5.00	4.74

2006-2007 के दौरान अधिकतर ऋण लेने वालों में सरकारी कर्मचारी (12.91 करोड़ रू0) तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप (9.62 करोड़ रू0) थे।

2002-2007 वर्षों से ब्याज प्राप्त करने में अन्तर्वर्षीय अस्थिरिता थी जिसमें विगत दो वर्षों की तुलना में 2004-2005 में 27 करोड़ रू0 की तीव्र वृद्धि देखी गई तथा पुन: 2006-2007 में 11 करोड़ रू0 की कमी हुई।

1.7.4 नगद शेषों का प्रबन्धन

यह सामान्यत: वांछनीय है कि राज्य के संसाधन इसके व्यय दायित्वों से मिलान करें। तथापि, संसाधनों और व्यय दायित्वों की गति में किसी अस्थाई गैर-मिलान के लिए अर्थोपाय एवं अग्रिम तथा भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष की प्रक्रिया अपनाई गई है। सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों हेतु प्रवर्ती सीमा को राजस्व प्राप्तियों के तीन वर्ष के औसत पर संगणित किया तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिमों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर धारित सरकारी प्रतिभूतियों के खातों पर निर्धारित किया गया है। यह सीमा हिमाचल प्रदेश के साधारण अर्थोपाय अग्रिमों पर 190 करोड़ रू0 थी। वर्ष 2006-2007 के दौरान विशेष अर्थोपाय अग्रिमों पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अवसरों की संख्या तथा राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज का ब्यौरा **तालिका-1.25** में दिया गा है।

तालिका-1.25 : राज्य के अर्थोपाय एवं अधिविकर्ष

(करोड़ रूपए)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
अर्थोपाय अग्रिम					
वर्ष के दौरान प्राप्त	1,109.00	1,728.85	1,578.54	232.78	42.00
अवसरों की संख्या	92	133	93	13	1
बकाया अर्थोपाय अग्रिम, यदि कोई हो	135.00	117.94	22.49	..	42.00
भुगतान किया गया ब्याज	5.47	5.19	1.85	0.32	0.01
दिवसों की संख्या	92	133	93	13	1
अधिविकर्ष					
वर्ष के दौरान प्राप्त	1,634.05	1,145.28	319.80	..	..
अवसरों की संख्या	127	74	14	..	..
दिवसों की संख्या	179	117	27	..	..
भुगतान किया गया ब्याज	2.18	1.94	0.49	..	..

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पिछले चार वर्षों में सरकार द्वारा लिए गए अर्थोपाय अग्रिमों के अवसरों की संख्या में गिरावट आई। इसी प्रकार 2002-03 से 2004-05 के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त अधिविकर्षों की सुविधा प्राप्त करने के अवसरों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आई। 2005-06 से 2006-07 के दौरान वास्तव में सरकार ने कोई अधिविकर्ष प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदानों में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक थी।

1.8 दायित्वों का निर्वहण न करना

1.8.1 राजकोषीय दायित्व-लोक ऋण एवं प्रत्याभूतियां

दायित्व दो प्रकार के होते हैं नामत: लोक ऋण तथा अन्य दायित्व। लोक ऋण राज्य के आंतरिक ऋण में निहित है तथा इन्हें समेकित निधि-पूंजीगत लेखा के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रतिवेदित किया जाता है। इसमें बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई विशेष प्रतिभूतियां तथा केन्द्रीय सरकार से ऋणों व अग्रिमों को सम्मिलित किया जाता है।

भारत के संविधान में प्रावधान है कि राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारतीय क्षेत्र के भीतर इसके विधानमण्डल द्वारा बनाए गए अधिनियम में समय-समय पर निर्धारित सीमाओं के भीतर उधार ले सकते है तथा इसी प्रकार निर्धारित की गई सीमाओं में प्रतिभूतियां दे सकता है। अन्य दायित्व जो कि लोक लेखा का भाग हैं, में लघु बचत स्कीम, भविष्य निधि तथा अन्य निक्षेप के अन्तर्गत जमा सम्मिलित होते हैं।

तालिका-1.26 राज्य के राजकोषीय दायित्व, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्तियां तथा स्वकीय संसाधनों से इन दायित्वों का अनुपात तथा इन पैरामीटरों के सम्बन्ध में भी इन दायित्वों की उत्प्लावकता को दर्शाती है।

तालिका-1.26: राजकोषीय दायित्व-मूल पैरामीटर

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजकोषीय दायित्व (करोड़ रूपए)	12,393	14,437	16.533	17,432	18,071
वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.26	16.49	14.52	5.44	3.67
निम्न में राजकोषीय दायित्वों का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	65.55	69.67	71.81	68.54	63.86
राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	338.70	362.65	356.70	265.77	230.64
स्वकीय संसाधन (प्रतिशत)	1,163.66	1,131.43	887.44	797.07	603.78
निम्न में राजकोषीय दायित्वों की उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	2.074	1.716	1.307	0.520	0.326
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	(-)13.895	1.874	0.884	0.131	0.189
स्वकीय संसाधन (अनुपात)	(-)4.832	0.832	0.316	0.313	0.100

राज्य के समग्र राजकोषीय दायित्व में 2002-03 में 12,393 करोड़ रू0 से 2006-07 में 18,071 करोड़ रू0 तक की वृद्धि हुई। राज्य का राजकोषीय दायित्व समेकित निधि दायित्वों तथा लोकलेखा दायित्वों से समाविष्ट है। समेकित निधि दायित्व (13,151 करोड़ रू0) बाजारी ऋण (4,583 करोड़ रू0), भारत सरकार से ऋण (1,020 करोड़ रू0) तथा अन्य ऋण (7,548 करोड़ रू0) जिसमें 3,694 करोड़ रू0 भारत सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशिष्ट प्रतिभूति सम्मिलित है, से समाविष्ट है। लोक लेखा दायित्वों (4,920 करोड़ रू0) में लघु बचत, भविष्य निधि (3,613 करोड़ रू0), ब्याजीय बाध्यताएं (तथा गैर ब्याजीय बाध्यताएं जैसाकि निक्षेप (1,131 करोड़ रू0) तथा आरक्षित निधि (176 करोड़ रू0) समाविष्ट हैं। विगत वर्षों से 2006-07 के दौरान राजकोषीय दायित्व की वृद्धि दर 3.67 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के राजकोषीय दायित्व के अनुपात में भी 2002-03 में 65.55 प्रतिशत से 2004-05 में 71.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु 2006-07 में 63.86 प्रतिशत तक गिरावट आई। ये दायित्व 2006-07 के अन्त में राजस्व प्राप्तियों का 2.31 गुणा तथा राज्य के स्वकीय संसाधन का 6.04 गुणा दर्शाते हैं। राजकोषीय दायित्व की उत्प्लावकता में 2006-07 के दौरान पिछले वर्ष से सकल घरेलू राज्य उत्पाद तथा स्वकीय संसाधनों के प्रति कमी आई। राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्तायुक्त की सिफारिशों के अनुसार बाजारी उधारों के साथ-साथ अन्य ऋण बाध्यताओं के परिशोधन हेतु एक समेकित सिंकिंग निधि बनाना अपेक्षित था। राज्य सरकार ने भारत के रिजर्व बैंक के साथ अपनी समग्र नकदी स्थिति को मध्य नजर रखते हुए निक्षेप निधि (सिंकिंग फण्ड) बनाने पर विचार नहीं किया (अक्तूबर 2007)।

1.8.2 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें

गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर उधारकर्ता द्वारा चूक करने के मामले में जिसके लिए गारंटी सीमा बढ़ाई गई हो आकस्मिक देयतायें होती हैं। वित्त लेखे की **विवरणी-6** के अनुसार अधिकतम राशि जिस पर राज्य द्वारा गारंटियां दी गई तथा 2002-03 से वर्ष के अन्त पर बकाया गारंटियों को **तालिका 1.27** में दिया गया है।

तालिका-1.27 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(करोड़ रूपए)

वर्ष	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूति की अधिकतम राशि की प्रतिशतता
2002-03	5,436	4,503	148.57
2003-04	6,144	4,682	154.33
2004-05	6,409	4,751	138.27
2005-06	5,526	3,587	84.25
2006-07	6,347	2,976	81.08

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार आगामी वार्षिक बढ़त जोखिम भारित प्रत्याभूतियां चालू वर्ष में गत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत तक सीमित होनी है। राज्य सरकार द्वारा दी गई बढ़त प्रत्याभूतियां आंशिक रूप से उपरोक्त सीमा को 1 प्रतिशत तक पार कर गई। राज्य सरकार ने विभिन्न निगमों तथा अन्यों के द्वारा लिए गए 2,976 करोड़ रू0 के ऋण की प्रत्याभूतियां दी जो कि 2006-07 के अन्त तक स्थिर रहीं। राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों से बढ़ती हुई आकस्मिक देयताओं को पूरा करने हेतु राज्य सरकार को बारहवें वित्तयोग द्वारा संस्तुत की गई प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना करना अपेक्षित था। यद्यपि राज्य सरकार ने इस निधि की स्थापना अभी तक नहीं की थी।

1.8.3 ऋण स्थिरता

ऋण स्थिरिता को एक समायावधि से एक स्थिर ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के अनुरक्षण तथा इसकी ऋण सेवा को समर्थ बनाने के बारे में भी मूर्त रूप देने हेतु राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार ऋण स्थिरता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने हेतु परिसमापन परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा अतिरिक्त उधारों की लागत तथा उधारों से प्राप्त प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाए रखने की क्षमता को थी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में बढ़ौतरी ऋण अदा करने की क्षमता सम्बन्धी की वृद्धि से मेल खानी चाहिए। ऋण स्थिरता हेतु प्रथम शर्त ऋण। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में ऋण स्थायी करण है।

1.8.4 ऋण स्थायीकरण

स्थायी करण हेतु एक आवश्यक शर्त में आता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्यज दर अथवा लोक उधारों की लागत से बढ़ जाती है तो ऋण-राज्य घरेलू उत्पाद अनुपातों के भी स्थिर रहने की सम्भावना है यदि प्राथमिकता शेष शून्य अथवा निश्चित साधारणतया ऋणात्मक हो तो दिए गए दर फैलाव (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से घटाएं ब्याज दर) प्रमात्रा फैलाव (ऋण X दर फैलाव), ऋण स्थिरिता शर्त सूचित करती है कि यदि प्राथमिक घाटै सहित प्रमात्रा फैलाव शून्य है तो अंतत: ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा अथवा ऋण तदनुसार स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि प्रमात्रा फैलाव सहित प्राथमिक घाटा नकारात्मक होता है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ेगा तथा किसी मामले में सकारात्मक होता है तो अंतत: ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात घटेगा। ऋण स्थायीकरण समबन्धी राजकोषीय अस्थिरताओं को सूचित करती प्रवृत्ति **तालिका-1.28** में बताई गई है।

गत पांच वर्षों के औसत ब्याज दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि ब्याज फैलाव तथा प्राथमिक घाटा/अधिशेष तालिका 1.28 में नीचे दिए गए हैं।

तालिका- 1.28: **ऋण स्थिरता-ब्याज दर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत में)**

	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
औसत ब्याज दर	10.37	10.98	10.60	9.20	9.40
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	10.25	9.61	11.11	10.47	11.26
ब्याज फैलाव	(-)0.12	(-)1.37	0.51	1.27	1.86
अथशेष	10,220	12,393	14,437	16,533	17,432
प्रमात्रा फैलाव (प्रतिशत)	(-)12.26	(-)169.78	73.63	209.97	324.24
प्राथमिक घाटा/अधिशेष (करोड़ रूपए)	(-)1169	(-)911	(-)169	843	747

तालिका 1.28 से उद्घाटित होता है कि 2002-05 के दौरान प्राथमिक घाटे सहित, प्रमात्रा फैलाव नकारात्मक रहा जो अवधि के दौरान बढ़ते ऋण सकल राज्य घरेलू अनुपात को इंगित करता है। ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2002-03 में 65.55 प्रतिशत से 2005-06 में 71.81 प्रतिशत तक धीरे-धीरे वृद्धि हुई। यह केवल 2005-06 से था कि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा फैलाव सकारात्मक था जिसके फलस्वरूप 2006-07 में 63.86 प्रतिशत की कमी आई। 2002-07 के दौरान राजकोषीय घाटे से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में निरन्तर कमी हुई। ये प्रवृत्तियां राज्य के ऋण स्थायीकरण की ओर इशारा करती है जो बदले में राज्य की ऋण स्थिरिता स्थिति में सुधार करेंगी।

1.8.5 गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण स्थिरता तथा इसके स्थायीकरण हेतु राज्य की गैर ऋण प्राप्तियों में बढ़ौतरी को ब्याजीय दायित्वों की वृद्धि तथा प्राथमिक व्यय में वृद्धि की पर्याप्त व्याप्ति का अन्य सूचक है। ऋण स्थिरता को प्रभावपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता है यदि गैर ऋण प्राप्तियों की वृद्धि से ब्याजीय वृद्धि भार तथा प्राथमिक व्यय को वहन किया जाए। **तालिका- 1.29** वर्ष 2002-07 की अवधि हेतु सीमांकित किए गए संसाधनों के अन्तराल को सूचित करती है

तालिका-1.29: **बढ़ती राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय**

(करोड़ रूपए)

अवधि	गैर ऋण प्राप्तियां	बढ़ता		कुल व्यय	संसाधन अंतराल
		प्राथमिक व्यय	ब्याज अदायगियां		
2002-2003	(-)57	643	130	773	(-)830
2003-2004	321	63	301	364	(-)43
2004-2005	652	(-)90	168	78	574
2005-2006	1,920	908	(-)78	830	1,090
2006-2007	1,277	1,373	106	1,479	(-)202

लगातार नकारात्मक संसाधन अंतराल ऋण की गैर स्थिरता को इंगित करता है जबकि सकारात्मक संसाधन अंतराल ऋण को स्थिर बनाने हेतू राज्य की क्षमता के सुदृढ़ीकरण को इंगित करता है। संसाधन अंतराल के सम्बन्ध में राज्य की ऋण स्थिरता 2002-07 के दौरान नकारात्मक तथा सकारात्मक चरणों के मध्य घटता-बढ़ता

रहा। दो वर्षों की अवधि (2004-06) में सकारात्मक संसाधन अंतराल आयोजनेतर राजस्व व्यय में मुख्यत: लगातार वृद्धि के कारण चालू वर्ष में पुन: नकारात्मक के रूप (1,035 करोड़ रू0) में बदल गया जिसे ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.8.6 उधार निधियों की निबल उपलब्धता

राजय की ऋण स्थिरता (i) कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन +ब्याज अदायगियां) का अनुपात (ii) उधार निधियों की उपलब्धता को लागू करने पर भी निर्भर रहती है। ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन का अनुपात ऋण प्राप्तियों को ऋण विमोचन में प्रयुक्त करने की सीमा तक उधार निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करता है। सरकार की ऋण समस्या का हल उधार निधियों को लागू करने पर निर्भर है अर्थात उन्हें (क) राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त न किया जाता हो तथा (ख) पूंजीगत व्यय हेतु कुशलता तथा उत्पादकता से प्रयुक्त किया जाता हो जिससे या तो प्रतिफल सीधे तौर पर प्राप्त हो जाए अथवा उत्पादकता में सामान्यत: आर्थिक बढ़ौतरी का परिणाम हो जिसके परिणामस्वरूप सरकार राजस्व में वृद्धि हो जाए।

गत पांच वर्षों की प्राप्तियों एवं आंतरिक ऋण चुकौतियों तथा अन्य राजकोषीय देयताओं के साथ-साथ उधार निधियों की उपलब्धता की स्थिति को **तालिका 1.30** में दिया गया है।

तालिका-1.30: उधार निधियों की निवल उपलब्धता

(करोड़ रूपए)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
आंतरिक ऋण					
प्राप्तियां	2,053	3,473	2,444	1.753	2,042
चुकौतियां (मूलधन+ब्याज)	726	1,700	1,737	2,467	2,492
उपलब्ध निवल निधियां	1,327	1,773	707	(-)714	(-)450
उपलब्ध निवल निधियां(प्रतिशत)	64.64	51.05	71.07	..	..
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम					
प्राप्तियां	146	165	133	28	38
चुकौतियां (मूलधन+ब्याज)	779	1,170	1,145	141	212
उपलब्ध निवल निधियां	(-)633	(-)1,005	(-)1,012	(-)113	(-)174
उपलब्ध निवल निधियां(प्रतिशत)	..	..	..	..	..
अन्य भार					
प्राप्तियां	1,685	2,226	2,171	1,806	1,870
चुकौतियां (मूलधन+ब्याज)	1,225	2,283	1,304	1,620	2,317
उपलब्ध निवल निधियां	460	(-)57	867	186	(-)447
उपलब्ध निवल निधियां(प्रतिशत)	27.30	..	39.94	10.30	..
कुल देयताएं					
प्राप्तियां	3,884	5,864	4,748	3,587	3,950
चुकौतियां (मूलधन+ब्याज)	2,730	5,153	4,186	4,228	5,021
उपलब्ध निवल निधियां	1,154	711	562	(-)641	(-)1,071
उपलब्ध निवल निधियां(प्रतिशत)	29.71	12.12	11.84	..	..

आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम तथा अन्य दायित्वों के कारण उपलब्ध निवल निधियां ब्याज तथा चुकौतियों के प्रावधान के पश्चात गत दो वर्षों की अवधि में 2002-03 के दौरान 29.71 प्रतिशत से विगत दो वर्षों में नकारात्मक की ओर बढ़ गई। राज्य सरकार ने बाजार ऋण (512 करोड़ रू0) राष्ट्रीय लघु बचत

निधि को निर्गम प्रतिभूति (6.80 करोड़ रू0) नाबार्ड एवं अन्य संस्थानों (850 करोड़ रू0) को समाविष्ट करके 2,042 करोड़ रू0 का आंतरिक ऋण लिया। इन प्राप्तियों के प्रति सरकार ने 2,492 करोड़ रू0 (मूलधन+ब्याज) के विगत ऋण भारों को चुकाया जिसके परिणाम स्वरूप ऋण लेखा में नकारात्मक निवल निधियां उपलब्ध हुई। चालू वर्ष के दौरान सरकार ने भारत सरकार से लिए 212 करोड़[13] रू0 के ऋणों की ब्याज सहित अदायगी की तथा 2317 करोड़ रू0 के ब्याजीय दायित्वों सहित अन्य दायित्व भी चुकाए जो कि कुल प्राप्तियों से कम थे जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान निधियों की नकारात्मक उपलब्धता रही। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान सरकार का ध्यान बाजारी ऋणों के साथ-साथ भारत सरकार से लिए गए विगत ऋणों सम्बन्धी मूलधन तथा ब्याज की अदायगी के दायित्वों को निभाने की ओर केन्द्रित रहा।

1.9 घाटों का प्रबन्धन

सरकार के लेखाओं में घाटे, इसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तराल को दर्शाते हैं। घाटे की प्रवृत्ति सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध की दक्षता का सूचक है। जिस ढंग से घाटे को वित्तपोषित किया गया और बढ़ाए गए संसाधनों की प्रयुक्ति की गई, वे राजकोषीय सुदृढ़ता का महत्वपूर्ण सूचक हैं।

1.9.1 घाटों की प्रवृत्ति

राजकोषीय पैरामीटरों की प्रवृत्ति दर्शाते हुए राज्य में राजकोषीय संतुलन की स्थिति को **तालिका 1.31** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-1.31: **राजकोषीय संतुलन-मूल पैरामीटर (लागत में करोड़ रूपए तथा अनुपात प्रतिशत में)**

पैरामीटर	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व घाटा/अधिशेष	(-)1,482	(-)1,607	(-)1,158	(+)93	(+)191
राजकोषीय घाटा	(-)2,341	(-)2,384	(-)1,810	(-)720	(-)922
प्राथमिक घाटा/अधिशेष	(-)1,169	(-)911	(-)169	(+)843	(+)747
राजस्व घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)7.84	(-)7.76	(-)5.03	(+)0.37	(+)0.67
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)12.38	(-)11.51	(-)7.86	(-)2.83	(-)3.26
प्राथमिक घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)6.18	(-)4.40	(-)0.73	(+)3.31	(+)2.64
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	63.31	67.41	63.98	(-)12.92	(-)20.72

(नकारात्मक आंकड़े घाटे को इंगित करते हैं।)

तालिका 1.31 से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2002-04 की अवधि के दौरान राजस्व लेखे में भारी घाटे की स्थिति थी जो कि इन वर्षों के दौरान औसतन 1,545 करोड़ रू0 के इर्द-गिर्द घूमता रहा। 2004-05 के दौरान घाटा 1,158 करोड़ रू0 तक थोड़ा कम हुआ तथा 2005-06 में राजस्व लेखों में 93 करोड़ रू0 का अधिशेष रहा जो चालू वर्ष के दौरान 191 करोड़ रू0 तक बढ़ गया। गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में सुधार मुख्यत: राजस्व प्राप्तियों में 1,276 करोड़ रू0 (19.5 प्रतिशत) की वृद्धि के प्रति राजस्व व्यय (18 प्रतिशत) में 1,178 करोड़ रू0 की वृद्धि के कारण हुआ। 2006-07 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यत: कर भिन्न राजस्व (647 करोड़ रू0) तथा केन्द्रीय अंतरण (470 करोड़ रू0) में वृद्धि के कारण थी तथा पूर्व लगातार वृद्धि को विद्युत क्षेत्र से प्राप्तियों में बढ़ौतरी (659 करोड़ रू0) तथा ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के अन्तर्गत राज्य को दी गई 72.49 करोड़ रू0 की ऋण राहत को प्राप्तियों के रूप में लेखांकन के कारण बताया गया जो कि वानिकी एवं वन्य प्राणी की घटती प्राप्तियों से उस सीमा तक प्रति संतुलित हुआ।

---

13 भारत सरकार से राज्यों को ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के अन्तर्गत 72.49 करोड़ रू0 की ऋण राहत सम्मलित है।

यद्यपि राजस्व अधिशेष में 98 करोड़ रू0 की वृद्धि थी, राजकोषीय घाटे में 202 करोड़ रू0 की वृद्धि गत वर्ष की अपेक्षा 2006-07 के दौरान वितरित ऋणों एवं अग्रिमों तथा पूंजीगत व्यय में 301 करोड़ रू0 की वृद्धि के कारण हुई। गत वर्ष की अपेक्षा 2006-07 के दौरान ब्याज अदायगियों में 106 करोड़ रू0 की वृद्धि के साथ-साथ राजकोषीय घाटे में यह वृद्धि हुई जो कि वर्ष के दौरान प्राथमिक अधिशेष में 96 करोड़ तक की गिरावट तक ले गई।

1.10 घाटे/अधिशेष की प्रमात्रा

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात तथा प्राथमिक राजस्व घाटे[14] तथा पूंजीगत व्यय में (ऋण तथा अग्रिमों सहित) प्राथमिक घाटे का अपघटन राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करता है। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात उधार ली गई निधियों को चालू उपभोग में प्रयुक्ति को इंगित करता है। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात 2004-05 में 64 प्रतिशत के इर्द-गिर्द था जो चालू व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार निधियों की प्रयुक्ति के महत्वपूर्ण भाग को इंगित करता है। 2005-06 में राजस्व घाटा पूर्णत: समाप्त हो गया था तथा चालू वर्ष में अधिशेष के रूप में परिवर्तित हुआ जिसमें अतिरिक्त वृद्धि हुई यद्यपि वर्ष के दौरान आंशिक वृद्धि हुई। यह प्रक्षेप पथ 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान घाटे की प्रमात्रा में संगत सुधार को दर्शाता है सभी उधारों (राजकोषीय देयताओं) को क्रिया कलापों में प्रयुक्त किया जिसके फलस्वरूप राज्य की बैकअप परिसम्पत्तियों में विस्तार हुआ।

क्षेत्रों के द्वि-भाजन के परिणामस्वरूप 2002-07 की अवधि के दौरान उद्घाटित **(तालिका 1.32)** होता है कि (2002-04) के सिवाय राज्य सरकार द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों के वितरण तथा पूंजीगत व्यय के कारण प्राथमिक घाटा वहन हुआ। अन्य शब्दों में राज्यों की गैर ऋण प्राप्तियां राजस्व लेखे में अपेक्षित प्राथमिक व्यय[15] को पूरा करने के लिए काफी थी बल्कि 2002-04 को छोड़कर पूंजीगत लेखा के अंतर्गत व्यय का कुछ शेष प्राप्तियों से पूरा हुआ। परन्तु अधिशेष गैर ऋण-प्राप्तियां पूंजीगत लेखे के अंतर्गत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी नहीं थी जिसके परिणाम 2002-05 में प्राथमिक घाटा हुआ। यह इंगित करता है कि पूंजीगत व्यय में बढ़ौतरी के कारण प्राथमिक घाटा हुआ जो कि राज्य की आर्थिक उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए वांछनीय है।

तालिका-1.32: **प्राथम्कि घाटा अधिशेष-क्षेत्रों का द्विभाजन**

(करोड़ रूपए)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण तथा अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-) / अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा(-) अधिशेष(+)
1.	2.	3.	4.	5.	6.(3+4+5)	7.(2-3)	8.(2-6)
2002-2003	3,688	3,969	860	28	4,857	(-)281	(-)1,169
2003-2004	4,009	4,115	785	20	4,920	(-)106	(-)911
2004-2005	4,661	4,152	654	24	4,830	509	(-)169
2005-2006	6,581	4,903	821	14	5,738	1,678	843
2006-2007	7,858	5,975	1,110	26	7,111	1,883	747

14 प्राथमिक राजस्व घाटा जो राज्य के गैर ब्याजीय राजस्व व्यय तथा इसकी गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अन्तराल को सूचित करता है, राजस्व लेखों के अन्तर्गत राज्य की गैर ऋण प्राप्तियां जिस सीमा तक किए गए प्राथमिक व्यय को वहन करने के सक्षम होती है, के मध्य अन्तराल के रूप में परिभाषित किया गया है।

15 राज्य के प्राथमिक व्यय को निवल ब्याजीय भुगतान के सकल व्यय के संदर्भ में वर्ष में किए गए लेन-देनों सम्बन्धी व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है।

1.11 राजकोषीय अनुपात

राज्य के वित्त धारणीय, लचीले तथा दुर्बलता से रहित होने चाहिए। निम्न **तालिका 1.33** कुछ मूल सूचकांक जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता तथा प्रभावशीलता व उनकी प्रयोज्यता का निर्धारण करने से सम्बन्धित क्षेत्रों को उजागर करने और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को ग्रहण करने में सहायक होते हैं, के संदर्भ में 2002-2007 वर्षों के लिए सरकार के वित्त की सारांशित स्थिति प्रदर्शित करती है।

तालिका-1.33: **राजकोषीय स्थिति के सूचकांक (प्रतिशत में)**

राजकोषीय सूचकांक	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
I. संसाधन जुटाना					
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.35	19.21	20.13	25.79	27.69
राजस्व उत्प्लावकता	(-)0.149	0.916	1.479	3.965	1.727
स्वकीय कर/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4.708	4.749	5.438	5.886	5.852
II. व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	31.89	30.85	28.11	28.70	31.03
राजस्व प्राप्तियां/ कुल व्यय	60.69	62.27	71.63	89.84	89.24
राजस्व व्यय/कुल व्यय	85.27	87.41	89.52	88.56	87.06
वेतन एवं मजदूरी सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय/राजस्व व्यय	32.78	28.94	31.59	31.29	32.73
गैर-वेतन एवं मजदूरी सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय/राजस्व व्यय	24.68	26.56	21.35	25.04	37.78
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय[16]	14.33	12.32	10.14	11.27	12.68
विकास व्यय/कुल व्यय[16]	63.39	60.63	57.25	60.53	61.57
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	14.08	11.92	9.64	10.53	11.95
कुल व्यय सहित राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता	(-)9.614	0.686	0.074	0.309	1.042
राजस्व व्यय सहित राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता	(-)8.072	0.987	0.223	0.280	0.937

16 कुल व्यय में ऋण व अग्रिम सम्मिलित नहीं है।

III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (करोड़ रूपए)	(-)1,482	(-)1,607	(-)1,158	93	191
राजकोषीय घाटा (करोड़ रूपए)	(-)2,341	(-)2,384	(-)1,810	(-)720	(-)922
प्राथमिक घाटा (करोड़ रूपए)	(-)1,169	(-)911	(-)169	(+)843	(+)747
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	63.31	67.41	63.98	(-)12.92	(-)20.72
IV. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	65.55	69.67	71.81	68.54	63.86
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्तियां	338.70	362.65	356.70	265.77	230.64
राजकोषीय दायित्व सहित राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता	(-) 13.895	1.874	0.884	0.131	0.189
राजकोषीय दायित्व सहित अपनी प्राप्तियों की उत्प्लावकता	(-)4.832	0.832	0.316	0.313	0.100
निवल उपलब्ध निधियां	29.71	12.12	11.84	..	..
V. अन्य राजकोषीय स्थिति सूचकांक					
निवेश पर प्रतिफल	0.03	0.03	0.03	1.55	0.10
चालू राजस्व से बकाया (करोड़ रूपए)	(-)1,470	(-)2,262	(-)1,585	(-)191	(-)281
वित्तीय परिसम्पत्तियां/दायित्व	0.56	0.53	0.51	0.54	0.57

राजस्व प्राप्तियों तथा राज्य के स्वकीय करों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संसाधनों की पर्याप्तता को इंगित करता है। राजस्व प्राप्तियों की उत्पलावकता कर प्रणाली की प्रकृति तथा राज्य के संसाधनों से बढ़ते निर्धारण को इंगित करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के केवल कर एवं कर भिन्न संसाधन ही समाविष्ट नहीं है परन्तु संघीय सरकार से अंतरण भी शामिल है। चालू वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशतता के दो बिन्दुओं 28 प्रतिशत की वृद्धि थी। 2004-05 में स्वकीय करों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार हुआ तथा तत्पश्चात् केवल आंशिक अंतर दर्ज किया गया।

राज्य के व्यय प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न अनुपात इसके गतिशील प्रयत्न संसाधन के सम्बन्ध में व्यय तथा स्थिरता की प्रमात्रा को इंगित करता है। 2004-05 तक राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में कुल व्यय में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कुल व्यय के उच्चतर उत्प्लावकता अनुपात की तुलना में राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय के पुन:स्थापन द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों में राज्य सरकार के झुकाव को इंगित करता है। 2006-07 के दौरान कुल व्यय को वित्तपोषित करते हुए राजस्व व्यय की बढ़ती निर्भरता जो कि 89 प्रतिशत बनती है, उधार निधियों पर कम निर्भरता को इंगित करती है। यह वित्तीय देयताओं से राजस्व प्राप्तियों के कम अनुपात से भी प्रतिबिम्बित हुई। कुल व्यय में योजनागत व्यय तथा पूंजीगत व्यय का बढ़ता समानुपात भी व्यय का विकासात्मक तथा गुणवत्ता में सुधार को इंगित करता है।

2005-07 के दौरान राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटे में महत्वपूर्ण गिरावट राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार को इंगित करती है। 2002-07 के दौरान चालू राजस्व शेष यद्यपि 2004-05 में (-)1,585 करोड़ रू0 के स्तर से 2005-06 तथा 2006-07 में लगातार गिरावट से नकारात्मक रहा। राजकोषीय स्थिति तथा चालू राजस्व शेष में सुधार भी गत दो वर्षों के दौरान परिसम्पत्तियों के देयताओं में सुधार को प्रतिबिम्बित करता है।

1.12 निष्कर्ष

राजकोषीय पैरामीटर सूचक के संदर्भ में दृष्टिगत राज्य की राजकोषीय स्थिति 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान महत्वपूर्ण सुधार को इंगित करती है। राज्य ने हिमाचल प्रदेश राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में स्थापित लक्षित तिथि से पूर्व राजस्व घाटे को विलुप्त किया तथा लक्षित राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने के प्रक्षेप-पथ पर है। यद्यपि गत वर्ष की अपेक्षा 2006-07 के दौरान चालू वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में 98 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई तथा राजकोषीय घाटे में 202 करोड़ रू0 की वृद्धि मुख्यत: पूंजीगत व्यय में वृद्धि (289 करोड़ रू0) तथा वितरित ऋण व अग्रिम (12 करोड़ रू0) की वृद्धि के कारण हुई। यद्यपि राजकोषीय स्थिति सुधार को दर्शाती है, 2006-07 के दौरान 6,319 करोड़ रू0 का आयोजनेतर राजस्व व्यय बाहरवें वित्तायोग द्वारा 4,688 करोड़ रू0 के मानकीय निर्धारित स्तर से उच्च था तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय के अन्तर्गत था, वेतन व्यय से राजस्व व्यय का अनुपात 60 प्रतिशत था जिसे बारहवें वित्तयोग द्वारा संस्तुत 35 प्रतिशत तक नीचे लाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 2002-07 के दौरान वचनबद्ध व्यय के अनुसार वेतन तथा मजदूरी, पैंशन तथा ब्याज भुगतान तथा उपदान पर आयोजनेतर राजस्व व्यय के औसतन 94 प्रतिशत से लगातार उपभोग हुआ। राज्य की राजकोषीय देयताओं में निरन्तर वृद्धि हुई तथा 2006-07 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 64 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही। राज्य की राजकोषीय देयताएं बराबर रूप से बढ़ी तथा 2006-07 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 64 प्रतिशत तक की ऊंचाई पर स्थिर रहा तथा यह बहुत उच्च प्रतीत होता है विशेषकर जब इसकी तुलना इसकी देय अवधि की समाप्ति वर्ष के साथ सभी राज्यों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले 31 प्रतिशत के बारहवें वित्तायुक्त मानकों के साथ की जाए। इसके अतिरिक्त राज्य की आकस्मिक देयताओं के स्तर को वर्ष के दौरान राज्य के लगभग 100 प्रतिशत के अपने संसाधनों के सापेक्ष रूप से उच्चतर स्तर पर भी रखा गया है। दूसरी ओर सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पास अभी सिंकिंग निधि तथा प्रत्याभूति विमोचन निधि स्थापित करनी थी, जैसा कि इन देयताओं के प्रभाव को कम करने के लिए बारहवां वित्तायोग सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संविधिक सरकारी निगमों तथा सरकारी कम्पनियों और परिवहन क्षेत्रों द्वारा एकत्रित की गई भारी हानियों के परिणामस्वरूप सरकारी निवेश पर प्रतिफल (एक प्रतिशत से कम होने के नाते) की नगण्य दर थी तथा अपर्याप्त ब्याज लागत की वसूली एक सोचनीय विषय था और उस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता थी।

दूसरा अध्याय

आवंटित अग्रताएं एवं विनियोग

दूसरा अध्याय

आवंटित अग्रताएं एवं विनियोग

विनियोग लेखे 2006-2007 पर एक दृष्टिपात

अनुदानों की कुल संख्या:31

कुल प्रावधान तथा वास्तविक व्यय

तालिका:2.1

(करोड़ रूपए)

प्रावधान	राशि	व्यय	राशि
मूल	9,331.00		
अनुपूरक	1,047.52		
कुल समग्र प्रावधान	**10,378.52**	**कुल समग्र व्यय**	**11,056.79**
घटाएं-व्यय की कटौती में अनुमानित वसूलियां	655.96	घटाएं-व्यय की कटौती में वास्तविक वसूलियां	965.94
कुल निवल प्रावधान	**9,722.56**	**कुल निवल व्यय**	**10,090.85**

दत्तमत तथा प्रभारित प्रावधान एवं व्यय

तालिका: 2.2

(करोड़ रूपए)

	प्रावधान		व्यय	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	6,232.74	1,767.74	6,810.70	1,683.82
पूंजीगत	1,235.93	1,142.12	1,249.27	1,313.01
कुल समग्र:	**7,468.67**	**2,909.86**	**8,059.97**	**2,996.83**
घटाएं-व्यय की कटौती में वसूलियां	655.96	..	965.94	..
कुल निवल:	**6,812.71**	**2,909.86**	**7,094.03**	**2,996.83**

2.1 परिचय

बजट की प्रभारित एवं दत्तमत्त दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोग लेखे प्रति वर्ष तैयार किए जाते हैं जिनमें सरकार द्वारा विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर किए गए वास्तविक व्यय अर्थात् विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशियों को भी प्रदर्शित किया जाता है।

विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोग अधिनियम के प्राधिकार के अन्तर्गत है तथा संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभारित किया जाने वाला व्यय सही प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखाओं का सार

वर्ष 2006-2007 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति निम्नांकित थी:

तालिका: 2.3

(करोड़ रूपए)

		मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	जोड़	वास्तविक व्यय*	बचत(-)/ आधिक्य(+)
दत्तमत	I राजस्व	5,546.71	686.03	6,232.74	6,810.70	(+)577.96
	II पूंजीगत	864.83	344.57	1,209.40	1,223.52	(+)14.12
	III ऋण एवं अग्रिम	11.88	14.65	26.53	25.75	(-)0.78
कुल दत्तमत		**6,423.42**	**1,045.25**	**7,468.67**	**8,059.97**	**(+)591.30**
प्रभारित	IV राजस्व	1,765.60	2.14	1,767.74	1,683.82	(-)83.92
	V पूंजीगत	1.80	0.13	1.93	1.82	(-)0.11
	VI लोक ऋण	1,140.19	..	1,140.19	1,311.19	(+)171.00
कुल प्रभारित		**2,907.59**	**2.27**	**2,909.86**	**2,996.83**	**(+)86.97**
सकल जोड़		**9,331.01**	**1,047.52**	**10,378.53**	**11,056.80**	**(+)678.27**

* ये सकल आंकड़े हैं जिनमें व्यय अर्थात् राजस्व व्यय: 850.41 करोड़ रू0; पूंजीगत व्यय:115.53 करोड़ रू0 की कमी के रूप में समायोजित वसूलियां सम्मिलित हैं

9,331.01 करोड़ रू0 के मूल अनुदानों तथा विनियोगों के प्रति वर्ष 2006-2007 के दौरान 1,047.52 करोड़ रू0 के अनुपूरक अनुदान तथा विनियोग प्राप्त किये गये। 678.27 करोड़ रू0 का निवल आधिक्य था, जो 763.08 करोड़ रू0 की बचत द्वारा अंशत: प्रतिसंतुलित 84.81 करोड़ रू0 के समग्र आधिक्य का परिणाम था।

2.3 आवंटित अग्रताओं की पूर्ति

2.3.1 अनुदानों/विनियोगों में बचत/आधिक्य

678.27 करोड़ रू0 का निवल आधिक्य 30 मामलों में बचत तथा 31 मामलों में आधिक्य का परिणाम था जैसे कि नीचे प्रदर्शित है:-

तालिका: 2.4

(करोड़ रूपए)

	बचत		आधिक्य		निवल बचत (-) / आधिक्य(+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
दत्तमत	102.79 (8 अनुदानें में)	31.25 (18 अनुदानों में)	680.74 (23 अनुदानों में)	44.60 (5 अनुदानों में)	(+) 577.95	(+)13.35
प्रभारित विनियोग	84.16 (3 विनियोगों में)	0.11 (1 विनियोग में)	0.24 (2 विनियोगों में)	171.00 (1 विनियोग में)	(-)83.92	(+)170.89

2.3.2 आवंटित अग्रताओं द्वारा विनियोग

218 करोड़ रू0 की समग्र बचतों में से 187 करोड़ रू0 (86 प्रतिशत) की मुख्य बचतें चार अनुदानों तथा एक विनियोग में थी जैसाकि की नीचे वर्णित है:

तालिका:2.5

(करोड़ रूपए)

अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत
(दत्तमत राजस्व)					
15-योजनागत एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	95.28	50.52	145.80	105.34	40.46
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	182.38	9.11	191.49	158.14	33.35
23- विद्युत विकास	145.46	187.44	332.90	317.90	15.00
जोड़	423.12	247.07	**670.19**	**581.38**	**88.81**
(राजस्व प्रभारित)					
29-वित्त	**1,753.56**	0.17	1,753.73	1,669.60	84.13
जोड़:	**1,753.56**	0.17	1,753.73	1,669.60	84.13
(पूंजीगत दत्तमत)					
10-लोक निर्माण कार्य-सड़कं पुल एवं भवन	**178.58**	30.56	209.14	194.75	14.39
जोड़:	**178.58**	30.56	209.14	194.75	14.39
सकल जोड़:	**2,355.26**	**277.80**	**2,633.06**	**2,445.73**	**187.33**

उपरोक्त पांच अनुदानों/विनियोगों में से दो में मुख्य बचतों वाले क्षेत्रों को **नीचे तालिका में दर्शाया** गया है।

तालिका: 2.6

(करोड़ रूपए)

अनुदान संख्या	लेखाओं के मुख्य शीर्ष इत्यादि	मुख्य बचतों के क्षेत्र	बचतें
10	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	5.45
29	2049-ब्याज अदायगियां	7.77 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2005	15.50
29	2049-ब्याज अदायगतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	23.62
29	2049-ब्याज अदायगतियां	सड़क एवं अवसंरचनात्मक विकास से ऋण पर ब्याज	73.44

अनुदान संख्या 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 24, 29 तथा 31 के संबंध में विभागों द्वारा बचतों के कारणों को सूचित नहीं किया गया था।

सात मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में तीन करोड़ रू0 से अधिक थीं तथा 205.49करोड़ रू0 का कुल प्रावधान चार तथा 28 प्रतिशत के मध्य था जैसाकि **परिशिष्ट-VIII** में इंगित है।

2.3.3 गत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधान पर आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग पर आधिक्य को राज्य विधायिका द्वारा नियमित करवाए। वर्ष 2001-2006, हेतु 14,718.20 करोड़ रू0 के अधिक व्यय, जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है, का राज्य विधायिका द्वारा नियमन किया जाना अपेक्षित था (अगस्त 2007)।

तालिका: 2.7

(करोड़ रूपए)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या	आधिक्य राशि
2001-02	16	1, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 28, 29, 30 तथा 31	2,965.36
2002-03	17	3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 27, 28, 29 तथा 31	3,295.75
2003-04	21	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 30 तथा 31	4,515.60
2004-05	23	3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30 तथा 31	3,095.14
2005-06	18	2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29 तथा 31	846.35
	जोड़		14,718.20

2.3.4 2006-2007 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

वर्ष 2006-2007 के दौरान राजस्व प्रवर्ग में 23 अनुदानों में कुल आधिक्य 680.74 करोड़ रू0 तथा दो विनियोगों में 0.24 करोड़ रू0 था जबकि पूंजी प्रवर्ग में पांच अनुदानों में 44.60करोड़ रू0 तथा एक विनियोग में 171 करोड़ रू0 का आधिक्य था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत 896.59 करोड़ रू0 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित था जो कि **परिशिष्ट-IX में दर्शाया गया है।**

सरकार द्वारा आधिक्य के कारण अगस्त 2007 तक प्रेषित नहीं किए गए थे।

2.3.5 मूल बजट तथा अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2006-2007 के दौरान प्राप्त समग्र अनुपूरक अनुदान तथा विनियोग मूल अनुदानों तथा विनियोगों का 11 प्रतिशत था।

2.3.6 अनावश्यक/आधिक्यपूर्ण/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

राजस्व दत्तमत प्रवर्ग के तीन मामलों में 11.50♣ करोड़ रू0 तथा पूंजीगत-प्रभारित प्रवर्ग के एक मामले में 0.17 करोड़ रू0 का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतया अनावश्यक था क्योंकि प्रत्येक मामले में व्यय मूल प्रावधान से भी कम था जैसाकि **परिशिष्ट-X** में इंगित है।

♣ इसमें अनुदान संख्या 19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (9.11 करोड़ रू0) तथा अनुदान संख्या 12-बागवानी (2.36 करोड़ रू0) के संदर्भ में 11.47 करोड़ रू0 सम्मिलित हैं।

छ: मामलों में 234.06 करोड़ रू0 (राजस्व:182.51 करोड़ रू0; पूंजीगत: 51.55 करोड़ रूपये) की अतिरिक्त आवश्यकता के प्रति 316.32 करोड़ रू0 (राजस्व: 237.97 करोड़ रू0 तथा पूंजीगत: 78.35 करोड़ रू0) के अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने के फलस्वरूप 82.26 करोड़ रू0 से अधिक की बचत हुई। सम्बद्ध विवरण **परिशिष्ट-XI** में दिए गए हैं।

12 मामलों में प्राप्त किया गया 527.27 करोड़ रू0 (राजस्व: 365.14 करोड़ रू0; पूंजीगत: 162.13 करोड़ रू0) का अनुपूरक प्रावधान, जैसा कि **परिशिष्ट-XII** में वर्णित है, 912.53करोड़ रू0 का सकल अनावृत्त व्यय छोड़ते हुए प्रत्येक मामले में तीन करोड़ रू0 से अधिक अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

2.3.7 निरन्तर आधिक्य

वर्ष 2004-2007 के दौरान दो मामलों में 0.66 तथा 83 प्रतिशत के मध्य व्यय में निरन्तर आधिक्य था, (अनुदान सं0 10-लोक निर्माण कार्य सड़कें, पुल एवं भवन तथा अनुदान सं0 28-शहरी एवं ग्रामीण योजना एवं आवास)। सम्बद्ध विवरण **परिशिष्ट- XIII** में दिए गए हैं।

2.3.8 निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान या विनियोग में बचतों को वर्ष के समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना उनका पता चलने के तत्काल बाद सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसी बचतें कुछ अन्य इकाइयों के अन्तर्गत आधिक्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित न हों। बचतों को भविष्य के संभावित आधिक्यों हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

तथापि यह देखा गया कि पांच मामलों में 112.30 करोड़ रू0 (प्रत्येक मामले में एक करोड़ रू0 तथा इससे अधिक की बचतें) की उपलब्ध बचतों के प्रति 85.09 करोड़ रू0 की समग्र बचतें या तो पूर्ण रूप से या बिल्कुल भी अभ्यर्पित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, तीन अनुदानों के मामले में 27.28 करोड़ रू0 अभ्यर्पित किए गए थे जबकि व्यय अनुदान से 47.41 करोड़ रू0 अधिक था और अभ्यर्पण हेतु कोई बचत उपलब्ध नहीं थी। सम्बद्ध विवरण **परिशिष्ट-XIV** में दिए गए हैं।

ये उदाहरण व्यय पर अप्रभावी अनुश्रवण तथा नियंत्रण के परिचायक थे।

2.3.9 वसूलियों की प्रवृत्ति

अनुदान मांगें एक विशिष्ट वर्ष में किए जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए होती हैं और व्यय की कमी के रूप में ली जाने वाली वसूलियों को उसके नीचे पाद-टिप्पणियों में अलग से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार, विनियोग लेखों में भी वसूलियों को उसके परिशिष्ट में पृथक से दर्शाया जाता है।

वर्ष 2006-2007 के लेखाओं की जांच से पाया गया कि राजस्व प्रवर्ग में 536.98 करोड़ रू0 के बजट आकलनों के प्रति वास्तविक वसूलियां 850.41 करोड़ रू0 थीं। पूंजीगत प्रवर्ग में 118.98 करोड़ रू0 कम के बजट आकलनों के प्रति 115.53 करोड़ रू0 की वास्तविक वसूलियां व समायोजन थे। इस प्रकार, व्यय की कमी के रूप में राजस्व प्रवर्ग में 313.43 करोड़ रू0 कम तथा पूंजीगत प्रवर्ग में 3.45 करोड़ रू0 की वसूलियां अधिक बताई गई थीं। मुख्य भिन्नताओं का ब्यौरा, जो मूल आकलनों का पांच प्रतिशत और अधिक तथा प्रत्येक मामले में एक करोड़ रू0 से कम नहीं है, **परिशिष्ट-XV** में दिया गया है।

2.3.10 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

अनुदान या विनियोग को उन उपशीर्षो या मानक उद्देश्यों (प्राथमिक इकाइयों के नाम से अभिज्ञात) में विभक्त किया जाता है जिनमें इसे लेखाबद्ध किया जाना है। किसी अनुदान या विनियोग में निधि-पुनर्विनियोग इसकी प्राथमिक इकाइयों के मध्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व हो सकता है। निधि-पुनर्विनियोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह ज्ञात या प्रत्याशित हो की इकाई, जिससे निधियां स्थानान्तरित की जानी हैं, में विनियोग का पूर्णत: उपयोग नहीं किया जाएगा या कथित इकाई के विनियोग में बचत की जा सकती है।

तीन अनुदानों से सम्बद्ध तीन मामलों (उप-शीर्षों) में 83 करोड़ रू0 की राशि का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि उप-शीर्षो के अन्तर्गत मूल प्रावधान, जिनमें पुनर्विनियोग द्वारा 58.59 करोड़ रू0 निधियां स्थानान्तरित की गई थीं, पर्याप्त थे और फलत: पुनर्विनियोजित राशि अप्रयुक्त रही। दूसरी ओर सात अनुदानों में सम्मिलित सात मामलों में शीर्ष जिसे 29.53 करोड़ रू0 स्थानान्तरित किए गए थे उसमें पुनर्विनियोग हेतु कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि इन शीर्षों के अन्तर्गत पहले ही 20.68 करोड़ रू0 अधिक व्यय कर लिए थे!

सम्बद्ध ब्यौरे **परिशिष्ट- XVI** में समाविष्ट हैं।

तीसरा अध्याय

निष्पादन समीक्षाएं

		पृष्ठ
♣	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास	39
♣	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	62
♣	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	75
♣	दक्षिण अंचल में ग्रामीण सड़कें	92
♣	जल विभाजक निकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	105
♣	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	126
♣	ऑन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली तथा इ-पैंशन सॉफ्टवेयर की सूचना एवं प्रौद्योगिकी की लेखापरीक्षा	145

तीसरा अध्याय

निष्पादन समीक्षाएं

शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा जनजातीय विकास विभाग

3.1 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास

मुख्य-मुख्य बातें

2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां राज्य की जनसंख्या का क्रमश: 25 तथा 4 प्रतिशत गठन करती हैं राज्य की 77 प्रतिशत साक्षरता दर के प्रति अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्रमश: 70 तथा 66 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए मैल दूर करने में लगे/सफाई का व्यवसाय करने वाले लोगों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति स्कीम मैट्रिककोत्तर छात्रवृति स्कीम, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित समुदायों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण, आदि जैसी विभिन्न केन्द्रीय/राज्य स्कीमों के कार्यान्वयन में जुटे विभागों का निष्पादन दोषपूर्ण था। इन स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य द्वारा निधियों का कम अंशदान, पात्र लाभभोगियों की कम व्याप्ति, छात्रवृति के भुगतान में विलंब, बढ़ाई गई दरों पर छात्रवृति का भुगतान न करना, लाभ-भोगियों के चयन की असंतोषजनक प्रणाली, छात्रावासों के भवनों का समापन करने में विलंब, परीक्षा -पूर्व अनुशिक्षण केन्द्रों का निकृष्ट निष्पादन जैसी कमियों से प्रभावित हुआ। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है :-

- प्रत्येक शैक्षणिक विकास स्कीम के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए लक्ष्यित जनसंख्या सुनिशचित करने हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(परिच्छेद 3.1.8.1)

- 2002-2007 के दौरान मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति स्कीम के अंतर्गत लाभभोगियों की व्याप्ति में समग्र कमी 66 प्रतिशत थी। नमूना-जांचित जिलों में व्याप्त न किए गए लाभभोगियों की प्रतिशतता 59 थी।

(परिच्छेद 3.1.10.1)

- नमूना -जांचित जिलों की शैक्षणिक संस्थाओं में 2002-2007 के दौरान मैट्रिकोत्तर स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित पात्र विद्यार्थियों की व्याप्ति में कमी नौ तथा 76 प्रतिशत के मध्य थी जबकि अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित विद्यार्थियों के संदर्भ में यह कमी चार तथा 76 प्रतिशत के मध्य थी।

(परिच्छेद 3.1.11.1)

- अनुसूचित जातियों तथा अनूसुचित जनजातियों से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु 22.52 करोड़ रू0 के 50 प्रतिशत देय शेयर के प्रति राज्य सरकार ने केवल 13.57 करोड़ रू0 (60 प्रतिशत) निस्तारित किए।

(परिच्छेद 3.1.12)

- 4.21 करोड़ रू0 की लागत पर 280 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों (अनुसूचित जातियों के लड़के तथा लड़कियां : 120, अनुसूचित जनजातियों के

लड़के व लड़कियां : 160) को आवास प्रदान करने हेतु निर्मित किए गए पांच छात्रावास अप्रयुक्त रहे, जिससे किया गया व्यय निष्फल रहा।

(परिच्छेद 3.1.12.3)

- **हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे परीक्षा -पूर्व अनुशिक्षण केन्द्र का निष्पादन पूर्व अनुशिक्षण केन्द्र का निष्पादन पूर्णतया असंतोषजनक था, क्योंकि निर्धारित 33 प्रतिशत की निर्धारित न्यूनतम सफलता दर के प्रति यह निष्पादन शून्य तथा नौ प्रतिशत के मध्य था।**

(परिच्छेद 3.1.13.1)

3.1.1 परिचय

शिक्षा एक सार्वजनिक अच्छाई है, जो कि समाज को लाभ पहुंचाती है तथा यह अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की सामाजिक शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 60.78 लाख थी, जिसमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्रमश: 15.02 लाख (25 प्रतिशत) तथा 2.45 लाख (4 प्रतिशत) थी। 1944-45 से 2000-2001 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए राज्य में आठ[1] केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमों तथा तीन [2] राज्य क्षेत्रक स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा था।

3.1.2 संगठनात्मक ढांचा

इन स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है।

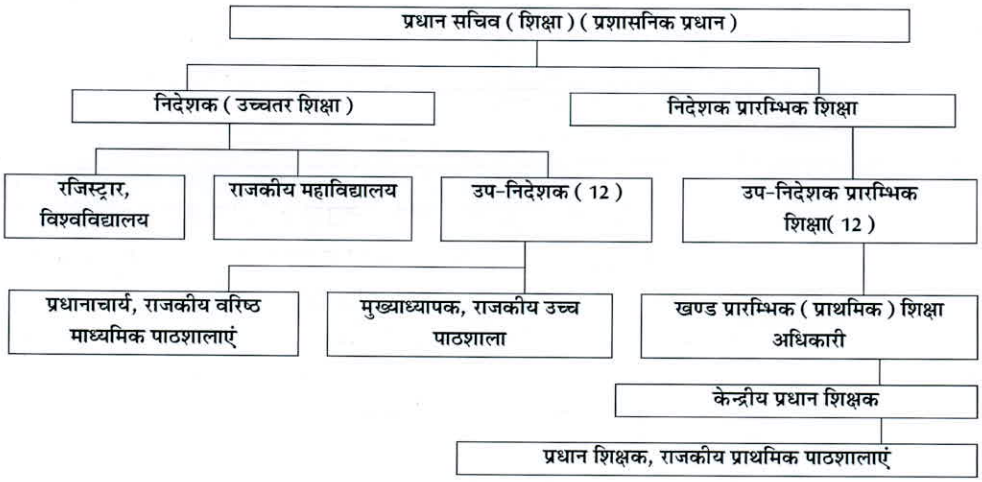

शिक्षा विभाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए सभी स्कीमों का समन्वय करता है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्कीमों के लिए निधियां निस्तारित करने से

---

1 मैट्रिक पूर्व छात्रवृति स्कीम; मैट्रिकोत्तर छात्रवृति स्कीम; अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियां से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु स्कीम; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों के लिए अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध स्कीमें; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण हेतू कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान; निम्न साक्षरता से सम्बन्धित स्थानों में शैक्षणिक परिसर; अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की सुयोग्यता को उन्नयन तथा जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना हेतु स्कीम।

2 डा0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजना, ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना तथा महाऋषि वाल्मिकी छात्रवृति योजना । इन स्कीमों का मुख्य उद्धेश्य शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना तथा उनकी संख्या बनाए रखना, पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर में कमी, नौकरियों व उच्चत्तर शैक्षणिक तथा व्यवसायिक संस्थाओं में उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना था।

सम्बन्धित प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग को तथा जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित स्कीमें जनजातीय विकास विभाग को भेजी जाती है।

3.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2002-2003 से 2006-2007 की अवधि का आच्छादन करते हुए जून-सितम्बर 2006 तथा फरवरी -मई 2007 में की गई निष्पादन संबधी लेखापरीक्षा में आयुक्त, जनजातीय विकास, निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, निदेशक, उच्चतर शिक्षा, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा तथा 48.94 करोड़ रू0 के कुल व्यय के 84 प्रतिशत में व्याप्त राज्य के 15,078 संस्थानों में से नमूना -जांच के लिए चयनित आठ जिलों[3] के 120[4] कार्यान्वयन अभिकरणों/संस्थानों के कार्यालयों में अभिलेखों की प्रतिदर्श जांच की गई।

3.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखा परीक्षा का उद्देश्य निम्नवत् का सत्यापन करना था:

- क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए प्रारम्भ की गई विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए योजना प्रभावोत्पादक तथा विश्वसनीय व स्वीकार्य आंकड़ो पर आधारित थी;
- क्या विभिन्न स्कीमों के लिए चिन्हित निधियों का आवंटन, निस्तारण तथा उपयोग विवेकपूर्ण, पर्याप्त व प्रभावोत्पादक था;
- क्या संधीय सरकार/राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात, पढ़ाई छोड़ने वालों की सकल दर तथा लिंग समानता सूचक जैसे शैक्षणिक सूचकों में सुधार हुआ;
- क्या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वियन प्रभावशाली था; तथा
- क्या विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण प्रणाली समुचित प्रभाव शाली रूप से कार्य कर रही थी ।

3.1.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

विभिन्न स्कीमों के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किए गए लेखा परीक्षा मानदंड निम्नवत् थे :

- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास से सम्बन्धित भारत सरकार तथा राज्य सरकार की नीति तथा दिशानिर्देश;
- लाभार्थियों के चयन के लिए निर्धारित किए गए मानदंड;
- स्कीमों की वित्तपोषित करने से सम्बन्धित भारत सरकार तथा राज्य सरकार के दिशानिर्देश व अनुदेश; तथा
- निर्धारित किया गया अनुश्रवण तन्त्र।

3.1.6 लेखापरीक्षा प्रणाली

लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य सचिव (शिक्षा) के साथ प्रथम संगोष्ठी में लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड तथा कार्यक्षेत्र की चर्चा की गई (जुलाई 2006)। स्थानापन्न के साथ आकार के अनुपात में प्राथमिकता के आधार पर यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रणाली का प्रयोग करते हुए राजधानी जिला तथा शेष ग्यारह जिलों में से सात जिलों का चयन किया गया।

जिला स्तरीय कार्यान्वयन अभिकरणों, शिक्षा संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के अतिरिक्त सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता जनजातीय विकास उच्चतर शिक्षा व प्रारम्भिक शिक्षा के विभागों में शैक्षणिक विकास हेतु स्कीमों से सम्बन्धित, 2002-2007 की अवधि के अभिलेखों, आंकड़ों तथा सूचना की जांच की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षो तक पहुंचने के लिए अभिलेखों से एकत्रित की गई सूचना, उपरोक्त इकाइयों द्वारा प्रश्नावली तथा

---

3 बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल एवं स्पिति, शिमला, सिरमौर तथा ऊना

4 विश्वविद्यालय: 4; महाविद्यालय: 34 (लड़के: 29 तथा लड़किया: पांच); प्राथमिक पाठशालाए: 16; माध्यमिक पाठशालाए: 16; उच्च पाठशालाएं: 16; वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं: 16; छात्रावास: 14 तथा गैर-सरकारी संगठन: 4

लेखापरीक्षा ज्ञापनों के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए अन्तिम उत्तरों का विश्लेषण किया गया। इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों की मुख्य सचिव, शिक्षा के साथ जून 2007 में अन्तिम संगोष्ठी में चर्चा की गई तथा जहां उपयुक्त पाया गया, सम्बन्धित परिच्छेदों के प्रति सरकार /विभागों के विचारों को उचित रूप से समाविष्ट किया गया।

3.1.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

शैक्षणिक सूचक

साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात, पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की सकल दर तथा लिंग समानता व सम्बन्धी सूचक शैक्षणिक विकास के महत्वपूर्ण सूचक है। ये दरें समुदाय के विभिन्न वर्गों द्वारा शैक्षणिक विकास में प्राप्त की गई प्रगति सीमा इंगित करती हैं।

3.1.7.1 साक्षरता दर

साक्षरता दर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक सूचक है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समुदायों की साक्षरता दर निम्नवत् थी :

तालिका :3.1.1

(प्रतिशत में)

राज्य राक्षरता दर			अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर			अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर		
पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
85	67	77	80	60	70	78	53	66

स्रोत: 2001 जनगणना

2001 की जनगणना के अनुसार 77 प्रतिशत की कुल राज्य साक्षरता दर के प्रति राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 70 तथा 66 प्रतिशत थी, जो अनुसूचित जातियों के लिए सात प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 11 प्रतिशत का अंतराल इंगित करती है। राज्य की पुरूषों तथा महिलाओं की 85 तथा 67 प्रतिशत की साक्षरता दर के प्रति अनुसूचित जातियों के पुरूषों तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं की साक्षरता दर 80 तथा 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के पुरूषों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की साक्षरता दर 78 तथा 53 प्रतिशत थी। जो अनुसूचित जातियों की महिलाओं, के लिए सात प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए 14 प्रतिशत का तथा अनुसूचित जातियों के पुरूषों के लिए पांच प्रतिशत का तथा अनुसूचित जनजातियों के पुरूषों के लिए सात प्रतिशत का अतंराल इंगित करती है।

चयनित जिलों में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 57 तथा 79 प्रतिशत के मध्य तथा अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 52 तथा 82 प्रतिशत के मध्य थी , जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :

तालिका :3.1.2

(प्रतिशत में)

जिलों का नाम	कुल साक्षरता दर	अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर		अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
बिलासपुर	79	70	56	67	48
चम्बा	64	57	41	60	36
हमीरपुर	73	74	63	54	20
कांगड़ा	81	71	57	58	47
लाहौल-स्पीती	73	77	56	75	55
शिमला	80	68	49	80	68
सिरमौर	71	60	44	53	33
सोलन	77	68	51	68	47

स्त्रोत :2001 जनगणना

क्योंकि 2001 के उपरान्त अभी जनगणना की जानी है, अत: 2007 के अन्त में प्रभाव का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

3.1.7.2 सकल नामांकन अनुपात

दिशा-निर्देशों के अनुसार 6 से 11 वर्षों तथा 11 से 14 वर्षों तथा /अथवा 6 से 14 वर्षों के आयु समूहों में अनुमानित बच्चों की संख्या से सम्बन्धित क्रमश: I-V तथा VI-VIII तथा /अथवा I-VIII कक्षाओं में नामांकन की प्रतिशतता सकल नामांकन अनुपात कहलाता है।

2003-2007 के दौरान राज्य में नामांकित बच्चों की कुल संख्या तथा नामांकित किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या निम्नवत् थी।

तालिका :3.1.3

नामांकित किए गए बच्चों की कुल संख्या

(लाख रूपए)

वर्ष	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			कुल		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
I-V कक्षाएं												
2003-2004	1.85	1.77	3.62	0.99	0.95	1.94	0.17	0.17	0.34	3.01	2.89	5.90
2004-2005	1.76	1.68	3.44	0.97	0.93	1.90	0.17	0.17	0.34	2.89	2.79	5.68
2005-2006	1.66	1.61	3.27	0.93	0.91	1.84	0.17	0.16	0.33	2.76	2.68	5.44
2006-2007	1.58	1.54	3.12	0.91	0.88	1.79	0.17	0.16	0.33	2.65	2.58	5.24
VI-VIII कक्षाएं												
2003-2004	1.30	1.26	2.56	0.55	0.52	1.07	0.10	0.09	0.19	1.95	1.86	3.82
2004-2005	1.22	1.18	2.40	0.55	0.51	1.06	0.11	0.09	0.20	1.88	1.78	3.66
2005-2006	1.17	1.12	2.29	0.54	0.51	1.05	0.10	0.10	0.20	1.82	1.72	3.54
2006-2007	1.09	1.05	2.14	0.52	0.49	1.01	0.11	0.10	0.21	1.72	1.64	3.36

स्त्रोत : निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा संभरित किए गए आंकड़े

टिप्पणी : निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा 2002-2003 से सम्बन्धित आंकड़ो का अनुरक्षण नहीं किया गया ।

प्राथमिक कक्षाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन 2003-2004 में 1.94 लाख से घटकर 2006-2007 में 1.79 लाख हो गया; तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन 2003-2004 में 0.34 लाख से घटकर 2006-2007 में 0.33 लाख रह गया।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु उच्च प्राथमिक कक्षाओं (VI से VIII) का नामांकन 2003-2004 में 1.07 लाख से घटकर 2006-2007 में 1.01 लाख रह गया । नामांकन में किंचित वृद्धि हुई थी।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों (I से VIII कक्षा)का नामांकन 2003-2004 में 3.01 लाख से घटकर 2006-2007 में 2.80 लाख हो गया, जबकि 2003-2004 से 2006-2007 के दौरान I से VIII कक्षाओं में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन स्थिर रहा ।

प्रारम्भिक कक्षाओं (I से VIII कक्षा) का समग्र नामांकन भी 2003-2004 में 9.72 लाख से गिर कर 2006-2007 में 8.60 लाख रू0 हो गया। इस प्रकार वर्षानुवर्ष नामांकन में वृद्धि होने की बजाय इसमें कमी की

प्रवृति आई, जो यह इंगित करती थी कि स्कीमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास की नामांकन में वृद्धि करने में विफल रही थी। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, से नामांकन में कमी आने के कारण पूछे गए (सितम्बर 2007), जो सूचित नहीं किए गए थे।

मार्च 2007 को बच्चों की अनुमानित जनसंख्या के संदर्भ में राज्य में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के सम्बन्धित सकल नामांकन अनुपात की स्थिति निम्नवत् थी :

तालिका : 3.1.4

(प्रतिशतता में)

वर्ष	प्राथमिक -I से V (6-11 आयु समूह)			उच्च प्राथमिक -VI से VIII (11-14 आयु समूह)			प्राथमिक -I से VIII (6-14 आयु समूह)		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
अनुसूचित जाति के विद्यार्थी									
2003-2004	99	100	99	115	122	118	104	106	105
2004-2005	105	106	105	116	116	116	109	109	109
2005-2006	105	105	105	109	107	108	106	106	106
2006-2007	124	125	125	133	131	132	127	127	127
अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी									
2003-2004	96	98	97	127	119	123	106	104	105
2004-2005	106	107	106	111	113	112	108	109	108
2005-2006	108	110	109	110	106	108	109	108	108
2006-2007	121	120	121	128	120	124	124	120	122

स्त्रोत : निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा सभरित किए गए आंकड़े

टिप्पणी: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, द्वारा 2002-2003 के आंकड़ो का अनुरक्षण नहीं किया गया ।

2003-2007 के नामांकन आंकड़े असामान्य प्रतीत होते है, क्योंकि अधिकांश वर्षो में ये 100 प्रतिशत से बढ़ गए है। यह प्रत्येक कक्षा में पुनरावर्तक को, अल्पायु/अधिकायु के बच्चों के आंकड़ों का अनुरक्षण न करने के कारण था। अनुसूचित जाति के विद्याार्थियों का प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन 2003-2004 में 99 प्रतिशत से बढ़कर 2006-2007 में 125 प्रतिशत हो गया तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के संदर्भ में यह नामांकन 2003-2004 में 118 प्रतिशत से बढ़ कर 2006-2007 में 132 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के संदर्भ में प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन 2003-2004 में 97 प्रतिशत से बढ़कर 2006-2007 में 121 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में यह नामांकन 2003-2004 में 123 प्रतिशत से बढ़कर 2006-2007 में 124 प्रतिशत हो गया। प्रारम्भिक कक्षाओं (I से VIII कक्षा) के बच्चों का सकल नामांकन अनुपात सकल नामांकन अनुपात 2003-2004 से 2006-2007 के दौरान 100 प्रतिशत से बढ़ गया था। पुनरावर्तक विद्यार्थियों तथा अल्पायु/अधिकायु के बच्चों के आंकड़ो के अभाव में उक्त अवधि के सकल नामांकन अनुपात की शुद्धता का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, ने यह तथ्य स्वीकार किया (अगस्त 2007), किन्तु इस प्रकार के आंकड़ो का अनुरक्षण न करने का कोई उत्तर नहीं दिया।

3.1.7.3 पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की सकल दर

दिशा निर्देशों के अनुसार पड़ाई छोड़ने वाले बच्चों की सकल दर किसी दिए गए, चक्र/स्कूल वर्ष में दिए गए शिक्षा के ग्रेड अथवा चक्र अथवा शिक्षा के स्तर से पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता का प्रतिनिधित्व करता है।

राज्य तथा जिला स्तरों पर अनुसूचित जाति. तथा अनुसूचित जनताति के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की सकल दर अनुपात का पृथक-पृथक रूप से अनुरक्षण नहीं किया गया था। किन्ही उपयुक्त आंकड़ों के अभाव में लेखापरीक्षा राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की सकल दर तथा केन्द्रीय व राज्य स्कीमों के प्रभाव तथा विभागों द्वारा किए गए उपचारी उपायों, यदि कोई हो, का सत्यापन करने में असमर्थ था।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा ने इस चूक को स्वीकार किया (अगस्त 2007)।

3.1.7.4. लिंग समानता सूचक

दिशा-निर्देशों के अनुसार लिंग समानता सूचक की गणना शिक्षा के किसी दिए गए स्तर की लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात को लड़कों के सकल नामांकन अनुपात से विभक्त करके की जाती है। जब शिक्षा के किसी स्तर पर लिंग समानता सूचक एक समान मूल्य दर्शाता है, तो यह इंगित करता है कि कोई भी लिंग असमानता नहीं है तथा लड़कियों के लिए उपलब्ध शिक्षण अवसर लड़कों के समान हैं।

राज्य स्तर पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा तथा जिला स्तर पर उप-शिक्षा निदेशकों के द्वारा 2002-2003 से 2006-07 के दौरान सकल नामांकन अनुपात से सम्बन्धित आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। अत: शिक्षा में लिंग समानता सुनिश्चित् करने के लिए केन्द्रीय/राज्य स्कीमों का प्रभाव तथा विभाग द्वारा की गई। उपचारी कार्रवाई यदि कोई हो, का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा ने बताया (जुलाई 2007) कि प्रारम्भिक शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षा की सूचना प्रणाली के प्रपत्र में विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे थे किन्तु उक्त प्रपत्र में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की सकल दर तथा लिंग समानता सूचक के प्राचल (पैरामिटर) सम्मिलित नहीं किए गए थे तथा इन प्राचलों को अंतर्विष्ट करने के लिए मामला भारत सरकार के साथ उठाया जाएगा । उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्रपत्र I से V कक्षाओं के लिए 1997-98 से तथा VI से VIII कक्षाओं के लिए 2002-03 से कार्यान्वित किया गया था तथा प्रपत्र में परिवर्तनों से सम्बन्धित मामला कार्यक्रम के प्रारभ में विभाग द्वारा भारत सरकार के साथ उठाया जाना चाहिए था।

इस प्रकार विभाग पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दरें, लिंग समानता सूचक, पुनरावर्तकों तथा अल्पायु/अधिकायु से सम्बन्धित बच्चों के आंकड़ों जैसे शिक्षण सूचक जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के प्रपत्र में सम्मिलित करने में विफल रहा, जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार तथा राज्य द्वारा प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को प्रभावित करेगा।

3.1.8 योजना

3.1.8.1 विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए योजना

दिशा-निदेशों के अनुसार विभिन्न स्कीमों के प्रतिवर्ष कार्यान्वयन हेतु निधियों की आवश्यकताओं का निर्धारण तथा प्रक्षेपण विभिन्न स्कीमों के अर्न्तगत आच्छादित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के आधार पर किया जाना था। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के बच्चों के संदर्भ में 6 से 11 (प्राथमिक कक्षाएं) 11 से 14 (माध्यमिक कक्षाएं) के आयु समूह तथा उच्च पाठशाला के, बच्चों (10 वीं, कक्षा तक) के वर्षवार तथा लिंगवार मेल न खाने वाले सम्मुचित आंकड़ो का संग्रहण तथा प्रलेखीकरण किया जाना था।

कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत लक्ष्यित जनसंख्या सुनिश्चित् करने हेतु एक सर्वेक्षण तथा आंकड़ों का प्रलेखीकरण/प्रकाशन किया जाना था।

यह पाया गया कि :

- प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत लक्ष्यित जनसंख्या सुनिश्चित् करने के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया था;
- प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत निधियों का आवश्यकता तथा आवृत्त किए जाने वाले लाभभोगियों की संख्या का निर्धारण करने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी; तथा
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों जो I से X कक्षाओं में अध्ययन कर रहे थे के लिए 2002-03, से 2006-07 तक पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की सकल दर तथा सकल नामांकन अनुपात के संदर्भ में मेल न खाने वाले सम्मुचित आयु समूह/वर्षवार आंकड़ो का संग्रहण/प्रलेखीकरण तथा अनुरक्षण नहीं किया गया।

अत: लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित् करने में असमर्थ था कि क्या शिक्षा विभाग राज्य की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित जनसंख्या के लिए केन्द्रों राज्य स्कीमों का इष्टतम लाभ उठाने की स्थिति में था।

इसके अतिरिक्त संपूर्ण सूचना के अभाव में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित लक्ष्यित जनसंख्या पर केन्द्रीय/राज्य स्कीमों का प्रभाव तथा विभाग द्वारा की गई उपचारी कार्रवाई यदि कोई हो, का सत्यापन नहीं किया जा सका।

निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने बताया (जून 2007) की विभाग ने सभी उप-शिक्षा निदेशकों/सम्बन्धित संस्थाओं को समुचित रूप से अभिलेखों का अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक निदेश जारी किए थे (जून 2007)।

3.1.8.2 लोक जागरूकता के लिए स्कीमों का प्रचार

दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा तथा निदेशक उच्चतर शिक्षा द्वारा सभी स्कीमों का मुद्रण/ इलैक्ट्रोनिक सूचना/परिपत्र जारी करके/विद्यालयों/खण्डों/महाविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष अभियान आदि के माध्यम से पर्याप्त प्रचार किया जाना था जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का अधिकतम नामांकन हो तथा लोक जागरूकता पैदा की जा सके।

विभाग ने सूचित किया कि इसने समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करने हेतु 2005 -06 तथा 2006-07 के दौरान 1.15 लाख रू0 का व्यय किया था। तथापि, यह पाया गया कि लक्ष्य समूहों के मध्य उक्त स्कीमों का पर्याप्त प्रचार नही हुआ, क्योंकि प्रचार करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शिविरों अथवा इलैक्ट्रॉनिक प्रचार , माध्यमों का उपयोग करने से सम्बन्धित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

यह पाया गया कि नमूना जांचित जिलों में 10[5] शैक्षणिक संस्थाओं में 2,775 विद्यार्थी (अनुसूचित जातियां 2,023 तथा अनुसूचित जनजातियां: 752) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अभिप्रेत लाभों से वंचित रहें, जैसाकि सम्बन्धित संस्थाओं के प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों द्वारा स्वीकार किया गया।

3.1.9 विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निधियों का आबंटन, निस्तारण तथा उपयोगिता

प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा तथा निदेशक, उच्चतर शिक्षा को प्रत्येक जिला के सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से राज्य की सभी शैक्षणिक संस्थाओं से प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत पात्र लाभभोगियों के आंकड़े एकत्रित करने चाहिए।

---

5 बाबा बालक नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकमोह (हमीरपुर जिला); बाबा कृपालदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय (लडकियां), पांवटा साहिब (सिरमौर जिला); बीटीसी डीएवी महाविद्यालय, बनीखेत (चम्बा जिला); गौतम कन्या महाविद्यालय, हमीरपुर; गौस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय, सुबाथू (सोलन जिला), गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय, राजपुर (कांगड़ा जिला); कुंज बिहारी लाल बुटेल डीएवी महाविद्यालय (लड़कियां), पालमपुर (कांगड़ा जिला); सनातन धर्म महाविद्यालय, बरोह (कांगड़ा जिला); श्री नैना देवी जी महाविद्यालय; नैना देवी (बिलासपुर जिला) तथा सैंट बीडज महाविद्यालय (लड़कियां) शिमला।

2002-07 के दौरान भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निस्तारित किए गए अनुदान व निधियों के आबंटन की स्थिति तथा उनके प्रति किए गए व्यय की स्थिति निम्नवत् है :

तालिका: 3.1.5

(लाख रूपए)

	निस्तारित की गई निधियां			व्यय	बचतें
	केन्द्रीय शेयर	राज्य शेयर	योग		
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम					
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति स्कीम	9.74	57.10	66.84	66.84	--
मैट्रिककोत्तर-पूर्व छात्रवृति स्कीम	214.42	427.50	641.92	641.92	--
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	2,251.72	1,356.59	3,608.31	3,608.31	--
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध स्कीमें	2.90	13.00	15.90	15.90	--
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की मैरिट का उन्नयन	--	--	--	--	--
निम्न साक्षरता क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसर	11.43		11.43	11.43	--
योग (क):	**2,490.21**	**1,854.19**	**4,344.40**	**4,344.40**	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें					
डा0 अंबेदकर मेधावी छात्रवृति योजना	--	580	580	347.00	(-)233.00
महर्षि बाल्मिकी चक्रवर्ती योजना	--	64	64	37.71	(-)26.29
ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना	--	100	100	57.20	(-)42.80
योग (ख) :	--	**744**	**744**	**441.91**	
सकल योग (क+ख)	**2,490.21**	**2,598.19**	**5,088.40**	**4786.31**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

राज्य सरकार को बजट प्रक्रिया के माध्यम से भारत सरकार ने अनुदान उपलब्ध करवाए निधियां तथा गैर-सरकारी संगठनों को भारत सरकार द्वारा अनुदान सीधे निस्तारित किए गए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों का कार्यान्वयन करने के लिए निधियों की आवश्यकता का निर्धारण निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा तथा निदेशक, उच्चतर शिक्षा द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी आधार पर किया गया। जैसाकि बजट प्रावधान करते समय बाद में समीक्षा के परिच्छेद 3.1.10, 3.1.10.1 तथा 3.1.11.1 में उल्लेख किया गया है, लाभभोगियों की सही संख्या उपलब्ध न होने के कारण पात्र लाभभोगियों तथा किए गए आबंटन/निस्तारित की गई राशि में कोई सम्बन्ध नहीं था।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए निस्तारित किए गए राज्य तथा केन्द्रीय अनुदानों के शेयर में से किए गए व्यय के लिए विभाग ने पृथक लेखों का अनुरक्षण नहीं किया। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा तथा निदेशक, उच्चतर शिक्षा द्वारा अस्थायी आधार पर निधियों की आवश्यकता के निर्धारण के रूप में राज्य स्कीमों के अंतर्गत 3.03 करोड़ रू0 की बचतें की गई।

भारत सरकार ने मैट्रिक -पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार को मार्च 2003 में केन्द्रीय शेयर के रूप में 9.74 लाख रू0 निस्तारित किए जिनका 2003 के दौरान उपयोग नहीं किया गया। तथापि सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता निदेशालय ने दिसम्बर 2005 में भारत सरकार से संस्वीकृति का पुनर्वैधीकरण करवाकर वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 की छात्रवृति से संबधित पूर्ववर्ती दायिताओं का निपटारा करनेके लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा (6 लाख रू0) तथा निदेशक, उच्चतर शिक्षा (3.74) को निस्तारित किए। इस प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय विद्यार्थियों को समय पर लाभ पहुंचने मे विफल रही।

3.1.9.1 शैक्षणिक अधोसंरचना के विकास के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत निधियों का प्रावधान न करना

विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अन्तर्गत एक किसी वर्ष में निस्तारित की गई केन्द्रीय निधियों का 10 प्रतिशत निम्न साक्षरता स्तर वाले क्षेत्रों में आवासीय पाठशालाओं की स्थापना करने एवं उन्हें चलाने तथा जिन गांवों में अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जनसंख्या 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक है, में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विद्यमान पाठशालाओं/छात्रवासों की मरम्मतें तथा समुचित अनुरक्षण करना जैसे अधोसंरचनात्मक विकास कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त किया जाना था।

2002-2007 के दौरान विशेष संघटक योजना के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता का वर्षवार निस्तारण निम्नवत् था:

तालिका : 3.1.6

(करोड़ रूपए)

वर्ष	विशेष संघटक योजना के रूप में केन्द्रीय सहायता	अधोसंरचना विकास कार्यक्रमों पर आवंटन तथा प्रयोक्तता हेतु अपेक्षित 10 प्रतिशत राशि
2002-2003	3.75	0.37
2003-2004	4.00	0.40
2004-2005	4.70	0.47
2005-2006	6.00	0.60
2006-2007	6.00	0.60
योग :	**24.45**	**2.44**

स्त्रोत : 2006-07 के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (अप्रैल 2007) कि 2002-07 के दौरान विशेष संघटक योजना में निस्तारित की गई 24.45 करोड़ रू0 की कुल केन्द्रीय सहायता निधियों का 10 प्रतिशत जो कि 2.44 करोड़ रू0 बनता था, किसी शैक्षणिक अधोसंरचना विकास कार्यकलापों के लिए प्रदान नहीं किया गया। ये निधियों कृषि, बागवानी, पशु-पालन, मतस्य सहकारिता, उद्योग, आदि पर प्रयुक्त की गई। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता निदेशालय ने बताया (अगस्त 2007) कि विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग की कोई स्कीम नहीं थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र भी विशेष संघटक योजना में से निधियन हेतु सम्मिलित किया गया है।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन

3.1.10 सफाई/मैल दूर करने के व्यवसाय में लगे बच्चों के लिए मैट्रिक -पूर्व छात्रवृत्ति

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत सफाई/मैल दूरकरने के व्यवसाय में जुटे लोगों के बच्चों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम जो 1992-93 में आरम्भ की गई के अनुसार परम्परागत रूप से सफाई सम्बन्धी व्यवसायों जैसे कि मेहतर का काम, चमड़ा उतारने तथा चर्म शोधन से जुड़े व्यवसायों के लिए ऐसे बच्चों के संदर्भ में उनके माता -पिता को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उनके बच्चे मैट्रिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकें। सहायता में शैक्षणिक वर्ष के 10 मास तक प्रतिमास 25 रू0 तथा 75 रू0 के मध्य की दर पर वार्षिक छात्रवृत्ति की अदायगी तथा 500 रू0 (2003-04 से संशोधित 550 रू0) का तदर्थ अनुदान सम्मिलित है। स्कीम के अंतर्गत यह व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 50:50 के आधार पर बांटा जाता है छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए लाभभोगी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र माता-पिता के व्यवसाय के प्रमाण-पत्र सहित संस्थान के प्रधान के माध्यम से निदेशालय में प्राप्त किए जाते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय द्वारा इस स्कीम का 2005-06 तक कार्यान्वियन किया जा रहा था तथा 2006-07 के दौरान निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा की कायन्वियन हेतु स्थानांतरित किया गया। किन्नौर व लाहौल तथा स्पिति के दो जनजातीय जिलों में स्कीम का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा था।

2002-07 के दौरान बजट आबंटन, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निस्तारित की गई राशि तथा उसके प्रति किए गए व्यय की वर्षवार स्थिति निम्नवत् थी :

तालिका : 3.1.7

(लाख रूपए)

वर्ष	बजट आबंटन			निस्तारित की गई राशि			किया गया व्यय		
	केन्द्रीय शेयर	राज्य शेयर	योग	केन्द्रीय शेयर	राज्य शेयर	योग	केन्द्रीय शेयर	राज्य शेयर	योग
2002-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003-04	-	9.93	9.93	-	9.93	9.93	-	9.93	9.93
2004-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005-06	9.74	47.17	56.91	9.74	47.17	56.91	9.74	47.17	56.91
2006-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग :	**9.74**	**57.10**	**66.84**	**9.74**	**57.10**	**66.84**	**9.74**	**57.10**	**66.84**

स्त्रोत : 2003-04 के आंकड़े सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के द्वारा तथा 2005-06 के आंकड़े निदेशक, उच्चतर शिक्षा द्वारा संभरित किए गए ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2002-05 वर्षों के दौरान भारत सरकार ने कोई सहायता निस्तारित नहीं की। राज्य सरकार ने भी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 2002-03, 2004-05 तथा 2006-07 के दौरान न तो कोई बजट व्यवस्था की और न ही कोई सहायता निस्तारित की, यद्यपि इन वर्षों के दौरान लाभभोगी विद्यार्थियों से 13,309[6] आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि 2005-2006 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय द्वारा प्रदान किए गए 56.91 लाख रू0 अप्रयुक्त रहे। शैक्षणिक वर्षों 2002-03 (4,066 लाभभोगी) तथा 2003-04 (3,335 लाभभोगी) में 7,401 लाभभोगियों में संवितरण करने के लिए राशि का आहरण किया गया (मार्च, 2006) तथा राज्य के 10 जिलों (दो जनजातीय जिलों के अतिरिक्त) के

[6] 2004-05: 4,867; 2005-06: 3,575 तथा 2006-07: 4,867

उप-निदेशकों (प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा) (अब उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व उच्चतर शिक्षा) के पास जमा करवा दी गई (मई 2006)। ऐसे विलंम्ब न केवल स्कीम के उद्धेश्य व्यर्थ कर देते हैं, बल्कि बढ़ते हुए नामांकन भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय ने बताया (मई 2007) कि 2004-06 वर्षों का बजट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय द्वारा निस्तारित किया जाना था क्योंकि वह 2005-06 तक स्कीम का कार्यान्वन कर रहा था, जबकि निदेशक, उच्चतर शिक्षा द्वारा 2006-07 वर्ष का प्रस्तावित बजट प्राप्त नहीं हुआ था । इस उत्तर से इंगित होता है कि दो विभागों के मध्य समन्वय का अभाव था, जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित शैक्षणिक वर्षों में विद्यार्थियों को छात्रवृति की अदायगी नहीं हो पाई।

इसके अतिरिक्त सात[7] नमूना-जांचित जिलों के उप निदेशक, के अभिलेखों से उद्घाटित हुआ, कि 2002-03 तथा 2003-04 के शैक्षणिक वर्षों के लिए 5,284 लाभभोगियों छात्रवृति के रूप में संवितरण करने के लिए उनके पास जमा करवाए गए 41.85 लाख रू0 (मई 2006) 284 लाभभोगियों को 2.86 लाख रू0 असंवितरित, रहे, क्योंकि उनके पते-ठिकाने विदित नहीं थे। उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा ने बताया (मई 2007) कि संवितरण हेतु विद्यार्थियों के पते ठिकाने सुनिश्चित् किए जा रहे थे। यह निधियां उपलब्ध होने के बावजूद जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कीम के लाभ पहंचाने के लिए उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा तथा उप-निदेशक, उच्चतर शिक्षा के निरूत्साही दृष्टिकोण का द्योतक है। इन मामलों में विद्यार्थियों द्वारा सम्बन्धित संस्थान छोड़ने तथा छात्रवृति से सम्बन्धित निधियों का दुर्विनियोजन किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

3.1.10.1 लाभभोगियों का आच्छादन

पात्र लाभभोगियों जिनसे 2002-07 के दौरान स्कीम के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से अच्छाचित लाभभोगी तथा जिन लाभभोगियों का आच्छादन नहीं हो पाया, की वर्षवार स्थिति निम्नवत् थी:

तालिका: 3.1.8

(संख्या में)

वर्ष	पात्र विद्यार्थियों की कुल संख्या जिनसे आवेदन पत्र प्राप्त हुए (कक्षा I से X)	उन विद्यार्थियों की कुल संख्या जिनका आच्छादन किया गया (कक्षा I से X)	उन विद्यार्थियों की संख्या जिनका आच्छादन नहीं हुआ
2002-2003	4,066	3,949	117
2003-2004	3,335	3,168	167
2004-2005	4,867	शून्य	4,867
2005-2006	3,575	शून्य	3,575
2006-2007	4,867	शून्य	4,867
जोड़:-	**20,710**	**7,117**	**13,593**

स्रोत: निदेशक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा द्वारा आंकड़े संभरित किए गए

उक्त विवरण से यह देखा जाएगा कि 2002-07 के दौरान राज्य के 20,710 पात्र विद्यार्थियों में से 13,593 (66प्रतिशत) विद्यार्थियों का आच्छादन नहीं हो पाया। इसी प्रकार नमूना-जांचित जिलो में 12,340 पात्र विद्यार्थियों में से 7,340(59 प्रतिशत) विद्यार्थियों का आच्छादन नहीं हुआ। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि लाभभोगियों को सम्बन्धित वर्ष जिसमें वे अध्ययन कर रहे थे तथा जिस वर्ष में छात्रवृत्तियां संस्वीकृत की गई, उस वर्ष में छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किया गया। निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने पात्र विद्यार्थियों का आच्छादन न करने का कारण विद्यार्थियों द्वारा संस्थानों छोड़ने के उपरान्त उनके पते-ठिकानों का

[7] बिलासपुर,चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर तथा सोलन। लाहौल स्पिति जिला में स्कीम का कार्यान्वयन नहीं किया गया।

उपलब्ध न होना बताया (अगस्त 2007)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि समय पर निधियां निस्तारित नहीं की गई,यद्यपि लाभभोगियों के पत्ते छात्रवृति से सम्बन्धित आवेदन पत्रों तथा प्रवेश से सम्बन्धित अभिलेखों दोनों में उपलब्ध थे।

यह राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रयास न करने तथा प्रभावशाली ढ़ग से स्कीम का कार्यान्वयन न करने का द्योतक था।

3.1.10.2 बढ़ाई गई दरों पर छात्रवृति की अदायगी न करना

भारत सरकार ने छठी से आठवीं तथा नवीं से दसवीं कक्षाओं के संदर्भ में मासिक छात्रवृति की दरें क्रमश : 40 रू0 से 60 रू0 तथा 50 रू0 से 75 रू0 संशोधित की (अप्रैल 2003)। वार्षिक तदर्थ अनुदान की दरें भी 500 रू0 से संशोधित करके 550 रू0 कर दी गई (अप्रैल 2003)। छठी से आठवीं तथा नवीं से दसवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अप्रैल 2003 से छात्रवृति तथा तदर्थ अनुदान की संशोधित दरों के आधार पर कुल राशि की गणना क्रमश: 1,150 रू0 तथा 1,300 रू0 की गई।

निदेशक, उच्चतर शिक्षा के कार्यालय में अभिलेखों की लेखा परीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राज्य में 10 जिलों में से पांच [8] जिलों जिनमें स्कीम का कार्यान्वयपन किया जा रहा था, संशोधित दरों के आधार पर छठी तथा दसवीं कक्षाओं के 1,447[9] शिनाख्तकृत लाभभोगियों को केवल 2003-04 के लिए देय 17.32 लाख रू0 के प्रति 14.81 लाख रू0 निस्तारित किए गए (मई 2006), जिसके फलस्वरूप 2.51 लाख रू0 का अल्प निस्तारण हुआ निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने तथ्य स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2007) कि दरें सामाजिक न्याय एवं अधिकारित निदेशालय द्वारा लागू की जा रही थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सरकार का कार्यान्वयन अभिकरण होने के नाते बढ़ाई गई दरों पर छात्रवृति का भुगतान सुनिश्चत करने के लिए बढ़ी हुई दरों पर निधियां निस्तारित करने से सम्बन्धित मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के साथ उठाया जाना चाहिए था।

3.1.11 मैट्रिकोत्तर छात्रवृति स्कीम

बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए मैट्रिकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1944-45 से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम चलाई जा रही थी। यह स्कीम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों के लिए है, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रू0 से कम है तथा जो राज्य के वास्तविक निवासी हैं। शैक्षणिक वर्ष स्नातक कक्षाओं के *दिवा* छात्रों के लिए सितम्बर 2004 से 90 रू0 तथा 120 रू0 प्रतिमास की सहायता का संशोधन करके 140 रू0 तथा 185 रू0 प्रतिमास कर दिया गया तथा छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए इस सहायता राशि का 150 रू0 तथा 230 रू0 प्रतिमास का संशोधन करके 235 रू0 तथा 355 रू0 प्रतिमास कर दिया गया, जिसका भुगतान शैक्षणिक वर्ष 2004-05 से 10 मास तक किया जाना था। पी.जी कक्षाओं के लिए सितम्बर 2004 से दिवा छात्रों के लिए 190 रू0 प्रतिमास की सहायता का संशोधन करके 330 रू0 प्रति मास कर दिया गया तथा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 290 रू0 प्रति मास से इसका संशोधन करके 510 रू0 प्रति मास कर दिया गया तथा छात्रावासों में रहने वाले पी.जी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए 425 रू0 से इसका संशोधन करके 740 रू0 कर दिया गया। स्कीम के अंर्तगत राज्य सरकार प्रतिबद्ध दायित्व से अधिक की सहायता के संदर्भ में भारत सरकार से शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त करने की हकदार थी, जो कि नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1997-02) आवधिक वर्ष (2001-02) में किया गया वास्तविक व्यय है।

---

8 बिलासपुर, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा ऊना

9 छठी से आठवीं: 995 तथा नवीं से दसवी: 452

नवीं पंचवर्षीय योजना के आवधिक वर्ष (2001-02) के अनुसार राज्य की प्रतिबद्ध दायिता 81.10 लाख रू0 प्रतिवर्ष थी। 2002-07 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारतीय सरकार से स्कीम के अंतर्गत प्राप्त किया गया अनुदान तथा किया गया व्यय निम्नवत् था :

तालिका: 3.1.9

(लाख रूपए)

वर्ष	राज्य की प्रतिबद्ध दायिता	स्कीम पर किया गया कुल व्यय	भारत सरकार से देय अनुदान	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	अभ्युक्तियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2002-2003	81.10	78.50	शून्य	शून्य	प्रतिबद्ध दायिता से व्यय कम है अत: भारत सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं की गई है।
2003-2004	81.10	103.37	22.27	13.13	
2004-2005	81.10	118.44	37.34	35.52	
2005-2006	81.10	149.40	68.30	66.48	
2006-2007	81.10	192.21	111.11	99.29	
जोड़:-	**405.50**	**641.92**	**239.02**	**214.42**	

स्रोत: निदेशक, उच्चतर शिक्षा द्वारा संभरित किए गए आंकड़े।

2003-04 से 2006-07 के दौरान विभाग द्वारा प्रतिबद्ध दायिता से अधिक व्यय की गई 24.60 लाख रू0 की सकल राशि का निदेशक, उच्चतर शिक्षा द्वारा भारत सरकार से दावा नहीं किया गया था, जैसा कि अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि स्कीम के अन्तर्गत लाभभोगियों की कुल संख्या का निर्धारण किए बिना बजटीय मांगे भेजी गई। निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने बताया (अगस्त 2007) कि विभिन्न छात्रवृतियों के लिए निधियों की मांग के लिए प्रस्ताव प्रतिवर्ष जुलाई-अगस्त के दौरान भारत सरकार को भेजे जाते है । तथा इस अवधि तक विद्यार्थियों की सही संख्या उपलब्ध न होन के कारण बजट की वास्तविक मांग सुनिश्चित नहीं की जा सकी। उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार को निधियों के लिए प्रस्ताव भेजने से पूर्व क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं से आंकड़े एकत्रित करना विभाग का उत्तरदायित्व है ।

3.1.11.1 लाभभोगियों का आच्छादन

मैट्रिकोत्तर कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा पात्र विद्यार्थियों से छात्रवृतियों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के संदर्भ में निदेशक, उच्चतर शिक्षा के पास राज्य स्तरीय आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। राज्य स्तरीय आंकड़ों के अभाव में लेखापरीक्षा में उन विद्यार्थियों की संख्या जिनका राज्य में आच्छादन नहीं हो पाया तथा स्कीम का समूचा प्रभाव सुनिश्चित नहीं कर सका । तथापि, निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने लाभभोगियों को वास्तविक रूप से संवितरित की गई छात्रवृतियों का अनुश्रवण नहीं किया था। संस्थानों के प्रधानों द्वारा वास्तविक आच्छादन का निर्धारण किए बिना निधियां निस्तारित की गई।

आठ चयनित जिलों[10] के शैक्षणिक संस्थानों में 2002-2007 के दौरान स्कीम के अंतर्गत वास्तविक रूप से आवृत किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की स्थिति निम्नवत् थी।

तालिका: 3.1.10

(संख्या)

वर्ष	उन पात्र विद्यार्थियों की संख्या जिनसे आवेदन प्राप्त किए गए			उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें आवृत किया गया/छात्रवृतियां प्रदान की गई			कमी		
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
2002-2003	775	179	954	520	59	579	255(33)	120(67)	375
2003-2004	998	221	1,219	751	190	941	247(25)	31(14)	278
2004-2005	979	123	1,102	892	118	1,010	87(9)	5(4)	92
2005-2006	1,449	174	1,623	1,247	158	1,405	202(14)	16(9)	218
2006-2007	1,121	334	1,455	270	81	351	851(76)	253(76)	1,104
योग:-	**5,322**	**1,031**	**6,353**	**3,680**	**606**	**4,286**	**1,642**	**425**	**2,067**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा संभरित आंकड़े। कोष्ठकों में दी गई संख्या प्रतिशतता इंगित करती हैं।

2002-2007 के दौरान पात्र अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की व्याप्ति में कमी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के संदर्भ में नौ तथा 76 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के संदर्भ में चार तथा 76 प्रतिशत के मध्य थी। निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने ये तथ्य स्वीकार किए (अगस्त 2007) तथा बताया कि जिन विद्यार्थियों ने संस्थान छोड़ दिए थे, उनके पते-ठिकाने भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी सुनिश्चित् नहीं किए जा सकें।

यह एक अपवंचित उत्तर है, क्योंकि न तो कोई ऐसी विवरणी निर्धारित की गई है जिसके माध्यम से छात्रवृति के संवितरण से सम्बन्धित ब्यौरे मांगे गए हो और न हो उप-निदेशकों, उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के प्रधानों द्वारा /संस्थाओं के प्रधानों द्वारा ऐसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जा रहे थे, जिससे अनुश्रवण की अपर्याप्त इंगित होती है ।

3.1.11.2 बढ़ाई गई दरों पर छात्रवृति की अदायगी न करना

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2004-2005 से 10+1, 10+2 तथा अवर स्नातक कक्षाओं के लिए अनुरक्षण भत्ता की दरें 90 रू0 तथा 120 रू0 से बढ़ाकर क्रमश: 140 रू0 तथा 185 रू0 प्रति मास संशोधित कर दी गई (सितम्बर 2004)। यह पाया गया कि 2004-2005,2005-2006 तथा 2006-2007 के शैक्षणिक वर्षो के लिए संशोधित दरों के आधार पर देय 5.68 लाख रू0 के प्रति कांगड़ा, सिरमौर तथा शिमला जिलों की सात[11] शिक्षा संस्थाओं के 316 लाभभोगियों को केवल 4.03 लाख रू0 की अदायगी की गई, जिसके फलस्वरूप उन्हें 1.65 लाख रू0 की कम अदायगी हुई। इन संस्थाओं के प्रधानों ने बताया (फरवरी -अप्रैल 2007) कि बजट आंबटन के अनुसार राशि की अदायगी की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि तथ्य तो यह है कि संशोधित मांगे तैयार करके नहीं भेजी गई। इसके फलस्वरूप लाभभोगी संबन्धित राशि से वंचित रहे।

10 बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल एवं स्पिति, शिमला, सिरमौर तथा सोलन

11 राजकीय डिग्री महाविद्यालय, चौड़ा मैदान, संजौली, नाहन, पालमपुर, पांवटा साहिब, राजकीय कन्या महाविद्यालय, शिमला तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बोगधार

3.1.12 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

माध्यमिक पाठशालाओं, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतु भारत सरकार से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों को छात्रवास की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को 50:50 के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की।

2002-2007 की अवधि के दौरान संस्वीकृत छात्रावासों, आवंटित बजट तथा निस्तारित की गई निधियों के ब्यौरे निम्नवत् है :-

तालिका: 3.1.11

(करोड़ रूपए)

वर्ष	संस्वीकृत छात्रावासों की संख्या			आवास क्षमता	अनुमानित लागत	बजट आंबटन	निस्तारित की गई राशि		योग
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग				केन्द्रीय शेयर	राज्य शेयर	
2002-2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003-2004	5	-	5	295	5.80	5.80	2.90	2.90	5.80
2004-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005-2006	27	-	27	2,601	39.53	39.53	19.62	10.67	30.29
2006-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग:-	**32**	**-**	**32**	**2,896**	**45.33**	**45.33**	**22.52**	**13.57**	**36.09**

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय तथा आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग द्वारा आंकड़े संभरित किए गए।

22.52 करोड़ रू0 के अपेक्षित शेयर के प्रति राज्य सरकार ने केवल 13.57 करोड़ रू0 निस्तारित किए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए संस्वीकृत 32 छात्रावासों में से पांच छात्रावास अपूर्ण पड़े हुए थे जैसा कि लेखापरीक्षा को सूचित किया गया (अगस्त 2007), 27 छात्रावासों की प्रास्थिति सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं थी। यह दर्शाता है कि यद्यपि विभाग लाभभोगियों को समय पर छात्रावास सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित् करने के लिए इन छात्रावासों की प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण नही कर रहा है, यद्यपि ऐसा करना अपेक्षित था।

3.1.12.1 छात्रा वास भवनों का निर्माण प्रारम्भ न करना

भारत सरकार ने राजकीय स्नातक महाविद्यालयों के 160 अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए पांवटा साहिब तथा नाहन (दोनो सिरमौर जिला में) में 2.75 करोड़ रू0 (नाहन :1.65 करोड़ रू0 तथा पांवटा साहिब 1.10 करोड़ रू0) दो छात्रावास भवन संस्वीकृत किए (मार्च 2004/सितम्बर 2005), जिन्हें दो वर्ष में पूर्ण किया जाना था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को 1.92 करोड़ रू0 (केन्द्रीय शेयर : 1.37 करोड़ रू0 तथा राज्य शेयर : 0.55 करोड़ रू0) निस्तारित किए (मार्च 2005/मार्च 2006)। यह पाया गया कि भूमि का हस्तांतरण न करने के कारण अप्रैल 2007 तक इन भवनों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। इस प्रकार 1.92 करोड़ रू0 की समस्त राशि अप्रैल 2007 तक निष्पादन अभिकरण के पास अव्ययित रही यह राज्य सरकार द्वारा लाभभोगियों के लिए समय पर छात्रावासों के निर्माण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित न करना इंगित करता हैं।

3.1.12.2 छात्रावास भवनों का समापन करने में विलंब

दिशानिदेशों के अनुसार छात्रावास भावनों का निर्माण दो वर्षों के भीतर पूर्ण करना अपेक्षित था। तथापि यह पाया गया 5.57 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत (केन्द्रीय शेयर: 2.79 करोड़ रू0 तथा राज्य शेयर 2.78 करोड़ रू0) पर 300 विद्यार्थियों के आवास की क्षमता वाले पांच छात्रावास भवन[12] 2003-2004 के दौरान भारत सरकार द्वारा/संस्वीकृत किए गए, जिन्हें मार्च 2006 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु अप्रैल 2007 तक पूर्ण नहीं किए गए थे यद्यपि सम्बन्धित वर्षों में निष्पादन अभिकरणों[13] को समस्त राशि निस्तारित की जा चुकी थी । इन भवनों को पूर्ण करने में 13 मास का विलंब किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय द्वारा छात्रावासों के निर्माण की प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण नहीं किया गया था । इस प्रकार भवनों के निर्माण कार्यों की प्रास्थिति का सत्यापन नही किया जा सका। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय ने समय पर इन छात्रावासों को पूर्ण न करने का कारण भूमि के हस्तांनरण में विलंब बताया (अगस्त 2007)। उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि छात्रावासों के लिए भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रस्ताव की प्रकिया के समय तथा निधियों निस्तारित करने से पूर्व प्रारम्भ की जानी चाहिए थी।

3.1.12.3 अप्रयुक्त छात्रावास भवनों पर निष्फल व्यय

अनुसूचित जाति के 120 लड़कों तथा लड़कियों व अनुसूचित जनजाति के 160 लड़कों तथा लड़कियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 4.19 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर 1998-99 तथा 2001-02 के मध्य पांच छात्रावास भवन[14] (दो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए तथा तीन अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए) संस्वीकृत किए गए, जिन्हें दो वर्षो में पूर्ण करता था ये छात्रावास 4.21 करोड़ रू0 के व्यय पर अगस्त 2001 तथा मार्च 2006 के मध्य पूर्ण किए गए ।

यह पाया गया कि यद्यपि ये भवन सौंप दिए गए थे (अगस्त 2001 तथा मार्च 2006), किन्तु अप्रैल 2007 तक थे प्रयुक्त नहीं किए गए थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सम्बन्धित संस्थानों के प्रघानाचार्यो ने छात्रावासों के प्रयुक्त न करने के कारण विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता, वार्डन के लिए आवास की व्यवस्था न करना तथा बरतन, फर्नीचर, आदि जैसी आधार भूत सुविधाएं प्रदान न करना बताया (फरवरी-मई 2007)। इसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 280 विद्यार्थियों को अभिप्रेत लाभों से वंचित रखने के अतिरिक्त 4.21 करोड़ रू0 की राशि की परिसंपतियां निरर्थक हुई। तथ्य यह है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के पास सभी सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रर्याप्त समय था।

3.1.13 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए अनुशिक्षण व संबद्ध स्कीमें

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए अनुशिक्षण व सम्बद्ध स्कीमें चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि (1969-74) से लागू थी। स्कीम का उद्धेश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा

---

12 अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लड़कों के छात्रावास: नूरपुर; अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लड़कों के छात्रावास; राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, तीसा; अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लड़कों के छात्रावास: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, आनी; अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लड़कों के छात्रावास: राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बासा (गोहर) तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित लड़कों के छात्रावास: राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धर्मशाला

13 मुख्य कार्यपालक अधिकारी हिमुडा: चार छात्रावास; अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, धर्मशाला: एक छात्रावास

14 अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित लड़कों का छात्रावास, धर्मशाला; कुकुम्सेरी; अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित लड़कियों का छात्रावास, कुकुम्सेरी; अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लड़कों का छात्रावास, सोलन तथा अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लड़कियों का छात्रावास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, करसोग

आयोग तथा अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना प्रतिनिधत्व तथा निष्पादन बढ़ाने हेतु पूर्व-परीक्षा अनुशिक्षण प्रदान करना था। यह स्कीम एस.सी के केवल उन विद्यार्थियों जिनके पारिवारिक आय एक लाख रू0 प्रतिवर्ष से कम थी तथा एस.टी के उन विद्यार्थियों जिनकी पारिवारिक आय 44,500 रू0 प्रतिवर्ष से कम थी के लिए थी। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मध्य निधीयन पैटर्न 50:50 था। अनुशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए विश्व विद्यालयों को सहायता भी अनुमत थी तथा 90 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। राज्य में स्कीम का कार्यान्वयन हि0प्र0 विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा था। स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त सहायता का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

तालिका: 3.1.12

(लाख रूपए)

वर्ष	निस्तारित की गई सहायता			किया गया व्यय		
	केन्द्रीय शेयर	राज्य शेयर	योग	अनुशिक्षण शुल्क तथा वजीफा	स्टाफ का वेतन तथा अन्य कार्यालय व्यय	योग
2002-2003	2.90	-	2.90	1.75	1.15	2.90
2003-2004	-	13.00	13.00	2.63	10.37	13.00
2004-2005	-	-	-	-	-	-
2005-2006	-	-	-	-	-	-
2006-2007	-	-	-	-	-	-
योग:-	**2.90**	**13.00**	**15.90**	**4.38**	**11.52**	**15.90**

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा संभरित किए गए आंकड़े

निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए :

- भारत सरकार ने 2003-2007 के दौरान पूर्व-परीक्षा अनुशिक्षण केन्द्र पूर्व परीक्षा अनुशिक्षण केन्द्र को कोई सहायता निस्तारित नहीं की थी। तथापि ,राज्य सरकार ने 2003-2004 में 13 लाख रू0 अपने स्त्रोतों से प्रदान किए थे। इस अनुदान (11.70 लाख रू0) का 90 प्रतिशत केन्द्रीय शेयर होने के नाते राज्य सरकार द्वारा इसका भारत सरकार से दावा नहीं किया गया था।

- 2004-2007 के दौरान न भारत सरकार ने और न राज्य सरकार ने कोई निधियां निस्तारित की थी।

- भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार विद्यार्थियों के अनुशिक्षण शुल्क तथा वजीफे की अदायगी हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित था। तथापि , यह पाया गया कि 2002-2004 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा किए गए 15.90 लाख रू0 के व्यय में से अनुशिक्षण शुल्क व वजीफे की अदायगी पर केवल 4.38 लाख रू0 व्यय किए गए । शेष 11.52 लाख रू0 की राशि का अनुशिक्षण केन्द्र में जुटाए गए स्टाफ के वेतन तथा बिजली, पानी, दूरभाष, लेखन-सामग्री, विज्ञापन, आदि जैसे अन्य कार्यालय व्ययों पर व्यय करने के लिए अपवर्तन कर दिया।

पूर्व-परीक्षा अनुशिक्षण केन्द्र के अवैतनिक निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जून 2007) बताया कि कोचिंग शुल्क तथा वजीफे के अतिरिक्त अन्य मदों पर किया गया व्यय केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपरिहार्य था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि स्कीम पर व्यय करने हेतु दिशानिदेशों का पालन नहीं किया गया था।

3.1.13.1 पूर्व-परीक्षा अनुशिक्षण केन्द्र का असंतोषजनक निष्पादन

अनुशिक्षण केन्द्र का वर्षवार निष्पादन निम्नवत् है :

तालिका : 3.1.13

वर्ष	पाठ्यक्रमों की संख्या	पाठ्यक्रमों का नाम	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों की संख्या जन्हें अनुशिक्षण दिया गया	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होने प्रारम्भिक शिक्षा उत्तीर्ण की	सफलता की प्रतिशतता
2002-2003	6	पी.एम.टी. पी.ई.टी, एच.ए.एस. आईए.एस. नैट तथा सैट	144	5	3
2003-2004	6		91	8	9
2004-2005	6		115	---शून्य---	---शून्य---
2005-2006	6		98	7	7
2006-2007	6		99	---शून्य---	---शून्य---
योग :			**547**	**20**	

स्त्रोत : विश्वविद्यालय द्वारा संभरित आंकड़े

दिशानिदेशों के अनुसार संस्थान ने 33 प्रतिशत की न्यमूनतम सफलता दर प्राप्त करनी थी।

यह पाया गया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में 2002-2007 के दौरान विद्यार्थियों की सफलता दर शुन्य तथा नौ प्रतिशत के मध्य थी। अवैतनिक निदेशक, पूर्व-परीक्षा अनुशिक्षण केन्द ने बताया (अप्रैल 2007) कि विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अनुशिक्षण दिया गया तथा सफलता दर सम्बन्धित परीक्षा में उनके निष्पादन पर निर्भर थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यदि अनुशिक्षण उत्तम होता तो ऐसा उनके परिणामों से प्रकट हो जाता ।

3.1.14 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की मैरिट का उन्नयन करने हेतु स्कीम

भारत सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को IX से XII तक कक्षाओं में उपचारी तथा विशेष अनुशिक्षण देकर उनकी मैरिट का उन्नयन करने हेतु स्कीम प्रारम्भ की। स्कीम के अंतर्गत राज्य को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता तथा प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 15,000 रू0 का पैकेज अनुदान प्रदान किया जाना था। स्कीम के अंतर्गत IX से XII तक प्रत्येक कक्षा को भारत सरकार द्वारा 1,045 छात्रवृतियां संस्वीकृत की गई थी। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों को इस स्कीम के अंतर्गत विशेष अनुशिक्षण देने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, सराहन (जिला सिरमौर) को चिन्हित किया था । प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के छः तथा अनुसूचित जनजाति के एक विद्यार्थियों को अनुशिक्षण दिया जाना था।

यह पाया गया कि निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने 2002-2007 के दौरान इस स्कीम का कार्यान्व्यन नहीं किया था । इसके फलस्वरूप 35 विद्यार्थियों (अनुसूचित जाति: 30 तथा अनुसूचित जनजाति: पांच) को अभिप्रेत लाभों से वंचित करने के अतिरिक्त 21 लाख[15] रू0 के सहायता अनुदान की हानि हुई । निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने बताया (मई 2007) कि 2002-2003 के बाद किसी भी विद्यार्थी ने इस स्कीम का चयन नहीं किया था, क्योंकि सम्बन्धित चयनित विद्यार्थियों के माता-पिता अपने बच्चों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, सराहन में भेजने हेतु इच्छुक नहीं थे तथा यह पाठशाला अन्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रभावी क्षेत्रों से काफी दूरी पर स्थित है। उत्तर स्वीकार्य नही है, क्योकि राज्य सरकार ने स्वयं ऐसी पाठशाला का

15 15000 x 7 विद्यार्थी x 4 कक्षाएं x 5 वर्ष = 21 लाख रू0

चयन किया था जहां पर नहीं पहुंचा जा सकता था। अत: पाठशाला का चयन करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था कि क्या उस पाठशाला तक में पहुंचना सम्भव था। इस प्रकार 2002-2007 के दौरान विभाग स्कीमों का कायन्वियन करने में विफल रहा , जिसके फलस्वरूप 35 विद्यार्थी अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे ।

3.1.15 निम्न साक्षरता वाले स्थानों मे शैक्षणिक परिसर

3.1.15.1 एक गैर सरकारी संगठन को सहायता का निष्फल निस्तारण

दिशानिदेशों के अनुसार 10 प्रतिशत से कम साक्षरता दर वाले शिनाख्तकृत जिलों में जनजातीय लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से राज्य सरकार ने एक स्कीम "निम्न साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसर" प्रारम्भ की। भारत सरकार इस स्कीम का शत-प्रतिशत आधार पर निधीयन कर रही है।

सलोगड़ा (सोलन जिला) में एक शैक्षणिक परिसर चलाने के लिए भारत सरकार ने 2002-2006 के दौरान दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन[16] को सीधे 11.43 लाख रू0 (2002-2003:1.89 लाख रू0; तथा 2003-2004 से 2005-2006 प्रतिवर्ष 3.18 लाख रू0) का सहायता अनुदान निस्तारित किया ।

गैर सरकारी संगठनों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2002-2007 के दौरान अनुसूचित जनजाति की 156 लड़कियों का नामांकन किया गया। इनमें से 27 लड़कियां अन्य राज्यों (झारखंड: 14, उत्तर प्रदेश: 11 तथा मणिपुर: 2) से सम्बन्धित थी तथा 22 लड़कियां अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों सम्बन्धित थी। इस प्रकार 2002-2006 के दौरान उनके भोजन/आवास, वर्दियों तथा पुस्तकों पर किया गया 3.77 लाख रू0 (2002-2003; 1.00 लाख रू0, 2003-2004:0.21 लाख रू0; 2004-2005, 21.00 लाख रू0 तथा 2005-2006: 2.35 लाख रू0) के व्यय का कोई औचित्य नहीं था। 2006-2007 में भारत सरकार ने उक्त गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान निस्तारित नहीं किया था ।

सोलन जिला में इस गैर सरकारी संगठनों को खोलने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार सोलन जिला में महिला साक्षरता दर 67 प्रतिशत तथा जिला में महिला जनजातीय जनसंख्या 1,590 व्यक्ति अर्थात् केवल एक प्रतिशत थी । दूसरी और जनजातीय जनसंख्या से प्रभावित जिले चम्बा, किन्नौर व लाहौल तथा स्पिति जिनमें महिलाओं की साक्षरता दर सोलन जिला से कम थी, (49 तथा 64 प्रतिशत के मध्य) चिहिन्त तथा आवृत नहीं किए गए थे। इस प्रकार निर्धन तथा निरक्षर जनजातीय लड़कियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य की प्राप्ति नही की गई थी। गैर सरकारी संगठनों के आयोजकों ने तथ्य स्वीकार किए तथा बताया (मई 2007) कि भविष्य में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों की लड़कियों का परिसर में नामांकन किया जाएगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए राज्य प्रायोजित छात्रवृति स्कीमों का कार्यान्वयन

3.1.16 डा0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति की श्रेणी के उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों जिन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा में 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त किए थे के लिए शेक्षणिक सत्र 1998-99 से डा0 अंबेदकर मैधावी छात्रवृति योजना प्रारम्भ की। शैक्षणिक वर्ष 2002-03 से 10+1 तथा 10+2 कक्षाओं में छात्रवृति हेतु पात्र बनने के लिए मैट्रिकुलेशन तथा 10+1 परीक्षाओं के लिए प्राप्त अंको की प्रतिशतता बढ़ाकर 72 कर दी गई। स्कीम के अंर्तगत अनुसूचित जाति के 1,000 पात्र विद्यार्थियों जो सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राय: वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में पूर्ण शैक्षणिक वर्ष में 10+1 तथा 10+2 की कक्षाओं में उपस्थित रहे, को प्रतिवर्ष 10,000 रू0 की छात्रवृति देय थी।

---

16 भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली

2002-2007 के दौरान इसके प्रति बजट प्रावधान तथा किए गए व्यय की स्थिति निम्नवत् थी :

तालिका : 3.1.14

(करोड़ रूपए)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	प्रयुक्तता की प्रतिशतता	लाभार्थियों की संख्या जिन्हें छात्रवृति प्रदान की गई		
				10+1 कक्षा	10+2 कक्षा	योग
2002-2003	2.00	1.47	73	अनुरक्षण नहीं किया गया	अनुरक्षण नहीं किया गया	1,467
2003-2004	1.00	0.30	30			301
2004-2005	1.00	0.40	40			399
2005-2006	0.90	0.56	62			559
2006-2007	0.90	0.74		30 सितम्बर 2007 की निर्धारित तिथि के उपरांत 2006-2007 के लिए प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां		
योग :	**5.80**	**3.47**				**2,726**

स्त्रोत : निदेशक, उच्चतर शिक्षा द्वारा संभरित आंकड़े ।

स्कीम के दिशानिदेशों के अनुसार सभी उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा को अपने जिला की संस्थाओं के प्रधानाचार्यो/प्रधानों से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के पूर्ण ब्योरों सहित सूचना का संग्रहण करना अपेक्षित था तथा ऐसे विद्यार्थियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक निदेशक, उच्चतर शिक्षा को प्रस्तुत करने अपेक्षित थे।

नमूना-जांचित आठ जिलों में उप-निदेशक, उच्चतर शिक्षा 2002-2006 के दौरान राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों जिन्होंने दसवीं तथा 10+1 कक्षाओं में 72 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त किए थे, की मैरिट लिस्ट की प्रति प्राप्त नहीं की थी। इसके स्थान पर अन्य/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं से प्राप्त आवेदन पत्र निदेशक, उच्चतर शिक्षा को छात्रवृति प्रदान करने हेतु भेज दिए गए। मैट्रिकुलेशन तथा 10+1 कक्षाओं में 72 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों के प्रतिवर्ष बोर्ड से प्राप्त न किए जाने वाले पूर्ण आंकड़ो के अभाव में कुछ विद्यार्थियों का आच्छादन न किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने सूचित किया (अगस्त 2007) कि बोर्ड से आंकड़े प्राप्त करना तथा निदेशालय के स्तर पर इनका संकलन करना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्कीम का प्रभावशाली कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आंकड़ों का अनुरक्षण किया जाना आवश्यक है।

3.1.17 ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना

ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ठ छात्रवृत्ति योजना राज्य के अनुसूचित जनजाति के समुदाय से सम्बन्धित 100 योग्य लड़कों तथा 100 लड़कियों के लिए थी। राज्य सरकार ने इस स्कीम को शैक्षणिक वर्ष 2000-2001 से प्रारम्भ किया था, स्कीम के अर्न्तगत अनुसूचित जनजाति के वे विद्यार्थी जो प्रतिवर्ष बोर्ड की मार्च/अप्रैल में होने वाली मैट्रिकुलेशन तथा 10+1 परीक्षाओं में 72 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करते हैं तथा जो राज्य के सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजि पाठशालाओं में पढ़ रहे थे, वे छात्रवृति के लिए पात्र थे। प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी छात्रवृति राशि 11,000 रू0 थी।

2002-07 के दौरान बजट प्रावधान तथा इसके प्रति किए गए व्यय की स्थिति निम्नवत थी:

तालिका : 3.1.15

(लाख रूपए)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया बजट प्रावधान	व्यय	आवृत किए गए लाभोगियों की संख्या (लड़के/लड़कियां)
2002-2003	30.00	29.70	270
2003-2004	10.00	6.93	63
2004-2005	20.00	10.01	91
2005-2006	20.00	10.56	96
2006-2007	20.00	30 सितम्बर 2007 के उपरांत अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।	
योग :	**100.00**	**57.20**	**520**

स्रोत: निदेशक, उच्चतर शिक्षा द्वारा संभरित किए गए आंकड़े।

उपर्यक्त तालिका में देखा जाएगा कि वर्ष 2002-03 में 70 विद्यार्थियों को निर्धारित उच्च सीमा से अधिक छात्रवृति प्रदान की गई। इसे इंगित करने पर (मई 2007) निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने बताया की 2002-2003 तक विद्यार्थियों की संख्या की काई उच्च सीमा नहीं थी। उत्तर की पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि लेखापरीक्षा को कोई अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

आठ नमूना जांचित जिलों में उप-निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने प्रतिवर्ष बोर्ड से मैट्रिकुलेशन तथा 10+1 कक्षाओं में 72 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थियों (लड़के तथा लड़कियां) की पूर्ण सूची प्राप्त नहीं की। इसके स्थान पर उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र छात्रवृति प्रदान करने हेतु निदेशक, उच्चतर शिक्षा को अग्रेषित किए गए। पूर्ण आंकड़ों के अभाव में कुछ विद्यार्थियों को आवृत न करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने उक्त परिच्छेद 3.1.17.1 के संदर्भ में जो कारण उल्लिखित है, इसी प्रकार के कारण सूचित किए (अगस्त 2007), जो स्कीम के समुचित कार्यान्वयन में विभाग की शिथिलता प्रकट करते हैं।

3.1.18 महार्षि बाल्मिकी छात्रवृति योजना

राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2000-01 से महार्षि बाल्मिकी छात्रवृति योजना प्रारम्भ की। स्कीम के अंतर्गत बाल्मिकी समुदाय से सम्बन्धित सभी विद्यार्थी लड़कियां जिनके माता-पिता सफाई/मैल दूर करने के व्यवसाय में लगे हुए थे तथा राज्य के वास्तविक अधिवासी थे व 10वीं कक्षा के बाद सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पाठशालाओं में पढ़ रहे थे, वे महाविद्यालय स्तर तक 9000 रू0 प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृति पाने हेतू पात्र थे।

2002-2007 के दौरान बजट प्रावधान तथा इसके प्रति किए गए व्यय की स्थिति निम्नवत थी:

तालिका : 3.1.16

(लाख रूपए)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया बजट प्रावधान	किया गया व्यय	बजट प्रयुक्तता की प्रतिशतता	आवृत किए गए लाभभोगियों की संख्या
2002-2003	10	8.73	87	97
2003-2004	10	8.10	81	90
2004-2005	10	6.66	67	74
2005-2006	17	7.20	42	80
2006-2007	17	7.02	41	78
योग :	64	37.71		419

स्त्रोत : निदेशक, उच्चतर शिक्षा द्वारा संभरित आंकड़ें।

उपलब्ध करवाए गए बजट की उपयोगिता की प्रतिशतता 2002-2003 के दौरान 87 से गिरकर 2006-2007 के दौरान 41 प्रतिशत रह गई। बजट उपयोगिता की गिरावट के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए (जून 2007)।

यह पाया गया कि पात्रता की शर्तें पूर्ण करने वाले शिनाख्तकृत व्यक्तियों की वर्षवार सूची निदेशालय अथवा जिला स्तरों पर तैयार नहीं की गई थी तथा उन लाभ भोगियों को छात्रवृतियां प्रदान की गई थी जिनके प्रमाण पत्रों सहित पूर्ण आवेदन पत्र निदेशालय में प्राप्त हुए। जिला अथवा राज्य स्तर पर पूर्ण आंकड़ो के अभाव में कुछ पात्र लड़कियों विद्यार्थियों का आच्छादन न होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

3.1.19 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

3.1.19.1 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि सूचना प्रबन्धन प्रणाली सही नहीं थी, क्योंकि विभिन्न स्कीमों की वित्तीय तथा प्रत्यक्ष प्रगति व प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए न तो कोई विवरणियां निर्धारित की गई थी और न ही कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा ऐसी विवरणियां जिला व राज्य प्राधिकारियों को ही भेजी गई थी।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के दिशानिर्देशों के अनुसार कमियां दूर करने के लिए किसी स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन करवाया जाना था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि स्कीमों का प्रभाव जानने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अथवा राज्य स्कीमों के संदर्भ में कोई ऐसा मूल्यांकन नहीं किया गया था।

निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने तथ्य स्वीकार किए (अगस्त 2007) तथा यह भी बताया कि छात्रवृति स्कीमों का अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

3.1.20 निष्कर्ष

स्कीमों का कार्यान्वयन करने के लिए योजना किसी विश्वसनीय आंकड़ो पर आधारित नहीं थी, क्योंकि सकल नामांकन अनुपात, पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की सकल दर, तथा लिंग समानता सूचक, आदि जैसे आधारभूत सूचकों का सभी वर्गो के लिए जिला/राज्य स्तर पर अनुरक्षण नहीं किया गया था। छात्रवृतियों का उसी शैक्षणिक वर्ष जिससे यह सम्बन्धित थी, में आहरण व संवितरण नहीं किया गया। सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए लक्ष्य समूहों में स्कीमों का पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दिया गया अनुशिक्षण प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि 2002-07 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफलता की दर शून्य तथा नौ प्रतिशत के मध्य थी। स्कीमों का समुचित कार्यान्वयन तथा अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुश्रवण प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। परिणामत: लक्ष्य समूहो को छात्रवृतियों की अदायगी करने में असाधारण विलंब किए गए, छात्रावासों के निर्माण में विलंब किए गए थे तथा अनुशिक्षण केन्द्र की सफलता दर में सुधार करने के लिए कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार स्कीमों में जिन लाभों पर विचार किया गया था, वे लक्ष्यित लाभभोगियों तक नहीं पहुंचे।

3.1.21 सिफारिशें

- **राज्य सरकार को स्कीम की सफलता के लिए लाभ भोगियों की शिनाख्त करने हेतु कोई प्रभावशाली तथा सही प्रणाली बनानी चाहिए।**
- **प्रस्ताव भेजने, अनुमोदन हेतु मामलों की प्रक्रिया छात्रवृतियों का समय पर संवितरण करने के लिए बजट की संस्वीकृति व प्रत्येक शिक्षा संस्था के पास समय पर राशि जमा करवाने के लिए एक समय अनुसूची निर्धारित की जानी चाहिए। तथा इसे कठोरता से लागू किया जाना चाहिए।**
- **सारे राज्य में प्रभावशाली अभियान किया जाना चाहिए ताकि लक्ष्यित समूहों को इन स्कीमों का पूर्ण लाभ प्राप्त हो।**
- **स्कीमों के कार्यान्वयन तथा निधियों के समुचित उपयोग से सम्बन्धित प्रगति पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिए राज्य/जिला स्तरों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए स्कीमों का निष्पादन करने वाले सभी विभागों द्वारा कोई सूचना प्रबन्धन प्रणाली विकसित तथा निर्धारित की जानी चाहिए।**

जून 2007 में सरकार को निष्कर्षों से अवगत करवाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

3.2 त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

मख्य-मुख्य बातें

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य परम्परागत जल स्त्रोंतो को पुनरूज्जीवित करने के अतिरिक्त पेयजल प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनावृत्त वास क्षेत्रों को आवृत करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के वास क्षेत्रों की प्रास्थिति तथा इस संदर्भ में शिनाख्त को सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2003 तक पूर्ण किया जाने वाला सर्वेक्षण केवल दिसम्बर 2005 में ही पूर्ण किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार सकल लक्ष्यित ग्रामीण वास क्षेत्रों में से 50 प्रतिशत पूर्ण रूप से तथा 37 प्रतिशत आंशिक रूप से पेयजल सुविधाओं से आवृत था, जबकि 13 प्रतिशत को अभी आवृत किया जाना था। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा से वित्तीय कुप्रबन्ध, अनियमित स्टॉक समायोजन, आंतरिक नियन्त्रण अनुश्रवण तथा मूल्यांकन में कमियों के मामले उद्घाटित हुए। कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है:

- *पांच मण्डलों में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आंबटित की गई 3.50 करोड़ रू0 की निधियां 68 जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन पर व्यय की गई, जो कि त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित नहीं थी, जिसके फलस्वरूप निधियों का अपवर्तन हुआ।*

(परिच्छेद 3.2.7.3 (i))

- *अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए चिन्हित 87.86 लाख रू0 का दो मंडलों द्वारा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अन्य क्षेत्रों को अपर्वतन किया गया।*

(परिच्छेद 3.2.7.3 (ii))

- *तीन मण्डलों में अनुमोदित प्राक्कलनों में बिना किसी आवश्यकता/प्रावधान के 1.88 करोड़ रू0 का माल मार्च 2007 में सात जलापूर्ति स्कीमों को बुक किया गया, जहां कि वह अप्रयुक्त पड़ा हुआ था।*

(परिच्छेद 3.2.7.4 (ii))

- *1993-94 के दौरान शिनाख्तकृत आंशिक रूप से आवृत 1,407 आवास क्षेत्रों की मार्च 2007 को पूर्ण आवृति प्रतीक्षित थी।*

(परिच्छेद 3.2.8.2)

- *13.92 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत की अनुमोदित (अगस्त 1999 से अक्तूबर 2004) 255 वास क्षेत्रों की 34 स्कीमें छः से 52 मास के विलंब से 21.46 करोड़ रू0 की लागत पर पूर्ण की गई (अप्रैल 2002 से अप्रैल2007), जिससे 7.54 करोड़ रू0 की अधिक लागत आई।*

(परिच्छेद 3.2.9.5(i))

- *जुलाई 2001 में प्रारम्भ की गई दियोटसिद्ध जलापूर्ति स्कीम जो जुलाई 2005 तक पूर्ण करना अपेक्षित थी, विभाग की निकृष्ट योजना के कारण 3.98 करोड़ रू0 का व्यय करने के उपरांत भी अपूर्ण पड़ी थी।*

(परिच्छेद 3.2.9.6)

3.2.1 परिचय

भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम निम्नवत् उद्देश्यों के लिए प्रारम्भ किया (1977-78):

- सुरक्षित पेयजल की सुविधा सहित सभी ग्रामीण आवास क्षेत्रों की आवृति सुनिश्चित करना;
- पेयजल प्रणाली तथा स्त्रोंतो को बढ़ावा सुनिश्चित करना;
- प्रभावित वास क्षेत्रों में जल गुणवता की समस्या का समाधान करना; तथा
- ग्रामीण पेय जलापूर्ति क्षेत्र में सुधारों की पहल करने को संस्थावादी बनाना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने अनावृत तथा आंशिक रूप से आवृत वास क्षेत्रों की शिनाख्त करते हुए एक बृहत् कार्य योजना तैयार की (1999)। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 1993-94 के दौरान 45,367 वास क्षेत्रों की शिनाख्त की थी, जिनमें से मार्च 2007 को 43,960 वास क्षेत्र पूर्ण रूप से आवृत हो चुके थे तथा शेष केवल 1,407 आंशिक रूप से आवृत थे।

तथापि वास क्षेत्रों की आवृति के संदर्भ में प्रास्थिति, जिसे मार्च 2003 तक भारत सरकार को भेजना अपेक्षित था, की शिनाख्त करने के लिए नवीनतम/अद्यतन सर्वेक्षण को अगस्त 2007 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

3.2.2 संगठनात्मक ढांचा

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए उतरदायी है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:

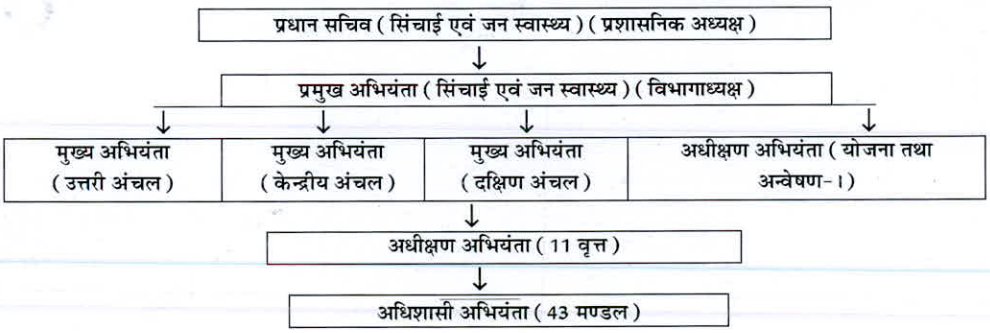

3.2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2002-03 तथा 2006-07 के मध्य त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारम्भ किए गए कार्यकलापों की व्याप्ति की। 138.62 करोड़ रू0 के व्यय की व्याप्ति करने वाले छः जिलों[1] (12 जिलों में से) में कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले 43 मण्डलों में से 12 मण्डलो[2] के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। मंडलों के दृष्टिगत प्रतिदर्श जांच कुल व्यय (480.46 करोड़ रू0) के 29 प्रतिशत की आवृति करते हुए 28 प्रतिशत थी।

1 बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर तथा सोलन

2 बड़सर, बिलासपुर, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, नाहन, नुरपूर, पांवटा साहिब, रामपुर, रोहड़ू, शिमला-I तथा सोलन

3.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नवत् सुनिश्चित करने के लिए त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निर्धारण करना था:

- सभी ग्रामीणवास क्षेत्रों के लिए सुरक्षित पेयजल का प्रावधान किया गया था;
- अधिप्रमाणित तथा विश्वसनीय आंकड़ो के लिए वास क्षेत्रों का प्रभावशाली सर्वेक्षण किया गया था;
- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए योजना की प्रक्रिया प्रभावशाली थी;
- वित्तीय नियंत्रण प्रर्याप्त तथा प्रभावशाली था;
- स्कीमों का निष्पादन मितव्ययी, कार्यकुशल तथा प्रभावशाली रूप से किया गया था तथा
- अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए प्रर्याप्त तथा प्रभावशाली तंत्र विद्यमान था।

3.2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए प्रयुक्त किए गए मख्य मानदंड निम्नवत् थे:

- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए दिशानिर्देश (अगस्त 2000)।
- ग्रामीण वास क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की प्रास्थिति के सर्वेक्षण पर दिशानिर्देश (फरवरी 2003)।
- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत त्वरितता पर स्कीमों तथा परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए दिशानिर्दश।
- परियोजना कार्यान्वयन योजनाएं।

3.2.6 लेखापरीक्षा प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व शीर्ष स्तर की एक संगोष्ठी आयोजित की गई (जून 2007) जिसमें प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग) को त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम की समीक्षा से सम्बन्धित लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंड तथा कार्यक्षेत्र से अवगत करवाया गया। लेखापरीक्षा जांच के लिए इकाईयों का चयन प्रतिस्थापन के बिना साधारण पादृच्छिक प्रतिदर्श प्रणाली का अनुसरण करते हुए किया गया। सितम्बर 2007 में आयोजित की गई अन्तिम संगोष्ठी में प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग) के द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। विभाग के उत्तर उपयुक्त स्थानों पर समीक्षा में अंतर्विष्ट किए गए हैं।

3.2.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.7.1 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। राज्य सरकार को न्यनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1:1 के आधार पर निस्तारित की गई निधियों का मिलान करना अपेक्षित है।

2002-2007 के दौरान निधियों की उपलब्धता तथा उसके प्रति किए गए व्यय की स्थिति निम्नवत् है:

तालिका: 3.2.1

(करोड़ रूपए)

वर्ष	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निस्तारित की गई केन्द्रीय निधियां					न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत निस्तारित की गई राज्य निधियां	
	अथ शेष	वर्ष के दौरान निस्तारित	कुल निधियां	व्यय	अव्ययित बकाया	प्रावधान	व्यय
2002-2003	0.89	82.31	83.20	77.72	5.48	87.95	98.02
2003-2004	5.48	55.90	61.38	60.52	0.86	100.78	102.09
2004-2005	0.86	60.62	61.48	59.17	2.31	100.27	113.66
2005-2006	2.31	122.24	124.55	121.00	3.55	122.80	126.09
2006-2007	3.55	158.75	162.30	162.05	0.25	112.39	159.60
योग:-		**479.82**	**492.91**	**480.46**		**524.19**	**599.46**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सहायता की समस्त राशि बिना किसी विलंब के निष्पादन अभिकरणों को निस्तारित करेगी तथा किसी भी अवस्था में यह विलंब निधियां प्राप्त करने के उपरांत 15 दिन से अधिक नहीं होगा। यह पाया गया कि भारत सरकार द्वारा निस्तारित किए गए 4.52 करोड़ रू0 (जुलाई 2003) प्रमुख अभियंता को लगभग 2 मास के विलंब के बाद भेजे गए इसी प्रकार, निस्तारित किए गए 0.43 करोड़ रू0 (फरवरी 2006) 12 मास से अधिक के विलंब के उपरांत भेजे गए।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि प्रमुख अभियंता ने चार मामलों में 2002-03 (11.52 करोड़ रू0), 2003-04 (24.59 करोड़ रू0) तथा 2006-07 (48.87 करोड़ रू0) के दौरान 84.98 करोड़ रू0 निष्पादन अभिकरणों को निस्तारित करने के लिए 27 दिनों से 138 दिनों तक का समय लिया। प्रमुख अभियंता ने बताया (अगस्त 2007) कि जिन पाठशालाओं में पेयजल की आपूर्ति की जानी थी, उनके विवरण विलंब से प्राप्त होने के कारण विभाग द्वारा लक्ष्यों को अन्तिम रूप देने में देरी लगी जिस वजह से उक्त विलंब हुए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वार्षिक लक्ष्यों को अन्तिम रूप देने के लिए समुचित योजना तथा समन्वय से विलंब दूर किए जा सकते थे।

3.2.7.2 निधियों का अनियमित प्रत्याहार

नियमानुसार किसी भी राशि का तब तक प्रत्याहार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए अपेक्षित न हो। निर्माण कार्य जिन्हें पूर्ण करने में काफी समय लगने की सम्भावना हो, के निष्पादन के लिए भी कोष से अग्रिमों का प्रत्याहार करना अनुमत नहीं है।

(i) यह पाया गया कि सात मण्डलों[3] में सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं द्वारा 13.27 करोड़ रू0[4] का प्रत्याहार (मार्च 2006 तथा मार्च 2007) किया गया तथा जस्ती लोहे की पाइपों तथा सीमेंट का उपार्जन करने के लिए सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य मण्डल, शिमला-1 जो केन्द्रक अभिकरण था (12.09 करोड़ रू0[5]) तथा हिमाचल प्रदेश सिविल आपूर्ति निगम, शिमला (1.18 करोड़ रू0[6]) को अग्रिम के रूप में दिए। माल की प्राप्ति लंबित

3 बड़सर, बिलासपुर, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, पांवटा साहिब तथा सोलन

4 मार्च 2006: 2.44 करोड़ रू0 (सिंचाई मण्डल, शिमला-I: 2.26 करोड़ रू0 तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम: 0.18 करोड़ रू0) तथा मार्च 2007: 10.83 करोड़ रू0 (सिंचाई मण्डल, शिमला-I : 9.83 करोड़ रू0 तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम: एक करोड़ रू0)

5 मार्च 2006: 2.26 करोड़ रू0 तथा मार्च 2007: 9.83 करोड़ रू0

6 मार्च 2006: 0.18 करोड़ रू0 तथा मार्च 2007: एक करोड़ रू0

रखते हुए इन अग्रिम अदायगियों को उचन्त शीर्ष "विविध कार्य अग्रिम" को डेबिट करने के बजाय कार्यात्मक पूंजीगत शीर्ष (13.06 करोड़ रू0) तथा राजस्व शीर्ष (0.21 करोड़ रू0) को व्यय के रूप में अनियमित रूप से प्रभारित किया गया।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि जून 2007 तक केवल 8.98 करोड़ रू0 का माल प्राप्त हुआ था तथा 4.28 करोड़ रू0 का बकाया माल अभी प्राप्त किया जाना था (जुलाई 2007)।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया (जून-जुलाई 2007) कि सम्बन्धित वर्षों की समाप्ति होने के समय निधियां प्राप्त की गई तथा तदनुसार अग्रिम अदायगियां की गई। अग्रिम अदायगियों को अन्तिम व्यय के रूप में प्रभारित करने के बारे में कारण प्रस्तुत नहीं किए गए। अधिशासी अभियंताओं की कार्रवाई अनियमित तथा वित्तीय नियमों के सिद्धातों के विरूद्ध थी।

(ii) इसी प्रकार शिमला-। मण्डल ने जस्ती लोहे की पाइपों का उपार्जन करने के लिए 1.17 करोड़ रू0 का प्रत्याहार किया (मार्च 2007) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम को अग्रिम दे दिया। समस्त राशि को हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम से वापिस ले लिया गया (अप्रैल 2007) तथा इसे "लोक निर्माण निक्षेप शीर्ष" के अंतर्गत जमा करवा दिया गया यद्यपि यह व्यय प्रारम्भ में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम लेखा शीर्ष को प्रभारित किया गया, किन्तु बाद में प्रत्यर्पण लेने पर इसे त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को जमा नहीं करवाया गया। अधिशासी अभियंता ने बताया (जून 2007) कि मार्च 2007 में प्राप्त की गई निधियां प्रयुक्त करने के लिए राशि अंतिम शीर्ष को डेबिट की गई। इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि हिमाचल प्रदेश का निर्धन राज्य त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित की गई निधियां अभ्यर्पित करने की स्थिति में नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि मंडल की कार्रवाई वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लघंन करती है। तथा इसके फलस्वरूप त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय का मिथ्या निरूपण किया गया।

3.2.7.3 निधियों का अपवर्तन

(i) पांच मंडलों[7] में 2002-07 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किए गए 2.06 करोड़ रू0 के व्यय का त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लेखांकन किया गया (मार्च 2003 से मार्च 2007)। पांच अन्य मण्डलों[8] में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित किए गए 3.50 करोड़ रू0 का अपवर्तन किया गया तथा अन्य जलापूर्ति स्कीमों से सम्बन्धित 68 कार्यों पर व्यय किया गया (2005-07) जो कि त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का भाग नहीं थे।

अधिशासी अभियंताओं ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (जून-अगस्त 2007) कि त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियां प्रयुक्त करने के लिए अन्य कार्यो को व्यय डेबिट किया गया।

(ii) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के दिशानिदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए चिन्हित निधियों का अन्य क्षेत्रों को अपवर्तन अनुमत नहीं है। यह पाया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अतर्गत आंबटित (मार्च 2001 से जुलाई 2005 तक) 87.86 लाख रू0 का दो मण्डलों[9] द्वारा कार्यक्रम के अन्य क्षेत्रों को अपवर्तन (फरवरी 2004 से मार्च 2006) किया गया। सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं द्वारा निधियों के अपवर्तन के कोई सशक्त कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

(iii) "राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-प्रधानमंत्री का आख्यापन-जल के परंपरागत स्त्रोतों का पुनरूज्जीवन करने के लिए राज्य सरकार को सहायता अनुदान का निस्तारण" के अन्तर्गत निधियों के विवरण के संदर्भ में राज्य सरकार के अनुदेशों (अक्तूबर 2003) के अनुसार उपायुक्तों द्वारा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाना था तथा इस संदर्भ में प्रस्तावों को सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं के समन्वय से अन्तिम रूप दिया जाना था।

---

7 घुमारवीं, हमीरपुर, पांवटा साहिब, रामपुर तथा रोहडू

8 बड़सर, पांवटा साहिब, रामपुर, रोहडू तथा सोलन

9 घुमारवीं तथा हमीरपुर

सात मण्डलों[10] के अभिलेखों की नमूना-जांच (जून-अगस्त 2007) से उद्घाटित हुआ कि परम्परागत स्त्रोतों को साख पत्र (जनवरी 2004 से मार्च 2005) के माध्यम से 79.33 लाख रू0 निस्तारित किए गए। इनमें से किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए बिना जैसा कि अपेक्षित था, चार मण्डलों[11] द्वारा चार उपायुक्तों[12] को 45 लाख रू0 का अंतरण फिर किया गया (जनवरी 2004 से मार्च 2005)। इस राशि के प्रति उपायुक्त सोलन से केवल 10.15 लाख रू0 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए थे तथा 34.85 लाख रू0 के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे। 34.33 लाख रू0 की शेष निधियां 'परंपरागत स्त्रोतों का पुनर्जीवन' क्षेत्र के अन्तर्गत आवृत न किए गए अन्य विभिन्न त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम कार्यों पर प्रयुक्त की गई।

3.2.7.4 भण्डारों का अनियमित समायोजन

वित्तीय नियमों में विनियोजन से अधिक परिव्यय का परिहार करने के लिए अनापेक्षित अथवा वास्तविक आवश्यकता से अधिक खरीदे गए माल की लागत को जाली समायोजन से जैसे कि किसी कार्य के प्रति डेबिट कर देना निषिद्ध है।

(i) पांच मण्डलों[13] में जून 2003 तथा मार्च 2007 के मध्य 48 कार्यों के प्रति 2.69 करोड़ रू0 के मूल्य की जस्ती पाइपें तथा इस्पात की जाली बुकिंग की गई। अनुवर्ती वित्त वर्ष में इस समस्त माल को स्टॉक शीर्ष में पुन: वापिस लिया गया, क्योंकि इन कार्यों पर प्रयुक्त करने के लिए इस माल की आवश्यकता नहीं थी। वित्त वर्ष के अन्त में केवल निधियों के अभ्यपर्ण का परिहार करने हेतु स्टॉक समायोजन किए गए, जोकि अनियमित है।

(ii) तीन मण्डलों[14] में 1.88 करोड़ रू0 की लागत की जस्ती पाइपें सात जलापूर्ति स्कीमों को बुक की गई (मार्च 2007)। यह पाया गया कि अधिशासी अभियंता सोलन मण्डल द्वारा 92.98 लाख रू0 मूल्य की जस्ती पाइपें दो पूर्ण की गई स्कीमों के प्रति बुक की गई, शेष पाइपें बिना किसी आवश्यकता के कार्यों के प्रति बुक कर दी, जबकि उन कार्यों के संस्वीकृत प्राकलनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगस्त 2007 तक सारा माल कार्यों के सम्बन्धित 'स्थल पर पड़े माल से सम्बन्धित लेखा' रजिस्टरों में अप्रयुक्त पड़ा हुआ था।

अधिशासी अभियंताओं ने बताया (जून-अगस्त 2007) कि वर्ष समाप्त होने के निकट प्राप्त हुई निधियां प्रयुक्त करने के लिए माल की जाली बुकिंग की गई। अधिशासी अभियंता की कार्रवाई वित्तीय नियमों के विरूद्ध थी तथा इसके फलस्वरूप स्टॉक की प्रयुक्ति का मिथ्या निरूपण हुआ।

3.2.8 योजना तथा प्रत्यक्ष निष्पादन

3.2.8.1 वार्षिक कार्रवाई योजनाएं

राज्य सरकार को वित्त वर्ष के प्रारम्भ होने से छ: मास पूर्व भारत सरकार के कैप-99 पर आधारित वार्षिक कार्रवाई योजनाएं बनाना तथा भारत सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। 2002-05 की वार्षिक कार्रवाई योजनाएं नहीं भेजी गई, जबकि 2005-06 तथा 2006-07 की वार्षिक कार्रवाई योजनाएं पूर्ववर्ती वर्ष के अक्तूबर में भेजने के बजाय क्रमश: केवल मई 2005 तथा मई 2006 में भेजी गई। इन वर्षों से सम्बन्धित निधियों की मांग दिशानिर्देशों की पूर्ण उपेक्षा करते हुए तदर्थ अनायोजित आधार पर भेजी गई।

3.2.8.2 वास क्षेत्रों की व्याप्ति

1981 की जनगणना के अनुसार गणित किए गए राज्य के सभी 16,807 गांवों को पेयजल सुविधाएं मार्च 1994 तक प्रदान की गई है। उसके पश्चात् विभाग ने अपना ध्यान गांवों से वास क्षेत्रों की ओर परिवर्तित किया। 1993-94 के दौरान 45,367 वास क्षेत्रों जिन्हें पेयजल सुविधाएं प्रदान की जानी थी, की शिनाख्त की गई। इनमें से 34,041 वास क्षेत्र मार्च 2002 तक पूर्ण रूप से आवृत्त थे। शेष 11,326 वास क्षेत्रों (आंशिक रूप से आवृत: 10,252 तथा अनावृत: 1,074) में से 2002-07 के दौरान 10,046 वास क्षेत्र (आंशिक रूप से आवृत: 8,972

---

10 बड़सर, बिलासपुर, घुमारवीं, हमीरपुर, रामपुर, रोहड़ू तथा सोलन

11 बिलासपुर, हमीरपुर, रोहड़ू तथा सोलन

12 बिलासपुर (10.50 लाख रू0), हमीरपुर (13.15 लाख रू0), शिमला (तीन लाख रू0) तथा सोलन (18.35 लाख रू0)

13 देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, नाहन तथा रोहड़ू

14 नाहन, रोहड़ू तथा ऊना

तथा अनावृत: 1,074) आवृति हेतु लक्ष्यित थे, जबकि शेष 1,280 वास क्षेत्र लक्ष्यित नहीं थे। कुल लक्ष्यित 10,046 वास क्षेत्रों में से मार्च 2007 को 9,919 वास क्षेत्र आवृत हुए, जबकि 127 वास क्षेत्रों को अभी आवृत किया जाना था। इस प्रकार मार्च 2002 के अंत में बचे हुए 11,326 वास क्षेत्रों में से कुल 1,407 वास क्षेत्रों (1,280 जमा 127) की अभी आवृति की जानी थी (मार्च 2007)। इस संदर्भ में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का वर्षवार विखंडन निम्नवत् है:-

तालिका: 3.2.2

(वासक्षेत्रों की संख्या)

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धियां			(-) कमी (+) आधिक्य
	आंशिक रूप से आवृत	अनावृत	योग	आंशिक रूप से आवृत	अनावृत	योग	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2002-2003	1,350	500	1,850	1,375	500	1,875	(+)25
2003-2004	926	574	1,500	1,077	574	1,651	(+)151
2004-2005	1,760	-	1,760	1,770	-	1,770	(+)10
2005-2006	1,936	-	1,936	1,950	-	1,950	(+)14
2006-2007	3,000	-	3,000	2,673	-	2,673	(-) 327
योग:	**8,972**	**1,074**	**10,046**	**8,845**	**1,074**	**9,919**	**(-) 127**

स्त्रोत: विभागीय आंकड़े

3.2.8.3 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार वास क्षेत्रों की आवृति

सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के संदर्भ में ग्रामीण वास क्षेत्रों की सही स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों में पुन: सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2001)। मार्च 2003 में सर्वेक्षण के परिणाम भारत सरकार को प्रयुक्त किए जाने थे। दिशानिर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया था कि 2003-04 से त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत भविष्य में निधियन के लिए समय पर सर्वेक्षण के आंकड़े प्रस्तुत करना पूर्वापेक्षा होगी तथा विसंगतियों का परिहार करने के लिए सर्वेक्षण करते समय बहुत ध्यान रखा जाना था, क्योंकि सर्वेक्षण के परिणामों की भारत सरकार के स्वतंत्र मूल्यांकनों के द्वारा जांच की जानी थी।

यह पाया गया कि राज्य में सर्वेक्षण का कार्य केवल अगस्त 2003 में प्रारम्भ और दिसम्बर 2005 में सम्पन्न किया गया तथा 34 मासों के विलंब के उपरांत भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया (जनवरी 2006)। सर्वेक्षण के अनुसार पूर्ण रूप से आवृत: 25,756; आंशिक रूप से आवृत: 19,504 तथा अनावृत: 6,588 श्रेणियों के अंतर्गत

राज्य में 51,848 वास क्षेत्र है। अद्यतन/नवीनतम सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित आगामी कार्रवाई योजना विभाग द्वारा अभी बनाई जानी थी (सितम्बर 2007)।

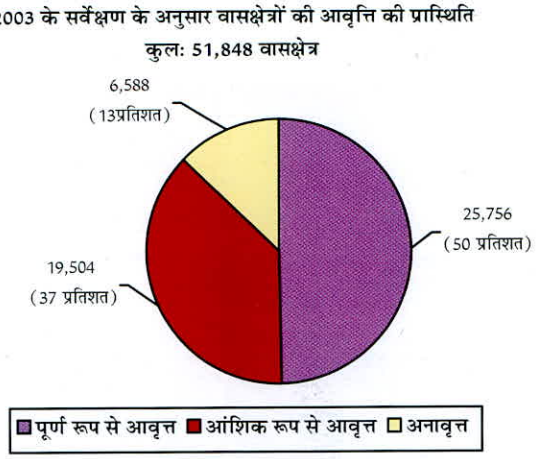

वास क्षेत्रों के जो ब्यौरे विगत काफी वर्षों से छूट गए हुए हैं उन्हें सुनिश्चित नहीं किया जा सका, क्योंकि विभाग द्वारा ब्यौरों का अनुरक्षण नहीं किया गया है।

3.2.9 निर्माण कार्यों का निष्पादन

3.2.9.1 स्कीमों के निष्पादन की प्रास्थिति

2002-2007 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा 3,953 वास क्षेत्रों (आंशिक रूप से आवृत: 3822, अनावृत: 131) के लिए 238.33 करोड़ रू0 की 834 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमें अनुमोदित की गई, जिन्हें एक से चार वर्ष में पूर्ण किया जाना था।

इस स्कीमों की प्रास्थिति से सम्बन्धित सूचना प्रमुख अभियंता के पास उपलब्ध नहीं थी। 12 नमूना जांचित मण्डलों में 156.82 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत की 3,647 वासक्षेत्र[15] आवृत करने वाली 372 स्कीमों जिनका 2002-2007 के दौरान निष्पादन प्रारम्भ किया गया था, में से 1,006 वासक्षेत्रों[15] को आवृत करने वाली 178 स्कीमें मार्च 2007 तक 48.55 करोड़ रू0 की लागत पर पूर्ण की गई थी। 2,641 वासक्षेत्रों[15] की शेष 194 स्कीमें 90.07 करोड़ रू0 का व्यय करने के उपरांत अगस्त 2007 को प्रगति पर थीं।

3.2.9.2 निर्माण कार्यों पर अनियमित व्यय

मण्डलों की नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया बहुत से निर्माण कार्य बिना तकनीकी संस्वीकृति (संस्वीकृत प्राकलन) के प्रारम्भ किए गए। इनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया जाता है:-

(i) नौ नमूना-जांचित मण्डलों[16] में संस्वीकृत प्राकलन तैयार किये बिना तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी रूप से संस्वीकृत करवाये बिना 237 जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन पर 2002 से 2007 के दौरान 83.46 करोड़ रू0 व्यय किए गए। इस प्रकार इन निर्माण कार्यों पर अपेक्षित तकनीकी संस्वीकृति लिये बिना किया गया व्यय अनियमित था।

(ii) ग्यारह मण्डलों[17] में 40.41 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत की 106 जलापूर्ति स्कीमों के संदर्भ में 2002-07 के दौरान 59.60 करोड़ रू0 का व्यय किया गया, किन्तु अगस्त 2007 तक संशोधित प्राकलन तैयार

15 मण्डलों द्वारा आपूरित की गई सूचना

16 बड़सर, बिलासपुर, घुमारवीं, हमीरपुर, नाहन, रामपुर, रोहड़ू, शिमला तथा सोलन

17 बड़सर, बिलासपुर, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, नाहन, पांवटा साहिब, रामपुर, रोहड़ू, शिमला तथा सोलन

नहीं किए गए और संस्वीकृत नहीं करवाये गये। इसके फलस्वरूप अनुमोदित प्रावधानों से अधिक किया गया 19.19 करोड़ रू0 का अनियमित व्यय हुआ।

(iii) 10 नमूना-जांचित मण्डलों[18] में राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के द्वारा 16 करोड़ रू0 की 58 जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन हेतु निदर्श (प्रोफार्मा)अनुमोदन प्रदान किए गए (मार्च 1999 से मार्च 2004)। सभी स्कीमें 24.35 करोड़ रू0 की लागत पर पूर्ण की गई थीं (मार्च 2003 से जून 2007 तक) जिसके फलस्वरूप 8.35 करोड़ रू0 का अधिक व्यय हुआ। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का उल्लघंन करते हुए अधिक व्यय की पूर्ति त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम से सम्बन्धित निधियों से की गई।

अधिशासी अभियंताओं ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (जून-अगस्त 2007) कि उक्त मामलों में किए गए अनियमित व्यय की सक्षम प्राधिकारियों से संस्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाएगा। अधिशासी अभियंताओं के उत्तर स्कीमें प्रारम्भ करने से पूर्व समुचित योजना का अभाव दर्शाते है।

3.2.9.3 रोके गए निर्माण कार्य पर निष्फल व्यय

चार मण्डलों[19] में छः जलापूर्ति स्कीमों का 1.75 करोड़ रू0 में प्रशासनिक अनुमोदन किया गया (मार्च 2002 से दिसम्बर 2003)। ये स्कीमें जिन्हें दो से चार वर्षों के मध्य पूर्ण करना निर्धारित था, तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना इनका निष्पादन प्रारम्भ किया गया (अप्रैल 2002 से मार्च 2004)। अप्रैल 2007 तक उन पर 1.81 करोड़ रू0 का व्यय किया जा चुका था। यह पाया गया कि जल-स्त्रोंतो, पम्प हाऊस के निर्माण के लिए अपेक्षित निजि भूमि, संप वैल्ल, मुख्य संग्रह टैंक तथा राइजिंग मेन के बिछाने से सम्बन्धित विवादों के कारण स्कीमों का निष्पादन रोक दिया गया था (जुलाई 2003 से अप्रैल 2007)।

सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं ने तथ्यों की पुष्टि की तथा बताया (जून-जुलाई 2007) कि स्त्रोतों पर विवाद निपटाने अथवा विवाद ग्रस्त भूमि का अर्जन करने हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इस प्रकार लाभभोगियों को अभिप्रेत लाभ प्रदान न करने के अतिरिक्त दोषपूर्ण योजना तथा विभाग द्वारा निष्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व विवाद मुक्त जल स्त्रोतों और भूमि का अर्जन सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप इन अपूर्ण कार्यों पर 1.81 करोड़ रू0 का निष्फल व्यय हुआ।

3.2.9.4 विद्युत की आपूर्ति न किए जाने के कारण स्कीमों का प्रवर्तन नहीं हुआ

दो मण्डलों[20] में 1.07 करोड़ रू0 में तीन जलापूर्ति स्कीमों का निष्पादन अनुमोदित किया गया (मार्च 2001 से मार्च 2002)। ये स्कीमें जो चार वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण करनी अपेक्षित थी, का मार्च 2002 तथा नवम्बर 2003 के मध्य निष्पादन प्रारम्भ किया गया।

यह पाया गया कि तीनों स्कीमें 1.63 करोड़ रू0 (विद्युत की आपूर्ति के लिए मार्च 2002 से अगस्त 2005 के दौरान हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड को अदा किए गए 9.30 लाख रू0 सहित) का व्यय करने के उपरांत जुलाई 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य पूर्ण की गई थी, किन्तु जल की आपूर्ति न होने के कारण ये स्कीमें चालू नहीं की जा सकी (जुलाई 2007)।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं ने बताया (जुलाई 2007) कि हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत आपूर्ति करवाने हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

इस प्रकार विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण पूर्ण की गई स्कीमों को प्रारम्भ नहीं किया जा सका तथा लाभग्राही पेयजल की सुविधा से वंचित रहे।

3.2.9.5 समय तथा लागत का अधिक होना

(i) सभी नमूना-जांचित मण्डलों में 29.69 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत 630 वासक्षेत्रों की 64 जलापूर्ति स्कीमों, जिन्हें दो से पांच वर्ष के भीतर पूर्ण करना अधिसूचित था, का निष्पादन अप्रैल 2000 से मार्च

---

18 बड़सर, बिलासपुर, घुमारवीं, हमीरपुर, नाहन, पांवटा साहिब, रामपुर, रोहड़ू, शिमला तथा सोलन

19 बिलासपुर, घुमारवीं, रोहड़ू तथा शिमला

20 बड़सर तथा बिलासपुर

2007 के मध्य प्रारम्भ किया गया। इनमें से अनुमोदित (अगस्त 1999 से अक्तूबर 2004) तथा 13.92 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत की 255 वासक्षेत्रों की 34 स्कीमों में छ: से 52 मास के विलंब के उपरांत 21.46 करोड़ रू0 की लागत पर पूर्ण की गई (अप्रैल 2002 से अप्रैल 2007) जिससे 7.54 करोड़ रू0 की अधिक लागत आई। अनुमोदित (मार्च 2000 से फरवरी 2007) तथा 15.77 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत की दो से चार वर्षों के मध्य पूर्ण की जाने वाली 375 वासक्षेत्रों के लिए 30 स्कीमें 21.94 करोड़ रू0 का व्यय करने के उपरांत, प्रगति पर थीं। 6.18 करोड़ रू0 की अधिक लागत तथा पांच से 30 मास का अधिक समय लगा।

(ii) दो मण्डलों[21] में 1.19 करोड़ रू0 की तीन जलापूर्ति स्कीमों का निर्माण अनुमोदित (मार्च 2001 से अक्तूबर 2002) किया गया, जिसे पूर्ण करने की निर्धारित अवधि एक से चार वर्ष के मध्य की थी। स्त्रोंतो से सम्बन्धित विवादों के कारण अगस्त 2007 तक इन कार्यों का निष्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया, जबकि मार्च 2001 तथा फरवरी 2005 के मध्य 26.78 लाख रू0 के मूल्य का माल इन कार्यों के निष्पादन की प्रत्याशा में इन कार्यों को बुक किया गया था जोकि अभी भी अप्रयुक्त पड़ा हुआ था (अगस्त 2007)।

सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं ने अधिक समय लगने का कारण भूमि विवाद, स्थानीय लोगों द्वारा अड़चने खड़ी करना आदि तथा अधिक लागत का कारण माल तथा श्रम की दरों में वृद्धि बताया (जुलाई-अगस्त 2007)। अधिशासी अभियंताओं के उत्तर विभाग द्वारा स्कीमों का निष्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व समुचित योजना बनाने में उनकी विफलता तथा भूमि का अर्जन करने में भी विलंब इंगित करता है।

3.2.9.6 जलापूर्ति स्कीम, दियोट सिद्ध पर निष्फल व्यय

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग दियोटसिद्ध (जिला हमीरपुर) के आंशिक रूप से आवृत वासक्षेत्रों के लिए 5.04 करोड़ रू0 की उठाऊ जलापूर्ति स्कीम संस्वीकृत (जून 2001) की। इस स्कीम ने 1991 की जनगणना के अनुसार 124 आंशिक रूप से आवृत वासक्षेत्रों के 66 गांवों को जल सुविधाएं प्रदान करनी थी तथा इसे चार वर्षों में पूर्ण किया जाना था। उपयुक्त अधोसंरचना का सृजन करके सरयाली खड्ड नामक स्त्रोत से जल उठाने का प्रस्ताव था।

बड़सर मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ (जुलाई 2007) कि तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना निष्पादन हेतु प्रारम्भ किया गया (जुलाई 2001) कार्य छ: वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद अपूर्ण पड़ा था (अगस्त 2007)। अगस्त 2007 तक स्कीम के निष्पादन पर 3.98 करोड़ रू0 का व्यय किया जा चुका था।

आगे यह देखा गया कि जल-औपचारिक संयंत्र के कार्य का निर्माण एक ठेकेदार को 49.47 लाख रू0 में 12 महीनों की अवधि में समाप्त करने के लिए सौंपा गया (फरवरी 2005)। जल-औपचारिक संयंत्र के अभिकल्प एवं रेखाचित्र का अनुमोदन उच्च प्राधिकारियों से प्रतीक्षित (अगस्त 2007) था। परिणामत: ठेकेदार द्वारा कार्य आरम्भ नहीं किया गया था। इसी प्रकार विलम्ब के कारण पहले वाली संविदा के विखण्डन के पश्चात (नवम्बर 2002) राइजिंग मेन के उपलब्ध करवाने/बिछाने तथा जोड़ने/परीक्षण करने सम्बन्धी कार्य को पुन: एक ठेकेदार को निष्पादन हेतु दिया गया (फरवरी 2007)।

स्कीम के एक अन्य मुख्य घटक यथा मुख्य भण्डारण टैंक का निर्माण करना भूमि विवाद के कारण असम्भव प्रतिवेदित किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत की आपूर्ति सम्बन्धी कार्य आरम्भ नहीं किया गया था।

अत: योजना तथा निष्पादन में पाई जाने वाली कमियों के मध्य नजर परियोजना की पूर्णता में विलम्ब हुआ। आंशिक निष्पादन पर किया गया 3.98 करोड़ रू0 का व्यय अभिकल्पित उद्देश्यों की पूर्ति न करने कारण निष्फल रहा।

अधिशासी अभियंता ने तथ्यों की पुष्टि की तथा बताया (जुलाई 2007) कि घटकवार तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है तथा समस्त कार्य हेतु विस्तृत आकलन तैयार करने के बाद अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि तकनीकी स्वीकृति कार्यारम्भ से पहले अपेक्षित है। आगे समयावधि की बढौतरी के साथ कार्य अभी अपूर्ण है। यह भी ज्ञात नहीं कि क्या कार्य अपेक्षित संस्वीकृति में ही पूर्ण हो जाएगा।

---

21 बिलासपुर तथा रोहडू

3.2.10 परिचालन एवं अनुरक्षण

दिशानिदेशों के अनुसार त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित सकल निधियों में से 15 प्रतिशत वर्तमान जलापूर्ति स्कीमों के परिचालन व अनुरक्षण पर व्यय किया जाना था। परिचालन व अनुरक्षण की उद्दृष्ट निधियां पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन पर व्यय की जानी अनुमत नहीं हैं।

यह पाया गया कि त्वरित ग्रामीण जलापूति कार्यक्रम के अन्तर्गत 2002-07 के दौरान केन्द्र द्वारा निस्तारित 479.82 करोड़ रू0 में से 71.97 करोड़ रू0 पूर्ण की गई स्कीमों के परिचालन व अनुरक्षण पर व्यय किए जाने थे। तथापि विभाग ने 15 प्रतिशत के बजाय 2002-07 के दौरा सकल आवंटन के 10 से 13 प्रतिशत तक के मध्य 58.14 करोड़ रू0 का व्यय किया। जाहिर है कि दिशा निदेशों के विपरीत वर्तमान जलापूर्ति के परिचालन व अनुरक्षण हेतु अपेक्षित निधियां नई जलापूर्ति स्कीमों के आरम्भ करने पर व्यय की गई।

3.2.11 अन्य कमियां

3.2.11.1 ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता

संविदा अनुबन्ध के अनुसार एक ठेकेदार को सौंपा गया कार्य अनुबंधित समय सीमा में सम्पूर्ण हो जाना चाहिए। विफल रहने पर ठेकेदार विलम्ब के लिए एक प्रतिशत प्रतिदित की दर पर निविदित राशि को अधिकतम दस प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति की अदायगी को दायी है।

यह पाया गया कि सात मण्डलों[22] में दिसम्बर 2002 तथा मार्च 2007 के मध्य 76 कार्य (पूर्ण किए गए: 30 कार्य तथा प्रगति पर: 46 कार्य) 5.35 करोड़ रू0 की निविदित लागत पर विभिन्न ठेकेदारों को सौंपे गए। ठेकेदारों ने कार्यों को 15 दिनों से 6 माह तक की अवधि में पूर्ण करना था। तथापि, ठेकेदारों ने न तो अनुबंधित समय-सीमा में सम्बद्ध कार्य पूरे किए न ही समयावधि की मांग की। अधिशासी अभियंता ने भी अपेक्षित क्षतिपूर्ति के उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 53.53 लाख रू0 की अनुचित सहायता दी गई।

अधिशासी अभियंता ने तथ्यों की पुष्टि की (जून-अगस्त 2007) परन्तु गलती के लिए कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किए।

3.2.11.2 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का प्राप्त न होना

नौ मण्डलों[23] ने 1,717 बस्तियों को 106 उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों के लिए विद्युत की आपूर्ति करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 7.32 करोड़ रू0 अग्रिम में दिए थे (मार्च 2002-मार्च 2007)। व्यय को कार्यों के निष्पादन न किए जाने तक उचन्त शीर्ष विविध निर्माण कार्य अग्रिम को प्रभारित करने के बजाय व्यय कार्यों के अंतिम लेखाशीर्ष में डेबिट कर दिया। कुल 106 स्कीमों में से 348 बस्तियों के लिए पूर्ण की गई 18 स्कीमों को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत आपूर्ति की गई। शेष 88 स्कीमों के 1,369 बस्तियों के लिए कार्य अभी प्रगति पर थे। अग्रिम भुगतान के संदर्भ में प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को जुलाई 2007 तक प्राप्त नहीं किया गया था।

अधिशासी अभियंताओं ने बताया (जून-अगस्त 2007) कि अग्रिम भुगतान को उपलब्ध बजट आवंटन की प्रयुक्ति दर्शाने के लिए अंतिम लेखाशीर्ष को प्रभारित किया गया था तथा प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही थी। धारणा तर्क संगत नहीं है क्योंकि मण्डल की कार्रवाई वित्तीय नियमों तथा कार्यक्रम के दिशानिदेशों के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी।

3.2.12 गुणवत्ता नियंत्रण

3.2.12.1 जल के गुणवत्ता परीक्षणों में कमी

विभागीय अनुदेशों के अनुसार ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के पेयजल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रयोगशालाओं में वर्षा ऋतु में तथा उसके पश्चात मासिक रूप से प्रतिदर्श परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। लोक लेखा समिति ने अपने 167वें प्रतिवेदन (नवीं विधानसभा) में उद्धृत किया (मार्च 2000) कि राज्य में पेयजल के परीक्षण से सम्बन्धित व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी तथा सिफारिश की थी कि किसी गंभीर बीमारी से बचने हेतु प्रभावशाली कदम उठाए जाने चाहिए।

---

22 बड़सर, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, रोहड़ू, शिमला तथा सोलन

23 बड़सर, बिलासपुर, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, नाहन, रोहड़ू, शिमला तथा सोलन

नौ मण्डलों[24] के अभिलेखों की नमूना-जांच से उदघाटित हुआ कि 130 स्कीमों के संदर्भ में 2002-07 के दौरान अपेक्षित 3,930 जल परीक्षणों के प्रति केवल वास्तव में 478 जल परीक्षण करने के परिणामस्वरूप 88 प्रतिशत की कमी रही।

तीन अन्य मण्डलों[25] की नमूना-जांच में आगे यह ध्यान में आया कि 2002-07 के दौरान पूर्ण 43 जलापूर्ति स्कीमों के संदर्भ में 1,539 परीक्षण किए जाने अपेक्षित थे। यद्यपि, सम्बद्ध अधिशासी अभियंताओं ने बताया कि जल परीक्षण मानकों के अनुसार किए जा रहे थे, इसके परिणाम में कोई विलेखित प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाए गए।

इस प्रकार, जल परीक्षणों की अपर्याप्तता के कारण, लाभार्थियों को आपूरित जल गुणवत्ता को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

3.2.12.2 हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम को अनुचित वित्तीय लाभ

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, जल परीक्षण प्रयोगशाला, कण्डाघाट को परीक्षण उपस्करों के सुधारीकरण/उन्नयन हेतु अधिशासी अभियंता, सोलन मण्डल को 19.35 लाख रू0 की राशि आवंटित की गई (दिसम्बर 2005)। अभिलेखों की छानबीन से उदघाटित हुआ (जून 2007) कि प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश सिविल आपूर्ति निगम को प्रयोगशाला के उपस्करों का उपर्जान करने के लिए 19.35 लाख रू0 का भुगतान किया गया (मार्च 2006)। तथापि, जून 2007 तक न तो सामग्री आपूरित की गई थी और न ही निगम द्वारा राशि को वापिस किया गया था।

अधिशासी अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2007) कि हिमाचल प्रदेश सिविल आपूर्ति निगम के पास जमा 19.35 लाख रू0 को वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि अन्य फर्मों को शीर्घ ही नए आपूर्ति आदेश जारी किए जा रहे थे। आगे, यह बताया गया कि जल परीक्षण हेतु उपस्करों की प्रयुक्तता चाहे अंतिम कगार पर हो आमतौर पर जल परीक्षण किए जा रहे थे। अधिशासी अभियंता का उत्तर इंगित करता है की हिमाचल प्रदेश सिविल आपूर्ति निगम को अग्रिम में उपस्करों के उपार्जनार्थ अग्रिम के रूप में निधियां प्रदान करने का पर्याप्त औचित्य नहीं था।

2005-06 के दौरान निधियों की उपलब्धता के बावजूद वांछित उपस्करों का उपार्जन न होने के परिणामस्वरूप मण्डल के जल परीक्षण प्रयोगशाला में सुधारीकरण/उन्नयन में विफल रहने से हिमाचल प्रदेश सिविल आपूर्ति निगम को अनुचित वित्तीय लागत तथा सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ।

3.2.13 परिसम्पत्तियों की वस्तुसूची

दिशानिदेशों के अनुसार, प्रत्येक ग्रामीण खण्ड तथा जिला को त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित किए गए पेयजल स्रोतों सम्बन्धी परिसम्पत्तियों की वस्तुसूची अनुरक्षित करनी अपेक्षित होती है जिसमें परियोजना के आरम्भ एवं पूर्ण किए जाने की तिथि, पूर्णता की लागत, स्थल स्रोत के मामले में गहराई, परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु जिम्मेवार अभिकरण तथा अन्य संगत ब्यौरों को इंगित किया जाना आवश्यक है। सृजित परिसम्पत्तियों की वस्तुसूचियां कार्यान्वयित विभाग के क्षेत्रीय कर्मियों के पास उपलब्ध होनी आवश्यक है। तथापि, नमूना-जांचित मण्डलों में यह ध्यान में आया कि सृजित परिसम्पत्तियों के अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

अधीक्षण अभियंता (योजना एवं अन्वेषण-।) ने बताया (सितम्बर 2007) कि वस्तूसूची तैयार करने का कार्य प्रगति पर था।

3.2.14 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

प्रगति पर चल रहे निर्माण कार्यों की समयबद्ध पूर्णता अनुमोदित विनिर्देशनों के अनुसार सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख अभियंता द्वारा निर्माण कार्यों के निरीक्षणार्थ जून 1994 तथा अप्रैल 2000 में अनुदेश जारी किए गए थे। इन अनुदेशों के अनुसार, अधिशासी अभियंता द्वारा निर्माण स्थल का महीने में एक बार दौरा करना तथा अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणियों को प्रमुख-अभियंता तथा विभाग के सचिव को आगे पारेषण करना अपेक्षित था।

---

24 बिलासपुर, घुमारवीं, नाहन, नूरपुर, पांवटा साहिब, रामपुर, रोहड़ू, शिमला तथा सोलन

25 बड़सर, देहरा तथा हमीरपुर

तथापि, 12 नमूना-जांचित मण्डलों में यह ध्यान में आया कि 2002-07 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे 343 निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता द्वारा किए जाने वाले नियत 4,116 अभिकल्पित निरीक्षणों में से केवल 502 निरीक्षण किए गए जिसके परिणामस्वरूप 88 प्रतिशत की कमी रही। स्पष्टतया, निर्माण कार्यों का पर्याप्त रूप से निरीक्षण नहीं किया गया।

प्रत्येक कार्य, समय से सम्बन्धित लक्ष्यों, लागत, सेवाओं, इत्यादि की सुनिश्चितता को प्राप्त करने हेतु प्रमुख अभियंता द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन पूर्ण करने हेतु प्रभावशाली अनुश्रवण करना अपेक्षित था। यह ध्यान में आया कि सूचना एकत्रीकरण के लिए जलापूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन के संदर्भ में राज्य मुख्यालय पर अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में राज्य अनुश्रवण तथा अन्वेषण इकाई की स्थापना की गई। तथापि, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समबन्ध में अनुश्रवण एवं अन्वेषण इकाई के पास निर्माण कार्यों के निरीक्षण तथा प्रगति प्रतिवेदनों/विवरणियों से सम्बद्ध कोई ब्यौरा नहीं था।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के दिशानिदेशों के अनुसार (अगस्त 2000) राज्य सरकार ने ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन करना था। तथापि, यह ध्यान में आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही बस्तियों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में कार्यक्रम के प्रभाव को निर्धारित करने की दृष्टि से अभी तक (अगस्त 2007) इस प्रकार का अध्यनन नहीं किया गया था।

3.2.15 निष्कर्ष

अगस्त 2003 में शुरू किए गए ग्रामीण बस्तियों के सर्वेक्षण का भारत सरकार से अनुमोदन अभी (सितम्बर 2007) प्रतीक्षित था। इसके अतिरिक्त नवीनतम सर्वेक्षण परिणामों पर आधारित कार्रवाई योजना विभाग द्वारा अभी तैयार की जानी है (सितम्बर 2007)। कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निस्तारित कुछ निधियों को या तो अनियमित रूप से प्रयुक्त किया गया अथवा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित न की गई अन्य स्कीमों को परिवर्तित किया गया। उपलब्ध निधियों को प्रयुक्त करने हेतु अनियमित भण्डार (स्टॉक) समायोजन किया गया था। स्कीमों के निष्पादनार्थ समय एवं लागत वृद्धि हुई। गत वर्षों के दौरान कार्यक्रम पर करोड़ों रू0 खर्च करने के बावजूद भी उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा को सुनिश्चित करने हेतु कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था। अनुश्रवण अप्रभावशाली एवं अपर्याप्त था।

3.2.16 सिफारिशें

- **2003 के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार आवृत्त न की गई सभी तथा आंशिक रूप से आवृत्त बस्तियों को आवृत्त करने हेतु एक निर्णायक कार्य योजना यथाशीघ्र कार्यान्वयित की जानी चाहिए जिससे उन्हें नियत समयावधि में पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके।**
- **वांछित उददेश्यों की पूर्ति हेतु त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से उपलब्ध करवाई गई निधियों की सही उपयोगिता सुनिश्चतता की जानी चाहिए।**
- **कार्यक्रम के लाभकारी तथा कार्यकुशल कार्यान्वयन हेतु आंतरिक नियंत्रण तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।**
- **सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जल गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली का सुधार/उन्नयन करना चाहिए।**
- **कार्यक्रम की निष्पत्ति तथा प्रभार की सीमा को सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।**

प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (सितम्बर 2007) तथा विश्वास दिलाया कि अनुपालना से शीघ्र सूचित करवाया जाएगा।

लोक निर्माण कार्य विभाग

3.3 राष्ट्रीय उच्च मार्ग

मुख्य-मुख्य बातें

राष्ट्रीय उच्चमार्ग, आधुनिकतम सड़क सुरक्षा प्रतिमानों के समानुरूप, राज्य राजधानियों, औद्योगिक नगरों, पर्यटन आकर्षण के स्थानों तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के अन्य स्थानों के मध्य महत्वपूर्ण सड़कें हैं। राष्ट्रीय उच्चमार्गों की निष्पादन लेखापरीक्षा से यह प्रकट हुआ कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय निधियां अधोप्रयुक्त रहीं, जबकि भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के विभिन्न दावे निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने के कारण या तो रोक लिए गए या फिर अस्वीकृत कर दिए गए। राष्ट्रीय उच्चमार्गों के अनुरक्षण हेतु मानकों से अधिक श्रमशक्ति तैनात की गई। समुचित सर्वेक्षण तथा आकलन के अभाव में, समय व धन अधिक लगा, निर्माण कार्य अधूरे रहे तथा निर्माण कार्य प्रदान करने में विलम्ब हुआ। राष्ट्रीय उच्चमार्गों के कार्यक्रम का अनुश्रवण पर्याप्त नहीं था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- *2004-05 के दौरान मूल निर्माण कार्यों हेतु 45 करोड़ रू0 के आवंटन के विरूद्ध, विभाग केवल 39.56 करोड़ रू0 ही प्रयोग कर सका। परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 हेतु आवंटन घटाकर 39 करोड़ रू0 कर दिया गया।*

(परिच्छेद 3.3.7.3)

- *भारत सरकार ने 16.08 करोड़ रू0 रोक लिए जबकि अनुमति रहित मदों पर व्यय के कारण 9.73 करोड़ रू0 अस्वीकृत कर दिए गए। राज्य सरकार को 16.08 करोड़ रू0 के रोक रखे दावे पर नौ प्रतिशत अभिकरण प्रभार के कारण 1.45 करोड़ रू0 की हानि हुई।*

(परिच्छेद 3.3.7.4)

- *राज्य सरकार ने 2002-07 के दौरान राष्ट्रीय उच्चमार्गों के अनुरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक श्रमशक्ति तैनात की, जिसके कारण 17.97 करोड़ रू0 का अप्राधिकृत व्यय हुआ। आगे, राज्य सरकार द्वारा तैनात श्रमशक्ति इसके अपने ही मानकों से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप 7.26 करोड़ रू0 का परिहार्य व्यय हुआ।*

(परिच्छेद 3.3.9.1)

- *सोल्डिंग खड्ड पर पुल के निर्माण में 75 मास का समय आधिक्य तथा 1.02 करोड़ रू0 का लागत आधिक्य हुआ। अधिक व्यय आपदा राहत निधि से अनियमित तौर पर किया गया।*

(परिच्छेद 3.3.8.1)

- *कुल्लू नगर को 25.26 करोड़ रू0 की लागत से पूर्ण किया गया (सितम्बर 2004) उपमार्ग, जिया में पुल के पूर्ण न होने के कारण जिसे सितम्बर 2004 तक पूर्ण किया जाना था, प्रयुक्त नहीं किया जा सका। बाद वाले पुल पर मार्च 2007 तक 14.06 करोड़ रू0 की राशि व्यय की जा चुकी थी।*

(परिच्छेद 3.3.8.2)

3.3.1 परिचय

राष्ट्रीय उच्चमार्ग अधिनियम, 1956 द्वारा भारत सरकार को कुछ उच्चमार्गों को राष्ट्रीय उच्चमार्ग के रूप में घोषित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रीय उच्चमार्ग, आधुनिकतम सड़क सुरक्षा प्रतिमानों के समानुरूप, राज्य-राजधानियों, औद्योगिक नगरों, पर्यटन-आकर्षण के स्थानों तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के अन्य स्थानों के मध्य महत्वपूर्ण सड़के हैं। जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय उच्चमार्गों के विकास तथा रख-रखाव हेतु प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी है और उसे राष्ट्रीय उच्चमार्गों से सम्बन्धित योजनाएं बनाने, परियोजनाएं संस्वीकृत करने तथा केन्द्रीय बजट परिव्यय से निधियों का प्रावधान करने की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिमाचल प्रदेश में उच्चमार्गों के कार्यकलापों का अनुश्रवण चण्डीगढ़ स्थित, अधीक्षण अभियंता द्वारा नियंत्रित, जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय उच्चमार्गों के निर्माण तथा रख-रखाव का वास्तविक कार्य संविधान के अनुच्छेद 258 के प्रावधानों के अन्तर्गत एजेंसी आधार पर राज्य सरकारों को सौंपा गया है, जिसके लिए राज्य सरकार जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय से नौ प्रतिशत एजेंसी-प्रभारों की मांग रखती है। राज्य में इस समय 1,226.781 कि0मी0 की कुल लम्बाई वाले सात राष्ट्रीय उच्चमार्ग हैं। इसके अतिरिक्त, 15.065 कि0मी0 की कुल लम्बाई वाले दो उपमार्ग[1] भी राज्य में निर्माणाधीन हैं। राज्य सरकार की भूमिका मुख्यत: वर्तमान राष्ट्रीय उच्चमार्गों का रख-रखाव करने, स्तरोन्नत करने तथा वाहन योग्य गुणवत्ता में सुधार करने और सामान्य वार्षिक मरम्मत करने की होती है। सात राष्ट्रीय उच्चमार्ग निम्नलिखित हैं:-

(i) राष्ट्रीय उच्चमार्ग-20 पठानकोट-चक्की-मण्डी रोड़ (196.8 कि0मी0)।

(ii) राष्ट्रीय उच्चमार्ग-21 चण्डीगढ़-मण्डी-मनाली रोड़ (228 कि0मी0)।

(iii) राष्ट्रीय उच्चमार्ग-21 ए -पिंजौर-नालागढ़-स्वारघाट रोड़ (48.875 कि0मी0)।

(iv) राष्ट्रीय उच्चमार्ग-22 अम्बाला-कालका-शिमला-वांगटू-कौरिक रोड़ (293.276 कि0मी0)।

(v) राष्ट्रीय उच्चमार्ग-70 जालन्धर-होशियापुर-गगरेट-मुबारकपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-टौणी देवी-अवाहदेवी-टीहरा-धर्मपुर-कोटली-मण्डी रोड़ (205.130 कि0मी0)।

(vi) राष्ट्रीय उच्चमार्ग-72 अम्बाला-नारायणगढ़-कालाअम्ब-पांवटा-देहरादून-ऋषिकेष-हरिद्वार रोड़ (57 कि0मी0)।

(vii) राष्ट्रीय उच्चमार्ग-88 शिमला-ब्रहमपुखर-घागस-हमीरपुर-नादौन-रानीताल-मटौर रोड़ (197.7 कि0मी0)।

3.3.2 संगठनात्मक ढांचा

चण्डीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय उच्चमार्गों के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित योजना बनाने, फील्ड अनुसंधान, ब्यौरे वार परियोजना-अनुमान तैयार करने तथा कार्यान्वयन के क्षेत्रों में राज्य लोक निर्माण कार्य विभाग को प्रभावी सहायता प्रदान करने हेतु जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय के स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। वह, उन निर्माण कार्यों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन बाढ़ क्षति मरम्मत तथा सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत किया जाता है जिसके व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा ली जाती हैं, राष्ट्रीय उच्चमार्ग निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन करने वाले मण्डलों के माध्यम से ठेकेदारों को सीधी अदायगी प्रक्रिया के अन्तर्गत अदायगियां करने हेतु आहरण तथा संवितरण अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है।

---

[1] कुल्लू उप-मार्ग (12.835 कि0मी0) तथा वांगटू व ककस्थाल के मध्य राष्ट्रीय उच्चमार्ग -22 की पुनर्पक्तिबद्धता (रिलाईनमैन्ट) (2.230 कि0मी0)

राज्य लोक निर्माण विभाग का राष्ट्रीय उच्चमार्ग से सम्बद्ध संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैं:-

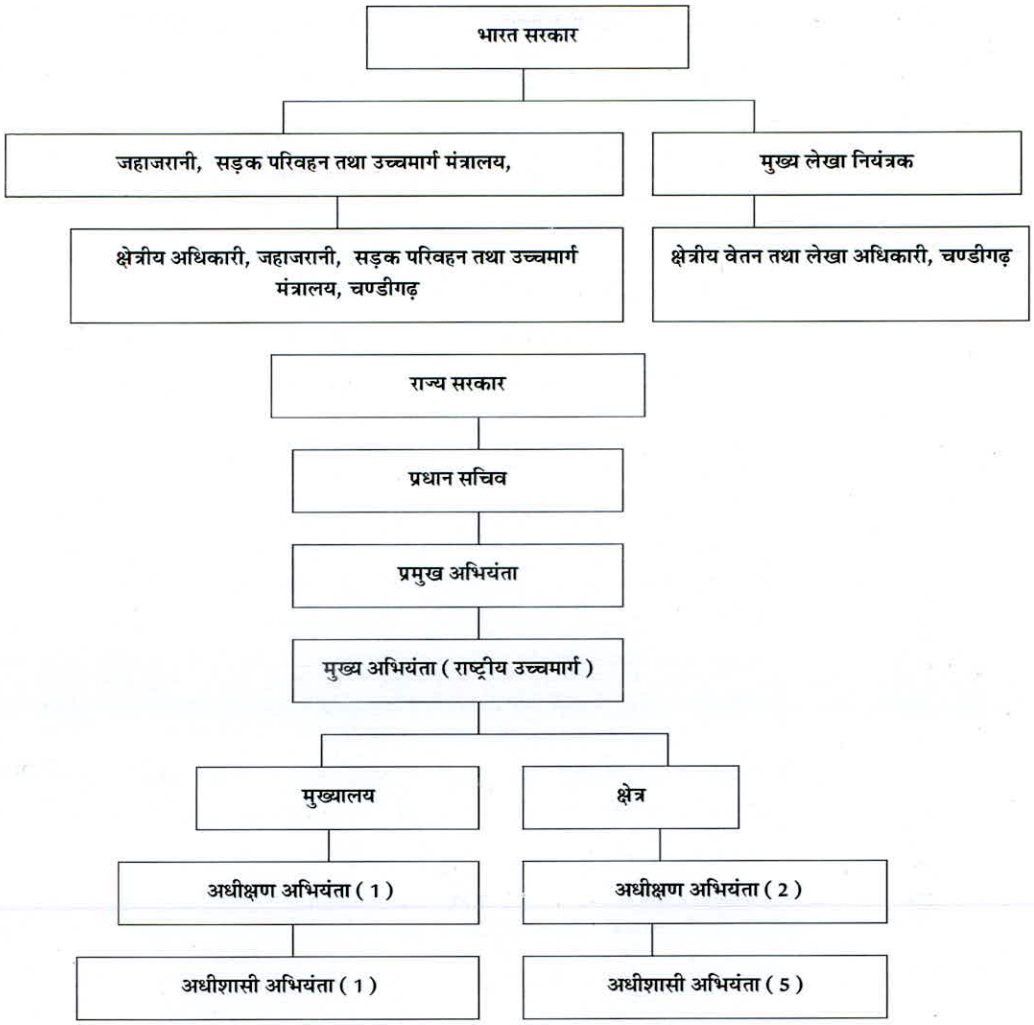

3.3.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

राष्ट्रीय उच्चमार्गों के विकास, रख-रखाव तथा वाहन योग्य गुणवत्ता के सुधार से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु अक्तूबर 2006 से फरवरी 2007 के दौरान, मुख्य अभियंता दोनों क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंताओं[2] तथा सभी पांच राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डलों[3] के अधिशासी अभियंताओं के 2002-03 से 2006-07 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई।

3.3.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा-उद्देश्य मुख्यत: यह निर्धारण करने से सम्बन्धित थे कि क्या:

- भारत सरकार से प्राप्त निधियां निर्धारित प्रयोजन हेतु किफायती, दक्षता तथा प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग की गई थी;
- भारत सरकार के समक्ष दावे समय पर प्रस्तुत किए गए थे तथा उनकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो गई थी;
- सड़कों के रख-रखाव हेतु श्रम-मानकों का अनुसरण किया गया था;

---

2 शाहपुर तथा शिमला

3 हमीरपुर, जोगिन्द्रनगर, पण्डोह, रामपुर तथा सोलन

- उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग को अनुकूलतम बनाने की योजना पर्याप्त थी;
- निर्माण-कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान तथा कार्यान्वित किए गए थे;
- आंतरिक नियंत्रण पद्धति, कायान्वयन पद्धति विभिन्न निर्माण-कार्यों की गुणवत्ता के नियंत्रण सहित विद्यमान थी।

3.3.5 लेखापरीक्षा-मानदण्ड

राष्ट्रीय उच्चमार्गों के कार्यक्रम के निष्पादन का निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त लेखापरीक्षा-मानदण्ड इस प्रकार थे:

- भारत सरकार/राज्य-सरकार के दिशानिर्देश, अनुदेश तथा आदेश।
- राष्ट्रीय उच्चमार्ग अधिनियम के प्रावधान।
- वार्षिक योजनाएं
- कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई-योजनाएं।
- राष्ट्रीय उच्चमार्गों के अनुरक्षण हेतु श्रमशक्ति की तैनाती के मानदण्ड।
- निर्माण-कार्यों के गुणवत्ता-नियंत्रण तथा अनुश्रवण के दिशा-निर्देश।

3.3.6 लेखापरीक्षा क्रियापद्धति

लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व, विभाग के प्रधान-सचिव के साथ शुरूआती सम्मेलन में लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, लक्ष्यों तथा कसौटियों के बारे चर्चा की गई (नवम्बर 2006)। राष्ट्रीय उच्चमार्गों के विकास तथा अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी राज्य के लोक निर्माण विभाग के दोनों वृत्त तथा पांच मण्डल नमूना-जांच के लिए चयनित किए गए। विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विभागीय अधिकारियों को जारी किए गए लेखारीक्षा ज्ञापनों तथा प्रश्नावलियों तथा इस बारे उनसे प्राप्त उत्तरों द्वारा अभिलेखों की संवीक्षा और उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के उपरांत लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए। बहिर्गमन-सम्मेलन में (जून 2007), प्रधान-सचिव के साथ लेखापरीक्षा-निष्कर्षों पर चर्चा की गई तथा सरकार के विचार समीक्षा में उचित स्थानों पर सम्मिलित कर लिए गए।

3.3.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.7.1 निधियों की प्रयुक्ति का प्रारूप

31 मार्च 2004 तक, राज्य-सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चमार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु प्रारंभिक तौर पर व्यय करना तथा तत्पश्चात जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय से इसकी प्रतिपूर्ति लेनी थी। जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा पहली अप्रैल 2004 से, मुख्य शीर्ष 5054-मूल कार्य तथा 3054-अनुरक्षण एवं मरम्मत के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चमार्गों कार्यों से सम्बन्धित विशेष मरम्मतों, आवधिक नवीकरणों, नए कार्यों के निर्माण तथा वाहन-योग्य गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम बारे पद्धति को प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया गया।

अत: प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत लेनदेन राज्य सरकार की बजट पद्धति का संलिप्त नहीं करते। सामान्य मरम्मत तथा बाढ़ ग्रस्त मरम्मत हेतु, प्रतिपूर्ति की पूर्व-पद्धति लागू है।

3.3.7.2 वित्तीय प्रावधान तथा व्यय

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार करनी होती है जिसमें किसी भी वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय उच्चमार्ग के मूल कार्य या अनुरक्षण हेतु धन की वार्षिक आवश्यकता इंगित की जाती है। जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्यवाई योजना की संवीक्षा तथा अनुमोदन किया जाता है, तत्पश्चात् धन का आबंटन कर दिया जाता है। वार्षिक कार्रवाई योजना का आकार आबंटित धन के 3.5 गुणा तक सीमित किया जाता है जिसे पूर्ववर्ती वर्ष से भारत सरकार की उपलब्ध संस्वीकृतियों[4] को घटाकर दिखाया जाता है। तथापि, वस्तुत: धन का आबंटन जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय के पास

[4] वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में भारत सरकार की उपलब्ध संस्वीकृतियां।

धन की उपलब्धता तथा पूर्व वर्ष में राज्य-सरकार की कारगुजारी पर निर्भर करता है। अनुमोदित वार्षिक कार्रवाई योजना पर आधारित, प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने हेतु, राज्य-सरकार द्वारा जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय को अनुमोदनार्थ सारा साल आकलन अलग से भेजे जाते रहते हैं। अव्ययितशेष राशियों को परवर्ती वर्ष में प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती।

वर्ष 2002-07 के दौरान भारत-सरकार द्वारा आवंटित धन तथा राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त धन के विवरण निम्नवत है:

तालिका: 3.3.1

(करोड़ रूपए)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा आवंटित धन	विभाग द्वारा उपयोग किया गया धन	उपयोग में भिन्नता (+)आधिक्य (-) कमी	आधिक्य/कमी का उपयोगिता प्रतिशत
मूल निर्माण कार्य				
2002-03	30.00	29.81	(-)0.19	(-)0.63
2003-04	32.00	25.87	(-)6.13	(-)19.16
2004-05	45.00	39.56	(-)5.44	(-)12.09
2005-06	39.00	38.99	(-)0.01	(-)0.03
2006-07	39.50	39.91	(+)0.41	(+)1.04
जोड़:	**185.50**	**174.14**		
अनुरक्षण कार्य				
2002-03	12.51	14.30	(+)1.79	(+)14.31
2003-04	13.45	13.49	(+)0.04	(+)0.30
2004-05	17.75	13.97	(-)3.78	(-)21.30
2005-06	23.27	18.18	(-)5.09	(-)21.87
2006-07	18.90	18.24	(-)0.66	(-)3.49
जोड़:	**85.88**	**78.18**		
कुल जोड़:	**271.38**	**252.32**		

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

निम्नलिखित बिन्दु ध्यान में आए:

➢ राज्य सरकार 2002-07 के दौरान केंद्रीय आबंटनों (मूल तथा अनुरक्षण) को प्रयोग करने में 19.06 करोड़ रू0 की सीमा तक असफल रही। विभाग ने उपयोगिता में कमी के लिए भारत सरकार से संस्वीकृतियों की विलम्ब से प्राप्ति, सीमित कार्य मौसम, कठिन भौगोलिक स्थिति तथा विशेषीकृत कार्यों के लिए व्यावसायिक

संविदाकारों की कमी को दोषी ठहराया। संस्वीकृतियों की लम्बित प्राप्ति के लिए विभाग का तर्क मान्य नहीं है चूंकि संस्वीकृतियों[5] का पर्याप्त भण्डार उपलब्ध पड़ा था।

➢ राष्ट्रीय उच्चमार्गों के मूल निर्माण कार्यों के विरूद्ध मुख्य बचतें 2003-04 (6.13 करोड़ रू0) तथा 2004-05 (5.44 करोड़ रू0) की गई। इसी प्रकार अनुरक्षण कार्यों के अंतर्गत मुख्य बचतें 2004-05 (3.78 करोड़ रू0) तथा 2005-06 (5.09 करोड़ रू0) की गईं जो उक्त सीमा तक मूल निर्माण कार्यों/अनुरक्षण-कार्यों के निष्पादित न होने को इंगित करती हैं।

➢ राष्ट्रीय उच्चमार्गों के निर्माण-कार्यों के निष्पादन हेतु भौतिक-लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। मुख्य अभियंता ने लक्ष्यों के गैर-निर्धारण के लिए कार्य के दायरे मं कई संघटकों की संलिप्तता को दोषी ठहराया (जून 2007) यह तर्क स्वीकार्य नहीं है चूंकि बहुत से संघटकों के कारण कार्यक्रम की भौतिक प्रगति तथा सामयिक कार्यान्वयन हेतु एक लक्ष्योन्मुख योजना का होना और भी आवश्यक है। राज्य स्तर पर कार्यों की भौतिक प्रगति का अनुश्रवण करने हेतु किसी व्यवस्था की अनुपस्थिति में, दुर्विनियोजन, विचलन तथा कार्यों के अनियमित निष्पादन की सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

3.3.7.3 घटिया निष्पादन के कारण आबंटन में कटौती

➢ घटिया कारगुजारी वाले राज्यों को अनुपातत: कमतर आबंटन किया जाना था। भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था (मार्च 2005) कि व्यक्तिगत राज्यों को आगामी वर्ष का धन-आबंटन चालू वर्ष के दौरान उनकी वास्तविक कारगुजारी पर निर्भर करेगा। 2004-05 के दौरान, 45 करोड़ रू0 के आवंटित धन के विरूद्ध, विभाग 39.56 करोड़ रू0 ही खर्च कर सका (87.91 प्रतिशत) जिसके परिणामस्वरूप इसके वित्तीय निष्पादन में 12.09 प्रतिशत की कमी रही। परिणामस्वरूप राज्य का वर्ष 2005-06 का आबंटन 39 करोड़ रू0 तक कम कर दिया गया जो 2004-05 की तुलना में 13.33 प्रतिशत कम था।

➢ इसी प्रकार, "राष्ट्रीय उच्चमार्ग-20 पर चक्की खड्ड के ऊपर पुल के निर्माण" हेतु संविदा को अंतिम रूप देने में विभाग की असफलता के कारण, 2006-07 के लिए आबंटन 45 करोड़ रू0 से 39.50 करोड़ रू0 तक घटा दिया गया (मार्च 2007)।

प्रधान सचिव (जून 2007) ने घटिया वित्तीय निष्पादन के लिए संस्वीकृतियां, कम भण्डार, सीमित कार्य-मौसम और राज्य में ठेकेदारों की घटियां क्षमता को दोषी ठहराया। यह उत्तर उपलब्ध संस्वीकृतियों के भण्डार तथा सीमित कार्य मौसम बारे विभागीय ज्ञान, राज्य की भौगोलिक स्थिति और ठेकेदारों की कार्य-क्षमता के विचार से स्वीकार्य नहीं है।

इस प्रकार, बेहतर निष्पादन हेतु प्रभावी नियोजन तथा प्रबंधन के अभाव के परिणामस्वरूप 2005-07 के दौरान जनता को गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था सुविधाओं से वंचित करने के अलावा कम आबंटन हुआ।

3.3.7.4 व्यय की प्रतिपूर्ति न होना

जैसाकि अनुच्छेद 3.3.7.1 में वर्णित है, 31 मार्च 2004 तक राज्य सरकार ने राष्टीय उच्चमार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों पर पहले खर्च किया और भारत सरकार से बाद में प्रतिपूर्ति ली।

पहली अप्रैल 2004 तक, भारत सरकार के साथ पांच राष्ट्रीय उच्चमार्गों से सम्बन्धित, राज्य सरकार के बकाया का दावा 16.06 करोड़ रू0 था।

प्रतिपूर्ति के बकाया दावों का संदर्भ वर्ष 2001-02 की भारत के नियंत्रक महा लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के परिच्छेद 4.2 में दिया गया था। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अक्तूबर 2006 को हुई अपनी बैठक में रोके गए और अस्वीकृत किए दावों की नवीनतम स्थिति को उनके शीघ्र समायोजन बारे उठाए गए कदमों सहित जानना चाहा। प्रधान सचिव ने प्रत्योत्तर में लोक लेखासमिति को सूचित किया कि व्यय को नियमित करने हेतु शीघ्र ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तथापि, फरवरी 2007 तक ऐसे कोई भी आदेश जारी

---

5 2003-04: 57.60 करोड़ रू0; 2004-05: 57.90 करोड़ रू0; 2005-06: 68.14 करोड़ रू0 तथा 2006-07: 84.71 करोड़ रू0।

नहीं किए गए थे। सभी 5 राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डलों से सम्बन्धित 1979-80 से मार्च 2007 तक की अवधि के बकाया, रोके गए तथा अस्वीकृत किए गए दावों का विवरण निम्नलिखित सारीणी में दर्शाया गया है:

तालिका: 3.3.2

(करोड़ रूपए)

वर्ष	रोकी गई राशि		अस्वीकृत की गई राशि		कुल	
	मूल कार्य	अनुरक्षण एवं मरम्मत	मूल कार्य	अनुरक्षण एवं मरम्मत	रोकी गई	अस्वीकृत की गई
1979-2002	7.87	6.46	0.56	0.37	14.33	0.93
2002-2003	4.69	1.12	0.02	1.38	5.81	1.40
2003-2004	(-)4.88	0.80	1.00	7.20	(-)4.08	8.20
2004-2005	..	..	..	0.05	..	0.05
2005-2006	..	0.02	..	0.06	0.02	0.06
2006-2007	..	..	..	0.02	..	0.02
जोड़:	**7.68**	**8.40**	**1.58**	**9.08**	**16.08**	**10.66**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

पहली अप्रैल 2004 से सीधी अदायगी प्रक्रिया को अपनाए जाने के कारण, 2004-07 के दौरान रोकी गई/अस्वीकृत की गई मांगे केवल अनुरक्षण तथा मुरम्मत के कार्यों से मुख्यत: सम्बन्धित थीं।

2002-03 से मार्च 2007 तक की अवधि के दौरान, जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय ने विद्यमान पांच राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डलों से सम्बन्धित 1.75 करोड़ रूपए ऐसे व्यय के कारण रोके रखे जो या तो संस्वीकृत आकलनों से अधिक था या फिर इसके समर्थन में समुचित प्रलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 16.08 करोड़ रूपए की रोकी गई मांगों पर एजैंसी प्रभार (9 प्रतिशत) के कारण 1.45 करोड़ रूपए की हानि उठाई। 2002-07 के दौरान, अनुमति-विहिन मदों जैसा कि लेखन-सामग्री, भण्डारण-प्रभार, असंस्वीकृत कार्यों पर किया गया खर्च गतवर्षों के आऊटर्न/वाऊचर, आदि के खर्च के कारण 9.73 करोड़ रूपए अस्वीकृत कर दिए गए।

प्रधान सचिव ने तथ्यों की पुष्टि की (जून 2007) तथा व्यक्त किया कि भारत सरकार से रोकी गई/अस्वीकृत की गई मांगों को छुड़ाने के प्रयत्न किए जा रहे थे।

3.3.7.5 वित्तीय अनुशासनहीनता एवं अनौचित्य

जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया (अक्तूबर 2001) कि जनवरी 2000 से पूर्व संस्वीकृत राष्ट्रीय उच्चमार्गों पर किया जाने वाला व्यय परियोजना की मूल रूप से संस्वीकृत लागत के 15 प्रतिशत या एक करोड़ रू0, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कुल व्यय इन सीमाओं से अधिक हो जाए तो मंत्रालय संशोधित लागत आकलन पर नया अनुमोदन लेना अपेक्षित था।

➢ जोगिन्द्रनगर मण्डल में, 17.36 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत से संस्वीकृत (अप्रैल 1991 से जनवरी 2000) मूल कार्यों के 34 निर्माण कार्य 21.67 करोड़ रू0 का व्यय करने के बाद पूर्ण किए गए थे (जुलाई 1997 से मई 2003)। कुल व्यय 19.96 करोड़ रू0 की अनुमति सीमा (मूल संस्वीकृत लागत: 17.36 करोड़ रू0 जमा 15 प्रतिशत मूल संस्वीकृत लागत: 2.60 करोड़ रू0) से अधिक हो गया जिससे 1.71 करोड़ रू0 का अप्राधिकृत व्यय हुआ, जिसे जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा रोक लिया गया।

अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्चमार्ग, वृत्त, शाहपुर ने अधिक व्यय का कारण (जनवरी 2005) जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों से ज्यादा श्रमिकों को कार्य पर लगाना बताया। वित्तीय अनुशासनहीनता तथा अनौचित्य का गंभीर नोटिस लेते हुए उत्तरदायी अधिशासी अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया (जनवरी 2005)।

प्रधान सचिव ने कहा (जून 2007) कि जांच आयुक्त (विभागीय जांचे) के पास अभी प्रगति पर थी। किसी भी व्यय का मूल्य कार्यों से मरम्मत तथा अनुरक्षण और इसके उल्ट, को किन्हीं विश्वस्त कारणों के बिना अन्तरण लम्बित दावों की सही तस्वीर के छिपाव के समकक्ष समझा जाएगा।

➢ जोगिन्द्रनगर मण्डल में, 17.21 करोड़ रू0 के लिए संस्वीकृत (मार्च 1992 से मार्च 2001) 13 मूल कार्य 23.25 करोड़ रू0 का व्यय करके पूर्ण किए गए थे (जून 1999 से मार्च 2005)। संशोधित आकलन बनाने के बजाय, अधिशासी अभियंता ने 6.20 करोड़ रू0 का व्यय पूर्वोक्त निर्माण कार्य से वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु अन्तरण कर दिया (मार्च 2004) जिसे जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया। उक्त राशि को तब तक रोके रखा गया जब तक संशोधित अनुमान तैयार तथा अनुमोदित नहीं करवा लिए गए। मण्डल के अनियित कार्य के परिणामस्वरूप 2003-04 के दौरान 55.80 लाख रू0 के एजैंसी-प्रभार की जब्ती के अलावा 6.20 करोड़ रू0 की रोकी गई मांगों का घाटा हुआ। चूंकि अनुरक्षण व मरम्मत के अन्तर्गत, 2003-04 के दौरान मण्डल द्वारा आबंटन से अधिक व्यय पहले ही किया जा चुका था, जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय ने इस व्यय को मरम्मत व अनुरक्षण को प्रभारित करने की अनुमति नहीं दी।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि उक्त राशि को नियंमित करवाने हेतु प्रयत्न किए जा रहे थे।

3.3.7.6 धन की कमी के कारण लम्बित प्रतिपूर्ति दावे

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्गों के विकास/स्तरोन्नति और अनुरक्षण हेतु किए गए व्यय (अप्रैल 1998 से फरवरी 2003 तक) के कारण 9.54 करोड़ रू0 के प्रतिपूर्ति दावे, यद्यपि जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिए गए थे तथापि भारत सरकार द्वारा धनाभव के चलते जून 2007 तक उनकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने क्षेत्रीय कार्यालय के साथ उक्त दावों की प्रतिपूर्ति के मामले को प्रभावी ढंग से नहीं उठाया। प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारण राज्य सरकार पर 85.86 लाख रू0 का एजैंसी-प्रभार प्राप्त करने में विलम्ब होने के अलावा अनावश्यक बोझ पड़ा।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि अतिरिक्त धन के आबंटन हेतु मामला मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा था।

3.3.7.7 अदायगियों की अपुष्टि तथा व्यय का असमायोजन

राष्ट्रीय उच्चमार्गों के क्रियान्वयन हेतु सीधी अदायगी प्रक्रिया के अंतर्गत, अधिशासी अभियंता द्वारा चैक की प्राप्ति पर "चैक वितरण रजिस्टर" में इसकी प्रविष्टि करना आवश्यक होता है और ठेकेदारों/पक्षों/व्यक्तियों को दी गई अदायगी की समुचित पावती सुनिश्चित करनी होती है। आगे, अधिशासी अभियंता द्वारा क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय से प्राप्त बिलों तथा अदायगियों का मासिक विवरण राज्य के महालेखाकार को राज्य को देय एजैंसी-प्रभार की राशि की संगणना हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। अधिशासी अभियंता द्वारा अपने कार्यालय में लेखाबद्ध किए गए व्यय के ब्यौरे का क्षेत्रीय कार्यालय के आंकड़ों के साथ मासिक आधार पर मिलान करना जरूरी होता है। मिलान स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और आंकड़ों के दोनों सैटों के मध्य विसंगति होने पर, मण्डल द्वारा इन्हें क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय के साथ मिलान करने हेतु व्यक्तिगत तौर पर किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।

तीन मण्डलों[6] में 63.03 करोड़ रूपए की राशि के चैक विभिन्न पार्टियों को वितरित किए गए थे (अप्रैल 2004 से दिसंबर 2006) परंतु न तो "चैक वितरण रजिस्टर" रखे गए थे और न ही पावतियां प्राप्त की गई थीं। अन्य दो मण्डलों[7] ने सूचना नहीं भेजी। इसी प्रकार, पांच मण्डलों में से किसी के द्वारा भी क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा

6 जोगिन्द्रनगर, रामपुर तथा सोलन।

7 हमीरपुर तथा पंडोह।

कार्यालय से प्राप्त बिलों और अदायगियों के न तो मासिक विवरण तैयार करके महालेखाकार को प्रस्तुत किए जा रहे थे और न ही क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों के साथ आवश्यक मासिक मिलान किया जा रहा था। अत: व्यय, एजैंसी-प्रभारों और सम्बन्धित पार्टियों को चैकों के वितरण की शुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सकता था और गबन तथा दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि अब चैक-रजिस्टर रखा जा रहा है तथा बिलों और अदायगियों के वांछित मासिक विवरणों को तैयार करने तथा क्षेत्रीय अधिकारी के अभिलेखों के साथ नियमित रूप से मिलान करने हेतु अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

3.3.8 नियोजन तथा भौतिक निष्पादन

कार्य को निर्धारित समय तथा अनुमानित लागत पर पूर्ण करने हेतु समय एवं लागत, प्राथमिकताकरण, राष्ट्रीय उच्चमार्गों पर कार्यरत अन्य एजैंसियों के साथ मेल-मिलाप, धन के उचित आबंटन एवं उपयोग, आदि के संदर्भ में नियोजन मुख्यत: सर्वेक्षण तथा आकलन पर केन्द्रित होता है। जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय की नीति के अंतर्गत विद्यमान राष्ट्रीय उच्चमार्गों को धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए एक चरणबद्ध तरीके से डबल-लेन करने हेतु चौड़ा और सुदृढ़ किया जाना था। तथापि, राष्ट्रीय उच्चमार्गों की स्तरोन्नति तथा अनुरक्षण हेतु कोई भी, मास्टर-प्लान उपलब्ध नहीं थी। इस सम्बन्ध में, निम्नलिखित बिन्दु ध्यान में आए।

3.3.8.1 साल्डिंग-पुल के निर्माण में समय तथा लागत का आधिक्य

जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय ने किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्चमार्ग-22 के 322 किलोमीटर पर सोल्डिंग-खड्ड क़े ऊपर एक पुल के निर्माण हेतु 4.53 करोड़ रू0 की वित्तीय संस्वीकृति एवं तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया। मुड़े हुए वायाडक्ट सहित एक खोजपरक इस्पात आर्क पुल के प्रावधान के कारण, कार्य का ठैका देने में देरी हुई और अंतत: इसका ठैका एक ठेकेदार को एकमुश्त संविदा आधार पर दिया गया (जुलाई 1997)। तथापि, सामग्री, श्रम, आदि की लागत में वृद्धि के कारण, जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमान को 8.62 करोड़ रू0 तक संशोधित कर दिया (जनवरी 1998) ताकि मार्च 2000 तक कार्य पूर्ण हो सके।

रामपुर मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच द्वारा यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्य को 9.64 करोड़ रूपए की लागत से पूर्ण किया गया (जुलाई 2006) इस तथ्य के बावजूद कि मण्डल को भली-भांति पता था कि जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय लागत में बढ़ौतरी की स्वीकृति नहीं देता। अत: पुल को 75 माह के समय अधिक्य तथा 1.02 करोड़ रू0 के लागत आधिक्य से पूरा किया गया। चूंकि जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय लागत-आधिक्य की अनुमति नहीं देती, अतरिक्त खर्च राज्य सरकार द्वारा आपदा राहत कोष (सी आर एफ) के अंतर्गत प्राप्त जमा-राशियों से अनियमित रूप से किया गया। इस प्रकार, राज्य सरकार को 1.02 करोड़ रू0 का अतिरिक्त बोझ तथा 9.18 लाख रूपए के एजैंसी प्रभारों की हनि उठानी पड़ी। इसके अलावा, अगस्त 2000 के बाद फर्म को 51.54 लाख रूपए के दिए गए वृद्धि-प्रभार परिहार्य थे।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि समय-आधिक्य एवं परिणामित लागत आधिक्य के लिए इन कारकों को दोषी ठहराया (i) परामर्शदाता की नियुक्ति तथा अभिकल्प/नक्शों को अंतिम रूप देने में हुए विलम्ब (ii) सोल्डिंग-खड्ड में आई तेज बाढ़ें (iii) विषम भू-प्रदेश तथा सीमित कार्य मौसम। उन्होंने आगे बताया कि दूसरा संशोधित अनुमान इसलिए नहीं बनाया गया कि जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय लागत आधिक्य की स्वीकृति नहीं देती तथा वृद्धि-प्रभार की अदायगी के बिना, फर्म कार्य को जारी रखने हेतु इच्छुक नहीं थी, जिसे पूरा करने में पहले ही पर्याप्त देरी हुई। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा बताए गए सभी कारण उसे दिसम्बर 1990 से मालूम थे तथा जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय को सूचित करते रहना चाहिए था ताकि लागत-आधिक्य का बोझ राज्य-सरकार द्वारा वहन किया जाता।

3.3.8.2 कुल्लू उप-मार्ग को पूर्ण करने में विलम्ब

राष्ट्रीय उच्चमार्ग-21 पर भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए, कुल्लू नगर को 12.335 किलोमीटर का उप-मार्ग देने तथा उसे मार्च 2002 तक 46.40 करोड़ रू0 की लागत से पूर्ण करने पर एक प्रस्ताव जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था (मार्च 2001)। अनुमान में सड़क तथा तीन पुलों के निर्माण का प्रावधान सम्मिलित था। उक्त उपमार्ग ब्यास नदी पर रामशिला के पास एक मुख्य पुल तथा पिरधी

नदी पर एक लघु पुल सहित 25.26 करोड़ रू0 की लागत से 29 माह के विलम्ब से पूरा किया गया (सितम्बर 2004)। तथापि, जिया के पास पार्वती नदी पर तीसरे मुख्य पुल के अपूर्ण रहने से इस भारी निवेश को लाभप्रद नहीं बनाया जा सका। जिया में पुल को अगस्त 2001 तक पूर्ण करने का प्रारम्भिक लक्ष्य था किन्तु अनुसूची में बार-बार संशोधन करने के कारण पूर्ण करने की लक्ष्य-तिथि संशोधित करके सितम्बर 2004 कर दी गई। ठेकेदार तथापि, पुल-कार्य को पूर्ण करने में असफल रहा (दिसम्बर 2006)। जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय ने ये अनुदेश जारी किए (जुलाई 2006) कि ठेकेदार द्वारा कार्य को फरवरी 2007 तक पूर्ण करने में असफल रहने की दशा में विभाग ठेकेदार के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्रवाई प्रस्तावित कर सकता है। तथापि, यह देखा गया कि कोई भी अर्थदण्ड-कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की गई थी चाहे ठेके का खण्ड 64 विलम्ब के लिए 5 प्रतिशत अर्थदण्ड का प्रावधान करता है। मार्च 2007 तक 252 आरएमटी वायाडक्ट तथा 35 आरमटी डैक-स्लैब के निर्माण पर 14.06 करोड़ रू0 का व्यय किया जा चुका था, जबकि 85 आरएमटी डैक-स्लैब, 120X2 आरएमटी पैदल-मार्ग, डैक-स्लैब के लिए क्रैश-बैरियर तथा साज-सज्जा, आदि का निर्माण अभी तक किया जाना शेष था।

मानचित्र : 3.3.1

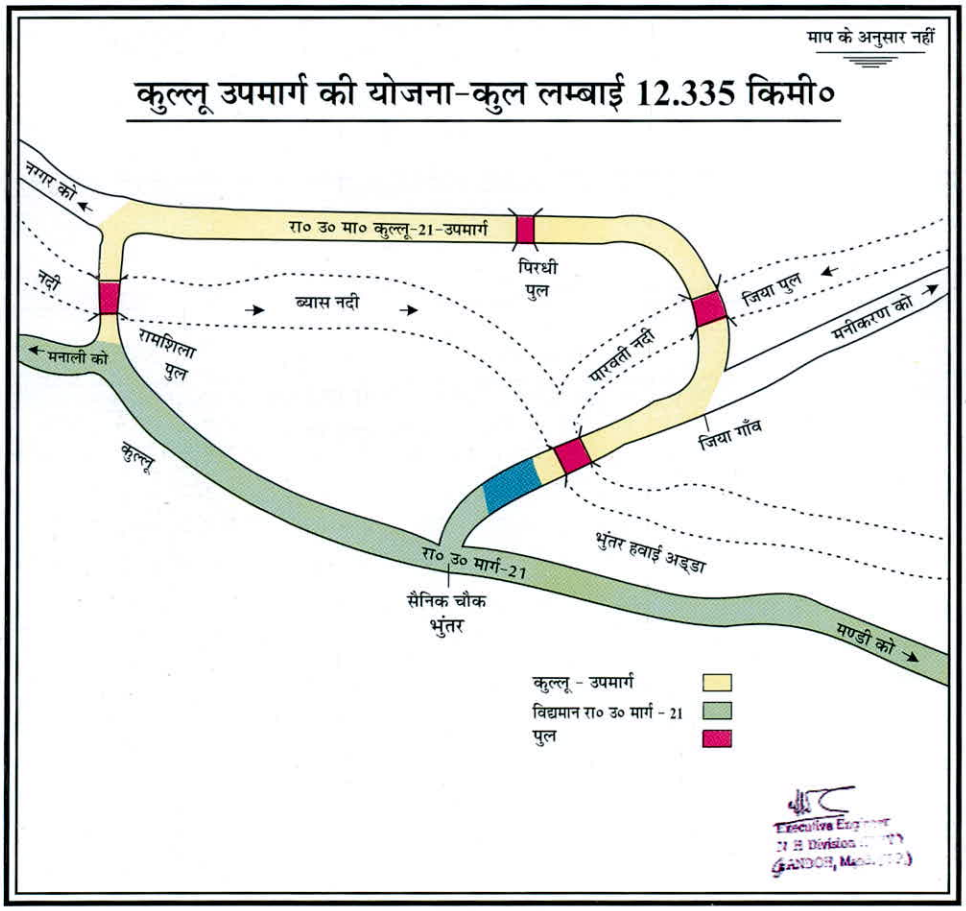

इस प्रकार 25.26 करोड़ रू0 की लागत से पूरा किया गया (सितम्बर 2004), उपमार्ग, जिसमें दो पुल (रामशिला तथा पिरधी) भी सम्मिलित है, जिया में पुल के पूर्ण होने में पांच वर्ष से अधिक असामान्य विलम्ब के कारण जनता के लिए नहीं खोला जा सका। कुल्लू नगर में भीड़ को कम करने हेतु यातायात अबाधित करने तथा भारी यातायात की दिशा बदलने के लिए उपमार्ग का निर्माण करने के उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके

अलावा, निर्धारित समयसीमा के भीतर मुख्य पुलों को पूर्ण न करने से फर्मों[8] को अदा किए गए 60.04 लाख रू0 के वृद्धि-प्रभार परिहार्य थे तथा प्रतिपूर्ति रोपित न करने से ठेकेदार को 61.36 लाख रू0 का अदेय लाभ पहुंचाया गया।

प्रधान सचिव ने व्यक्त किया (जून 2007) कि जिया-पुल के निर्माण हेतु, भारत में पहली बार स्विटजरलैंड से आयात की गई तकनीक तथा निर्माण-शैली को अपनाया गया था। आगे यह भी बताया गया कि विभाग तथा क्रियान्वयन अभिकरण (एजैंसी) को ऐसी निपट नई तकनीक के क्रियान्वयन में लगने वाली समय अवधि का कोई भी पूर्व अनुभव प्राप्त नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि ठेकेदार को आनंदपुर हाइडल चैनल में वैसाही आर्क शैली का पुल बनाने का पूर्व अनुभव प्राप्त था तथा उसने पुल को अगस्त 2001 तक तैयार करने का समझौता किया था। निविदा मांगने के समय, ठेकेदार को पुल की तकनीक तथा निर्माण-शैली का ज्ञान प्राप्त था। आगे, पुल को मई 2004 तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया था (जुलाई 2003)। अब पुल को सितम्बर 2007 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। स्पष्ट है कि ठेकेदार को अदेय लाभ दिया जा रहा है।

3.3.8.3 कार्यों को ठेके पर देने में विलम्ब के कारण एजेंसी प्रभार की हानि तथा संस्वीकृतियों का व्यपगमन

संस्वीकृत कार्यों की निविदाओं को शीघ्र निपटाने तथा समय एवं लागत के आधिक्य से भी बचने हेतु, जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय ने निर्णय लिया (जुलाई 2001) कि 5 करोड़ रू0 से कम लागत के कार्यों को पांच माह के अंदर-अंदर ठेके पर दे दिया जाए। तथापि, जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय औचित्यपूर्ण कारणों से देरी को माफ कर सकता है।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु ध्यान में आए:

- तीन मण्डलों[9] में चार[10] मूल कार्य, प्रत्येक की अनुमानित लागत 5 करोड़ रू0 से कम थी (नवम्बर 2002 तथा सितम्बर 2003 के बीच संस्वीकृत) पांच माह के अंदर ठेके पर नहीं दिए गए थे, जिसके कारण 24.76 लाख रू0 के एजैंसी प्रभार रोक लिए गए। अधिशासी अभियंताओं द्वारा कार्य को ठेके पर देने में हुई देरी का कारण निविदाओं को अंतिम रूप देने में लगा समय बताया (जनवरी 2007)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि पांच करोड़ रू0 से कम अनुमानित लागत वाले कार्यों को जैसाकि अपेक्षित है, पांच माह के अंदर ठेके पर देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

- जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय ने पांच राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डलों के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चमार्गों पर सीमा-स्तम्भ, हैक्टोमीटर स्टोन, चिन्ह, आदि लगाने हेतु 49.33 लाख रू0 जिसमें 3.98 लाख रू0 का एजैंसी प्रभार शामिल है, की संस्वीकृति प्रदान की (मार्च 2005)। संस्वीकृति मार्च 2006 तक वैध थी। चूंकि पांच मण्डल संलिप्त थे, जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय से शीघ्र ही अंशों में संस्वीकृति लेने आवश्यक थी। तथापि मुख्य अभियंता ने देरी से अक्तूबर 2005 में अंशवार संस्वीकृति हेतु आवेदित किया, जो नवम्बर 2005 में प्राप्त हुई। तथापि, मण्डल संस्वीकृति के जीवनकाल (मार्च 2006) के अंदर कार्यों को आरम्भ करने में असफल रहे। परिणामत: इसकी वैधता समाप्त हो गई तथा राज्य सरकार को 49.33 लाख रू0 की केन्द्रीय सहायता से वंचित होना पड़ा।

प्रधान सचिव ने कहा (जून 2007) कि उपरोक्त उप-पैरा में संदर्भित चार मामलों में से एक में हुई देरी को मंत्रायल द्वारा माफ कर दिया गया था (सितम्बर 2005) और यह कि इस मामले में एजैंसी-प्रभार को लेने तथा शेष तीन मामलों में देरी की माफी हेतु मामला उठाया जा रहा था। जहां तक 49.33 लाख रू0 की वैधता के समाप्त होने का प्रश्न था, प्रधान सचिव ने बताया कि कार्य को किसी तकनीकी दोष के कारण क्रियान्वयित नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि विभाग के पास संस्वीकृति के व्यपगमन से पूर्ण विभाजित संस्वीकृति प्राप्त करने तथा तकनीकी दोष को दूर करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध था।

---

8 मैसर्ज गैमन इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई तथा मैसर्ज वी.के. सूद चण्डीगढ़

9 जोगिन्द्रनगर, पण्डोह तथा रामपुर

10 राष्ट्रीय उच्चमार्गों की वाहनयोग्य गुणवत्ता का सुधार: तीन कार्य तथा पहाड़ी ढलान का स्थिरीकरण: एक कार्य

3.3.8.4 तारकोल का परिहार्य प्रयोग

जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय की विशिष्टताओं के अन्तर्गत, तारकोल मैकादाम (बी एम) पर अविलम्ब अंतिम तह लगाई जाएगी या इसे रेत व तारकोल के मिश्रण[11] से ढका जाएगा इससे पहले कि इस पर यातायात की अनुमति दी जाए। ऐसे मामलों में, सील कोट को सांयोगिक समझा जाएगा और इसके लिए अलग से अदायगी नहीं की जाएगी। बी एम को सील-कोट से ढकने का उद्देश्य इसे यातायात से होने वाले नुकसान धूल-गर्द द्वारा होने वाले दूषण से बचाना है। आगे, ताजा बिछाई गई काली ऊपरी तह पर टैक कोट[12] की आवश्यकता नहीं होगी यदि इस पर तुरन्त दो दिनों के भीतर दूसरी काली ऊपरी तह बिछा दी जाए। कार्य के क्रियान्वयन के दौरान, ठेकेदार यातायात हेतु या तो विद्यमान ढुलाई मार्ग के एक भार के साथ-साथ, जो सुधार अधीन है या फिर उच्चमार्ग के निकट निर्मित अस्थाई पार्श्व पथ के साथ एक रास्ते का प्रावधान एवं अनुरक्षण करेगा।

तीन[13] राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डलों में वाहन योग्य गुणवत्ता में सुधार हेतु 28.26 करोड़ रू0 के व्यय से तारकोल के कार्य किए गए थे (फरवरी 2001 से अक्तूबर 2006)। इन कार्यों में एक बी एम मद शामिल थी जिसे 13.51 करोड़ रू0 की लागत से 10,20,400 वर्गमीटर क्षेत्रफल के दो-मार्गी राष्ट्रीय उच्चमार्गों पर बिछाया गया था, जिसे यातायात हेतु अंतिम तह या सील कोट लगाने से पहले खोल दिया गया था। कुल 13.51 करोड़ रू0 के व्यय में उस टैक-कोट की 0.37 करोड़ रू0 की लागत भी सम्मिलित थी, जिसकी एक साथ अंतिम तह न बिछाने के कारण आवश्यकता पड़ी। बी एम के तुरंत बाद अंतिम तह न बिछाने से 0.37 करोड़ रू0 लागत की टैक-कोट लगानी पड़ी, जो परिहार्य थी।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि यातायात के भारी घनत्व के कारण, एकल-लेन या डबल-लेन पर भी कार्य के क्रियान्वयन के दौरान यातायात को रोकना या उसकी दिशा बदलना व्यवहार्य नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि विभाग ने जैसा कि जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अंतर्गत अपेक्षित है, ठेकेदारों द्वारा द्विमार्गी राष्ट्रीय उच्चमार्गों पर भी यातायात के नियमितीकरण/दिशा परिवर्तन हेतु समझौते में कोई प्रावधान नहीं किया हुआ था।

3.3.8.5 ठेकाबद्ध निर्माण कार्य के निरसन में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय

अधिशासी अभियंता, पण्डोह मण्डल, ने मूल कार्य "किलोमीटर 156/750 से 163/0 तक राष्ट्रीय उच्चमार्ग-21 की वाहन योग्य गुणवत्ता में सुधार" के क्रियान्वयन हेतु निविदाएं आंमत्रित की (जनवरी 2003)। सबसे कम बोली वाली फर्म को 1.06 करोड़ रू0 का कार्य-ठेका दिया गया (जून 2003) तथा इसे दिसम्बर 2003 तक पूर्ण करने की शर्त रखी गई। चूंकि ठेकेदार कार्य को आरम्भ करने में असफल रहा, ठेके को धरोहर-राशि की जब्ती के बाद निरस्त कर दिया गया (नवम्बर 2003)। अधिशासी अभियंता ने ठेके के निरसन के लिए ठेकेदार द्वारा कम दरों, जो कथित रूप से व्यवहार्य नहीं थी, की बोली लगाने को दोषी ठहराया (फरवरी 2006)। ठेके हेतु दूसरे सबसे कम बोली लगाने वाले ठेकेदार को आंमत्रित करने की बजाय, निविदाएं पुन: आमंत्रित की गई (नवम्बर 2003) तथा 1.07 करोड़ रू0 के कार्य का ठेका दूसरे ठेकेदार को इसे सितम्बर 2004 तक पूरा करने की शर्त पर दे दिया गया (मार्च 2004)। दूसरा ठेकेदार भी ठेके के कार्य के क्रियान्वयन को आरम्भ करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप इस ठेके को भी निरस्त कर दिया गया (जून 2004)। तीसरी बार निविदाएं आमंत्रित की गई (जून 2004) तथा कार्य को 1.25 करोड़ रू0 के ठेके पर दे दिया गया (अक्तूबर 2004)। तीसरे ठेकेदार ने कार्य को अप्रैल 2006 में पूर्ण किया।

मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2006 एवं जनवरी 2007) से पता चला कि जिस ठेकेदार ने कार्य पूर्ण किया, उसने पहली बोली के समय 1.08 करोड़ रू0 की दूसरी सबसे कम बोली दी थी। यदि मण्डल ने समय पर पहले ठेके को देने और निरस्त करने में समझदारी दिखाई होती तथा निविदा की वैधता के भीतर संधिवार्ता करके कार्य का ठेका, प्रथम ठेकेदार की लागत एवं जोखिम पर, दूसरे सबसे कम बोली देने वाले ठेकेदार को दिया होता तो ठेका देने में 12 मास के समय आधिक्य के साथ-साथ 17.68 लाख रू0 का व्यय भी बच सकता था।

---

11 सील कोट- रेत और तारकोल का मिश्रण

12 टैक कोट- केवल तारकोल

13 जोगिन्द्रनगर, पण्डोह तथा सोलन

प्रधान सचिव ने कहा (जून 2007) कि भविष्य में इस पहलू पर ध्यान रखा जाएगा तथा स्टॉफ को अनुदेश दिए जा रहे हैं।

3.3.8.6 ठेका देने के पश्चात कार्य के अभिकल्प एवं कार्यक्षेत्र में परिवर्तन

अभिकल्प कार्य पर्याप्त क्षेत्रीय आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए ताकि बाद में कार्य-परिवर्तन जिससे लागत में आधिक्य हो, से बचा जा सके।

जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित (मई 2003) मूल कार्य "राष्ट्रीय उच्चमार्ग - 20 (पठानकोट-चक्की-मण्डी सड़क) की वाहन योग्य गुणवत्ता में सुधार" कि0मी0 106/0 से 115/0, का 1.01 करोड़ रू0 का ठेका मार्च 2006 तक पूरा करने हेतु ठेकेदार को दिया गया (सितम्बर 2003)। तकनीकी टिप्पणी की शर्त के अनुसार, संस्वीकृत अनुमान के कार्यक्षेत्र से बाहर कोई भी कार्य जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना हाथ में नहीं लेना चाहिए।

तथापि, क्रियान्वयन के दौरान, अधिशासी अभियंता, जोगिन्द्रनगर मण्डल, ने तारकोल वाली मदों की विशिष्टियों पर परिवर्तन तथा कुछ मदों के कार्य-क्षेत्र में वृद्धि की (दिसम्बर 2003) अनुमति जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन के बिना ही दे दी। जिससे 23.50 लाख रू0 का अतिरिक्त बोझ पड़ गया। परिणामस्वरूप, जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय ने 1.97 लाख रू0 के एजैंसी प्रभार सहित 23.87 लाख रू0 रोक लिए (मार्च 2004)।

प्रधान सचिव ने तथ्यों की पुष्टि की (जून 2007) तथा कहा कि राशि को शीघ्र जारी करने हेतु जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय के साथ मामले को उठाया जाएगा। वसूली की संभावना दूर दिखती है चूंकि दावे में तीन सान से अधिक की देरी हो चुकी थी।

3.3.9 अन्य कमियां

3.3.9.1 राष्ट्रीय उच्चमार्गों के अनुरक्षण हेतु मानकों से अधिक श्रमशक्ति की तैनाती

राष्ट्रीय उच्चमार्गों के अनुरक्षण हेतु श्रमशक्ति की तैनाती के लिए जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा नियत मानकों के अनुसार, 0.3 श्रमशक्ति प्रति किलोमीटर की तैनाती अपेक्षित थी। मानक से अधिक श्रमशक्ति की मजदूरी पर उठाया गया कोई भी व्यय राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त बोझ था चूंकि जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा उक्त अप्राधिकृत व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही थी। निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:

- राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उच्चमार्गों के अनुरक्षण हेतु, शिमला से बाहर वांगतू (किन्नौर जिला) तक राष्ट्रीय उच्चमार्ग-22 के लिए सामान्यत: एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर तथा विशेषत: 1.3 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की दर से श्रमशक्ति मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया (जून 2004)। विद्यमान मानकों में छूट हेतु भारत सरकार की अनुमति के बिना ही निर्णय ले लिया गया था।

सभी पांच मण्डलों के अभिलेखों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2002 तथा सितम्बर 2006 के मध्य, सात सड़कों (666 कि0मी0 तथा 1243 कि0मी0 के बीच लम्बाई) के अनुरक्षण हेतु 200 से 374 श्रमिकों के निर्धारित मानकों के विपरीत 1,245 से 1,656 लोग तैनात किए गए जिससे श्रमिकों की अधिक तैनाती पर 17.97 करोड़ रू0 का अप्राधिकृत व्यय हुआ।

- यह भी निर्णय किया गया (जून 2004) कि संशोधित मानकों (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित) से अधिक फालतू श्रमिकों को संबंधित राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डलों से विभाग के अन्य राष्ट्रीय उच्चमार्ग रहित मण्डलों को स्थानान्तरण कर दिया जाए।

तथापि, चार[14] मण्डलों के अंतर्गत चार राष्ट्रीय उच्चमार्गों के अनुरक्षण हेतु राज्य-सरकार के मानकों/नीति से भी अधिक 111 तथा 823 की रेंज में श्रमिक तैनात रहे जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2002 तथा सितम्बर 2006 के बीच 7.26 करोड़ रू0 का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि फालतू श्रमिकों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और यह कि फालतू श्रमिकों को जरूरतमंद सिविल मण्डलों को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। प्रधान सचिव का उत्तर इस तथ्य को इंगित करता है कि सरकार को तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी अपने ही निर्णय का कार्यान्वयन अभी तक करना है।

3.3.9.2 अस्वीकार्य मद की अदायगी की अनुमति के कारण फर्मों को की गई अधिक अदायगी

रामपुर तथा सोलन मण्डलों में दो फर्मों को ठेके पर दिए गए (अक्तूबर 2002) 7.31 करोड़ रू0 की निविदित राशि के वाहन-योग्य गुणवत्ता में सुधार संबंधी कार्य मार्च 2003 तथा नवम्बर 2003 के मध्य पूर्ण किए गए। फर्मों को 7.40 करोड़ रू0 की कुल अदायगियां की गईं।

इन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना-जांच द्वारा पता चला (नवम्बर-दिसम्बर 2006) कि एक मद "तारकोल की मैकादम बिछाना" में खाका शुद्धि कोर्स का घटक भी सम्मिलित था। अत: इस मद की अलग से पैमाइश अदायगी अपेक्षित नहीं थी। तथापि, खाका शुद्धि कोर्स 20,920 वर्गमीटर के क्षेत्र में नापा गया तथा इसके लिए अतिरिक्त अदायगी करनी पड़ी जिससे फर्मों को 27.70 लाख रू0 (सोलन: 24.77 लाख रू0 तथा रामपुर: 2.93 लाख रू0) कि अधिक अदायगी करनी पड़ी।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि सोलन मण्डल के संबंध में अतिरिक्त मद की वसूली अंतिम बिल में दर्शाई गई थी, जो घटौती के रूप में थी तथा उसका मामला विवाचन (आर्बिट्रेशन) के विचाराधीन था। रामपुर मण्डल के संबंध में, यह बताया गया कि भारी वर्षा के कारण कई पॉट सुराख विकसित हो गए थे तथा इन्हें भरा जाना आवश्यक था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि अनुमानों को अंतिम रूप देने तथा समझौतों को करने के समय, खाका शुद्धि की मद को पहले ही हिसाब में ले लिया गया था तथा बी एम की मद में जमा कर दिया गया था। इस प्रकार ठेकेदारों को 27.70 लाख रू0 की अधिक अदायगी हुई।

3.3.9.3 लाइसैंस-विलेख का गैर-नवीकरण

जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार (जुलाई 1999 तथा अगस्त 2000) तेल कम्पनियों के विक्रय-केन्द्रों तक पहुंच-सड़क हेतु राष्ट्रीय उच्चमार्गों की भूमि के प्रयोग के लिए लाइसैंस-विलेख तीन साल के लिए वैध है तथा इसके बाद उसका नवीकरण आवश्यक है। लाइसैंस-विलेख का व्यपगमन होने से चार माह पूर्व मामले को हाथ में लेने हेतु अधिशासी अभियंताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बिक्री-केन्द्रों का अभिलेख रखना अपेक्षित था। आगे, जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय के अनुदेशों (अक्तूबर 2003) के अंतर्गत, उपरोक्त तिथि से तेल कम्पनियां या ईंधन स्टेशन संस्थापित करने वाले मालिकों द्वारा जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय के साथ समझौता करना अपेक्षित है, जिसके अनुसार समझौते के प्रतिफल-स्वरूप 15 वर्ष की अवधि की वैधता हेतु एकमुश्त एक लाख रू0 का शुल्क देना होगा।

राज्य में सात राष्ट्रीय उच्चमार्गों के साथ संस्थापित 134 ईंधन स्टेशनों/पैट्रोल पम्पों (67 प्रत्येक अक्तूबर 2003 से पूर्व तथा बाद में संस्थापित) से संबंधित राष्ट्रीय उच्चमार्गों के अभिलेखों की संवीक्षा द्वारा निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:

- मण्डल में से किसी ने भी या तो निर्धारित प्रपत्र में या फिर किसी अन्य फार्म में बिक्री-केन्द्रों का अभिलेख नहीं रखा था।

- अक्तूबर 2003 से पूर्व संस्थापित 67 बिक्री केन्द्रों में से 65 बिक्री केन्द्रों के संबंध में, अधिशासी अभियंताओं को पिछले लाइसैंस-विलेख की समाप्ति की तारीख ज्ञात नहीं थी। रामपुर मण्डल के अंतर्गत, राष्ट्रीय

[14] जोगिन्द्रनगर, पण्डोह, रामपुर तथा सोलन

उच्चमार्ग-22 के साथ संस्थापित बिक्री केन्द्रों के केवल दो मालिक ही 1,500 रू0 प्रति वर्ष लाइसैंस शुल्क जमा करा रहे थे।

➢ 2003 तथा 2007 के मध्य संस्थापित 67 पम्पों/बिक्री केन्द्रों में से केवल 24 बिक्री केन्द्रों के मालिकों ने जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय के साथ समझौते किए थे तथा प्रत्येक ने एक लाख रू0 की एक मुश्त फीस जमा करवाई थी। बचे हुए शेष 43 मामलों में, 43 लाख रू0 की आवश्यक फीस जमा नहीं करवाई गई थी।

प्रधान सचिव ने कहा (जून 2007) कि अक्तूबर 2003 से पूर्व संस्थापित पट्रोल-पम्पों से सम्बन्धित लाइसेंस-विलेखों की समाप्ति की तारीखों की जानकारी एकत्र की जा रही है। जहां तक अक्तूबर 2003 के बाद संस्वीकृत किए गए 43 मामलों का प्रश्न है, यह बताया गया कि मामले प्रक्रिया के अंतर्गत थे। उत्तर यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय के अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था।

3.3.9.4 ठेकेदारों से प्रतिपूर्ति की अवसूली

समझौते के अर्थदण्ड खण्डाश (शर्त) के अंतर्गत, यदि ठेकेदार, विभागीय कारणों के सिवाय, निर्धारित समय के अंदर कार्य को पूर्ण करने में असफल रहता है तो ठेके पर दिए गए कार्य के पूर्ण होने में किए गए विलम्ब के लिए निर्धारित दर पर प्रतिपूर्ति उद्गृहीत तथा वसूल की जाती है।

तीन मण्डलों[15] में, तीन राष्ट्रीय उच्चमार्गों पर विशेष मरम्मतों तथा वाहन-योग्य गुणवत्ता के चार संस्वीकृत कार्य चार ठेकेदारों को जुलाई 2001 तथा जून 2005 के मध्य कुल 4.09 करोड़ रू0 की निविदित राशि पर तीन तथा छ: माह के भीतर पूरा करने हेतु ठेके पर दिए गए। चूंकि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने में असफल रहे, उन पर अप्रैल 2003 तथा मार्च 2006 के बीच 27.19 लाख रू0 की प्रतिपूर्ति उदगृहीत की गई। विभाग ने प्राप्य राशि की वसूली हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

प्रधान सचिव ने कहा (जून 2007) कि एक मामले (सोलन मण्डल) में ठेकेदार ने न्यायालय में प्रतिपूर्ति उगाहने तथा प्रतिभूति की जब्ती के विरूद्ध मुकदमा दर्ज (मार्च 2005) किया है, जबकि बचे हुए तीन ठेकेदारों से प्रतिपूर्ति की राशि की वसूली हेतु प्रयत्न प्रगति पर हैं।

3.3.9.5. प्राप्तियों का छिपाना

तीव्र बाढ़ों (अगस्त 2003) के कारण, बरूनी नाला (जिला शिमला) के ऊपर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 के 284/660 किलोमीटर के पास 6.50 मीटर स्पैन की आरसीसी स्लैब पुलिया बह गई। 400 मीटर की लम्बाई में दोनों तरफ के पहुंच-मार्ग तथा उसी सड़क का 220 मीटर की लम्बाई में एक हिस्सा भी बह गए। परिणामत: जनजातीय क्षेत्रों तथा चीन के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सम्पर्क बाधित हो गया। क्षतिपूर्ति हेतु, रामपुर मण्डल द्वारा 0.82 करोड़ रू0 का व्यय किया गया (अगस्त 2003) जिसकी जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति की गई (मार्च 2005)। जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय से धन प्राप्त होने पर, अधिशासी अभियंता ने इस राशि को डिपाजिट लेखा-शीर्ष के अंतर्गत सरकारी खजाने में जमा कर दिया। इसमें से, राष्ट्रीय उच्चमार्ग की पुरानी देयताओं को निपटाने हेतु 60.01 लाख रू0 का खर्चा कर दिया और 22.13 लाख रू0 शेष के रूप में जून 2007 तक प्रयोग किए बिना पड़े हुए थे।

इसी तरह, कड़छम मण्डल के अधिशासी अभियंता ने राज्य के धन से वांगटू से ककस्थल होकर राष्ट्रीय उच्चमार्ग-22 के पहुंच-मार्गों और सिधाई सहित ककस्थल के पास पानवी खड्ड और सतुलज नदी के ऊपर पुलों के निर्माण हेतु 1.76 करोड़ रू0 का व्यय किया (2001-2005)। जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय ने मण्डल को 1.76 करोड़ रू0 जारी किए (दिसंबर 2004) जिन्हें डिपॉजिट लेखाशीर्ष के अंतर्गत रखा गया। इनमें से, 75.96 लाख रू0 की धन-राशि पुलों से सम्बन्धित पुरानी देयताओं के निपटान पर खर्च की गई। एक करोड़ रू0 की शेष राशि, जिसे सरकारी लेखा में क्रेडिट करना अपेक्षित था, जून 2007 तक बिना प्रयोग किए डिपाजिटों में पड़ी हुई थी।

---

15 जोगिन्द्रनगर, रामपुर तथा सोलन।

प्रधान सचिव ने तथ्यों की पुष्टि (जून 2007) करते हुए बताया कि राशि को राज्य-निधियों की देयताओं के निपटान हेतु डिपाजिट में रखा हुआ था। उत्तर स्वकार्य नहीं है चूंकि पुरानी देयताओं के निपटारे के बाद भी डिपाजिट शीर्ष में दो वर्ष से अधिक समय से 1.22 करोड़ रू0 अभी भी प्रयोग किए बिना पड़े हुए हैं।

इस प्रकार, राजकोष में 1.22 करोड़ रू0 क्रेडिट न करने से उस सीमा तक राज्य की प्राप्ति छुपाई गई।

3.3.9.6 आपदा राहत निधि के प्रयोग में देरी

यह तथ्य सामने आया (नवंबर 2006-जनवरी 2007) कि राज्य सरकार ने आपदा राहत निधि के अंतर्गत चार राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डलों[16] को प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के जीर्णोद्धार हेतु 13.56 करोड़ रू0 (2004-05:3.85 करोड़ रू0; 2005-06:6.71 करोड़ रू0 तथा 2006-07: 3 करोड़ रू0) प्रदान किए (2004-07)। इसमें से केवल 7.77 करोड़ रू0 ही खर्च किए गए थे (दिसंबर 2006) और शेष 5.79 करोड़ रू0 प्रयोग किये बिना ही पड़े रहे (दिसम्बर 2006)।

अधिशासी अभियंताओं ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2006-जनवरी 2007) कि वे कार्य, जिनपर अप्रयुक्त पड़ा हुआ 5.79 करोड़ रू0 का धन खर्च करना था, प्रगति पर थे। अधिशासी अभियंताओं के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे चूंकि ये निधियां प्राप्त होने पर शीघ्र ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति को सुधारने हेतु प्रयुक्त की जानी अपेक्षित थीं।

3.3.9.7 पूर्ण किए गए कार्यों के ठेकों का अंतिम रूप से पूर्ण न हो पाना

चार मण्डलों[17] में, 38.11 करोड़ रू0 की निविदित राशि पर निष्पादन हेतु 1997-98 तथा 2005-06 के बीच ठेके पर दिए गए 26 कार्य/जॉब मार्च 2004 तथा दिसबर 2006 के मध्य पूर्ण किए गए। ठेकेदारों को 39.63 करोड़ रूपए की सकल अदायगी जारी की गई परन्तु नियमों के अंतर्गत अपेक्षित सड़कों की पूर्णता-रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। इसलिए मण्डलों को पूर्ण किए गए कार्यों की असमायोजित देयताओं की जानकारी नहीं थी। यह मामला कपटपूर्ण लेखाबद्ध समायोजनों के जोखिम से लिप्त है।

प्रधान सचिव ने कहा (जून 2007) कि सभी अधिशासी अभियंताओं को प्राथमिकता के आधार पर लम्बित बिलों को अंतिम रूप देने तथा सक्षम प्राधिकारी के पास विचलनों को शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

3.3.10 आंतरिक-नियंत्रण तथा गुणवत्ता-आश्वासन का अभाव

जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय के मार्गदर्शक-सिद्धांत त्रिस्तरीय पर्यवेक्षण का प्रावधान करते हैं, अर्थात (i) सम्बन्धित प्रभारी-अभियंता (प्रमुख अभियंता) द्वारा स्वतंत्र जांच, (ii) सम्बन्धित अधिशासी अभियंता की उपस्थिति में ऐसी जांचों का 10 प्रतिशत और (iii) सड़क-कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित् करने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता द्वारा त्रैमासिक यात्राएं।

यह पता चला कि प्रमुख अभियन्ता द्वारा कोई भी स्वतंत्र जांचें नहीं की गईं। सम्बन्धित अधिशासी अभियंता के सामने 10 प्रतिशत अपेक्षित जांचे सुनिश्चित् नहीं की गईं। सम्बन्धित अधीक्षण अभियंताओं से अप्रैल 2002 तथा दिसंबर 2006 के बीच कम से कम 87 निरीक्षण-टिप्पण अपेक्षित थे परन्तु इन्हें केवल अपवादात्मक मामलों में ही जारी किया गया। इन कमियों को दो मण्डलों[18] के निरीक्षण के दौरान राज्य गुणवत्ता अनुश्रवण द्वारा भी ध्यान में ला दिया गया था (नवंबर 2006)।

प्रधान सचिव ने कहा (जून 2007) कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग -कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता के सुधार हेतु पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं।

---

16 जोगिन्द्रनगर, पंडोह, रामपुर तथा सोलन।

17 हमीरपुर, जोगिन्द्रनगर, पंडोह तथा रामपुर।

18 हमीरपुर तथा जोगिन्द्रनगर।

3.3.11 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

दिशा-निदेशों के अन्तर्गत, ठेकेदारों से मण्डल को प्रत्येक ठेका-कार्य के निष्पादन का कार्यक्रम प्रेषित करना अपेक्षित है ताकि अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा उसका अनुश्रवण किया जा सके और पेचिदगियों, गिरावटों आदि यदि कोई हो, दूर करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके। विभाग के सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता द्वारा आगे इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी को एक समेकित निवरण भेजा जाना अपेक्षित है। क्षेत्रीय अधिकारी को पेचीदगियों, गिरावटों आदि को दूर करने हेतु कार्रवाई से सम्बन्धित कोई भी समेकित विवरण नहीं भेजे गए। इसके अलावा, सड़क-निर्माण एवं अनुरक्षण परिचालनों के अधिक प्रभावी अनुश्रवण के सहायक के रूप में, रूक्षता के नाम तथा फोटो लेने तथा राष्ट्रीय उच्चमार्गों के साथ-साथ अतिक्रमणों तथा अप्राधिकृत निर्माणों को हटाने में असफलता अपर्याप्त अनुश्रवण पद्धति के अन्य संकेतक थे।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि अनुश्रवण पद्धति को सुदृढ़ बनाया जा रहा है तथा कार्यों की सामयिक पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी कार्यों का गम्भीरता से अनुश्रवण किया जाएगा।

3.3.12 निष्कर्ष

जैसा कि पूर्व-परिच्छेदों में चर्चा की गई, राज्य सरकार कार्यों के प्रभावी नियोजन, वित्तीय-प्रबंधन,समन्वय तथा कार्यों के अनुश्रवण में निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों के निष्पादन के संदर्भ में विभागीय कमियों सहित असफल रही।

राज्य-सरकार भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित् नहीं कर पाई जिसके कारण बाद के आबंटनों में कटौती की गई। अपर्याप्त पर्यवेक्षण, वित्तीय अनुशासनहीनता तथा अनौचित्य के कारण दावों को रोके रखा गया और अस्वीकृत दावों में वृद्धि हुई। निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्यों के निर्माण को सुनिश्चित् करने हेतु अनुश्रवण की अपर्याप्तता के कारण समय तथा लागत में आधिक्य हुए। निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्यों को ठेके पर न देने और भारत सरकार द्वारा एजेंसी प्रभार रोक लिए जाने के कारण संस्वीकृतियों का व्यपगमन हुआ।

3.3.13 सिफारिशें

- **कार्यों के निष्पादन हेतु आवंटित निधियों की किफायती तथा प्रभावी रूप से उपयोगिता के संदर्भ में प्रभावी योजना तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन को कड़े अनुश्रवण द्वारा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।**
- **कार्यक्षेत्र में बाद के चरण पर परिवर्तनों से बचने हेतु आकलन के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।**
- **कार्यों के क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किफायत तथा दक्षता से प्रबंधन करने हेतु जहाजरानी सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी संविदा-खंडों तथा अनुदेशों का अक्षरशः अनुसरण करने की आवश्यकता है।**
- **कार्यों के निष्पादन के दौरान दोषपूर्ण तथा घटिया कार्यों के परिहार हेतु उनकी गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए।**

प्रधान सचिव ने सिफारिशों को स्वीकार किया (जून 2007) तथा आश्वासन दिया कि अनुपालना शीघ्र प्रतिवेदित की जाएगी।

3.4 दक्षिण अंचल में ग्रामीण सड़कें

मुख्य-मुख्य बातें

सभी संगणित गांवों को पहचानने तथा समयबद्ध तरीके से जोड़ने हेतु दीर्घावधि मुख्य योजना के कोर नेटवर्क ढांचे को तैयार नहीं किया था। सड़कों का निर्माण तकनीकी संस्वीकृति लिए बिना किया था तथा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित निधियों के प्रति भारी आधिक्य रहा। बहुत सी सड़कों का निर्माण कार्य विभिन्न कारणों से अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप व्यर्थ निवेश हुआ। संसाधनों के सीमित होने पर सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में कि0मी0 के रूप में वास्तविक उपलब्धि असामान्य तौर पर उच्चतर थी, जबकि लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण सड़कें पूर्णता हेतु प्रतीक्षित थीं। वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण आकलनों को तैयार नहीं किया गया था। सड़क कार्यों के निष्पादनार्थ पर्याप्त अनुश्रवण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में ध्यान में आए मुख्य तथ्य नीचे दिए गए हैं:-

- ***ग्रामीण सड़कों के निर्माणार्थ वार्षिक लक्ष्यों को वास्तविकता के आधार पर नियत नहीं किया गया था। भौतिक तथा वित्तीय प्रगति मेल नहीं खाती क्योंकि 2002-07 के दौरान दोनों के मध्य भारी अंतर था।***

(परिच्छेद 3.4.7.2)

- ***विभाग द्वारा राज्य में सभी संगणित गांवों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ने हेतु दीर्घावधि योजना को तैयार नहीं किया गया था।***

(परिच्छेद 3.4.8)

- ***14 मण्डलों द्वारा निष्पादन हेतु आरम्भ किए गए 770 सड़क निर्माण कार्यों में से मार्च 2007 तक केवल 189 कार्य पूर्ण किए गए थे। इनमें से 26.11 करोड़ रू0 की लागत के 28 कार्य 10 महीनों तथा 18 वर्षों के मध्य के विलम्ब से पूर्ण हुए।***

(परिच्छेद 3.4.8.1)

- ***10 मण्डलों में 21.11 करोड़ रू0 की लागत के 36 सड़क निर्माण कार्यों को 2002-03 तथा 2006-07 के मध्य तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना निर्माणार्थ लिया।***

(परिच्छेद 3.4.8.3)

- ***पुल के निर्माण पर किया गया 93.23 लाख रू0 का व्यय निष्फल रहा क्योंकि सड़क निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण इसे प्रयोग नहीं किया जा सका।***

(परिच्छेद 3.4.8.4)

- ***अनुमोदित विनिर्देशन से विचलन के परिणामस्वरूप 2.14 करोड़ रू0 की लागत के सड़क निर्माण कार्य का निम्न स्तरीय निष्पादन किया गया।***

(परिच्छेद 3.4.8.7)

3.4.1 परिचय

ग्रामीण सड़के हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊंचे पर्वतीय अभिरचित क्षेत्रों को जोड़ने का मुख्य साधन है, जहां पर कुल जनसख्यां के 90.19 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। गांव पर्वतीय ढलानों पर बिखरे हुए हैं तथा ग्रामीण जनसंख्या का सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सभी मौसमों में अच्छे तथा कुशल सड़क नेटवर्क के विकास पर बल दिया। सड़क के निर्माणार्थ भौतिक लक्ष्य

कि0मी0 के रूप में नियत किए है तथा सड़कों की पूर्ण की जाने वाली संख्या में नहीं। नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (मार्च 2002) की समाप्ति पर राज्य में 17,433 कि0मी0 ग्रामीण सड़कें थी जो दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (मार्च 2007 तक) की समाप्ति पर 22,033 कि0मी0 तक बढ़ गई। राज्य में सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग (विभाग) उत्तरदायी है। मार्च 2007 तक राज्य में 17,495 गांवों में से 8,531 गांवों को ग्रामीण सड़कों से आवृत्त किया गया है।

3.4.2 संगठनात्मक ढांचा

लोक निर्माण विभाग का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिया गया है:-

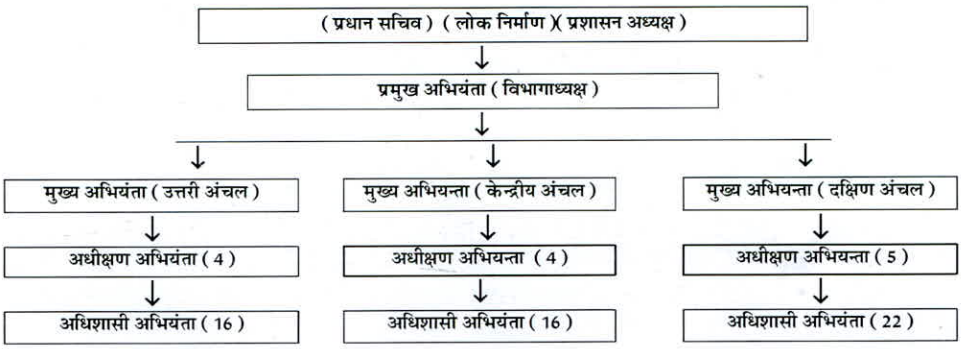

3.4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

2002-03 से 2006-07 तक की अवधि हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण के संदर्भ में विभाग के दक्षिण अंचल के क्रियाकलापों की नवम्बर 2006-अप्रैल 2007 के दौरान समीक्षा की गई। विभाग के दक्षिण अंचल ने मार्च 2002 में 4,504 कि0मी0 तथा मार्च 2007 के अंत में 6,694 कि0मी0 ग्रामीण सड़कों को लेखाबद्ध किया। इस अंचल में पांच वृत्त है तथा ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण के संचालन हेतु इनका नियंत्रण 22 मण्डलों के अर्न्गत है। इस अवधि के दौरान निर्मित सड़कों के 71.31 प्रतिशत तथा किए गए कुल व्यय (312.56 करोड़ रू0) के 67.14 प्रतिशत, ग्रामीण सड़कों के 14 मण्डलों[1] के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। इस समबद्ध वृत्तों तथा प्रमुख अभियंता से प्राप्त की गई सूचना का अनुपूरित किया गया।

3.4.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के निम्न दृष्टिगत निर्धारित था:

- क्या ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ेने हेतु स्थापित उद्देश्य को पूरा किया था;
- ग्रामीण सड़कों के निष्पादन में कार्यकुशलता, प्रभावकारिता तथा मितव्ययिता;
- योजना की स्थानों को चिन्हित करने में पर्याप्तता तथा उन्हें संसाधनों को आशावादी प्रयोग हेतु प्राथमिकता;
- ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु नियत वार्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में वित्तीय प्रबन्धों की पर्याप्तता;
- निष्पादन अभिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों तथा नियमों का पालन करना;
- विभाग में आंतरिक नियंत्रण तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

---

1 अर्की, चौपाल, जुब्बल, कड़छम स्थित भावानगर, कसौली, नालागढ़, निरमण्ड, पांवटा साहिब, राजगढ़, रामपुर, रोहड़ू, शिमला-I, सोलन तथा ठियोग।

3.4.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लोक निर्माण विभाग दक्षिण अंचल द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों के निष्पादन निर्धारण हेतु लेखापरीक्षा में प्रयुक्त मानदण्ड थे:

- ग्रामीण सड़कों के निष्पादन में योजना, तथा प्राथमिकता के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश तथा विभागीय अनुदेश।
- अनुबंध के बंधन व शर्तें;
- निर्माण कार्यों के आंतरिक नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुश्रवण हेतु निर्धारित प्रणाली।

3.4.6 लेखापरीक्षा प्रणाली

लेखापरीक्षा आरमभ करने से पूर्व लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, उद्देश्य तथा मानदण्डों पर प्रविष्टि सम्मेलन में प्रधान सचिव तथा प्रमुख अभियंता के साथ चर्चा की गई (नवम्बर 2006)। नमूना-जांच हेतु मण्डलों का चयन मल्टीस्टैज स्तरीकरण यादृच्छिक प्रणाली पर आधारित था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अभिलेखों की छानबीन, लेखापरीक्षा ज्ञापनों तथा प्रश्नावलियों को जारी करके उपलब्ध डाटा का विश्लेषण तथा विभिन्न स्तरों पर विभागीय कार्यपालकों के उत्तर प्राप्त करने के पश्चात निकाला गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का प्रधान सचिव के साथ अन्तिम सम्मेलन में (जून 2007) चर्चा की गई तथा सरकार के विचारों को प्रतिवेदन के उपयुक्त स्थानों पर समाविष्ट किया गया।

3.4.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.4.7.1 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु निधियन विभागीय बजटीय प्रणाली से किया है जिसमें नाबार्ड से ऋण शामिल है। 2002-07 के दौरान राज्य में सभी जीनो लोक निर्माण विभाग अंचलों की ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु आवंटित निधियों तथा उनके प्रति किए गए व्यय की स्थिति को नीचे दिया गया है:-

तालिका: 3.4.1

(करोड़ रूपए)

वर्ष	निर्माण			अनुरक्षण		
	बजट आबंटन	व्यय	अंतर (+) आधिक्य / (-) बचतें	बजट आबंटन	व्यय	अंतर (+) आधिक्य / (-) बचतें
2002-03	115.80	121.69	(+) 5.89	159.62	160.49	(+) 0.87
2003-04	183.75	187.84	(+) 4.09	191.94	192.60	(+) 0.66
2004-05	144.52	142.95	(-) 1.57	200.53	206.23	(+) 5.70
2005-06	192.96	202.00	(+) 9.04	192.66	184.39	(-) 8.27
2006-07	173.39	173.95	(+) 0.56	253.55	320.96	(+) 67.41
जोड़:	**810.42**	**828.43**		**998.30**	**1,064.67**	

स्रोत: विभागीय आंकड़ें

3.4.7.2 भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति

2002-07 के दौरान दक्षिण अचंल में ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों तथा उनके प्रति उपलब्धियों को नीचे दिया गया है:

तालिका: 3.4.2

(करोड़ रूपए)

अवधि	भौतिक लक्ष्य (कि0मी0 में)	निर्मित ग्रामीण सड़कों की कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	बजट प्रावधान	व्यय	अंतर (+) आधिक्य / (-) बचतें
2002-03	99	192	35.94	37.55	(+) 1.61
2003-04	186	226	75.52	75.47	(-) 0.05
2004-05	172	241	53.53	53.86	(+) 0.33
2005-06	185	324	70.70	75.06	(+) 4.36
2006-07	170	322	72.07	70.62	(-) 1.45
जोड़:	**812**	**1305**	**307.76**	**312.56**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

2002-07 के दौरान दक्षिण अंचल में ग्रामीण सड़कों के मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु बजट प्रावधान की स्थिति तथा उसके लिए किए गए वास्तविक व्यय को नीचे दिया गया है:-

तालिका: 3.4.3

(करोड़ रूपए)

अवधि	बजट	व्यय	अंतर (+) आधिक्य / (-) बचतें
2002-2003	49.01	53.35	(+) 4.34
2003-2004	57.40	64.54	(+) 7.14
2004-2005	61.71	65.77	(+) 4.06
2005-2006	69.10	66.04	(-) 3.06
2006-2007	82.30	90.02	(+) 7.72
जोड़:	**319.52**	**339.72**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

उपरोक्त ब्यौरों से यह देखा जाएगा कि भौतिक उपलब्धियां निर्धारित लक्ष्यों से सारभूत रूप से उच्चतर थीं तथा 2002-07 हेतु वित्तीय उपलब्धियों से मेल नहीं खाती थीं जो इंगित करता है कि उच्चतर वित्तीय प्रावधानों के प्रति निम्न भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित किया था। इस प्रकार, प्रतीत वार्षिक लक्ष्यों को वास्तविक आधार पर निर्धारित नहीं किया था।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में असाधारण अंतर दक्षिण क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति के कारण हुआ। प्रधान सचिव का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भौतिक उपलब्धियों में 122 प्रतिशत तथा 194 प्रतिशत के मध्य अंतर के प्रति वास्तविक व्यय 98 प्रतिशत तथा 106 प्रतिशत के मध्य अंतर विभाग द्वारा अधिक बजटिंग को इंगित करता है।

वर्ष 2005-06 को छोड़कर 2002-07 के दौरान मरम्मत एवं अनुरक्षण के कारण व्यय बजट प्रावधान से लगातार अधिक हुआ। तालिका 3.4.3 इंगित करती है कि 2005-06 को छोड़कर सभी वर्षों में बजट प्रावधान के अतिरिक्त अधिक व्यय हुआ जो वास्तविक आकलन एवं वित्तीय नियंत्रण के अभाव को इंगित करता है।

प्रमुख अभियंता ने अधिक व्यय हेतु बजट की अपर्याप्तता तथा 2005-06 के दौरान बचतों हेतु कार्यभारित स्थापना के नियमित सेवा शीर्ष में हस्तांतरित किया जाना बताया (अगस्त 2007)।

चयनित मण्डलों के अभिलेखों की नमूना-जांच से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

3.4.7.3 निधियों का अनियमित आहरण एवं जाली बुक किया जाना

राज्य वित्तीय नियमों में नियत है कि कोषालय से धन का आहरण तब तक नहीं करना चाहिए जब तक इसकी तुरन्त आवश्यकता न हो। फिर भी, राज्य वित्त विभाग ने प्रमुख अभियंता मार्च 2006 के अन्त में 76.27 करोड़ रू0 का आहरण करने का निर्देश दिया (मार्च 2006) तथा निधियों को व्यपगत होने से बचाने हेतु "लोक निर्माण निक्षेप" के अन्तर्गत रखना। तत्पश्चात सम्बन्धित अधीक्षण अभियंताओं ने निधियों के व्यपगत होने से बचाने के निदेश सहित "लोक निर्माण निक्षेप" के अन्तर्गत राशि को रखने तथा ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु छ: मण्डलों को साख-पत्र के माध्यम से 4.68 करोड़ रू0 निस्तारित किए (मार्च 2006)। सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं ने मार्च 2006 में राशि को आहरित किया तथा भौतिक निष्पादन किए बिना 54 ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों हेतु इन राशि की जाली बुकिंग की। इस प्रकार सभी छ: मण्डलों ने (30 तथा 31 मार्च 2006) राशि को छ: अन्य मण्डलों को आगे हस्तांतरित किया, जिन्होंने निधियों को निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत रखा। आगे यह भी ध्यान में आया कि पांच मण्डलों ने (जुलाई 2006 तथा अक्तूबर 2006) 4.43 करोड़ रू0 पहले वाले मण्डलों को वापस किए जबकि अधिशासी अभियंता, मकैनिकल मण्डल, रोहड़ू, के पास 0.25 करोड़ रू0 पड़े हुए थे (मार्च 2007)। 4.68 करोड़ रू0 में से 2.81 करोड़ रू0 अगस्त 2007 तक प्रयुक्त किए जा चुके थे तथा शेष 1.87 करोड़ रू0 सम्बन्धित मण्डलों के पास अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

विभाग का नियमित बजट निधियों को लोक निर्माण निक्षेप में रखना तथा निर्माण कार्यों हेतु निधियों का जाली बुक करना अनियमित था। इसके अतिरिक्त, निधियों को व्यपगत होने से बचाने हेतु वर्ष के अन्त में आहरित करना तथा उपरोक्त निधियों को वित्तीय वर्ष के प्रति आगामी वित्तीय वर्ष में प्रयुक्त करना वित्तीय नियमों का विपरीत था। प्रधान सचिव ने स्वीकार किया (जून 2007) कि निधियों को राज्य वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार (मार्च 2006) निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत रखा गया।

इसी प्रकार, निरमण्ड मण्डल द्वारा उपायुक्त कुल्लू से 2002-06 के दौरान (मई 2002 से मार्च 2006) "पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना" के अन्तर्गत पांच ग्रामीण सड़कों के निष्पादनार्थ प्राप्त 50.99 लाख रू0 आठ से 55 महीनों की अवधि हेतु "लोक निर्माण निक्षेप" के अन्तर्गत अनियमित रूप से रखे। नवम्बर 2006 तक जैसा कि अपेक्षित था न ही इन निर्माण कार्यों को निष्पादनार्थ लिया और न ही अधिशासी अभियंता द्वारा निधियों का अभ्यर्पण किया। अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च 2007) कि इन निर्माण कार्यों को सड़कों के आरेखण में शमिल वन/निजि भूमि तथा स्थानीय झगड़ों के कारण निष्पादनार्थ नहीं लिया जा सका।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि तीन निर्माण कार्यों[3] को स्थानीय झगड़ों को निपटाने के पश्चात दिसम्बर 2006 तथा जून 2007 के मध्य आरम्भ किया गया तथा 50.99 लाख रू0 में से 12.94 लाख रू0 नवम्बर 2006 के पश्चात प्रयुक्त किए जा चुके थे तथा 38.05 लाख रू0 अभी तक प्रयुक्त होने थे। उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पुष्टि करता है कि विभाग द्वारा वित्तीय धन की पूर्णतया अवहेलना की गई।

3.4.8 योजना तथा भौतिक निष्पादन

ग्रामीण सड़कों से सम्बद्ध प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार एक कोर नेटवर्क योजना ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व तैयार की जाती है। यह नेटवर्क विद्यमान सड़क नेटवर्क के सभी असंबद्ध निवास स्थानों को जोड़ता है तथा ग्रामीण सड़क क्षेत्र हेतु बनाई गई मुख्य योजना के आधार पर तैयार किया जाता है। इस योजना में से कोर नेटवर्क विद्यमान सड़कों को जोड़ने के साथ-साथ ग्रामीण सड़कों

---

[3] (i)पिगेण्डा कियांची से शालात शामानी सड़क (ii)सोईधार से ब्यूंगल तक मोटरयोग्य सड़क (iii) गांव गुनगी को सम्पर्क सड़क।

के अन्तर्गत नई प्रस्तावित सड़कों को जोड़ना है। सभी वांछनीय निवास स्थानों को कम से कम एकतरफा मार्ग प्रदान करने के उद्देश्य से भी तैयार किया जाना अपेक्षित है। कोर नेटवर्क को ग्रामीण सड़क क्षेत्र योजना के लिए दीर्घावधि मुख्य योजना के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आवंटित निधियों के अनुसार ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु वार्षिक प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाता है।

तथापि, नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि विभाग द्वारा ग्रामीण सड़कों के माध्यम से सभी गांवों को जोड़ने हेतु कोई दीर्घावधि मुख्य योजना तैयार नहीं की गई थी। नेटवर्क योजना/दीर्घावधि योजना के अभाव में विभाग के लक्ष्य तथा उपलब्धियां सत्यापित नहीं की जा सकीं। प्रमुख अभियंता ने बताया (अप्रैल 2007) कि इस उद्देश्यार्थ कोर नेटवर्क को आजकल अंतिम रूप दिया जा रहा है। 1999-2000 में किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर विभाग ने राज्य के सभी 17,495 संगणित गांवों को जोड़ने हेतु मोटरयोग्य सड़कों की आवश्यकता का निर्धारण किया। दक्षिण अंचल में 6,228 गांवों में से 3,183 (51 प्रतिशत) गांवों को मार्च 2007 तक सड़कों द्वारा जोड़ा जाना था।

2002-07 वर्षों हेतु राज्य सरकार की वार्षिक योजना में 2,575 कि0मी0 नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण, 190 संगणित गांवों को मोटरयोग्य सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया गया था। विभाग द्वारा आपूरित ब्यौरों के अनुसार 2002-2007 के दौरान 349 संगणित गांवों (184 प्रतिशत) को जोड़ने हेतु वास्तव में 2749 कि0मी0 (107 प्रतिशत) ग्रामीण सड़कें निर्मित की गई थी। दक्षिण अंचल के संदर्भ में 88 संगणित गांवों को जोड़ने हेतु 812 कि0मी0 सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव के प्रति विभाग ने 184 (209 प्रतिशत) संगणित गांवों को जोड़ने हेतु 1,305 कि0मी0 (161 प्रतिशत) सड़कों का निर्माण किया। विभाग द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त उपलब्धि के अतिरिक्त, दीर्घावधि योजना के अभाव में राज्य में 8,964 (51 प्रतिशत) गांव तथा दक्षिण अंचल में 3,183 गांव मार्च 2007 तक मोटरयोग्य सड़क से जोड़ने को रहे। इसी प्रकार, नमूना-जांचित मण्डलों में लगभग 75 प्रतिशत सड़क निर्माण कार्य अपूर्ण पड़े हुए थे।

3.4.8.1 ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों की प्रास्थिति

निष्पादनार्थ लिए गए समेकित अंचल वार अभिलिखित सड़क निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जा चुका था तथा 2002-07 के दौरान शेष अपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों हेतु विभाग द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था। तथापि, 14 नमूना-जांचित मण्डलों में निष्पादनार्थ लिए गए, अप्रैल 2002 तथा मार्च 2007 के मध्य पूर्ण किए गए तथा मार्च 2007 तक अपूर्ण पड़े निर्माण कार्यों की स्थिति तालिका में नीचे दी गई है:-

तालिका: 3.4.4

(करोड़ रूपए)

अवधि	आरम्भ किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	पूर्ण किए गए निर्माण कार्य		31 मार्च 2007 तक पूर्ण किए गए जाने वाली निर्माण कार्य	
			संख्या	व्यय	संख्या	व्यय
2001-2002 तक	539	154.20	121	40.81	418	88.12
2002-2003	38	35.64	12	13.52	26	7.90
2003-2004	32	31.64	13	14.16	19	12.73
2004-2005	35	20.90	17	5.91	18	7.24
2005-2006	59	44.41	16	2.98	43	12.76
2006-2007	67	50.38	10	4.24	57	9.26
योग:	**770**	**337.17**	**189**	**81.62**	**581**	**138.01**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

लेखापरीक्षा छानबीन में निम्नवत तथ्य ध्यान में आए:

(क) मार्च 2007 तक पूर्ण किए गए 189 निर्माण कार्यों में से 19.23 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर 28 निर्माण कार्यों (जनवरी 1981 से जनवरी 2005) को लिया गया तथा 26.11 करोड़ रू0 की लागत पर पूर्ण किया। इन निर्माण कार्यों की पूर्णता में 10 महीनों से 18 वर्षों का विलम्ब हुआ जिसे भू-अर्जन में विलम्ब, प्रस्तावित सड़क के आरेखण में होना वन भूमि का शामिल होना तथा निधियों का अभाव होना बताया। अनुमानित लागत से अधिक हुए व्यय को मार्च 2007 तक नियमित नहीं करवाया गया था।

(ख) 581 अपूर्ण निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में 138.01 करोड़ रू0 की लागत पर निष्पादनार्थ लिए गए (मार्च 1985 से अक्तूबर 2004 तक) 216 निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की नियतावधि एक से पांच वर्ष के मध्य समाप्त हो चुकी थी। इन 216 निर्माण कार्यों के समयवृद्धि एक वर्ष से 19 वर्ष तक थी। विलम्ब मुख्यत: निधियों के अभाव, भूमि झगड़े तथा वन भूमि को हस्तांतरित करने में विस्तृत प्रक्रिया के कारण बताया।

प्रधान सचिव ने तथ्यों की पुष्टि (जून 2007) कि तथा बताया कि समयवृद्धि अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया के कारण थी। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि भौतिक उपलब्धि के साथ-साथ वास्तविक व्यय का विश्लेषण उद्घाटित करता है कि जब सरकार ग्रामीण सड़कों के किलोमीटरों के रूप में निष्पादन वृद्धि दिखा रही थी, सड़क निर्माण कार्य वास्तव में बिछाई गई सड़कों के कार्यों का निर्माण नियतावधि तथा समस्त अनुमोदित विस्तृत लागत के बीच में पूर्ण नहीं किया जा रहा था।

विभाग द्वारा भारमुक्त भूमि सुनिश्चित करने तथा निधियों की पर्याप्तता किए बिना निष्पादनार्थ लिए गए सड़क निर्माण कार्य घटिया योजना को इंगित करते हैं।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में गैर-वानिकी उद्देश्यार्थ वन भूमि को प्रयोग करने से पूर्व भारत सरकार से अनुमोदन का प्रावधान है। विभाग द्वारा निर्माण का कार्य निष्पादन करने के पूर्व भूमि का भारमुक्त होना सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित था।

नमूना-जांचित छ: मण्डलों[4] के अभिलेखों से उद्घाटित हुआ कि जुलाई 1990 तथा जुलाई 2003 तक पूर्ण करने हेतु 4.27 करोड़ रू0 के नौ सड़क निर्माण कार्य (जुलाई 1987 से जुलाई 2000) संस्वीकृत किए गए। इन निर्माण कार्यों जिन पर 0.83 करोड़ रू0 खर्च हो चुके थे, को लगभग चार से 16 वर्षों तक (मार्च 2007) वन भूमि को प्रयोग करने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति के अभाव में (6 निर्माण कार्य: 0.63 करोड़ रू0) तथा निजि भूमि पर विवाद (3 निर्माण कार्य: 0.20 करोड़ रू0) के कारण रोक दिया था।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि मामलों को भारत सरकार को भेज दिया था (दिसम्बर 2003 तथा अगस्त 2006) तथा कुछ मामलों में भारत सरकार से निकासी प्राप्त करने के उपरान्त शुरू कर दिया था। निजि भूमि पर विवाद के कारण रूके पड़े निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्रधान सचिव ने बताया कि ग्रामीण सड़कों के निर्माणार्थ नीति के अनुसार क्षेत्र के लोगों ने अपनी भूमि को मुफ्त में दिया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि विभाग ने वनभूमि के हस्तांतरण हेतु समय पर भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई को आरम्भ नहीं किया था।

इसप्रकार, विभाग ने निर्माण कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व भारमुक्त भूमि सुनिश्चित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 0.83 करोड़ रू0 बेकार निवेश किया। इसके अतिरिक्त लाभार्थी वांछित लाभों से वंचित रहे। इस निवेश के व्यर्थ सिद्ध होने की सम्भावना है क्योंकि अपूर्ण सड़के समय बीतने के उपरान्त क्षतिग्रस्त हो सकती हैं।

---

4 अर्की, जुब्बल, कसौली, राजगढ़, रोहडू तथा सोलन

3.4.8.2 लागत वृद्धि

निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब होना उनकी लागत में अपरिहार्य प्रभाव होता है। लोक लेखा समिति ने अपने 76वें प्रतिवेदन (नवीं विधानसभा) में अनुमानित लागत से अधिक हुए व्यय के मामलों को निमयित करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की सिफारिश की थी (अगस्त 1999)। यह ध्यान में आया कि जुलाई 1990 तथा दिसम्बर 1998 के मध्य नौ मण्डलों[5] द्वारा निष्पादनार्थ लिए गए 17 ग्रामीण सड़क कार्य (आकलित लागत: 1.90 करोड़ रू0) अभी प्रगति पर थे (मार्च 2007)। इन सभी 17 मामलों के संदर्भ में पूर्णता की दो से छ: वर्षों के मध्य की नियत अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी तथा इन निर्माण कार्यों पर 5.70 करोड़ रू0 का व्यय हो चुका था जिसके परिणामस्वरूप 3.80 करोड़ रू0 की लागत वृद्धि हुई। 16 मामलों में पृथक-पृथक मामलों में 30 तथा 870 प्रतिशत के मध्य लागत वृद्धि हुई जबकि एक मामले में (मई 1991 में 0.95 लाख रू0 हेतु अनुमोदित) मार्च 2007 तक वास्तविक व्यय 21.27 लाख रू0 (2,139 प्रतिशत लागत वृद्धि) था। आकलनों में मार्च 2007 तक संशोधित नहीं किया था।

प्रधान सचिव ने राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण निधियों के अभाव को निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब बताया (जून 2007)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि चल रहे निर्माण कार्यों हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। इसी प्रकार, इनके बदले नए निर्माण कार्यों को निष्पादनार्थ लिया गया। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण सड़कों के निर्माणार्थ निधियों की कमी नहीं थी क्योंकि 2002-2007 के दौरान 119.97 करोड़[6] रू0 (निवल) का अभ्यर्पण इसका साक्ष्य था। उत्तर को सरकार ने भी स्वीकारा है कि निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना निर्माण कार्यों को लिया गया। इसप्रकार, गांवों को जोड़ने का वांछित उद्देश्य भी प्राप्त किए बिना रहा।

3.4.8.3 तकनीकी संस्वीकृति के बिना व्यय

नियमों के अनुसार, कोई कार्य निष्पादनार्थ नहीं लिया जाना चाहिए जब तक उपरोक्त हेतु विस्तृत आकलन तैयार एवं तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त न की गई हो। नमूना-जांच से उदघाटित हुआ कि मार्च 2007 तक 10 मण्डलों[7] में 2002-07 के दौरान 36 निर्माण कार्यों के विस्तृत आकलन तैयार किए बिना तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से निष्पादनार्थ लिया गया। इन निर्माण कार्यों पर फरवरी 2007 तक 21.11 करोड़ रू0 का व्यय किया जा चुका था।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि सम्बद्ध वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों की उपलब्धता के अनुसार कार्य आकलनों को पृथक-पृथक टुकड़ों में तकनीकी रूप से अनुमोदित किया गया था। उत्तर सरकार द्वारा यह स्वीकृति व्यक्त करता है कि निर्माण कार्यों का निष्पादन तदर्थ आधार पर खण्डों में तकनीकी संस्वीकृति से किया जो न केवल संहितागत प्रावधानों के विपरीत है परन्तु सयमवृद्धि तथा लागत वृद्धि नियंत्रण की भी कमी बताता है तथा घटिया योजना को सूचित करता है।

3.4.8.4 सड़क निर्माण न करने के कारण पुल पर निष्फल व्यय

मुख्य राष्ट्रीय उच्चमार्ग के साथ रमनी तथा जानी गांवों (किन्नौर जिला) के निवास स्थानों को जोड़ने हेतु सतलुज नदी के ऊपर नजदीक रमनी झूला में 300 मीटर के सम्पर्क मार्ग सहित 92 मीटर लम्बे जीपयोग्य झूला पुल का निर्माण 88 लाख रू0 हेतु अनुमोदित किया गया (सितम्बर 2001)। कार्य एक वर्ष की नियत अवधि में पूर्ण किया जाना था और मार्च 2002 में कार्य को निष्पादनार्थ लिया गया तथा 93.23 लाख रू0 की लागत में अगस्त 2005 में पूर्ण किया गया। आकलन को संशोधित करने तथा 5.23 लाख रू0 के अधिक व्यय को नियमित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

---

5 अर्की, चौपाल, जुब्बल, कसौली, नालागढ़, राजगढ़, रोहड़ू, शिमला-। तथा ठियोग।

6 2002-03: 77.68 करोड रू0; 2003-04: 18.34 करोड़ रू0; 2005-06: 20.94 करोड़ रू0 तथा 2006-07: 3.01 करोड़ रू0। स्रोत: संबद्ध वर्षों के विनियोग लेखे।

7 चौपाल, कसौली, नालागढ़, निरमण्ड, पांवटा साहिब, राजगढ़, रामपुर, रोहड़ू शिमला-। तथा ठियोग

मानचित्र : 3.4.1

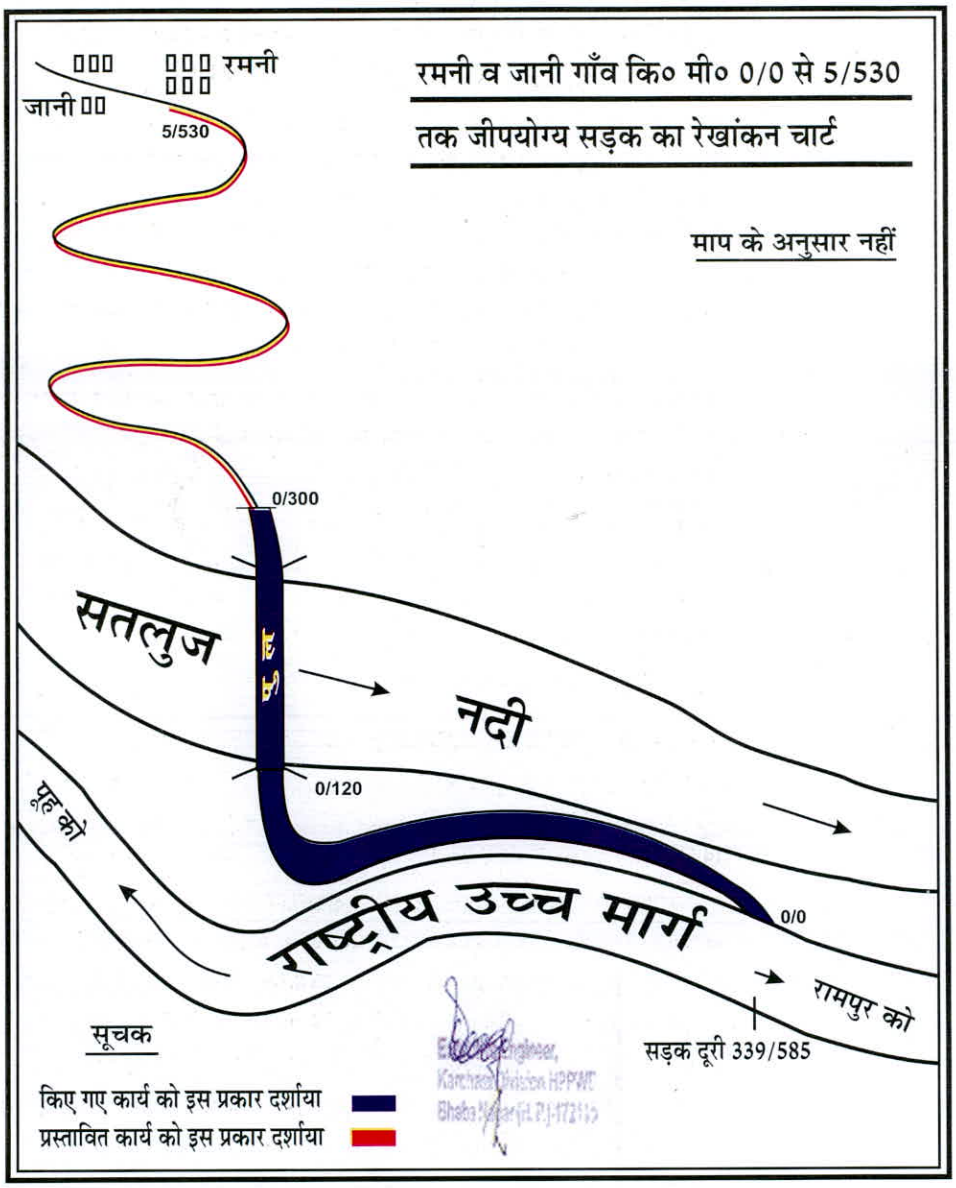

कड़छम मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ (नवम्बर 2006) कि गांव रमनी को जोड़ने वाली सड़क 0/300 कि0मी0 से 5/530 कि0मी0 के आगे जीपयोग्य सड़क के निर्माणार्थ 27.15 लाख रू0 का एक आकलन अनुमोदित किया गया (अप्रैल 2006) था परन्तु नवम्बर 2006 तक कार्य को निष्पादनार्थ नहीं लिया गया था। परिणामत: पुल तथा 300 मीटर सम्पर्क सड़क को प्रयुक्त नहीं किया जा सका तथा लक्ष्यित लाभार्थी राष्ट्रीय उच्चमार्ग से जोड़ने तथा अपने बागवानी एवं कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के अभिप्रेत लाभ से वंचित रहे। इसप्रकार, 93.23 लाख रू0 का व्यय निष्फल रहा।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि 2/300 कि0मी0 तक का कार्य प्रदान (दिसम्बर 2006) कर दिया गया था तथा शेष निर्माण कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी थीं। इसप्रकार विभाग की तदर्थ योजना क्षेत्र के लोगों को अभिप्रेत लाभों को प्राप्त करवाने में समस्त विलम्ब को दर्शाती है।

3.4.8.5. पुल के निर्माण न करने के कारण बेकार व्यय

4.225 कि0मी0 लम्बी क्यारटू-नाल-सबयाल सड़क (शिमला जिला) के निर्माण हेतु 1.21 करोड़ रू0 का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की गई थी (मई 2004)। आकलन में 0/975 कि0मी0 पर

दारगुला नाले के ऊपर 20 मीटर लम्बे स्टील ट्रस्स पुल के निर्माण को सम्मिलित किया था। सड़क से 2000 व्यक्तियों के लाभ की परिकल्पना की गई थी सड़क संघटक का कार्य निष्पादनार्थ लिया गया (जनवरी 2005) था तथा 67.16 लाख रू0 की लागत पर पूर्ण किया (दिसम्बर 2005)।

ठियोग मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित (अप्रैल 2007) हुआ कि जब आकलनों हेतु तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की गई तो 0/975 कि0मी0 पर पुल के निर्माण के प्रावधान को अभिकल्पों को अंतिम रूप न देने के कारण शामिल नहीं किया गया था। तथापि, 22 मीटर लम्बे आरसीसी-टी बीम पुल के कार्य आकलन को जुलाई 2006 में 36.39 लाख रू0 में तकनीकी रूप से अनुमोदित किया गया तथा कार्य को 55.64 लाख रू0 की निविदित लागत पर एक ठेकेदार को प्रदान किया गया (सितम्बर 2006)। पुल की उप संरचना का निर्माण जनवरी 2007 में लिया गया तथा अगस्त 2007 तक 82.46 लाख रू0 (सड़क: 67.16 लाख रू0 तथा पुल: 15.30 लाख रू0) का व्यय किया जा चुका था।

इसप्रकार, पुल के समकालिक प्रावधान के साथ तकनीकी अनुमोदन में उपयुक्त योजना के अभाव के परिणामस्वरूप पुल सहित सड़क के निर्माण पर 82.46 लाख रू0 का व्यर्थ व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त पुल तैयार होने के समय तक लोग अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। पुल को पूर्ण करने की तिथि निर्धारित नहीं की गई थी।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि पुल निर्माण को साथ-साथ नहीं लिया जा सका क्योंकि पुल के अभिकल्प को तकनीकी जांच के उपरान्त अनुमोदित किया गया था (जुलाई 2006)। प्रधान सचिव का उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि तकनीकी जांच हेतु पर्याप्त तरीका अपनाना चाहिए था ताकि लिए गए कार्य के अभिप्रेत उद्देश्यों को बिना समय तथा लागत वृद्धि के प्राप्त किया जाता।

3.4.8.6 पुल पर निरर्थक व्यय

डोडरा क्वार (शिमला जिला एक पिछड़ा क्षेत्र) को सड़क के निर्माण कार्य को वित्तीय आयुक्त-एवं-सचिव, लोक निर्माण विभाग ने 5.82 करोड़ रू0 हेतु प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया (अप्रैल 1997)। सड़क आकलन में पक्का उप-संरचना के आर सीसी अत्यांधारों सहित 1/600 कि0मी0 पर रूपिन खड्ड के ऊपर किमवाली में 33.53 मीटर लम्बे बैली पुल के निर्माण का प्रावधान शामिल था।

डोडरा क्वार मण्डल तथा रोहड़ू वृत्त के अभिलेखों की नमूना-जांच से उदघाटित हुआ (मार्च 2007) कि अनुमोदित अभिकल्प के अनुसार उप-संरचना के आरसीसी अत्याधारों के निर्माण के बजाय मण्डल ने अधीक्षण अभियंता के अनुमोदन पर जालीदार तारों के अत्यांधार निर्मित किए (अप्रैल 2004)। आगे यह ध्यान में आया कि 33.53 मीटर लम्बे अभिकल्प के प्रति 30.50 मीटर लम्बे वैली पुल को 30 लाख रू0 की लागत पर जालीदार तारों के अत्यांधार पर शुरू किया था (जून 2004)। वैली पुल जुलाई 2005 में तीव्र बाढ़ से बह गया था।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि जनजातीय विकास समिति[8] ने क्षेत्र को सड़क से जोड़ने हेतु अस्थाई प्रबन्ध के रूप में जालीदार तारों के अत्यांधारों पर वैली पुल को निर्मित करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2003) क्योंकि आरसीसी अत्यांधारों का निर्माण टैक्नो-मितव्ययी रूप में सम्भव नहीं है। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि समिति ने न तो तो जालीदार तारों के अत्यांधारों को निर्मित करने कि सिफारिश की थी और न ही तकनीकी रूप से वह इसे करने में सक्षम थी। इसके अतिरिक्त हिल रोड़ मैनुअल में परकल्पित किया है कि बाढ़ों से क्षति को रोकने हेतु अस्थाई पुलों के निर्माण हेतु सुदृढ़ नीवं स्थापित करने के लिए सावधान रहना आवश्यक है। इस प्रकार, विभाग द्वारा अनुमोदित आकलन तथा हिल रोड मैनुअल से अप्राधिकृत विचलन के परिणामस्वरूप 30लाख रू0 का व्यर्थ व्यय हुआ।

3.4.8.7 निम्न विनिर्देशित कार्य का निष्पादन

राज्य सरकार ने शिमला जिला में कुल 47 कि0मी0 लम्बी टिक्कर-जरोल-गाहन-ननखड़ी-खामादी सड़क के शेष कार्य (33 कि0मी0) हेतु नाबार्ड के अंतर्गत 4.71 करोड़ रू0 का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (दिसम्बर 1997)। संस्वीकृत आकलन में सड़क के 33 कि0मी0 पर 253 एमएम के भू पृष्ठ (क्रस्ट) को

---

[8] जनजातीय क्षेत्रों में आरमभ किए गए कार्यों के प्रत्यक्ष तथा वित्तीय समीक्षा हेतु प्रधान सचिव (जनजातीय विकास) की अध्यक्षता में एक समिति

उपलब्ध करवाना शामिल था। कार्य को दो वर्षों की अपेक्षित नियतावधि में पूर्ण किए जाने वाले कार्य थे, को 3 वर्ष तथा छ: महीनों के विलम्ब के पश्चात जून 2003 में पूर्ण किया गया।

रामपुर मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ (दिसम्बर 2006) कि सड़क की 28 कि0मी0 लम्बाई में मण्डल ने 253 एमएम की मोटाई के क्रस्ट के बदले 2.14 करोड़ रू0 की लागत पर 195 एमएम की मोटाई के क्रस्ट को उपलब्ध करवाया। परिणामत: नाबार्ड दल ने पाया (सितम्बर 2002) कि सड़क सतह कई स्थानों पर बैठ गई तथा क्रस्ट की मोटाई निर्धारित मोटाई से कम पाई गई। दल ने पाया कि ग्रेड-III धातु सहित जलारोपित रोड़ी की अतिरिक्त 75 एमएम मोटी परत सड़क की आरोहरण गुणवत्ता सुधार में आवश्यक थी तथा शेष पांच कि0मी0 लम्बी सड़क की पक्की सड़क सतह हेतु तदनुसार क्रस्ट की मोटाई को निर्धारित करने हेतु कैलिफोर्निया अनुपात सम्बन्धी परीक्षण (कैलिफोर्निया वियरिंग रेशो) की सिफारिश की थी। यह ध्यान में आया कि नवम्बर 2002-जुलाई 2003 मे शेष 5 कि0मी0 लम्बाई पर मण्डल ने 75 एमएम मोटाई की ऊपरी तह की द्वितीय परत उपलब्ध करवाई गई तथा बिछाई, परन्तु 28 कि0मी0 सड़क जिस पर पहले से ही 195 एमएम की प्रथम परत बिछाई गई थी, का प्रतिपादन नहीं किया। इस प्रकार, सड़क की 28 कि0मी0 लम्बाई में अनुमोदित मोटाई के भू-पृष्ठ को डालने हेतु अनुमोदित विनिर्देशन से बचने (मुख्य अभियंता दक्षिण अंचल द्वारा) के परिणामस्वरूप 2.14 करोड़ रू0 लागत के निम्न विनिर्देशित कार्य का निष्पादन हुआ तथा सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त संचार सुविधा को उपलब्ध नहीं करवाया गया।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि ग्रामीण सड़कों के संदर्भ में सोलिंग तथा वियरिंग की प्रत्येक परत को बिछाने हेतु प्रचलित आचरण के दृष्टिगत क्रस्ट की कम मोटाई का प्रयोग किया गया था। आगे यह बताया कि उच्च शीर्ष लम्ब तथा सड़क के छायादार भाग के कारण सड़क सतह को बिछाया गया जो कि अधिकतर बर्फ से ढका क्षेत्र था। उत्तर तर्क सगत नहीं है क्योंकि वास्तव में सड़क पर उच्च शीर्ष लम्ब तथा छायादार भाग को ढकने के लिए मोटे क्रस्ट को उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। इसे अनुरक्षण दौरे के दौरान नाबार्ड के प्रति निधियों ने भी माना।

3.4.8.8 अमितव्ययी विर्निदेशन अपनाने के कारण परिहार्य व्यय

31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (सिविल) प्रतिवेदन के अनुच्छेद 4.12 में सड़कों पर मिश्रित सील सतह (एम.एस.एस.) अथवा पीसी ट्रीटमैण्ट की एक समय पर एक सतह डालने के बजाय अलग से प्रिमिक्स कारपैट (पीसी) तथा सील कोट (एससी) की घोषित प्रणाली अपनाने के कारण सड़के नवीकरण पर परिहार्य व्यय होने के विषय में उल्लेख किया गया था।

आठ मण्डलों[9] के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (नवम्बर 2006-अप्रैल 2007) कि जून 2002 तथा नवम्बर 2006 के मध्य 29 मामलों में सतह के 2,62,850 वर्ग मी0 के क्षेत्र के ऊपर 2.68 करोड़ रू0 की लागत से पीसी और एससी की घोषित प्रणाली से नवीकरण परत का निश्पादन किया गया। यदि एमएसएस सहित परत का नवीकरण किया गया होता तो उसकी लागत 1.99 करोड़ रू0[10] होती। इन मामलों में उपयुक्त विनिर्देशन को अपनाने के विफल रहने के परिणामस्वरूप 0.69 करोड़ रू0 (2.68 करोड़ रू0 से 1.99 करोड़ रू0 घटाकर) का फालतू व्यय हुआ।

प्रधान सचिव ने स्वीकार किया (जून 2007) कि विभाग के विनिर्देशन में विद्यमान एमएसएस के प्रावधान को विभिन्न स्थलीय रूप के कारण समस्त राज्य में लागू नहीं किया जा सकता। उत्तर तर्क संगत नहीं है जब तक कि राज्य के विभिन्न स्थानों के स्थलीय रूप के अनुसार विर्निर्देशनों को संशोधित नहीं किया जाता।

3.4.8.9 ठेकेदारों से सरकारी देयों की वसूली नहीं करना

संविदा के अनुसार, ठेकेदार को कार्य के निष्पादन में प्रदान किए गए समय का दृढ़ता से पालन करना होगा। कार्य के पूर्ण करने में विलम्ब के मामले में एक प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब के बराबर क्षतिपूर्ति की राशि बशर्ते कि यह कार्य की निविदित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, को उदगृहीत किया जाएगा।

---

9 अकी, कसौली, नालागढ़, निरमण्ड, राजगढ़, रामपुर, रोहड़ू तथा सोलन

10 शडयूल की दरों जमा ठेकेदारों को देय प्रीमियम जो 29 विभिन्न कार्यों हेतु भिन्न-भिन्न था, पर आधारित

सात मण्डलों[11] में 11 सड़क निर्माण कार्यों को 4.18 करोड़ रू0 की कुल निविदा लागत पर फरवरी 2001 तथा दिसम्बर 2005 के मध्य 13 ठेकेदारों को सौंपा गया तथा कार्य को 3 तथा 18 महीनों के मध्य पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार नियत अवधि में कार्य को पूर्ण करने में विफल रहने के कारण सम्बन्धित मण्डलों ने निर्माण कार्यों की पूर्णता में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति के 27.88 लाख रू0 उदगृहीत (मई 2003-अक्तूबर 2006) किए। तथापि, यह ध्यान में आया कि सात मण्डलों ने मार्च 2007 तक ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति की राशि को वसूल नहीं किया। प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि विभिन्न ठेकेदारों से उदगृहीत क्षतिपूर्ति को वसूल नहीं किया गया था क्योंकि ठेकेदारों के बिलों को अभी अंतिम रूप दिया जाना था वसूली उपरोक्त लम्बित पड़े अन्तिम रूप दिए जाने को बिलों के बजाय ठेकेदारों के चालू लेखा बिलों से प्रभावी करके की जानी चाहिए थी।

3.4.8.10 निर्माण कार्यों का अमितव्ययी निष्पादन

राज्य वित्तीय नियमों के अनुसार चयनित अधिशासी अभियन्ताओं जिन्हें अधिशासी अभियन्ता के रूप में 12 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो छः लाख रू0 तथा वे अधिशासी अभियंता जिन्हें तीन वर्षों का अनुभव अधिशासी अभियंता के रूप में हो, तीन लाख रू0 की निविदा स्वीकार करने/तकनीकी संस्वीकृति प्रदान करने की वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

सात मण्डलों[12] की नमूना-जांच से उदघाटित हुआ (नवम्बर 2006 से मार्च 2007) कि अधिशासी अभियंताओं ने 25 निर्माण कार्यों के मुख्य भाग को (अनुमानित लागत: 4.11 करोड़ रू0) 362 भागों/इकरारनामों में खण्डित करके 4.49 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर 144 ठेकदोरों को सौंपा (अप्रैल 2002 से मार्च 2006)। ठेकेदारों द्वारा भरी गई दरें निविदा में दी गई राशि से 58 प्रतिशत निम्न से 144.90 प्रतिशत ऊपर के मध्य थीं। इस प्रकार प्रत्येक निर्माण के कार्य हेतु चलायमान दरों का तुलनात्मक लाभ एक निविदा के परिणाम से नहीं निकाला गया। सक्षम अधिकारी से निर्माण कार्यों को खण्ड में बांटने हेतु भी अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था।

प्रधान सचिव ने बताया (जून 2007) कि निर्माण कार्य दक्षिण अंचल के अंतर्गत दूर-दराज क्षेत्रों में पड़ते थे जहां पर ठेकेदारों की उपयुक्त श्रेणी कार्य को करने में उत्सुक नहीं थी तथा कार्यों की प्रगति प्राप्त करने हेतु खण्डों में बांटा गया। धारण तर्क संगत नहीं थी क्योंकि ठेकेदारों को निर्माण कार्यों को खण्डों में बांटने तथा सौंपने हेतु सक्षम प्राधिकारी से संस्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी।

3.4.9 सड़क निर्माण कार्यों पर प्रयुक्त की गई सामग्री का विद्यमान गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण न करना

विभागीय विनिर्देशनों के अनुसार सड़कों के निर्माण हेतु प्रयुक्त की गई सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु जांच करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में यह ध्यान में आया कि राज्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माणार्थ प्रयुक्त की गई सामग्री की जांच किसी भी नमूना-जांचित मण्डलों में नहीं की गई थी। प्रधान सचिव ने तथ्यों को स्वीकार (जून 2007) किया तथा बताया कि ग्रामीण सड़कों के निष्पादनार्थ गुणवत्ता के स्तर को सुधारने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

3.4.10 आंतरिक नियंत्रण

विभाग में आंतरिक नियंत्रण लेखापरीक्षा स्कन्ध नहीं था। ग्रामीण सड़कों हेतु निर्माण कार्यों की मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं तथा अधिशासी अभियंताओं द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्देशनों तथा अनुसूचियों, इत्यादि निर्माण कार्यों के निरीक्षण में अनुवर्तन करने हेतु मानक निर्धारित नहीं किए थे। नमूना जांचित-14 मण्डलों में से केवल चार मण्डलों[13] द्वारा 2002-2007 के दौरान क्रमश: मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंताओं द्वारा आठ तथा 42 बार निरीक्षण किया था। अधिशासी अभियंता के मामले में उसके द्वारा संचालित निर्माण कार्यों में निरीक्षण की संख्या को सूचित नहीं किया था। यह बताया गया (नवम्बर 2006 से अप्रैल 2007) कि निरीक्षण बहुत बार संचालित किए गए परन्तु निरीक्षण टिप्पणियों को कार्य की अधिकता के के कारण अभिलिखित नहीं किया गया। निरीक्षण टिप्पणियों, के बिना निर्देशों, नियमों आदि दृष्टांत मामलों का अनुपालन नहीं कहलाया जा सकता।

---

11 अर्की, कसौली, निरमण्ड, पांवटा साहिब, राजगढ़, रामपुर तथा शिमला-।

12 चौपाल, निरमण्ड, पांवटा साहिब, राजगढ़, रामपुर, रोहड़ू तथा शिमला-।

13 अर्की, जुब्बल, कड़छम तथा पांवटा साहिब

प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा के विचार को स्वीकार किया (जून 2007) तथा बताया कि निरीक्षण टिप्पणियों को अपयुक्त अभिलेख के साथ जारी किया जाएगा।

3.4.11 अनुश्रवण

प्रमुख अभियंता के कार्यालय में अधीक्षण अभियंताओं से प्राप्त प्रत्यक्ष तथा वित्तीय उपलब्धियों पर आवधिक प्रतिवेदनों के अनुश्रवण हेतु एक अनुश्रवण कक्ष का सृजन किया गया। तथापि, यह ध्यान में आया कि क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त आवधिक प्रगति प्रतिवेदनों की उपयुक्त निदेशों सहित छानबीन तथा उन पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रतिवेदनों में सड़क निर्माण कार्यों की पूर्णता हेतु निर्धारित समय ढांचा भी इंगित नहीं किया गया था, इसे अतिरिक्त, पांच वर्षों से भी पहले के आरम्भ किए गए 418 सड़क निर्माण कार्य अपूर्ण पड़े रह गए थे।

प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (जून 2007) तथा बताया कि स्कीम का पर्याप्त रूप से अनुश्रवण करने हेतु अनुश्रवण कक्ष को परामर्श दिया जाएगा।

3.4.12 निष्कर्ष

राज्य सरकार ने समयबद्ध तरीके से सभी संगणित गांवों को पहचाने तथा जोड़ने हेतु कोर नेटवर्क को तैयार नहीं किया था। वित्तीय तथा प्रत्यक्ष लक्ष्य आपस में मेल नहीं खा रहे थे तथा वास्तविक नहीं थे। आवंटित निधियां सड़क निर्माण कार्यों के वास्तविक निष्पादन के बिना जाली प्रयुक्त की गई दर्शाई थीं। अपूर्ण पड़े सड़क निर्माण कार्यों की संख्या के परिणामस्वरूप बेकार निवेश हुआ। कई सड़क निर्माण कार्यों में लागत तथा समय वृद्धि हुई। सड़कों के मरम्मत तथा अनुरक्षण सम्बन्धी मानक संशोधित नहीं किए गए थे। निर्माण कार्यों के अनुमोदित विनिदेशनों सम्बन्धी विचलनों के दृष्टांतों के परिणमस्वरूप निम्न स्तर निर्माण कार्यों का निष्पादन तथा व्यर्थ व्यय हुआ। ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों के निष्पादनार्थ आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण कमजोर था।

3.4.13 सिफारिशें

- **सरकार को राज्य में सभी संगणित गावों को जोड़ने के लिए समय सूची अनुसरण करने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में शीघ्रता से एक मुख्य योजना सृजित करनी चाहिए।**
- **सड़क निर्माणार्थ वित्तीय तथा प्रत्यक्ष लक्ष्यों को सड़क लम्बाइयों के बजाय गांवों को सड़क उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जोड़ने के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।**
- **संगणित गांवों को तेजी से जोड़ने हेतु तथा लम्बित निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए भी पर्याप्त निधियों की उपलब्धता करवाना आवश्यक है।**
- **अनुमोदित दिशानिर्देशों तथा विनिर्देशनों के संदर्भ में आरम्भ किए गए सड़क निर्माण कार्यों के पर्याप्त निरीक्षण तथा अनुश्रवण को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है।**
- **सड़क निर्माण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को विकसित तथा कार्यान्वित करना चाहिए।**

प्रधान सचिव ने सिफारिशों को स्वीकार (जून 2007) किया तथा विश्वास दिलाया कि अनुपालना से शीघ्र ही सूचित करवाया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग

3.5 जल विभाजक विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

मुख्य -मुख्य बातें

सभी तीनों कार्यक्रमों अर्थात् मरूस्थल विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बंजर/निम्नस्तरीय भूमि का विकास करना, जल-नियंत्रण द्वारा पारिस्थितिक संतुलन की पुनः स्थापना करना, प्राकृतिक स्त्रोतों जैसाकि भूमि, जल तथा वानस्पतिक आवरण का संरक्षण करना तथा समग्र आर्थिक विकास का प्रोत्साहन तथा परियोजना क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के संसाधनहीन तथा सुविधावंचित प्रवर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सुधार करना है।

उपरोक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निष्पादन समीक्षा से पाया गया कि इन कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध करवाई गई निधियां पूर्णरूप से उपयोग में नहीं लाई गई, कुछ मामलों में क्षेत्र सुधार के साक्ष्य का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जल विभाजक विकास दलों का गठन निर्धारित सीमा तक नहीं किया गया था तथा अर्हता प्राप्त सदस्य नहीं थे। 165 जल विभाजकों से समाविष्ट नौ चयनित परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों में कोई भी स्वावलम्बन ग्रुप नहीं बनाए गए थे। क्षमता बढ़ाने तथा प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध करवाई गई निधियों का उपयोग पूर्णरूप से नहीं किया गया था। उपयुक्त निर्गम संलेख हेतु कोई भी तन्त्र नहीं बनाया गया था । कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् थे :

- *राज्य सरकार ने बंजर/निम्नस्तरीय भूमि, सूखाग्रस्त तथा मरूभूमि क्षेत्रों के सुधार हेतु दीर्घावधि अवलोकन योजना तैयार नहीं की थी ।*

(परिच्छेद 3.5.8.1)

- *सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम,मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2002-07 के दौरान क्षेत्र सुधार की उपलब्धियों में कमियां क्रमशः 31 एवं 52; 50 एवं 85 तथा 16 एवं 53 प्रतिशत के मध्य रही ।*

(परिच्छेद 3.5.10.1)

- *मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किन्नौर एवं ऊना ने जल विभाजक हेतु लागत मानदण्डों का पालन न करने के कारण स्वीकार्य सीमा से 9.97 करोड़ रू0 अधिक व्यय किये ।*

(परिच्छेद 3.5.10.4)

- *2004-07 के दौरान विकसित किये जाने वाले 2,24,064 हैक्टेयर क्षेत्र के प्रति मार्च 2007 तक 73.71 करोड़ रू0 (53 प्रतिशत) व्यय करने के पश्चात् केवल 98,127 हैक्टेयर क्षेत्र (44 प्रतिशत) को ही वास्तव में विकसित करने के परिणामस्वरूप 1,25,937 हैक्टेयर की वास्तविक उपलब्धि की कमी रही ।*

(परिच्छेद 3.5.11.1)

- *सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1.69 करोड़ रू0) तथा एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (4.37 करोड़ रू0) के अंतर्गत 2002-07 के दौरान बंजर रूमि/निम्न स्तरीय भूमि के विकास पर चार चयनित परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने 6.06 करोड़ रू0 व्यय किये परन्तु माप पुस्तिका/उपस्थिति नियमावली में वास्तविक रूप से विकसित/समुपचारित क्षेत्र का कोई भी साक्ष्य नहीं रखा गया था । इस प्रकार 6.06 करोड़ रू0 का संदेहास्पद व्यय हुआ ।*

(परिच्छेद 3.5.12.1)

- ***चार चयनित परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने 2002-07 के दौरान बाह्य श्रमिकों को 1,22,189 कार्यदिवसों (मरूस्थल विकास कार्यक्रम: 1,06,050; एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम: 16,139) के लिए सकल 1.04 करोड़ रू0 की मजदूरी का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाले स्त्रोतविहीन तथा सुविधावंचित प्रवर्ग को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए ।***

(परिच्छेद 3.5.12.5)

3.5.1. परिचय

भारत सरकार ने 1973-74 तथा 1989-90 के मध्य जल विभाजक विकास तथा सामुदायिक सशक्तिकरण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की धारित संवृद्धि के विकास हेतु तीन प्रायोजित कार्यक्रमों अर्थात् सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। जल विभाजक विकास योजना में शामिल मुख्य क्रियाकलापों में यथावत भूमि तथा जलविभाजक पहुंच मार्ग [1] के अन्दर नमी सहित भूमि का विकास करना है जैसाकि :

- ब्लाक पौधरोपण,कृषि वानिकी तथा बागवानी विकास सहित वनीकरण;
- छोटे जलरोधक ढांचों का विकास जैसेकि कम लागत फार्म तालाब, चैक डैम तथा नाला बांध आदि का विकास ;
- चरागाह विकास,जल स्त्रोतो का नवीकरण तथा संवर्धन ;
- नई फसलों की प्रसिद्धि हेतु फसल प्रदर्शन ; तथा
- गैर-परम्परागत ऊर्जा बचत उपकरणों को प्रोत्साहित तथा उत्पन्न करना ।

जल विभाजक विकास कार्यो से उत्पन्न किये जाने वाले लाभों में अत्यधिक जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों जैसेकि सूखा,मरूस्थलीकरण आदि के विपरीत प्रभाव को कम करने के अतिरिक्त पानी तालिका में वृद्धि, फसलों एवं दूध का उत्पादन शामिल है।

तीनों कार्यक्रमों को 1 अप्रैल 1995 से जल विभाजक विकास हेतु दिशानिदेशों के सांझे सैट के अंतर्गत लाया गया है जिसे बाद में पंचायती राज संस्थाओं हेतु उत्कृष्ट भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए 2001 में संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने तथा योजना, कार्यान्वयन तथा आर्थिक विकास क्रियाकलापों में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अर्थपूर्ण ढंग से शामिल करने के लिए भारत सरकार ने "हरियाली" नाम से पुकारे जाने वाले नये दिशानिदेश प्रकाशित किये (अप्रैल 2003)। इस तिथि से पहले स्वीकृत की गई परियोजनाएं 2001 के दिशानिदेशों के अनुसार जारी रखी जानी अनुमत की गई ।

3.5.2 हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वयन

हिमाचल प्रदेश में किन्नौर तथा लाहौल एवं स्पिति जिलों के तीन विकास खण्डों में 1977-78 से मरूस्थल विकास कार्यक्रम प्रचालन में है तथा नौ जिलो[2] के 62 ब्लाकों में एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम 1992-93 से प्रचालन में है जब कि बिलासपुर, सोलन तथा ऊना जिलों के 10 विकास खण्डों मे सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1994-95 से क्रमिक रूप से प्रचालन में है । सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम उन क्षेत्रों में आरम्भ किया गया था जो लगातार अत्यधिक सूखे से प्रभावित थे तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम ठण्डे मरूस्थल क्षेत्रों में आरम्भ किया गया था । एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम बंजर/निम्नस्तीय भूमि के विकास हेतु उन क्षेत्रों में आरम्भ किया गया था जो मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आवृत नहीं थे ।

---

1 जल विभाजक एक भू-जल विज्ञान संबंधी एकक है जो समान बिंदुओं पर व्यय करके तथा जल विभाजक के द्वारा भूमि व जल के विकास तथा वनीकरण हेतु उर्ध्व भूमि को घाटी के रूप लाते हैं।

2 चम्बा: सात; हमीरपुर: छ; कांगड़ा: 14; किन्नौर: दो; कुल्लू: पांच; मण्डी: 10; शिमला: नौ; सिरमौर: छ: तथा सोलन: तीन

3.5.3 संगठनात्मक ढांचा

राज्य में सभी तीनों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है :

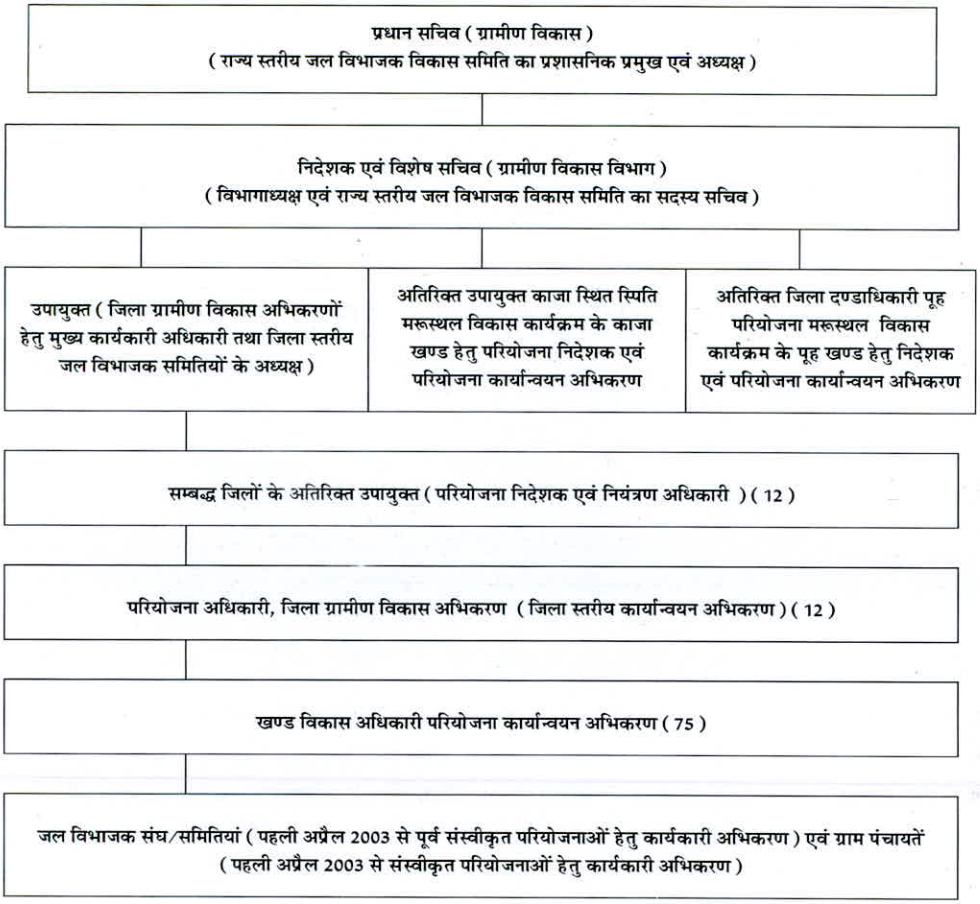

3.5.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

निष्पादन समीक्षा में 2002-07 की अवधि को आवृत किया गया तथा सितम्बर 2006-जनवरी 2007 के दौरान ग्रामीण विकास निदेशालय, 12 परियोजना अधिकारियों में से सात [3] के कार्यालयों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, 23 परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों[4] तथा 65 जल विभाजक समितियों/पंचायतों में चयनित परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के अंतर्गत अभिलेखों की प्रतिदर्श जांच के द्वारा की गई । 2002-2007 के दौरान तीन कार्यक्रमों पर किये गये 154.05 करोड़ रू0 के व्यय में से 84.68 करोड़ रू0 के व्यय (55 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गई । आगामी परिच्छेदों में विवेचित किये गये लेखापरीक्षा निष्कर्ष उपरोक्त इकाइयों द्वारा प्रश्नावली/लेखापरीक्षा ज्ञापनों के लिए प्रस्तुत किये गये अभिलेखों, डाटा,सूचना तथा उत्तर के विश्लेषण पर आधारित है ।

---

3 बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति, सोलन तथा ऊना

4 अम्ब, बमसन, बंगाणा, बिलासपुर, बिझड़ी, भोरंज, देहरा, धर्मपुर (सोलन), गगरेट, घुमारवीं, हरोली, झण्डूता, कल्पा, केलांग, कुनिहार, नगरोटा बगवां, नादौन, निचार, नूरपुर, प्रागपुर तथा ऊना खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी तथा काजा तथा पूह के परियोजना निदेशकों (उप-जिला ग्रामीण विकास अभिकरण खण्ड)

3.5.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

समीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सत्यापन करने के लिए थे कि क्या :

- विभिन्न जल विभाजक विकास कार्यक्रलापों के कार्यान्वयन हेतु योजना पर्याप्त थी तथा सभी तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत बैंचमार्क के सम्बन्ध में पहचान प्रक्रिया उपयुक्त थी ;
- विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रदान की गई निधियों का आबंटन, निस्तारण तथा उपयोग विवेकपूर्ण, पर्याप्त तथा प्रभावकारी था ;
- जल विभाजकों के चयन हेतु मानदण्ड तथा कार्यों के निष्पादन हेतु दिशानिर्देशों में निर्धारित किये गये मानकों का अनुसरण किया गया था ;
- जल विभाजक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर्याप्त तथा प्रभावकारी थी ;
- विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण प्रणाली प्रभावकारी रूप से कार्य कर रही थी ।

3.5.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

सभी तीनों कार्यक्रमों का निष्पादन निर्धारण करने के लिए लागू लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नवत थे :

- क्षेत्र की शिनाख्त हेतु बैंचमार्क;
- भारत सरकार के दिशानिदेश, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुपूरक दिशानिर्देश तथा समय-2 पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये अनुदेश ;
- जल विभाजक परियोजनाओं हेतु दिशानिदेश; तथा
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु निर्धारित तन्त्र ।

3.5.7 लेखापरीक्षा प्रणाली

सचिव तथा निदेशक ग्रामीण विकास विभाग के साथ आरम्भिक सम्मेलन आयोजित किया गया (दिसम्बर 2006) जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदण्ड तथा लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र को स्पष्ट किया गया तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विभाग के सुझावों/प्रत्यक्ष ज्ञान (अनुभव) की चर्चा की गई । पांच परियोजना अधिकारियों तथा 13 परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम:10[5] एवं मरूस्थल विकास कार्यक्रम: तीन[6]) का शत प्रतिशत चयन किया गया जबकि एकीकृत जल विभाजक कार्यक्रम: तीन[7] जिले प्रतिस्थापन सहित आकार के सम्भावित आनुपातिक[8] विधि के आधार पर चुने गये थे तथा 10 पंचायती राज अभिकरणों को प्रतिस्थापन रहित सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श[9] प्रणाली के आधार पर चुना गया था । लेखापरीक्षा निष्कर्षो की विवेचना (मई 2007) सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) के साथ समापन सम्मेलन में की गई थी तथा सरकार का दृष्टिकोण जहां-2 दिया गया, को प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थान में सम्मिलित कर लिया गया है।

3.5.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.5.8.1 कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु योजना

तीनों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दिशानिदेशों (2001) में राज्य सरकार द्वारा 15 वर्षो की अवधि में निधियों की उपलब्धता के दृष्टिगत सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम व एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम तथा चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कार्यान्वित किये जाने वाले अन्य ऐसे

---

5 अम्ब, बंगाणा, बिलासपुर, धर्मपुर, गगरेट, घुमारवीं, हरोली, झण्डूता, कुनिहार तथा ऊना

6 खण्ड विकास अधिकारी, केलांग स्थित लाहौल, परियोजना अधिकारी, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, काजा तथा परियोजना अधिकारी, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, पूह

7 हमीरपुर, कांगड़ा तथा किन्नौर

8 प्रतिस्थापन सहित आकार अनुपाती सम्भाव्यता

9 प्रतिस्थापन रहित सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श

कार्यक्रमों के अंतर्गत दीर्घ अवधि परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने का प्रावधान था । यह पाया गया (जनवरी 2007) कि विभाग ने इन कार्यक्रमों के समुचित एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की थी ।

सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) का तर्क था (मई 2007) कि क्षेत्र की स्थलाकृति के कारण दीर्घ अवधि परिप्रेक्ष्य योजना का तैयार किया जाना सम्भव नहीं था परन्तु सूचित किया गया (अगस्त 2007) कि विभाग ने इस सम्बन्ध में पहले से ही पहल कर दी है ।

3.5.8.2 क्षेत्रों की पहचान

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की उच्च स्तरीय तकनीकी समिति तथा राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदन अभिकरण द्वारा चयनित बंजरभूमि /निम्नस्तरीय भूमि के उपलब्ध डाटा के आधार पर सम्बद्ध कार्यक्रमों के अंतर्गत आवृत किये जाने के लिए घोषित जिलों/खण्डों के लिए भारत सरकार ने परियोजनाएं स्वीकृत की । भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के पश्चात् सामुदायिक भागीदारी तथा जनता की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जिला प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रों की पहचान की जाती है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्बद्ध जिले समुचित सर्वेक्षण करने के पश्चात् उपलब्ध दूरवर्ती संवेदन डाटा सहित विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण सम्बन्धी राज्य परिषद् तथा भारत सरकार के बंजर भूमि एटलस के आधार पर परियोजना प्रस्ताव तैयार करते है ।

भारत सरकार के एटलस के अनुसार, राज्य के कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर (55,67,300 हैक्टेयर) के प्रति राज्य में बंजर/निम्नस्तरीय भूमि का क्षेत्रफल 31,659 वर्ग किलोमीटर (31,65,900 हैक्टेयर) था। राज्य सरकार ने कार्यक्रमों को आरम्भ करने से मार्च 2007 तक सुधार हेतु 8,52,975 हैक्टेयर[10] क्षेत्रफल (मरूस्थल विकास कार्यक्रम: 1,93,831 हैक्टेयर; सूख प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम: 2,05,833 हैक्टेयर एवं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम: 4,53,311 हैक्टेयर)की पहचान की थी ।

मार्च 2006 तक, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के 62 खण्डों में से 59 को ही बंजर/निम्नस्तरीय भूमि सुधार हेतु सम्मिलित किया था। चम्बा (शिमला जिला) के शेष तीन खण्डों को भी मार्च 2006 तथा जुलाई 2006 के मध्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था।

मरूस्थल विकास कार्यक्रम को राज्य के ठण्डे मरूस्थल खण्डों सहित शुष्क खण्डों, तथा सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम को अर्धशुष्क एवं शुष्क एरिड खण्डों में आर्द्रता सूची के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है ।

3.5.8.3 परियोजनाओं की प्रास्थिति

दिशानिदेशों के सामान्य सैट के अंतर्गत पहली अप्रैल 1995 से तीनों कार्यक्रमों को कार्यान्वयन में लाने के पश्चात्, भारत सरकार ने राज्य के लिए 109 जल विभाजक विकास परियोजनाएं स्वीकृत की जिनमें से 60 परियोजनाएं 2002-07 के दौरान स्वीकृत की गई। तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत सुधार किये जाने वाले क्षेत्र तथा मार्च 2007 तक वास्तविक रूप से सुधार किये गये क्षेत्र की स्थिति **परिशिष्ट-XVII** में दर्शाई गई हैं।

जैसाकि परिशिष्ट-XVII से देखा जा सकता है, 109 परियोजनाओं में से 49 परियोजनाएं 2002-07 के दौरान पूर्णता हेतु नियत थी, उनमें से केवल 11 परियोजनाएं[11] उपरोक्त अवधि के दौरान लक्ष्यित 68,000 हैक्टेयर क्षेत्र के प्रति 62,640 हैक्टेयर को आवृत करते हुए पूर्ण की गई । शेष 38 परियोजनाओं में मार्च 2007 तक लक्ष्यित 4,05,635 हैक्टेयर क्षेत्र के प्रति केवल 2,45,438 हैक्टेयर (61 प्रतिशत) का सुधार किया गया था । इस प्रकार अगस्त 2007 तक इन 38 परियोजनाओं की पूर्णता में पांच तथा 24 महीनों के मध्य का विलम्ब था । अत: केवल 65 प्रतिशत भूमि का ही सुधार किया गया ।

---

10 अप्रैल 2002 से पूर्व: 4,75,335 हैक्टेयर एवं 2002-2007 के दौरान: 3,77,640 हैक्टेयर

11 नमूना-जांच किए गए सात जिलों में 10 परियोजनाएं तथा नमूना-जांच न किए गए जिले में एक परियोजना

3.5.9 वित्तीय प्रबन्धन

3.5.9.1 निधियन प्रणाली

तीनों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु निधियन प्रणाली निम्नवत थी :

मरूस्थल विकास कार्यक्रम	अप्रैल 1999 से पहले	केन्द्रीय सरकार द्वारा 100 प्रतिशत
	अप्रैल 1999 से आगे	केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के आधार पर
सूखा प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम	अप्रैल 1999 से पहले	केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर
	अप्रैल 1999 से आगे	केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के आधार पर
एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	अप्रैल 2000 से पहले	केन्द्रीय सरकार द्वारा 100 प्रतिशत के आधार पर
	अप्रैल 2000 से आगे	केन्द्रीय एवं राज्य सरकारो द्वारा 11:1 के आधार पर

भारत सरकार ने पांच वर्षो की अवधि में कार्यान्वित किये जाने वाली परियोजनाएं स्वीकृत की तथा हरियाली दिशा-निदेशों के अंर्तगत अप्रैल 2003 से पहले स्वीकृत की गई परियोजनाओं के मामले में सात किस्तों में और अप्रैल 2003 के पश्चात् स्वीकृत की गई। परियोजनाओं के लिए पांच किश्तों में सीधे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को राज्यांश जारी किये। इस प्रकार प्राप्त हुई निधियां बचत बैंक खातों मे रखी जाती हैं। सभी तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत अप्रैल 2000 से पहले स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए लागत मापक 4000 रू प्रति हैक्टयेर तथा उसके पश्चात स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए 6000 रू प्रति हैक्टयेर थे ।

3.5.9.2 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

राज्य में सूखा प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रदत निधियों के विवरण तथा 2002-07 के दौरान उनके प्रति किए गये व्यय का विवरण निम्नवत् था:

तालिका :3.5.1

(करोड़ रूपए)

कार्यक्रम का नाम	वर्ष	अथ शेष	प्राप्त हुई निधियां			निधियों की कुल उपलब्धता	किया गया व्यय	उपयोगिता में कमी
			केन्द्रीय अंश	राज्यांश	ब्याज			
सूखा प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम	2002-2003	4.96	3.65	0.82	0.07	9.50	4.75(50)	4.75(50)
	2003-2004	4.75	5.30	2.21	0.07	12.33	4.51(37)	7.82(63)
	2004-2005	7.82	4.25	1.41	0.22	13.70	5.73(42)	7.97(58)
	2005-2006	7.97	6.60	1.01	0.39	15.97	6.67(42)	9.30(58)
	2006-2007	9.30	3.69	1.98	0.28	15.25	6.61(43)	8.64(57)
	योग :		**23.49**	**7.43**	**1.03**	**66.75**	**28.27**	
मरूस्थल विकास कार्यक्रम	2002-2003	4.90	7.08	1.62	0.81	14.41	7.21(50)	7.20(50)
	2003-2004	7.20	7.01	1.68	0.42	16.31	5.01(31)	11.30(69)
	2004-2005	11.30	3.35	2.27	0.52	17.44	7.58(43)	9.86(57)
	2005-2006	9.86	3.88	1.51	1.07	16.32	8.56(52)	7.76(48)
	2006-2007	7.76	10.41	2.58	1.06	21.81	10.57(48)	11.24(52)
	योग :		**31.73**	**9.66**	**3.88**	**86.29**	**38.93**	
एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	2002-2003	13.65	15.22	0.88	0.47	30.22	13.22(44)	17.00(56)
	2003-2004	17.00	13.50	0.96	0.75	32.21	15.69(49)	16.52(51)
	2004-2005	16.52	13.45	0.75	1.37	32.09	16.66(52)	15.43(48)
	2005-2006	15.43	26.62	1.91	0.74	44.70	18.49(41)	26.21(59)
	2006-2007	26.21	18.23	1.82	0.61	46.87	22.79(49)	24.08(51)
	योग :		**87.02**	**6.32**	**3.94**	**186.09**	**86.85**	

स्त्रोत : आंकड़े निदेशक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आपूरित किये गये। कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशतता प्रदर्शित करते हैं।

2002-07 के दौरान उपयोग न की गई निधियां 4.75 करोड़ रू0 और 26.21 करोड़ रू0 के मध्य थी। अवधि के दौरान उपलब्ध निधियों की उपयोगिता में कमी की प्रतिशतता 48 से 69 प्रतिशत के मध्य थी। इसके अतिरिक्त, विभाग परियोजना अवधि के पहले वर्ष में 15 प्रतिशत; दूसरे वर्ष 30 प्रतिशत; तीसरे वर्ष में 30 प्रतिशत; चौथे वर्ष में 15 प्रतिशत तथा अंतिम वर्ष में 10 प्रतिशत व्यय करने की निर्धारित सूची का पालन करने में विफल रहा।

यह पाया गया कि तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत विभाग द्वारा सूचित किये गये कुल व्यय तथा 2002-2007 के दौरान वितीय उपलब्धताओं के प्रति दर्शाये गये व्यय के मध्य 20.61 करोड़[12] रू0 का अन्तर था। उपनिदेशक ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि केवल कार्य घटक पर किये गये व्यय को ही वितीय लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में दर्शाया गया है जबकि अन्य विवरणी में कार्यक्रम अर्थात कार्य क्रियाकलापों, समुदाय संगठन/आरम्भिक क्रियाकलापों, प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक ओवरहैड पर व्यय, के कुल व्यय को सम्मिलित किया गया था। कथन मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारित किये गये लक्ष्यों तथा उनके प्रति प्राप्त की गई उपलब्धियों में सभी घटकों पर किया गया व्यय सम्मिलित होना चाहिए क्योंकि बंजर/निम्नस्तरीय भूमी के सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये 6000 रू0 की प्रति हैक्टेयर लागत के मानकों में ये सभी घटक सम्मिलित थे।

निदेशक एवं विशेष सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) ने वर्ष प्रति वर्ष अव्ययित राशि को आगे ले जाने तथा प्रथम वर्ष में आरम्भ मे किये गये कार्यो के लिए वितीय उपलब्धियों में कमी को पंचायती राज संस्थाओं का प्रशिक्षण, राज्य की स्थलाकृति तथा बर्फानी क्षेत्रों में सीमित कार्यचालन मौसम का होना सूचित किया (मार्च 2007)। कथन में औचित्य का अभाव था क्योंकि सभी तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत 75 खण्डों में से केवल सात खण्ड[13] बर्फीले थे। इसके अतिरिक्त जल विभाजक क्षेत्रों में विकास कार्यों के निष्पादन हेतु योजना तथा वित्तीय स्त्रोतों का उपयोग ऐसे सभी घटकों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए था। इस प्रकार निधियों के समयोपरि उपयोग हेतु समुचित पग उठाने में विभाग के निरूत्साहित दृष्टिकोण से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3.5.9.3 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के अव्ययित बकायों का वापिस न करना

14.60 करोड़ रू0 के प्रावधान के प्रति आरम्भ की गई (मार्च 1995 से मार्च 1997) तीन परियोजनाएं (मरूस्थल विकास कार्यक्रम: एक एवं सूखा प्रवत्त क्षेत्र कार्यक्रम: दो) 2002-03 तथा 2003-04 के मध्य पूर्ण की गई, परन्तु परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों लाहौल एवं स्पिति (63.79 लाख रू0) तथा सोलन (4.75 लाख रू0)द्वारा मार्च 2007 तक भारत सरकार को 68.54 लाख रू0 का अव्ययित शेष वापिस नहीं किया गया था जैसाकि अपेक्षित था। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लाहौल एवं स्पिति ने बताया (सितम्बर 2006) कि परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण काजा से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण अव्ययित राशि को वापिस नहीं किया जा सका। संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) ने सूचित किया (मई 2007) कि दिशानिर्देशों के अनुसार शेष राशि को वापिस करने के लिए आवश्यक पग उठाने हेतु सम्बन्ध जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के साथ मामला उठाया जा रहा था।

3.5.9.4 निधियों का अपवर्तन

दिशानिदेशों के अनुसार, तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत एक परियोजना से दूसरी के लिए निधियों के अस्थाई अपवर्तन भी अनुमत नहीं है। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर तथा परियोजना निदेशक एवं परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण,पूह (किन्नौर जिला) के अभिलेखों से पाया गया कि छ: परियोजनाओं (दो मरूस्थल विकास कार्यक्रम: तथा सूखा प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम:चार) के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त

12 154.05 करोड़ रू0 (तालिका 3.5.1 के व्यय कॉलम के अनुसार)-133.44 करोड़ रू0

13 भरमौर, कल्पा, केलांग स्थित लाहौल, निचार, पांगी, पूह (किन्नौर जिला) एवं काजा स्थित स्पिति

हुए 9.98 करोड़ रू0 में से 81.86 लाख[14] रू0 2002-07 के मध्य दिशानिदेशों का उल्लंघन करते हुए अन्य जल विभाजक कार्यो के निष्पादन हेतु एक परियोजना से दूसरी को अपवर्तित किये गये तथा बाद में राशि को वापिस भी नहीं करवाया गया था। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर ने बताया (फरवरी 2007) कि चालू कार्यों को पूर्ण करने के लिए निधियों का अपवर्तन किया गया था तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार से निधियां प्राप्त होने पर आवश्यक धन वापसी की जाएगी। परियोजना निदेशक एवं मरूस्थल विकास कार्यक्रम, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, पूह ने बताया (सितम्बर 2006)कि जनजातीय क्षेत्रों में कार्य मौसम के दृष्टिगत चालू कार्यों के लिए निधियां अपवर्तित की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जन जातीय क्षेत्रों में अप्रैल से अक्तूबर तक कार्य मौसम के दृष्टिगत इन परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान की गई थी । इसके अतिरिक्त निधियों के अपर्वन के बावजूद मार्च 2007 तक पूर्ण की जाने वाली पांच परियोजनाएं [15] अगस्त 2007 तक प्रगति पर थी।

3.5.9.5 अस्वीकार्य व्यय

दिशानिदेशों के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण फर्नीचर, वाहनों, कम्पयूटरों अथवा किसी अन्य प्रकार की मशीनरी मदों पर व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं थे। यह पाया गया कि परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ऊना तथा पांच परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों[16] ने 2002-07 के दौरान कम्प्यूटरों, कैमरों, एलसीडी प्रोजेक्टरों, फर्नीचर, बर्तनों एवं गैस कनैक्शन की खरीद हेतु अनियमित रूप से 29.15 लाख[17] रू0 व्यय किये । परियोजना निदेशक, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, पूह तथा काजा ने बताया (सितम्बर 2006) कि ये खरीद परियोजना क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई थी। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ऊना ने बताया (फरवरी 2007) कि यें खरीद स्कीम के प्रशासनिक पक्ष की ओर से की गई थी। कथन मान्य नही है क्योकि दिशानिदेशों के अंतर्गत इन मदों की खरीद स्वीकार्य नहीं है ।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3.5.10 योजना

3.5.10.1 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

2002-07 के दौरान, तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत 60 परियोजनाओं द्धारा 3,94,012 हैक्टेयर[18] के सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके प्रति केवल 2,17,372 हैक्टेयर [19] का सुधार हुआ जिसके फलस्वरूप 1,76,640 हैक्टेयर (45 प्रतिशत) की कमी रही । 2002-07 के दौरान सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र के सुधार में उपलब्धि में कर्मी 31 तथा 52 प्रतिशत के मध्य थी तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 तथा 85 प्रतिशत तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 एवं 53 प्रतिशत के मध्य थी जैसा कि निम्नवत् प्रदर्शित है:

---

14 परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर: 11.36 लाख रू0; परियोजना निदेशक एवं परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण पूह: 70.50 लाख रू0

15 मरूस्थल विकास कार्यक्रम: दो परियोजनाएं (VI तथा VII) तथा सूखा प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम: तीन परियोजनाएं (V,VI तथा VII)

16 बमसन, भोरंज, निचार खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी, परियोजना-एवं-परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, मरूस्थल विकास कार्यक्रम पूह तथा काजा

17 परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ऊना: 4.55 लाख रू0; पांच परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण: 24.60 लाख रू0

18 सूखा प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम: 75,638 हैक्टेयर; मरूस्थल विकास कार्यक्रम: 1,06,609 हैक्टेयर तथा एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम: 2,11,765 हैक्टेयर

19 सूखा प्रवत्त क्षेत्र कार्यक्रम: 46,869; मरूस्थल विकास कार्यक्रम: 26,023 हैक्टेयर तथा एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम: 1,44,480 हैक्टेयर

सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धियां (हैक्टेयर में)

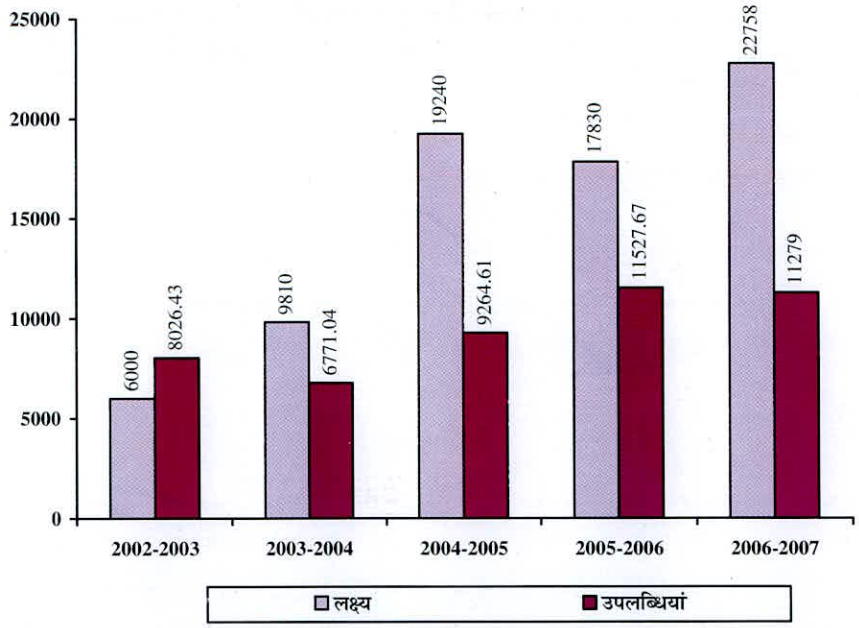

मरूस्थल विकास कार्यक्रम हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धियां (हैक्टेयर में)

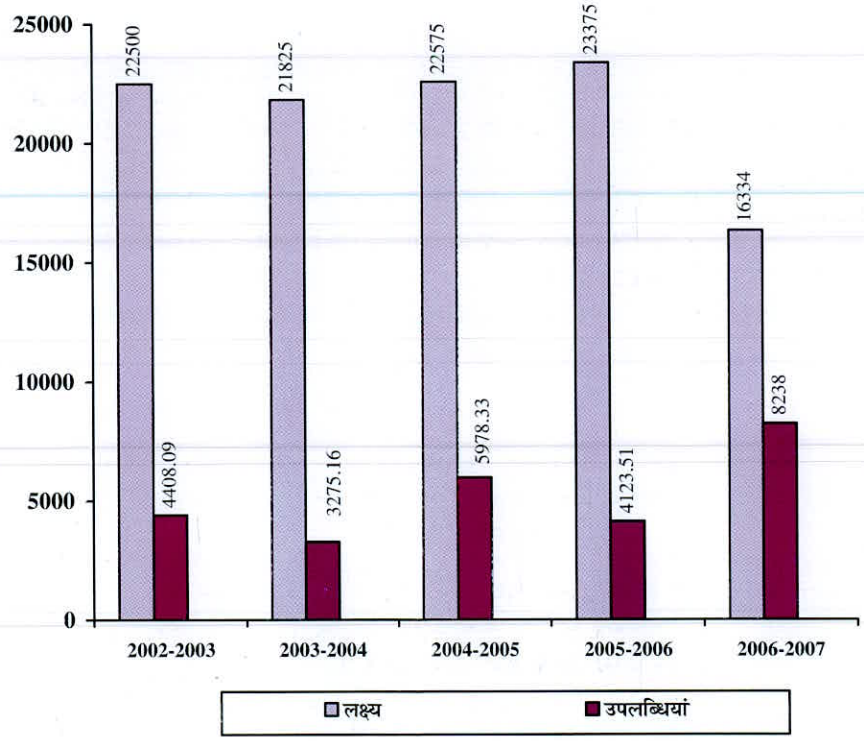

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धियां (हैक्टेयर में)

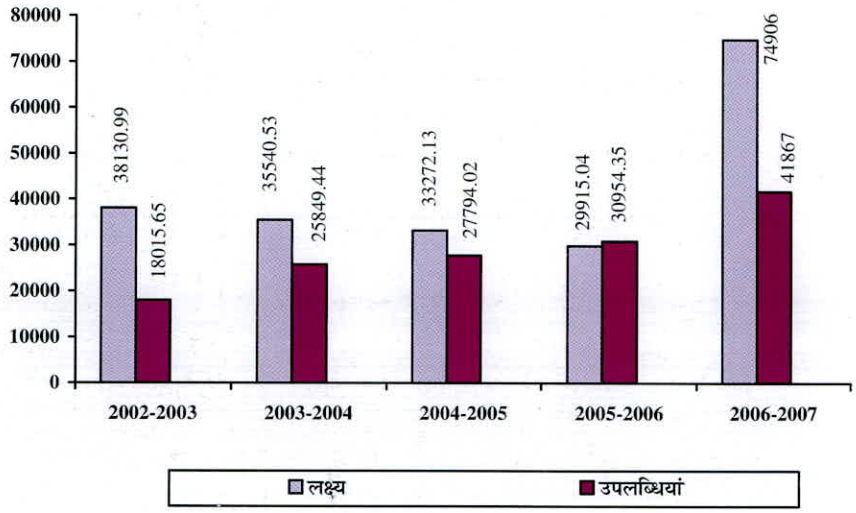

निदेशक एवं विशेष सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) ने लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के लिए आरम्भिक कार्यों की तैयारी में लिया गया समय बताया (मार्च 2007) जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, जागरूकता शिविरों जल विभाजक क्षेत्र की पहचान करना तथा सम्बद्ध ग्राम सभाओं से प्रथम वर्ष के वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन हेतु प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त उसने बताया कि राज्य की स्थलाकृति जटिल, पर्वतीय तथा बर्फीली, सीमिति कार्य मौसम वाली है। निदेशक का कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त बाधाओं को आरम्भिक योजना के समय ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इसी तरह 75 खण्डों में से केवल सात खण्ड ही बर्फीले है।

सात जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों[20] के सम्बन्ध में, सुधार किये जाने वाले लक्षित क्षेत्रों की वर्षवार स्थिति तथा उनके प्रति उपलब्धियां 2002-03 से 2006-07 के दौरान सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत **परिशिष्ट-XVIII** में दी गई हैं। यह पाया जाएगा कि सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत उपरोक्त अवधि के दौरान क्षेत्र के सुधार की उपलब्धि में कमी क्रमश: 31 और 52 प्रतिशत, मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 50 और 85 प्रतिशत तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीन और 62 प्रतिशत के मध्य थी। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सोलन ने उपब्धियों की कमी हेतु कोई भी कारण सूचित नहीं किये। शेष छ: जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों[21] के परियोजना अधिकारियों ने उपलब्धियों में कमी के लिए निष्पादन अभिकरणों की ओर से कार्य की धीमी गति, वर्षान्त में निधियों की प्राप्ति, विलम्ब से मध्यावधि मूल्यांकन करना, तथा जनता द्वारा रूचि की कमी बताया (सितम्बर 2006-जनवरी 2007)।

3.5.10.2 विस्तृत कार्य योजना तैयार किये बिना कार्यों का निष्पादन

दिशानिदेशों के अनुसार एकीकृत परियोजना के रूप में एक विस्तृत कार्य योजना जल विभाजक विकास दल द्वारा जल विभाजक समुदाय के साथ परामर्श से तैयार की जानी थी तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला परिषद से अनुमोदित करवाई जानी थी।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लाहौल एवं स्पिति स्थित केलांग तथा परियोजना निदेशक एवं परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, पूह के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया कि 2002-07 के दौरान 1,64,423 हैक्टेयर (भूमिक्षेत्र) का सुधार करने हेतु 118.80 करोड़ रू0 के आंबटन

20 बिलासपुर, हमीरपुर कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति, सोलन तथा ऊना

21 बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति तथा ऊना

के प्रति 41.26 करोड़ रू0 (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, केलांग: 33.50 करोड़ रू0 जून 2006 तक तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम पूह: 7.76 करोड़ रू0 मार्च 2005 तक) 49,665 हैक्टेयर क्षेत्र में जल विभाजक विकास क्रियाकलापों जैसा कि भूमि एवं नमी संरक्षण जल दोहन संरचना, वनीकरण, कृषि एवं बागवानी पौधरोपण आदि करने के लिए व्यय किये गये परन्तु अपेक्षित कार्य योजना जिसमें सम्बन्धित लाभार्थियों के लाभों की प्राप्ति को समय पर सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हो, तैयार नहीं गई थी। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लाहौल एवं स्पिति ने 2002-07 के लिए ऐसी कोई भी कार्य योजना तैयार नहीं की थी। तथापि, परियोजना निदेशक एवं सचिव परियोजना कार्यान्वन अभिकरण, मरूस्थल विकास कार्यक्रम पूह ने 2005-06 से कार्य योजना तैयार करनी आरम्भ कर दी थी। यह सही योजना के बिना कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करता है। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण लाहौल एवं स्पिति स्थित केलांग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अगस्त 2006) कि विस्तृत कार्य योजना को स्टाफ एवं विशेषज्ञ कर्मियों की कमी के कारण तैयार नहीं किया गया। परियोजना निदेशक एवं परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण मरूस्थल विकास कार्यक्रम, पूह ने भी तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2006)। इस प्रकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण निदेशालय स्तर पर भी अपर्याप्त था क्योंकि अपेक्षित विस्तृत कार्य योजना को तैयार न करने के कारण लाहौल एवं स्पिति जिले में 1999-02 के दौरान स्वीकृत की गई तथा 2004-05 एवं 2006-07 के मध्य पूर्ण की जाने के लिए निर्धारित की गई तीन परियोजनाएं मार्च 2007 तक अधूरी रहीं।

3.5.10.3 जल विभाजकों के चयन हेतु मानदण्ड का पालन न करना

2001 के दिशानिदेशों के अनुसार (पहली अप्रैल 2003 से संशोधित एवं "हरियाली" से पुन: नामित), चयनित जल विभाजक का क्षेत्र लगभग 500 हैक्टेयर होना था। पहली अप्रैल 2000 से क्षेत्र के सुधार हेतु 6000 रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से लागत मानक निर्धारित किए गए थे। 2002-07 के दौरान भारत सरकार ने मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 29.70 करोड़ रू0 की लागत पर पूह खण्ड (किन्नौर जिला) में 99 जल विभाजकों के विकास हेतु पांच परियोजनाएं स्वीकृत की। इसके अतिरिक्त 21 करोड़ रू0 की लागत पर 2000-02 के दौरान 70 जल विभाजकों हेतु स्वीकृत की गई दो परियोजनाएं भी उपरोक्त खण्ड में कार्यान्वित की जा रही थी। तद्नुसार, 169 जल विभाजकों हेतु 84,500 हैक्टेयर (500 हैक्टेयर प्रति जल विभाजक) क्षेत्र की पहचान की जानी अपेक्षित थी तथा सम्बद्ध जल विभाजको की सुधार योजना में सम्मिलित की जानी थी।

यह पाया गया कि 2004-05 तथा 2006-07 के मध्य स्वीकृत किये गये 54 जल विभाजको की तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित 27,000 हैक्टेयर क्षेत्र की पहचान नहीं की गई थी तथा शेष चार परियोजनाओं के सम्बन्ध में 115 जल विभाजकों के लिए पहचान किये जाने हेतु अपेक्षित 57,500[22] हैक्टेयर क्षेत्र के प्रति केवल 27,903 हैक्टेयर क्षेत्र की ही पहचान की गई थी। इस प्रकार, क्षेत्र की पहचान से 56,597 हैक्टेयर की कमी थी।

सयुंक्त सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) ने सूचित किया (दिसम्बर 2006) कि रेतीली दुमट भूमि के कारण पानी सम्भालने की क्षमता बहुत कम थी तथा उपलब्ध संसाधनों की दृष्टि से सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्र के गर्म मरूस्थल की तुलना में लक्ष्यित क्षेत्र अपेक्षाकृत कम था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा कार्यों को आरम्भ करने से पहले भारत सरकार से इस सम्बन्ध में छूट प्राप्त करनी चाहिए थी।

3.5.10.4 जल विभाजक परियोजनाओं पर अधिक व्यय

अप्रैल 2000 से पहले स्वीकृत की गई जल विभाजक परियोजनाओं हेतु निम्नीकृत/बंजर भूमि के सुधार के लिए 4000 रू0 प्रति हैक्टेयर के लागत मानक थे। ऊना जिले में सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 11,501 हैक्टेयर क्षेत्र के सुधार हेतु भारत सरकार ने 4.60 करोड़ रू0 (11,501 हैक्टेयर 4000 रू0 की दर पर) की लागत पर 1995-96 (8,001 हैक्टेयर हेतु 16 जल विभाजक) तथा 1996-97 (3,500 हैक्टेयर हेतु सात जल विभाजक) के दौरान 23 जल विभाजकों से समाविष्ट दो परियोजनाएं संस्वीकृत की। इन परियोजनाओं को स्वीकृति की तिथि से पांच वर्षों की अवधि में गणना करके अर्थात् क्रमश: 1999-00 एवं 2000-01 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था।

---

[22] 115 जल विभाजक x 500 हैक्टेयर = 57,500 हैक्टेयर

यह पाया गया कि 11,501 हैक्टेयर के जल विभाजक क्षेत्र के प्रति केवल 10,882 हैक्टेयर का सुधार किया गया तथा परियोजनाएं पूर्ण दर्शाई गई (अक्तूबर 2002)।

अनुमोदित लागत मानक के अनुसार, 10,882 हैक्टेयर के सुधार पर व्यय को 4.35 करोड़ रू0 तक सीमित किया जाना चाहिए था। यद्यपि इसके प्रति 4.79 करोड़ रू0 व्यय किये गये थे। इसके फलस्वरूप अनुमानित लागत मानकों से 0.44 करोड़ रू0 का अधिक व्यय हुआ जिसे बचत बैंक खाते पर ब्याज तथा कम क्षेत्र के सुधार द्वारा पूरा किया गया।

इसी प्रकार, परियोजना निदेशक एवं परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण पूह खण्ड ने मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लागत मानक 3 करोड़ रू0 की स्वीकार्य सीमा के प्रति जून 2006 तक केवल 5,004 हैक्टेयर भूमि के सुधार पर 12.53 करोड़ रू0 का व्यय किया जिसके फलस्वरूप 9.53 करोड़ रू0 का अधिक व्यय हुआ।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ऊना ने बताया (दिसम्बर 2006) कि अधिक व्यय कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ जबकि संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) ने मरूस्थल विकास कार्यक्रम के मामले में बताया (दिसम्बर 2006) कि ठण्डे मरूस्थल के अंतर्गत क्षेत्र की स्थलाकृति कठिन है जिसके कारण सुधार क्षेत्र कम है तथा सुधार व्यय अधिक हुआ। उत्तर पुष्टि करता है कि बेहतर समन्वयन एवं वित्तीय प्रबन्धन की आवश्यकता है तथा जहां आवश्यक हो, लागत मानकों से अधिक व्यय करने हेतु भारत सरकार से छूट प्राप्त करने की आवश्यकता है।

3.5.11 वास्तविक एवं वित्तीय कार्यान्वयन

3.5.11.1 परियोजनाओं की प्राप्तियों में गिरावट

भारत सरकार ने चयनित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में 19 परियोजनाएं 138.91 करोड़ रू0 की लागत पर 475 जल विभाजकों के विकास हेतु 2,24,064 हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार करने के लिए 2004-07 के दौरान पूर्ण[23] किये जाने के लिए स्वीकृत की (1999-2000 एवं 2001-02)। इसके प्रति, 73.71 करोड़ रू0 (53 प्रतिशत) व्यय करने के पश्चात् मार्च 2007 तक केवल 98,127 हैक्टेयर क्षेत्र (44 प्रतिशत) को ही वास्तविक रूप से सुधारा गया था जिसके परिणामस्वरूप 1,25,937 हैक्टेयर की वास्तविक उपलब्धियों की कमी हुई। इन परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति की कमी आठ और 95 प्रतिशत के मध्य थी। अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) ने बताया (मार्च 2007) कि पहले वर्ष में किये गये परियोजना के आरम्भिक कार्यों तथा राज्य की कठिन स्थलाकृति के कारण लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों को परियोजना आरम्भ करने से पहले किया जाना चाहिए था तथा स्थलाकृति का कारक पहले ही विभाग के ध्यान में था। इस प्रकार, विभाग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में विफल रहा।

3.5.11.2 विशेष परियोजनाएं आरम्भ न करना

दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा विशेष समस्या क्षेत्रों में जैसा कि अधिक ऊंचाई क्षेत्रों, भू-स्खलन क्षेत्रों, 30 डिग्री ढलान से अधिक ढलानों अथवा अन्य विनिर्दिष्ट तकनीकी कारणों से बंजर भूमि के सुधार हेतु विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लाहौल एवं स्पिति के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (सितम्बर 2006) कि भारत सरकार द्वारा 2003-04 के दौरान 3.30 करोड़ रू0 हेतु मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पांच वर्षों में पूर्ण किये जाने के लिए 5,500 हैक्टेयर (11 जल विभाजक) क्षेत्र के सुधार हेतु विशेष परियोजना "टाण्डी सुमनाम कूहल[24]" स्वीकृत की गई। भारत सरकार द्वारा 37.13 लाख रू0 (फरवरी 2004) तथा राज्य सरकार (मार्च 2004) द्वारा 12.38 लाख रू0 जारी किये गये। परियोजना अभी तक (मार्च 2007) आरम्भ नहीं की गई थी तथा समस्त राशि अप्रयुक्त पड़ी थी । इस राशि पर 3.07 लाख रू0 ब्याज के रूप

---

23 2004-2005: चार परियोजनाएं; 2005-2006: सात परियोजनाएं तथा 2006-2007: आठ परियोजनाएं

24 कूहल: पर्वतीय क्षेत्रों में सिचाई नहर

में अर्जित किये गये थे। अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि निवासी प्रवाह सिंचाई स्कीम के लिए इन भयों (शंकाओं) के कारण सहमत नहीं हुए कि इससे भू-स्खलन होगा । संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) ने बताया (मई 2007) कि क्योंकि निवासी प्रवाह सिंचाई के लिए सहमत नहीं हुए, उठाऊ सिंचाई स्कीम के लिए संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया (मई 2007)।

आरम्भिक रूप से प्रवाह सिंचाई स्कीम का निर्माण करने के लिए विभाग की कार्रवाई प्रदर्शित करती है कि प्रस्तावित कार्य स्थल भू-रखलन के दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा गया था तथा कार्य योजना तैयार करने से पहले सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन भी नहीं किया गया था और स्कीम को भू-संरक्षण के सम्पूर्ण उद्धेश्य को ध्यान में रखे बिना बनाया गया था।

3.5.12 जल विभाजक विकास कार्यों का निष्पादन

3.5.12.1 जल विभाजक विकास कार्यों पर संदेहास्पद व्यय

ऊना खण्ड में, पूर्ण हो चुके (अक्तूबर 2002) जल विभाजकों का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार ने एक मूल्यांकनकर्ता को नियुक्त किया (सितम्बर 2004) मूल्यांकनकर्ता[25] ने अपने प्रतिवेदन में इंगित किया कि इस संदर्भ में कोई भी सहायक अभिलेख/भूमि माप मौजूद नहीं था तथा निष्पादित किये गये जल विभाजक विकास कार्यों के समर्थन में कोई राजस्व कागजात एकत्रित नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि भारत सरकार द्वारा 38.81 करोड़ रू0 की लागत पर चार कार्यान्वयन अभिकरणों[26] द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली छ: जल विभाजक परियोजनाएं (कांगड़ा: दो एवं ऊना: चार) स्वीकृत की गई थीं (दिसम्बर 1999 से जुलाई 2003)। कार्य दिसम्बर 1999 तथा जुलाई 2003 के मध्य आरम्भ किये गये थे तथा दिसम्बर 2004 तथा जुलाई 2008 के मध्य पूर्ण किये जाने निर्धारित किये गये थे। सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत (1.69 करोड़ रू0) तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत (4.37 करोड़ रू0) बंजर /निम्नीस्तरीय भूमि के सुधार पर 2002-07 के दौरान 6.06 करोड़ रू0 का व्यय किया गया परन्तु मूल अभिलेखों जैसे कि माप पुस्तकों एवं उपस्थिति नामावलियों (मस्टर रोल) में व्यय के समर्थनन में वास्तविक रूप से विकसित की गई/सुधार की गई भूमि के क्षेत्र का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था।

इसके अतिरिक्त् यह पाया गया कि परियोजना अधिकारी , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, (कांगड़ा तथा ऊना) को जल विभाजक विकास कार्यो की वास्तविक प्रगति पर सावधिक प्रतिवेदन भेजते समय परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने जल विभाजक के विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत किए गए समस्त व्यय को 4,000/6,000 रू0 प्रति हैक्टेयर के निर्धारित लागत मानकों के अनुसार विभाजन द्वारा विकसित किये गये क्षेत्र को संगणित किया। माप के किसी भी अभिलेख की अनुपस्थिति में व्यय की शुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सका तथा दुर्विनियोजन एवं व्यय के संदेहास्पद होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

सम्बद्ध परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा आश्वस्त किया (दिसम्बर 2006-मार्च 2007) कि भविष्य में जल विभाजक समितियों को दिशानिदेशों के अनुसार सही रूप से अभिलेखों का अनुरक्षण करने के लिए अनुदेश दिये जाऐंगे ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मामला केवल अभिलेखों के अनुरक्षण न करने का ही नहीं है बल्कि इसकी गैर-मौजूदगी में प्रमाण के बिना व्यय को चित्रित करने का है जो जालसाजी के तुल्य है तथा छानबीन की जानी आवश्यक है ।

3.5.12.2 जल विभाजक कार्यों का आरम्भ न करना

छ:[27] परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने 14 जल विभाजक क्षेत्रों में भूमि एवं नमी संरक्षण तथा जल दोहन संरचना कार्यों का निष्पादन सम्बद्ध जल विभाजक समितियों को सौंपा (मई 2002-जून 2006) तथा उन्हें संस्वीकृत (2002-07) लागत 17.13 लाख रू0 के प्रति खण्डों में (थोड़ा-थोड़ा करके) 8.42 लाख रू0 जारी किये (मार्च 2002-जून 2006)। यह पाया गया कि सम्बद्ध जल विभाजक समितियों ने ऐसे कार्यों का निष्पादन

25 श्री प्रकाश मेहता, सेवा निवृत्त प्राध्यापक

26 देहरा, नगरोटा बगवां, प्रागपुर तथा ऊना

27 बमसन, भोरंज, बिझड़ी, देहरा, नूरपुर तथा प्रागपुर

आरम्भ नहीं किया था (मार्च 2007)तथा समस्त राशि जल विभाजक समितियों तथा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के बैंक खातों में जमा पड़ी हुई थी ।

सम्बद्ध परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने बताया (नवम्बर 2006-जनवरी 2007) कि सम्बद्ध जल विभाजक समितियों से राशि की वापसी करवाने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सम्बद्ध क्षेत्रों के लाभार्थियों को अभिप्रेत लाभ प्रदान करने के लिए कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था । संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) ने बताया (मई 2007) कि सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को लेखापरीक्षा में इंगित किए गए विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों को आरम्भ करने के लिए अनुदेश जारी किये जा रहे थे।

3.5.12.3 एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का दुरूपयोग

जल विभाजक विकास के लिए उठाऊ सिंचाई स्कीमों हेतु पम्पिंग मशीनरी की स्थापना पर व्यय एक अनुमत क्रियाकलाप नहीं है। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कांगड़ा के अभिलेखों से पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर ने अनाधिकृत रूप से कांगड़ा जिले में (जल विभाजक विकास के अंतर्गत अनावृत) चरूरी-टोहुड तथा गनोह गांवो में उठाऊ सिंचाई स्कीमों के लिए दो पम्प घरों के निष्पादन कार्य का उत्तरदायित्व लिया तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कांगड़ा से प्राप्त किये गये 12.15 लाख रू0 को एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम आबंटनों में से क्रमश: निर्माण (6.41 लाख रू0) तथा पम्पिंग मशीनरी की खरीद एवं जी आई पाइप फिटिंग (5.74 लाख रू0) पर फरवरी -जून 2002 के मध्य एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम-III परियोजना के कार्यान्वयन हेतु व्यय किया। उपायुक्त एव-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कांगड़ा ने भी उपरोक्त पम्प घरों पर आपत्ति की (मार्च 2002) क्योंकि परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण ने वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की थी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन के बिना व्यय किया। कार्य मार्च 2007 तक अधूरे पड़े हुए थे। इसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम सम्बन्धी निधियों का अपव्यय हुआ। संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) ने सूचित किया (मई 2007) कि मामला अभी तक छानबीन के अंतर्गत था।

3.5.12.4 पौधरोपण का अत्यधिक विफलता एवं अपनी पौधशाला स्थापित करने में विफलता

भूमि के निम्नस्तर की जांच के दीर्घ अवधि उद्देश्यों तथा संपोषणता, समरूपता एवं पर्यावरणीय संरक्षण के विस्तृत उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पौधरोपण की अच्छी जीविता शेष दर एक कठिन/जटिल प्राचल था।

अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया कि 23 परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों में से सात[28] ने 2002-07 के दौरान एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम में से 56.62 लाख रू0 बागवानी (38.69 लाख रू0) तथा वानिकी पौधरोपण[29] (17.93 लाख रू0) हेतु क्रमश: 1,573 एवं 185 हैक्टेयर क्षेत्र में व्यय किये। यह पाया गया कि बागवानी के मामले में पौधरोपण की जीवित शेषदर पांच तथा 32 प्रतिशत के मध्य थी जबकि वन पौधरोपण के मामले में यह 40 तथा 47 प्रतिशत के मध्य थी। सम्बद्ध परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने पानी की कमी एवं जलवायु के कारण तथा कुशल/तकनीकी कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण नर्सरियों का न बनाया जाना पौधरोपण की विफलता का कारण बताया (दिसम्बर 2006-जनवरी 2007)। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन कारणों को पौधरोपण हेतु कार्यस्थल का चयन करने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए था। बागवानी (68 से 95 प्रतिशत) तथा वानिकी (53 से 60 प्रतिशत) की नश्वरता इतनी अधिक होने के नाते राज्य सरकार को पर्यावरणीय संरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पौधरोपण की उत्तरजीविता प्रतिशतता को सुधारने के लिए एक प्रणाली/विधि अभिकल्पित करनी चाहिए थी।

दिशानिर्देशों के अनुसार, जल विभाजक हेतु क्रियाकलापों में चारा, इमारती लकड़ी तथा ईंधन की लकड़ी आदि हेतु नर्सरी उगाया जाना शामिल था। यह देखा गया कि स्वयं अपनी नर्सरियां उगाने के बजाय, 17 परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने 2002-07 के दौरान 1.75 करोड़ रू0 मूल्य के पौधे पौधरोपण हेतु खरीदे। ऐसी

---

28 बमसन, बिझड़ी, देहरा, नादौन, नगरोटा बगवां, नूरपुर तथा प्रागपुर

29 खैर, किन्नू, आम, संतरा, पाइन, इत्यादि

नर्सरियों को उगाने से जल विभाजक क्षेत्र के लोगो को रोजगार उपलब्ध कराने का अल्पकालिक लाभों का प्रयोजन इस प्रकार विफल हुआ।

3.5.12.5 स्थानीय श्रमिकों का नियुक्त न करना

दिशानिर्देशों में कार्यक्रम क्षेत्रों के निवासी निर्धन तथा अलाभकारी वर्गों के लिए उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मजदूरी रोजगार अवसरों का सृजन करने पर विचार किया गया है। यह पाया गया कि चार चयनित परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों[30] ने 2002-07 के दौरान अन्य राज्यों से कार्यों पर लगाये श्रमिकों को 1,22,189 कार्यदिवसों (मरूस्थल विकास कार्यक्रम: 1,06,050; एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम: 16,139) के लिए मजदूरी के रूप में 1.04 करोड़ रू0 (मरूस्थल विकास कार्यक्रम: 0.92 करोड़ रू0 तथा एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम: के अन्तर्गत 0.12 करोड़ रू0) का भुगतान किया गया।

परियोजना निदेशक एवं परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, पूह ने सूचित किया (सितम्बर 2006) कि क्षेत्र में स्थानीय श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण बाहर के श्रमिकों को कार्य पर लगाया गया। कथन मान्य नहीं है क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार किन्नौर जिले में 47,811 मजदूर उपलब्ध थे। तथ्यों की पुष्टि करते समय परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हमीरपुर ने बताया (अप्रैल 2007) कि तीन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (बमसन, भोरंज तथा नादौन) के संबंध में इनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अन्य राज्यों से श्रमिकों को लगाया गया क्योंकि स्थानीय श्रमिक कृषि कार्यकलापों में व्यस्त थे।

परियोजना अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मजदूरी रोजगार कार्यक्रम क्षेत्रों के निवासी संसाधन अभाव वाले तथा अलाभकारी वर्गों को ही केवल प्रदान किया जाना था। इस प्रकार सम्बद्ध जल विभाजक क्षेत्र में लाभार्थियों के लक्ष्यित वर्गों को उनके समग्र आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए रोजगार अवसर प्रदान करने का उद्देश्य अधूरा रहा तथा दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, निर्धारित अवधि के अन्दर परियोजनाओं का सुचारू रूप से कार्यान्वयन करने के लिए स्थानीय श्रमिकों द्वारा कार्य गैर मौसम के दौरान किये जाते हैं ताकि वे कुछ कार्यकलापों में व्यस्त रहे।

3.5.12.6 मशीनरी द्वारा कार्यों का अनियमित निष्पादन

दिशानिर्देशों के अनुसार जल विभाजक विकास कार्यों में वनस्पति वृद्धि उपायों पर बल दिया जाना चाहिए तथा मंहगे चिनाई/सीमेंट कार्यों, मशीनरी के उपयोग को निरूत्साहित किया जाना चाहिए।

यह देखा गया है कि दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विपरीत 53.28 लाख रू0 की लागत पर स्वीकृत किये गये 43 कार्यों (सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम -16 तथा एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम -27) को तीन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों[31] द्वारा 20.54 लाख रू0 की लागत पर मशीनरी (जेसीबी[32]) द्वारा निष्पादित (अप्रैल 2002 से दिसम्बर 2005) करने के फलस्वरूप 31,593 कार्यदिवसों हेतु मजदूरी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने बताया (जनवरी 2007) कि जेसीबी द्वारा कार्यों का निष्पादन वहीं पर किया गया जहां निष्पादन शारीरिक रूप से कठिन था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जल विभाजक क्षेत्र के लोगों द्वारा निकटवर्ती क्षेत्र के वैसे ही स्थानों में कार्यों को निष्पादित किया गया था। इस प्रकार क्षेत्र के स्थानीय लोग रोजगार के अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।

3.5.13 पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

3.5.13.1 प्रयोक्ता समुदाय का सम्मिलित न होना

दिशानिर्देशों के अनुसार जल विभाजकों का चयन ग्रामीण मूल्यांकन की समुचित सहभागिता के पश्चात् किया जाना था तथा अधिकतर भागीदारी दायित्व वाले जल विभाजकों को अधिमान दिया जाना था।

---

30 बमसन, भोरंज, नादौन खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी तथा परियोजना निदेशक एवं परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, पूह

31 खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर, गगरेट तथा प्रागपुर

32 भूमि काटने वाली भारी मशीन

सूखाप्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत सरकार ने 19.50 करोड़ रू0 की लागत पर 65 जल विभाजकों से समाविष्ट दो जल विभाजक विकास कार्यक्रम (सूखाप्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम: VI एवं VIII) स्वीकृत (जुलाई 2000 से जून 2002) किये । 65 जल विभाजकों में से ऊना खण्ड के चार जल विभाजकों में 2,000 हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार जल विभाजक समितियों को सौंपा गया (जनवरी 2002 से नवम्बर 2004)। इन चार जल विभाजकों की संस्वीकृत लागत 1.20 करोड़ रू0 थी तथा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण ऊना ने 57.76 लाख रू0 की उपलब्धता के प्रति सम्बद्ध जल विभाजक समितियों को 40.90 लाख रू0 जारी किये। इन जल विभाजकों को जुलाई 2005 (तीन) तथा जून 2007 (एक) में पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया था।

अभिलेखों की नमूना-जांच (दिसम्बर 2006) तथा सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त हुई (सितम्बर 2007) आगामी सूचना से पाया गया कि इन जल विभाजकों में विकास कार्यकलापों को क्षेत्र के प्रयोक्ता समुदाय के सक्रिय रूप से शामिल हुए बिना आरम्भ किया गया। इसके परिणामस्वरूप 38.16 लाख रू0 का व्यय (जून 2004 से मई 2006) करने के पश्चात् जल विभाजक समिति के सदस्यों के मध्य समन्वयन के अभाव तथा व्यक्तिगत विवादों के कारण सम्बद्ध जल विभाजकों में कार्यकलापों को आस्थगित कर दिया गया। शेष 81.84 लाख रू0 की संस्वीकृत लागत हेतु जल विभाजक विकास कार्यकलापों को मार्च 2007 तक आरम्भ नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 19.60 लाख रू0 की अव्ययित निधियों में से 14.61 लाख रू0 को उसी परियोजना के अन्य जल विभाजकों के उपयोग हेतु अंतरित कर दिया गया तथा 4.99 लाख रू0 सितम्बर 2007 तक परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के पास बचत बैंक खाता में अव्ययित पड़े हुए थे। सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारी ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2006)। संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (मई 2007) कि परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ऊना को विवाद का निपटान करने के लिए निर्देश दिये जा रहे थे।

इस प्रकार, स्थानीय प्रयोक्ता समुदाय के सहयोग/सहभागिता न होने के कारण सम्बद्ध जल विभाजक क्षेत्र के लोगों को जल विभाजक विकास के वांछित लाभों को उपलब्ध नहीं करवाया जा सका।

3.5.14 जल विभाजक विकास दलों का गठन

3.5.14.1 जल विभाजक विकास दलों का अपर्याप्त गठन

दिशानिर्देशों में इस बात पर विचार किया गया कि प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण अपने कार्यों को बहुद्देशीय अनुशासनिक दल, जिसे जल विभाजक विकास दल का पदनाम दिया गया है जिसमें न्यूनतम चार सदस्य, वानिकी/वनस्पति विज्ञान, पशुविज्ञान, सिविल/कृषि अभियांत्रिकी तथा सामाजिक विज्ञान प्रत्येक विषय से एक तथा एक महिला सदस्य शामिल होगी, के द्वारा अपने कार्यों को कार्यान्वित करेगा। ये दल कृषि, बागवानी, वानिकी, आदि से सम्बन्धित विकास के कार्यकलापों को 10-12 जल विभाजकों में चलाएंगे।

अभिलेखों की नमूना-जांच से निम्नवत् तथ्य पाये गये:

- अपेक्षित 54 जल विभाजक विकास दलों[33] के प्रति 26 जलविभाजक विकास दलों[34] द्वारा 646 जलविभाजकों का कार्यान्वयन किया गया था। इस प्रकार 28 जलविभाजकों की कमी सहित (51 प्रतिशत) 646 जलविभाजकों के आरम्भ करने से जलविभाजक कार्यान्वयन प्रभावित हुआ क्योंकि 646 में से 475 जल विभाजक[35] कार्य जो 2004-07 के दौरान पूर्ण किए जाने अपेक्षित थे, मार्च 2007 तक पूर्ण नहीं किए गए थे;
- इन दलों में अपेक्षित 104 सदस्यों के प्रति केवल 85 सदस्य थे जिसके फलस्वरूप 19 सदस्यों का न्यून प्रतिनिधित्व रहा।
- इन दलों में अपेक्षित 26 की संख्या के प्रति केवल 10 महिलाएं थीं जिसके फलस्वरूप महिलाओं को अपेक्षित प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं हुआ।

---

33 सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम: 25 जल विभाजक विकास दल; मरूस्थल विकास कार्यक्रम: 18 जल विभाजक विकास दल तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम: 11 जल विभाजक विकास दल

34 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर: तीन; हमीरपुर: चार; कांगड़ा: चार; किन्नौर: पांच; लाहौल एवं स्पिति: तीन; सोलन: दो तथा ऊना:पांच

35 2004-2005:98; 2005-2006: 203 तथा 2006-2007:174

➢ सात परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों[36] ने अपेक्षित योग्यता न रखने वाले 26 जल विभाजक विकास दल के सदस्यों (एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम:11 एवं मरूस्थल विकास कार्यक्रम:15) की नियुक्ति की (दिसम्बर 2000-सितम्बर 2006) तथा 20.36 लाख[37] रू0 के मानदेय का भुगतान किया। इस प्रकार सम्बद्ध परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने दिशानिर्देशों में परिकल्पित योग्यता प्राप्त बहु-अनुशासनिक दलों के द्वारा जलविभाजक विकास कार्यकलापों के निष्पादन एवं पर्यवेक्षण को सुनिश्चित नहीं किया। इस प्रकार अयोग्य जलविभाजक दल कर्मियों की नियुक्ति पर किया गया व्यय विवेकहीन था तथा परिणामत: परियोजना की पूर्णता में विलम्ब हुआ।

सम्बद्ध परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने बताया (सितम्बर 2006-जनवरी 2007) कि योग्यता प्राप्त कर्मियों ने मानदेय की कम दरों के कारण जलविभाजक विकास दलों का पदभार ग्रहण नहीं किया। इन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों का कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने जलविभाजक विकास दल के सदस्यों की पूरी संख्या नियुक्त की थी जैसाकि दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों की ओर से अपेक्षित योग्यता सहित अपेक्षित जनशक्ति को नियुक्त करने के लिए प्रयासों की कमी का सूचक था।

3.5.14.2 स्वावलम्बन समूहों का गठन न करना

2001 के दिशानिर्देशों तथा 2003 के हरियाली दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (मार्च 2003 तक स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में) तथा ग्राम पंचायतों (अप्रैल 2003 से आगे स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में) ने जलविभाजक विकास दलों की सहायता से जलविभाजक क्षेत्रों में भूमिहीन/सम्पतिहीन निर्धनों, कृषि श्रमिकों, महिलाओं, चरवाहों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों में से क्रमश: स्वावलम्बन समूहों तथा उपयोगकर्ता समूहों का गठन करना था। गांव के 50 प्रतिशत ग्रामवासियों जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जलविभाजक पर निर्भर थे, को कम से कम एक स्वावलम्बन समूह में सदस्य के तौर पर सामान्य रूप से नामांकित किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए पृथक स्वावलम्बन समूह का गठन करने के अतिरिक्त जलविभाजक विकास कार्यकलापों को करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु भी स्वावलम्बन समूह का गठन किया जाना अपेक्षित था।

यह देखा गया कि 2002-07 के दौरान नौ चयनित परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों[38] ने 116.50 करोड़ रू0 की लागत पर क्रमश: सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (134 जलविभाजक), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (18 जलविभाजक) तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (13 जलविभाजक) के अंतर्गत 165 जलविभाजकों से समाविष्ट 19 परियोजनाओं का निष्पादन आरम्भ किया परन्तु लाभार्थियों की उपरोक्त श्रेणियों को लाभों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वावलम्बन समूहों का गठन नहीं किया था (मार्च 2007)। इनमें से 2004-07 के मध्य पूर्ण किये जाने के लिए निर्धारित की गई नौ परियोजनाएं मार्च 2007 तक अधूरी थी। मार्च 2007 तक इन परियोजनाओं के प्रति वास्तविक उपलब्धि 1,10,964 हैक्टेयर के लक्ष्य के प्रति सुधार किये गये क्षेत्र की दृष्टि से 52,224 हैक्टेयर (47 प्रतिशत) थी जबकि स्वीकृत की गई लागत 64.90 करोड़ रू0 के प्रति किया गया व्यय 36.46 करोड़ रू0 था। उपयोगकर्ता समूहों का गठन भी 2002-07 के दौरान नहीं किया गया था।

सात परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने स्वाबलम्बन समूहों/उपयोगकर्ता समूहों का गठन न करने के लिए स्टॉफ/जलविभाजक विकास दलों की कमी/अनुपलब्धता तथा स्थानीय लोगों में रूचि की कमी बताया (सितम्बर 2006-जनवरी 2007) जबकि दो परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (कुनिहार एवं नादौन) ने स्वावलम्बन समूहों का गठन न करने के लिए अन्य कार्यक्रमों जैसाकि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत स्वावलम्बन समूहों का गठन किया जाना बताया। इन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों का कथन मान्य नहीं है क्योंकि अन्य कार्यक्रमों के स्वावलम्बन समूहों ने जलविभाजक क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों की ओर से प्रयासों की कमी का सूचक था।

---

36 बमसन, भोरंज, बिझड़ी, देहरा, काजा, प्रागपुर तथा नूरपुर

37 2500 रू0 प्रतिमाह की दर से 250 रू0 प्रतिवर्ष की कृत्रिम बढ़ौतरी सहित अधिकतम 3500 रू0 प्रतिमाह के आधार पर

38 बंगाणा, धर्मपुर (सोलन जिला), घुमारवीं, हरोली, झण्डूता, केलांग, कुनिहार, नादौन तथा ऊना

3.5.15 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

3.5.15.1 चिन्हित वित्तीय संसाधनों का कम उपयोग

जलविभाजक विकास कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला परिषदों से यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित था कि जलविभाजक विकास में सम्मिलित सभी कार्यकर्ताओं के लिए सम्बद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई हो। इस प्रयोजन हेतु जलविभाजक विकास परियोजना के लिए स्वीकृत की गई अनुदान के पांच प्रतिशत का उपयोग किया जाना था।

सात चयनित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अभिलेखों से पाया गया कि 2002-07 के दौरान 136 करोड़ रू0 के लिए स्वीकृत किये गये 472 जलविभाजकों से समाविष्ट 19 जलविभाजक विकास परियोजनाएं प्रचालन में थी परन्तु प्रशिक्षण पर किया गया व्यय केवल 2.65 करोड़ रू0 था अर्थात् 6.80 करोड़ रू0 की अपेक्षित सीमा के प्रति कुल स्वीकृत लागत का दो प्रतिशत। सम्बद्ध परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने बताया (सितम्बर 2006-जनवरी 2007) कि स्टॉफ की कमी के कारण प्रशिक्षण पर व्यय नहीं किया जा सका जैसाकि दिशानिर्देशों में अपेक्षित था। परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों का कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पर्याप्त निधियों का प्रावधान होने के बावजूद जलविभाजक परियोजनाओं के सुयोजन, निष्पादन तथा अनुरक्षण से सम्बन्धित अधिकतम कर्मी अप्रशिक्षित थे

3.5.16 निर्गम नयाचार प्रोटोकॉल

3.5.16.1 पूर्ण कार्यों हेतु निर्गम प्रोटोकॉल शामिल न करना

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला परिषदों ने पूर्ण की गई जलविभाजक परियोजनाओं में सृजित सम्पतियों को प्रचालन तथा अनुरक्षण के उद्देश्य से पंचायतों को प्रोत्साहित करके जलविभाजक विकास परियोजनाओं को अपने अधिकार में लेने के लिए उपयुक्त निर्गम प्रोटोकॉल तैयार करना होता है। सृजित सम्पतियों के लाभों की न्यायसंगति एवं स्थिरता के संदर्भ में निर्गम प्रोटोकॉल में स्थानीय रूप से स्वीकार्यता, उपयुक्त क्रियाविधि को परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा इनके क्षेत्रीय निर्गम से पहले स्पष्टरूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रोटोकॉल में परियोजना के बाद अनुरक्षण तथा इसके नियमित संवर्धन हेतु जलविभाजक विकास निधियों की उपयोगिता को भी विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

सात नमूना-जांचित[39] जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों[40] में से पांच में यह पाया गया कि मरूस्थल विकास कार्यक्रम (दो परियोजनाएं: 80 जलविभाजक) तथा सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (पांच परियोजनाएं: 43 जलविभाजक) के अंतर्गत 2002-2004 के दौरान 28.89 करोड़ रू0 की लागत पर पूर्ण किये गये 123 जलविभाजकों से समाविष्ट सात परियोजनाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ निर्गम प्रोटोकॉल की कोई भी कार्यविधि नहीं बनाई गई थी। इस प्रकार सम्बद्ध परियोजना अधिकारियों ने परियोजना कार्यान्वयन समितियों को संपूर्ण गई सम्पत्तियां ही प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु सम्बन्धित पंचायतों को सौंपने में उन्हें मनाने के लिए मार्च 2007 [41] तक प्रभावकारी पग नहीं उठाये ।

तथ्यों से सहमत होते हुए परियोजना अधिकारियों जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों ने बताया (जनवरी 2007) कि परिसम्पतियों को पंचायतों को सौपने के लिए पग उठाए जा रहे थे । शेष तीन जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के परियोजना अधिकारियों ने निर्गम प्रोटोकॉल के माध्यम से पूर्ण किये जा चुके जल विभाजको को न सौंपे जाने के लिए कोई भी कारण सूचित नहीं किये । इसलिए लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने में असमर्थ था कि जलविभाजकों की कारीगिरी से पंचायतें संतुष्ट थी ।

इस प्रकार पूर्ण की जा चुकी परिसम्पतियों को सौंपने के लिए निर्गम प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति में परिसम्पतियों के सही रखरखाव तथा प्रचालन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है तथा इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों को अभिप्रेत लाभों से वंचित होना पड़ सकता हैं ।

---

39 बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति, सोलन तथा ऊना

40 2002-2003 से 2006-2007 तक कांगड़ा तथा हमीरपुर में कोई परियोजना पूर्ण नहीं की गई

41 2004-2007 के दौरान कोई परियोजना पूर्ण नहीं हुई ।

3.5.17 अनुश्रवण एवं पर्यावेक्षण

3.5.17.1 राज्य जलविभाजक विकास समिति की बैठकें आयोजित न करना

जल विभाजक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए तथा विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं तथा स्वैच्छिक अभिकरणों के मध्य समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 27 सदस्यों से समाविष्ट एक राज्य जलविभाजक विकास समिति का गठन किया । तथापि, राज्य जल विभाजक विकास समिति में दिशानिदेशों में विनिर्दिष्ट सभी समूहों से प्रतिनिधित्व नहीं है । राज्य जलविभाजक विकास समिति की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जानी अपेक्षित थी ।

यह देखा गया कि राज्य जलविभाजक विकास समिति ने 2002-07 के दौरान जलविभाजक परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा अनुश्रवण के लिए कोई भी बैठक आयोजित नहीं की । संशोधित दिशनिदेशों के अनुसार राज्य जलविजाजक विकास समिति का गठन न करने तथा इसकी बैठकों का आयोजन न करने के परिणाम स्वरूप सभी तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन का प्रभावकारी रूप से अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

सात [42] चयनित जिलों में यह पाया गया कि जिला स्तरीय जलविभाजक विकास समितियों की अपेक्षित 140 बैठकों की संख्या के प्रति 2002-07 के दौरान केवल 39 बैठकों (28 प्रतिशत) का ही आयोजन किया गया था।

दिशानिदेशों के अंतर्गत अपेक्षित राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता तथा अनुश्रवण समिति की कार्यविधि का सृजन सितम्बर 2007 तक नहीं किया गया था । यद्यपि सभी कार्यक्रम अप्रैल 1995 से दिशानिदेशों के एक सामान्य सैट के अंतर्गत जलविभाजक पहुंच पर कार्यान्वित किये जा रहे थे तथा जून 2007 तक इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर 224.12 करोड़ [43] रू0 व्यय किये जा चुके थे परन्तु विभाग ने बैंचमार्क जैसाकि जल तालिका में वृद्धि, फसलों एवं दूध, आदि के उत्पादन की तुलना में मरूस्थलीकरण,सूखाग्रस्त तथा बंजर/निम्नस्तरीय भूमि, के द्वारा प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समग्र निर्धारण जांच नहीं की थी ।

निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (सितम्बर 2007) कि राज्य जलविभाजक विकास समिति की बैठक जुलाई 2001 में आयोजित की गई थी तथा उसके बाद कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई क्योंकि हरियाली दिशानिदेंशों में राज्य जलविभाजक विकास समिति का प्रावधान नहीं था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अप्रैल 2003 में हरियाली दिशानिदेशों के जारी होने से पूर्व स्वीकृत की गई परियोजनाएं 2001 में जारी किये गये दिशानिदेशों के अनुसार कार्यान्वित की जानी अपेक्षित थी तथा राज्य जलविभाजक विकास समिति द्वारा इनका अनुश्रवण किया जाना अपेक्षित था ।

3.5.17.2 त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण न करना/विलम्ब से प्रस्तुतिकरण करना

दिशानिदेशों में प्रावधान था कि ग्राम पंचायत/जलविभाजक संघ/समिति को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन जलविभाजक विकास दल द्वारा इस की छानबीन तथा अनुमोदन करने के उपरांत परियोजना/कार्यान्वयन अभिकरण को प्रस्तुत करना चाहिए । परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों से भी त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को आगे प्रस्तुत करने के लिए जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था । दिशानिदेश राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण के देय तिथि के विषय में मौन थे ।

निम्नवत् तथ्य पाये गये :

- राज्य सरकार ने 2002-07 के दौरान इन प्रतिवेदनों को सम्बद्ध तिमाही के समाप्त होने पर 37 से 199 दिनों के पश्चात् भारत सरकार को प्रस्तुत किया । अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2007) कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों से निर्धारित समय पर इनकी प्राप्ति न होने के कारण त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों को प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।

---

42 बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति, सोलन तथा ऊना

43 एकीकृत जलविभाजक विकास कार्यक्रम: 116.42 करोड़ रू0: मरूस्थल विकास कार्यक्रम: 65.92 करोड़ रू0 तथा सूखाग्रसत क्षेत्र कार्यक्रम: 41.78 करोड़ रू0

➢ परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रस्तुत किये गये त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि सितम्बर 2006 की समाप्ति पर त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करते समय परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हमीरपुर तथा कांगड़ा ने एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम के अंर्तगत 29.116.41 हैक्टेयर की वास्तविक उपलब्धियों के प्रति 30,611,88 हैक्टेयर के सुधार किये गये क्षेत्र (सितम्बर 2006) की उपलब्धि सूचित की (अक्तूबर 2006)। सुधार किये गये 1,495.47 हैक्टेयर क्षेत्र को (सितम्बर 2006) आरम्भिक कार्यकलापों के अंतर्गत बिना किसी व्यय विवरण के साथ आरम्भिक कार्यो के निष्पादन की उपलब्धि के रूप में दिखाया गया था।

➢ निदेशक-एवं-विशेष सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) ने (सितम्बर 2001) में परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों के नियमित प्रस्तुतिकरण के लिए आगामी मास की 5वीं तारीख तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा निदेशक (ग्रामीण विकास विभाग) को सम्बद्ध तिमाही के आगामी मास की 10वीं तारीख निर्धारित की थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के स्तर पर ऐसे प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में 10 से 150 दिनों तक का विलम्ब था। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के परियोजना अधिकारी ने विलम्ब के लिए परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रतिवेदनों का विलम्ब से प्राप्त होना बताया।

➢ इसके अतिरिक्त, चयनित 23 कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों में से दो कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों (धर्मपुर एवं कुनिहार) ने सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई जलविभाजक परियोजनाओं के सम्बध में 2002-07 के दौरान सम्बद्ध जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को कोई भी त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन नहीं बनाया अथवा प्रस्तुत नहीं किया था । शेष 21 कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों के सम्बध में, 13 परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों[44] ने इन प्रतिवेदनों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया था जबकि आठ परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों[45] ने इन प्रतिवेदनों को 10 से 123 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत किया ।

खण्ड विकास अधिकारियों, धर्मपुर एवं कुनिहार ने तथ्यों को माना तथा प्रतिवेदनों के तैयार न किये जाने के लिए स्टॉफ की तैनाती न किया जाना/कमी का कारण बताया (जनवरी 2007)। प्रतिवेदनों के विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (सितम्बर 2006-जनवरी 2007) कि जल विभाजक समितियों से प्रतिवेदनों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण इन्हें निर्धारित तिथि पर नहीं भेजा गया था । कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा जल विभाजक समितियों से प्रतिवेदनों की समयोपरि प्राप्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए थी । इस प्रकार वास्तव में राज्यस्तर पर अनुश्रवण क्रियाविधि विद्यमान नहीं थी ।

3.5.17.3 कार्यो का निरीक्षण

कार्यक्रमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु निदेशक -एवं-विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नवत वार्षिक निरीक्षण अनुसूची निर्धारित की (सितम्बर 2001) :

तालिका : 3.5.2

निरीक्षण का स्तर	निरीक्षण किये जाने वाले कार्यो की प्रतिशतता
जलविभाजक विकास दल सदस्य	100
परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण	50
परियोजना अधिकारी	25
परियोजना निदेशक	15
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	10

44 अम्ब, बमसन, बंगाणा, बिझारी, बिलासपुर, देहरा, घुमारवीं, हरोली, झण्डूता, कल्पा, केलांग, नदौन तथा नगरोटा बगवां

45 भोरंज, गगरेट, काजा, निचार, नूरपुर, पूह, परागपुर तथा ऊना

यह पाया गया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अथवा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण दोंनो के स्तर पर निरीक्षण का कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था ।

3.5.18 निष्कर्ष

राज्य सरकार ने बंजर/ निम्न स्तरीय भूमि, सूखाग्रस्त तथा मरूस्थल क्षेत्रों के सुधार हेतु दीर्घ अवधि सापेक्ष योजना तैयार नहीं की थी । कार्यक्रमों का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं था क्योंकि 2002–2007 के दौरान पूर्णता हेतु अपेक्षित 49 जलविभाजक परियोजनाओं में से केवल 11 परियोजनाएं ही अगस्त 2007 तक पूर्ण की गई थी। 38 परियोजनाएं अभी तक अधूरी पड़ी हुई थी यद्यपि पूर्णता हेतु निर्धारित समय पहले ही समाप्त हो चुका था ।

कुछ मामलों में सुधार किये गये क्षेत्र के साक्ष्य को अनुरक्षित नहीं किया गया था, पौधों की उच्च नश्वरता को कम करने के लिए मानक/प्रणाली अभिकल्पित नहीं की गई थी तथा अपर्याप्त रोजगार उत्पादन किया गया था । निर्धारित सीमा तक जलविभाजक विकास दलों का गठन नहीं किया गया तथा जलविभाजक कार्यो के उपयुक्त तकनीकी पर्यावेक्षण एवं समयोपरि पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए योग्य कर्मियों का समावेश नहीं किया गया था। क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण हेतु प्रदत निधियों को पूर्णरूप से उपयोग नहीं किया गया था । उपयुक्त निर्गम प्रोटोकाल हेतु क्रियाविधि तैयार नहीं की गई थी ताकि लाभार्थियों द्वारा जलविभाजक परियोजनाओं के प्रचालन तथा अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकता । कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए अनुश्रवण की कार्यविधि अपर्याप्त एवं प्रभावहीन थी । उपयुक्त बैंचमार्क की अनुपस्थिति में जल तालिका में वृद्धि, फसलों एवं दूध आदि के उत्पादन के सम्बन्ध में मरूस्थलीकरण, सूखाग्रस्त क्षेत्र तथा बंजर/निम्नस्तरीय भूमि की तुलना में कार्यक्रम के प्रभाव को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सका ।

3.5.19 सिफारिशें

- **राज्य सरकार को बंजर/निम्नस्तरीय भूमि, सूखाग्रस्त तथा मरूस्थल क्षेत्र का समयबद्ध तरीके से सुधार करने के लिए दीर्ध अवधि मास्टर योजना को तैयार करने पर विचार करना चाहिए ।**
- **भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की पूर्णता हेतु निर्धारित की गई समय अनुसूची का सख्ती से पालन करने से कार्यक्रम का तीव्रता से कार्यान्वयन तथा निधियों की सर्वोत्तम उपयोगिता एवं लोगों के समयोपरि लाभों को सुनिश्चित किया जाएगा ।**
- **कार्य स्थलों पर विवादों से बचने के लिए तथा समुदाय को सम्पतियों के अंतरण हेतु कार्यक्रमों में लाभार्थियों की अधिकतर भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।**
- **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है तथा राज्य सरकार को अनुदान के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए ।**
- **राज्य तथा जिला स्तरों पर सतर्कता समितियों की स्थापना द्वारा आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है ।**
- **निर्गम प्रोटोकॉल हेतु उपयुक्त प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है ताकि पूर्ण की गई परियोजनाएं लाभार्थियों को स्थानांतरित हो जाए ।**
- **राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम क्रियाकलापों के प्रभाव को जांचने हेतु बैंचमार्क तैयार किये जाने की आवश्यकता है ।**

सचिव ने सिफारिशों को स्वीकार किया (जून 2007) तथा आश्वासन दिया कि अनुपालना शीघ्र सूचित कर दी जाएगी ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

3.6 एकीकृत बाल विकास सेवाएं

मुख्य-मुख्य बातें

एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यान्वयन की निष्पादन समीक्षा से पाया गया कि वर्ष प्रतिवर्ष पर्याप्त निधियां अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सेवाओं, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत शिनाख्त किये गये लाभार्थियों के कार्यक्रम का सीमाक्षेत्र अपर्याप्त था। स्कीम के अनुपूरक पोषाहार संघटक के अंतर्गत पहचान किये गये लाभार्थियों की सहायता हेतु राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं करवाई थी तथा आवृत किये गये लाभार्थियों को मानकों के अनुसार अनुपूरक पोषाहार प्रदान नहीं किया गया था। बहुत संख्या में आंगनवाड़ी केन्द्र अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में कार्यरत थे। कर्मियों का प्रशिक्षण एवं निर्धारण अपर्याप्त था। राज्य स्तर पर कार्यक्रम का अनुश्रवण नहीं किया गया था जैसाकि निर्धारित था। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत हैं:

- *जबकि स्टॉफ लागत तथा प्रशासनिक व्यय में कुल व्यय के 57 से 70 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई थी तो कार्यक्रम कार्यान्वयन में तदनुरूप से 2002-05 के दौरान कमी हुई।*

(परिच्छेद 3.6.7.2)

- *2002-07 के दौरान पांच चयनित जिलों में अनुपूरक पोषाहार के अंतर्गत शिनाख्त किये गये लाभार्थियों की आवृत्ति में बच्चों के लिए 20 से 30 प्रतिशत तथा सम्भावित एवं पोषक माताओं के लिए 22 से 30 प्रतिशत तक की कमी रही जबकि उसी अवधि के दौरान राज्य स्तर पर समग्र कमी क्रमश: 41 से 46 प्रतिशत तथा 26 से 42 प्रतिशत के मध्य रही।*

(परिच्छेद 3.6.9.2)

- *आरम्भिक शैशवावस्था देखभाल एवं शिक्षा के कार्यकलापों में सामंजस्य करने के लिए 2003-06 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान में से प्रदान किये गये 1.44 करोड़ रू0 मार्च 2007 तक अप्रयुक्त पड़े थे।*

(परिच्छेद 3.6.10.2)

- *किशोरी शक्ति योजना की मध्यस्थता प्रभावकारी रूप से कार्यान्वित नहीं की गई थी क्योंकि 2002-07 के दौरान पहचान की गई 33 से 90 प्रतिशत किशोर लड़कियों (11-18 वर्ष आयु) को आवृत नहीं किया गया था।*

(परिच्छेद 3.6.15.1)

- *राज्य स्तर पर कार्यक्रम का अनुश्रवण प्रभावकारी रूप से नहीं किया गया था क्योंकि उच्चतम स्तर पर अनुवर्ती कार्यान्वयन विचारणीय नहीं था। राज्य स्तरीय समन्वयन समिति की 20 बैठकें आयोजित करने के प्रति पांच वर्षों के दौरान केवल एक बैठक का ही आयोजन किया गया।*

(परिच्छेद 3.6.18.1)

3.6.1 परिचय

एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हैं तथा राज्य में 1975-76 से प्रचालन में है। यह कार्यक्रम समाज के अत्यधिक वंचित समूहों से सम्बन्धित 0-6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती तथा पोषक माताओं के पावन विकास के लिए था। कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच,

परामर्श सेवाएं, बच्चों (3-6 वर्ष के आयुवर्ग में) को अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा से सम्बन्धित सेवाओं का एक पैकेज दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश में उपरोक्त कार्यक्रम सभी 12 जिलों में चल रहा है और इसे इन परियोजनाओं की कार्य सीमा के अन्तर्गत पड़ने वाले 76 बाल विकास परियोजना कार्यालयों (राज्य सरकार के 75 बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएं तथा एक गैर सरकारी संगठन[1] द्वारा चलाई जा रही एक एकीकृत बाल विकास सेवाएं) और 7,354 आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा चलाया जा रहा है।

3.6.2 *संगठनात्मक ढांचा*

राज्य में एकीकृत बाल विकास सेवायें कार्यक्रम सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग ने सम्भाली हैं। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है:

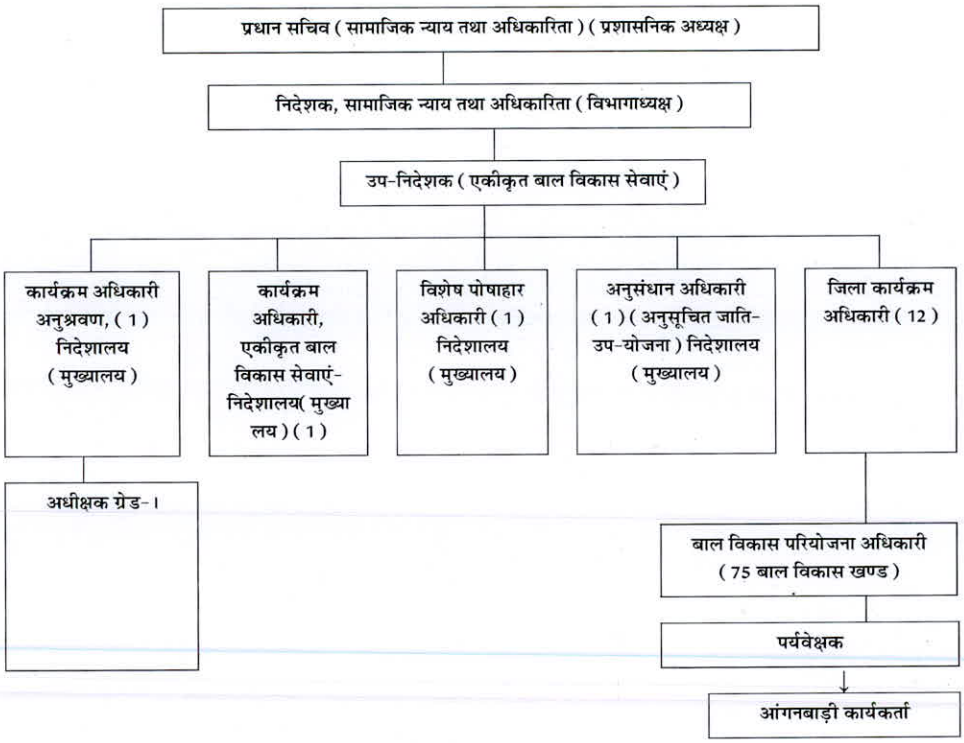

3.6.3 *लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र*

वर्ष 2002-07 की अवधि के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा (दिसम्बर 2006-अप्रैल 2007) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, 12 जिला कार्यक्रम अधिकारियों में से पांच[2], 12 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों में से पांच, 76 बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से 17[3] तथा चयनित बाल विकास पिरयोजना अधिकारियों के कायक्षेत्र में पड़ने वाले 170 आंगनवाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। इसे निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं से प्राप्त सूचना से जोड़ा गया था। वर्ष 2002-07 के दौरान इस योजना पर व्यय की गई रू0 201.55 करोड़ की राशि में से रू0 111.97 करोड़ जो कि कुल व्यय का 56 प्रतिशत था, की लेखापरीक्षा में जांच की गई।

---

1 अंकुर कल्याण संघ एकीकृत बाल विकास सेवाएं, गगरेट

2 जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला तथा सिरमौर

3 आनी, बैजनाथ, बंजार, भरवाणा, चौंतरा, फतेहपुर, गगरेट, जुब्बल, मशोबरा, नगरोटा सूर्यां, नौथर, पच्छाद, पांवटा साहिब, रिवालसर, रोहड़ू, संगड़ाह तथा सुन्दरनगर

3.6.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य निर्धारण करने को थे कि:

- प्रत्येक स्कीम के अन्त:क्षेप/घटक के लिए निधियों का बजट, निस्तारण और उपयोगिता पर्याप्त और समय पर थीं;
- लाभार्थियों की शिनाख्त के लिये प्रभावी प्रणाली बनाई गई थी;
- एकीकृत बाल विकास सेवायें कार्यक्रम प्रभावी ढंग तथा दक्षतापूर्वक कार्यान्वित किया गया था और दिशानिदेशों के अनुसार इसका अनुश्रवण किया गया था।
- बच्चों (0-6 वर्ष की आयुवर्ग) और पोषक माताओं में कुपोषण को कम करने के लिए राज्य/संघ सरकार के प्रयत्न प्रभावी थे;
- आरम्भिक बाल विकास, किशोरियों व पुनर्उत्पादित बाल स्वास्थ्य की अन्य चालू योजनाओं के साथ समरूपता पर विचार किया गया था;
- सूचना शिक्षा के अन्तर्गत सामुदायिक जुटाव कार्यकलाप और संचार को सशक्त किया गया था;
- कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवाओं के पैकेज को प्रभावी ढंग से सुपुर्द करने के लिए कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण/निर्धारण किया गया था।

3.6.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

कार्यक्रम के विभिन्न अन्त:क्षेपों के निष्पादन के निर्धारण हेतु प्रयोग में लाये गये मानदण्ड थे:

- भारत सरकार द्वारा जारी समेकित बाल विकास सेवाओं पर नियमावली
- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशन
- भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग दर्शिका-2000 का बाल विकास परियोजना सेवायें सार संग्रह

3.6.6 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

मार्च 2007 में प्रधान सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के साथ प्रवेश सम्मेलन हुआ जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड और लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र पर चर्चा हुई थी। प्रतिस्थापन सहित आकार के सम्भावित अनुपात की चयनित विधि से राजधानी जिला और चार अन्य जिलों को चयनित किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारियों और आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रतिस्थापन रहित साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रणाली द्वारा चुना गया था। 2002-07 की अवधि के लिए कार्यक्रम के विभिन्न अंत:क्षेपों, के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों, उपलब्ध डाटा के विश्लेषण, प्रश्नावली व लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करने तथा विविध कार्यपालकों से प्राप्त उत्तरों के परीक्षण की जांच के बाद लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गये। लेखापरीक्षा के परिणामों को समाप्ति संगोष्ठी में (जून 2007) प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता) से चर्चा की गई और सरकार के दृष्टिकोण को जहां सम्भव हो, समीक्षा में शामिल किया गया।

3.6.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

3.6.7.1 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

यह स्कीम भारत सरकार द्वारा (1975-76 से) द्वारा पूरक पोषाहार को छोड़कर पूर्णरूप से वित्त पोषित है जिसके लिए राज्य सरकार को अपने संसाधनों में से प्रावधान करना है। आगे, प्रधान मन्त्री ग्रामोदय योजना को ग्राम स्तर पर मानव विकास के धारणीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 2000-01 में आरम्भ किया गया था। प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना में छ: वर्ष की आयु तक के बच्चों को तथा संभावित व पोषक माताओं के समेकित बाल विकास सेवाओं कार्यक्रम के पूरक पोषाहार घटक हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अतिरिक्त सहायता के आवंटन की परिकल्पना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अर्न्गत राज्य सरकार द्वारा पूरक पोषाहार हेतु निधियों के कम प्रावधान को पूरा करने के लिए आवंटन की व्यवस्था है।

वर्ष 2002-07 के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के सभी अंत:क्षेत्रों सम्बन्धी बजट आवंटन तथा उसके प्रति किया गया व्यय निम्न प्रकार से था:

तालिका: 3.6.1

(करोड़ रूपए)

वर्ष	आदि शेष		बजट आंबटन		कुल उपलब्ध निधियां	व्यय		अप्रयुक्त तथा अभ्यर्पित निधियां	बचत बैंक खाता में रखे गए अव्ययित शेष	
	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य		केन्द्र	राज्य		केन्द्र	राज्य
2002-2003	11.89	--	35.90	--	47.79	30.00	--	6.89	10.90	--
2003-2004	10.90	--	39.84	--	50.74	39.77	--	0.21	10.76	--
2004-2005	10.76	--	38.57	--	49.33	34.97	--	0.78	13.58	--
2005-2006	13.58	--	39.27	4.72	57.57	43.64	4.32	2.61	6.60	0.40
2006-2007	6.60	0.40	67.89	8.28	83.17	52.06	5.91	22.43	--	2.77
जोड़:	53.73	0.40	221.47	13.00	288.60	200.44	10.23	32.92	41.84	3.17

स्रोत: विभागीय आंकड़े (अनुदान नं0 19 तथा 31 के अन्तर्गत बजट आबंटन)

उपरोक्त अवधि के दौरान निधियों का अभ्यर्पण 0.21 करोड़ रू0 (0.41 प्रतिशत) तथा 22.43 करोड़ रू0 (27 प्रतिशत) की सीमा में रहा। निदेशक ने 2006-07 में बचत को आंगनवाड़ी केन्द्रों के गैर परिचालन और नये संस्वीकृत (2005-06) 10,894 आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायक की भर्ती पर राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा लगाई गई रोक और कुछ पद खाली पड़े रहने से सम्बद्ध बताया (जून 2007)। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने 2005-06 के दौरान अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की संस्वीकृति दी थी और विभाग द्वारा निधियों का आहरण केवल आंगनवाड़ी केन्द्रों के पूर्णरूप से कार्यात्मक होने पर ही किया जाना था। पदों के रिक्त होने के कारण बचत के सम्बन्ध में विभाग की बजट में रिक्त पदों के प्रति प्रावधान करने सम्बन्धी कार्रवाई हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के सिद्धांतों के विरूद्ध है। वर्ष 2002-03 के दौरान 6.89 करोड़ रू0 की बचत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को मानदेय के भुगतान न करने के कारण थी जिसका भुगतान 2003-04 में किया गया था।

3.6.7.2 स्थापना तथा अन्य प्रशासनिक लागत

यह ध्यान में आया कि 2002-07 के दौरान स्टॉफ लागत और अन्य प्रशासनिक व्यय लगातार बढ़ौतरी की ओर थे जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम के विभिन्न अन्त:क्षेपों/कार्यकलापों को लागू करने से संसाधनों का मंद प्रभाव हो गया। वर्ष 2006-07 के दौरान सेवाएं प्रदान करने पर अन्य लागतों की तुलना में स्टाफ लागत[4] का अनुपात निम्न प्रकार से था:

तालिका: 3.6.2

(करोड़ रूपए)

वर्ष	एकीकृत बाल विकास सेवाओं पर कुल व्यय	वेतन, मजदूरी और अन्य प्रशासनिक व्यय	कार्यक्रम लागू करने पर व्यय	स्थापना की प्रतिशतता और व्यय
2002-2003	29.01	16.56	12.45	57
2003-2004	39.63	27.57	12.06	70
2004-2005	37.79	26.16	11.63	69
2005-2006	41.38	27.86	13.52	67
2006-2007	53.74	36.49	17.25	68

स्रोत: विभागीय आंकड़े

[4] निदेशालय का स्टाफ; जिला कार्यक्रम अधिकारी स्टाफ; बाल विकास परियोजना अधिकारी स्टाफ; पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायक।

जबकि स्टॉफ लागत व प्रशासनिक व्यय कुल व्यय से 57 से 70 प्रतिशत तक बढ़ गया तो 2002-05 में कार्यक्रम लागू करने पर व्यय तदनुसार घट गया। इस प्रकार कार्यक्रम का विस्तार सभी लाभार्थियों के लिए उस सीमा तक नहीं किया गया था। निदेशक ने बताया (जून 2007) कि मजदूरी व वेतनों आदि पर व्यय कार्यक्रम का अनिवार्य भाग था। तथ्य यह है कि कार्यक्रम के लिए अधिक निधियां अपेक्षित हैं इसलिए विभाग को अपने स्टॉफ तथा प्रशासनिक व्यय में कमी करनी चाहिए।

3.6.7.3 लाभार्थियों की शिनाख्त

एकीकृत बाल विकास सेवायें दिशानिदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी परिवारों विशेषकर माताओं व बच्चों के एक शीघ्र व साधारण गणना सर्वेक्षण को परिकल्पित करती है। एकीकृत सेवाएं प्रदान करने हेतु विभाग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वेक्षण करवा रहा है। बच्चों के आयुवर्ग के आधार पर तथा महिलाओं में गर्भावस्था का पता लगाने और स्तनपान करवाने वाली ऐसी माताएं जिनके बच्चे छ: माह से कम आयु के हों, ऐसे लाभार्थियों की पहचान एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाओं के विभिन्न घटकों के लिए की जानी है। ऐसे क्षेत्र जो आंगनवाड़ी केन्द्रों से दूरी होने के कारण आंगनवाड़ी केन्द्रों से आवृत्त न हो सके हैं तो इन लाभार्थियों को चल संकल्प मोबाइल कन्सैप्ट के माध्यम से पूरक पोषाहार की सेवाओं का पैकेज दिया जाता है।

वर्ष 2002-07 के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवाओं के विभिन्न घटकों के लिए शिनाख्त किये गये लाभार्थियों की संख्या निम्न प्रकार से थी:

तालिका: 3.6.3

(संख्या लाखों में)

एकीकृत बाल विकास सेवाएं संघटक	शिनाख्त किए गए लाभार्थी						
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	जोड़
पूरक पोषाहार तथा परामर्श जांच	संभावित तथा पोषाक माताएं	0.92	1.18	0.99	1.04	1.00	5.13
	6 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे	5.11	5.35	5.51	5.89	5.76	27.62
अनौपचारिक स्कूल शिक्षा	3-6 वर्ष की आर्यु वर्ग के बच्चे	2.15	2.23	2.33	2.58	2.54	11.83
पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा	15-44 आयु वर्ग की महिलाएं	6.61	6.92	7.24	7.51	7.29	35.57
किशोरी शक्ति योजना	किशोरियां (11-18 आयु वर्ग)	0.46	0.46	0.56	3.57	3.57	8.62

स्रोत: विभागीय आंकड़े

अन्त:क्षेपवार निष्पादन की चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई है।

3.6.8 आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना

3.6.8.1 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र न खोलना

दिशा-निदेशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र वहां खोले जाने थे जहां 300 या अधिक की आबादी हो। विभाग ने यद्यपि राज्य के लिए 18,248 आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता निर्धारित (2004-05) की थी। यह ध्यान में आया कि राज्य सरकार ने 76 परियोजनाओं में चल रहे 7,354 आंगनवाड़ी केन्द्रों के अतिरिक्त 2005-06 के दौरान 10,894 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र संस्वीकृत किये जिन्हें अभी व्यवस्थापित किया जाना है

(मार्च 2007)। आंगनवाड़ी केन्द्रों को न खोलने के परिणामस्वरूप कार्यक्रम में बचत हुई जैसाकि परिच्छेद 3.6.7.1 में उल्लिखित है।

निदेशक ने बताया (जून 2007) कि अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही थी।

3.6.8.2 आंगनवाड़ी केन्द्रों में अपर्याप्त सुविधाएं

एकीकृत बाल विकास सेवायें कार्यक्रम के अर्न्गत, आंगनवाड़ी केन्द्रों को सुरक्षित पेयजल तथा सफाई की व्यवस्था के लिए उचित सुविधाओं के साथ भवनों में स्थापित किये जाने थे। यह ध्यान में आया कि राज्य में चल रहे 7,354 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 1,783 आंगनवाड़ी केन्द्र (24 प्रतिशत) में सुरक्षित पेयजल की सुविधाएं तथा 6,885 (94 प्रतिशत) में शौचालय की सुविधाएं नहीं थी।

ये मूल सुविधाएं आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए दी जानी चाहिए विशेषकर तब जबकि छ: वर्ष से कम आयु के बच्चों को भोजन व्यवस्थित किया जा रहा हो। तथ्यों की पुष्टि करते हुए, निदेशक ने बताया (जून 2007) कि यह मामला विभागीय की कार्यसूची में था और यह उम्मीद की जा रही थी कि इस मामले में सकारात्मक प्रगति होगी।

3.6.8.3 आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना न करना

भारत सरकार की संस्वीकृति (अप्रैल 2005) के अनुसार 2005-06 के दौरान 253 आंगनवाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में बनाया जाना था ,जहां बच्चों के विकास के लिए सभी प्रकार की अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी थी। इन भवनों के निर्माण पर 1.25 लाख रू0 प्रति भवन की दर से किया जाने वाला व्यय केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात से वहन करना था। इन भवनों के निर्माण हेतु 2005-06 के दौरान विभाग को कुल 2.53 करोड़ रू0 (भारत सरकार: 1.90 करोड़ रू0; राज्य: 0.63 करोड़ रू0) की निधियां जारी की गई थी।

यह ध्यान में आया कि 253 संस्वीकृत (अप्रैल 2005) आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रति विभाग ने 2005-06 के दौरान 209 केन्द्रों के निष्पादन का कार्य हाथ में लिया और मार्च 2007 को 103 भवनों को अपूर्ण छोड़कर 106 भवनों का निर्माण पूरा किया। विभाग ने 44 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निष्पादन का कार्य हाथ में नहीं लिया। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों के अनुसार प्रावधित निधियों को 2005-06 के दौरान प्रयुक्त करना था। विभाग मार्च 2007 तक 147 भवनों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए असफल रहा यद्यपि 2.53 करोड़ रू0 की राशि का 80 प्रतिशत निष्पादन एजेंसियों/अभिकरणों को निस्तारित कर दिया था। आंगनवाड़ी केन्द्रों के पूर्ण न होने तथा भारत सरकार (1.90 करोड़ रू0) द्वारा प्रदत्त निधियों के प्रयुक्त न करने के परिणामस्वरूप 47.44 लाख रू0 (20 प्रतिशत) की दूसरी किस्त भी निस्तारित नहीं हुई। इस प्रकार विभाग द्वारा प्रभावी पगों की कमी के कारण सम्बन्धित लाभार्थियों को अभिप्रेत लाभ न दिये जाने के कारण अभिष्ट ढांचात्मक सुविधाएं पैदा नहीं की जा सकीं।

निदेशक ने बताया (जून 2007) कि तेज ठंडें मौसम तथा पानी की कमी के कारण भवनों को पूर्ण नहीं किया जा सका। यह दावा मान्य नहीं है क्योंकि ये सभी तथ्य भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने के समय मालूम थे। आगे इस संदर्भ में आवश्यकता की अनुपालना हेतु भारत सरकार से कोई बढ़ौतरी (कालावधि में) प्राप्त नहीं की थी।

3.6.9 पूरक पोषाहार

3.6.9.1 स्कीम के कार्यान्वयन हेतु कार्ययोजना

शिखर न्यायालय द्वारा पास किये गये अन्तरिम आदेश (नवम्बर 2001) के अनुसार 6 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 300 कैलोरी पोषाहार तथा 8-10 ग्राम के प्रोटीन दिये जाने का प्रावधान था। विभाग ने

इस सम्बन्ध में कोई भी वार्षिक कार्यकारी योजना तैयार नहीं की थी और न ही पूरक पोषाहार के लिए निधियों की आवश्यकता को संगणित किया था जैसाकि आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.6.9.2 लाभार्थियों की आवृत्ति

वर्ष 2002-07 के दौरान राज्य में शिनाख्त किये गये लाभार्थियों की संख्या के प्रति आवृति की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार से थी:

तालिका: 3.6.4

(संख्या लाखों में)

वर्ष	संभावित व पोषक माताएं			6 वर्ष से कम बच्चों की कुल संख्या		
	पहचाने गए	सहायता किए गए	कमी की प्रतिशतता	पहचाने गए	सहायता किए गए	कमी की प्रतिशतता
2002-2003	0.92	0.60	35	5.11	2.75	2.36 (46)
2003-2004	1.18	0.69	42	5.35	3.10	2.25 (42)
2004-2005	0.99	0.71	28	5.51	3.20	2.31 (42)
2005-2006	1.04	0.77	26	5.89	3.50	2.39 (41)
2006-2007	1.00	0.73	27	5.76	3.33	2.43 (42)
जोड़:	**5.13**	**3.50**		**27.62**	**15.88**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े: कोष्ठकों के आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

इस प्रकार, 26 से 42 प्रतिशत तक की संभावित तथा पोषक माताएं और 41 से 46 प्रतिशत तक के बच्चे पूरक पोषाहार के लाभ से वंचित रहे थे।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे 7.93 लाख थे। विभाग द्वारा बच्चों की कम शिनाख्त की गई थी जो 2002-03 से 2006-07 के दौरान 2.04 लाख और 2.82 लाख की सीमा में रही। जनगणना के आंकड़े तथा विभागीय आंकड़ों के मध्य अन्तर का मिलान विभाग द्वारा अभी (अप्रैल 2007) किया जाना था।

चयनित पांच जिलों में 2002-07 के दौरान 22 से 30 प्रतिशत तक संभावित एवं पोषक माताएं तथा क्रमश: 20 से 30 प्रतिशत तक के बच्चे पोषक सहायता से वंचित रहे। इस प्रकार, मुख्यत: अपेक्षित आंगनवाड़ी केन्द्रों की अपर्याप्त संख्या के कारण अधिक संख्या में लाभार्थियों को कार्यक्रम के लाभों से वंचित होना पड़ा। निदेशक ने बताया (जून 2007) कि ऐसी बस्तियों को जहां आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वास्तविक संख्या को एकीकृत बाल विकास सेवाओं के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से छ:माही परिवार सर्वेक्षण द्वारा निश्चित किया गया था। सच्चाई यह है कि योजना के अन्तर्गत शिनाख्त किये गये लक्ष्य समूह को सहायता की उपलब्धि को आश्वस्त करना विभाग का उत्तरदायित्व है।

3.6.9.3 शिनाख्त किए गए लाभार्थियों की सहायतार्थ अपर्याप्त बजट प्रावधान

एकीकृत बाल विकास सेवाओं के दिशानिदेशों के अनुसार वर्ष में 300 दिनों तक 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों तथा संभावित एवं पोषक माताओं को पूरक पोषाहार दिया जाना अपेक्षित था। निम्न तालिका

2002-07 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों के शिनाख्त सम्बन्धी प्रस्तावित तथा वास्तविक आवृत्ति की सीमा को इंगित करती है:

तालिका: 3.6.5

(संख्या लाखों में व रूपये करोड़ में)

वर्ष	दैनिक आवरण हेतु शिनाख्त किए गए लाभार्थियों की संख्या	शिनाख्त किए गए लाभार्थियों के लिए अपेक्षित निधियां	कुल उपलब्ध निधियां	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी
2002-2003	6.03	25.44	22.79	11.89	13.55
2003-2004	6.53	27.95	21.66	10.90	17.05
2004-2005	6.50	27.41	21.26	7.68	19.73
2005-2006	6.93	35.08	24.90	17.90	17.18
2006-2007	6.76	45.99	21.58	18.81	27.18
जोड़:	**32.75**	**161.87**	**112.19**	**67.18**	**94.69**

स्रोत: डाटा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता निदेशालय द्वारा आपूरित किया है।

यह देखा गया कि :

➢ 32.75 लाख लाभार्थियों को पूरक पोषाहार देने हेतु 161.87 करोड़ रू0 की आवश्यकता के प्रति 112.19 करोड़ रू0 की निधियां उपलब्ध करवाई गई थीं परिणमास्वरूप 49.68 करोड़ रू0 की निधियों का कम प्रावधान हुआ। विभाग, यद्यपि इन राशियों को प्रयुक्त करने में भी असफल रहा।

➢ वर्ष 2002-07 के दौरान 19.38 लाख लाभार्थियों (बच्चे:15.88 लाख माताएं:3.50 लाख) को पूरक पोषाहार का प्रावधान भी निर्धारित मानको[5] के आधार नहीं किया गया था जबकि विभाग ने उपरोक्त अवधि के दौरान 72.36 करोड़ रू0 के अपेक्षित व्यय के प्रति केवल 67.18 करोड़ रू0 ही खर्च किए थे जैसा कि नीचे विवरणित है:

तालिका: 3.6.6

वर्ष	पूरक पोषाहार के अन्तर्गत आवृत्त लाभार्थियों की कुल संख्या		मानकों के अनुसार खर्च किए जाने वाला व्यय			पूरक पोषाहार पर वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) कमी (-)
	बच्चे	माताएं	बच्चे	माताएं	कुल		
	(संख्या लाखों में)		(करोड़ रूपए)				
2002-2003	2.75	0.60	7.42	2.88	10.30	11.89	(+)1.59
2003-2004	3.10	0.69	8.37	3.31	11.68	10.90	(-)0.78
2004-2005	3.20	0.71	8.64	3.41	12.05	7.68	(-)4.37
2005-2006	3.50	0.77	11.90	4.54	16.44	17.90	(+)1.46
2006-2007	3.33	0.73	15.98	5.91	21.89	18.81	(-)3.08
जोड़:	**15.88**	**3.50**	**52.31**	**20.05**	**72.36**	**67.18**	

स्रोत:विभागीय आंकड़ें

5

दैनिक मानक	30.11.2005 तक		1.12.2005 के पश्चात
	(रूपयों में)		
छ: वर्ष से कम के बच्चे	0.90		1.60
गर्भवती माताएं	1.35	30.11.2005 तक 1.60 रू0 की दर से औसत	2.70
पोषक माताएं	1.85	आधार पर गणना करके	2.70

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि लाभार्थियों को पूरक पोषाहार शर्तों के अनुसार नहीं दिया गया था।

3.6.9.4 पूरक पोषाहार के लिए निधियों का प्रावधान न करना

दिशा-निदेशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पूरक पोषाहार के लिए शतप्रतिशत आधार पर निधियों का प्रावधान करना अपेक्षित था। वर्ष 2002-05 के लिए राज्य सरकार ने पूरक पोषाहार के लिए किसी भी निधियों का प्रावधान नहीं किया। तथापि, राज्य सरकार ने 2005-07 के लिए अपने स्रोतों से आबंटन किया और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त निधियों का भी आबंटन किया। वर्ष 2002-07 के दौरान राज्य सरकार तथा केन्द्रीय क्षेत्रों के अन्तर्गत आबंटित निधियों तथा इसके प्रति किया गया व्यय **परिशिष्ट-XIX** में दिया गया है।

वर्ष 2002-07 में विभाग केन्द्रीय सहायता तथा राज्य निधियों को पूर्णरूप से प्रयुक्त करने में असफल रहा और व्यय न की गई राशि 6.60 करोड़ रू0 व 13.58 करोड़ रू0 (28 से 64 प्रतिशत) की सीमा के मध्य रही। अतिरिक्त आंगनबाड़ियों के न चलाने तथा पूरक पोषाहार की शर्तों का पालन न करने के कारण निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं। राज्य सरकार ने 2002-05 के दौरान पूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिए निधियां आवंटित न किए जाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

3.6.9.5 पूरक पोषाहार की आपूर्ति में विलम्ब

निदेशालय द्वारा 2005-06 के पहले चार महीनों के लिए पूरक पोषाहार[6] खरीदने तथा आपूर्ति आदेश दिए जाने की तिथि से एक माल के भीतर सम्बद्ध बाल विकास परियोजना अधिकारी को आपूर्ति करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम को आपूर्ति आदेश (प्रथम मार्च 2005) दिया गया। आपूर्ति में विलम्ब के लिए कोई भी दण्डात्मक शर्त नहीं रखी गई थी।

जिला परियोजना अधिकारी, मण्डी के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त पोषाहार की मदें जिले की एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं को दो सप्ताह से दो माह के विलम्ब के मध्य आपूरित की गई थी। परिणामत: आंगनबाड़ियों की आवश्यकताओं को केन्द्रों में शेष पुरानी पोषाहार मदों में से पूरा करना पड़ा। तथापि विभाग ने पूरक पोषाहार की विलम्बित आपूर्ति करने का मामला केवल फरवरी-मार्च 2007 में हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम के साथ उठाया, जिसने जबाव में सूचित किया कि 2002-07 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम द्वारा आपूर्ति के लिए लगाई गई फर्म से सम्बद्ध एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं के लिए पोषाहार की मदों की विलम्बित आपूर्ति हेतु 18.27 लाख रू0 का परिसमापन प्रभार वसूल किया गया था। इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (फरवरी 2007) निदेशक ने उपरोक्त राशि की वसूली हेतु मामले को हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम के साथ उठाया (मार्च 2007)। तथापि अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (अगस्त 2007)।

3.6.9.6 लाभार्थियों की पावती के बिना "भोजन घर ले जाना" प्रणाली के अंतर्गत पोषाहार का वितरण

दिशानिदेशों के अनुसार लक्ष्य समूहों के विस्तृत आवरण हेतु गंतव्य तक पहुंचने में असमर्थ तीन वर्ष से कम आयु के झोपड़ी में रहने वाले बच्चों और परम्परागत व अंधविश्वासी गर्भवती महिलाओं हेतु "भोजन घर ले जाओ" के आधार पर वितरण प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार निर्देशनों में आगे प्रावधान (मई 2005) किया गया कि ग्राम स्तरीय समन्वय समिति के 2-3 सदस्यों की उपस्थिति में लाभार्थियों के हस्ताक्षर लिए जाए।

यह ध्यान में आया कि 2003-07 के दौरान तीन बाल विकास परियोजना अधिकारियों[7] ने चलते फिरते आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा "भोजन घर ले जाओ" के रूप में दुर्गम क्षेत्रों के 20,668 लाभार्थियों (बच्चे: 17,456 तथा संभावित माताएं: 3,212) को 36.18 लाख रू0 मूल्य की पोषाहार मदें आपूरित की लेकिन प्राप्तकर्ताओं

6

				(सामग्री क्विंटलों में)				
मटर	चावल	मूंग	चना	दूध	चीनी	घी	नमक	दलिया
242	1303	226	1022	70	142	220	34	796

7 आनी, निथर, पच्छाद

अथवा उनके प्रतिनिधियों की पावती प्राप्त नहीं की थी। किसी भी पावती की अनुपस्थिति में आपूरित की गई खाद्य मदों की अधिप्रमाणिकता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने बताया (फरवरी-मार्च 2007) कि उच्च प्राधिकारियों के ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं था। निदेशक ने बताया (जून 2007) कि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सभी औपचारिकताओं का पालन करने के लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए थे (जुलाई 2005)।

बाल विकास परियोजना अधिकारियों के उत्तर योजना को क्रियान्वित करने में अपर्याप्त तालमोल व अनुश्रवण को इंगित करते हैं।

3.6.9.7 कुपोषित बच्चों को विशेष पोषाहार का प्रावधान न करना

दिशानिदेशों के अनुसार, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को औषधीय पोषाहार (विशेष पौष्टिक आहार अथवा पूरक आहार का दुगुना) दिया जाना चाहिए। ऐसे बच्चे जिनका वजन कर्व IV के नीचे चला जाता है, (ग्रेड-IV कुपोषण) उन्हें एकदम चिकित्सा जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। ऐसे बच्चे जो कर्व I व II में पड़ते है उन्हें आंगनवाड़ी में पूरक पोषाहार की सिफारिश की गई थी।

यह ध्यान में आया कि राज्य के एकीकृत बाल विकास क्षेत्रों में 389 बच्चे ग्रेड III और 25 बच्चे ग्रेड IV में तथा गैर एकीकृत बाल विकास क्षेत्रों में 2,177 बच्चे ग्रेड III व 227 बच्चे ग्रेड IV में पड़ते थे और ये गंभीर रूप से कुपोषित थे। इन बच्चों को किसी प्रकार का औषधीय पोषाहार नहीं दिया गया था जैसाकि एकीकृत बाल विकास मार्गनिर्देशनों में परिकल्पित है। तथ्यों का स्पष्टीकरण करते समय निदेशक ने बताया (जून 2007) कि एकीकृत बाल विकास के अन्तर्गत अभी तक आवृत्त नहीं किए गए क्षेत्रों की तुलना में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (ग्रेड III व IV) बहुत कम हैं। निदेशक ने आगे बताया कि अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों का परिचालन प्रस्तावित किया गया था और सभी अभिकरणों के सहयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जाएंगे।

3.6.10 अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा

3.6.10.1 शिनाख्त किए गए बच्चों को आवृत्त न करना

एकीकृत बाल विकास सेवाओं में 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा दी जानी थी। निदेशालय के अभिलेखों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि 2002-07 के दौरान शिनाख्त किए गए 3-6 वर्ष आयु वर्ग के 11,82,979 बच्चों में से केवल 7,88,653 बच्चे उपरोक्त अवधि में स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए लक्ष्यित थे। तथापि यह ध्यान में आया कि वास्तव में स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु 5,59,575 बच्चे आवृत्त किए गए थे और आंगनबाड़ी केन्द्रों के अन्तर्गत 2,29,078 बच्चे (29 प्रतिशत) स्कूल पूर्व शिक्षा के अपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

निदेशक ने बताया (जून 2007) कि आंगनबाड़ी क्षेत्रों में इस घटक के अन्तर्गत आवरण में कमी बच्चों द्वारा निजी स्कूलों में जाने के कारण थी लेकिन इस दावे के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.6.10.2 स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त अप्रयुक्त निधियां

एकीकृत बाल विकास सेवाओं के विद्यमान घटकों सहित पूर्व बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा के कार्यकलापों के क्रमवेशन हेतु सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक ने 2003-06 के दौरान छोड़े गए क्षेत्रों में जहां आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं चल रहे थे, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा देने हेतु 3-6 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों को आवृत्त करने व पूर्व बाल्यकाल देखरेख तथा शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए विभाग को 5.14 करोड़ रू0 अग्रिम के रूप दिए थे।

निदेशालय में अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 2004-06 के दौरान राज्य में केवल 10 महीनों की अवधि के लिए 2,906 अतिरिक्त पूर्व बाल्यकाल देखरेख तथा शिक्षा केन्द्र खोले थे और मार्च 2007 तक 1.44 करोड़

रू0 को बिना खर्च किए छोड़कर 3.70 करोड़[8] रू0 खर्च किए (अप्रैल 2006 से फरवरी 2007)। पूर्व बाल्यकाल देखरेख तथा शिक्षा केन्द्रों को बंद करने के पश्चात् व्यय करना न्याय संगत नहीं था। तथ्यों की पुष्टि करते समय निदेशक ने बताया (अप्रैल 2007) कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को 10,894 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की संस्वीकृति (2005-06) के कारण पूर्व बाल्यकाल देखरेख तथा शिक्षा केन्द्रों को पहली अप्रैल 2006 से बंद कर देने के आदेश दिए गए थे लेकिन अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को विनिर्दिष्टित अवधि में चालू नहीं किया जा सका। अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को चलाने के लिए प्रतीक्षा किए बिना पूर्व बाल्यकाल देखरेख तथा शिक्षा केन्द्रों को बंद करने की कार्रवाई विवेकपूर्ण नहीं थी क्योंकि इसके परिणामस्वरूप 11,82,979 बच्चों की कुल जनसंख्या में से 6,23,404 बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा से वंचित रहना पड़ा।

3.6.11 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा किटों की खरीद

3.6.11.1 आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्कूल पूर्व किटों की आपूर्ति हेतु शर्तों पर दृढ़ न रहना

आगंनबाड़ी केन्द्रों में 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा अनौपचारिक तथा खेल-खेल के माध्यम से दी जानी है। भारत सरकार ने 2000-01 से एक नई पहल के माध्यम से एकीकृत बाल विकास सेवा के इस घटक के अंतर्गत पात्र बच्चों को स्कूल पूर्व सामग्री के लिए एक नियमित प्रावधान किया और प्रत्येक आंगनबाड़ी के लिए 500 रू0 प्रत्येक किट प्रतिवर्ष की दर से मानकों का अनुमोदन किया। दिशानिदेशों के अनुसार स्कूल पूर्व किटों में मदों को अंतिम रूप देने हेतु समयपूर्व शिशु शिक्षा/राज्य शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के विशेषज्ञों से मंत्रणा की जानी थी।

निदेशाालय में अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि 2002-05 के दौरान राज्य में 7,354 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए तस्वीर, चार्ट, शिक्षा व खेल सामान से समाविष्ट स्कूल पूर्व किट प्रति वर्ष 225 रू0 से लेकर 411 रू0 की भिन्न-भिन्न दरों पर विशेषज्ञों के परामर्श के बिना उपार्जित किया गया था। किटों को 500 रू0 प्रति किट के अनुमोदित दर से कम की दरों पर खरीद से लगता है कि या तो पूरी मदें नहीं खरीदी गई या फिर मदें अनुमोदित विनिर्देशनों के अनुसार नहीं थी।

वर्ष 2005-06 के दौरान किटों को 504 रू0 प्रति किट की दर से खरीदा गया और 2006-07 के दौरान कोई भी किट नहीं खरीदे गए थे क्योंकि निविदाएं अभी (जून 2007) तक अंतिम नहीं की गई थीं।

तथ्यों की पुष्टि करते समय निदेशक ने बताया (जून 2007) कि दरें निविदाओं की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् ही मालूम हुई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग को स्कूल पूर्व किट की मदों को अंतिम करने के लिए जैसा कि किट की दरों/मदों के सम्बन्ध में दिशानिदेशों में निर्धारित है, समयपूर्व शिशु शिक्षा, राज्य शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद आदि के विशेषज्ञों का परामर्श लेना चाहिए था।

3.6.12 स्वास्थ्य जांच तथा परामर्श सेवाएं

3.6.12.1 शिनाख्त की गई जनसंख्या को स्वास्थ्य जांच तथा परामर्श सेवाओं के लिए आवृत न करना

कार्यक्रम का यह घटक सम्भावित माता की पूर्व प्रसव देख-रेख, पोषक माता की प्रसव पश्चात् देख-रेख, नए पैदा हुए बच्चों की देख-रेख तथा छः वर्ष से नीचे सभी बच्चों की देख-रेख स्वास्थ्य जांच तथा परामर्श सेवा उपलब्ध करवाता है।

अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर राज्य में शिनाख्त किए गए बच्चों तथा माताओं की जनसंख्या को 2002-07 के दौरान पूर्ण रूप से आवृत नहीं किया गया

---

8 कामगारों को मानदेय का भुगतान: 1.51 करोड़ रू0; पुस्तिकों की खरीद/प्रकाशन: 0.32 करोड़ रू0; आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण: 0.12 करोड़ रू0; फर्नीचर: 1.04 करोड़ रू0; स्कूल पूर्व शिक्षा किट: 0.66 करोड़ रू0; और अन्य विभिन्न व्यय: 0.05 करोड़ रू0

था। उपरोक्त अवधि के दौरान बच्चों की आवृति में 41 और 46 प्रतिशत के मध्य तथा सम्भावित और पोषक माताओं के सम्बन्ध में 23 तथा 42 प्रतिशत के मध्य कमी रही जैसा कि नीचे दिया गया है:-

तालिका 3.6.7

(संख्या में)

वर्ष	शिनाख्त किए गए		आवृत		आवृति/प्रतिशतता में कमी	
	बच्चे	माताएं (सम्भावित एवं पोषक)	बच्चे	माताएं (सम्भावित एवं पोषक)	बच्चे	माताएं (सम्भावित एवं पोषक)
2002-03	5,10,866	92,061	2,74,905	60,337	2,35,961 (46)	31,724 (34)
2003-04	5,35,116	1,18,071	3,09,590	68,898	2,25,526 (42)	49,173 (42)
2004-05	5,51,348	98,611	3,19,945	71,183	2,31,403 (42)	27,428 (28)
2005-06	5,89,178	1,04,202	3,49,545	77,827	2,39,633 (41)	26,375 (25)
2006-07	5,75,889	1,00,534	3,40,250	77,170	2,35,639 (41)	23,364 (23)

स्त्रोत: निदेशालय द्वारा आपूरित आंकड़े तथा कोष्टकों में आंकड़े प्रतिशतता सूचित करते है।

चयनित 17 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं में से छ:[9] परियोजनाओं में शिनाख्त किए गए लाभार्थियों का आच्छादन पूर्ण कर दिया गया था। शेष 11 परियोजनाओं[10] में बच्चों की आवृति में कमी 2002-07 के दौरान 36 तथा 40 प्रतिशत के मध्य रही जबकि माताओं के सम्बन्ध में इसकी कमी 29 तथा 33 प्रतिशत के मध्य रही जैसा कि नीचे दिया गया है:-

तालिका 3.6.8

वर्ष	शिनाख्त किए गए		आवृत		आवृति में कमी	
	बच्चे	माताएं (सम्भावित एवं पोषक)	बच्चे	माताएं (सम्भावित एवं पोषक)	बच्चे	माताएं (सम्भावित एवं पोषक)
2002-03	68,206	14,595	40,891	10,347	27,315 (40)	4,248 (29)
2003-04	71,188	16,090	45,215	11,071	25,973 (36)	5,019 (31)
2004-05	81,564	16,145	49,728	11,385	31,836 (39)	4,760 (29)
2005-06	78,379	15,420	49,550	10,468	28,829 (37)	4,952 (32)
2006-07	76,994	15,138	48,167	10,195	28,827 (37)	4,943 (33)
योग:-	**3,76,331**	**77,388**	**2,33,551**	**53,466**	**1,42,780**	**23,922**

स्त्रोत: बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आपूरित आंकड़े तथा कोष्टकों में आंकड़े प्रतिशतता सूचित करते हैं।

9 आनी, बंजार, गगरेट, जुब्बल, नीथर तथा रोहडू

10 बैजनाथ, भवारना, चौंतरा, फतेहपुर, मशोबरा, नगरोटा सूरियां, पांवटा साहिब, पच्छाद, रिवालसर, संगड़ाह तथा सुन्दरनगर

छः बाल विकास परियोजना अधिकारियों[11] ने लाभार्थियों की आवृति में कमी को स्टाफ की कमी तथा क्षेत्र की दूरस्थतता से सम्बद्ध बताया (जनवरी-मार्च 2007)। तथापि नमूना-जांचित शेष पांच बाल विकास परियोजना अधिकारियों[12] ने कारण नहीं बताए। निदेशक ने बताया (जून 2007) कि जब कभी अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र प्रचालनीय बन जाते हैं तो सभी बच्चों तथा माताओं की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परियोजनाओं के विद्यमान आंगनबाड़ी केन्द्र में पहचाने गए लाभार्थियों को स्वास्थ्य जांच हेतु आवृत नहीं किया गया था जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है। यह शिनाख्त किए गए लाभार्थियों की पूर्ण आवृति को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा अपर्याप्त प्रयत्नों को दर्शाता है।

3.6.12.2 दवाई किटों की आपूर्ति एवं उपार्जन

स्वास्थ्य जांच तथा परामर्श सेवाओं सम्बन्धी आवश्यक सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को आसानी से प्रयोग की जाने वाली तथा अपरिहार्य दवाइयों से बना 600 रू0 की लागत का एक दवाई किट उपलब्ध करना अपेक्षित है, जिसमें सामान्य बीमारी जैसे खांसी, सामान्य ठंड तथा त्वचा संक्रमण आदि सम्मिलित हों।

अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि 7,354 आंगनबाड़ियों के लिए 2003-06 की अवधि के लिए दवाई किटों के उपार्जन हेतु व्यय निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया था, 2006-07 के लिए निविदाओं को अभी (जून 2007) अन्तिम रूप दिया जाना था। वर्ष 2002-03 के दौरान 7,354 आंगनबाड़ियों के दवाई किटों के उपार्जन तथा आपूर्ति को 44.12 लाख रू0 के अपेक्षित व्यय के प्रति निर्धारित लागत मानकों के अनुसार नहीं किया गया था, केवल 33.70 लाख रू0 ही दवाई किटों पर व्यय किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 10.42 लाख रू0 तक के किटों की कम आपूर्ति हुई। निदेशक ने बताया (जून 2007) कि दवाई किटों के लिए दवाई का उपार्जन भारत सरकार के निर्धारण के अनुसार क्षेत्र में वास्तविक मांग के आधार पर की जाती है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 5,725 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केवल 3,930 आंगनबाड़ी केन्द्रों को 11 परियोजनाओं[13] में (17 नमूना-जांचित परियोजनाओं में से) दवाई किट दिए गए थे तथा 1,795 आंगनबाड़ी केन्द्रों को दवाई किट नहीं दिए गए थे।

3.6.12.3 नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित एकीकृत शिशु विकास सेवाओं की आवृति की समरूपता

शिशु एवं मातृत्व प्रास्थिति में सुधार लाने हेतु प्रजननशील शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में भारत सरकार द्वारा (12 अप्रैल 2005 से चलाए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक योजना) परामर्श यातायात 24 घण्टों की गर्भमोचन सुविधाएं, जनानी सुरक्षा योजना, प्लस पोलियों कार्यक्रम तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रजननशील शिशु कार्यक्रम परिकल्पित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने पंचायतों की ग्राम स्वास्थ्य समितियों की अध्यक्षता में ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने तथा लागू करने के लिए एकीकृत समाज स्वास्थ्य कार्यकलापों, सहायक नर्स-व-मिडवाइफों तथा स्वयं सेवी संगठनों की सहायता से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नैटवर्क से पूर्नप्रजननशील शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी थी।

जांच से ज्ञात हुआ कि यद्यपि निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने प्रजनन शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर 2005-06 से 2007-08 तक (जून 2007) (2005-06: 0.61 करोड़ रू0; 2006-07: 2.19 करोड़ रू0 तथा 2007-08 (जून 2007): 0.62 करोड़ रू0) 3.42 करोड़ रू0 व्यय किये तथापि लक्ष्यित संगठनों जोकि दोनों कार्यक्रमों के लिए सामान्य था, को स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं देने के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग के मध्य कोई समानता स्थापित न की जा सकी।

---

11 चौंतरा, पच्छाद, पांवटा साहिब, रिवालसर, संगड़ाह तथा सुन्दरनगर

12 बैजनाथ, भवारना, फतेहपुर, मशोबरा तथा नगरोटा सूरियां

13 बैजनाथ, भवारना, फतेहपुर, जुब्बल, नगरोटा सूरियां, नीथर, पच्छाद, पांवटा साहिब, रिवालसर, रोहड़ू तथा सुन्दरनगर

3.6.13 पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा

3.6.13.1 शिनाख्त की गई औरतों की कम आवृति

एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भावित तथा पोषक माताओं को प्राथमिकता के साथ 15-44 वर्ष के आयुवर्ग में सभी औरतों को पोषाहार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जानी अपेक्षित थी।

अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि 2002-07 के दौरान कार्यक्रम के इस घटक के अन्तर्गत आवृति हेतु राज्य में (चम्बा तथा सिरमौर जिलों को छोड़कर) शिनाख्त की गई लाभार्थी महिलाएं 6.61 लाख तथा 7.51 लाख के मध्य थी जबकि उपरोक्त अवधि के दौरान पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा केवल 4.90 लाख तथा 6.13 लाख लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई गई। उपरोक्त अवधि के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा देने में कमी 18 तथा 33 प्रतिशत की सीमा में रही जैसाकि नीचे दिया गया है:-

तालिका: 3.6.9

(लाख में)

वर्ष	शिनाख्त की गई लाभार्थी महिलाओं की संख्या	वास्तविक आवृति	आवृति में कमी	कमी की प्रतिशतता
2002-03	6.61	5.16	1.45	22
2003-04	6.92	5.42	1.50	22
2004-05	7.24	5.87	1.37	19
2005-06	7.51	6.13	1.38	18
2006-07	7.29	4.90	2.39	33

स्त्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

चयनित 17 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं में से नौ[14] में सभी शिनाख्त की गई लाभार्थी महिलाओं को पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा दी गई थी। शेष आठ परियोजनाओं[15] में सभी शिनाख्त की गई 8.30 लाख महिलाओं में से 7.02 लाख महिलाएं आवृत हुई, तथा 1.28 लाख (15 प्रतिशत) महिलाएं 2002-07 के पांच वर्षों में अनावृत रह गई।

निदेशक ने तथ्यों को सुनिश्चित करते हुए बताया (जून 2007) कि कम आवृति का कारण यह था कि ऐसे उद्देश्य के लिए संगठित विशेष कैम्पों के दौरान कुछ महिलाएं नहीं आई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा 15-44 आयुवर्ग की सभी महिलाओं में जागृति पैदा करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए था जैसा कि एकीकृत बाल विकास सेवा नियम पुस्तक में परिकल्पित किया गया था।

3.6.14 टीकाकरण के अंतर्गत लाभार्थियों की आवृति

चयनित 17 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं में से चार परियोजनाओं[16] में वीसीजी, डीपीटी, पोलियो, मिजल तथा टैटनेस के लिए बच्चों व गर्भवती माताओं के टीकाकरण हेतु आवृति पूर्ण रूप से प्राप्त की गई थी, जबकि शेष 13 परियोजनाओं[17] में टीकाकरण की उपलब्धता की कमी पांच प्रतिशत के करीब थी।

---

14 आनी, बैजनाथ, बंजार, भवारना, फतेहपुर, गगरेट, जुब्बल, पच्छाद तथा रोहड़ू

15 चौंतरा, मशोबरा, नगरोटा सूरियां, नीथर, पांवटा साहिब, रिवालसर, संगड़ाह तथा सुन्दरनगर

16 आनी, गगरेट, जुब्ब्ल तथा रोहड़ू

17 बैजनाथ, भवारना, बंजार, चौंतरा, फतेहपुर, मशोबरा, नगरोटा सूरियां, नीथर, पच्छाद, पांवटा साहिब, रिवालसर, संगड़ाह तथा सुन्दरनगर

3.6.15 किशोरी शक्ति योजना

3.6.15.1 लाभार्थियों की अनावृति

एकीकृत बाल विकास सेवा के किशोरी शक्ति योजना घटक सभी नवयुवतियों (11-18 वर्ष) को पोषाहार तथा स्वास्थ्य प्रास्थिति और स्वयं विकास को प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य विज्ञान, पोषाहार, परिवार कल्याण व प्रबन्धन और महिलाओं की निर्णय लेने के सामर्थ्य पर लक्ष्यित है। भारत सरकार द्वारा 2000 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को किशोरी शक्ति योजना को लागू करना अपेक्षित था। जागरूकता कैम्प, कानूनी शिक्षा कैम्प तथा स्वास्थ्य शिक्षा कैम्प आदि का आयोजन करके किशोरियों के बुद्धि विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन स्कीम के उद्देश्य थे। इस उद्देश्य के लिए प्रति खण्ड/एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के लिए 1.10 लाख रू0 तक की अनुमोदित राशि की सीमा का नियम था तथा व्यय को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को लागू करने के लिए निस्तारित निधियों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निस्तारित किए जाने वाले अनुदान से पूरा किया जाना अपेक्षित था।

2002-05 के दौरान किशोरी शक्ति योजना राज्य के 76 खण्डों/एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं में से 15 में लागू की गई थी। वर्ष 2005-06 में इसे 76 खण्डों तक बढ़ा दिया गया था। यह देखा गया कि योजना को 2002-06 के दौरान किसी वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के बिना स्कीम को लागू किया गया था। वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक कार्यकारी योजना को दिसम्बर 2006 में परिचालित किया गयाा था जबकि वर्ष की केवल एक तिमाही ही लागू करने के लिए शेष थी। 2.17 करोड़ रू0 की उपलब्धता के प्रति भी 2002-07 के दौरान इसके कार्यान्वयन पर केवल 1.13 करोड़ रू0 ही व्यय किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप इस घटक पर 1.04 करोड़ रू0 की निधियां व्यय नहीं हुई।

वर्ष 2002-07 के दौरान लाभार्थियों की शिनाख्त की गई संख्या की स्थिति और इसके प्रति आवृति निम्न प्रकार से थी:-

तालिका 3.6.10

(संख्या में)

वर्ष	शिनाख्त की गई लड़कियों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	आवृत लाभार्थी					योग	कमी	कमी की प्रतिशतता
			ट्रैनिग[18]	एस एन पी[19]	आई एफ ए[20]	एन एच ई[21]	हेमो ग्लाबिन जांच किट			
2002-03	45,707	15	1,458	5,324	4,705	12,104	--	23,591	22,116	48
2003-04	45,707	15	1,409	4,520	9,627	5,547	--	21,103	24,604	54
2004-05	55,650	15	1,914	4,502	6,638	16,839	--	29,893	25,757	46
2005-06	3,56,656	76	1,483	5,657	8,264	20,967	--	36,371	3,20,285	90
2006-07	3,56,656	76	-	51,297	32,150	43,371	1,11,233	2,38,051	1,18,605	33

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

उपरोक्त ब्यौरे से यह देखा गया कि 33 से 90 प्रतिशत तक शिनाख्त की गई किशोरियां (11-18 वर्ष) को एकीकृत बाल विकास सेवा के इस घटक के अन्तर्गत आवृत नहीं की जा सकी।

18 प्रशिक्षण

19 पूरक पोषाहार कार्यक्रम

20 आयरन तथा फोलिक एसिड टेबलेट

21 पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा

निदेशक ने बताया (जून 2007) कि एसएनपी, आईएफए और एनएचई हेतु प्रशिक्षण वार्षिक कार्य योजना पर आधारित था जिसमें सभी किशोरियों की आवृति कभी नियत नहीं की गई है। यह धारणा मान्य नहीं है क्योंकि इस घटक के लिए उपलब्ध 2.17 करोड़ रू0 की निधियों को पूर्ण रूप से व्यय नहीं किया गया और इस घटक के अन्तर्गत शिनाख्त किए गये लाभार्थी अनावृत रहे। आगे, पहचाने गये सभी लाभार्थियों को आवृत करने के लिए कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी जैसा कि योजना के निर्देशनों में परिलक्ष्यित था। इसके अतिरिक्त, किशोरियों को लाभ देने के लिए प्रति खण्ड 1.10 लाख रू0 की निर्धारित सीमा के प्रति जांच के लिए चयनित 17 खण्डों में से 14[23] खण्डों में 2005-07 के लिए औसत व्यय प्रति खण्ड 0.17 लाख रू0[22] था जैसाकि नीचे दिया गया है:

तालिका: 3.6.11

(लाख रूपए)

वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी	कमी की प्रतिशतता
2005-06	3.30	0.36	2.94	89
2006-07	15.73	4.42	11.31	72
योग:-	**19.03**	**4.78**	**14.25**	

स्त्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

3.6.15.2 होमोग्लोबिन जांच किटों तथा आइरन फोलिक एसिड टेबलेटों का उपार्जन तथा आपूर्ति न होना

अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि 2002-06 के दौरान हेमोग्लाबिन जांच किटों के क्रय हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। दिसम्बर 2006 में परिचालित 2006-07 के लिए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार 83.60 लाख रू0 (1.10 लाख रू0 प्रतिवर्ष प्रति एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की दर से 76 परियोजनाओं के लिए) की राशि में से 27.93 लाख रू0 हेमोग्लोबिन जांच किटों तथा आइरन फोलिक एसिड टेबलेटों के क्रय के लिए रखे गये थे।

यह देखा गया कि किशोरियों के स्वास्थय की देख-रेख के लिए बनाए गए आगत (इनपुट) मार्च 2007 तक उपार्जित नहीं किये गये थे। इसलिए 2006-07 के लिए अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार किशोरी शक्ति योजना को लागू नहीं किया गया था और इस प्रकार सभी परियोजना क्षेत्रों में किशोरियां इन लाभों से वंचित रही। निदेशक ने बताया (जून 2007) कि 2006-07 के दौरान स्थानीय प्राधिकरण तथा गैर सरकारी संगठनों से मिल कर हेमोग्लाबिन जांच के लिए 3,56,650 किशोरियों में से 1,11,233 को आवृत किया गया था। यद्यपि सच्चाई यह है कि विभाग ने वार्षिक कार्य योजना उस समय तैयार व परिचालित की जबकि प्राप्तियों के लिए केवल अन्तिम तिमाही शेष थी और इस प्रकार 2006-07 के लिए कार्य योजना के अनुसार स्कीम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अपेक्षित आगतों (इनपुट) की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में असफल रहा। जबकि 2002-06 के दौरान योजना के इस घटक पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

3.6.16 एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास

एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति अग्रणी कार्यकलापों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में लाए गए सुधारों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने पर निर्भर थी प्रशिक्षण एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का बहुत निर्णायक तत्व था।

---

22 4.78 लाख रू0 ÷ 14 खण्ड ÷2 वर्ष = 0.17 लाख रू0

23 बैजनाथ, भवारना, बंजार, चौंतड़ा, फतेहपुर, जुब्बल, मशोबरा, नगरोटा सूरियां, पच्छाद, पांवटा साहिब, रिवालसर, रोहडू, संगड़ाह तथा सुन्दरनगर

वर्ष 2002-07 के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवाएं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। दिए गए प्रशिक्षण की स्थिति निम्नवत् है:

तालिका 3.6.12

वर्ष	आई०सी०डी०एस० कार्यकर्ता की श्रेणी	भरे गए कुल पदों की संख्या	उन कार्यकर्ताओं की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया था	स्कूल पूर्व शिक्षा तथा बाल्यकाल संबंधी देखरेख में विशेष प्रशिक्षण
2002-03	सी०डी०पी०ओ०/ए०सी०डी०पी०ओ०	78	--	--
	पर्यवेक्षक	94	--	--
	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	7289	760 (10)	--
2003-04	सी०डी०पी०ओ०/ए०सी०डी०पी०ओ०	81	-	--
	पर्यवेक्षक	94	-	--
	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	7316	453 (6)	--
2004-05	सी०डी०पी०ओ०/ए०सी०डी०पी०ओ०	77	8 (10)	--
	पर्यवेक्षक	92	-	--
	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	7325	58 (1)	--
2005-06	सी०डी०पी०ओ०/ए०सी०डी०पी०ओ०	85	19 (22)	--
	पर्यवेक्षक	324	236 (73)	--
	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	7092	77 (1)	--
2006-07	सी०डी०पी०ओ०/ए०सी०डी०पी०ओ०	86	2 (2)	76 सी०डी०पी०ओ०
	पर्यवेक्षक	222	-	222
	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	7084	27 (0)	7,084

स्त्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े। कोष्ठकों के आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि 2002-04 के दौरान किसी बाल विकास परियोजना अधिकारी को तथा 2002-05 के दौरान किसी पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण नहीं दिया गया। वर्ष 2002-07 के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया कार्य प्रशिक्षण भी शून्य और 10 प्रतिशत के मध्य रहा। इसी प्रकार स्कूल पूर्व शिक्षा में विशिष्ट प्रशिक्षण भी केवल 2006-07 में दिया गया था। इस प्रकार एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा अधिविन्यास कम था।

3.6.17 एकीकृत बाल विकास सेवाओं के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की रिक्तियां

मार्च 2007 को पर्यवेक्षकों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बहुत रिक्तियां थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका: 3.6.13

(संख्या में)

आई0सी0डी0एस0 कार्यकर्ता की श्रेणी	संस्वीकृत संख्या	कार्यरत स्थिति	रिक्त	रिक्त पदों की प्रतिशतता
पर्यवेक्षक	808	222	586	73
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	18248	7084	11,164	61

स्त्रोत: विभागीय आंकड़े

पर्यवेक्षक तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 1:25 निर्धारित अनुपात के प्रति स्टॉफ की स्थिति के सम्बन्ध में वास्तविक अनुपात 1:32 था।

निदेशक ने बताया (जून 2007) कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों को भरने का कार्य चल रहा है जो शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा और पर्यवेक्षकों की भरती उसके बाद की जाएगी।

3.6.18 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

3.6.18.1 राज्य स्तरीय समन्वय समिति की अपर्याप्त बैठकें

कार्यक्रम के उचित निर्धारण, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए खण्ड/परियोजना, जिला और राज्य स्तर पर समन्वय समितियां बनाई जानी अपेक्षित थी। समन्वय समितियों की बैठक खण्ड/परियोजना स्तर पर मासिक तथा जिला व राज्य स्तर पर तिमाही होनी अपेक्षित थी।

यह ध्यान में आया कि पांच वर्षों में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 20 बैठकों के प्रति अप्रैल 2005 में केवल एक बैठक हुई थी। इससे कार्यक्रम के लागू करने में अपर्याप्त उच्च स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई को दर्शाती है। लेखापरीक्षा योग्य 89 इकाईयों में से 2002-07 के दौरान केवल 21 इकाईयों (24 प्रतिशत) की आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी। निर्धारित अन्तरालों पर जिला और खण्ड स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों सम्बन्धी विवरण नमूना-जांचित इकाईयों या निदेशक द्वारा नहीं दिया गया था जैसा कि दिशानिर्देशों में परिकल्पित है, मार्च 2007 तक प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में सामुदायिक अनुश्रवण तन्त्र के आधार पर ग्राम स्तरीय समन्वय समितियां स्थापित नहीं की गई थीं।

3.6.19 निष्कर्ष

वर्ष-दर-वर्ष निरन्तर बचतों से देखा गया कि एकीकृत बाल विकास सेवाओं कार्यक्रम की निधियों को शिनाख्त किए गए अधिकतम लाभार्थियों की व्याप्ति हेतु प्रयोग नहीं किया गया था। 2002-07 के दौरान प्रशासनिक लागत कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लागत की तुलना में अधिक थी परिणामस्वरूप कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों का शोषण हुआ। वर्ष 2002-07 के दौरान पोषाहार के अंतर्गत वर्ष में 300 दिनों के लिए पोषण उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार पर्याप्त बजट प्रावधान करने में असफल रही। प्रतिपूरक पोषाहार के अंतर्गत कार्यक्रम के अनौपचारिक घटकों में स्कूल-पूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य जांच तथा परामर्श सेवाएं, पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा और किशोरी शक्ति योजना के संदर्भ में शिनाख्त किए गये लाभार्थियों की आवृति कम थी। आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित नहीं की गई थी और आवश्यकता को पूरा करने के लिए 10894 आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोले गये थे। 7,354 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1,783 आंगनबाड़ी (24 प्रतिशत) में सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं थी तथा 6,885 (94 प्रतिशत) में शौचालय

सुविधा नहीं थी। आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना भी समय पर नहीं की गई थी और मार्च 2007 तक केवल 106 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गई थी।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा कार्यक्रम का अपर्याप्त अनुश्रवण किया गया। आन्तरिक लेखापरीक्षा का प्रबन्ध भी अपर्याप्त था जबकि 2002-07 के दौरान केवल 24 प्रतिशत इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई थी।

3.6.20 सिफारिशें

- **यदि राज्य को कार्यक्रम का पूरा लाभ देना है तो बजट प्रावधानों तथा अन्य संसाधनों का पूरा व उचित उपयोग सुनिश्चित करना होगा।**
- **स्टाफ तथा प्रशासन पर व्यय को कम करना होगा ताकि कार्यक्रम के लिए अधिकतम निधियां उपलब्ध हो सके।**
- **आंगनबाड़ी केन्द्रों को निर्धारित मानकों के आधार पर खोलना चाहिए और स्टाफ को नियमित रूप से प्रशिक्षित तथा अभिप्रेरित करना चाहिए।**
- **राज्य सरकार को इसके परिणामों तथा जवाबदेही के केन्द्र बिन्दुओं को मजबूत करना आवश्यक होगा और इस प्रकार के कार्यक्रमों के इष्टतम परिणामों को प्राप्त करने के लिए समरूपपता को सुनिश्चित करना होगा।**
- **राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा कार्यक्रम को उचित रूप से कार्यान्वित करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु नियमित अन्तरालों में कार्यक्रम का अनुश्रवण सुनिश्चित करना अपेक्षित है।**
- **राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठकें दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए ताकि कार्यक्रम का नियमित अनुश्रवण होता रहे।**

वित्त विभाग

3.7 ऑन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली तथा इ-पैन्शन सोफ्टवेयर की सूचना एवं प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

मुख्य-मुख्य बातें

ऑन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली (ओएलटीआईएस) का उद्देश्य बजट आबंटन, निधियों का अपवर्तन रोकना और व्यय के गलत अभिलेखन आदि के संदर्भ में व्यय पर नियन्त्रण रखना है। इ-पैंन्शन प्रणाली का लक्ष्य कम्पयूटरीकृत पैन्शन वितरण प्रणाली लागू करना है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रणाली के स्वतन्त्र परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों व प्रयुक्ति नियमावली की अनुपलब्धता थी। इसके अतिरिक्त, इनपुट नियन्त्रण की अनुपस्थिति में व्यय का गलत अभिलेखन हुआ तथा अदेय भुगतान हुए। कोषागारों की सूचना एवं प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा में निम्नांकित मुख्य बातें ध्यान में आई।

- *जांचे गये कोषागारों में प्रयुक्ति नियमावलियां, परिचालन नियमावलियां और प्रणाली नियमावलियां उपलब्ध नहीं थी।*

(परिच्छेद 3.7.9.1)

- *विभाग ने कोई आपदा पुनरूत्थान योजना तैयार तथा अभिलिखित नहीं की थी। ऐसा कोई प्रणालीबद्ध दस्तावेज नहीं था जो आंकड़े को वापिस लेने, इसके भण्डारण तथा पुन: स्थापना हेतु आवृति को दर्शाता हो। कोषाधिकारी तदर्थ आधार पर बैक अप ले रहे थे।*

(परिच्छेद 3.7.9.2)

- *इनपुट नियन्त्रणों की अनुपस्थिति में ओ0एल0टी0आई0एस0 में बिलों के दाहरे आहरण तथा पैन्शन के अतिदेय/गलत भुगतान की सम्भावना रही है।*

(परिच्छेद 3.7.10.1, 3.7.10.3 व 3.7.11.1)

- *बिलों को पास करने के समय कोषाधिकारियों द्वारा बजट प्रावधानों के साथ-साथ व्यय का अनुश्रवण करने के लिए कोई जांच नहीं रखी गई थी।*

(परिच्छेद 3.7.10.2)

- *ई-पैन्शन सोफ्टवेयर में पंजाब सरकार को मंहगाई भत्ते के बकाया के भुगतान का आंबटन नहीं किया गया था।*

(परिच्छेद 3.7.11.2)

- *ओ0एल0टी0आई0एस0 मॉडियूल योजना में क्रन्सी अवधि के बीत जाने के बाद पुनर्वैधिकरण का प्रावधान नहीं था।*

(परिच्छेद 3.7.11.4)

- *वैधीकरण जांच न होने के कारण आहरण एवं संवितरण अधिकारी लेखा शीर्ष परिचालित करते रहे जिसके लिए वे प्राधिकृत नहीं है।*

(परिच्छेद 3.7.11.5)

3.7.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग, निदेशक, कोषागार एवं लेखा विभाग के माध्यम से राजकोषीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रतिपालक के रूप में उत्तरदायी हैं। राज्य में 15 जिला कोषागार तथा 85 उप-कोषागार हैं जो कि इन लेन-देनों से सम्बन्धित लेखाओं के रख-रखाव के लिए सरकार की ओर से धन की प्राप्तियों तथा भुगतान के लिए उत्तरदायी है। कोषागार वित्तीय लेन-देनों के अभिलेख रखते हैं तथा इनसे निधियों के प्रवाह पर आवश्यक जांच अपेक्षित है। राज्य सरकार ने फरवरी 1989 में जिला कोषागारों में लेखाओं को कम्पयूटरीकृत करने का निर्णय लिया और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा फॉक्सबेस का प्रयोग करते हुए एक्स0ई0एन0आई0एक्स0/यू0एन0आई0एक्स पर्यावरण में विकसित सॉफ्टवेयर 'डिस्निक ट्रेजरी' को 15 जिला कोषागारों (केलांग, काजा और पांगी को छोड़कर) में से 12 में अप्रैल 1991 से चरणबद्ध ढंग से लागू किया।

वर्तमान सॉफ्टवेयर 'ऑनलाईन कोषागार सूचना प्रणाली' को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा बैव के रूप में परिचालित प्रणाली विण्डों 2000 के साथ बैक एण्ड में एम0एस0एस0क्यू0एल0 सरवर तथा फ्रण्ट एण्ड पर एम0एस0 बिजुअल बेसिक लगाकर प्रचालन योग्य बनाया गया था।

पहले रूपांतर को विकासशील किया गया तथा जून 2003 से आगे इसे सभी जिलों के कोषागारों में चरणबद्ध रूप से लागू किया गया। उप-कोषागारों को अभी कम्पयूटरीकृत किया जाना था।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकासित ई-पैन्शन सॉफ्टवेयर विण्डो 2000 के साथ बैक एण्ड में एम0एस0एस0क्यू0एल0 सरवर तथा फ्रंट एण्ड पर एम0एस0 विजुअल बेसिक के रूप में बनाया गया था जिसे नामित बैंकों के माध्यम से राज्य के पैंशनधारियों को पैंशन के भुगतान के लिए मासिक बैंकवार स्क्रोल बनाने हेतु सभी जिला कोषागारों में (जुलाई 2006) लागू किया गया था।

ऑनलाईन कोषागार सूचना प्रणाली तथा ई-पैंशन को लागू करने में दोनों डाटाबेस सभी कोषागारों के सरवरों पर विद्यमान हैं।

विभाग ने 1996-97 से 2006-07 की अवधि के दौरान दोनों प्रणालियों के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की खरीद और तन्त्र के विकास पर 263.45 लाख रू0 (जुलाई 2007) को व्यय किये जिसमें 10वें व 11वें वित्त आयोग द्वारा कोषागारों के कम्पयूटरीकृत करने हेतु दिये गये क्रमश: 20.00 लाख रू0 तथा 50.00 लाख रू0 सम्मिलित है।

3.7.2 संगठनात्मक ढांचा

निदेशक की अध्यक्षता में कोषागार, लेखे तथा लॉटरी विभाग प्रधान सचिव वित्त विभाग के समग्र प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्यरत है। कोषागार, लेखे तथा लॉटरी विभाग के निदेशक की सहायता संयुक्त निदेशक (कोषागारों, संयुक्त नियन्त्रक लेखे) तथा उप-निदेशक करते हैं। कोषागारों में कम्पयूटरीकृत करने के लिए संयुक्त निदेशक (कोषागार) समग्र रूप से उत्तरदायी है।

3.7.3 कार्य प्रवाह

कोषागार में बिल की प्रक्रिया का आदेशिका प्रवाह रेखा चित्र तथा इसका लेखाकरण नीचे दिखाया गया है:

बिल आदेशिका का कार्य प्रवाह तथा लेखे

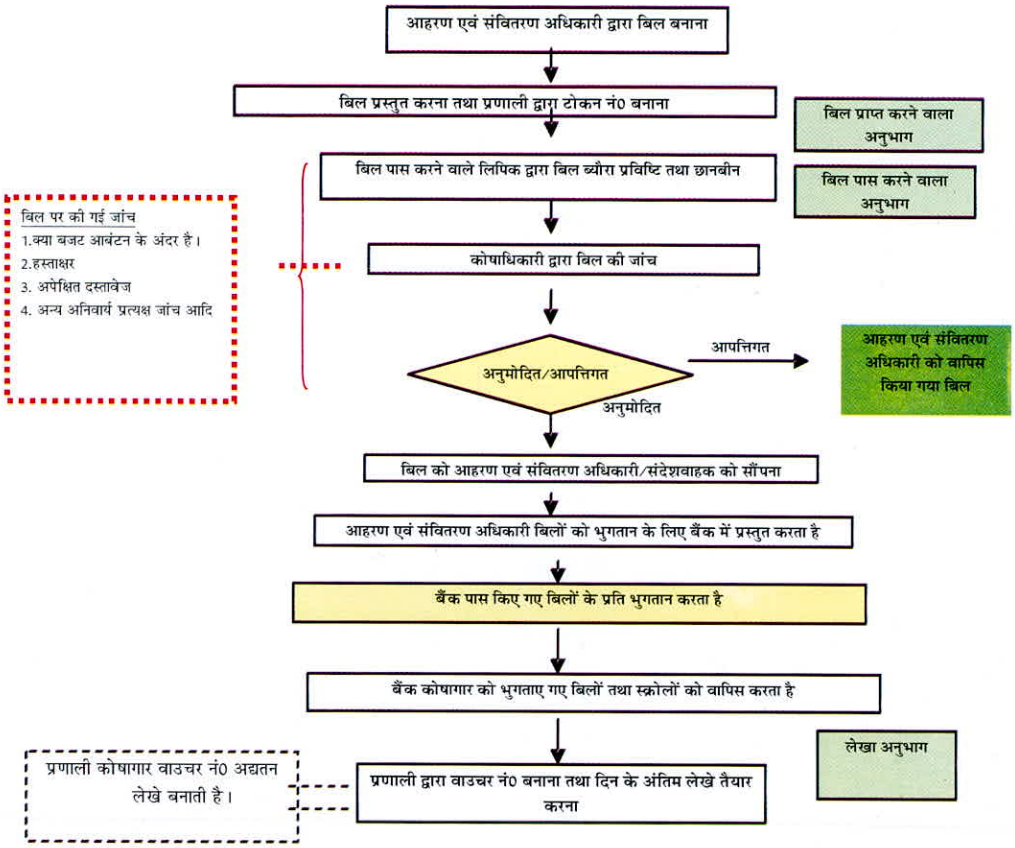

पैंशन भुगतान का कार्य प्रवाह

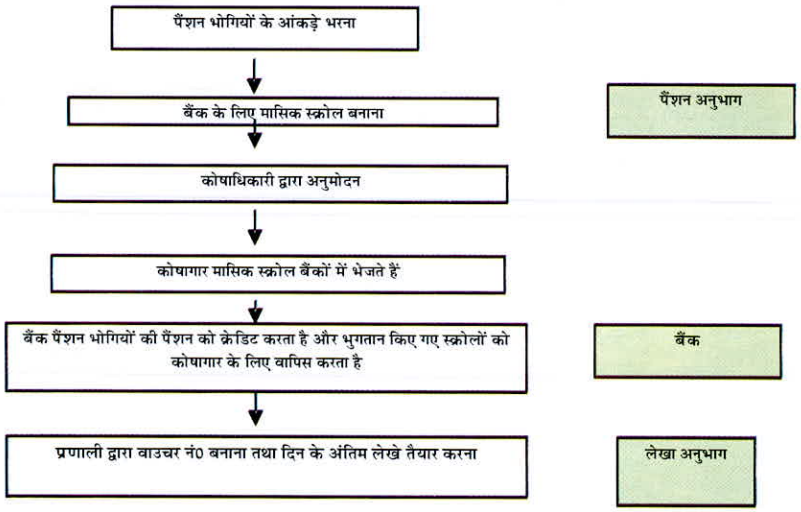

3.7.4 कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य

ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली तथा ई-पैंशन सॉफ्टवेयर के प्रमुख उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ समाविष्ट हैं:-

- विभाग द्वारा वित्तीय लेन-देनों के संदर्भ में समय-समय पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी को बजट के आंबटन पर नियन्त्रण रखने में सहयोग जिससे कोषागार बजट आबंटन के अनुसार व्यय पर सुदृढ़ नियंत्रण रख सके।

- सूचना प्रवाह को अद्यतन, प्रमाणिक तथा निरन्तर बनाना और अत्यधिक अथवा अप्राधिकृत आहरण निधियों के अपवर्तन, गलत बुकिंग आदि के लिए काई गुंजाइश न रखना।

- राज्य सरकार के पैंशनभोगियों तथा राजनीतिक पैंशनभोगियों को मासिक पैंशन का भुगतान और राज्य स्तर पर पैंशनभोगियों को डाटाबेस का अनुरक्षण करना।

3.7.5 लेखापरीक्षा का कायक्षेत्र

15 कोषागारों में से छः जिला कोषागारों को लेखापरीक्षा में आच्छादित किया गया। दो बड़े कोषागारों (शिमला व धर्मशाला) तथा चार छोटे कोषागारों (बिलासपुर, नाहन और सोलन और रिकांगपिओ) नमूने के तौर पर समाविष्ट किया गया। लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में वर्ष 2006-07 के लिए कोषागारों में अनुरक्षित आंकड़ों की नमूना-जांच शामिल है।

3.7.6 सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) लेखापरीक्षा के उद्देश्य

सूचना एवं प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा उद्देश्यों में मूल्यांकित करना था:

- विकसित प्रणाली में विभिन्न नियन्त्रणों की पर्याप्तता तथा प्रभावशीलता;

- आंकड़ों की विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा और प्रमाणिकता;

- आंकड़ों की उपलब्धता से सम्बन्धित पहलू तथा सूचना सुरक्षा;

- विकसित किए गए अनुप्रयोग में कोषागार नियमों को शामिल करने की सीमा; तथा

- प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक प्रलेखन की उपलब्धता की सीमा।

3.7.7 लेखापरीक्षा मानदण्ड

कम्प्यूटरीकरण को प्रयुक्ति के संदर्भ में कोषागारों हेतु उनकी प्रयुक्ति पैकेज के विकास व कार्यान्वयन कोषागार नियमों, कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रमों की योजना, कार्य प्रणाली, प्रयुक्ति पैकेजों के विकास, डाटा प्रबंधन तथा अनुश्रवण तंत्र का मूल्यांकन किया गया।

3.7.8 लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली

कम्प्यूटर की सहायता से बने लेखापरीक्षा तंत्र में आईडीइए (आइडिया) का प्रयोग करते हुए छः कोषागारों में प्रयुक्त डाटे का विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा आरम्भ करने से पूर्व प्रवेश सम्मेलन में लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड तथा कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक (कोषागार) से चर्चा (जून 2007) की गई। समाप्ति सम्मेलन में (सितम्बर 2007) लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा संयुक्त निदेशक (कोषागार) से की गई तथा विभाग के उत्तरों को जहां उचित हो, प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.7.9 अपर्याप्त सामान्य नियन्त्रण

3.7.9.1 परियोजना प्रस्ताव, योजना तथा प्रलेखन

➢ प्रयोक्ता तथा उच्च प्रबन्धन से समाविष्ट सूचना एवं प्रौद्योगिकी विषय संचालन समिति किसी भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रणाली के विकास तथा उसे लागू करने के लिए आवश्यक है। यह देखा गया कि संचालन समिति और ऐसा कोई संगठनात्मक ढांचा ऐसी स्थिति में नहीं था जो कि उच्च प्रबन्धन स्तर से कम्प्यूटरीकरण की पूरी प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता।

➢ कम्प्यूटरीकरण करने से पूर्व विभाग ने कोई साध्यता रपट तैयार नहीं की थी। उपभोक्ता की आवश्यकताओं, विनिर्देशनों, जांच आदि से सम्बन्धित प्रलेखन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये थे। प्रणाली विकास लाइफ साइकल (एसडीएलसी) में विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित प्रलेखन भी उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, अपनाई गई योजना विकास कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की जा सकी।

➢ उचित प्रलेखन, प्रणाली के संकट रहित प्रचालन तथा अनुरक्षण में सहायक होता है। सभी जांचे गये कोषागारों में दोनों साफ्टवेयरों (आन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली तथा ई-पैंशन में उपयोक्ता नियमावली, परिचालन नियमावली तथा प्रणाली नियमावली उपलब्ध नहीं थी।

3.7.9.2 डिजास्टर रिकवरी का अभाव तथा बिजनैस निरन्तरता योजना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने कोई भी डिजास्टर रिकवरी योजना बनाई और प्रलेखित नहीं की थी। डाटा को वापिस लेने, इसके भण्डारण और परीक्षण/जांच की आवृत्ति को दर्शाने के लिए कोई प्रलेखन प्रक्रिया नहीं थी। छ: कोषागारों के अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि कोषाधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार तदर्थ ढंग से बैकअप ले रहे थे। बैकअप का भण्डारण फायरप्रूफ कैबनेटों/आफ साइट में नहीं किया गया है और पुन:स्थापना के लिए नहीं परखे गये हैं। आगे यह देखा गया कि बैकअप जिस सरवर (धर्मशाला कोषागार) पर भण्डारित था और डाटा की बैकअप भी कोम्पैक्ट डिस्क (सीडी) पर उसी स्थिति में भण्डारित थी जहां अन्य नमूना जांचित कोषागारों में ये सरवर स्थित थे।

3.7.9.3. परिवर्तन प्रबन्धन पद्धति नहीं बनाई गई थी

यद्यपि वर्तमान आनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली तथा ई-पैंशन सॉफ्टवेयरों को क्रमश: जून 2003 तथा जुलाई 2006 को चालू किया गया था, विभाग ने सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने, पूरे परियोजना लाइफ साइकल के दौरान परिवर्तन के अभिलेख रखने और शामिल किये गये परिवर्तनों के प्रभावी विश्लेषण को नियन्त्रित करने की प्रणाली अगस्त 2007 तक नहीं बनाई थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर में परिवर्तन बिना उचित अनुमोदन के उपभोक्ताओं के अनुरोध पर शामिल किये गये हैं। यह भी देखा गया कि धर्मशाला अलग-अलग मशीनों में अलग-अलग कोषागार में ई-पैंशन साफ्टवेयर (रूपान्तर नम्बर 2.3 तथा 2.4) रूपान्तर चल रहे थे। इस प्रकार, लिखित/प्रणाली की अनुपस्थिति में प्रबन्धन यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि साफ्टवेयर का नवीनतम रूपान्तर सभी स्तर पर एक साथ प्रयुक्त हो जाए जिससे नान रिकवरी तथा डाटा हानि के संदर्भ में डाटा के पुनर्निर्माण में आने वाली कठिनाई का जोखिम बढ़े।

3.7.9.4 जमा (डिपोजिट) साख पत्र (लैटर ऑफ क्रेडिट), निजी खाता लेखे (पीएलए) तथा कोषागार अनुभाग जैसे आवश्यक कार्य कंप्यूटरीकरण के अन्तर्गत नहीं लाये गये हैं।

3.7.10 तंत्र प्रणाली में कमियां

3.7.10.1 जांच किये गये कोषागारों में डाटा प्रवेश स्क्रीन के माध्यम से आन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली के विश्लेषण से निम्नांकित कमियां ज्ञात हुई:

➢ प्रणाली दोहरे बिल नम्बर को स्वीकार करता है जिससे बिल के दोहरे आहरण होने की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

➢ कुछ मामलों में बिल तिथि टोकन तिथि के बाद पाई गई, पास करने की तिथि टोकन तिथि से पहले थी, वाउचर तिथि टोकन तिथि से पूर्व थी, आदि। इस प्रकार, डाटा की विधिमान्यता नहीं थी और इनपुट नियन्त्रण अपर्याप्त थे; और

➢ सकल राशि से कटौतियों के घटाने पर (कम आहरण, कोषागार कटौतियां, एजी कटौतियां) निवल राशि से मेल नहीं खाती है। उदाहरणार्थ शिमला कोषागार का नवम्बर 2006 का एक मामला (मुख्यशीर्ष 3054 का वाउचर संख्या 13) जिसमें सकल राशि 3,02,231 रू0 कोषागार कटौतियां 8,372 रू0 थी, एजी कटौतियां 91,566 रू0 तथा निवल राशि 2,04,793 रू0 थी। यह गलत था क्योंकि इसमें 2,500 रू0 का अंतर था (निवल राशि कटौतियों के पश्चात 2,02,293 रू0 होनी चाहिए थी)

3.7.10.2 कोषाधिकारी द्वारा व्यय नियन्त्रण की कमी

अद्यतन, प्रमाणिक व निरन्तर सूचना का प्रवाह स्थापित करना, अधिक व अप्राधिकृत आहरण या निधियों को अपवर्तन, गलत बुकिंग आदि के लिए कोई गुंजाइश न रखना,आन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली के उद्देश्यों में एक था। डेटाबेस तालिकाओं[1] में से कम में बजट के आवंटन के संदर्भ में आहरण व संवितरण अधिकारीवार, शीर्षवार (व्यय के मानक उद्देश्य तक) आंकड़ों का अनुरक्षण किया जाता है। इसी प्रकार आंवटित बजट के अनुसार व्यय पर सख्त नियंत्रण रखने में कोषाधिकारियों की सुविधा हेतु उसके प्रति किए गए संचयी व्यय को भी उसी तालिका में रखा जाता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्न बातें ध्यान में आई:

➢ ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली की प्रयुक्ति में बिल के पास होने के तुरन्त बाद कोषाधिकारी की निकासी के बिना बजट प्रावधान के प्रति बुक किया जाता है।

➢ जब आहरण एवं संवितरण अधिकारी से कोई बिल सही करके संशोधित होकर आता है तो इसे नया टोकन नम्बर दिया जाता है और बिल पास करने वाले लिपिक व कोषाधिकारी द्वारा इसे नये बिल के रूप में इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बिल दो बार गिना जाता है। यह इसलिए है कि साफ्टवेयर में संशोधित बिल की स्वीकृति हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

➢ सॉफ्टवेयर से बिल बजट के अतिरिक्त/बिना बजट आबंटन के पास हो जाते हैं। लेखापरीक्षा में जांचे गये कोषागारों से ज्ञात हुआ कि साफ्टवेयर के मुख्य उद्देश्य को छोड़ते हुए "वेतन" व मजदूरी के सिवाय ओबजैक्ट शीर्ष में बिलों को बजट प्रावधानों से अधिक तथा बिना आवंटन के पास किया गया था, जिससे साफ्टवेयर का प्रयोजन समाप्त हो जाता है।

उपरोक्त उल्लिखित यंत्र डिजाइन कमियों से कोषाधिकारी द्वारा मुख्य नियंत्रण अधिकारी के (लेखाओं के) प्रति व्यय के आधिक्य तथा बिना बजट प्रावधान के बुकिंग की जाती है। जब कोषाधिकारियों से प्राप्त मासिक लेखे वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश में लेखा व हकदारी कार्यालय द्वारा संकलित किए जाते हैं तो अधिक व्यय अथवा बिना बजट प्रावधान का व्यय ध्यान में आने पर अधिक बजट/बिना बजट प्रावधान के व्यय के सम्बन्ध में वार्निंग स्लिप से मुख्य नियंत्रण अधिकारी को सूचित किया जाता है। तथापि, ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती यदि सॉफ्टवेयर वेतन व मजदूरी शीर्षों को छोड़कर बिलों को बजट प्रावधान से अधिक या जहां बजट प्रावधान न हो, के बिलों को पास करने की अनुमति न देता हो। इसलिए राज्य सरकार द्वारा प्रणाली पर 2.63 करोड़ रू0 व्यय करने से न तो व्यय नियन्त्रण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिली और न ही राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रबन्धन प्रणाली के प्रयोजन के लिए कोई प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं।

3.7.10.3 आन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली डेटाबेस में आबजैक्ट शीर्ष कोड "00" के अन्तर्गत व्यय की गलत बुकिंग

मुख्यशीर्षों के वर्गीकरण के अनुसार राजस्व और पूंजीगत व्यय शीर्षों के अन्तर्गत व्यय के मानक उद्देश्य के बिना बुक नहीं किया जा सकता। ऋण, जमा व प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों का वर्गीकरण उपशीर्ष स्तर तक है। व्यय के मानक उद्देश्य के शीर्षों की मास्टर तालिका में किसी नामपद्धति के बिना "00" कोड है। यह देखा गया कि

---

1 डाटा बेस की तालिका "वार्षिक बजट मास्टर"।

राजस्व व्यय शीर्षों के अन्तर्गत तथा पूंजी व्यय शीर्षों के अन्तर्गत 2015 अभिलेखों में 28.79 करोड़ रू0[2] कोड के अन्तर्गत बुक किया गया है। तथापि, जब इन बिलों को लेखा व हकदारी कार्यालय में जांचा गया तो इन पर व्यय के मानक उद्देश्य कोड हाथ से अभिलिखित पाया गया। कोषाधिकारियों ने बताया कि सॉफ्टवेयर व्यय के मानक उद्देश्य "00" कोड के अन्तर्गत बुकिंग स्वीकार कर रहा है और सॉफ्टवेयर से इस विसंगति को हटा दिया जाएगा।

3.7.11 बिजनैस नियमों को उल्लिखित न करना

लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि आन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली तथा ई-पैंशन सॉफ्टवेयर हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों तथा पैंशन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित जांचों की व्यवस्था नहीं करते जिन्हें कोषागारों में अभी भी हाथ से किया जा रहा है। ऐसे कुछ मामलों की नीचे चर्चा की जा रही है:

3.7.11.1 पुन: रोजगार प्राप्त पैंशन भोगियों को अस्वीकार्य भुगतान-रू0 4.02 लाख

राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार रोजगार प्राप्त/पुन: रोजगार प्राप्त परिवार पैंशन भोगी जिन्हें अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति दी गई है उन्हें पैंशन पर महंगाई पैंशन/पैंशन पर महंगाई राहत नहीं मिलेगी। इन मामलों में महंगाई राहत केवल उसी तिथि से देय होगी जिस तिथि से वे पुन: रोजगार से मुक्त होते हैं। पैंशन वितरण प्राधिकारी ऐसे पैंशनभोगियों से पुन: रोजगार की समाप्ति का प्रमाण-पत्र उस कार्यालय से अपेक्षित करेगा जहां उसे पुन: रोजगार दिया गया था।

लेखापरीक्षा के समय संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि साफ्टवेयर में पुन: रोजगार की तिथि की प्रविष्टि का प्रावधान है लेकिन साफ्टवेयर में पुन: रोजगार की श्रेणी के अभिलेखों जैसे कि परिवार पैंशनभोगी अनुकम्पा आधार पर नियुक्त किया गया है अथवा नहीं और पुन: रोजगार की समाप्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रमाण पत्रों की प्राप्ति की तिथि दी गई है, का कोई प्रावधान नहीं है।

ई-पैंशन डेटाबेस की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि प्रणाली अनुकम्पा आधार पर पुन: नियुक्त पैंशन भोगियों को परिवार पैंशन पर मंहगाई पैंशन/मंहगाई राहत के भुगतान को स्वीकार करता है जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2006 से अगस्त 2007 के दौरान 4.02 लाख रु0[3] का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

3.7.11.2 पंजाब सरकार को मंहगाई भत्ते के बकाया का नियमन न होना-रू0 30.06 लाख

पंजाब व हिमाचल प्रदेश सरकार की क्रमश: पहली नवम्बर 1966 से पूर्व तथा पहली नवम्बर 1966 के पश्चात की गई सेवा अवधि के लिए पैंशन नियमन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ अलग से किये जाते हैं।

यह ध्यान में आया कि नमूना-जांच किये गये पांच कोषागारों में 5950 मामलों में पहली जुलाई 2006 और पहली जनवरी 2007 से मंहगाई भत्ते में वृद्धि के कारण तैयार किये गये बकाया बिलों में बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के नियमन में 30,06,497 रू0 की वृद्धि की गई जिसका पंजाब सरकार को विनियमन नहीं किया गया था जैसा कि नीचे वर्णित हैं:

तालिका: 3.7.1

क्रमांक	कोषागार का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1	बिलासपुर	126	30,086
2	धर्मशाला	5,002	25,41,087
3	नाहन	107	24,051
4	रिकांगपिओ	3	1,148
5	शिमला	173	1,16,294
6	सोलन	539	2,93,831
	योग:	**5,950**	**30,06,497**

[2] बिलासपुर: 90 मामले (0.38 करोड़ रूपए), धर्मशाला: 361 मामले (0.44 करोड़ रूपए), नाहन: 109 मामले (0.28 करोड़ रू0), रिकांगपिओ 30 मामले (0.11 करोड़ रू0), शिमला: 1170 मामले (27.25 करोड़ रू0) तथा सोलन: 255 मामले (0.33 करोड़ रू0)।

[3] बिलासपुर (11 मामले: 0.86 लाख रू0), धर्मशाला (69 मामले: 2.94 लाख रू0) तथा शिमला (10 मामले: 0.22 लाख रू0)।

जिला कोषाधिकारी धर्मशाला ने बताया कि साफ्टवेयर में 1966 से पूर्व की अवधि के लिए बकाया की गणना हेतु प्रणाली उपलब्ध न होने के कारण आंकड़ों की गणना नहीं की जा सकी।

3.7.11.3 राज्य सरकार के आदेशानुसार पहली जनवरी 1996 से पूर्व सेवा निवृत्ति पर 'घ' श्रेणी कर्मचारियों के मामले में पैंशन के परिवर्तित मूल्य का पुन:स्थापन 130 माह अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो भी बाद में घटित हुआ और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को 138 माह अथवा 70 वर्ष की आय पूर्ण होने पर जो भी बाद में घटित हुआ हो, होना था। पहली जनवरी 1996 के पश्चात सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पैंशन सांराशीकृत मूल्य के पुन:स्थापन भुगतान की गई परिवर्तित पैंशन की तिथि से 15 वर्ष बाद किया जाना है। ई-पैंशन साफ्टवेयर में कर्मचारियों की श्रेणी को पकड़ने का (श्रेणीवार)कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रावधान के न होने से पहली जनवरी 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पैंशन को परिवर्तित मूल्य की पुन:स्थापन की वास्तविक तिथि को संप्रमाणित नहीं किया जा सकता।

3.7.11.4 प्रभावी अवधि के बीत जाने पर बिलों का पुनर्वैधीकरण हेतु आन लाईन कोषागार सूचना प्रणाली में प्रावधान न होना

कोषागार के सम्बन्धित नियम के अनुसार भुगतान आदेश के केवल दस दिनों के भीतर किए जाने वाली अदायगियां वैध होती हैं। यदि बिल भुगतान आदेशों की प्रभावी अवधि के अन्दर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो उन्हें कोषाधिकारी द्वारा पुनर्वैधीकृत करवाया जाना अपेक्षित है।

यह ध्यान में आया कि प्रणाली में पुनर्वैधीकरण मोड्यूल नहीं था और बिलों को हाथ से ही पुनर्वैधीकृत किया जा रहा था। प्रणाली ने 6292 मामलों (बिलासपुर: 376; धर्मशाला: 2900, नाहन: 540, रिकांगपिओ: 88, शिमला: 2000 और सोलन: 388) में दर्शाया कि बैंक द्वारा 50.31 करोड़ रू0 बिलों को पास करने में 10 दिनों से अधिक की प्रारम्भिक अवधि के पश्चात भुगतान किया गया जिसके लिए आन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली डाटाबेस में लेखापरीक्षा ट्रेल (संवीक्षा के लिए) विद्यमान नहीं थी।

यद्यपि बिलों को हाथ से पुनर्वैधीकृत किया गया है लेकिन डॉटाबेस की तस्वीर ऐसा दर्शाती है जैसे कि प्रभावी अवधि के समाप्त होने के पश्चात अप्राधिकृत भुगतान किया गया हो। इस प्रकार साफ्टवेयर में पुनर्वैधीकरण सुविधा को शामिल न करने से व्यय को नियंत्रण करने तथा अनुश्रवण करने हेतु साफ्टवेयर की उपयोगिता को प्रतिबिम्बित करता है।

नमूना जांचित जिलों के कोषाधिकारियों ने बताया कि साफ्टवेयर में बिलों के पुर्नवैधीकरण के लिए माडयूल उपलब्ध नहीं है और बिलों को हाथ से ही पुनर्वैधीकृत किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि विभाग ने सॉफ्टवेयर के प्रचालन को स्वीकार कर लिया है जबकि इसमें प्रयोक्ता सम्बन्धी मुख्य आवश्यकताओं को शामिल नहीं किया गया था।

3.7.11.5 वैधीकरण जांच न होने से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत लेखाशीर्षों का परिचालन करना

कोषागार नियमों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी केवल ऐसे लेखाशीर्षों के सम्बन्ध में जिसके परिचालन करने हेतु वे प्राधिकृत है, खजाने में बिलों को प्रस्तुत करके भुगतान आहरित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

लेखापरीक्षा में यह ध्यान में आया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को ऐसे शीर्षों के परिचालन हेतु जिन्हें परिचालित करने के लिए वे प्राधिकृत नहीं है, को रोकने हेतु निर्देशनों में वैधीकरण जांच विद्यमान नहीं थी। परिणामस्वरूप कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने उन लेखाशीर्षों को परिचालित किया जिन्हें परिचालित

करने के लिए वे प्राधिकृत नहीं थे। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं।

कोषागार का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	प्रचलित अनाधिकृत मुख्यशीर्ष
बिलासपुर	उप-निदेशक मत्स्य, बिलासपुर अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त, बिलासपुर	2014-न्याय प्रशासन 2515-अन्य ग्रामीण विकास
सोलन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन	2058-लेखन सामग्री व मुद्रण
धर्मशाला	प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जस्सी	2014-न्याय प्रशासन 2014-न्याय प्रशासन

3.7.12 सूचना प्रणाली सुरक्षा

➢ विभाग ने ऑन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली के लागू होने के चार वर्ष पश्चात भी सूचना एवं तकनीकी संयंत्रों, सॉफ्टवेयर तथा डाटा की सुरक्षा के लिए कोई नीति नहीं बनाई थी।

➢ लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि ऑन लाईन कोषागार सूचना प्रणाली और ई-पैंशन सॉफ्टवेयरों के लिए प्रलेखित पासवर्ड नीति नहीं थी। प्रयोक्ता द्वारा असफल लॉगइन प्रयत्नों पर रोक लगाने अथवा पूर्ण निश्चित अवधि के पश्चात् पासवर्ड के स्वत: समाप्त होने और कुछ समय के बाद पासवर्ड के आवधिक परिवर्तन हेतु प्रणाली प्रवर्तन होने के लिए सामान्य पासवर्ड नियंत्रण नीति विद्यमान नहीं थी। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में प्रयोक्ता द्वारा किए गए असफल लॉगइन की संख्या को दर्ज करने के लिए किसी अन्य लॉगइन की उत्पति नहीं हो सकती। ई-पैंशन डॉटा की जांच से ज्ञात हुआ कि डाटा को विद्यमान प्रयोक्ताओं[4] के अतिरिक्त अन्य द्वारा प्रविष्ट किया गया था क्योंकि ऐसे प्रयोक्ता प्राधिकृत उपभोक्ताओं की मुख्य तालिका में उपलब्ध नहीं थे। क्योंकि कोई परिवर्तन लॉग उपलब्ध नहीं हैं, लेखापरीक्षा में मामलों की आगे समीक्षा नहीं की गई थी।

➢ ऑन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न भूमिकाएं प्रदान करती हैं जैसे टोकन प्रविष्टि, बिल लिपिक द्वारा बिल पास करना, कोषाधिकारी द्वारा बिल पास करना, बिल का सत्यापित भुगतान और प्राप्ति के चालान को सत्यापित करना जिसके लिए प्रयोक्ता बनाए गए हैं। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कोषागारों के कर्मी स्टॉफ की कमी अथवा स्टॉफ के अवकाश पर होने के कारण अदला-बदली कर ड्यूटी कर रहे थे। यह बेमेल ड्यूटी के अलगाव की ओर ले जाता है तथा सॉफ्टवेयर के प्रयोग करने की प्रक्रिया के लिए जवावदेही में कुशल कारीगरों में कमी का सूचक है। नमूना-जांच के दौरान ध्यान में आए उदाहरण निम्न प्रकार से थे:-

➢ सभी नमूना-जांचित कोषागारों में टोकन लिपिक और कोषाधिकारी बिल पास करने वाले लिपिक की ड्यूटी करते पाए गए थे।

➢ नमूने के तौर पर सभी जांचे गए कोषागारों में बिल पास करने वाले लिपिक टोकन लिपिक, बिल पास करने वाले लिपिक तथा कोषाधिकारियों की ड्यूटी करते पाए गए थे।

➢ शिमला कोषागार में कोषाधिकारी अपनी ड्यूटी करने के अतिरिक्त टोकन लिपिक तथा बिल पास करते वाले लिपिक की ड्यूटी कर रहा था।

➢ शिमला कोषागार में दो कर्मचारी अलग-अलग प्रयोक्ता कोड प्रयोग कर रहे थे और टोकन लिपिक तथा बिल पास करने वाले लिपिक की ड्यूटी कर रहे थे।

3.7.13 लेखापरीक्षा ट्रेल (जांच-अनुसरण) के अनुश्रवण में असफलता

जिला कोषागारों में बिल की प्रक्रिया के प्रथम चरण में टोकन संख्या का जारी करना आता है और अंतिम चरण में नामित बैंक (बैंकों) की कोषागार शाखा द्वारा भुगताए गए प्रत्येक बिल के वाउचर नम्बर देना होता है। ऑन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली अनुप्रयोग में टोकन नम्बर व वाउचर नम्बर क्रमांक से जारी किया जाता है।

---

[4] कोषागार रिकांगपिओ: प्रयोक्ता सं0 99 में 355 अभिलेख दर्ज किए तथा कोषागार नाहन: प्रयोक्ता कमलेश तथा पैंशन लिपिक ने क्रमश: 2 व 23 अभिलेखों को दर्ज किया।

शिमला व धर्मशाला कोषागारों में ध्यान में आया कि मार्च 2007 के दौरान वाउचर नम्बर तथा मुख्य शीर्ष 2202 के अन्तर्गत क्रमश: 22 व 70 का अंतर था। ये वाउचर नम्बर वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय से प्राप्त कोषागार लेखाओं से लिए गए डाटा से भी गायब थे। इस प्रकार से अंतर लेखा परीक्षित अन्य कोषागारों के दूसरे शीर्षों में भी ध्यान में आए।

जिला कोषाधिकारी शिमला ने बताया कि वाउचर नम्बरों में अंतर टोकन संख्या की गलत प्रविष्टि के कारण था और यंत्र (प्रणाली) लेन-देन की तिथि तथा विगत नम्बर को नहीं रख पा रहा था क्योंकि अगला नम्बर स्वत: ही उत्पन्न हो जाता है।

क्योंकि इन गायब नम्बरों के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए लेखापरीक्षा में और विश्लेषण की सम्भावना नहीं थी।

3.7.14 डाटा की विश्लेषणात्मक समीक्षा

वर्ष 2006-07 की अवधि के लिए सभी कोषागारों सम्बन्धी मास्टर डॉटा और लेन-देन डाटा में निम्नांकित विसंगतियां ज्ञात हुई:

3.7.14.1 मास्टर डाटा

(क) सभी नमूना-जांचित कोषागारों में ऑन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली का आहरण एवं संवितरण अधिकारी तालिका में केवल विशेष जिला के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बजाय राज्य के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की सूचि अनुरक्षित की गई है। लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि शिमला कोषागार की आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की सूची में अन्यों के अतिरिक्त अधीक्षक मुक्त कारागार, बिलासपुर, अधीक्षक उप-कारागार कुल्लू, प्रधान, नगर निगम डलहौजी, कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति नादौन भी थे। इसी प्रकार की विसंगतियों सम्बन्धी व्याप्ति अन्य जांचे गए जिला कोषागारों में तथा उनके उप कारागारों में भी पाई गई। इस प्रकार, मास्टर डॉटा की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी और यह सूचना प्रबन्धन प्रणाली के प्रयोजनों के लिए डाटा के पर्याप्त उपयोग हेतु सीमित था।

(ख) ई-पैंशन के सम्बन्ध में प्रणाली मास्टर डॉटा में गलत मूल्य[5] स्वीकार करती है। पैंशन भुगतान आदेश नं0, बैंक लेखा नं0, जीवित होने का प्रमाणपत्र, पैंशन का परिवर्तित मूल्य, अंतिम वेतन आहरण, औसत राशियां आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण मदों के नामित क्षेत्रों में रिक्त मूल्य विद्यमान रहा है। मास्टर तालिका में दोहरा व डम्मी डाटा था जिसके कारण पैंशन का अधिक भुगतान/गलत भुगतान हुआ जैसा कि अनुच्छेद 3.7.15 में दर्शाया गया है।

3.7.15 अन्य रूचिकर बातें

3.7.15.1 आन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली डाटाबेस में कोषागार सम्बन्धी कटौतियों की बुकिंग में अंतर

बिलों द्वारा समूह बीमा योजना सम्बन्धी की गई कटौतियों की कुल राशि तथा चालान द्वारा प्राप्त राशियों को "बीटी-रान्ट्री" तालिका में अभिलिखित किया गया है जबकि संवर्गवार ब्यौरे अर्थात् कर्मचारियों की संख्या बीमा व बचत निधि के कारण वसूली को "जीआईएसडीएलवाई" तालिका में रखा गया है। इस प्रकार, डॉटाबेस की दो तालिकाओं की राशि कुछ समय बाद बराबर हो जानी चाहिए।

आन लाइन कोषाकार सूचना प्रणाली डॉटा की जांच से ज्ञात हुआ कि दोनों तालिकाओं में आंकड़ों का अन्तर था जिसके कारण समूह बीमा योजना के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्ति का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका। आगे यह ध्यान में आया कि कोषागार स्तर पर इन भिन्नताओं के मिलाने अथवा इनका विश्लेषण करने का प्रयत्न नहीं किया गया था।

---

5 उदाहरण के लिए पैंशन भुगतान नम्बर 13073-ए, यद्यपि पैंशन भुगतान आदेश नं0 केवल गणनात्मक मूल्य में है, भुगतान आदेश आदेश 000 जबकि पैंशन भुगतान आदेश नं0 शून्य नहीं हो सकता।

3.7.15.2 पैंशन का भुगतान 2.43 लाख रू0

(i) ई-पैंशन प्रणाली लेन-देन डॉटा में गलत मूल्य को स्वीकार करती है अर्थात दोहरे पैंशन भुगतान आदेश के क्रमांक संख्यावाचक मूल्य के बजाय पैंशन भुगतान आदर्श नम्बरों (अल्फावैटिकल) के लिए वर्ष संख्या मूल्य नम्बर आदि। लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि:

- पहली जुलाई 2006 से 31 जुलाई 2007 तक की अवधि के दौरान परिवार पैंशन भुगतान आदेश नम्बर 8904- एक व्यक्ति को जारी किया गया व भुगतान किया गया था लेकिन पैंशन भुगतान आदेश 8904-ए के प्रति परिवार पैंशन का भुगतान श्री अभिनव सिंह को भी किया गया जिसके परिणास्वरूप 36,119 रू0 का (धर्मशाला कोषागार) अधिक भुगतान हुआ।

- एक व्यक्ति को परिवार पैंशन (पैंशन भुगतान आदेश संख्या 13073) जारी की गई थी तथा इसका भुगतान भी किया गया था। इसी के साथ पीपीओ नं0 13073-सी और 13073-सी के प्रति परिवार पैंशन का भुगतान दो अन्य व्यक्तियों को किया गया था परिणामस्वरूप रू0 56,718 रू0 (धर्मशाला कोषागार) का अधिक भुगतान हुआ।

- अधिवर्षिता (सुपरएनुएशन) पैंशन भुगतान आदेश नम्बर 76729 तथा 77807 दो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किये गये थे। इन पैंशन भुगतान आदेशों के अतिरिक्त पैंशन भुगतान आदेश नम्बर 73729 तथा 78707 के प्रति भी उन पैंशनभोगियों को जनवरी 2007 से अगस्त 2007 तक के पैंशन का आहरण/वितरण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सोलन कोषागार में 44,246 रू0 (33,617 रू0+ 10,729 रू0) का अधिक भुगतान हुआ।

आगे यह ध्यान में आया कि यद्यपि प्रणाली में मास्टर तालिका में अगले उच्च कर्मचारी द्वारा डाटा का सत्यापन करने का प्रावधान है लेकिन सभी नमूना जांचित कोषागारों में ऐसा नहीं किया गया था।

धर्मशाला और सोलन जिला कोषाधिकारियों ने बताया कि भुगतान अनजाने में हुआ है और अब पैंशन को अगस्त 2007 से रोक दिया गया है और अधिक भुगताई गई राशि को सम्बन्धित पैंशनभोगी से वसूल कर लिया जाएगा।

(ii) पैंशन नियमों तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार यदि कोई पैंशनभोगी एक जनवरी 1996 के पश्चात सेवा निवृत्त हुआ है और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर संशोधित वेतनमान के लागू होने से पूर्व और संशोधित वेतनमान में परिवर्तित पैंशन के लिए विकल्प नहीं देता है तो पूर्व संशोधित वेतनमान में पहले प्राप्त पैंशन के परिवर्तित भाग को 138 महीनों अथवा 70 वर्ष की आयु होने पर जो भी बाद में हो, के पश्चात् पुन:स्थापित कर दिया जाएगा। ऐसे पैंशनभोगियों को जिन्होंने संशोधित वेतनमान के अनुसार संशोधित परिवर्तित पैंशन का विकल्प दिया है, उन्हें पूर्व संशोधित वेतनमान में पहले परिवर्तित सारांशीकृत पैंशन सहित सारांशीकृत (परिवर्तित पैंशन) मूल्य की प्राप्ति की तिथि से 15 वर्षों के पश्चात् परिवर्तित भाग को पुन:स्थापित किया जाएगा। ई-पैंशन साफ्टवेयर में पैंशन के परिवर्तित मूल्य की प्राप्ति की तिथि को दर्ज करने का प्रावधान है। उस आधार पर प्रक्रिया के द्वारा प्रणाली में परवर्तित पैंशन के भाग को पुन:स्थापन करने की वास्तविक तिथि की गणना करनी होती है। तीन[6] नमूना जांच कोषागारों में यह ध्यान में आया कि पैंशन के सारांशीकृत भाग की पुन:स्थापन की तिथि की प्रविष्टि सही ढंग से नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप डॉटाबेस में दर्ज पुन:स्थापन तिथि की वास्तविक तिथि की तुलना में 2 से 22 महीनों का अन्तर पड़ा। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2007 तक 1.06 लाख रू0[7] का अधिक भुगतान हुआ।

जिला कोषाधिकारियों ने बताया कि स्थिति का पता लगाया जाएगा और यदि कोई वसूली बनती है तो उसे पैंशनभोगियों से वसूल किया जाएगा। इस प्रकार कम्प्यूटरीकरण द्वारा पैंशनभोगियों को पैंशन की सही अदायगी के सुनिश्चित् करने के लक्ष्य सभी मामलों में प्राप्त नहीं हो रहे थे।

---

6 बिलासपुर, धर्मशाला तथा रिकांगपिओ

7 बिलासपुर: 15 मामले (0.23 लाख रू0), धर्मशाला: 68 मामले (0.74 लाख रू0) तथा रिकांगपिओ: 5 मामले (0.09 लाख रू0)

3.7.16 कार्यान्वयन करने के पश्चात समीक्षा

लेखापरीक्षा में यह ध्यान में आया कि आन लाइन कोषागार सूचना प्रणाली और ई-पैंशन सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में कार्यान्वयन करने के पश्चात यह जानने के लिए कि यंत्र/प्रणाली आवश्यकताओं को पूरा करता है और संभावित उद्देश्यों की पूर्ति करता है, की समीक्षा नहीं की गई थी।

3.7.17 निष्कर्ष

विभाग ने कोषागार लेखाओं तथा पैंशन वितरण के कम्प्यूटरीकरण को आरम्भ किया लेकिन प्रणाली में इसकी आन्तरिक प्रयुक्ति के नियन्त्रण में कमी थी जिसके परिणाम से व्यय पर नियन्त्रण नहीं हो सका परिणामत: अधिक भुगतान हुआ। सूचना प्रबन्धन पद्धति में प्रयुक्ति द्वारा आंकड़ों के उत्पादन सम्बन्धी उपयोगी उद्देश्यों के लिए सीमाएं है। लेखापरीक्षा ट्रेल की कमी के कारण सॉफ्टवेयर के प्रयोग में प्रक्रिया निभाने के लिए प्रयुक्ता के प्रति जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व को सुनिश्चित् करने सम्बन्धी कमियां थीं।

3.7.18 सिफारिशें

- **सॉफ्टवेयर/लागूकरण को आवश्यक इनपुट/प्रक्रिया नियन्त्रणों को सुधारने की आवश्यकता है जो प्रणाली में डॉटा इनपुट और बिलों के विधि मान्यकरण को आसान बनाएगी, ताकि बिलों के भुगतान के लिए सम्बन्धित लेखाशीर्ष केवल आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा परिचालित किया जा सके। सॉफ्टवेयर में सम्बन्धित सभी नियमों के साथ कोषागार लेन-देनों को प्रचालित करने हेतु भी अनुवर्ती अनुपालना करने की आवश्यकता है।**
- **विभाग कार्यक्षेत्र में स्थित कोषागारों से प्राप्त किए गए आंकड़ों के सही होने की जांच के लिए एक प्रणाली बनाएं ताकि इसे प्रबन्धन सूचना प्रणाली और निर्णय निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जा सके।**
- **विभाग को एक सही ढंग से परिभाषित (प्रभावित) पासवर्ड प्रणाली, डाटा बैकअप नीति तथा एक डिजास्टर रिकवरी योजना को बनाना चाहिए।**

चौथा अध्याय

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

		पृष्ठ
♣	अतिरिक्त/अधिक भुगतान/अपव्यय/ निष्फल/निरर्थक व्यय	157-171
♣	संविदाकारों को अनुचित लाभ/परिहार्य व्यय	171-172
♣	बेकार निवेश/निधियों का अवरोधन/ निधियों का अपवर्तन	172-176
♣	नियामक मामले एवं अन्य बातें	177-185
♣	सामान्य	185-186

चौथा अध्याय

लेनदेनों की लेखापरीक्षा

अतिरिक्त/अधिक भुगतान/अपव्यय/निष्फल/निरर्थक व्यय

आवास एवं शहरी विकास विभाग

4.1 निष्फल व्यय

हिमुडा द्वारा कुल्लू शहर के लिए शापिंग कॉम्पलैक्स की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण न करने के फलस्वरूप 6 बिक्री न किये गये हॉलों पर 25.09 लाख रू0 का निष्फल व्यय हुआ।

कुल्लू शहर को योजनागत ढंग से विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) द्वारा 2.13 करोड़ रू0 की लागत पर एक शॉपिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण किया गया था (दिसम्बर 2002)।

हिमुडा के अभिलेखों की नमूना-जांच (फरवरी 2005) तथा प्राप्त की गई आगामी सूचना (फरवरी 2007) से पाया गया कि शॉपिंग कॉम्पलैक्स (निर्माण लागत: 25.09 लाख रू0 तथा आरक्षित विक्रय मूल्य: 92.66 लाख रू0) में सात वाणिज्यिक हॉलों में से छः को जून 2007 तक बेचा नहीं जा सका।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, हिमुडा (सचिव) ने बताया (फरवरी 2005-जून 2007) कि हॉलों को बेचा नहीं जा सका क्योंकि कुल्लू जैसे छोटे शहरों में वास्तविक आवश्यकता की तुलना में शॉपिंग कॉम्पलैक्स बहुत बड़ा था तथा वहां पर्याप्त मांग नहीं हो सकती। हिमुडा ने अब इन हॉलों को शॉपिंग दुकानों में परिवर्तित करने तथा परिवर्तित किये जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नीलाम किया जाना प्रस्तावित किया है। सचिव का उत्तर पुष्टि करता है कि वाणिज्यिक हॉलों का निर्माण वास्तविक आवश्यकता के बिना तथा निर्दिष्ट प्रयोजन के बिना किया गया था जिससे 25.09 लाख रू0 का व्यय निष्फल हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जून 2007 में सरकार को सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.2 अधिक भुगतान

जल पम्पिंग आपूर्ति स्कीम हेतु हिमुडा द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को वाणिज्यिक दरों पर विद्युत प्रभारों के भुगतान के फलस्परूप 27.52 लाख रू0 का अधिक भुगतान हुआ।

घरेलू तथा वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु सुबह्य जलापूर्ति उपलब्ध करने के लिए हिमुडा ने परवाणू में जल पम्पिंग आपूर्ति स्कीम स्थापित की। जल पम्पिंग आपूर्ति स्कीम के लिए विद्युत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जिसने सरकारी शासित जल पम्पिंग आपूर्ति स्कीम हेतु अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की तुलना में विद्युत की विभिन्न एवं न्यून शुल्क दरें अधिसूचित की थी।

हिमुडा ने अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 2006) तथा प्राप्त की गई आगामी सूचना (फरवरी-मई 2007) से पाया गया कि चार जल पम्प घरों[1] के प्रति सरकारी स्थापनाओं हेतु निर्धारित रियायती दरों पर भुगतान करने के

---

1 के[4] स्वच्छ जल पम्प गृह; के[3] 2 अनुपचारित जल पम्प गृह कामली; जलापूर्ति सिंचाई क्षेत्र-5 पम्प गृह परवाणू; पीएल[2] 3 क्षेत्र-6 पम्प गृह परवाणू

बजाए वाणिज्यिक दरों पर विद्युत प्रभारों का (दिसम्बर 2002 से दिसम्बर 2006 तक) भुगतान किया गया। इसके फलस्वरूप 27.52 लाख रू0 का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अधिशासी अभियंता, हिमुडा ने मामला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सूचित किया (सितम्बर 2006) तथा वाणिज्यिक अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने सरकारी स्थापनाओं हेतु लागू दरों को प्रभारित करने के लिए अनुदेश जारी किये (अक्तूबर 2006)। यदि हिमुडा ने अधिक सर्तकता बरती होती तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को किए गए 27.52 लाख रू0 के अधिक भुगतान से बचा जा सकता था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 27.52 लाख रू0 के अधिक भुगतान का समायोजन अथवा वापसी अभी तक (जून 2007) तक प्रतीक्षित थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

पर्यटन एवं नागरिक विमानन तथा वन कृषि एवं संरक्षण विभाग

4.3 नौका विहार झील के निर्माण पर निष्फल व्यय

कांगड़ा जिले के सौरभ कालिया वन विहार, पालमपुर में नौका विहार झील के निर्माण पर विभाग द्वारा अपर्याप्त योजना के परिणामस्वरूप 29.31 लाख रू0 का निष्फल व्यय तथा 27.34 लाख रू0 का अवरोधन हुआ।

युवा कल्याण तथा पर्यटन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 49.69 लाख[2] रू0 की लागत पर "सौरभ कालिया[3] वन विहार, पालमपुर में नौकाविहार झील का सृजन" एक परियोजना स्वीकृत की (मार्च 2002)। परियोजना का निष्पादन वन विभाग द्वारा वन मण्डल अधिकारी, पालमपुर के माध्यम से किया जाना था तथा इसे अक्तूबर 2004 तक पूर्ण किया जाना था। पूर्ण होने पर इसका प्रबन्धन इको पर्यटन सोसायटी द्वारा किया जाना था। परियोजना में कार्य की नई मदें सम्मिलित किये जाने के कारण इसकी लागत को वन मण्डल अधिकारी द्वारा 89.69 लाख रू0 तक संशोधित (मई 2003) किया गया जिसे भारत सरकार (84.73 लाख रू0) तथा राज्य सरकार (4.96 लाख रू0) द्वारा सहभाजित हिस्सेदारी किया जाना था।

आयुक्त एवं निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक विमानन (आयुक्त) के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (नवम्बर 2006) कि वन मण्डल अधिकारी पालमपुर को 52.41 लाख रू0 (भारत सरकार: 47.45 लाख रू0 तथा राज्य सरकार: 4.96 लाख रू0) निस्तारित किये गये (मार्च 2002 से जुलाई 2003 तक)। वन मण्डल अधिकारी ने परियोजना के विभिन्न घटकों पर मार्च 2007 तक 29.31 लाख रू0 का व्यय किया।

भारत सरकार की अनुमति प्राप्त न होने के कारण कुछ घटकों जैसा कि अल्पाहार-गृह (कैफेटेरिया), संगीतमय फौबारा (फांउटेन) आदि के निर्माण को आस्थगित करने के लिए आयुक्त के निदेशों (मई 2005) के बावजूद वन मण्डल अधिकारी ने परियोजना कार्य जारी रखा। वास्तव में वन मण्डल अधिकारी ने 74.58 लाख रू0 का एक अन्य संशोधित आकलन केवल झील तथा भ्रमण पथ के निर्माण हेतु प्रस्तावित किया (फरवरी 2006) जिसे आयुक्त द्वारा भारत सरकार से परियोजना की संशोधित स्वीकृति लिए बिना प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया (फरवरी 2006)।

इसी मध्य प्रधान सचिव (पर्यटन) ने आदेश दिये (मई 2006) कि झील के निर्माण हेतु निधियां निस्तारित न की जाए जब तक परियोजना की देखभाल करने के लिए इको पर्यटन सोसाइटी का गठन नहीं हो जाता। तब से परियोजना का आगामी निष्पादन अप्रैल 2007 तक अवरूद्ध पड़ा था। 27.34 लाख रू0 (4.24 लाख रू0 के ब्याज सहित) तथा 5.56 लाख रू0 लागत की सामग्री वन मण्डल अधिकारी के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। पर्यटन एवं नागरिक विमानन विभाग द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन यथा अवसर युक्ति तथा अनुचित योजना का सूचक है जिसकी वजह से 29.31 लाख रू0 का समस्त व्यय निष्फल रहा।

---

2 नौका विहार, चौकीदार के घर, वर्षाशालिका, केफेटेरिया, स्ट्रीट लाईटें, आदि का निर्माण

3 एक कारगिल शहीद

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

वित्त विभाग

4.4 पैंशन लाभों का अधिक भुगतान

कोषाधिकारियों/उप कोषाधिकारियों/बैंकों द्वारा 55.33 लाख रू0 के कुल पैंशन लाभों का अधिक भुगतान।

वित्तीय नियमावली में प्रावधान है कि कोषाधिकारी को स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि भुगतान की गई पैंशन की राशि पैंशन भुगतान आदेश में प्राधिकरण के अनुसार है।

ग्यारह (11) जिला कोषागारों एवं आठ उप-कोषागारों के अभिलेखों की नमूना-जांच (2006-07) से 326 मामलों में जनवरी 1998 से जनवरी 2007 तक की अवधि के लिए 55.33 लाख रू0 की सीमा तक पैंशन तथा पारिवारिक पैंशन का अधिक भुगतान पाया गया। अधिक भुगतान पैंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) में दिए गए अनुदेशों जैसा कि निर्धारित अवधि के पश्चात् पारिवारिक पैंशन में कमी पैंशन के रूपांतरित मूल्य में कमी आदि का पालन करने के कारण हुआ ;**(परिशिष्ट-xx)**।

इसे इंगित किये जाने (2004-05 से 2005-06 तक) पर 5.82 लाख रू0 की वसूली की गई (जून 2006-मार्च 2007)। इस प्रकार कोषाधिकारियों/उप-कोषाधिकारियों/बैंकों द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया का पालन न करने के फलस्वरूप 55.33 लाख रू0 का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

4.5 उठाऊ सिंचाई स्कीमों पर निरर्थक व्यय

चम्बा जिले में कियानी, राजनगर, तथा उदयपुर की निष्क्रिय उठाऊ सिंचाई स्कीमों को पुन: सक्रिय बनाने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त योजना की कमी से 78.37 लाख रू0 का व्यय निरर्थक हुआ।

➢ 155.89 हैक्टेयर भूमि के कृष्य कमांद क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए दो[4] उठाऊ सिंचाई स्कीमें अभिकल्पित थी परन्तु चम्बा जिले में चमेरा पन विद्युत परियोजना स्टेज-I के जलाशय में जलमग्न हो गई थी, उन्हें 49.28 लाख[5] रू0 की लागत पर मई-जून 2005 में पुन: स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त अगस्त 2007 तक स्कीमों के प्रचालन तथा अनुरक्षण पर 8.95 लाख रू0 व्यय किये गये।

सलूणी मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 2005) तथा मण्डल से एकत्रित की गई आगामी सूचना (अगस्त 2007) से पाया गया कि दोनों स्कीमों के पुन: स्थापन हेतु निष्क्रिय स्कीमों की वितरण प्रणाली के पुननिर्माण के लिए आकलनों में प्रावधान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त मण्डल ने स्कीमों को प्रतिष्ठापित किया (जून 2005) तथा मुख्य वितरण टैंक के इर्द-गिर्द 0.54 प्रतिशत कृष्य कमांद क्षेत्र के लिए सिंचाई उपलब्ध करवाई। स्कीमों की वितरण प्रणाली के पुननिर्माण के कारण शेष कृष्य कंमाद क्षेत्र के लिए सिंचाई उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। आकलन में वितरण प्रणाली के पुननिर्माण हेतु प्रावधान करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप अगस्त 2007 तक दोनो स्कीमों के 99.46 प्रतिशत कृष्य कंमाद क्षेत्र को सिंचाई की उपलब्धि नहीं हुई।

---

4 ऊठाऊ सिंचाई स्कीम, कियानी: 102.02 हैक्टेयर तथा ऊठाऊ सिंचाई स्कीम, राजनगर: 53.87 हैक्टेयर

5 ऊठाऊ सिंचाई स्कीम, कियानी: 23.46 लाख रू0 तथा ऊठाऊ सिंचाई स्कीम, राजनगर: 25.82 लाख रू0

अधिशासी अभियन्ता ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (दिसम्बर 2006) कि निष्क्रिय वितरण प्रणाली के पुननिर्माण के लिए कार्य आकलन अभी तक अनुमोदन की प्रक्रिया के अंतर्गत थे। अधिशासी अभियन्ता का उत्तर स्कीमों के पुन: प्रतिष्ठापन की सही योजना में विभाग की विफलता की पुष्टि करता है जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों को अभिप्रेत लाभों से वंचित होने के अतिरिक्त 58.23 लाख रू0 का निरर्थक व्यय हुआ।

➢ 29.45 हैक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र की सिंचाई के लिए अभिकल्पित उठाऊ सिंचाई स्कीम, उदयपुर रावी, नदी के पथ में परिवर्तन के कारण तथा नदी के ऊपरी प्रवाह की ओर, पन-विद्युत परियोजना के निर्माण के परिणामस्वरूप पानी के स्तर में कमी हो जाने के कारण निष्क्रिय हो गई।

चम्बा मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (नवम्बर 2006) कि अगस्त 2007 तक उठाऊ सिंचाई स्कीम की नित्यक्रम मरम्मत एवं अनुरक्षण[6] पर 20.14 लाख रू0 का व्यय किया गया यद्यपि स्कीम निष्क्रिय हो चुकी थी तथा 1995 के पश्चात् सिंचाई उपलब्ध नहीं करवा रही थी। फिर भी प्रचालन एवं अनुरक्षण पर लगातार निरर्थक व्यय किया गया यद्यपि उठाऊ सिंचाई स्कीम से अगस्त 2007 तक कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था।

अधिशासी अभियंता ने तथ्यों की पुष्टि करते समय बताया (नवम्बर 2006) कि स्कीम के नवीकरण के लिए सर्वेक्षण तथा खोजबीन की जा रही थी तथा स्कीम के पुन: स्थापना हेतु प्रस्ताव विचाराधीन था। अधिशासी अभियंता का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि इसके अप्रचालित होने से दस वर्षों से अधिक अवधि के समापन के बावजूद भी स्कीम को पुन: स्थापित नहीं किया गया था। इस प्रकार स्कीम को पुन:स्थापित करने के लिए मण्डल की समयोपरि कार्रवाई करने में विफलता से 20.14 लाख रू0 का व्यय (अगस्त 2007) निरर्थक हुआ। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी जो स्कीम को पुन: स्थापित करने के लिए अनुरोध कर रहे थे, जैसा कि अधिशासी अभियंता ने सूचित किया, को भी अपनी भूमि सिंचाई सुविधाओं से वंचित होना पड़ा।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007) ।

4.6 उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों पर निरर्थक व्यय

शिमला जिले में दो उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन पर किया गया 1.74 करोड़ रू0 का व्यय निरर्थक रहा क्योंकि पंपिंग मशीनरी प्रतिस्थापित नहीं की गई थी।

शिमला जिले में पांच गांवों के निवासियों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 2000-01 में दो[7] उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों को क्रमश: अगस्त 2003 तथा फरवरी 2004 तक पूर्ण किये जाने हेतु आरम्भ किया गया। जब स्कीमों के लिए 1.13 करोड़ रू0 की स्वीकृति प्रदान की गई तो यह अवलोकित किया गया कि विस्तृत आकलन तैयार नहीं किये गये थे तथा कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

स्कीमों के निर्माण पर 1.74 करोड़ रू0 का व्यय (पहली स्कीम: 0.39 करोड़ रू0) मार्च 2005 तक तथा (दूसरी स्कीम 1.35 करोड़ रू0) नवम्बर 2006 तक, का व्यय किया गया था। 0.61 करोड़ रू0 का अधिक व्यय मण्डल के नियमित बजट में से किया गया था। इसके अतिरिक्त् यह देखा गया कि पम्पिंग मशीनरी की आपूर्ति के लिए दो फर्मों को 8.41 लाख रू0 के आपूर्ति आदेश (नवम्बर 2002) दिये गये। पम्पिंग मशीनरी 7.40 लाख रू0 (90 प्रतिशत के लगभग) के भुगतान पर प्राप्त की गई (मार्च 2003) परन्तु मई 2007 तक मशीनरी का प्रतिस्थापन किया जाना प्रतीक्षित था। अधिशासी अभियंता ने पम्पिंग मशीनरी के प्रतिस्थापन में विलम्ब हेतु कोई भी अकाट्य कारण सूचित नहीं किये तथा बताया (मई 2007) कि पम्पिंग मशीनरी की स्थापना का कार्य प्रगति पर था।

---

6 मरम्मत एवं अनुरक्षण: 10.50 लाख रू0; ऊर्जा प्रभार: 5.26 लाख रू0 तथा देखभाल प्रभार: 4.38 लाख रू0

7 (i) संगणित गांव नौहन तथा लखोटी के शेष निवास स्थानों हेतु उठाऊ जलापूर्ति स्कीम मुख्य अभियंता (उत्तर अंचल) द्वारा 0.25 करोड़ रू0 हेतु अनुमोदित की गई (सितम्बर 1999)।

(ii) संगणित गांव नैहरा, कमलाही, थुण्ड, इत्यादि के शेष निवास स्थानों हेतु उठाऊ जलापूर्ति स्कीम वित्तायुक्त-एवं-सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) द्वारा 0.88 करोड़ रू0 हेतु अनुमोदित की गई (मार्च 2001)।

इस प्रकार, नवम्बर 2006 तक 1.74 करोड़ रू0 का व्यय करने के बावजूद पम्पिंग मशीनरी की खरीद का प्रयोजन व्यर्थ हुआ। चार वर्षों तक स्थापित न की गई पम्पिंग मशीनरी के समयावसान के कारण उसकी कार्यक्षमता की गारन्टी नहीं हो सकती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.7 प्रवाह सिंचाई स्कीम के संवर्धन पर निरर्थक व्यय

प्रवाह सिंचाई स्कीम, ठांगी (किन्नौर जिला) के संवर्धन पर किया गया 15.06 लाख रू0 का व्यय निरर्थक रहा क्योंकि स्कीम की गलत योजना के कारण कार्य अवरूद्ध पड़ा था।

रिकांगपिओं मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया कि (जून 2006) कि ठांगी गांव (किन्नौर, एक जनजातीय जिला) के 50 हैक्टेयर (फेस-II) कृष्य कमांद क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए 4,005 मीटर लम्बी नई कूहल का निर्माण करने के द्वारा विद्यमान प्रवाह सिंचाई स्कीम के संवर्धन का कार्य जुलाई 2001 में आरम्भ किया गया। यह देखा गया कि पेय जलापूर्ति तथा सिंचाई स्कीमों का निष्पादन केवल स्त्रोत की ओर से ही आरम्भ करने सम्बन्धी लोक लेखा समिति के (मार्च 1995) अनुदेशों (प्रमुख अभियंता द्वारा मार्च 1995 में जारी किये गये) की अवहेलना करते हुए मण्डल द्वारा कूहल का निर्माण अन्तिम सिरे की ओर से आरम्भ किया गया तथा प्रवाह सिंचाई स्कीम की 1478 मीटर लम्बाई में कटिंग के कार्य का निष्पादन दिसम्बर 2004 तक किया गया। इस अवस्था में, मूरंग गांव के निवासियों ने वरिष्ठ न्यायधीश, किन्नौर के न्यायालय में रखोलंग नाला, कूहल का स्त्रोत (फेस-II) से पानी की प्रस्तावित निकासी के प्रति एक याचिका इस तर्क पर दायर की (दिसम्बर 2004) कि इसके परिणामस्वरूप उनके प्रयोग हेतु पानी की कमी आएगी। विवाद के समाधान तक कार्य अवरूद्ध (अगस्त 2007) पड़ा था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि:

- सर्वेक्षण प्रतिवेदन के बावजूद स्त्रोत में पर्याप्त पानी की उपलब्धता के बारे में स्थानीय निवासियों को मनवाने में विभाग कामयाब नहीं हुआ।
- कार्य का निरीक्षण सहायक अभियन्ता के स्तर से ऊपर के किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अन्तिम सिरे की ओर से निष्पादन कार्य आरम्भ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं ली गई।

अधिशासी अभियन्ता ने तथ्यों की पुष्टि की (जून 2006)।

यदि लोक लेखा समिति के अनुदेशों का पालन किया होता तथा स्त्रोत की ओर से कार्य आरम्भ किया होता तो मूरंग गांव के निवासियों की आपत्ति प्रारम्भिक स्तर पर ही आ गई होती तथा इस प्रकार 15.06 लाख रू0 के निरर्थक व्यय से बचा जा सकता था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.8 नलकूप के निर्माण पर निरर्थक व्यय

सिंचाई हेतु नलकूप के निष्पादन की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप 27.59 लाख रू0 का निरर्थक व्यय हुआ।

36 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के लिए ठांगर में (धान-III), नलकूप का निर्माण का कार्य डेढ़ वर्षों की निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने के लिए अधिशासी अभियंता, ज्वाली मण्डल द्वारा निष्पादन हेतु 39.30 लाख रू0 के अनुमोदित कार्यचालन आकलन के प्रति आरम्भ किया गया। स्कीम के *राइजिंग मेन* को बिछाने हेतु कार्य में भूमि का अधिग्रहण किया जाना भी परिकल्पित था। यात्रिंकी कार्यों (12.57 लाख रू0) तथा सिविल कार्यों (26.73 लाख रू0) के लिए तकनीकी संस्वीकृतियां 1999 के दौरान अनुमोदित की गई। मार्च 1999 तथा

अक्तूबर 1999 मध्य पांच उपकार्यों को 25.30 लाख रू0 की निविदित लागत पर विभिन्न ठेकेदारों को सौंपा गया। मण्डल द्वारा अक्तूबर 2000 तक 27.59 लाख रू0 (70 प्रतिशत) का व्यय किया गया जिसके पश्चात् कार्य को बन्द कर दिया गया (अक्तूबर 2000) क्योंकि भूमि मालिकों ने अपनी भूमि से *राइजिंग मेन* को बिछाने की अनुमति नहीं दी।

ज्वाली मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (दिसम्बर 2006) कि अनुमोदित आकलन में प्रावधान के बावजूद स्कीम के *राइजिंग मेन* के संरक्षण में आने वाली निजि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। भू- अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई अधिसूचना जारी करने के आधार पर केवल दिसम्बर 2005 में आरम्भ की गई थी परन्तु अधिग्रहण को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था तथा कार्य को जून 2007 तक आरम्भ नहीं किया जा सका। सात वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी पम्पिंग मशीनरी को स्थापित नहीं किया गया था। इसी मध्य वांरटी अवधि समाप्त हो गई। नलकूप के लिए बिजली का कनैक्शन दिए जाने का कार्य भी आरम्भ नहीं किया गया था (अगस्त 2007)।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जून 2007) कि आरम्भ में स्कीम के निष्पादन के लिए भूमि मालिक मुफ्त में अपनी भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सहमत थे परन्तु बाद में विवाद उत्पन्न कर दिया तथा कार्य को बन्द करवा दिया। स्पष्टतया, भूमि मालिकों का मुफ्त में भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सहमत होने के तुरन्त पश्चात विभाग के नाम पर भूमि को अंतरित करने में अधिशासी अभियन्ता की विफलता के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को अभिप्रेत सिंचाई सुविधाओं की मनाही हुई जिससे 27.59 लाख रू0 का व्यय निरर्थक हुआ। इसके अतिरिक्त सात वर्षों की समय वृद्धि के कारण सिंचाई स्कीम की लागत वृद्धि तथा मशीनरी एवं किये गये कार्य की विकृति की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मई 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.9 सिंचाई क्षमता की अल्प उपयोगिता

1.35 करोड़ रू0 की लागत पर निर्मित एवं अनुरक्षित दो उठाऊ सिंचाई स्कीमों की सिंचाई क्षमता का अधिकांशतया अल्प उपयोग किया गया।

कृषि उत्पादन तथा किसानों की आय का संवर्धन करने के लिए मण्डी जिले में सदर तहसील के 136.50 हैक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दो उठाऊ सिंचाई स्कीमों[8] का निर्माण 1.27 करोड़ रू0 की लागत पर पूर्ण किया गया (फरवरी एवं मार्च 2004)। इसके अतिरिक्त 2004-07 के दौरान स्कीमों को चलाने तथा अनुरक्षण पर 0.08 करोड़ रू0 व्यय किये गये।

बग्गी मण्डल (मण्डी जिला) के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया कि 136.50 हैक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र की सिंचाई करने के लक्षित प्रावधान के प्रति 2004-07 के दौरान भूमि के औसतन 8.25 हैक्टेयर (रबी फसल) तथा 13.56 हैक्टेयर (खरीफ फसल) क्षेत्र की ही वास्तविक रूप से सिंचाई की गई। इन स्कीमों में सृजित सिंचाई क्षमता की उपयोगिता 2004-07 के दौरान शून्य और 11.15 प्रतिशत के मध्य प्रति फसल रही।

अधिशासी अभियंता ने स्कीमों की सिंचाई क्षमता के अल्प उपयोग के लिए पुरानी फसल प्रणाली अपनाये जाने के परिणामस्वरूप लाभार्थियों से सिंचाई हेतु पानी की मुख्यतया कम मांग बताया (फरवरी-जून 2007)। अधिशासी अभियंता का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि स्कीमों को पर्याप्त औचित्य के बिना आरम्भ किया गया था।

मांग को सुनिश्चित् किये बिना इन स्कीमों का निष्पादन करने तथा किसानों को उपलब्ध सिंचाई सुविधा का सर्वोतम उपयोग करने के लिए अवगत कराने में विफलता के फलस्वरूप इस प्रकार स्कीमों का अल्प उपयोग हुआ। फलत: इन स्कीमों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर 1.35 करोड़ रू0 का व्यय अधिकाशत: निष्फल रहा (मार्च 2007 तक)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मई 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

---

8 ऊठाऊ सिंचाई स्कीम जालाह तथा ऊठाऊ सिंचाई स्कीम, कंगारू-पधारू

4.10 उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के संवर्धन पर निरर्थक व्यय

उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के आवर्धन का निष्पादन आरम्भ करने से पहले *राइजिंग मेन* बिछाने के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 30.34 लाख रू0 का निरर्थक व्यय हुआ।

मण्डी जिले के गांवो बारिन, लेहरा, खलीन एवं दारिल (दरकौल) के 1,941 व्यक्तियों को पीने के पानी की सुविधा का प्रबन्ध करने के लिए उठाऊ जलापूर्ति स्कीम, बारिन का आवर्धन मार्च 2004 तक पूर्ण किये जाने हेतु आरम्भ किया गया (मार्च 2001)।

सरकाघाट मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच (जनवरी 2007) से पाया गया कि भूमि मालिकों द्वारा उनकी भूमि में से मुख्य पाइप लाइन बिछाने पर आपत्ति के कारण कार्य को पूरा नहीं किया जा सका। इस मध्य मई 2004 तक 30.34 लाख रू0 व्यय किये गये। भूमि मालिकों ने एक मुकदमा भी दायर कर दिया (दिसम्बर 2003) तथा कार्य का आगामी निष्पादन रोक दिया गया (दिसम्बर 2003)।

अधिशासी अभियंता ने बताया (जुलाई 2007) कि स्कीम का निष्पादन आरम्भ करने के समय भूमि मालिकों की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी तथा भूमि मालिक विद्यमान स्कीम से पहले ही पानी ले रहे थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग को स्कीम आरम्भ करने से पहले ही भूमि के स्पष्ट स्वामित्व को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था। भूमि को अधिग्रहण न करने के कोई भी कारण नहीं बताये गये थे। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि सरकार द्वारा निजि भूमि को अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी (जून 2007)। उत्तर स्कीम के निष्पादन के लिए समुचित योजना के अभाव की पुष्टि करता है। फलत: 30.34 लाख रू0 का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मई 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.11 प्रवाह सिंचाई स्कीमों के निर्माण पर अपव्यय

बाढ़ के जोखिम क्षेत्र में प्रवाह सिंचाई स्कीम, कौरिक (लाहौल एवं स्पिति जिला) आरम्भ करने में विभाग की घटिया योजना के फलस्वरूप 65.43 लाख रू0 का अपव्यय हुआ क्योंकि पारचू झील की जल निकासी में वृद्धि के कारण स्कीम बह गई।

प्रवाह सिंचाई स्कीम, कौरिक, 41 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के लिए 36.17 लाख रू0 की आकलित लागत पर परिकल्पित की गई, तथा इसे 31.84 लाख रू0 हेतु तकनीकी रूप से संस्वीकृति किया गया (जुलाई 2002)। निष्पादन हेतु (दिसम्बर 2002) आरम्भ की गई स्कीम पर आकलित लागत का 30.76 लाख रू0 (85 प्रतिशत)व्यय करने के पश्चात् जुलाई 2004 तक कार्य जारी रहा।

काजा मण्डल (लाहौल एवं स्पिति) के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (अक्तूबर 2006) कि स्कीम के निष्पादन के दौरान पारचू झील के अर्न्तप्रवाह में वृद्धि के कारण पारचू नाला[9] में भारी बाढ़ आई (जुलाई 2004) जिससे मुख्य बांध तथा चैनल का एक भाग बह गया। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि इससे पहले 2000 में भी इसी नाले में इसी कारण भारी बाढ़ आई थी जिसमें 200 से अधिक लोगों की जाने गई थी तथा निजि एवं सरकारी सम्पति की भारी हानि हुई थी। तथापि विभाग ने बाढ़ तथा जान-माल की हानि की जानकारी होने के बावजूद नुकसान को पुन: स्थापित किया तथा 34.67 लाख रू0 की लागत पर स्कीम (जून 2005) को प्रतिस्थापित किया। तथापि पुन: भारी बाढ़ आई (जून 2005) तथा मुख्य कार्यो, चैनल की आरम्भिक 1500 मीटर की लम्बाई एवं समस्त कृष्य कमांद क्षेत्र पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया।

---

9 सतलुज नदी की एक सहायक नदी। पारचू तिब्बत में एक बनावटी झील है। यह 60 मीटर गहरी है तथा 114 मिलियन घनमीटर जल क्षमता सहित 230 हैक्टेयर के कुल क्षेत्र में फैली हुई है। झील के टूटने से सतलुज नदी के साथ जोखिम क्षेत्र में स्थित रहने वाले जीवों तथा निजि/सरकारी सम्पत्ति को वर्ष 2000 से गंभीर खतरा बना हुआ है। हिमखण्डों के पिघलने के कारण झील का प्रवाह बढ़ता जा रहा है।

अधिशासी अभियंता ने बताया (जनवरी 2007) कि पारचू नाले में बाढ़ एक प्राकृतिक महाविपत्ति थी जो पूर्वानुमानयोग्य नहीं थी तथा मानव कल्पना से परे थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारी बाढ़ की जानकारी तथा 2000 एवं जुलाई 2004 में जान-माल का नुकसान मण्डल के लिए आखें खोलने वाली बात होनी चाहिए थी। जुलाई 2004 की बाढ़ के पश्चात् भी जोखिम का प्रत्यक्ष ज्ञान जारी था। बाढ़ के निरन्तर जोखिम की दृष्टि से उस कार्यस्थल पर जो जोखिम वाले क्षेत्र में आता था, आरम्भिक रूप से स्कीम का अभिकल्पन करने के लिए मण्डल की कार्रवाई तथा जुलाई 2004 की भारी बाढ़ के पश्चात् इसे पुन: स्थापित किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। इस प्रकार विभाग की गलत योजना से राज्य सरकार को 65.43 लाख रू0 की हानि पहुंचाई गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.12 हरिजन बस्ती हेतु नलकूप आधारित सिंचाई स्कीम के निष्पादन में विलम्ब

नलकूप आधारित सिंचाई स्कीम के निष्पादन में विभाग द्वारा उपयुक्त योजना की कमी के कारण 48.52 लाख रू0 के निरर्थक व्यय के अतिरिक्त हरिजन बस्ती, गंगथ (कांगड़ा जिला) को अभिप्रेत लाभों की प्राप्ति में विलम्ब हुआ।

हरिजन बस्ती, गंगथ (कांगड़ा जिला) की 64 हैक्टेयर भूमि के कृष्य कमांद क्षेत्र के लिए सिंचाई प्रदान करने के लिए दो नलकूप आधारित सिंचाई स्कीमें मार्च 2002 तक पूर्ण किये जाने हेतु अनुमोदित की गई। तथापि, निधियों के अभाव के कारण स्कीम का निष्पादन आरम्भ नहीं किया जा सका जब (जनवरी 2003-जनवरी 2006) नाबार्ड से निधियों की व्यवस्था की गई।

इन्दौरा मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच (नवम्बर 2006) से पाया गया कि 25.25 लाख रू0 का व्यय करने के पश्चात् क्रमश: दोनो स्कीमों के केवल खुदाई एवं विकास कार्य ही पूर्ण किये गये थे (जुलाई 2005 तथा अप्रैल 2006) । यह पाया गया कि कार्यों के शेष मुख्य घटक (राइजिंग मेन बिछाया जाना, वितरण प्रणाली तथा पम्पिंग मशीनरी का उपलब्ध कराना/निष्पादन) अभी तक प्रगति पर थे तथा मई 2007 तक 48.52 लाख[10] रू0 व्यय किये जा चुके थे।

अधिशासी अभियंता ने बताया (मई 2007) कि अभिकल्पना तथा अनुमोदन प्राप्त करने और किसानों की आपत्तियों को सुलझाने में लिए गये समय के कारण निष्पादन कार्यों में विलम्ब हुआ।

उत्तर समय पर निधियों की व्यवस्था करने तथा दोनों स्कीमों के मुख्य घटकों के निष्पादन करने में उपयुक्त योजना की कमी का द्योतक है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मई 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

बहुद्देशीय परियोजनायें एवं विद्युत विभाग

4.13 व्यय की प्रतिपूर्ति न करना

मानकों से अधिक व्यय करने से राज्य पर 1.30 करोड़ रू0 का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत के संघीय मंत्रालय (मंत्रालय) एवं राज्य सरकार ने पर्वतीय पन विद्युत प्रमाण्य परियोजनाओं का निष्पादन आरम्भ किया। इस परियोजना हेतु हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण (हिम ऊर्जा) इसका निष्पादन अभिकरण था जिसे 50:50 की लागत के आधार पर मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा शेयर किया जाना था।

अभिलेखों की नमूना-जांच (जुलाई 2005) में पाया कि मंत्रालय के मानको के अनुसार 18.32 करोड़ रू0 के अनुमत व्यय के प्रति हिमऊर्जा ने परियोजना पर 20.93 करोड़ रू0 व्यय किये। इस प्रकार मंत्रालय ने केवल

---

10 खुदाई एवं विकास पर व्यय: 25.25 लाख रू0 तथा अन्य घटक जैसे, राइजिंग मेन, वितरण प्रणाली तथा पम्पिंग मशीनरी के उपलब्ध तथा स्थापित करना: 23.27 लाख रू0

9.16 करोड़ रू0 की प्रतिपूर्ति की। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर 1.30 करोड़ रू0 का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

निदेशक, हिमऊर्जा ने बताया (दिसम्बर 2006) कि कार्य स्थल स्थिति के कारण आकलनों से अधिक व्यय हुआ जिसे समझा नहीं जा सका तथा मंत्रालय के मानको से अधिक शेष राशि को राज्य सरकार के बजट में से पूरा किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 77.41 लाख रू0 का अधिक व्यय परियोजना के "विविध व्यय" (वेतन, पेट्रोल, ऑयल तथा लुब्रीकैंट, बीमा आदि) पर किया गया था जिसका तात्पर्य कार्यस्थल स्थिति से बिल्कुल भी नहीं था। यह व्यय मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम रखा जाना था। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल स्थिति के पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए था जब तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त की गई थी तथा मंत्रालय का अनुमोदन लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य को 1.30 करोड़ रू0 का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ा।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

योजना विभाग

4.14 निधियों की अव्यवस्था

कार्यों के निष्पादन हेतु योजना के अभाव तथा उपायुक्त द्वारा उनका अनुश्रवण न करने के परिणामस्वरूप 68 लाख रू0 राशि की उपलब्ध निधियां अव्यवस्थित रहीं

राज्य सरकार ने मनाली-III वन में बूचड़खाने के समीप पार्किंग स्थल, बाढ़ संरक्षण कार्यों तथा 1.9643 हैक्टेयर भूमि पर भूमि सुधार हेतु उपायुक्त, कुल्लू को क्षेत्रीय विकेन्द्रिकृत योजना निधियों में से एक करोड़ रू0 संस्वीकृत किये (जून 1999)।

उपायुक्त कुल्लू के अभिलेखो की नमूना-जांच (जनवरी-फरवरी 2007) से पाया गया कि एक करोड़ रू0 में से उपायुक्त ने सचिव, नगर पंचायत, मनाली को 20.50 रू0 तथा 30 लाख रू0 क्रमश: 'चुंगी जांच पोस्ट संख्या I' तथा 'अग्निशमन केन्द्र' पर पार्किंग स्थलों के निर्माण हेतु निस्तारित किये (जून 1999)। इन कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोई अभिकल्प तथा विस्तृत आकलन तैयार नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चुंगी जांच पोस्ट पर पार्किंग स्थल के निर्माण हेतु रखे गये 20.50 लाख रू0 में से सचिव, नगर पंचायत, मनाली ने भूमि समतल करने पर जब वन विभाग ने कार्य को बन्द करवा दिया (जनवरी 2003)। केवल पांच लाख रू0 व्यय किये। इसके अतिरिक्त 4.61 लाख रू0 उपायुक्त के अनुमोदन के बिना हिडिम्बा मन्दिर में पार्किंग स्थल के निर्माण हेतु तथा 10.89 लाख रू0 मनाली शहर में सड़को को पक्का करने तथा तारकोल बिछाने हेतु बिना किसी प्रावधान के अपवर्तित किये (2001-02) गए।

अग्निशमन केन्द्र में पार्किंग स्थल का निर्माण इस प्रयोजन हेतु निस्तारित किये गये 30 लाख रू0 में से पूर्ण कर लिया गया था।

5 लाख रू0 की राशि उप-मण्डल अधिकारी (सिविल), मनाली को स्थान के विनिर्दिष्ट किए बिना मनाली में पार्किंग स्थल के लिए स्थान को समतल करने हेतु निस्तारित की (फरवरी-जून 2002)। शेष 44.50 लाख रू0 की शेष राशि बूचड़खाना, मनाली में बाढ़ संरक्षण कार्यों, भूमि सुधार तथा पार्किंग स्थल विकसित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य) मण्डल नं0 I, कुल्लू को निस्तारित की गई (दिसम्बर 2002)। उप-मण्डल अधिकारी (सिविल), मनाली ने (2002-03) भूमि के स्वामित्व का सत्यापन किये बिना उसे निस्तारित किये गये पांच लाख रू0 मनाली-III वन में बूचड़खाने में पार्किंग स्थल हेतु भूमि को समतल करने पर व्यय किये। कार्य को वन विभाग द्वारा बन्द करवा दिया गया (जनवरी 2003) क्योंकि भूमि मनाली-III वन का भाग थी।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डल नं0 I, कुल्लू को निस्तारित किये गये 44.50 लाख रू0 की निधियों में से दो लाख रू0 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल एवं पावर अनुसंधान केन्द्र, पूणे को

परामर्श कार्यों हेतु भुगतान पर व्यय किये गये तथा 42.50 लाख रू0 की अप्रयुक्त राशि दो वर्षों तक रोके रखने के पश्चात् उपायुक्त कुल्लू को वापिस कर दी (जनवरी 2004)। इसके पश्चात् उपायुक्त कुल्लू ने इस राशि को आगे सचिव, नगर पंचायत मनाली को मनाली में बाढ़ संरक्षण कार्य करने तथा पार्किंग स्थल विकसित करने के लिए निस्तारित किया (सितम्बर 2005)। 42.50 लाख रू0 की समस्त राशि भी सचिव, नगर पंचायत, मनाली के पास अप्रयुक्त (फरवरी 2007) पड़ी हुई थी।

जिला योजना अधिकारी ने बताया (फरवरी 2007) कि भूमि अधिग्रहण तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से सम्बन्धित मामले राज्य सरकार से सम्बद्ध थे। सचिव, नगर पंचायत, मनाली ने बताया (फरवरी 2007) कि कार्य स्थल के विवाद के कारण निधियां अपवर्तित की गई थी क्योंकि भूमि वन विभाग से सम्बन्धित थी तथा वन विभाग ने कार्य बन्द करा दिया था।

उत्तर लेखापरीक्षा की धारणा की पुष्टि करता है कि उपायुक्त कुल्लू ने निधियों का निस्तारण करने से पहले भूमि का अधिग्रहण करना तथा अभिकल्प एवं विस्तृत आकलन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित नहीं किया था। इसके पश्चात् न तो राज्य सरकार ने और न ही उपायुक्त ने निधियों की प्रयुक्ति का अनुश्रवण किया।

इस प्रकार उपायुक्त द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु योजना के अभाव तथा उनका अनुश्रवण न करने के फलस्वरूप उपलब्ध निधियों की अव्यवस्था हुई जिसमें वन विभाग से सम्बन्धित भूमि के समतल करने पर 10 लाख रू0 का अपव्यय 15.50 लाख रू0 की निधियों का अपवर्तन, लगभग पांच वर्षों तक 42.50 लाख रू0 राशि की निधियों का अवरोधन एवं अप्रयुक्ति सम्मिलित थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

लोक निर्माण विभाग

4.15 सड़कों के निर्माण पर निरर्थक व्यय

स्पिति घाटी में दो सड़कों के निर्माण पर किया गया 3.98 करोड़ रू0 का व्यय निरर्थक हुआ क्योंकि मार्ग में कच्चा भू-स्तर एवं हिमखण्ड क्षेत्र होने के कारण सड़कों को वाहन यातायात के लिए नहीं खोला जा सका।

स्पिति घाटी के कबायलियों को मोटरयोग्य सड़कें उपलब्ध करवाने के लिए दो सड़के-एक कोमिक से देमुल (18 कि0मी0) तथा दूसरी तेंजित से हिक्कम (13 कि0मी0) (लाहौल एवं स्पिति जिला) 2.06 करोड़ रू0 की आकलित लागत के प्रति 2.96 करोड़ रू0 की लागत पर निर्मित की गई (सितम्बर 2000 तथा सितम्बर 2001)। इन सड़कों पर सितम्बर 2000 तथा अक्तूबर 2006 के मध्य 1.02 करोड़ रू0 का सुधार (0.81 करोड़ रू0) तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण (0.21 करोड़ रू0) पर का अतिरिक्त व्यय भी किया गया।

काजा मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (अक्तूबर 2006) कि तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना दोनों सड़कों का निर्माण किया गया तथा मार्ग में कच्चा भू-स्तर एवं हिमखण्ड क्षेत्र होने के कारण वाहन यातायात (अगस्त 2007) के लिए नहीं खोला जा सका। जबकि कोमिक-देमुल सड़क कच्चा भू-स्तर एवं हिमखण्ड क्षेत्र सड़क के संरेखण में आने के कारण विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी, भूमि खिसकने के कारण तेंजित-हिक्कम सड़क की 5/215 कि0मी0 एवं 5/420 कि0मी0 के मध्य 5-7 मीटर की मानक चौड़ाई से 3-4 मीटर तक रह गई थी।

अधिशासी अभियंता ने तथ्यों से सहमत होते समय बताया (अक्तूबर 2006) कि कार्यों को पुन: आरम्भ करने के लिए विस्तृत आकलन निकट भविष्य में बना लिया जाएगा तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि सड़क के कार्य को भू-स्तर के पर्याप्त सर्वेक्षण एवं छानबीन किये बिना तथा विस्तृत आकलनों की पूर्व तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किये बिना निष्पादन हेतु लिया गया। इसके अतिरिक्त आकलन में सर्वेक्षण हेतु कोई प्रावधान नहीं था तथा कच्चे भू-स्तर के सुदृढ़ीकरण के लिए रक्षात्मक उपायों का प्रावधान भी नहीं किया गया था। ऐसा न करने से सड़कों पर किया 3.98 करोड़ रू0 का समस्त व्यय निरर्थक हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष फरवरी 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.16 अधूरे सड़क कार्यों पर निरर्थक व्यय

पांच सड़कों का निर्माण आरम्भ करने से पहले निजि/वन भूमि अधिग्रहण करने के लिए विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 1.70 करोड़ रू0 का निरर्थक व्यय हुआ

पांच मण्डलों[11] की नमूना-जांच से पाया गया (जून-दिसम्बर 2006) कि पांच[12] सड़कों के निर्माण का कार्य तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त किये बिना तथा विभिन्न स्थानों पर सड़कों के संरेखण में आने वाली निजि/वन भूमि का अधिग्रहण प्राप्त किये बिना आरम्भ किया गया। इन सड़कों के निर्माण के दौरान भूमि मालिकों ने अपनी निजि भूमि में सड़कों के निर्माण पर आपत्ति की। फलत: 1.70 करोड़ रू0 का व्यय करने के पश्चात् इनके कार्यों का निष्पादन मार्च 2005 तथा अगस्त 2006 से अवरूद्ध था। ये सड़कें गांव के निवासियों को अपने कृषि/बागवानी सम्बन्धी उत्पादन को बाजार तक ले जाने के लिए सम्पर्क मार्ग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु थीं। मार्च 2007 तक प्रत्येक मामले में पूर्णता की निर्धारित तिथि से 24 तथा 120 महीनों के मध्य का विलम्ब था। इन कार्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से सम्बन्धित दो कार्य[13] शामिल थे जिनके अन्तर्गत भूमि का भार मुक्त होना विभाग ने सुनिश्चित करना था।

सम्बद्ध अधिशासी अभियंताओं ने बताया (जून-जुलाई 2007) कि भूमि मालिकों ने सड़कों के निर्माण के लिए निष्पादन आरम्भ करने के समय आपत्ति नहीं की परन्तु जब कार्य प्रगति पर था तो आपत्तियां उठाई। इसके अतिरिक्त यह बताया कि यद्यपि तीन सड़कों[14] के सम्बन्ध में भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी (अक्तूबर 2003 से जून 2006 तक) की जा चुकी थी, परन्तु पंचाट को अभी तक अंतिम रूप दिया जाना था। शेष दो सड़कों के सम्बन्ध में भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए कार्रवाई जुलाई 2007 तक नहीं की गई थी। अधिशासी अभियंताओं के उत्तर प्रदर्शित करते हैं कि भूमि अधिग्रहण कार्यवाही सड़कों का निष्पादन आरम्भ करने से पहले प्रारम्भ नहीं की गई जैसाकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम एवं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि तीन[15] कार्यों के आकलनों में भूमि अधिग्रहण हेतु प्रावधान भी नहीं किये गये थे।

इस प्रकार कार्यों को आरम्भ करने से पहले पूर्व-अपेक्षित औपचारिकताओं का पालन करने में अधिशासी अभियंताओं की विफलता के फलस्वरूप 1.70 करोड़ रू0 का व्यय निरर्थक हुआ क्योंकि ग्रामवासी अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मई 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.17 सड़क एवं पुलों के निर्माण पर निरर्थक व्यय

विभाग द्वारा उपयुक्त योजना की कमी के परिणामस्वरूप मढ़ी-कमलाह-टिहरा-संधोल मोटरयोग्य सड़क के निर्माण पर 5.61 करोड़ रू0 का निरर्थक व्यय हुआ।

रिसी सर्वे पर आधारित 55 मीटर लम्बे पुल सहित 45.5 कि0मी0 लम्बे मढ़ी- कमलाह-टिहरा-संधोल (मण्डी जिला) मोटरयोग्य सड़क के निर्माण तथा मार्च 2001 तक पूर्ण किए जाने के लिए आयुक्त एवं सचिव (लोक निर्माण विभाग) ने 7.15 करोड़ रू0 का आकलन अनुमोदित किया।

---

11 अर्की (सोलन जिला); भरमौर तथा सलूणी (चम्बा जिला); कुल्लू ।। (कुल्लू जिला) तथा कुमारसेन (शिमला जिला)

12 (i) अर्की मण्डल में शालाघाट-खैर-की-घाटी-जलाना सड़क (1995-1996); (ii) भरमौर मण्डल में साथली-चोबिया सड़क (जुलाई 1999); (iii) कुल्लू-।। मण्डल में रामशिला-लूरीकोट वाया नियोली थारमण (1995-1996); (iv)कुमारसेन मण्डल में गांव बारगल से सम्पर्क सड़क (नवम्बर 2004) तथा (v)सलूणी मण्डल में पुखरी से भूमनी सड़क (नवम्बर 2002)

13 गांव बारगल से सम्पर्क सड़क (कुमारसेन) तथा पुखरी -भूमनी से सम्पर्क मार्ग (सलूणी)

14 (i) साथली-चोबिया मोटरयोग्य सड़क (भरमौर मण्डल); (ii)रामशिला से लूरीकोट वाया नियोली थारमन सड़क (कुल्लू-।। मण्डल) तथा (iii) गांव बारगल से सम्पर्क सड़क (कुमारसेन मण्डल)

15 (i) साथली-चोबिया मोटरयोग्य सड़क (भरमौर मण्डल); (ii) गांव बारगल से सम्पर्क सड़क (कुमारसेन मण्डल) तथा (iii) पुखरी से भूमनी सम्पर्क मार्ग (सलूणी मण्डल)

धर्मपुर मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच (अगस्त 2006) से पाया गया कि कई खण्डों में 46.655 कि0मी0 सड़क तथा दो पुलों के निर्माण पर मार्च 2005 तक 8.54 करोड़[16] रू0 का व्यय किया गया। दो पुलों (आकलन के जिसका प्रावधान था, उसके अतिरिक्त) का निर्माण स्वीकृत आकलन में उनके लिए कोई प्रावधान न होने पर किया गया। यह भी देखा गया कि अगस्त 2007 तक केवल 20.230 कि0मी0 सड़क को दो[17] खण्डों में यातायात के लिए खोला गया। शेष 26.425 कि0मी0 सड़क (लागत 3.83 करोड़ रू0) तथा दो पुलों (लागत 1.78 करोड़ रू0) को मुख्यतया निरंतर साथ लगते खण्डो में सड़क का निर्माण न करने, पुलियों का निर्माण न करने तथा 35/400 कि0मी0 पर 16.75 मीटर लम्बे पुल के निर्माण न करने के कारण यातायात हेतु नहीं खोला जा सका। प्रारम्भिक आकलन में प्रस्तावित 55 मीटर लम्बे पुल का निर्माण संशोधित आकलन के अनुसार आवश्यक नहीं था। शेष घटको के निष्पादन हेतु 3 करोड़ रू0 का संशोधित आकलन तथा 54/400 कि0मी0 तक सड़क के विस्तार के लिए मार्च 2006 में अधीक्षण अभियन्ता को भेजा गया प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था (अगस्त 2007)।

इस प्रकार निरन्तर साथ लगते खण्डो में सड़क का निर्माण न करने, पुलियों का तथा 35/400 कि0मी0 पर पुल का मूल आकलन में प्रावधान न करने तथा विस्तृत सर्वेक्षण एवं तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन करना सही योजना का अभाव सूचित करता है जिसके परिणामस्वरूप दो उपयोग न की गई सड़कों तथा पुलों पर 5.61 करोड़ रू0 का निरर्थक व्यय हुआ। अगस्त 2007 तक 77 मास की समय वृद्धि भी थी। इसके अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट बजट प्रावधान तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना 1.39 करोड़[18] रू0 अनियमित रूप से अनुमोदित आकलन की लागत की लागत से अधिक व्यय किये गये।

अधिशासी अभियंता ने बताया (अगस्त 2007) कि भूमि विवाद तथा निधियों की कमी के कारण कार्य अर्न्तविराम खण्डो में आरम्भ करना पड़ा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निधियों की कमी नहीं थी जबकि मण्डल द्वारा 1.78 करोड़ रू0 का व्यय दो पुलों के निर्माण पर किया गया था जिनका प्रावधान आकलनों मे नहीं किया गया था। मूल-आकलनों में दो पुलों के निर्माण के लिए प्रावधान न करने के बारे में अधिशासी अभियंता ने बताया कि भूल के कारण प्रावधान नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.18 सड़को के निर्माण पर निरर्थक व्यय

सोलन जिला में गुरूकुण्ड-टाली सड़क पर तथा चम्बा जिले में लूना-ओहरा सड़क पर किया गया 3.89 करोड़ रू0 का व्यय उत्कृष स्थल बिंदू (टेक ऑफ प्वांइट) पर पुलों का निर्माण न करने के कारण निरर्थक सिद्ध हुआ।

➢ भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 12.2 किलो मीटर लम्बी गुरूकुण्ड से टाली तक की सड़क 1.65 करोड़ रू0 की लागत से अनुमोदित (मार्च 2004) की गई सड़क का निर्माण आरम्भ किया गया (जनवरी 2005) तथा 1.55 करोड़ रू0 की लागत पर पूर्ण किया गया (दिसम्बर 2005)।

नालागढ़ मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (फरवरी 2007) कि उत्कृष स्थल बिदुं पर 30 मीटर लम्बे पुल का निर्माण न करने के कारण सड़क को वाहन यातायात हेतु नहीं खोला जा सका। प्रमुख अभियंता ने अवलोकित किया (फरवरी 2006) कि सड़क को उपयोग में नहीं लाया जा सकता था जब तक कि चिकनी खड्ड पर आर डी '0/080' पर उत्कृष स्थल बिंदु पर पूर्व जलाधातित कंकरीट पुल का निर्माण नहीं हो जाता है। तथापि, यह पाया गया कि यह मामला प्रस्तुत नहीं किया गया जब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का प्रस्ताव भारत सरकार से अनुमोदित (मार्च 2004) करवाया गया था। तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25 मीटर लम्बाई से अधिक के पुलों के निर्माण हेतु प्रावधान नहीं है। तथापि, पुल का निर्माण फरवरी 2007 तक आरम्भ नहीं हुआ था।

---

16 खण्डों में 46.655 कि0मी0 सड़क का निर्माण: 6.76 करोड़ रू0 तथा 43/2 कि0मी0 तथा 52/6 कि0मी0 पर दो पुलों का निर्माण: 1.78 करोड़ रू0

17 0/0 कि0मी0 से 10/0 कि0मी0 तक तथा 21/0 से 31/230 कि0मी0

18 वास्तविक व्यय (8.54 करोड़ रू0) घटाएं आकलित लागत (7.15 करोड़ रू0) = 1.39 करोड़ रू0

अधिशासी अभियंता ने बताया (जुलाई 2007) कि मुख्य अभियंता को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदनार्थ एवं व्यय स्वीकृति प्रदान करने के लिए भेजा गया था (अप्रैल 2007) तथा निधियां प्राप्त होने पर पुल के कार्य का निष्पादन आरम्भ किया जाएगा। इस प्रकार विभाग द्वारा सही योजना की कमी से उपयोग न की गई सड़क के निर्माण पर किया गया 1.55 करोड़ रू0 का व्यय निरर्थक हुआ।

- वर्तमान 2.75 मीटर चौड़ाई स्तर की लूना-ओहरा जीपयोग्य सड़क को 5-7 मीटर मोटर योग्य स्तरीय सड़क में आरम्भिक पांच किलोमीटर की लम्बाई तक (0/0 कि0मी0 से 5/0 कि0मी0) परिवर्तित करने के लिए आवासीय आयुक्त, भरमौर द्वारा 51.62 लाख रू0 अनुमोदित किए गए (सितम्बर 2000)। तीन वर्षों की निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने वाले रूपांतरण कार्य को मई 2001 तक निष्पादन हेतु आरम्भ नहीं किया गया था। 1.58 करोड़ रू0 का व्यय करने के पश्चात नवम्बर 2006 तक मोटर योग्य सड़क की कुल 5.326 कि0मी0 लम्बाई निर्मित की गई थी।

भरमौर मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (दिसम्बर 2006) कि ;

- कार्य तकनीकी स्वीकृति के बिना आरम्भ किया गया था,
- 1.06 करोड़ रू0 का व्यय आकलित लागत से अधिक किया गया था,
- सड़क यातायात हेतु नहीं खोली जा सकी क्योंकि परियोजना में उत्कृष स्थल बिंदु पर पुल के निर्माण हेतु प्रावधान नहीं था;
- जीप योग्य सड़क से मोटर योग्य सड़क में रूपान्तरण हेतु आवश्यकता से औचित्य के लिए मोटरयोग्य सड़क पर यातायात घनता की गणना नहीं करवाई गई थी।

अधिशासी अभियंता द्वारा कार्य निष्पादन में विलम्ब तथा आकलित लागत से अधिक 1.06 करोड़ रू0 के आधिक्य व्यय का कारण निधियों की कमी बताया गया (अगस्त 2007)। अधिशासी अभियन्ता ने यह भी बताया कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् संशोधित आकलन तैयार किया जाएगा। कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोई भी विस्तृत आकलन अनुमोदन अथवा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। आकलन के संशोधन के लिए आगामी कार्रवाई आवश्यकता दृष्टिगोचर होने के शीघ्र पश्चात् आरम्भ की जानी चाहिए थी। 1.58 करोड़ रू0 का व्यय करने के पश्चात् भी वास्तविकता यह है कि उत्कृष स्थान पर पुल का निर्माण न करने के कारण सड़क का परिचालन नहीं किया जा सका जिससे व्यय निरर्थक हुआ। वर्तमान जीप योग्य सड़क जिसे 76.03 लाख रू0 की लागत पर पहले पूर्ण किया गया था, (नवम्बर 1999) को भी इसी कारण से उपयोग में नहीं लाया जा सका।

इस प्रकार तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने तथा सड़क एवं पुल के निर्माण को समकालिक करने तथा सड़क का संशोधित आकलन तैयार करने में भी विभाग की विफलता कार्यो की त्रुटिपूर्ण योजना का सूचक है जिससे सड़क के निर्माण पर किया गया व्यय अधिकांशतया निरर्थक हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मई 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.19 अधूरे आधार पुलों पर निरर्थक व्यय

कुनाह एवं सलाशी खड्डों (हमीरपुर जिला) पर आधार पुलों के निर्माण में दोषपूर्ण योजना के फलस्वरूप 38.43 लाख रू0 का निरर्थक व्यय हुआ।

उपायुक्त, हमीरपुर ने 'क्षेत्रीय विकेन्द्रीयकृत योजना' के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, हमीरपुर मण्डल को 25 लाख रू0 (दिसम्बर 2000) तथा 6 लाख[19] रू0 (अप्रैल 2002) क्रमश: कुनाह खड्ड तथा सलाशी खड्ड पर आधार पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृत तथा निस्तारित किये। क्षेत्रीय विकेन्द्रीयकृत योजना के दिशानिदेशों के अनुसार, कार्यो को एक वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। दोनों पुलों की उप-संरचनाओं के लिए तकनीकी स्वीकृतियां प्रदान[20] की गई (सितम्बर 2002 तथा दिसम्बर 2002)। जबकि सलाशी पुल की उप-संरचना 13.53 लाख रू0 हेतु पूर्ण की गई (जूलाई 2004), कुनाह पुल की उप-संरचना 24.90 लाख रू0 में पूर्ण की गई (जून 2005)।

19 वास्तविक निस्तारित राशि: 5.96 लाख रू0

20 कुनाह पुल: 17.05 लाख रू0 तथा सलासी पुल: 9.81 लाख रू0

हमीरपुर मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (सितम्बर 2006):

- उप-संरचनाओं की पूर्णता के पश्चात् (जून 2005) शिखर संरचनाओं तथा पहुंच मार्गों का निष्पादन अभी जुलाई 2007 तक आरम्भ किया जाना था।
- दोनों पुलों की शिखर संरचनाओं हेतु विस्तृत आकलन अधिशासी अभियंता, हमीरपुर द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन हेतु भेजे गये थे (जुलाई 2005 तथा मई 2006)। अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन मार्च 2007 तक प्राप्त नहीं हुआ था।
- शिखर-संरचना का निर्माण न करने के कारण 38.43 लाख रू0 का व्यय निरर्थक हुआ।

अधिशासी अभियंता ने बताया (फरवरी 2007) कि कुनाह खड्ड पुल की शिखर संरचना के निर्माण के लिए 31.18 लाख रू0 की राशि का आकलन जुलाई 2005 में उपायुक्त, हमीरपुर को निधियों की व्यवस्था करने हेतु भेजा गया था। सलाशी खड्ड पुल की शिखर संरचना के निर्माण के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता ने बताया कि 27.29 लाख रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी (फरवरी 2007) तथा कार्य के निष्पादन के लिए शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जा रही थी।

अधिशासी अभियंता का उत्तर दोषपूर्ण योजना की पुष्टि करता है क्योंकि कार्य आरम्भ करने तथा पुल की पूर्ण संरचना का अभिकल्प तैयार करने से पहले पर्याप्त निधियां सुनिश्चित नहीं की गई थी। कार्य के विभाजित करने के परिणामस्वरूप समयवृद्धि भी होगी तथा फलतः लागत वृद्धि होगी। इस प्रकार प्रयोजन जिसके लिए कार्य स्वीकृत किया गया था असफल रहा।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.20 कला केन्द्र की अधूरी इमारत पर निरर्थक व्यय

कार्य आरम्भ करने से पहले पूर्ण आरेखण प्राप्त करने में विभाग की विफलता से लाहौल एवं स्पिति के काजा में कला केन्द्र भवन के निर्माण में 30 महीनों से अधिक का विलम्ब हुआ।

सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा राज्य स्तरीय लादरचा मेले को मनाये जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए लाहौल एवं स्पिति (जनजातीय जिला) के काजा में एक कला केन्द्र (सांस्कृतिक केन्द्र) भवन का निर्माण अतिरिक्त उपायुक्त, काजा द्वारा 44.77 लाख रू0 हेतु अनुमोदित किया गया (अक्तूबर 2001)। कार्य को अक्तूबर 2004 तक पूर्ण किया जाना था।

स्पिति मण्डल काजा के अभिलेखों की नमूना-जांच (अक्तूबर 2006) से पाया गया कि प्रशासनिक अनुमोदन, व्यय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति की प्रत्याशा में अगस्त 1999 में संरचना का निष्पादन पहले ही आरम्भ किया गया। भवन का निर्माण सितम्बर 2004 तक 13.40 लाख रू0 (30 प्रतिशत) व्यय करने के पश्चात् छत-शहतीर (रूफ बीम) स्तर तक किया गया। इसके अतिरिक्त, इस कार्य से सम्बद्ध 11.57 लाख रू0 को अन्य कार्यों[21] के लिए अपवर्तित किया गया। आगामी निष्पादन को मुख्य अभियंता (दक्षिण क्षेत्र) से छत, शहतीरों तथा छत तिकोनो (ट्रस) हेतु संरचनात्मक आरेखण प्राप्त न होने के कारण स्थगित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि तकनीकी स्वीकृति अगस्त 2007 तक प्राप्त नहीं की गई थी।

अधिशासी अभियंता ने तथ्यों को मानते हुए बताया (मार्च 2007) कि भवन के शेष कार्यों के लिए (जुलाई 2004) वांछित आरेखण मुख्य अभियंता से अभी तक प्रतीक्षित थे। इस प्रकार कार्य आरम्भ करने से पहले पूर्ण आरेखण प्राप्त करने में विभाग की विफलता से 13.40 लाख रू0 का व्यय निष्फल हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए 11.57 लाख रू0 के अपवर्तन के परिणामस्वरूप कला केन्द्र के कार्य हेतु आंबटित निधियों के उपयोग का गलत चित्रण हुआ। इस प्रकार 30 महीनों के अन्तराल के बावजूद वह प्रयोजन जिसके लिए कला केन्द्र स्वीकृत किया गया था, प्राप्त नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मई 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

---

21 आउटडोर स्टेडियम, काजा (7.77 लाख रू0) तथा अन्य सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मत (3.80 लाख रू0)

4.21 हैलीपैड के निर्माण पर निरर्थक व्यय

चम्बा जिले के सतरूंडी में पूर्ण किये जा चुके हैलीपैड को पर्यटन एवं नागरिक विमानन विभाग को न सौंपे जाने से इसके निर्माण पर किया गया 30.09 लाख रू0 का व्यय निरर्थक हुआ।

राज्य पर्यटन विभाग ने संघीय गृह मंत्रालय अथवा रक्षा मंत्रालय से अनुरोध के बिना चम्बा जिले के तीसा, बैरागढ़ तथा सनवाल सीमांत क्षेत्रों के लिए हैलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से निर्विघ्न एवं शीघ्र पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए 30.09 लाख रू0 की लागत पर सतरूण्डी (चम्बा जिला) में एक हैलीपैड का निर्माण किया (जून 2003)। हैलीपैड के निर्माण हेतु 39.80 लाख रू0 की निधियां चम्बा मण्डल को उपायुक्त चम्बा के माध्यम से जमा के रूप में निस्तारित की गई। कार्य को 19 अनुबन्धों में विभाजित करने के उपरांत पांच ठेकेदारों द्वारा 30.09 लाख रू0 की लागत पर पूर्ण किया गया (जून 2003)। बाड़ एवं प्रसाधनों का निर्माण उपलब्ध करवाने का कार्य यद्यपि कार्यक्षेत्र में सम्मिलित थे, परन्तु निष्पादित नहीं किये गये क्योंकि हैलीपैड बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित था जहां इन संरचनाओं द्वारा भारी बर्फ-बारी सहन नहीं होगी जैसाकि अधिशासी अभियन्ता द्वारा सूचित किया गया। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विस्तृत आकलन तैयार नहीं किये गये थे।

चम्बा मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच (दिसम्बर 2006) से पाया गया कि स्वीकृति पत्र में हैलीपैड की पूर्णता पर इसके अंतिम परिरक्षक के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि न तो पर्यटन विभाग ने हैलीपैड की पूर्णता का अनुश्रवण करने तथा अधिकार में लेने की परवाह की तथा न ही मण्डल ने चार वर्षों तक इसे सपुर्द करने के लिए कार्रवाई की।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2006) अधिशासी अभियन्ता ने हैलीपैड के स्वामित्व को लेने के लिए निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक विमानन से अनुरोध किया (जनवरी 2007) जिसने इसका स्वामित्व उपायुक्त, चम्बा द्वारा लेने के लिए प्रत्युत्तर में अनुरोध किया (फरवरी 2007)।

अधिशासी अभियन्ता चम्बा मण्डल ने सूचित किया (जून 2007) कि हैलीपैड की सपुर्दगी के बारे में उपायुक्त, चम्बा/राज्य पर्यटन विभाग के साथ मामले का अनुसरण करने के बावजूद कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हुए।

इस प्रकार, किसी भी सम्बद्ध विभाग द्वारा इसकी आवश्यकता को सुनिश्चित किये बिना हैलीपैड का निर्माण निरर्थक होने के अतिरिक्त लगभग चार वर्षों तक 30.09 लाख रू0 का बेकार निवेश हुआ। इसके अतिरिक्त, तकनीकी स्वीकृति की अनुपस्थिति में जिसके लिए विस्तृत आकलन तैयार नहीं किये गये थे, हैलीपैड के वांछित मानकों तथा विशिष्टताओं पर निर्मित न होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: हैलीपैड को उपयोग में लाये जाने की सम्भावना कम है क्योंकि इसे इसकी वास्तविक मांग सुनिश्चित किये बिना निर्मित किया गया (जून 2003)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

संविदाकारों को अनुचित लाभ/परिहार्य व्यय

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

4.22 गैर-सरकारी संगठन को अनुचित लाभ

कांगड़ा जिले में बड़ा भंगाल में लघु-पन विद्युत परियोजना के निर्माण एवं अनुरक्षण में गैर-सरकारी संगठन को अनुचित लाभ।

कांगड़ा जिले में बड़ा भंगाल में लघु-पन विद्युत परियोजना के प्रतिस्थापन में विलम्ब के बारे में 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के परिच्छेद 3.4.7 में उल्लेख किया

गया था। अभिलेखों की आगामी जांच (दिसम्बर 2006) से पाया गया कि शिमला आधारित एक गैर-सरकारी संगठन[22] ने 49 लाख रू0 की लागत पर बड़ा भंगाल के क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए हिम-ऊर्जा को लघु-पन विद्युत परियोजना सौंपी थी। गैर-सरकारी संगठन ने तत्पश्चात् इस परियोजना के लिए हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई भी सहायता लिए बिना अपनी निधियों से निष्पादित करने की सहमति दी (जुलाई 2000)। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि विद्युत-यांत्रिक उपकरण तथा जलकपाट (पैनस्टॉक) को उठाने के लिए हैलीकॉप्टर, यदि उपलब्ध हो सके तो प्रदान किया जाए। परियोजना का परिचालन एवं अनुरक्षण हिम ऊर्जा द्वारा प्रशिक्षित किये जाने वाली लाभार्थियों की एक सहकारी समिति के द्वारा किया जाना था। गैर-सरकारी संगठन द्वारा जुलाई 2000 में कार्य आरम्भ किया गया था तथा अगस्त 2004 में पूर्ण किया गया था।

मुफ्त में परियोजना का निष्पादन करने के लिए गैर-सरकारी संगठन द्वारा की गई वचनबद्धता के विपरित हिम ऊर्जा ने न केवल गैर-सरकारी संगठन को मुफ्त हैलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाई अपितु परियोजना पर एकमात्र उपयोग हेतु हैलीपैड भी निर्मित किया जिसके लिए इस पर 25.72 लाख रू0 व्यय किये गये।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि लाभार्थियों की सहकारी समिति गठित करने तथा परियोजना के परिचालन एवं अनुरक्षण करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने के बजाय हिमऊर्जा ने परियोजना के परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य गैर-सरकारी संगठन की सहयोगी फर्म को सौंपा तथा फर्म को 4.86 लाख रू0 का (सितम्बर 2004 से फरवरी 2006 तक) भुगतान किया। हिमऊर्जा द्वारा न तो विद्युत उत्पादन तथा उपभोक्ताओं को आपूरित की गई विद्युत का अभिलेख अनुरक्षित किया गया तथा न ही उपभोक्ताओं से प्रभारों की कोई वसूली की गई।

इस प्रकार, हिमऊर्जा ने गैर-सरकारी संगठन को 25.72 लाख रू0 का अनुचित लाभ पहुंचाया यद्यपि परियोजना लागत रहित थी। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी संगठन की सहयोगी फर्म को परियोजना का परिचालन तथा अनुरक्षण सौंपना भी अनुमोदित परियोजना के प्रावधानों के अनुकूल नहीं था। इसके सिवाय गैर-सरकारी संगठन द्वारा बिना किसी प्राधिकार के उपभोक्ताओं को मुफ्त में विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही थी। लागत की वसूली हेतु हिमऊर्जा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिमऊर्जा ने तथ्यों को माना (नवम्बर 2006)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

बेकार निवेश/निधियों का अवरोधन/निधियों का अपवर्तन

योजना विभाग

4.23 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम निधियों का अपवर्तन

उपायुक्त शिमला ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत 38.30 लाख रू0 की निधियां स्कीम के प्रावधानों के विपरित अपवर्तित की।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम में प्रावधान है कि किये जाने वाले कार्य स्थानीय रूप से पाई गई आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होंगे। स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभागों, अभिकरणों अथवा संगठनों से संबंधित कार्यालयों आवासीय व अन्य भवनों पूजा स्थलों तथा स्मारको के आंतरिक कार्यो का निर्माण अनुमत नहीं था।

उपायुक्त, शिमला के अभिलेखों (मार्च 2006) की नमूना-जांच से पाया गया कि तीन संसद सदस्यों[23] की सिफारिशों (जनवरी 2004-दिसम्बर 2005) पर उपायुक्त ने स्कीम के अंतर्गत धार्मिक स्थानों पर 11 सराय

22 साई इंजिनियरिंग फाऊडेण्शन, न्यू शिमला-9

23 एक लोकसभा तथा दो राज्य सभा ससंद सदस्य

भवनों के निर्माण, एक किसान भवन के नवीकरण, दो स्मारकों के व्यक्तिगत नाम से निर्माण तथा पांच[24] अन्य स्वीकार्य न किये जाने वाले कार्यों हेतु 38.30 लाख रू0 स्वीकृत किये (जुलाई 2004-जनवरी 2006)। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत अनुमत न किये जाने वाले कार्यों के निर्माण हेतु निधियों को प्राधिकृत करने की उपायुक्त की कार्रवाई अनियमित थी तथा इसके परिणामस्वरूप 38.30 लाख रू0 की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम निधियों का अपवर्तन हुआ।

उपयुक्त ने तथ्यों को मानते हुए बताया (फरवरी 2006) कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के दिशा-निर्देश संसद सदस्यों को क्षेत्र की मांगों के अनुसार अपनी पंसद के कार्यो की सिफारिश करने को प्राधिकृत करते है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत किये गये कार्य स्कीम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवृत नहीं होते है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.24 निधियों का अविवेकपूर्ण जारी करना

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के वित्तीय प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करने में उपायुक्त मण्डी की विफलता के परिणामस्वरूप बस अड्डा मण्डी के निर्माण हेतु 50 लाख रू0 का अविवेकपूर्ण आहरण तथा अवरोधन हुआ।

राज्य वित्तीय नियमावली में प्रावधान है कि निष्पादन हेतु कोई भी कार्य आरम्भ करने से पूर्व समुचित रूप से विस्तृत अभिकल्प एवं आकलन तैयार किया जाना चाहिए तथा सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम में इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि स्कीम के अंतर्गत कार्यों की पूर्णता के लिए समय सीमा साधारणतया एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपायुक्त, मण्डी के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (दिसम्बर 2006) कि संसद सदस्य की सिफारिश पर उपायुक्त ने स्कीम के प्रावधानों का उल्लघंन करके संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत बस अड्डा मण्डी के निर्माण के लिए बिना किसी आकलन, प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय करने की स्वीकृति बिना 50 लाख रू0 संस्वीकृत किये (नवम्बर 2003)। राशि को आहरण के पश्चात् चैक द्वारा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) को प्रेषित किया गया (नवम्बर 2003)। जून 2007 तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया था तथा समस्त राशि प्राधिकरण के पास सावधि जमा में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

उपायुक्त ने बताया (मई 2007) कि बस अड्डे के निर्माण हेतु स्वीकृत की गई राशि को प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा यात्री सूचना केन्द्र के निर्माण हेतु जो नये बस अड्डे का हिस्सा होना है, अपवर्तित कर दिया था तथा प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु 62 लाख रू0 के लिए एक आकलन तैयार किया गया था (दिसम्बर 2006)। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि संसद सदस्य की सिफारिशों के प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर निधियों का स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था तथा इतनी कम अवधि में आकलनों का अनुमोदन प्राप्त करना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपायुक्त ने न तो समुचित विस्तृत अभिकल्प एवं आकलन तैयार किये और न ही निधियां स्वीकृत करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप 50 लाख रू0 का अविवेकपूर्ण आहरण एवं अवरोधन हुआ। उपायुक्त द्वारा निधियां उस कार्य के लिए स्वीकृत की गई जिसके लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत अनुमति नहीं थी क्योंकि वाणिज्यिक संगठन हेतु निधियां स्वीकृत किया जाना अनुमत नहीं था। इसके अतिरिक्त, बस अड्डे के निर्माण के कार्य जिसके लिए आरम्भिक रूप से निधियां स्वीकृत की गई थी,से यात्री सूचना केन्द्र के निर्माण को कार्य परिवर्तन इस बात का सूचक है कि निधियों का आहरण विनिर्दिष्ट योजना के बिना किया गया। उपायुक्त द्वारा कार्यों की पूर्णता को स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर सुनिश्चित नहीं किया गया जैसा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम दिशानिर्देशों में परिकल्पित था। अप्रयुक्त निधियों को प्राधिकरण द्वारा अगस्त 2007 तक भी वापिस नहीं किया गया था।

---

24 प्रशासनिक खण्ड का निर्माण तथा निजि नेत्र अस्पताल हेतु उपकरणों की खरीद; वृद्धावस्था गृह का निर्माण, सालाना; लौंगवुड में वर्षाशालिका की मरम्मत; पुराना जुब्बल भवन परिसर का निर्माण तथा गिरी विद्या ज्ञान ज्योति अनाथालय ट्रस्ट, कोटखाई (शिमला जिला) हेतु खण्ड कार्यालय के निर्माण

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

4.25 जमा कार्यों का निष्पादन न करने के कारण निधियों का अवरोधन

पांच मण्डलों में अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्णता के अभाव में कार्यों के निष्पादन न करने के कारण विभिन्न विभागों से प्राप्त किये गये 3.07 करोड़ रू0 के जमा अप्रयुक्त रहे।

मण्डलीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों/अभिकरणों से प्राप्त राशियों को उनके पक्ष में कार्यों के निष्पादन के लिए अस्थाई रूप से अल्पकालिक शीर्ष "लोक निर्माण कार्य जमा" के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसी निधियों को अनिश्चित अवधि के लिए उपयोग न किये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उनके दीर्घ अवधि तक अवरोधन से धन का सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर रखा जाना तथा सरकारी निधियों का अवरोधन प्रतिफलित होता है।

पांच मण्डलों[25] (लोक निर्माण: 3 मण्डल और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य: 2 मण्डल) की लेखापरीक्षा (अक्तूबर 2006-मार्च 2007) में यह पाया गया कि विभिन्न विभागों/अभिकरणों से 33 जमा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्राप्त हुए (मार्च 1997 से नवम्बर 2005) 3.07 करोड़ रू0 "लोक निर्माण कार्य जमा" के अंतर्गत अप्रयुक्त पड़े रहे। इन कार्यों को निष्पादन हेतु कार्यस्थल रूपरेखा योजना, संरेखण एवं कार्यचालन आकलनों के तैयार न होने (पांच मामले), कार्य स्थलों की अनुपलब्धता (सात मामले), भूमि विवाद (तीन मामले), प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिये जाने (एक मामला), स्त्रोत पर विवाद (एक मामला) तथा व्यवहार्यता छानबीन पूर्ण न होने (सोलह मामले) के कारण आरम्भ नहीं किया गया था।

सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्तूबर 2006-मार्च 2007)। स्पष्टतया, सम्बद्ध मण्डलों द्वारा पूर्व अपेक्षित औपचारिकताओं, संस्वीकृत अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता तथा स्कीमों की व्यवहारिता को सुनिश्चित किये बिना विभिन्न विभागों/अभिकरणों से जमा शीर्ष के अंतर्गत निधियां प्राप्त की गई थी।

इस प्रकार विभागों के पास 3.07 करोड़ रू0 की जमा राशि उस प्रयोजन जिसके लिए ये स्वीकृत किये गये थे, को हासिल करने नमूना-जांच करने की तिथि तक 12 और 121 महीनों के मध्य की अवधि के लिए अप्रयुक्त पड़ी रही, इसके अतिरिक्त अपेक्षित प्रयोजन भी हासिल नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, नियमों के विपरित इन राशियों को दीर्घ अवधि हेतु बजटीय प्रक्रिया से बाहर रखा गया जबकि दूसरी ओर 1998-1999 से 2006-07 के दौरान राज्य सरकार अपने उधारों पर 8.83 तथा 11.06 प्रतिशत के मध्य की औसत दरों पर ब्याज का बोझ वहन कर रही थी। इस मामले में मार्च 2007 तक ब्याज अदायगी की मानी जाने वाली राशि 1.08 करोड़ रू0 आंकी गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मई 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.26 निधियों का अपवर्तन

कार्यों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु रखे गये 43.63 लाख रू0 को लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों द्वारा कार्यालय आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए अपवर्तित किया गया।

लेखन सामग्री की मदों, फर्नीचर की खरीद, दूरभाष, बिजली तथा फोटोस्टेट बिलों, आदि के भुगतान हेतु निधियों को उप शीर्ष 'कार्यालय आकस्मिकता' के अंतर्गत प्रदान किया जाता है तथा इन मदों पर किये गये व्यय को इनके

---

25 कल्पा, मण्डी-।। तथा चिनाब वैली उदयपुर (लोक निर्माण मण्डल); डलहौजी तथा सुंदरनगर (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डल)

अंतर्गत किये गये आंबटन तक सीमित किया जाना अपेक्षित है। कार्यों तथा स्कीमों के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्रदत निधियों को यदि अनाधिकृत रूप से कार्यालय आकस्मिकताओं के लिए अपवर्तित किया जाता है तो इसके फलस्वरूप व्यय का विलोपन होता है। इसके अतिरिक्त, प्रयोजन हेतु प्रदत्त निधियों के अपवर्तन के कारण कार्यों तथा स्कीमों का प्रचालन एवं अनुरक्षण विपरीत रूप से प्रभावित होता है।

➢ नौ मण्डलों[26] (लोक निर्माण: 4 तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य:5) के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (अगस्त 2006-फरवरी 2007) कि विभिन्न सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों तथा जलापूर्ति एवं सिंचाई स्कीमों के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु रखी गई निधियों में से 37.48 लाख रू0 (लोक निर्माण मण्डल[27]: 14.55 लाख रू0 तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल[28]: 22.93 लाख रू0) मण्डलों द्वारा कार्यालय आकस्मिक व्यय पर अनियमित रूप से उपयोग किये गये (अप्रैल 2005 से जनवरी 2007)। इसके अतिरिक्त यह पाया गया (जून 2007) कि 'कार्यालय आकस्मिकता' के अन्तर्गत 16.68 लाख रू0 (2005-06: 7.11 लाख रू0 तथा 2006-07: 9.57 लाख रू0) के बजट आवंटन के प्रति इन मण्डलों द्वारा 24.54 लाख रू0 (2005-06 तथा 2006-07 प्रतिवर्ष: 12.27 लाख रू0) व्यय किये गये। इस प्रकार प्रचालन एवं अनुरक्षण निधियों में से कार्यालय आकस्मिक व्यय हेतु 37.48 लाख रू0 के अनियमित व्यय के अतिरिक्त कार्यालय आकस्मिकता व्यय हेतु बजटीय निधियों से 7.86 लाख रू0 (24.54 लाख रू0-16.68 लाख रू0) का अधिक व्यय भी किया गया।

अधिशासी अभियन्ता ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2006-फरवरी 2007) तथा कार्यालय आकस्मिकता व्यय को प्रचालन एवं अनुरक्षण निधियों के अपवर्तन को बाद वाले शीर्ष के अंतर्गत अल्प बजट आबंटन का कारण बताया। तथापि, यह नियमों के विपरीत था तथा इससे स्पष्ट रूप से सड़को, भवनों तथा जलापूर्ति/सिंचाई स्कीमों के प्रचालन एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

➢ इसी प्रकार, आगामी केन्द्रीय लेखापरीक्षा में मार्च 2007 मास के बाऊचरों की नमूना-जांच (जुलाई 2007) से पाया गया कि 6.15 लाख रू0 की अन्य राशि को 14 मण्डलों[29] (लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक के सात मण्डल) द्वारा प्रचालन एवं अनुरक्षण आबंटन में से कार्यालय आकस्मिकता व्यय को अपवर्तित किया।

उपरोक्त उप-परिच्छेद (क) से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जून 2007 में सरकार को सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

राजस्व विभाग

4.27 आपदा राहत निधियों का अपवर्तन

उपायुक्तों द्वारा आपदा राहत निधियों से अनियमित रूप से प्राकृतिक आपदाओं से असम्बद्ध कार्यों हेतु 1.92 करोड़ रू0 का अपवर्तन किया गया

भारत सरकार के अनुदेशों (मई 1987) में प्रावधान है कि आपदा राहत निधि का उपयोग प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए कार्यों पर ही किया जाना चाहिए तथा नये कार्यों पर नहीं। राज्य सरकार ने सभी उपायुक्तों पर

---

26 बिलासपुर, फतेहपुर, पालमपुर तथा शिलाई (लोक निर्माण मण्डल) तथा कुल्लू-I, नालागढ़, पांवटा साहिब, ऊना-I तथा ऊना-II (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल)

27 बिलासपुर: 3.59 लाख रू0; फतेहपुर: 3.01 लाख रू0; पालमपुर: 5.71 लाख रू0 तथा शिलाई: 2.24 लाख रू0

28 कुल्लू-I: 7.15 लाख रू0; नालागढ़: 3.32 लाख रू0; पांवटा साहिब: 4.86 लाख रू0; ऊना-I: 3.46 लाख रू0 तथा ऊना-II: 4.14 लाख रू0

29 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य: आनी (0.97 लाख रू0); अर्की (0.46 लाख रू0); बिलासपुर (0.46 लाख रू0); घुमारवीं (0.21 लाख रू0); ज्वाली (0.18 लाख रू0); कुल्लू-II (0.10 लाख रू0) तथा शाह नहर (0.28 लाख रू0) लोक निर्माण विभाग: अर्की (0.91 लाख रू0); किलाड़ (0.18 लाख रू0); कुल्लू-I (0.15 लाख रू0); मण्डी-I (1.92 लाख रू0); नालागढ़ (0.15 लाख रू0); सुन्दरनगर (0.09 लाख रू0) तथा ऊना (0.09 लाख रू0)

दबाव डाला (जनवरी 1998) कि आपदा राहत निधि का अपवर्तन विवेकहीन था। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया गया (मार्च 2002) कि राजस्व विभाग के क्षेत्रीय स्टाफ हेतु शीघ्र स्थान निरीक्षण करना तथा हानियों का निर्धारण करना अनिवार्य था तथा आपदा राहत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उसका प्रतिवेदन उच्च प्राधिकारियों को भेजा जाना अनिवार्य था।

उपायुक्त चम्बा, किन्नौर, शिमला तथा सोलन के अभिलेखों की नमूना-जांच (अप्रैल 2006-जनवरी 2007) से पाया गया कि 51.42 करोड़ रू0 की संस्वीकृत (2005-07) राशि के प्रति सम्बद्ध उपायुक्तों द्वारा आपदा राहत निधि के अंतर्गत 38.71 करोड़ रू0 का व्यय किया गया। इसमें से 2005-07 के दौरान 162 कार्यों के निष्पादन हेतु आपदा राहत निधि से 1.92 करोड़[30] रू0 अपवर्तित किये गये यद्यपि ये कार्य प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित नहीं थे। यह पाया गया कि उपायुक्त, शिमला तथा सोलन द्वारा नये कार्यों जैसे कि मार्ग, सम्पर्क सड़को, प्रतिधारण दीवारों, पंचायत भवनों, स्कूल भवनों आदि के निर्माण पर 44.73 लाख[31] रू0 की राशि सम्बन्धी निधियां व्यय की। उपायुक्त, चम्बा, किन्नौर तथा सोलन ने जिला स्तरीय अधिकारियों/पदाधिकारियों के आवासीय भवनों की मरम्मत पर 35.34 लाख[32] रू0 उपयोग किये गये 58 लाख[33] रू0 सरकारी कार्यालयों की मरम्मत पर उपयोग किये गये यद्यपि सरकारी भवनों की मरम्मत हेतु निधियां पृथक लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि उपायुक्त चम्बा, किन्नौर, शिमला तथा सोलन द्वारा 53.83 लाख[34] रू0 खेल के मैदानों, मार्गो, सीमा दीवारों, भण्डारों आदि पर व्यय किये गये जो राजस्व विभाग से क्षति प्रतिवेदनों की अनुपस्थिति में राहत कार्यो के अंतर्गत आवृत नहीं थे।

उपायुक्त चम्बा ने बताया (फरवरी 2007) कि भवन जिनके लिए निधियां संस्वीकृत की गई थी, उनमें अधिकतम महत्वपूर्ण एवं जीवन-रेखा भवन थे। उपायुक्त, शिमला ने निधियों का अपवर्तन रोजगार उत्पन्न करने के लिए बताया (फरवरी 2007)। उपायुक्त, सोलन ने बताया (मार्च 2007) कि मामले की छानबीन की जा रही थी। उपायुक्त, किन्नौर ने अपवर्तन के लिए निधियों का अपर्याप्त होना बताया।

कथन मान्य नहीं हैं क्योंकि उपरोक्त कार्य आपदा राहत निधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत आवृत्त नहीं थे जैसाकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था तथा इन्हें राजस्व प्राधिकारियों से क्षति निर्धारण प्रतिवेदन को प्राप्त किए बिना कार्यान्वियत किया गया।

इस प्रकार उपायुक्तों ने सरकार के अनुमोदन के बिना प्राकृतिक आपदा से असम्बद्ध कार्यों को निधियों का अपवर्तन करके पुन: स्थापन तथा राहत कार्यों हेतु रखी गई 1.92 करोड़ रू0 की निधियों का दुरूपयोग किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जून 2007 में सरकार को सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

---

30 चम्बा: 56.57 लाख रू0; किन्नौर: 40.53 लाख रू0; शिमला: 57.58 लाख रू0 तथा सोलन: 37.22 लाख रू0

31 शिमला: 21 लाख रू0 तथा सोलन: 23.73 लाख रू0

32 चम्बा: 13 निर्माण कार्यों पर 17.56 लाख रू0; किन्नौर: 15 निर्माण कार्यों पर 11.74 लाख रू0 तथा सोलन: 8 निर्माण कार्यों पर 6.04 लाख रू0

33 चम्बा: 16 निर्माण कार्यों पर 27.23 लाख रू0; किन्नौर: 31 निर्माण कार्यों पर 28.39 लाख रू0 तथा सोलन: 5 निर्माण कार्यों पर 2.38 लाख रू0

34 चम्बा: तीन निर्माण कार्यों पर 11.78 लाख रू0; किन्नौर: एक कार्य पर 0.40 लाख रू0; शिमला: 35 निर्माण कार्यों पर 36.58 लाख रू0 तथा सोलन: चार निर्माण कार्यों पर 5.07 लाख रू0

नियामक मामले एवं अन्य बातें

लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

4.28 बजट के व्यपगमन से बचने के लिए निधियों का अनियमित आहरण

कार्यों को प्रदान/निष्पादन किए बिना 19.28 करोड़ रू0 अनियमित रूप से अंतिम शीर्ष को आहरित/बुक किए गए।

राज्य वित्तीय नियमावली में प्रावधान है कि धन का कोषागार से आहरण नहीं किया जाना चाहिए बशर्ते कि यह शीघ्र संवितरण हेतु अपेक्षित हो। कार्यों के निष्पादन हेतु जिनकी पूर्णता में पर्याप्त समय लगने की सम्भावना है कोषागार से अग्रिमों के आहरण करने की अनुमति नहीं है।

10 मण्डलों (लोक निर्माण: सात मण्डल[35]) तथा (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य: तीन मण्डल[36]) के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (मई 2006-मार्च 2007) कि सम्बद्ध अधीक्षण अभियंताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के अंत में 19.28 करोड़ रू0 (लोक निर्माण: 13.47 करोड़ रू0 तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य: 5.81 करोड़ रू0) साख पत्र द्वारा इन निदेशों के साथ निस्तारित किए कि वर्ष की समाप्ति पर निधियों के व्यपगमन से बचने के लिए राशियों का आहरण किया जाए तथा अल्पकालिक शीर्ष "लोक निर्माण जमा" के अंतर्गत रखा जाए। इन निधियों को विभिन्न सड़कों, भवनों, जलापूर्ति, सिंचाई एवं मल-निकास स्कीमों के निर्माण हेतु संस्वीकृत किया गया था (मार्च 2006)। तद्नुसार, अधिशासी अभियंताओं ने मार्च 2006 की समाप्ति पर राशियां कार्यों को वास्तव में प्रदान अभवा निष्पादन किए बिना अंतिम लेखा शीर्ष को डेबिट करने के द्वारा आहरित की। मण्डलों ने 10.47 करोड़ रू0 (लोक निर्माण[37]: 4.66 करोड़ रू0 तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य[38]: 5.81 करोड़ रू0) की राशि को जमा शीर्ष के अंतर्गत रखा तथा तीन मण्डलों[39] ने 8.81 करोड़ रू0 की शेष राशि को उसी समय छ: अन्य मण्डलों[40] को अंतरित किया जिन्होंने भी इसे उसी जमा शीर्ष के अंतर्गत रखा। इसके फलस्वरूप एक ओर बजट आवंटन का अनियमित आहरण/बुकिंग हुई तथा दूसरी ओर वर्ष के लिए लेखाओं में निर्माण कार्य व्यय का गलत चित्रण हुआ। इसके अतिरिक्त, इसके फलस्वरूप निमयों के विपरीत धन को सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर भी रखा गया।

सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया (मई 2006-मार्च 2007)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

---

35 बंगाणा, बिलासपुर-I, डलहौजी, कांगड़ा, कुल्लू- II, मण्डी- II तथा शिमला- I

36 अर्की, सुन्नी तथा मल निकास उपचारित संयंत्र मण्डल, शिमला

37 बंगाणा (1.70 करोड़ रू0), बिलासपुर-। (1.38 करोड़ रू0), डलहौजी (0.47 करोड़ रू0) तथा कांगड़ा (1.11 करोड़ रू0)

38 सुन्नी (3.33 करोड़ रू0), अर्की (2.03 करोड़ रू0) तथा मल निकास उपचारित संयंत्र निर्माण मण्डल, शिमला (0.45 करोड़ रू0)

39 कुल्लू- I I (0.81 करोड़ रू0), मण्डी-।। (7.61 करोड़ रू0) तथा शिमला-। (0.39 करोड़ रू0),

40 करसोग (0.99 करोड़ रू0), कुल्लू- I (0.81 करोड़ रू0), मण्डी- I (2.94 करोड़ रू0), सरकाघाट (2.02 करोड़ रू0), शिमला- I I (0.39 करोड़ रू0) तथा सुन्दरनगर (1.66 करोड़ रू0)

पशुपालन विभाग

4.29 दूध की बिक्री में हानि

लागत मूल्य से कम में दूध की बिक्री के परिणामस्वरूप 75.27 लाख रू0 की हानि

➢ हिमाचल प्रदेश सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ सीमित (मिल्कफैड) ने मदर डेरी, दिल्ली (एमडीडी) के साथ अतिरिक्त दूध को बेचने के लिए एक अनुबन्ध किया (दिसम्बर 2002)। जिसमें मदर डेरी, दिल्ली (एमडीडी) द्वारा समय-समय पर अन्य दुग्ध संघों के लिए निर्धारित की गई दरों के आधार पर दूध की किस्म व गुणवत्ता; सपुर्दगी की तिथि; दूध की वसा एवं एसएनएफ[41] तत्वों और तापमान के आधार पर दरें निर्धारित की गई।

दुग्ध उत्पादकों से एकत्रित किए गए दूध की प्रापण लागत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है जबकि एमडीडी को मिल्कफैड द्वारा दूध का बिक्री मूल्य एमडीडी द्वारा निर्धारित की गई दरों पर निर्भर करता है।

अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (जनवरी 2007) कि मिल्कफैड ने उत्पादकों से 9.22 रू0 एवं 12.86 रू0 प्रति लीटर के मध्य की भिन्न-भिन्न दरों पर दूध का प्रापण किया तथा इसे 8.97 रू0 एवं 12.20 रू0 प्रतिलीटर के मध्य की क्रय दरों की तुलना में कम दरों पर सिवाय 2006-07 के दौरान जब दूध की बिक्री दर क्रय दर की तुलना से अधिक थी, एमडीडी को बेचा। इसके परिणामस्वरूप 2002-2006 तथा अप्रैल-मई 2007 के दौरान मिल्कफैड को 75.27 लाख रू0 की हानि हुई।

प्रबन्ध निदेशक मिल्कफैड ने बताया (मई 2007) कि उनका मुख्य उद्देश्य सभी दुग्ध उत्पादकों को उनके अतिरिक्त दूध के लिए घर द्वार पर पारिश्रमिक विपणन प्रदान कराना है इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि प्राप्त किए गए दूध की समग्र मात्रा स्थानीय रूप से राज्य में बेची जाती है अथवा नहीं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमडीडी को इसे कम दरों पर बेचने से पहले मिल्कफैड को अतिरिक्त दूध को दुग्ध उत्पादों जैसे कि घी, मक्खन आदि में परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया पर पहले विचार करना चाहिए था जो राज्य में डेरी उद्योग की वृद्धि हेतु सहायक था जैसाकि मिल्कफैड के लक्ष्यों में परिकल्पित था।

➢ दुग्ध संयंत्र की प्रतिस्थापित क्षमता की न्यून उपयोगिता तथा दुग्ध उत्पादों के उत्पादन हेतु लक्ष्यों की अनुपलब्धता के बारे में 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) के परिच्छेद 3.5 में उल्लेख किया गया था।

2005-07 हेतु मिल्कफैड द्वारा आपूरित की गई सूचना (सितम्बर 2007) के अनुसार यह पाया गया कि घी के सम्बन्ध में लक्ष्यों में 2003-04 में 1,00,000 किलोग्राम से 2005-06 में 37,890 किलोग्राम तक की कमी आ गई थी तथा 2006-07 में 43,740 किलोग्राम तक की गुंजाइशी वृद्धि हुई। मक्खन निर्माण में लक्ष्य 2003-04 में 11,000 किलोग्राम से 2005-07 में 8,410 किलोग्राम तक घट गए थे। 2005-07 के दौरान आइसक्रीम तथा मृदु स्वादिष्ट दूध के निर्माण हेतु कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करने/निर्धारण न करने के लिए अभिलेखों में कोई भी आधार नहीं पाया गया।

इस प्रकार मिल्कफैड अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त दुग्ध को दुग्ध उत्पादों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में विफल रहा तथा उसने प्रापण की गई दरों की तुलना में कम दरों पर अतिरिक्त दूध एमडीडी को बेचने के लिए प्राथमिकता दी। इसके फलस्वरूप न केवल 75.27 लाख रू0 की हानि हुई बल्कि मिल्कफैड के लक्ष्यों की भी प्राप्ति नहीं हुई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

---

41 घना वसा नहीं (सॉलिड नॉट फैट)

शिक्षा विभाग

4.30 विवेकहीन व्यय

बिना किसी कार्य के स्टॉफ के विवेकहीन अवरोधन के फलस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर 20.35 लाख रू0 का अनियमित भुगतान।

पूर्ण साक्षरता अभियान सोलन जिले से 1993 में आरम्भ किया गया था। परियोजना अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा, सोलन के स्टॉफ को जिला साक्षरता समिति, सोलन के साथ सम्बद्ध किया गया था तथा उपायुक्त, सोलन के नियंत्रणाधीन रखा गया था। पूर्ण साक्षरता अभियान के पश्चात राज्य में साक्षरोत्तर अभियान मार्च 1995 में आरम्भ किया गया। कार्यक्रम का निधियन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना था।

परियोजना अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा, सोलन के अभिलेखों की (जनवरी 2006) नमूना-जांच से पाया गया कि मार्च 1998 में पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित साक्षरोत्तर अभियान को मार्च 2003 तक जारी रखा गया था। साक्षरोत्तर अभियान के कार्यकलापों के पूर्ण होने के पश्चात भी स्टॉफ (अधीक्षक, लिपिक एवं चपरासी) को बिना कार्य के लगाए रखने की अनुमति दी गई। इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2006) स्टॉफ को अन्य कार्यालयों को स्थानांतरित कर दिया गया (जुलाई-सितम्बर 2006)। स्वीकृत अवधि से आगे परियोजना के कार्यकलापों को जारी रखने तथा फिर कार्य के बिना स्टॉफ के अवरोधन के फलस्वरूप उनके वेतन एवं भत्तों पर 26.50 लाख रू0 (2006 तक) का अनियमित/विवेकहीन व्यय हुआ। भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2003 से सितम्बर 2006 तक स्टॉफ के वेतन पर अनियमित रूप से किए गए 20.35 लाख रू0 के अतिरिक्त व्यय के सिवाय मार्च 2003 तक परियोजना पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की।

उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, सोलन ने बताया (मई 2006) कि परियोजना कार्यकलापों को बंद करने के उपरान्त स्टॉफ को लेखाओं के समाधान, साक्षरता दिवस के आयोजन, विश्व साक्षरता दिवस, पल्स पोलियो एवं विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रमों पर नियुक्त किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मार्च 2003 से आगे साक्षरोत्तर अभियान से असम्बद्ध कार्यकलापों पर कार्य के बिना स्टॉफ की नियुक्ति के परिणामस्वरूप 20.35 लाख रू0 के अनियमित वेतन एवं भत्तों के भुगतान से समाविष्ट अविवेकपूर्ण स्टॉफ का अवरोधन हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

वन कृषि एवं संरक्षण विभाग

4.31 घटिया विनिर्दिष्ट तार क्रेट कार्यों का निष्पादन

तार क्रेट कार्यों हेतु अनुमोदित मानकों का पालन न करने के परिणामस्वरूप 87.08 लाख रू0 लागत के घटिया विनिर्दिष्ट तार कार्यों का निष्पादन हुआ।

राज्य तकनीकी सलाहकार समिति[42] ने निर्णय किया (जून 2000) कि सभी तार क्रेट कार्यों में 15 सैं0मी0X15 सैं0मी0 जाली की मानक तार माप-6 गेज के अनुरूप 5 मि0मी0 जस्तायुक्त लोहे के तार क्रेटों का उपयोग किया जाए चाहे यह तटबन्ध हो अथवा एप्रेन हो। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश दर सूची के अनुसार 15सैं0मी0X15 सैं0मी0 आकार की एक वर्गमीटर क्रेट जाली को तैयार करने पर 5 मि0मी0 मोटी जस्तायुक्त 3.35 कि0ग्रा0 तार की खपत की जानी थी।

मण्डलीय जलविभाजक विकास अधिकारी, सोलन जिनके पास एकीकृत जलविभाजक विकास परियोजना (कण्डी परियोजना), परवाणू का प्रभार था, के अभिलेखों की नमूना-जांच (जून 2006) से पाया गया कि अनुमोदित 5मी.मी. मोटाई के प्रति 2002-03 तथा 2004-05 के दौरान 8.83 लाख रू0 मूल्य की 4 से 4.06 मि0मी0 जस्तायुक्त 37.75 मीट्रिक टन तार का उपयोग करते हुए जल विभाजक क्षेत्र में 8,832.69 घनमीटर क्रेट कार्य

42 सिंचाई एवं जन सवास्थ्य विभाग के प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में

विभागीय रूप से निष्पादित किया गया। इस प्रकार 61.93 लाख रू0 की लागत पर निष्पादित किया गया समस्त क्रेट कार्य घटिया विनिर्देशन का था तथा इससे तार क्रेट संरचना की दृढ़ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

➢ मण्डलीय जल विभाजक विकास अधिकारी, सोलन ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए (जून 2006) बताया (मई 2007) कि कार्यस्थल की स्थिति तथा विभाग के तकनीकी स्टॉफ द्वारा किये गये निरीक्षण के दृष्टिगत कम मोटाई की तार की दृढ़ता पर्याप्त पाई गई। कथन मान्य नहीं है क्योंकि यह राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के विपरीत था जिसने समस्त तार क्रेट कार्यों के निष्पादन हेतु केवल 5मिमी. मोटाई युक्त जस्तायुक्त लोहे की तार क्रेट को उपायेग करने की सिफारिश की थी।

➢ हिमाचल प्रदेश मध्यवर्ती हिमालयन जलविभाजक विकास परियोजना के चार मण्डलों[43] के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (जून 2006-अगस्त 2006) कि 25.15 लाख रू0 की लागत पर 8512.74 वर्गमीटर माप युक्त 32 तारक्रेट कार्यों का निष्पादन किया गया (मार्च 2006)। इस लागत में शिलाखण्डों हेतु 20सै0मी0 X20सैं0मी0 की 5 मि0मी0 जस्तायुक्त तार जाली की 18.134 मीट्रिक टन की लागत के रूप में 6.82 लाख रू0 सम्मिलित थे। निर्धारित मानकों के अनुसार, 8512.74 वर्गमीटर क्रेट कार्य के लिए 28.518 मीट्रिक टन[44] 5 मि0मी0 जस्तायुक्त लोहे की तार अपेक्षित थी। तथापि, मण्डल ने 10.384 मीट्रिक टन जस्तायुक्त लोहे की तार का अल्प उपयोग किया जिसे अपेक्षित आकार 15 सैं0मी0 X 15 सैं0मी0 की तुलना में 20 सै0मी0 X 20 सै0मी0 चौड़े आकार की जाली होने का कारण बताया गया। इसके परिणामस्वरूप 25.15 लाख रू0 लागत के घटिया विनिर्दिष्ट कार्य का निष्पादन हुआ।

मण्डलीय जल विभाजक विकास अधिकारियों, ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2006-अगस्त 2006) तथा चौड़े आकार की जाली के उपयोग के लिए बड़े आकार के शिलाखण्डों की उपलब्धता बताया। मण्डलीय जल विभाजक विकास अधिकारियों का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के अनुदेशों के विपरीत था। इसके अतिरिक्त, बड़े आकार के शिलाखण्डों को दृढ़ता से पकड़ने के लिए 15 सैं0मी0X15 सैं0मी0 आकार की अधिक दृढ़ता वाली जाली की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.32 डॉक्टरों द्वारा सामान्य पूल आवास में अनाधिकृत रूप से रहना

विभाग द्वारा आवंटन हेतु सरकारी आवासीय (सामान्य पूल) नियमों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप डॉक्टर अनधिकृत रूप से क्वार्टरों में रहे तथा 21.19 लाख रू0 के क्षति प्रभारों का संचय हुआ।

नियमों के अनुसार, सामान्य पूल आवास में अनधिकृत रूप से रहने पर 12 रू0 प्रति वर्गफुट प्रतिमास की दर से क्षति प्रभार लगाए जाते हैं।

कार्यालय प्रधानाचार्य, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ (अप्रैल 2007) कि इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला के आठ डॉक्टर डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टांडा (जिला कांगड़ा) को स्थानांतरित किए गए थे (फरवरी 2004 से जून 2006)। इन डॉक्टरों का स्थानांतरण राज्य सरकार की विद्यमान स्थानांतरण नीति जो कि इन मामलों में 7 अगस्त 2004 से लागू होनी थी, के अन्तर्गत शासित की गई। क्रमानुसार इन डॉक्टरों को स्थानांतरण होने की तिथि से दो महीनों के भीतर या स्थानांतरण की नीति प्रभावी होने की तिथि, जो भी बाद हो, से सामान्य पूल आवास को खाली करना अपेक्षित था। तथापि, जैसा कि अपेक्षित था, न तो डॉक्टरों ने शिमला में आवंटित आवासों को खाली किया और

---

43 चवाड़ी स्थित भटियात (चम्बा जिला), नुरपुर स्थित डहर (कांगड़ा जिला), मण्डी (मण्डी जिला) तथा नाहन (सिरमौर जिला)

44 8512.74 वर्गमीटर x 3.35 किलोग्राम = 28.518 मिट्रिक टन

न ही अनधिकृत रूप से रहने हेतु क्षति प्रभारों का भुगतान किया। जैसा कि एचपीएजीआरआर प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित है, डाक्टरों ने 21.19 लाख रू0 के क्षति प्रभारों को भुगतान किये बिना मार्च 2007 तक आठ से 29 महीनों की अवधि के मध्य अनधिकृत रूप से आवास को धारण किया था।,

प्रधानाचार्य, आईजीएम सी शिमला ने बताया कि (अप्रैल 2007) वास्तविक स्थिति अभिलेखों से निश्चित की जा रही है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आईजीएमसी के प्रधानाचार्य-एवं-अध्यक्ष आवास आवंटन समिति को प्रधान सचिव (स्वास्थ्य ने पहले) निदेश दिए (अक्तूबर 2006) थे कि अनधिकृत रूप से रहने पर क्षति प्रभारों को वसूल किया जाए परन्तु उपरोक्त की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मई 2007 में सरकार को संदर्भित किया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

गृह विभाग

4.33 अवकाश वेतन तथा पैंशन अंशदान की वसूली न करना

वाणिज्यिक संगठनों से अवकाश वेतन तथा पैंशन अंशदान हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई का अनुसरण न करने के परिणामस्वरूप 14.63 करोड़ रू0 की अवसूली हुई।

पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि (दिसम्बर 2006) अप्रैल 1996 से जून 2007 तक भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड (बीबीएमबी) के प्रति उन्हें विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गए पुलिस बल के प्रति अवकाश वेतन तथा पैंशन अंशदान के रूप में 9.03 करोड़ रू0 संचित हुए।

विभाग ने भू-राजस्व बकाया के रूप में राशि की वसूली हेतु पुलिस अधिनियम 1861 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला दण्डाधिकारी के पास आवेदन पत्र दिया (2000-2001) तथापि, कार्यवाही को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस शर्त पर रोक दिया (2002) कि 31 मार्च 2002 को सम्मिलित की गई राशि का 50 प्रतिशत राशि को बीबीएमबी द्वारा जमा करवाया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश जारी किए गए कि प्रतिवादी को (हिमाचल प्रदेश राज्य आदि) इस जमा की गई राशि के आहरण हेतु आवेदन फाईल करने की छूट है। उच्च न्यायलय द्वारा एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के जज को समाधान कर्ता के रूप में नियुक्त (मई 2003) किया। समाधान-कर्ता ने समझौते की कार्यवाही को इस आधार पर बरखास्त कर दिया (अक्तूबर 2004) कि राज्य सरकार समझौते हेतु रूचि नहीं लेती थी। विभाग के पास कोई सूचना (दिसम्बर 2006) नहीं थी की बीबीएमबी द्वारा न्यालय में कोई राशि जमा करवाई थी। इस सम्बन्ध में आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी तथा 9.03 करोड़ रू0 अभी वसूल किए जाने थे (जून 2007)।

इसी प्रकार 1990-1991 से 2006-2007 के दौरान विभागों/लोक क्षेत्र उपक्रमों[45] के प्रति इन संगठनों को उपलब्ध करवाये गये पुलिस बलों के अवकाश वेतन तथा पैंशन अंशदानों सम्बन्धी 5.60 करोड़ रू0 की राशि लम्बित थी। विभाग द्वारा पर्यटन एवं नागरिक विमानन विभाग, रेलवे, नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम, आदि से राशि को वसूल करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस प्रकार राज्य सरकार के मामले को प्रभावकारी रूप से अनुपालना कराने में निरूत्साहित दृष्टिकोण के कारण वाणिज्यिक संगठनों से 14.63 करोड़ रू0 की राशि की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

---

45 राज्य पर्यटन एवं नागरिक विमानन: (1990-91 से जून 2007: 1.01 करोड़ रू0); रेलवे: (1992 से जून 2007: 1.23 करोड़ रू0); यमुना हाईडल परियोजना: (1997 से जून 2007: 0.65 करोड़ रू0); नाथपा झाकड़ी जल विद्युत निगम (एसजेवीएनएल): (1999 से जून 2007: 1.62 करोड़ रू0); पीएसईबी: (2000-2001: 0.60 करोड़ रू0); एआईआर, शिमला तथा धर्मशाला: (2006-2007: 0.10 करोड़ रू0); बैंक: (2006-2007: 0.35 करोड़ रू0) तथा आईबी: (2006-2007: 0.04 करोड़ रू0)

आवास एवं शहरी विकास विभाग

4.34 जलापूर्ति में हानि

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का सेवा लागत पर आधारित पानी के प्रभारों को निर्धारित करने में विफलता के फलस्वरूप 1.73 करोड़ रू0 की हानि हुई।

1,886 घरेलू तथा 416 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) परवाणू नगर क्षेत्र में जलापूर्ति स्कीम का अनुरक्षण करता है। घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए भिन्न दरों पर वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर जल उपभोग दरें उपभोक्ताओं से प्रभारित की जाती है। हिमुडा द्वारा जुलाई 2001 में निर्धारित की गई दरों पर पानी की आपूर्ति की जाती है।

हिमुडा के अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 2006) से पाया गया कि हिमुडा द्वारा 2001-07 के दौरान 6.72 करोड़ रू0 का व्यय अपने अधिकार क्षेत्र में निवासियों तथा वाणिज्यिक इकाइयों को जलापूर्ति पर किया गया जिसके प्रति 4.99 करोड़ रू0 की राशि का उदग्रहण किया गया।

जलापूर्ति पर व्यय वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता गया परन्तु राजस्व का उदग्रहण उस सीमा तक नहीं बढ़ा। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि व्यय की प्रवृति के दृष्टिगत जुलाई 2001 से हिमुडा द्वारा पानी की दरों का संशोधन न करने के कारण हानि हुई। सेवाओं के प्रावधान में वास्तविक लागत वृद्धि पर आधारित समय-समय पर पानी की दरों का संशोधन न करने के फलस्वरूप हिमुडा को 1.73 करोड़ रू0 की हानि हुई।

अधिशासी अभियन्ता, हिमुडा तथ्यों की पुष्टि करते समय (मई-जुलाई 2007) में बताया कि जलापूर्ति स्कीम जनहित में हिमुडा द्वारा अनुरक्षित की जा रही थी तथा 2001 से पानी की दरों का संशोधन न करने के कारण हानि हुई तथा हिमुडा का सक्षम प्राधिकारी व्यय/प्राप्ति आधार पर दरों का संशोधन करता है जब प्राधिकरण द्वारा यह वांछित होता है। अधिशासी अभियंता, हिमुडा का उत्तर यह पुष्टि करता है कि हिमुडा पानी की दरों का संशोधन न करने के लिए समय पर कार्रवाई करने तथा संगठन को हानि से बचाने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

योजना विभाग

4.35 अनियमित व्यय

उपायुक्त, शिमला द्वारा भी सत्य साईं न्यास को 3.10 करोड़ रू0 जारी करना विकास में जन सहयोग स्कीम एवं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम हेतु सरकारी नीति एवं दिशानिदेशों के विपरीत था।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया (अगस्त 2003) कि राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

उपायुक्त, शिमला के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया (मार्च 2007) कि राज्य सरकार ने शिमला आधारित श्री सत्य सांई न्यास को विद्यालय हेतु खेल का मैदान, भवन, सम्पर्क सड़कें, आदि का निर्माण करने के लिए अभिकल्प एवं आकलन के बिना 3 करोड़ रू0 (मार्च 2005) तथा सितम्बर 2006 प्रत्येक में 1.5 करोड़ रू0 संस्वीकृत किये। संस्वीकृत निम्नवत कारणों के कारण अनियमित थी:

- 3 करोड़ रू0 जारी किये गये यद्यपि अगस्त 2003 के अनुदेशों के अनुसार गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जानी थी।

- संस्थान किसी शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त नहीं है जैसा कि विकास में जन सहयोग के अंतर्गत अपेक्षित था।
- भूमि जिस पर निर्माण किया जा रहा था का स्वामित्व सरकार के नाम में अंतरित नहीं किया गया था जैसाकि स्कीम के अंतर्गत अपेक्षित था।
- श्री सत्य साईं न्यास ने पहले भी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत सितम्बर 2002 (पांच लाख रू0) तथा जुलाई 2003 (पांच लाख रू0) के दौरान 10 लाख रू0 की वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। इसलिए 3 करोड़ रू0 की अतिरिक्त निधियों का जारी किया जाना अनुमत नहीं है। संसद सदस्य स्थाननीय क्षेत्र विकास स्कीम के कार्यान्वयन हेतु दिशानिदेशों के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त परन्तु मान्यता प्राप्त संस्थाओं को इस स्कीम के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराई जा सकती है बशर्ते कि संस्थान कम से कम की दो वर्षों की अवधि हेतु मौजूद था। 10 लाख रू0 राशि की निधियां श्री सत्य साई न्यास को कमरे एवं लायब्रेरी भवन के निर्माण हेतु संस्वीकृत की गई थी यद्यपि संस्थान विगत दो वर्षों से मौजूद नहीं था जैसा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत अपेक्षित था।

उपायुक्त ने बताया (फरवरी 2007) कि निधियां सरकार के स्तर पर संस्वीकृत की गई थी तथा श्री सत्य साई न्यास ने निर्माण पूर्ण होने के पश्चात शर्तों के पूर्ण होने के लिए आश्वासन दिया था। उपायुक्त का उत्तर इस बात की पुष्टि करता था कि श्री सत्य साई न्यास को 3.10 करोड़ रू0 विकास में जन सहयोग तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमों के प्रावधानों पूर्ण अनदेशी करके जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

ग्रामीण विकास विभाग

4.36 अस्वीकार्य कार्यों पर अनियमित व्यय

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दिशानिदेशों के प्रावधानों का पालन न करने के फलस्वरूप 54.28 लाख रू0 का अपवर्तन तथा दुरूपयोग हुआ।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिदेशों में प्रावधान है कि वार्षिक कार्ययोजना बनाते समय भूमि एवं नमी संरक्षण, लघु सिंचाई, पेयजल संसाधनों, के नवीकरण आदि को प्राथमिकता दी जाएगी जो जलविभाजक विकास के लिए आवश्यक है। प्रथम चरण की सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत अन्य प्राथमिकता कार्यों में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों, कृषि खेतों को जोड़ने वाली फार्म सड़कों, जल निकास कार्यों तथा वनीकरण के निर्माण कार्य सम्मिलित है जिनसे स्थाई सामाजिक-आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन होता है। मार्गों का निर्माण इस स्कीम के अंतर्गत आवृत्त नहीं था।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत सकल संसाधनों का 50 प्रतिशत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला परिशद द्वारा उपरोक्त प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किया जाना है। शेष पचास प्रतिशत दूसरे चरण के लिए चिन्हित किया गया है तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला परिषद द्वारा सीधे रूप से ग्राम पंचायतों के मध्य आवंटित किया जाना है जिसे ग्राम पंचायतों में कृषि कार्यकलापों की मदद हेतु अपेक्षित अवसंरचना तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक सामुदायिक परिसम्मत्तियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ऊना के अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 2007) से पाया गया कि 2005-06 के दौरान परियोजना अधिकारी, ऊना ने जिला परिषद तथा पंचायत समितियों के माध्यम से 168 ग्रामीण मार्ग कार्यों के निष्पादन हेतु अनियमित रूप से 54.28 लाख रू0 स्वीकृत किये। इनमें से 144 कार्य 47.33 लाख रू0 की लागत पर पूर्ण किये गये। शेष 24 कार्य मई 2007 तक प्रगति पर थे।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ऊना ने बताया (मार्च 2007) कि ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियां बिखरी हुई थी तथा ग्रामीण सम्पर्क अथवा फार्म सड़कों का निर्माण करना कठिन था तथा इन कार्यों को

ग्रामीण रोजगार पैदा करने के लिए आरम्भ किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह निधियों के अपवर्तन एवं दुरूपयोग के समान है। इसके अतिरिक्त स्कीम के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला परिषद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंयायतों के लिए चिन्हित की गई 50 प्रतिशत निधियों में से गांव के मार्गों से सम्बन्धित कार्य को आरम्भ किया जा सकता था। लेखापरीक्षा छानबीन में 11 ग्राम पंयायतों में यह पाया गया कि ग्राम पंयायतों द्वारा 2005-06 के दौरान दूसरे चरण के अंतर्गत 22 गांवों के मार्गों का निर्माण किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत गांव के मार्गों का निष्पादन करने के फलस्वरूप अस्वीकार्य कार्यों पर 54.28 लाख रू0 का अनियमित व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

4.37 परियोजना का अनियमित कार्यान्वयन

35.71 लाख रू0 की संग्रह निधि का अनियमित सृजन तथा सोसायटी को परियोजना का अनुचित अंतरण

भारत सरकार ने सोलन जिले के लिए 7.15 करोड़ रू0 हेतु चार वर्षों में पूर्ण किये जाने के लिए दुधारू पशुधन सुधार परियोजना संस्वीकृत की (नवम्बर 2001)। परियोजना का निधियन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सोलन के माध्यम से 75:25 के अनुपात में संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाना था। इसके अतिरिक्त 1.72 करोड़ रू0 का अंशदान परियोजना के लाभार्थियों द्वारा संग्रह निधि के लिए किया जाना था तथा प्राप्त किये गये ब्याज को परियोजना के भविष्य में पुष्टि हेतु उपयोग में लाया जाना था। परियोजना के कार्यकलापों में विस्तार एवं प्रशिक्षण, प्रजनन क्षमता एवं सुधार, उत्पत्तिमूलक सुधार, चारा उत्पादन सुधार, दुधारू पंशुधन प्रबन्धन, युवा स्टॉक का पालन करना एवं विपणन, आदि सम्मिलित था। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सोलन को 2.15 करोड़ रू0 जारी किये (नवम्बर 2001) तथा राज्य सरकार ने भी 71.51 लाख रू0 जारी किये (अप्रैल 2002)।

अभिलेखों की नमूना-जांच (नवम्बर 2006) तथा प्राप्त की गई आगामी सूचना से पाया गया (सितम्बर 2007) कि:

- राज्य सरकार द्वारा परियोजना की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई (सितम्बर 2004) क्योंकि कार्य आरम्भ करने में एक वर्ष का विलम्ब था तथा सितम्बर 2004 तक परियोजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा केवल 40 प्रतिशत निधियां ही जारी की जा सकी।
- भारत सरकार का अनुमोदन लिए बिना परियोजना को दुधारू पशुधन सुधार सोसायटी (सोसायटी) को अंतरित किया गया (मार्च 2005)। राज्य सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन तथा इसके आगामी रखरखाव की पुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए सोसायटी को प्राधिकृत किया।
- तथापि, परियोजना के अनुश्रवण का कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सोलन को सौंपा गया जिसका परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया था। सोसायटी ने अप्रैल 2005 से जून 2007 तक परियोजना पर 122.91 लाख रू0 व्यय किये।

यह भी पाया गया कि परियोजना के सोसायटी को अंतरण के पश्चात भी परियोजना को पूर्ण नहीं किया जा सका तथा शेष निधियों को भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त नहीं किया जा सका यद्यपि परियोजना को सोसायटी को अंतरण के पश्चात दो वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो चुका था।

वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां उन दोनों के प्रति जब यह मार्च 2005 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अंतर्गत था तथा उसके पश्चात जब यह जून 2007 तक सोसायटी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था को नीचे विचेचित किया गया है:

- विस्तार एवं प्रशिक्षण संघटक के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धताओं में कमी मार्च 2005 तक 64 प्रतिशत तथा जून 2007 तक 47 प्रतिशत थी।
- "युवा स्टॉक पालन प्रबन्धन" संघटक के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धियों में कमी मार्च 2005 तक 85 प्रतिशत तथा जून 2007 तक 83 प्रतिशत थी।

➢ "विपणन" संघटक के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धियों में मार्च 2005 तक 90 प्रतिशत तथा जून 2007 तक 67 प्रतिशत की कमी थी।

➢ "विस्तार एवं प्रशिक्षण" संघटक के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियों में मार्च 2005 तक 96 प्रतिशत तथा जून 2007 तक ये 95 प्रतिशत थी।

➢ "युवा स्टॉक पालन एवं सुधार" संघटक के अंतर्गत कमियां मार्च 2005 तक 87 प्रतिशत तथा जून 2007 तक ये कमियां 76 प्रतिशत थी।

➢ "उत्पत्तिमूलक सुधार" संघटक के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियों में कमी मार्च 2005 तक 69 प्रतिशत तथा जून 2007 तक 68 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, सोसायटी को अंतरण करने के पश्चात भी परियोजना के कार्यान्वयन में बहुत अधिक सुधार नहीं था। निम्नवत मामलों में भी वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियों को कोई सह-सम्बन्ध नहीं था:

तालिका: 4.1

(प्रतिशत में)

संघटक	उपलब्धि	
	वास्तविक	वित्तीय
विस्तार एवं प्रशिक्षण	5	53
चारा उत्पादन में सुधार	136	45
दुधारू पशुधन प्रबन्धन	91	48

नमूना-जांच से आगे पाया गया कि लाभार्थियों से उन्हें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दिये गये चारे की बिक्री, चारा, बीज, पोषाहार, खनिज के चटोरों, आदि के कारण वसूल की गई उपदान लागत में से नियमित रूप से संग्रहण निधि का सृजन किया जा रहा था। वास्तव में, इस राशि को संग्रहण निधि के बजाय परियोजना लेखे में जमा कराना चाहिए था। क्योंकि संग्रहण निधि के सृजन हेतु लाभार्थियों से पृथक अंशदान वसूल नहीं किया गया था, संग्रहण निधि को वास्विक रूप से परियोजना निधि से सृजित किया गया था1 35.71 लाख रू0 की राशि बैंक में संग्रहण निधि में पड़ी हुई थी (नवम्बर 2006)।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सोलन ने बताया (नवम्बर 2006) कि परियोजना कार्यकलापों के अनुपूरक के रूप में लाभार्थियों से श्रम तथा सामग्री के रूप में 1.72 करोड़ रू0 का अप्रत्यक्ष अंशदान दिया जाना था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने परियोजना निधि की पहली किश्त जारी करते समय (नवम्बर 2001) स्पष्ट रूप से कहा था कि परियोजना की भविष्य की पुष्टि के लिए 1.72 करोड़ रू0 की संग्रहण निधि लाभार्थियों का अंशदान होगा तथा परियोजना के वित्तीय कार्यान्वयन का भाग नहीं होगा।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सोलन द्वारा परियोजना के अनुचित कार्यान्वयन तथा राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण करने के फलस्वरूप सोसायटी को परियोजना का अनियमित अंतरण, संग्रहण निधि को 35.71 लाख रू0 का अनियमित अपवर्तन तथा भारत सरकार द्वारा 1.61 करोड़ रू0 की अगली किश्त जारी नहीं हुई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2007 में सरकार को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

सामान्य

विविध विभाग

4.38 दायित्व का अपक्षय

लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अभ्युक्तियों के अपर्याप्त उत्तर के परिव्यय स्वरूप उत्तरदायित्व का अपक्षय रहा

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार लेन-देनों तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन की नमूना-जांच करने के लिए सरकारी विभागों की समय-समय पर

निरीक्षण करने की व्यवस्था करता है। निरीक्षणों का अनुसरण निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने से किया जाता है। जब ध्यान में आई महत्वपूर्ण अनियमितताओं, आदि का समाधान निरीक्षण के दौरान स्थानीय रूप से नहीं किया जाता है तो निरीक्षण प्रतिवेदनों को अगले उच्च प्राधिकारियों को प्रति सहित निरीक्षण किये गये कार्यालय अध्यक्ष को जारी किया जाता है।

कार्यालयाध्यक्ष तथा अगले उच्च प्राधिकारियों से निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अभ्युक्तियों की अनुपालना किए जाने तथा छ: सप्ताह के अन्दर त्रुटियों एवं चूक को ठीक करने तथा अनुपालना को महालेखाकार को सूचित करने की अपेक्षा की जाती है। गम्भीर अनियमितताओं को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) को भेजी गई लम्बित अर्धवार्षिक निरीक्षण टिप्पणियों के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय द्वारा विभागाध्यक्षों के ध्यान में लाया जाता है।

पशुपालन (47 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों), ग्रामीण विकास (107 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों), पर्यटन (06 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों), खाद्य एवं आपूर्ति (31 एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों) तथा सैनिक कल्याण (11 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों) विभागों से सम्बन्धित 1969-70 से दिसम्बर 2006 के दौरान 202 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा करने पर पाया गया कि जून 2007 के अन्त तक 502 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 1,252 परिच्छेद लम्बित पड़े थे। इन में से 235 परिच्छेदों से समाविष्ट 170 निरीक्षण प्रतिवेदन 10 वर्षों के अधिक समय से समायोजित नहीं करवाये गये थे। लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों की वर्षवार स्थिति **परिशिष्ट**-XXI में दी गई है।

यद्यपि जारी किये जाने की तिथि से छ: सप्ताह के भीतर कार्यालयाध्यक्षों से आरम्भिक उत्तर प्राप्त होना अपेक्षित था, ऐसे उत्तर एक निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु पशुपालन विभाग के एक कार्यालय; ग्रामीण विकास विभाग के पांच कार्यालयों के पांच निरीक्षण प्रतिवेदनों; पर्यटन विभाग के तीन कार्यालयों के तीन निरीक्षण प्रतिवेदनों; खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के चार कार्यालयों के चार निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा सैनिक कल्याण के तीन कार्यालयों के तीन निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में जो दिसम्बर 2006 तक जारी की गई के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। इन विभागों के लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई गम्भीर अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा को सूचित नहीं की गई थी जैसाकि **परिशिष्ट- XXII,** विवरणित है ।

पशुपालन, ग्रामीण विकास, पर्यटन, खाद्य एवं आपूर्ति, सैनिक कल्याण विभागों के सम्बन्ध में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से पाया गया कि सम्बद्ध कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने अधिक संख्यक निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तर नहीं भेजे।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार मामले की जांच करें तथा सुनिश्चित करें कि (क) निर्धारित अनुसूची के अनुसार उन पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों के उत्तर भेजने में विफल रहे, (ख) हानियों/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करें तथा (ग) लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के सही उत्तर भेजने को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को कारगर बनायें।

स्थिति सरकार को जून 2007 में सूचित की गई थी। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2007)।

पांचवां अध्याय

आंतरिक नियंत्रण पद्धति

पांचवां अध्याय

आंतरिक नियन्त्रण पद्धति

उद्योग विभाग

5.1 आंतरिक नियन्त्रण पद्धति

मुख्य-मुख्य बातें

आंतरिक नियन्त्रण पद्धति एक अभिन्न प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक संगठन प्रभावशाली रूप से अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपने कार्यकलापों का संचालन करता है। ऐसी पद्धति धोखेबाजियों, त्रुटियों को कम करने, प्रचालन-कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने एवं संस्थापित नीतियों के अनुसार अनुपालना करने तथा अपव्यय, दुरूपयोग व कुप्रबन्ध के कारण होने वाली हानि के प्रति संसाधनों का संरक्षण करने के लिए बनाई गई प्रणालियों व नीतियों से अन्तर्विष्ट है। उद्योग विभाग में (2002-07 के दौरान) आंतरिक नियंत्रण पद्धति के मूल्यांकन से वित्तीय प्रबन्धन पद्धति एवं प्रचालन नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई जैसा कि विभिन्न स्कीमों का बजट तैयार करने, व्यय नियंत्रण करने, ऋणों की वसूली करने तथा कार्यान्वयन करने के क्षेत्रों में नियमों, नियमावलियों तथा सहिताओं की अपुनालना न करने से प्रमाणित हुआ। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है:

- *छः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई (2002-07) 25.04 करोड़ रू0 की स्कीम की निधियों तथा 9.44 करोड़ रू0 राशि की विभागीय प्राप्तियों को प्रत्यक्ष रूप से बैंक/कोषागार में रोकड़बही में बिना प्रविष्टि किए प्रेषित किया गया।*

(परिच्छेद 5.1.8.1)

- *'एम' फार्मों में पद्धति दोष तथा विभाग द्वारा जांच की कमी के कारण संविदाकार ने 4.80 लाख रू0 की रॉयल्टी का अपवंचन किया। संविदाकार ने 'एम' फार्मों में जिनमें मात्रा को शब्दों में लिखे जाने का प्रावधान नहीं था, मात्रा के अन्तर्वेशन द्वारा प्रलेखों को हेरफेर किया तथा सामान को जाली 'एम' फार्म पर परिवहन किया जिन्हें विभाग द्वारा क्रम संख्या नहीं दी गई थी।*

(परिच्छेद 5.1.8.7)

- *अधीक्षण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा संसारपुर टैरेस में अधोसंरचना विकस कार्यों के लिए संस्वीकृत किये गये 4 करोड़ रू0 हेतु गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये यद्यपि वास्तव में राशि का विपथन किया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा अन्य कार्यों पर प्रयुक्त की गई थीं।*

(परिच्छेद 5.1.8.8)

- *भविष्य प्रभावी उद्यमों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं के विकास हेतु भूमि के आबंटन का अनुश्रवण सरकार के स्तर पर नहीं किया। उद्योग विभाग को स्थानांतरित की गई 1415.03 बीघा में से मार्च 2007 तक केवल 42 बीघा (तीन प्रतिशत) भूमि महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, लाहौल एवं स्पिति, शिमला तथा सोलन द्वारा आवंटित की गई थी।*

(परिच्छेद 5.1.9.7)

➢ ***केलांग (लाहौल एवं स्पिति जिला) में अगस्त 2002 में एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 77.10 लाख रू0 की लागत पर सृजित की गई अधोसंरचना औद्योगिक क्षेत्र के चयन एवं विकास हेतु अनुचित योजना के कारण अप्रयुक्त रही।***

परिच्छेद 5.1.9.7 (ii))

5.1.1 परिचय

आंतरिक नियन्त्रण इस बात का समुचित आश्वासन देते हैं कि प्रयोज्य कानूनों, नियमों तथा विनियमों की अनुपालना करते हुए संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति, परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा प्रचालनों का कार्यान्वयन प्रभावशाली रूप से किया जाता है।

उद्योग विभाग के कार्यों में, उद्योग अधिनियम, 1971 की हिमाचल प्रदेश राज्य सहायता के अंतर्गत व्यक्तियों, फर्मों, सहकारी संभाओं अथवा कम्पनियों को ऋणों का संवितरण शामिल है। बीज/मार्जन धन ऋण भी राज्य क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत लघु उद्योगों (काटेज/ग्रामोद्योग) को सहायता प्रदान करने के लिए लघु उद्यमों को दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, रेशम बीज उत्पादन हेतु रेशम उत्पादन कार्याकलाप, औद्योकिक प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, स्कीमों जैसे कि दीन दयाल हथकरधा प्रोत्साहन योजना, बुनकरों के लिए कार्यशाला, प्रधान मंत्री रोजगार योजना तथा खानों, आदि का नियमन एवं विकास का कार्यान्वयन विभाग द्वारा किया जाता है।

5.1.2 संगठनात्मक ढांचा

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

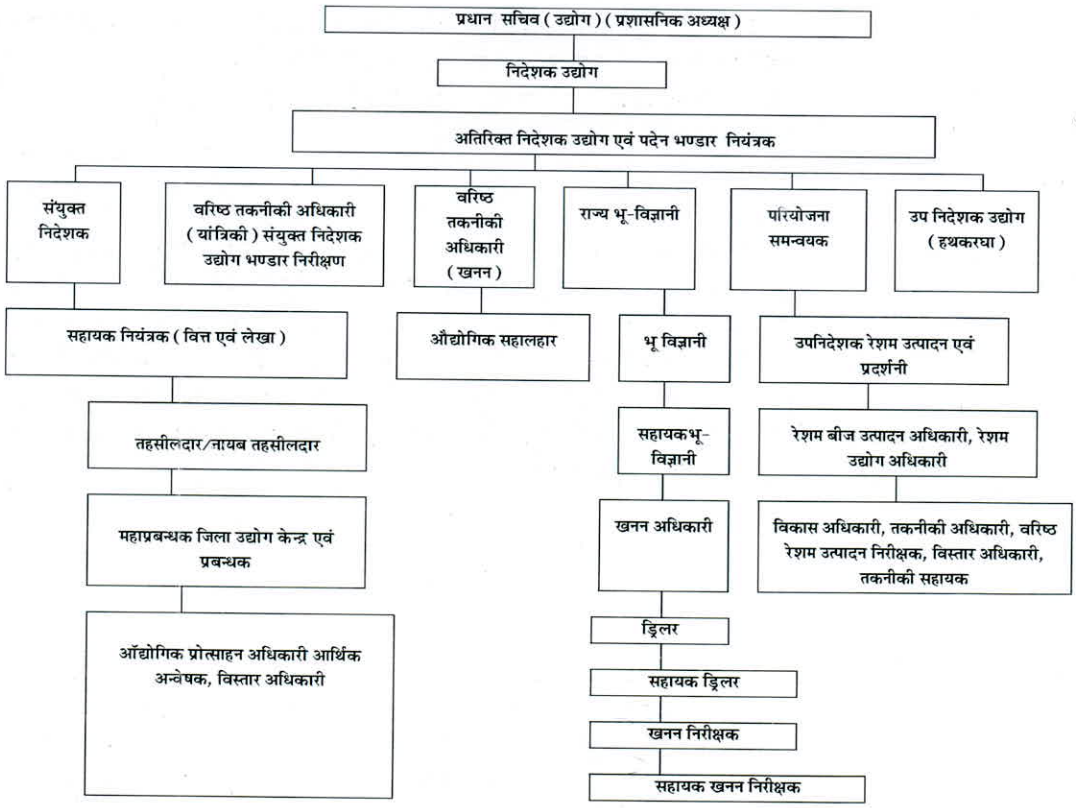

5.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

उद्योग विभाग के आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा यह देखने के लिए की गई कि क्या यह निम्नवत में विभाग के लिए सहायक थी:

- उत्तरदायित्व से सम्बन्धित दायिताओं की पूर्ति;
- सुव्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, कार्यकुशल तथा प्रभावशाली प्रचालन सुनिश्चित करना;
- संगठन द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने में जिन जोखिमों का सामना किया जा रहा है, उनकी शिनाख्त करना तथा उन्हें न्यूनतम करना;
- हानि के प्रति संसाधनों की सुरक्षा करना।

5.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

आंतरिक नियंत्रणों के निर्धारण हेतु उपयोग किये गये लेखापरीक्षा मानदण्ड थे:

- हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली के प्रावधान;
- सहायक कोष नियमावली के प्रावधान;
- विभागीय नीतियां/नियम तथा विनियम;
- समय-समय पर जारी की गई सरकारी अधिसूचनाएं;
- अनुश्रवण तथा मूल्याकंन हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया।

5.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

2002—07 अवधि हेतु निदेशालय सहित राज्य में 36 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से 12 इकाईयों/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों[1] के अभिलेखों की नमूना-जांच द्वारा लेखापरीक्षा में (फरवरी-अप्रैल 2007) विभाग की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की समीक्षा की गई।

5.1.6 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा आरम्भ करने से पूर्व विभाग के अधिकारियों के साथ आरम्भिक सम्मेलन का आयोजन किया गया (फरवरी 2007) था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों तथा कार्यक्षेत्र की विवेचना की गई थी। सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का चयन किया गया था। सम्बद्ध जिलों में तथा विभिन्न इकाइयों द्वारा किये जा रहे अन्य कार्यकलापों के सम्बन्ध में औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं की संख्या[2] को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा प्रतिदर्श लिए गये थे। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समापन सम्मेलन (जुलाई 2007) में विवेचित किया गया था तथा विभाग के दृष्टिकोण को समीक्षा में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

---

1 राज्य भू-विज्ञानी (मुख्यालय); 2. सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखे) निदेशालय उद्योग शिमला 3. उप निदेशक उद्योग (प्रदर्शनी) निदेशालय उद्योग शिमला; 4. परियोजना समन्वयक, निदेशालय उद्योग शिमला; 5. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र शिमला ; 6. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ; सोलन; 7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, धर्मशाला; 8.महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊना; 9. खनन अधिकारी, धर्मशाला; 10. खनन अधिकारी, ऊना; 11. उप निदेशक उद्योग (रेशम उत्पादन) पालमपुर (कांगड़ा जिला) तथा 12. रेशम बीज उत्पादन अधिकारी, नदौन (हमीरपुर जिला)

2 कांगड़ा: आठ औद्योगिक क्षेत्र एवं तीन सम्पदायें ; शिमला: चार औद्योगिक क्षेत्र तथा तीन सम्पदायें ; सोलन: 10 औद्योगिक क्षेत्र तथा तीन सम्पदायें तथा ऊना: पांच औद्योगिक क्षेत्र

5.1.7. बजट नियन्त्रण

5.1.7.1 अवास्तविक बजट आकलन

मार्च 2007 तक उद्योग विभाग 13 स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा था। इनमें से नौ राज्य योजना स्कीमें[3] 100 प्रतिशत राज्य बजट से कार्यान्वित की जा रही थीं। दो स्कीमों[4] का निधियन 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा किया गया था। एक स्कीम[5] का निधियन 2004-05 तक भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर किया गया था। 2005-2006 से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य निधियन प्रतिरूप 90:10 था। एक स्कीम[6] का निधियन 78:11:11 के अनुपात में क्रमश: भारत सरकार, राज्य सरकार तथा हथकरघा बुनकर लाभार्थियों द्वारा किया गया था।

मूल बजट आवंटन, प्राप्त की गई अनुपूरक अनुदाने[7] तथा उनके प्रति किया गया व्यय 2002-07 के मध्य निम्नवत था।

तालिका: 5.1

(करोड़ रूपए)

वर्ष	मूल बजट	अनुपूरक अनुदान	योग	व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
2002-2003	34.50	16.83	51.33	43.92	(-) 7.41
2003-2004	27.05	4.58	31.63	29.56	(-) 2.07
2004-2005	55.52	1.25	56.77	55.72	(-) 1.05
2005-2006	22.80	6.95	29.75	29.40	(-) 0.35
2006-2007	45.16	1.84	47.00	48.21	(+) 1.21
योग:	**185.03**	**31.45**	**216.48**	**206.81**	

स्रोत:: विभागीय आंकड़े

5.1.8 वित्तीय नियन्त्रण

5.1.8.1 रोकड़ बही में सरकारी प्राप्तियों को लेखाबद्ध न करना।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 में प्रावधान है कि रोकड़ में सभी धन सम्बन्धी लेनदेनों की प्रविष्टि इनके घटित होते ही की जानी चाहिए तथा कार्यालय के प्रमुख द्वारा इन्हें जांच किए जाने के द्योतक के रूप में साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पता चला कि नमूना-जांच की गई इकाइयों के चार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों[8] जिन्होंने उद्योग-निदेशक से डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा 25.04 करोड़ रूपए की धनराशि 2002-07 के मध्य विभिन्न कार्यों/स्कीमों के निष्पादन हेतु प्राप्त की थी, इन डिमांड ड्राफ्टों को रोकड़ बही में दर्ज किए बिना ही बैंक को प्रेषित कर दिया गया। प्रेषण में देरी 10 तथा 37 दिनों के मध्य थी। इसी तरह, दो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों[9] जिन्होंने 2002-07 के दौरान लघु अवधि के अनुज्ञा-पत्रों, खनन-पट्टों तथा रॉयल्टियों आदि के कारण कुल 9.44 करोड़ रू0 इकट्ठे किए गये थे, इन्हें रोकड़ बही में दर्ज किए बगैर ही राजकोष को प्रेषित कर

---

3 औद्योगिक प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण ; 2. औद्योगिक सम्पदा ; 3. जिला उद्योग केन्द्र; 4. रेशम उत्पादन; 5. हिमाचली उत्पाद स्कीम ; 6. औद्योगिक क्षेत्र विकास एवं प्रोत्साहन; 7. लघु उद्योगों को उपदान; 8. कला एवं प्रदर्शनी; 9. खनिज विकास।

4 प्रधान मंत्री रोजगार योजना एवं परिवहन/भाड़ा उपदान

5 दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

6 हथकरघा बुनकरों हेतु कार्यशाला व आवास

7 अनुदान 18 : उद्योग, खनिज एवं आपूर्ति ; अनुदान 31 : जनजातीय विकास

8 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कांगड़ा : 1.43 करोड़ रू0, सोलन : 23.46 करोड़ रू0 ; शिमला: 0.06 करोड़ रू0 तथा ऊना ; 0.09 करोड़ रू0

9 खनन अधिकारी, कांगड़ा: 7.06 करोड़ रू0; ऊना: 2.38 करोड़ रू0

दिया। आगे यह भी ज्ञात हुआ कि तीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (नमूना-जांच की गई 12 इकाईयों में से) ने 2002-07 के दौरान रोकड़ का कोई भी भौतिक सत्यापन नहीं किया था। यह कार्यालय प्रमुख द्वारा नियंत्रण में कमी और निर्धारित नियमों की अनदेखी का द्योतक है। निदेशक ने कहा (जुलाई 2007) कि सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को नियमों के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय नियंत्रण कार्यविधियों का अनुपालन करने हेतु अनुदेश जारी कर दिए गए हैं (जून 2007)।

5.1.8.2 विभागीय-प्राप्तियों को देरी से जमा कराना

राज्य वित्तीय नियमों में यह प्रावधान है कि दिन का कार्य समाप्त होने के समीप, रोकड़-बही पर हस्ताक्षर करते समय, कार्यालय प्रमुख को सुनिश्चित करना चाहिए कि दिन के दौरान इकट्ठी की गई विभागीय प्राप्तियां उसी दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा अगले दिन की प्रात: राजकोष में जमा करा दी गई हैं।

लेखापरीक्षा में यह पता चला कि छ:[10] नमूना जांच की गई इकाईयों में, 2002-07 के दौरान विविध विभागीय प्राप्तियों के रूप में उगाहे गए 5.23 लाख रूपए की राशि को दो और 52 दिनों के मध्य की देरी से राजकोषों में जमा किया गया था। इस प्रकार, नमूना-जांच द्वारा यह तथ्य प्रकाश में आया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी विभागीय प्राप्तियों के तुरंत जमा कराने से सम्बन्धित अपना नियंत्रण कर पाने में असफल रहे और ऐसे मामलों में, धन के अस्थायी दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

5.1.8.3 नियंत्रित तथा चरणबद्ध ढंग से नहीं किया गया व्यय

राज्य वित्तीय नियम यह प्रावधान करते हैं कि व्यय को नियंत्रित तथा चरणबद्ध ढंग से नियमित करने हेतु प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष के दौरान, बजट से आबंटित धन एक चरणबद्ध रूप से खर्च किया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2002-07 के दौरान सम्बन्धित वित्तीय वर्षों की अंतिम त्रैमासिकी में किये गये व्यय का प्रतिशत निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 40 और 72 के मध्य रहा:

तालिका: 5.2

(करोड़ रूपए)

वर्ष	कुल व्यय	अंतिम त्रैमासिकी में किया गया व्यय	अंतिम त्रैमासिकी में किए गए व्यय का प्रतिशत
2002-2003	43.92	17.57	40
2003-2004	29.56	12.42	42
2004-2005	55.72	40.22	72
2005-2006	29.41	12.05	41
2006-2007	48.21	20.73	43

स्रोत: विभागीय आंकड़े

निदेशक ने कहा (जुलाई 2007) कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार से वित्त वर्ष की अंतिम त्रैमासिकी में संस्वीकृतियों की प्राप्ति के कारण, निर्धारित मानकों से अधिक व्यय करना पड़ा। विभाग द्वारा सरकार के साथ

---

10 महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, शिमला: 0.99 लाख रू0; महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सोलन: 0.12 लाख रू0; महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कांगड़ा स्थित धर्मशाला: 2.49 लाख रू0 ; खनन अधिकारी, धर्मशाला स्थित कांगड़ा: 0.49 लाख रू0; खनन अधिकारी, ऊना: 0.37 लाख रू0 तथा उप-निदेशक, रेशम उत्पादन, पालमपुर: 0.77 लाख रू0

मामले को यह सुनिश्चित करने हेतु उठाया जाना चाहिए कि निधियां समय पर जारी की जायें ताकि इसकी गतिविधियां सुचारू रूप से चलाई जा सकें।

5.1.8.4 सहायता-अनुदान का अनियमित जारीकरण

हथकरघा तथा हस्तशिल्प उद्योगों की वृद्धि को उन्नत करने तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योगों को उन्नत, प्रोत्साहित तथा विकास में मदद करने हेतु इनके उत्पादों का व्यापार या व्यवसाय करने के लिए राज्य-सरकार दो अनुदानग्राही संस्थानों को अनुदान जारी करती है।

राज्य बजट मैनुअल यह प्रावधान करता है कि किसी भी वित्त-वर्ष में प्रथम और 31 मार्च के मध्य अनुदान-सहायता हेतु आदेश/संस्वीकृतियां जारी नहीं की जानी चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक लागतों को पूरा करने तथा दो[11] स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु प्रतिवर्ष प्रथम तथा 31 मार्च के मध्य 2002-07 के दौरान 2.31 करोड़ रू0 के अनुदान हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम लि0, शिमला (2 करोड़ रू0) तथा हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला (0.31 करोड़ रू0) जारी किए। इनमें से, 1.60 करोड़ रू0 (69 प्रतिशत) के अनुदान प्रतिवर्ष 15 और 31 मार्च के मध्य जारी किए गए। अनुदानों का उपयोग एक वर्ष के भीतर किया जाना था।

निदेशक ने कहा (अप्रैल 2007) कि राज्य-सरकार से देरी से संस्वीकृतियों के प्राप्त होने से अनुदान विलम्ब से जारी किए गए। तथापि, तथ्य यह है कि अनुदानों को जारी करने के निर्धारित नियमों तथा कार्यविधियों का अनुसरण नहीं किया गया।

5.1.8.5 औद्योगिक शैडों तथा भू-खण्डों के किराया-प्रभारों की अवसूली

राज्य वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विभागीय नियंत्रक अधिकारियों को देखना चाहिए कि सरकार को देय सभी राशियों का नियमित तथा उचित निर्धारण, वसूली तथा सरकारी कोष में जमा किया जा रहा है।

दो महाप्रबंधकों, जिला उद्योग केंद्र (कांगड़ा व ऊना), जो वसूली करने हेतु उत्तरदायी थे, के अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि उद्योगपतियों को किराए/पट्टे पर दिए गए औद्योगिक शैडों व भूखण्डों के विरूद्ध 1979-80 से 2006-07 तक कुल 1.42 करोड़[12] रू0 के किराया-प्रभारों की डागही नहीं की गई थी।

विभाग द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के समाहर्त्ता को सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा देय प्रभारों की गैर-अदायगी के तथ्य को सूचित किया जाना अपेक्षित था ताकि राज्य वित्त विभाग के आदेश मई 1994 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, सरकार को देय प्रभारों की वसूली हेतु कार्रवाई आरम्भ की जाती। परंतु इन मामलों में, ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।

इससे इंगित होता है कि विभाग ने सरकारी देयताओं के परिसमापन के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए और राज्य वित्त विभाग के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने में भी असफल रहा।

---

11 हथकरघा कार्यकलापों का प्रोत्साहन 2. खादी एवं ग्राम उद्योगों का विकास

12

पांच वर्षों से अधिक; 736 मामले	:	102.46 लाख रू0
दस वर्षों से अधिक, 424 मामले	:	18.68 लाख रू0
पन्द्रह वर्षों से अधिक, 229 मामले	:	12.34 लाख रू0
बीस वर्षों से अधिक, 184 मामले	:	8.32 लाख रू0
जोड़:	:	141.80 लाख रू0 अर्थात 1.42 करोड़ रू0

5.1.8.6 आपूर्तिकर्ता के प्रोफार्मा बिलों के प्रति अनियमित आहरण

नियमों के अनुसार कोषाधिकारी को सामान की पावती से पूर्व, जब तक कि वित्त विभाग की अनुमति न ली गई हो, प्रोफार्मा बिलों पर निधियों के आहरण की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

राज्य भू विज्ञानी के अभिलेखों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि 2002-06 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं के प्रोफार्मा बिलों के प्रति 32.61 लाख[13] रू0 आहरित किये गये थे और इसे मुख्य लेखाशीर्ष को प्रभारित किया गया। यह भी ध्यान में आया कि सामान निरूपित तिथि से लगभाग 57 से 144 दिनों के विलम्ब के पश्चात आपूरित किया गया था। विलम्बित आपूर्ति के लिए, आपूर्ति आदेश में अपेक्षित शर्तों के अनुसार दण्ड नहीं लगाया गया था।

निदेशक ने बताया (मार्च 2007) कि सामान के उपार्जन हेतु यथाशीघ्र कदम उठाए गये थे लेकिन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति समय पर नहीं की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा विलम्बित आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता पर दण्ड लगाया जाना चाहिए था।

5.1.8.7 दस्तावेजों में गड़बड़ करने और फर्जी फार्म (फार्म 'एम') पर सामग्री का परिवहन करने के कारण रॉयल्टी की हानि

राज्य सरकार के नियमों में प्रावधान है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति लघु खनिज को वाहन से, पशु से अथवा अन्य किसी भी परिवहन की किसी विधि से फार्म 'एम' से सम्बद्ध पास के बिना नहीं ले जाएगा। नियमों में यह भी प्रावधान है कि खनन का पट्टाधारक या खनन परमिट धारक या इसके सम्बन्ध में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जो वाहन द्वारा, पशु द्वारा या किसी अन्य परिवहन विधि से लघु खनिज ले जा रहा हो, उसके पक्ष में 'एम' फार्म के जरिए एक पास जो कि सम्बद्ध खनन अधिकारी/जिला उद्योग केन्द्र के महा प्रबन्धक या इस सम्बद्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, जारी किया जाएगा।

खनन अधिकारी कांगड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2007) से प्रकट हुआ कि राष्ट्रीय उच्चमार्ग उपमण्डल नूरपुर से 155 फार्म 'एम' यह जानने के लिए कि ये खनन अधिकारी कांगड़ा द्वारा जारी किये गये थे अथवा नहीं, सत्यापन के लिए प्राप्त हुए थे (अक्तूबर 2004)। खनन अधिकारी ने सूचित किया (नवम्बर 2004) कि 155 'एम' फार्मों में से इस कार्यालय द्वारा 39 फार्म 'एम' जारी नहीं किये थे। इन फार्मों के प्रति 13860 एम टी खनिज (पत्थर) परिवहन किये गये थे (दिसम्बर 1999 से दिसम्बर 2000 तक) जिसके लिए रॉयल्टी के 1,38,600 रू0 (10 रू0 प्रति एमटी की दर से) खनन अधिकारी के पास जमा नहीं करवाए गये थे।

432 एमटी खनिजों को उठाने के लिए खनन अधिकारी द्वारा जारी शेष 116 'एम' फार्मों की 4,320 रू0 की रॉयल्टी ठेकेदार ने जमा करवा दी थी। (अगस्त 1998- मार्च 2001)। इन 'एम'फार्मों में मात्रा के आंकड़ों से हेरफेर करने के पश्चात ठेकेदार द्वारा इस मात्रा के प्रति 34,605 एमटी खनिजों को उत्थापित किया गया था। 34,173 एमटी लघु खनिजों पर 3,41,730 रू0 की राशी की रॉयल्टी ठेकेदार से वसूली योग्य थी जिसे अप्रैल 2007 तक वसूल नहीं किया गया है। तथ्यों की पुष्टि करते समय खनन अधिकारी ने बताया (मार्च 2007) कि फार्म 'एम' में हेराफेरी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार हैं। यद्यपि उसने निर्धारित नियमों के अनुसार उपरोक्त ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की।

आगे, यह भी देखा गया कि विभाग ने अपने स्तर पर खनिज प्रयुक्त करने वाली एजैंसियों को जारी करने हेतु खनिज दोहन तथा फार्म के गलत प्रयोग पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए क्रमवार मशीन नम्बर वाले फार्म 'एम' जिसमें साफ तौर पर मात्रा को दोनों आंकड़ों तथा शब्दों में उल्लिखित किया गया हो, मुद्रित नहीं करवाए थे।

---

13 2002-03: 8.25 लाख रू0; 2003-04: 10.99 लाख रू0; 2004-05: 7.28 लाख रू0 तथा 2005-06 : 6.09 लाख रू0

5.1.8.8 संसारपुर टैरस में 'संवृद्धि केन्द्र' के लिए चिन्हित निधियों का विपथन

भारत सरकार ने संसारपुर टैरस (जिला कांगड़ा) में औद्योगिक संवृद्धि केन्द्र के विकास के लिए 22.76 करोड़ रू0 की एक परियोजना का अनुमोदन किया (फरवरी 1997)। तीन[14] अलग-अलग स्थानों पर 464 हैक्टेयर भूमि परियोजना के लिए अर्जित करने का प्रस्ताव था।

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कांगड़ा के अभिलेखों (मार्च 2007) की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि वन मण्डल अधिकारी ने उद्योग निदेशक को जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरस में औद्योगिक संवृद्धि केन्द्र के विकास हेतु भूमि हस्तान्तरण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980के अन्तर्गत एक मामला तैयार करने का अनुरोध किया (जनवरी 2004)। राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए व्यय संस्वीकृति का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था (मार्च 1997)। भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 4 करोड़ रू0 जारी किये थे (मार्च 1997) जिन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को निस्तारित किया गया था (जनवरी 1998)। यद्यपि विभाग द्वारा ऐसा कोई मामला तैयार नहीं किया गया था और राज्य सरकार ने भारत सरकार के अनुमोदन के बिना राजा का बाग फेज, III ग्वालथाई फेज IV तथा बना लगई फेज V के विकास के लिए सम्पूर्ण निधियों का विपथन कर दिया।

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कांगड़ा ने बताया (मार्च 2007) कि निधियों का सरकारी स्तर पर विपथन किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को निधियों को विपथन करने से पूर्व भारत सरकार की संस्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा की जांच में आगे प्रकट हुआ कि अधीक्षण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (निष्पादन एजैन्सी) ने गलत प्रयुक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया (सितम्बर 2007) कि 4 करोड़ रू0 की राशि को संसारपुर टैरस जिला कांगड़ा में अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों पर प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार निधियों का विपथन करना अनियमित तथा अप्राधिकृत था।

5.1.9 परिचालन नियन्त्रण

5.1.9.1 उद्योग अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राज्य सहायता से प्रदान किए गए ऋणों की वसूली न करना।

विभाग के कार्य में उद्योग संवर्धन तथा उद्यमीय विकास हेतु स्कीमों का कार्यान्वयन शामिल है अर्थात व्यक्तियों, फर्मों, औद्योगिक स्थापना हेतु सहकारी समितियों अथवा कम्पनियों को ऋण संवितरण तथा लघु उद्योगों की स्थापनार्थ लघु उद्यमियों को सीड के रूप में/सीमान्त धन ऋण की सहायता देना है। ब्याज सहित ऋण पूर्ण रूप से चुकाने की अवधि आठ वर्ष है, जो निदेशक द्वारा अधिकतम 11 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। पुराने ऋणों की वसूली हेतु विभाग के सहायतार्थ तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार (वसूली) प्रत्येक का एक पद संस्वीकृत किया गया था, जहां पर सामान्य प्रक्रिया द्वारा उपरोक्त की वसूली करना असम्भव था।

चार[15] चयनित इकाइयों में ऋण संवितरण एवं वसूली से सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि मार्च 2007 तक 61.84 लाख रू0 की ऋण राशि (मूलधन: 14.53 लाख रू0 एवं ब्याज: 47.31 लाख रू0) वसूली हेतु पड़ी थी। आगे यह ध्यान में आया कि 687 मामलों में से केवल 474 मामलों में राजस्व वसूली हेतु भू- राजस्व बकाया की वसूली के रूप में प्रक्रिया आरम्भ की गई थी जबकि 4.20 लाख रू0 की वसूली से सम्मिलित 22 ऋण दाता मर चुके (जिला उद्योग केन्द्र, शिमला: 21; ऊना: 1) थे।

14

क्रमांक	गांव का नाम		क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	गांव मुहाल, संसारपुर टैरस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा		66.00
2.	गांव मुहाल, संसारपुर टैरस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा		130.70
3.	गांव मुहाल बढ़ाल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा		267.03
		योग:	463.73

15 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कांगड़ा, शिमला, सोलन तथा ऊना

निदेशक ने बताया (जुलाई 2007) कि जहां ऋणी या तो कर चुका हो या उसका अता-पता मालूम नहीं है अथवा उसके कानूनी वारिस उपलब्ध नहीं हैं तथा वसूली करना असम्भव है, वसूली के अधित्याग हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रस्ताव एकत्रित किए जा रहे हैं। उसने यह भी बताया (अगस्त 2007) कि अक्तूबर 2005 से तहसीलदार का पद खाली रहने के कारण वसूली का कार्य धीमा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस उद्देश्यार्थ तहसीलदार के अतिरिक्त नायब तहसीलदार को भी तैनात किया गया था। अत:, सरकारी देयों की समय पर वसूली सुनिश्चित करने हेतु स्थापित नियंत्रण तंत्र कमजोर तथा अप्रभावशाली था जैसे कि प्रतिवेदनों तथा विश्लेषण के माध्यम से आवधिक अनुश्रवण हेतु नियमित प्रणाली नहीं थी।

5.1.9.2 सीमान्त धन ऋण की वसूली न करना

राज्य क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत सीमान्त/सीड धन ऋण वित्तीय सहायतार्थ सीमान्त धन ऋण लघु उद्योग स्थापनार्थ लघु उद्यमियों को संयत्र एवं मशीनरी पर निवेश करने हेतु (दो लाख रू0 से अधिक नहीं) 10 प्रतिशत की दर से उपलब्ध करवाया जाता है बशर्ते कि 20,000 से अधिक न हो। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को निवेश हेतु ऋण सहायता 15% की दर से स्वीकार्य है बशर्ते कि 30,000 से अधिक न हो। सीमांत धन ऋण की देयताओं की वसूली छ: मासिक किस्तों में की जाती है तथा उद्यमी के वित्तीय संस्थानों से ऋण तथा उस पर ब्याज से भारमुक्त होने के पश्चात अथवा आठ वर्ष जो भी पहले हो, वसूली शुरू करनी अपेक्षित है।

चयनित 12 इकाइयों में चार[16] के अभिलेखों की नमूना जांच से उदघाटित हुआ कि 499 उद्यमियों को 85.17 लाख रू0 का दिया गया ऋण मार्च 2007 तक अवसूलित रहा। सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक ने बताया (फरवरी 2007) कि चूककर्ताओं को नोटिस दिए जा रहे थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली आरम्भ करने की आगामी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धकों को इन ऋणों की वसूली प्रभावशील बनाने हेतु सहायक समाहर्त्ता ग्रेड-। की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। अत: सम्बन्धित महा प्रबन्धक उपरोक्त मामलों में ऋणों की वसूली हेतु प्रभावशाली नियंत्रण बनाने में विफल रहा।

5.1.9.3 औद्योगीकरण प्रक्रिया में लापरवाही बरतना

राज्य सरकार ने निम्नवत उद्देश्यों सहित औद्योगीकरण प्रक्रिया में गति बढ़ाने हेतु दिसम्बर 2004 में औद्योगिक नीति को तैयार किया था:

- स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योग संवर्धन करना;
- औद्योगीकरण में पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना करना;
- राज्य के लोगों को रोजगार का प्रावधान करना; तथा
- पर्यावर्णीय मामलों का पता लगाना।

नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1997-02) तक 35 औद्योगिक क्षेत्र तथा 15 औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित की गई थीं।

- दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-07) के दौरान विभाग ने राज्य में कोई औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित नहीं की थीं। तथापि, सोलन तथा ऊना जिलों में छ: औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए थे। विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2007) कि औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्र घोषित करने से पूर्व विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथा क्षेत्र के स्थल निरीक्षण के दौरान अतरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक सम्पदा/औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता का भी परीक्षण किया है। इस समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने वित्तीय आयुक्त-एवं-सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता में स्थाई समिति के द्वारा नए उद्योग स्थापित करने हेतु अंतिम निर्णय लिया है। तथापि अपेक्षित तंत्र स्थापित करने के बावजूद भी राज्य सरकार राज्य में औद्योगीकरण की तीव्रता सुनिश्चित नहीं कर सकी।

---

16 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कांगड़ा: 21.03 करोड़ रू0 ; शिमला: 10.20 लाख रू0 ; सोलन: 48.21 लाख रू0 तथा ऊना: 5.73 लाख रू0

5.1.9.4 वार्षिक कार्रवाई योजना को तैयार न करना।

राज्य सरकार की कार्यालय नियमपुस्तिका के अनुसार प्रत्येक निदेशालय/विभाग को सभी विभागीय कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रत्येक क्रियाकलाप के निष्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अग्रिम रूप में पहले ही जनवरी मास में माहवार अथवा त्रैमासिक विखण्डन सहित वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में यह ध्यान में आया कि दस में से केवल तीन[17] स्कीमों के संदर्भ में भौतिक लक्ष्य तैयार किए गए थे। निदेशक ने बताया (फरवरी 2007) कि विभाग ने वार्षिक योजना तैयार की थी जिसमें विशेष वर्ष के दौरान निष्पादित किए जाने वाले विभागीय प्रस्तावों तथा स्कीमों को प्रदर्शित किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भौतिक लक्ष्यों/उद्देश्यों को निर्धारित किए बिना स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन स्तर के प्रमाप तथा जहां पर आवश्यक था उचित औपचारिक उपायों को समयबद्ध तरीके से करने के लिए कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों पर स्कीमों का निष्पादन छोड़ दिया गया था।

5.1.9.5 केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य योजना स्कीमों पर नियंत्रण का अभाव

विभाग राज्य में उद्योगों का विकास एवं रोजगार उत्पन्न करने के लिए चार[18] केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों तथा नौ[19] राज्य योजना स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा था।

विभाग द्वारा 13 स्कीमों में से, केवल तीन[20] स्कीमों के सम्बन्ध में ही वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि निदेशालय उद्योग ने 2002-07 के लिए दस स्कीमों (केन्द्रीय प्रयोजित तीन तथा सात राज्य योजना स्कीमों) के सम्बन्ध में वार्षिक वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे यद्यपि विभाग ने 2002-07 के दौरान इन स्कीमों पर 114.07 करोड़ रू0 व्यय किए थे:

तालिका: 5.7

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	स्कीम का नाम	बजट आवंटन	किया गया व्यय	आधिक्य(+) बचत (-)
केन्द्रीय प्रायोजित				
1	दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	4.90	4.47	(-)0.43
2	बुनकरो हेतु कार्यशाला	1.17	0.22	(-)0.95
3	परिवहन/भाड़ा उपदान	34.43	47.43	(+)13.00
राज्य योजना				
4	औद्योगिक क्षेत्र विकास एवं प्रोत्साहन	41.12	42.58	(+)1.46
5	कला एवं संस्कृति	1.81	1.77	(-)0.04
6	लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को उपदान	2.65	2.24	(-)0.41
7	खनिज विकास	1.24	1.41	(+)0.17
8	हिमाचल उत्पाद	0.13	0.06	(-)0.07
9	औद्योगिक सम्पदा	11.84	13.55	(+)1.71
10	औद्योगिक प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण	0.36	0.34	(-)0.02
	योग:	**99.65**	**114.07**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

---

17 रेशमकोष से रेशम उत्पादन ; प्रधान मंत्री रोजगार योजना ; जिला उद्योग केन्द्र (ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम/ग्रामीण कारीगरी कार्यक्रम)

18 1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना; 2. हथकरघा बुनकरों हेतु जल विभाजक एवं आवास; 3. परिवहन/भाड़ा उपदान; प्रधान मंत्री रोजगार योजना

19 1. औद्योगिक प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण; 2. औद्योगिक क्षेत्र विकास एवं प्रोत्साहन; 3. कला एवं प्रदर्शनी; 4. लघु उद्योग इकाइयों हेतु उपदान; 5. खनिज विकास ; 6.जिला उद्योग केन्द्र; 7. रेशम उत्पादन; 8. हिमाचली उत्पाद स्कीम तथा 9. औद्योगिक सम्पदा

20 रेशमकोष से रेशम उत्पादन ; प्रधान मंत्री रोजगार योजना ; जिला उद्योग केन्द्र (ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम/ग्रामीण कारीगरी कार्यक्रम)

निदेशक ने बताया (सितम्बर 2007) कि इन स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के कारण लक्ष्यों का निर्धारण/पूर्व निर्धारण सम्भव नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से किया जाने वाला अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण जैसाकि विगत परिच्छेदों में विवेचित किया गया है, इन मामलों में स्कीमों का आर्थिक, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हासिल करने के लिए सुनिश्चित नहीं किया गया था।

5.1.9.6 केन्द्रीय प्रायोजित एवं राज्य स्कीमों के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

लेखापरीक्षा छानबीन से पाया गया कि तीन[21] स्कीमों (एक केन्द्रीय प्रायोजित तथा एक राज्य स्कीम) जिनके सम्बन्ध में लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, में से दो (प्रधान मंत्री रोजगार योजना एवं रेशम कोष से रेशम उत्पादन) के सम्बन्ध में उपलब्धियों में कमियां थीं।

दोनों स्कीमों में 2002-07 के दौरान वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमियां 10 तथा 44 प्रतिशत के मध्य थीं।

निदेशक ने रेशम उत्पादन के अंतर्गत लक्ष्यों की कम उपलब्धता पतझड़ मौसम की असहनीयता के कारण बताया (अप्रैल 2007)। प्रधान मंत्री रोजगार योजना स्कीम के बारे में निदेशक ने बताया कि 2002-04 तथा 2006-07 के दौरान बैंकों द्वारा कम संख्या में लाभार्थियों को ऋणों का संवितरण किया गया तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

विभाग को रेशम उत्पादन के अंतर्गत रेशम कोषों के उत्पादन हेतु पतझड़ मौसम फसल की असहनीयता के लिए कारणों की छानबीन करनी चाहिए थी तथा उपचारात्मक उपाय करने चाहिए थे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कम ऋणों के संवितरण के बारे में विभाग को कारणों का विश्लेषण करना चाहिए था।

5.1.9.7 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का अनुश्रवण नहीं किया गया

राज्य सरकार के औद्योगिक नीति दिशानिदेशों के अनुसार, विभाग को औद्योगिक क्षेत्रों/विकसित की गई सम्पदाओं/अधिग्रहित किये गये तथा स्थानांतरित किये गये क्षेत्रों को पट्टेधारिता/किराये के आधार पर विभाग द्वारा इकाइयों के लिए आवंटित किया जाना था। उपरोक्त दिशानिदेशों में औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं में भूमि के विकास एवं आवंटन हेतु कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

(i) निदेशक के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया यगा कि महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सोलन ने राजस्व विभाग द्वारा स्थानांतरित की गई 1,243.53 बीघा में से 1,134.53 बीघा भूमि को अप्रैल 2007 तक 30.23 लाख रू0 की लागत पर विकसित किया तथा केवल 42 बीघा को ही 17 उद्यमियों को आवंटित किया (अगस्त 2004 तथा अगस्त 2006)। शेष 1,092.53 बीघा भूमि को प्रत्याशित उद्योगपतियों/उद्यमियों को मार्च 2007 तक आवंटित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जनवरी 2007), निदेशक ने सम्बद्ध जिला उद्योग केन्द्रों के महानिदेशकों से उद्यमियों को अधिग्रहण की गई भूमि का आवंटन न करने के कारणों को बताने को कहा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सोलन ने सूचित किया (अप्रैल 2007) कि उद्यमी उद्योगों की स्थापना के लिए आगे नहीं आ रहे थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि महाप्रबन्धक को लघु इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों को मनाने के लिए प्रयास करने चाहिए थे ।

(ii) विभाग ने औद्योगिक काम्पलेक्स, केलांग में 77.10 लाख रू0 का व्यय करके अप्रैल में 10 कार्यशालाओं का निर्माण किया। निदेशालय पर अनुरक्षित किये गये निर्माण कार्यों के रजिस्टर से पाया गया कि कार्यशालाओं को अप्रैल 2007 तक प्रत्याशित लाभार्थियों को आवंटित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जनवरी 2007), निदेशक, उद्योग ने महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, केलांग से कार्यशालाओं का आवंटन न करने के लिए कारण मांगे (जनवरी 2007) जिसने सूचित किया (फरवरी 2007) कि आरम्भ में नौ कार्यशालाएं अस्थाई रूप से उद्यमियों को आवंटित की गई थी परन्तु उन में से कोई भी इकाइयों को औद्योगिक सम्पदा में स्थापित करने में समर्थ नहीं हुआ। उसके पश्चात् सभी अस्थाई आवंटन रद्द कर दिये गये (अगस्त 2006)। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि कार्य मौसम बहुत कम होने के नाते बहुत कम उद्यमी औद्योगिक क्षेत्र में अपनी इकाइयां स्थापित करने में रूचि ले रहे हैं तथा विभाग को इन कार्यशालाओं के

---

21 रेशमकोष से रेशम उत्पादन ; प्रधान मंत्री रोजगार योजना ; जिला उद्योग केन्द्र (ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम/ग्रामीण कारीगरी कार्यक्रम)

आवंटन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त तथ्य इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि बेकारी अथवा क्षति के प्रति संसाधनों की अभिरक्षा करने के लिए विभाग में कोई नियंत्रण प्रक्रिया नहीं थी।

विभाग को क्षेत्र में रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समुचित सर्वेक्षण एवं अन्वेषणों के पश्चात औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना बनानी चाहिए थी।

(iii) लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उपायुक्त, शिमला द्वारा अंतरित की गई 165.8 बीघा भूमि पर 22 लाख रू0 हेतु पहुंच मार्ग सहित पांच कार्यशालाओं के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की गई (सितम्बर 2004)। निदेशक उद्योग ने समस्त राशि महापबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, शिमला को जारी कर दी (अक्तूबर 2004)। कार्यशालाओं का निर्माण हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम शिमला के माध्यम से अप्रैल 2005 में आरमभ किया गया। 22 लाख रू0 में से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, शिमला ने 20 लाख रू0 हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम को जारी किये (मार्च 2005 तथा अगस्त 2006) तथा 2 लाख रू0 अपने पास बैंक खाते में रखे। तथापि यह पाया गया कि कार्यशालाएं अभी अप्रैल 2007 तक अधूरी थीं यद्यपि कार्य को हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम द्वारा आठ महीनों में पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया था।

महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, शिमला ने बताया (फरवरी 2007) कि निधियों की कमी के कारण कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 22 लाख रू0 में से उसने केवल 20 लाख रू0 ही हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम को जारी किये थे तथा दो लाख रू0 अपने पास बैक खाते में रखे थे। निदेशक ने बताया (जुलाई 2007) कि औद्योगिक क्षेत्र जैस का निर्माण विद्युत संयोजन के अतिरिक्त पूर्ण किया जा चुका है तथा पांच कार्यशालाओं में से दो आवंटित की जा चुकी थी तथा शेष तीन कार्यशालाओं को प्रत्याशित उद्यमों को आवंटित किये जाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

निदेशक का उत्तर टालमटोल वाला था क्योंकि दो कार्यशालाएं विद्युत संयोजन के बिना आवंटित की गई थी यह औद्योगीकरण की प्रक्रिया का विस्तार एवं गति प्रदान करने के लिए औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा ढील तथा अनुश्रवण के अभाव का सूचक है।

5.1.9.8 शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार हेतु दिए गए प्रशिक्षण के प्रभाव का अनुश्रवण न करना

अपने उद्योगों की स्थापना के द्वारा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सम्बद्ध जिलों के महाप्रबन्ध के माध्यम से उद्यम विकास कार्यक्रम, औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम तथा अल्प अवधि उद्यम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग प्रशिक्षण प्रदान करवाता है।

तीन[22] चयनित जिला उद्योग केन्द्रों के अभिलेखों की नमूना-जांच से पाया गया कि उपरोक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत 21.84 लाख रू0 की लागत पर 2002-2007, के दौरान 2,350 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया परन्तु उसके बाद इन कार्यक्रमों के प्रचालन तथा कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित युवाओं द्वारा स्थापित किये गये उद्योगों/उद्यमों की स्थापना का अनुश्रवण करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई को सुनिश्चित नहीं किया गया था। इस प्रयोजन हेतु न तो प्रतिवेदन प्रणाली विद्यमान थी और न ही प्रशिक्षित युवाओं के सूचना प्रबंधन प्रणाली/डाटा बेस का अनुरक्षण किया गया था।

---

22 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, धर्मशाला स्थित कांगड़ा, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, शिमला तथा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊना

5.1.10 जनशक्ति नियन्त्रण

5.1.10.1 जनशक्ति प्रबन्धन

विभाग में मार्च 2007 तक स्टॉफ की विभिन्न श्रेणियों के 1,227 संस्वीकृत पदों के प्रति विभिन्न वर्गों के रिक्त पदों के 373 पदों को छोड़कर 854 व्यक्ति ही तैनात थे। ये पद (177 क्रियाशील तथा 196 अक्रियाशील) मार्च 2007 तक पांच अथवा अधिक वर्षों से रिक्त पड़े थे जैसा कि नीचे दिया गया है:-

तालिका: 5.5

श्रेणी	संस्वीकृत स्टॉफ			तैनात स्टॉफ			कमी		
	क्रियाशील पद	अक्रियाशील पद	योग	क्रियाशील पद	अक्रियाशील पद	योग	क्रियाशील पद	अक्रियाशील पद	योग
श्रेणी-I	22	25	47	14	19	33	08	06	14
श्रेणी-II	87	34	121	64	30	94	23	04	27
श्रेणी-III	271	348	619	169	215	384	102	133	235
श्रेणी-IV	250	190	440	206	137	343	44	53	97
योग:	630	597	1,227	453	401	854	177	196	373

स्रोत: विभागीय आंकड़े

निदेशक ने बताया (मई 2007) कि पदों को भरने के लिए मामला सरकार के साथ अक्तूबर 2005-दिसम्बर 2006 के दौरान उठाया गया था तथा जनवरी 2007 तक प्रबन्धकों के केवल चार पदों को ही भरा जा सका था। इस प्रकार राज्य सरकार विशिष्ट पदाधिकारियों के पदों जैसाकि प्रबन्धकों, रेशम बीज उत्पादन अधिकारी, सहायक भू-विज्ञानी एवं विस्तार अधिकारियों, आदि को भरने में विफल रही जो विभाग के कार्यचालन में महत्वपूर्ण पदधारक थे।

5.1.10.2 कार्यालय में निरीक्षणों का न किया जाना

राज्य सरकार की कार्यालय नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा समय सारणी (कैलेण्डर) बनानी थी जिसके अनुसार कार्यालयों का या तो स्वयं निरीक्षण करते या किसी प्रतिनियुक्ति अधिकारी द्वारा कार्यालय का निरीक्षण कैलेण्डर में निर्धारित समयानुसार करवाते।

लेखापरीक्षा में यह ध्यान में आया कि निदेाक ने 2002-04 और 2006-07 के दौरान 36 इकाईयों में से केवल दो का निरीक्षण किया था। निदेशक ने बताया (फरवरी 2007) कि निरीक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के न भरे जाने से अपेक्षित संख्या में निरीक्षण नहीं किये जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशक को निरीक्षण अधिकारियों के पदों को भरने के और अधिक प्रयत्न करने चाहिए थे।

5.1.11 वस्तु सूची नियन्त्रण

5.1.11.1 भण्डार लेखाओं को तैयार न करना

वित्त विभाग ने जुलाई 1973 में निर्देश जारी किये कि जहां भण्डारों का कुल मूल्य 5 लाख रू0 से नीचे नहीं है, विभाग/कार्यालयों को ऐसे भण्डारों की सूची तैयार करनी चाहिए और उसे प्रतिवर्ष जून के अन्त तक महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यह ध्यान में आया कि राज्य भू-विज्ञानी ने 2002-06 के दौरान 32.62 लाख रू0 के कम्प्यूटर (उप साधनों सहित), मशीनरी और उपस्कर तम्बू आदि उपार्जित किये लेकिन वांछित भण्डार लेखे नहीं बनाए गये थे। उसने यद्यपि यह बताया (मार्च 2007) कि 2002-06 के दौरान केवल दो मदें ही 5 लाख रू0 से अधिक की खरीदी गईं थीं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भण्डार लेखे तैयार करने के लिए मदवार मूल्य विचारणीय नहीं था अपितु इस उद्देश्य के लिए भण्डार की सभी मदों के कुल मूल्य को ध्यान में रखा जाना था।

5.1.11.2 भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विभागाध्यक्ष द्वारा सभी भण्डारों का सत्यापन प्रतिवर्ष एक बार अवश्य किया जाना चाहिए।

यह ध्यान में आया कि 2002-07 के दौरान चयनित 12 इकाइयों में से दो इकाइयों (महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊना तथा खनन अधिकारी, ऊना) के भण्डारों जैसे कार्यालय फर्नीचर व फिक्सचर, एलपीजी हिटर, कार्यालय उपकरणों और विविध उपभोग्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन कभी नहीं किया गया था जबकि छ:[23] इकाइयों के भण्डारों का 2002-07 के दौरान आंशिक रूप से वार्षिक सत्यापन किया हुआ पाया गया। शेष चार इकाइयों में प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से किया गया था। ऐसे भण्डारों का मूल्य 40.58 लाख रू0 निकाला गया, जहां या तो प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया अथवा आंशिक रूप से किया गया था।

इकाइयों द्वारा निर्धारित नियमित अंतरालों पर भण्डारों का समुचित वास्तविक सत्यापन न किया जाना भण्डारों की चोरी का पता न लगने से परिपूर्ण जोखिम, विभाग में अपर्याप्त वस्तुसूची प्रबन्धन को प्रतिबिम्बित करता था।

5.1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था

5.1.12.1 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध की स्थापना न करना

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मार्च 2007 तक स्थापित नहीं की गई थी। निदेशक ने बताया (फरवरी 2007) कि यह सरकार द्वारा सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण था। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि स्टॉफ की भर्ती द्वारा अपेक्षित नियंत्रण प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाना प्रबन्धन का कार्य है।

5.1.12.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों का लम्बन

विभाग द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों (निरीक्षण प्रतिवेदनों) की प्राप्ति के एक मास के भीतर महालेखाकार की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आवश्यक कार्रवाई करनी अपेक्षित है तथापि, यह पाया गया कि मार्च 2007 को निम्नवत ब्यौरे के अनुसार 80 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 159 परिच्छेद समायोजन हेतु लम्बित पड़े हुए थे:

तालिका: 5.5

वर्ष	अथशेष		जोड़े गए		समायोजन		शेष	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
2002-2003 तक	87	232	12	100	25	131	74	201
2003-2004	74	201	05	31	18	90	61	142
2004-2005	61	142	19	105	11	89	69	158
2005-2006	69	158	05	26	09	44	65	140
2006-2007	65	140	27	114	22	95	70	159

स्रोत: विभागीय आंकड़े

बकाया 80 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 159 परिच्छेद 1978-79 से 2006-07 तक की अवधि से सम्बद्ध तथा 105.88 करोड़ रू0 की वित्तीय अनियमितताओं/जटिलताओं से अन्तर्ग्रस्त हैं।

---

[23] उद्योग निदेशालय, शिमला ; महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कांगड़ा ; महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, शिमला ; महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सोलन ; खनन अधिकारी, कांगड़ा ; तथा रेशम बीज उत्पादन, अधिकारी नदौन

5.1.13 निष्कर्ष

जैसाकि पूर्ववर्ती परिच्छेदों में उल्लेख किया गया है, बजट, वित्तीय तथा लेखाकरण कार्यों के सम्बन्ध में दायित्व अनुबंधनों को सुनिश्चित करने के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण का अस्तित्व तथा प्रवर्तन अपर्याप्त थे। आर्थिक, दक्ष तथा प्रभावकारी प्रचालनों एवं हानियों के प्रति संसाधनों की सुरक्षा के लिए तथा ऋणों की वसूली एवं विभागीय राजस्व प्राप्तियों को सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन में अपर्याप्त नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था भी आरम्भ नहीं की गई थी।

5.1.14 सिफारिशें

- ***विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावकारी तथा कार्यक्षम बनाने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।***
- ***विभाग के विभिन्न प्रचालनात्मक कार्यकलापों का अनुश्रवण करने के लिए उपयुक्त प्रणाली को विकसित तथा प्रर्वतन किये जाने की आवश्यकता है।***
- ***कालातीत ऋणों की वसूली के अनुश्रवण को और अधिक प्रभावकारी बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि अशोध्य ऋणों के अवसरों से बचा जा सके।***
- ***निर्धारित अन्तरालों पर सभी इकाइयों को आवृत करने के लिए विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा आरम्भ की जानी चाहिए। महालेखाकार द्वारा जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों पर भी समयोपरि सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।***

प्रधान सचिव ने सिफारिशों को स्वीकार किया (जून 2007) तथा यह विश्वास दिलाया कि अनुपालना शीघ्र सूचित की जाएगी।

(सुमन सक्सेना)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक 26 DEC 2007

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 28 DEC 2007

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(संदर्भ परिच्छेद 1.1 तथा 1.3; पृष्ठ 1 तथा 4)

भाग-क सरकारी लेखाओं का ढांचा तथा प्रपत्र

सरकारी लेखाओं का ढांचा

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखा ।

भाग-। समेकित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त प्राप्तियां, खजाना बिलों को जारी करके लिए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाहय ऋण और सरकार द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त समस्त राशियों से आख्यायुक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि बनेगी।

भाग-।। आकस्मिक निधि

संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिक निधि अग्रदायी के रूप में राज्यपाल के अधिकार में दी गई है, जिसे विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत किए जाने से लम्बित आवश्यक अनपेक्षित व्यय के वहनार्थ अग्रिम के रूप में दिया जाता है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि की निकासी हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, जहां से अग्रिमों को आकस्मिक निधि से निधि की पूर्ति की जाती है।

भाग-।।। लोक लेखा

प्राप्तियों तथा संवितरणों के संदर्भ में निश्चित लेन-देन जैसे कि लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण आदि जो कि समेकित निधि का भाग नहीं है, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानसभा द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

भाग-ख वित्त लेखों का प्रदर्शन

विवरणी संख्या 1	राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक-लेखे में प्राप्तियां एवं व्यय, राजस्व एवं पूंजी लोकऋण प्राप्तियां तथा संवितरण आदि राज्य सरकार के लेन-देनों का सारांश दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 2	2006-2007 की समाप्ति के प्रगामी व्यय दर्शाने वाली पूंजीगत परिव्यय की सारांशित विवरणी अन्तर्विष्ट हैं।
विवरणी संख्या 3	सिंचाई कार्य, उनकी राजस्व प्राप्तियां, कार्य-व्यय तथा अनुरक्षण प्रभार, पूंजीगत परिव्यय, निवल लाभ अथवा हानि इत्यादि के वित्तीय परिणामों को दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 4	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश का सूचक है, जिसमें आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, अन्य दायित्वों तथा ऋण निवर्हन सम्मिलित हैं।
विवरणी संख्या 5	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों, की गई चुकौतियां, बकायों में वसूलियां, इत्यादि का सारांश दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 6	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि की चुकौती हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का सारांश दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 7	ऐसे शेषों में से किए गए नगद शेषों और निवेशों का सारांश दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 8	संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक-लेखे के अन्तर्गत 31 मार्च 2007 तक के शेषों के सारांश दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 9	कुल राजस्व/व्यय की प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2006-07 हेतु विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व एवं व्यय दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 10	वर्ष के दौरान किए गए प्रभारित तथा दत्तमत व्यय के मध्य वितरण की सूचक हैं।
विवरणी संख्या 11	लघु-शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के विस्तृत लेखों की सूचक हैं।
विवरणी संख्या 12	इसमें पृथक रूप से गैर-योजना, योजना के अन्तर्गत लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय के लेखे तथा मुख्य शीर्षानुसार पूंजीगत व्यय हैं।
विवरणी संख्या 13	2006-2007 के दौरान तथा समाप्ति पर किए गए विस्तृत पूंजीगत व्यय को दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 14	2006-2007 की समाप्ति तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैकों तथा समितियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का ब्यौरा दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 15	2006-2007 की समाप्ति पर पूंजीगत तथा अन्य व्यय एवं मुख्य साधनों को, जिनसे उस व्यय हेतु निधियों का प्रावधान किया गया था, दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 16	ऋण, आकस्मिक निधि तथा लोक-लेखा से सम्बद्ध लेखा-शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों, संवितरणों एवं शेषों का विस्तृत लेखा दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 17	हिमाचल प्रदेश सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज युक्त दायित्वों के विस्तृत लेखों को दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 18	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋणों की राशि 31 मार्च 2007 को बकाया का विस्तृत लेखा दर्शाती हैं।
विवरणी संख्या 19	आरक्षित निधियों के चिन्हित शेषों का ब्यौरा दर्शाती हैं।

भाग-ग अध्याय-। में प्रयुक्त शब्दों की सूची तथा उनके गणना आधार

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि-दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि-दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
ब्याज विस्तृत करना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-भारित ब्याज दर
भारित ब्याज दर (राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज)	ब्याज अदायगी/ [पूर्व वर्षो की राजकोषीय दायिताओं की राशि +चालू वर्ष की राजकोषीय दायिताएं)/2]*100
मात्रा विस्तृत करना	ऋण स्टॉक* ब्याज विस्तृत करना
बकाया ऋण के प्रति प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(ऋण तथा अग्रिम के अथशेष +अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से बकाया (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियों में से सभी योजना अनुदान तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाकर जिसमें मुख्य शीर्ष 2048-ऋण की कमी अथवा परिहार्यता हेतु विनियोग के अन्तर्गत दर्ज व्यय सम्मिलित नहीं हैं

भाग-घः मूल सूचकों की स्थिति

क्रं0 सं0	राजकोषीय सूचक	2006-2007 हेतु संशोधित आकलन में प्रक्षिप्त	वास्तविक	संशोधित आकलन के संदर्भ में प्राप्त लक्ष्य हां, नहीं
1.	राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रूपए में)	6,521.22	7,835.22	हां
2.	राजस्व व्यय (करोड़ रूपए में)	6,775.32	7,644.11	नहीं
3.	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा	(-)3.90	(+) 2.44	हां
4.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा	3.90	3.26	हां
5.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व	5.87	5.85	नहीं
6.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल बकाया ऋण	73.22	63.86	हां
7.	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल बताया प्रतिभूतियां	72.85	37.98	हां

परिशिष्ट-II

(संदर्भ: परिच्छेद 1.3 तथा 1.7; पृष्ठ 4 तथा 20)

31 मार्च 2007 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपए) (करोड़ रूपए)

31 मार्च 2006 को राशि		दायित्व	31 मार्च 2007 को राशि		31 मार्च 2006 को राशि		परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2007 को राशि	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11,230.74		**आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफट छोड़कर)**		12131.88	9,112.04		**सकल पूंजीगत परिव्यय**		10,221.86
	4,115.58	ब्याज वाले बाजार ऋण	4583.05			1,842.23	कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयरों में निवेश	1,860.74	
	0.20	ब्याजरहित बाजार ऋण	0.21			7,269.81	अन्य पूंजीगत व्यय	8,361.11	
	607.18	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	517.01		234.62		**ऋण व अग्रिम**		236.96
	2.91	भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	2.38			79.44	ऊर्जार्थ ऋण	79.44	
	353.69	राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	463.59			78.90	अन्य विकास ऋण	86.36	
	19.44	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	27.20			76.28	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	71.16	
	3,107.67	अन्य संस्थाओं से ऋण	2802.28				**उचन्त एवं विविध शेष**		0.14
	..	भारतीय रिजर्व बैंक से अथोंपाय अग्रिम	42.00		0.20		**अग्रिम**		0.25
	3,024.07	केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय लघु बचत निधियों को विशेष प्रतिभूतियां देना।	3694.16		367.03		**नकद**		14.03
1,110.22		**केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम**		1019.64		29.86	कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	13.84	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	30.49	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.13			0.29	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	0.19	
	81.33	आयोजनेतर ऋण	16.36		..	336.88	नकद शेष निवेश लेखा	..	..
	903.30	राज्य योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	956.70		8,206.95		**सरकारी लेखे में घाटा**		8015.84
	0.23	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	0.20			8,283.29	31 मार्च 2005 तक संचित घाटा	(-)8,190.82	
	44.87	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	46.25				**जोड़**		
	50.00	अर्थोपाय अग्रिम	..			(+)92.47	(i)चालू वर्ष का घाटा/ आधिक्य	(+)191.11	
5.00		**आकस्मिकता निधि**		5.00		16.13	(ii) अन्य विविध समायोजन आदि	(-)16.13	
3,291.11		**लघु बचतें, भविष्य निधियां, आदि**		3613.14					
6.93		**उचन्त एवं विविध शेष**		..					
1,630.91		***जमा***		1131.35					
..		**भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट**		--					
169.02		**आरक्षित निधियां**		175.47					
175.77		**भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा**		38.17					
301.14		**प्रेषण शेष**		374.43					
17,920.84		**योग:**		18,489.08	17,920.84		**योग:**		18,489.08

परिशिष्ट- III

(संदर्भः परिच्छेद 1.3; पृष्ठ 4)

वर्ष 2006-2007 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रूपए)

प्राप्तियां					संवितरण					
2005-2006				2006-2007	2005-06					2006-2007
							आयोजनेतर	योजनागत	कुल	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग-क राजस्व										
6,558.63		I-राजस्व प्राप्तियां		7835.22	6,466.16	I-राजस्व व्यय				7644.11
	1,497.02	(i) कर राजस्व	1,656.38		**2,818.08**	सामान्य सेवाएं	3,269.39	30.46	3,299.85	
	689.68	(ii) कर भिन्न राजस्व	1,336.85		2,308.51	सामाजिक सेवाएं	1,753.82	832.13	2,585.95	
	493.26	(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	629.16		1,172.64	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,101.13	223.37	1,324.50	
	2,411.94	(iv) आयोजनेतर अनुदान	2,415.77		344.85	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	172.20	225.26	397.46	
	1,173.20	(v) राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	1,465.10		404.25	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	309.61	209.09	518.70	
	293.53	(vi) केन्द्रीय योजनागत व केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	331.96		9.44	सूचना एवं प्रसारण	8.81	3.95	12.76	
					19.83	अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5.54	21.46	27.00	
..		II-प्रवर्ग ख को ले जाया गया राजस्व घाटा		..	15.31	श्रम एवं श्रम कल्याण	16.57	2.03	18.60	
					337.84	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	135.20	146.63	281.83	
					4.35	अन्य	4.76	0.34	5.10	
					1,333.38	**आर्थिक सेवाएं**	**1,292.84**	**462.60**	**1755.44**	
					469.89	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	274.25	223.90	498.15	
					106.76	ग्रामीण विकास	100.84	48.24	149.08	
					89.70	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	129.18	0.26	129.44	
					123.52	ऊर्जा	247.62	66.82	314.44	
					37.01	उद्योग एवं खनिज	15.64	25.57	41.21	
					412.30	परिवहन	506.67	5.67	512.34	
					2.35		0.36	1.81	2.17	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
						विज्ञान, प्रौद्यौगिकी एवं पर्यावरण				
					91.85	सामान्य आर्थिक सेवाएं	18.28	90.33	108.61	
					6.19	**सहायता अनुदान व अंशदान**	**2.87**	..	**2.87**	
					92.47	**प्रवर्ग-ख को ले जाया गया राजस्व अधिशेष**				**191.11**
6,558.63		योग:		7,835.22	6,558.63[1]	योग:	6,318.92	1,325.19	7,644.11	7,835.22
		प्रवर्ग-ख-पूंजीगत								
(-)108.43		**III-स्थाई अग्रिम व नकद शेष निवेश लेखे आदि सहित अथ नकद शेष**		191.26	**820.76**[2]	**पूंजीगत परिव्यय**	**66.70**	**1,043.11**	**1,109.81**	**1,109.81**[2]
					51.73	सामान्य सेवाएं	..	61.25	61.25	
					368.99	सामाजिक सेवाएं	49.98	524.26	574.24	
					40.89	शिक्षा,खेल,कला एवं संस्कृति	..	99.25	99.25	
					48.41	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	..	43.60	43.60	
					243.58	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	49.98	362.06	412.04	
					0.25	सूचना एवं प्रसारण	..	0.34	0.34	
					33.09	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	..	18.14	18.14	
					2.58	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	..	0.44	0.44	
					0.19	अन्य	..	0.43	0.43	
					400.04	**आर्थिक सेवाएं**	**16.72**	**457.60**	**474.32**	
					9.79	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	11.49	13.66	25.15	
					3.50	ग्रामीण विकास	..	4.50	4.50	
					104.39	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	..	176.31	176.31	
					..	ऊर्जा	..	..	..	
					7.62	उद्योग एवं खनिज	..	24.16	24.16	
					273.83	परिवहन	5.23	237.69	242.92	
					0.91	सामान्य आर्थिक सेवाएं	..	1.28	1.28	

1 ये शुद्ध आंकड़े जिसमें राजस्व व्यय की कटौती के रूप में समायोजित वसूलियां शामिल नहीं हैं

2 ये शुद्ध आंकड़े जिसमें राजस्व व्यय की कटौती के रूप में समायोजित वसूलियां शामिल नहीं हैं

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
21.97		**IV-ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां**		23.41	14.13	**III-संवितरित ऋण व अग्रिम**				25.75
	0.54	विद्युत परियोजनाओं से	..		1.97	विद्युत परियोजनाओं हेतु	..	..	..	
	18.24	सरकारी कर्मचारियों से	18.03		11.34	सरकारी कर्मचारियों को	1.20	11.71	12.91	
	3.19	अन्य से	5.38		0.82	अन्य को	0.65	12.19	12.84	
92.47		**कम किया गया राजस्व अधिशेष**		191.11		**IV-कम किया गया राजस्व घाटा**				..
1,781.47		**V-लोक ऋण प्राप्तियां**		2,121.75		**V-लोक ऋण चुकौती**				1,311.19
	1,753.42	अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	2,041.54		1,219.11	अर्थोपाय अग्रिमों व ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण		1,182.41		
			42.00		22.49	ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल लेन-देन		..		
	28.05	केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	38.21		66.43	केन्द्रीय सरकार को ऋणों व अग्रिमों की चुकौती		128.78		
4,933.39		**VI-लोक लेखा प्राप्तियां**		5,265.12	4,386.69	**VI-लोक लेखा संवितरण**				5,370.04
	1,026.31	लघु बचत व भविष्य निधि	1,112.29		716.22	लघु बचत व भविष्य निधि		790.26		
	213.78	आरक्षित निधियां	128.74		201.02	आरक्षित निधियां		122.28		
	707.69	जमा व अग्रिम	789.71		604.87	जमा व अग्रिम		1,289.35		
	219.09	उचन्त व विविध	147.74		214.14	उचन्त व विविध		154.81		
	2,766.52	प्रेषण	3,086.64		2,650.44	प्रेषण		3,013.34		
					191.26	**VII-अन्त में नकद शेष**				(-)24.14
					29.86	कोषागारों व स्थानीय प्रेषण में नकदी			13.84	
					0.29	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष			0.19	
					(-)175.77	रिजर्व बैंक में जमा			(-)38.17	
					336.88	नकद शेष निवेश			..	
6,720.87				7,792.65	6,720.87					7,792.65

परिशिष्ट-IV

(संदर्भ: परिच्छेद 1.3; पृष्ठ 4)

स्रोत व निधि प्रयुक्ति

(करोड़ रूपए)

2005-2006			स्रोत	2006-2007	
6,558.63		1.	राजस्व प्राप्तियां		7,835.22
21.97		2.	ऋण, अग्रिमों की वसूलियां		23.41
473.44		3.	ओवरड्राफ्ट को छोड़कर लोक ऋणों♠ की वृद्धि		810.56
546.70		4.	लोक लेखे से शुद्ध प्राप्तियां		232.06
	310.09		लघु बचत, भविष्य निधि आदि में वृद्धि	322.03	
	102.82		जमा व अग्रिमों में वृद्धि	(-)499.63	
	12.76		आरक्षित निधियों में वृद्धि	6.46	
	4.95		उचन्त व विविध लेन-देनों का शुद्ध प्रभाव	329.90	
	116.08		प्रेषण लेन देनों का शुद्ध प्रभाव	73.30	
			अंत नकदी शेष में कमी	..	
7,600.74			**योग**		8,901.25

2005-2006			प्रयुक्ति	2006-2007
6,466.16		1.	राजस्व व्यय	7,644.11
14.13		2.	विकास व अन्य प्रयोजनों के लिए उधार	25.75
820.76		3.	पूंजीगत व्यय	1,109.81
..		4.	ओवरड्राफ्ट में कमी	..
299.69		5.	अंत नकद शेष में वृद्धि	121.58
7,600.74			**योग**	8,901.25

परिशिष्ट IV,V व VI की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. पूर्वगामी विवरणियों के सारांशित लेखे वित्त लेखों की विवेचना व व्याख्या के साथ पढ़े जाने हैं।
2. उचन्त एवं विविध शेषों में जारी किए गए लेकिन भुगतान न किए गए, चैक राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य बकाया पड़े समायोजन आदि शामिल हैं।
3. लेखाओं में प्रदर्शित व "रिजर्व बैंक के पास जमा" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों में 79.86 लाख रू0 (डेबिट) का असमायोजित अन्तर था। 79.86 लाख रू0 के निवल डेबिट के अन्तर का समाधान प्रतीक्षित था (मई 2007)।

♠ भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार से लिए गए अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-V

(संदर्भ: परिच्छेद 1.3 तथा 1.7; पृष्ठ 4 तथा 20)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(करोड़ रूपए)

		2002-2003	2003-04	2004-2005	2005-2006	2006-2007
1.		2.	3.	4.	5.	6.
खण्ड क. प्राप्तियां						
1.	**राजस्व प्राप्तियां**	**3,659**	**3,981**	**4,635**	**6,559**	**7,835**
(i)	*कर राजस्व*	*890(24)*	*984(25)*	*1252(27)*	*1,497 (23)*	*1,656(21)*
	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	383(43)	437(44)	542(43)	727(49)	914(55)
	राज्य आबकारी	274(31)	280(29)	300(24)	329(22)	342(21)
	वाहन कर	82(9)	78(8)	108(9)	102(7)	106(6)
	स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	37(4)	52(5)	75(6)	82(5)	93(6)
	विद्युत कर व शुल्क	* ..	17(2)	88(7)	89(6)	30(2)
	भू-राजस्व	5(1)	1(-)	3(-)	1(-)	2(-)
	माल व यात्री कर	32(3)	34(3)	38(3)	43(3)	50(3)
	पदार्थों व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	77(9)	85(9)	98(8)	124(8)	119(7)
(ii)	*कर भिन्न राजस्व*	*175(5)*	*292(7)*	*611(13)*	*690(11)*	*1,337(17)*
(iii)	*संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश*	*346(10)*	*450(11)*	*537(12)*	*493(7)*	*629(8)*
(iv)	*भारत सरकार से सहायता अनुदान*	*2,248(61)*	*2,255(57)*	*2,235(48)*	*3,879(59)*	*4,213(54)*
2.	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	..	..	..	..	..
3.	**कुल राजस्व तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2)**	3,659	3,981	4,635	6,559	7,835
4.	**ऋण तथा अग्रिमों की वसूली**	29	28	26	22	23
5.	**लोक ऋण प्राप्तियां**	2,199	3,762	2,677	1,781	2,080
	आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,053(93)	3,473(92)	2,444(91)	1,753(98)	2,042(98)
	अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	..	..	..	..	..
	भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम@	146(7)	289(8)	233(9)	28(2)	38(2)
6.	**समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (3+4+5)**	5,887	7,771	7,338	8,362	9,938
7.	**आकस्मिक निधि प्राप्तियां**	..	..	..	..	..
8.	**लोक लेखा प्राप्तियां**	4,156	5,033	5,030	4,933	5,265
9.	**राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)**	10,043	12,804	12,368	13,295	15,203
खण्ड-ख व्यय/संवितरण						
10	**राजस्व व्यय**	5,141	5,588	5,793	6,466	7,644
	योजनागत	*1,386(27)*	*840(15)*	*978(17)*	*1,182(18)*	*1,325(17)*
	आयोजनेतर	*3,755(73)*	*4,748(85)*	*4,815(83)*	*5,284(82)*	*6,319(83)*
	सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	2,131(42)	2,483(44)	2,723(47)	2,818(43)	3,300(43)
	सामाजिक सेवाएं	1,609(31)	1,933(35)	1,890(33)	2,309(36)	2,586(34)
	आर्थिक सेवाएं	1,346(26)	1,169(21)	1,177(20)	1,333(21)	1,755(23)
	सहायता अनुदान व अंशदान	55(1)	3(-)	3(-)	6(-)	3(-)
11	**पूंजीगत व्यय**	860	785	654	821	1,110
	योजनागत	*862(100)*	*781(100)*	*630(96)*	*820(100)*	*1,043(94)*
	आयोजनेतर	*(-)2*	*(-)4*	*24(4)*	*1(-)*	*67(6)*
	सामान्य सेवाएं	11(1)	23(3)	30(5)	52(6)	61(5)
	सामाजिक सेवाएं	244(28)	304(39)	330(50)	369(45)	575(52)
	आर्थिक सेवाएं	605(71)	458(58)	294(45)	400(49)	474(43)
12.	**ऋणों, अग्रिमों का संवितरण**	28	20	24	14	26
13.	**जोड़ (10+11+12)**	6,029	6,393	6,471	7,301	8,780

---

* केवल 25 लाख रूपए।

1.			2.	3.	4.	5.	6.
14.		लोक ऋण की चुकौती	684	1,855	1,659	1,308	1,311
		आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट छोड़कर)	146(21)	763(41)	581(35)	1,219(93)	1,182(90)
		अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	97(14)	152(8)	95(6)	23(2)	..
		भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम[1]	441(65)	940(51)	983(59)	66(5)	129(10)
15.		आकस्मिकता निधि को विनियोजन	..	..	..	..	..
16.		समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	6,713	8,248	8,130	8,609	10,091
17.		आकस्मिकता निधि का संवितरण	..	..	..	..	..
18.		लोक लेखा संवितरण	3,462	4,789	4,027	4,387	5,370
19.		राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	10,175	13,037	12,157	12,996	15,461
खण्ड-ग. घाटे							
20.		राजस्व घाटा (1-10)	(-)1,482	(-)1,607	(-)1,158	(+)93	(+)191
21.		राजकोषीय घाटा (3+4-13)	(-)2,341	(-)2,384	(-)1,810	(-)720	(-)922
22.		प्राथमिक घाटा (21-23)	(-)1,169	(-)911	(-)169	(+)843	(+)747
खण्ड-घ. अन्य आंकड़े							
23.		ब्याज अदायगतियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,172	1,473	1,641	1,563	1,669
24.		राजस्व बकाया[2] (कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)	181(14)	405(32)	365(20)	397(18)	430(14)
25.		स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	186	273	275	380	399
26.		प्राप्त किए हुए अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (दिन)	271	250	120	13	01
27.		अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	7.65	7.13	2.34	0.32	0.89
28.		सकल राज्य घरेलू उत्पाद[3]	18,905	20,721	23,024	25,435	28,298
29.		बकाया ऋण (वर्षान्त)	12,393	14,437	16,533	17,432	18,071
30.		बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त)	4,503	4,682	4,751	3,587	2,976
31.		प्रत्याभूति की गई अधिकतम राशि (वर्षान्त)	5,436	6,144	6,409	5,526	6,347
32.		अधूरी परियोजनाओं की संख्या	8	14	39	15	30
33.		अधूरी परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	17	46	58	25	160

टिप्पणी: कोष्ठकों में प्रदत्त आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष की सकल से प्रतिशतता (पूर्णांक) दर्शाते हैं।

1 भारत सरकार से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित हैं।

2 स्रोत: 2006-2007 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) का परिच्छेद 1.6

3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार वर्ष 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-06 के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा संशोधित किये गये हैं तथा वर्ष 2006-2007 के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा आपूरित "अग्रिम आकलन" है।

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ परिच्छेद 1.6.5; पृष्ठ 20)

31 मार्च 2007 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विभागीयवार विखण्डन का ब्यौरा

(करोड़ रूपए)

क्र0	विभाग	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	लम्बन का सबसे पहला वर्ष
1.	ग्रामीण विकास	2,365	198.10	2000-2001
2.	शिक्षा	99	65.54	2004-2005
3.	शहरी विकास/स्थानीय स्व सरकार	11	38.53	2004-2005
4.	पशुपालन	7	4.01	1994-1995
5.	सहकारिता	271	1.21	2003-2004
6.	खेल एवं युवा	4	1.16	2003-2004
7.	पर्यटन	5	1.85	1998-1999
8.	उद्योग	218	9.14	1998-1999
9.	वन	1	0.15	2003-2004
10.	कला एवं संस्कृति	126	1.97	2003-2004
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	20	0.54	1997-1998
12.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	13	1.92	2004-2005
13.	विधानसभा	9	0.07	2004-2005
14.	सामान्य प्रशासनिक सेवाएं	13	0.62	2004-2005
15.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	103	20.83	2004-2005
16.	योजना	3	1.92	2004-2005
17.	आबकारी एवं कराधान	4	0.95	2004-2005
18.	विद्युत	4	94.99	2005-2006
19.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1	0.80	2005-2006
	योग:	**3277**	**444.30**	

परिशिष्ट-VII

(संदर्भ परिच्छेद 1.6.7; पृष्ठ 20)

लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित दुर्विनियोग के मामले

(लाख रूपए)

क्रं0	विभाग	2002-2003 तक		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		योग	
		एन	ए	एन	ए	एन	ए	एन	ए	एन	ए	एन	ए
1.	लोकनिर्माण कार्य	22	60.42	..	..	..	..	..	..	01	6.59	23	67.01
2.	सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य	06	28.65	..	..	..	..	..	..	01	0.89	07	29.54
3.	वन	03	2.78	..	..	..	..	..	..	..	..	03	2.78
4.	राजस्व	01	0.02	01	0.31	..	..	..	..	..	..	02	0.33
5.	गृह रक्षक	03	25.42	..	..	..	..	..	..	..	..	03	25.42
6.	पशुपालन	03	1.36	..	..	..	..	..	..	01	0.17	04	1.53
7.	निदेशक योजना	..	..	..	..	..	..	..	..	01	2.97	01	2.97
8.	हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग	01	2.96	..	..	..	..	..	..	..	..	01	2.96
9.	स्वास्थ्य विभाग	..	..	..	..	..	..	..	..	01	0.95	01	0.95
10.	ग्रामीण विकास	02	6.00	..	..	..	..	..	..	..	..	02	6.00
11.	शिक्षा	06	2.43	..	..	..	..	01	1.27	01	0.93	08	4.63
12.	कृषि	01	1.98	01	0.26	..	..	01	9.20	..	..	03	11.44
13.	भू-अभिलेख	01	2.57	..	..	..	..	..	..	..	..	01	2.57
14.	पुलिस	01	0.65	01	0.85	..	..	..	..	..	..	02	1.50
	योग:	**50**	**135.24**	**03**	**1.42**	..	..	**02**	**10.47**	**06**	**12.50**	**61**	**159.63**

एन: **मामलों की संख्या**

ए: **राशि**

परिशिष्ट-VIII

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 36)

मुख्य कारणों सहित महत्वपूर्ण बचतों का विवरण

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत की राशि (बचत की प्रतिशतता)	सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये मुख्य कारण
	राजस्व-दत्तमत्त				
1.	15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	145.80	105.34	40.46(28)	अंतिम बचतों के कारण प्रतीक्षित हैं।
2.	16-वानिकी तथा वन्य प्राणी	220.42	210.95	9.47(4)	अन्तिम बचतों के कारण प्रतीक्षित हैं।
3.	19-सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	191.49	158.14	33.35(17)	अंतिम बचतों के कारण प्रतीक्षित हैं।
4.	23-विद्युत विकास	332.91	317.91	15.00(5)	अंतिम बचतों के कारण प्रतीक्षित हैं।
	राजस्व-प्रभारित				
5.	29-वित्त	1,753.73	1,669.60	84.13(5)	अंतिम बचतों के कारण प्रतीक्षित हैं।
	पूंजीगत दत्तमत्त				
6.	10-लोक निर्माण सड़कें, पुल तथा भवन	209.14	194.75	14.39(7)	अंतिम बचतों के कारण प्रतीक्षित हैं।
7.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	59.26	50.57	8.69(15)	अंतिम बचतों के कारण प्रतीक्षित हैं।
	योग:			**205.49**	

परिशिष्ट-IX

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 36)

2006-07 के दौरान नियमित किए जाने हेतु अपेक्षित प्रावधानों से अधिक व्यय

(करोड़ रूपए)

अनुदान	कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि
राजस्व (दत्तमत्त)			
01-विधानसभा	8,91,70,800	9,36,69,034	44,98,234
02-राज्यपाल तथा मंत्री परिषद	4,17,25,000	4,43,96,304	26,71,304
04-सामान्य प्रशासन	57,60,37,000	59,82,34,441	2,21,97,441
05-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2,53,28,29,000	2,60,11, 91,069	6,83,62,069
06-आबकारी तथा कराधान	18,57,56,000	19,03,14,356	45,58,356
07-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	2,47,22,58,316	2,50,62,21,309	3,39,62,993
08-शिक्षा	12,08,89,48,000	12,48,19,20,267	39,29,72,267
09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,43,70,84,000	3,75,70,59,727	31,99,75,727
10-लोक निर्माण, सड़कें, पुल तथा भवन	7,68,38,15,000	9,29,81,66,426	1,61,43,51,426
11-कृषि	81,72,91,000	89,46,88, 794	7,73,97,794
13-सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	6,80,68,29,000	9,49,65,95,372	2,68,97,66,372
14-पशुपालन दुग्ध विकास तथा मत्स्य	80,35,22,300	84,97,72,190	4,62,49,890
17-निर्वाचन	6,69,30,000	6,95,39,726	26,09,726
18-उद्योग, खनन तथा आपूर्ति	37,28,08,806	37,84,45,564	56,36,758
20-ग्रामीण विकास	1,47,71,59,000	1,50,61,85,002	2,90,26,002
21-सहकारिता	14,92,28,000	15,53,59,374	61,31,374
22-खाद्य तथा सिविल आपूर्ति	13,89,12,000	14,07,13,688	18,01,688
24-प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी	12,60,68,000	13,06,42,618	45,74,618
26-पर्यटन तथा सिविल विमानन	6,11, 94,000	6,27,00,912	15,06,912
27-श्रम रोजगार तथा प्रशिक्षण	29,77,74,000	30,27,06,262	49,32,262
28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	49,09,21,300	49,41,44,547	32,23,247
29-वित्त	8,20,74,80,760	9,36,23,23,810	1,15,48,43,050
31-जन-जातीय विकास	2,65,16,27,600	2,96,78,06,802	31,61,79,202
जोड़	**51,57,53,68,882**	**58,38,27,97,594**	**6,80,74,28,712**
राजस्व (प्रभारित)			
02- राज्यपाल तथा मंत्री परिषद	1,94,85,000	2,04,46,670	9,61,670
04-सामान्य प्रशासन	3,19,75,000	3,34,40,622	14,65,622
जोड़	**5,14,60,000**	**5,38,87,292**	**24,27,292**
पूंजीगत (दत्तमत्त)			
04-सामान्य प्रशासन	5,00,000	14,00,000	9,00,000
07-पुलिस तथा संबद्ध संगठन	19,65,29,660	20,01,11,660	35,82,000
13-सिंचाइ जलापूर्ति तथा स्वच्छता	5,38,40,49,000	5,82,23,33,042	43,82,84,042
14-पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य	3,36,16,000	3,36,37,883	21,883
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	18,07,84,000	18,39,68,000	31,84,000
जोड़	**5,79,54,78,660**	**6,24,14,50,585**	**44,59,71,925**
पूंजीगत (प्रभारित)			
29-वित्त	**11,40,18,56,000**	**13,11,18,90,848**	**1,71,00,34,848**
जोड़	**11,40,18,56,000**	**13,11,18,90,848**	**1,71,00,34,848**
सकल जोड़	**68,82,41,63,542**	**77,79,00,26,319**	**8,96,58,62,777**

परिशिष्ट-X

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 36)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के मामलों को दर्शाने वाली विवरणी

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान	मूल अनुदान	प्रतिपूरक अनुदान	व्यय	बचत
	राजस्व-दत्तमत्त				
1.	12-उद्यान	52,66	2.36	52.42	2.60
2.	16-वानिकी तथा वन्य प्राणी	220.40	0.03	210.96	9.47
3.	19-सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	182.38	9.11	158.14	33.35
	जोड़	**455.44**	**11.50**	**421.52**	**45.42**
	राजस्व-प्रभारित				
4.	29-वित्त	1,753.56	0.17	1,669.60	84.13
	सकल जोड़:	**2,209,00**	**11.67**	**2,091.12**	**129.55**

परिशिष्ट-XI

(संदर्भः परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 37)

वास्तविक आवश्यकता से अधिक किए गए अनुपूरक प्रावधान से सम्बन्धित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान	मूल प्रावधान	व्यय	अतिरिक्त आवश्यकता	अनुपूरक प्रावधान	बचत
	राजस्व-दत्तमत्त					
1.	15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	95.28	105.34	10.06	50.52	40.46
2.	23-विद्युत विकास	145.46	317.91	172.45	187.45	15.00
	जोड़:	**240.74**	**423.25**	**182.51**	**237.97**	**55.46**
	पूंजीगत-दत्तमत्त					
3.	10-लोक निर्माण, सड़कें, पुल तथा भवन	178.58	194.75	16.17	30.56	14.39
4.	15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	23.92	25.70	1.78	3.49	1.71
5.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	50.35	50.57	0.22	8.91	8.69
6.	31-जनजातीय विकास	62.38	95.76	33.38	35.39	2.01
	जोड़:	**315.23**	**366.78**	**51.55**	**78.35**	**26.80**
	सकल जोड़:	**555.97**	**790.03**	**234.06**	**316.32**	**82.26**

परिशिष्ट-XII

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 37)

अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान से सम्बन्धित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी

(करोड़ रूपए)

क्र०	अनुदान	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	कुल प्रावधान के प्रति आधिक्य
	राजस्व-दत्तमत्त					
1.	05-भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	213.33	39.95	253.28	260.12	6.84
2.	07-पुलिस तथा संबद्ध संगठन	219.11	28.11	247.22	250.62	3.40
3.	08-शिक्षा	1,181.14	27.75	1,208.89	1,248.19	39.30
4.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	327.47	16.24	343.71	375.71	32.00
5.	10-लोक निर्माण सड़कें, पुल तथा भवन	755.07	13.31	768.38	929.82	161.44
6.	11-कृषि	78.28	3.45	81.73	89.47	7.74
7.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	558.38	122.30	680.68	949.66	268.98
8.	14-पशुपालन दुग्ध विकास तथा मत्स्य	75.34	5.01	80.35	84.98	4.63
9.	29-वित्त	718.00	102.75	820.75	936.23	115.48
10.	31-जनजातीय विकास	258.89	6.27	265.16	296.78	31.62
	योग:	**4,385.01**	**365.14**	**4,750.15**	**5,421.58**	**671.43**
	पूंजीगत-दत्तमत्त					
11.	13-सिंचाई जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	350.00	162.13	512.13	582.23	70.10
	योग:	350.00	162.13	**512.13**	582.23	70.10
	पूंजीगत-प्रभारित					
12.	**29-वित्त**	**1,140.19**	--*	**1,140.19**	**1,311.19**	**171.00**
	जोड़	**1,140.19**	..	**1,140.19**	**1,311.19**	**171.00**
	सकल जोड़	**5,875.20**	**527.27**	**6,402.47**	**7,315.00**	**912.53**

* केवल 1,000 रूपए।

परिशिष्ट-XIII

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 37)

निरन्तर आधिक्यों का विवरण

(आधिक्यों की प्रतिशतता)

क्रमांक	अनुदान	2004-2005	2005-06	2006-2007
	आधिक्य			
	राजस्व-दत्तमत्त			
1.	10-लोक निर्माण, सड़कें तथा भवन	56	73	21
2.	28-शहरी विकास नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	79	83	0.66

परिशिष्ट-XIV

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 37)

निधियों का अभ्यर्पण

I. एक करोड़ रू0 से अधिक बचत से सम्बन्धित मुख्य भिन्नताओं का विवरण जिन्हें या तो पूर्णतया अभ्यार्पित नहीं किया गया या बिल्कुल भी अभ्यर्पित नहीं किया गया

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान	कुल बचत	अभ्यर्पित राशि	राशि अभ्यर्पित नहीं की गई
	राजस्व-दत्तमत्त			
1.	12-उद्यान	2.60	2.59	0.01
2.	16-वानिकी तथा वन प्राणी	9.47	9.40	0.07
	जोड़	**12.07**	**11.99**	**0.08**
	राजस्व-प्रभारित			
3.	29-वित्त	84.13	2.26	81.87
	जोड़	**84.13**	**2.26**	**81.87**
	पूंजीगत-दत्तमत्त			
4.	10-लोक निर्माण सड़कें पुल तथा भवन	14.39	12.96	1.43
5.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	1.71	..	1.71
	जोड़:	**16.10**	**12.96**	**3.14**
	सकल जोड़:	**112.30**	**27.21**	**85.09**

II. समग्र अत्यधिक व्यय के बावजूद निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

क्रमांक	अनुदान	अत्यधिक व्यय की राशि	अभ्यर्पित राशि
	राजस्व-दत्तमत्त		
1.	07-पुलिस तथा संबद्ध संगठन	3.40	0.89
2.	22- खाद्य तथा सिविल आपूर्ति	0.18	0.12
	जोड़:	**3.58**	**1.01**
	पूंजीगत दत्तमत्त		
3.	13-सिंचाई जलापूर्ति तथा स्वच्छता	43.83	26.27
	जोड़:	**43.83**	**26.27**
	सकल जोड़:	**47.41**	**27.28**

परिशिष्ट-XV

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 37)

वसूलियों की मुख्य भिन्नताएं

वसूलियों तथा व्यय की कमी करके वास्तविक समायोजित राशियों में मुख्य भिन्नताओं का विवरण

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान	बजट आकलन	वास्तविक वसूलियां	भिन्नता	
बजट आकलनों के प्रति अधिक वसूलियां				राशि	प्रतिशतता
राजस्व					
1.	10-लोक निर्माण सड़कें, पुल तथा भवन	295.35	410.66	115.31	39
2.	13-सिंचाई जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	212.69	384.59	171.90	81
3.	31-जनजातीय विकास	28.94	55.15	26.21	91
पूंजीगत					
4.	11-कृषि	20.00	21.09	1.09	5
बजट आकलनों के प्रति कम वसूलियां					
पूंजीगत					
5.	10-लोक निर्माण सड़कें, पुल तथा भवन	4.17	1.52	2.65	64
6.	12-उद्यान	4.00	2.93	1.07	27
7.	31-जनजातीय विकास	1.86	..	1.86	100

परिशिष्ट-XVI

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 38)

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले

I. पुनर्विनियोजन से सम्बन्धित मुख्य मामले जो अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण सिद्ध हुए

(लाख रूपए)

क्रं0 सं0	अनुदान	लेखांकन आदि का मुख्य/लघु शीर्ष	उपशीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोजनोपरान्त उपशीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत की राशि
1.	07-पुलिस तथा संबद्ध संगठन	2070-107-01	2.11	15.30
2.	13-सिंचाई, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता	2215-09	460.00	891.59
3.	29-वित्त	2049-14	5,397.00	7,343.80
		जोड़:	**5,859.11**	**8,250.69**

II अन्य शीर्षों को किए गए मुख्य पुनर्विनियोजनों के मामले जिनके कारण निम्नवत् उपशीर्षों में अन्ततः आधिक्य हुए

क्रं0 सं0	अनुदान	लेखांकन आदि का मुख्य/शीर्ष	उपशीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोजनोपरान्त उपशीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत की राशि
1.	07-पुलिस तथा संबद्ध संगठन	2055-108-01	839.26	32.66
2.	08-शिक्षा	2202-101-03	867.51	104.54
3.	10-लोक निर्माण सड़कें पुल तथा भवन	5054-04	646.00	258.55
4.	13-सिंचाई जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	2702-80-001-01	282.88	962.91
5.	15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	2210-04-101-02	78.59	108.07
6.	29-वित्त	2049-104-01	164.00	456.62
7.	31-जनजातीय विकास	2210-03-796-02	74.97	144.74
जोड़:			**2,953.21**	**2,068.09**

परिशिष्ट-XVII

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5.8.3; पृष्ठ 109)

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम/मरूस्थल विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाएं, शिनाख्त किया गया तथा उपचारित क्षेत्र, उपचारित किए जाने वाले व वास्तव में उपचारित क्षेत्र सहित मार्च 2007 को पूर्ण की गई अथवा पूर्णता के लिए बकाया परियोजनाएं

(हैक्टेयर क्षेत्र)

कार्यक्रम का नाम	मार्च 2007 को संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	उपचारित किए जाने हेतु शिनाख्त कुल क्षेत्र	मार्च 2007 को वास्तव में उपचारित क्षेत्र	मार्च 2007 को पूर्णता हेतु बकाया परियोजनाओं की संख्या	उपचारित किया जाने वाला क्षेत्र	वास्तव में उपचारित क्षेत्र	पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या	उपचारित किया जाने वाला क्षेत्र	वास्तव में उपचारित क्षेत्र	बकाया परियोजनाएं जिन्हें मार्च 2007 को पूरा नहीं किया गया	उपचारित किए जाने हेतु बकाया क्षेत्र	वास्तव में उपचारित क्षेत्र
एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	67	4,53,311	1,86,551	28	2,62,636	1,85,672	03	12,543	10.726	25	2,50,093	1,74,946
मरूस्थल विकास कार्यक्रम	16	1,93,831	51,851	07	1,17,098	58,987	02	28,428	25,072	05	88,670	33,915
सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	26	2,05,833	75,353	14	93,901	63,419	06	27,029	26,842	08	66,872	36,577
जोड़:	109	8,52,975	3,13,755	49	4,73,635	3,08,078	11	68,000	62,640	38	4,05,635	2,45,438
		न्यूनता:5,39,220			न्यूनता: 1,65,557			न्यूनता:5,360		न्यूनता:1,60,197		

परिशिष्ट-XVIII

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5.10.1; पृष्ठ 114)

नमूना जांच किए गए सात जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के संदर्भ में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2002-2003 से 2006-2007 तक निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्तियों को दर्शाने वाली विवरणी

(हैक्टेयर क्षेत्र)

क्रं०	कार्यक्रम का नाम	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	न्यूनता	न्यूनता की प्रतिशतता
1.	सूखे प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	2002-2003	6,000.00	8,026.43	(+)2,026.43	(+)34
		2003-2004	9,810.00	6,771.04	3,038.96	31
		2004-2005	19,240.00	9,264.61	9,975.39	52
		2005-2006	17,830.00	11,527.67	6,302.33	35
		2006-2007	22,758.00	11,279.00	11,479.00	50
		योग:	**75,638.00**	**46,868.75**	**28,769.25**	**38**
2	मरूस्थल विकास कार्यक्रम	2002-2003	22,500.00	4,408.09	18,091.91	80
		2003-2004	21,825.00	3,275.16	18,549.84	85
		2004-2005	22,575.00	5,978.33	16,596.67	74
		2005-2006	23,375.00	4,123.51	19,251.49	82
		2006-2007	16,334.00	8,238.00	8,096.00	50
		योग:	**1,06,609.00**	**26,023.09**	**80,585.91**	**76**
3	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	2002-2003	23,893.00	8,988.07	14,904.93	62
		2003-2004	21,179.00	16,568.85	4,610.15	22
		2004-2005	17,658.00	17,211.31	446.69	3
		2005-2006	16,125.00	19,794.75	(+)3,669.75	(+)23
		2006-2007	34,758.00	15,992.93	18,765.07	54
		योग:	**1,13,613.00**	**78,555.91**	**35,057.09**	**31**
		सकल योग	**2,95,860.00**	**1,51,447.75**	**1,44,412.25**	**49**

स्रोत: आंकड़े निदेशक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आपूरित किए गए।

परिशिष्ट-XIX

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.9.4; पृष्ठ 134)

राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूरक पोषण हेतु निधियां उपलब्ध न करवाने तथा प्राप्त निधियों की प्रयुक्ति न करने का ब्यौरा

(करोड़ रूपए)

वर्ष	अथशेष		बजट प्रावधान			निस्तारित निधियां		प्रयुक्त निधियां			अप्रयुक्त बकाया		
	राज्य	केन्द्रीय	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र (एसीए)	राज्य	केन्द्रीय	कुल (2+3+6+7)	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	जोड़	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	जोड़
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2002-2003	-	11.89	-	10.90	-	10.90	22.79	-	11.89	11.89	-	10.90	10.90(48)
2003-2004	-	10.90	-	10.76	-	10.76	21.66	-	10.90	10.90	-	10.76	10.76(50)
2004-2005	-	10.76	-	10.50	-	10.50	21.26	-	7.68	7.68	-	13.58	13.58(64)
2005-2006	-	13.58	4.72	6.60	4.72	6.60	24.90	4.32	13.58	17.90	0.40	6.60	7.00(28)
2006-2007	0.40	6.60	8.28	6.29	8.28	6.30	21.58	5.91	12.90	18.81	2.77	--	2.77(13)

स्रोत: विभागीय आंकड़े तथा कोष्ट में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-XX

(संदर्भ: परिच्छेद 4.4; पृष्ठ 159)

वर्ष 1998-2007 के दौरान पेंशन/परिवार पेंशन आदि के अधिक भुगतानों को दर्शाने वाली विवरणी

(रूपए में)

क्र0	जिला कोष/उप-कोष का नाम	परिच्छेद संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन	अधिक भुगतान की प्रकृति	मामलों की संख्या	अधिक भुगतान की राशि	
						बैंक द्वारा	कोष द्वारा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	जिला कोष, बिलासपुर	1	2005-2006	परिवार पैंशन	1	46,054	..
		2		परिवार पैंशन	1	31,041	..
		3		रूपान्तर	1	6,271	..
		4		रूपान्तर	1	3,442	..
2.	जिला कोष, चम्बा	1	2005-2006	परिवार पैंशन	11	2,92,774	..
		3		रूपान्तर	1	53,655	..
		3		डीपी/डीए	1	16,149	..
		3		पैंशन	2	11,896	..
3.	कोष, पांगी	1	2004-2005 2005-2006	रूपान्तर	1	6,201	..
4.	जिला कोष हमीरपुर	1	2005-2006	परिवार पैंशन	1	..	6,714
		1	2005-2006	परिवार पैंशन	1	3,558	1,548
		1	2005-2006	परिवार पैंशन/डीपी	1	..	53,179
		1	2005-2006	डीपी/डीए	14	..	..
		1	2005-2006	रूपान्तर	1	18,040	1,13,596
		1	2005-2006	रूपान्तर	27	..	7,548
		1	2005-2006	पैंशन	3	.	61,456
		2	2005-2006	परिवार पैंशन	1	..	..
		3	2005-2006	परिवार पैंशन	1	60,688	..
		4	2005-2006	परिवार पैंशन	1	58,768	3,132
		5	2005-2006	परिवार पैंशन	1	41,962	..
		6	2005-2006	पैंशन	1	29,109	..
		7	2005-2006	पैंशन	1	11,434	30,978
5.	जिला कोष, कांगड़ा	1	2005-2006	परिवार पैंशन	1	..	5,00,544
		1	2005-2006	डीपी/डीए	34	..	..
		3	2005-2006	परिवार पैंशन	2	1,52,599	1,08,216
		4	2005-2006	रूपान्तर	16	..	18,508
		5	2005-2006	परिवार पैंशन	1	..	31,556
		6	2005-2006	परिवार पैंशन पर डीपी/डीए	4	..	396
6.	कोष, इंदौरा	1	2005-2006	परिवार पैंशन	1	..	43,510
7.	जिला कोष, कुल्लू	1	2005-2006	परिवार पैंशन	2	48,516	35,528
		1	2005-2006	परिवार पैंशन डीपी/डीए	2	..	1,54,123
		1	2005-2006	रूपान्तर	14	..	2,76,896
		1	2005-2006	डीपी/डीए	12	..	..
		2	2005-2006	परिवार पैंशन	12	3,96,581	27,182
		3	2005-2006	परिवार पैंशन/डीपी/डीए	9	..	1,668
		3	2005-2006	रूपान्तर	1	..	
8.	जिला कोष, कैलांग	1	2005-2006	परिवार पैंशन	1	75,741	5,208
		2	2005-2006	रूपान्तर	2	2,978	..
9.	जिला कोष, मण्डी	1	2005-2006	पैंशन/डीपी/डीए	3	1,08,772	..
		1	2005-2006	परिवार पैंशन/डीपी/डीए	4	70,726	..
		1	2005-2006	परिवार पैंशन पर	10	4,02,133	..
		1	2005-2006	रूपान्तर	1	55,355	..
10.	उप-कोष, धर्मपुर	1	2005-2006	परिवार पैंशन	1	..	3,986

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11.	उप-कोष, बालीचौकी	1	2005-2006	परिवार पैंशन पर डीपी/डीए	4	..	20,637
12.	उप-कोष, सरकाघाट	1	2005-2006	परिवार पैंशन	1	..	469
13.	उप-कोष, थुनाग	1	2005-2006	परिवार पैंशन	1	..	34,291
14.	जिला कोष, शिमला	1	2005-2006	परिवार पैंशन	49	11,46,926	15,876
		2	2005-2006	परिवार पैंशन	2	1,63,954	..
		3	2005-2006	डीपी/डीए	6	..	46,224
		3	2005-2006	डीपी/डीए	1	3,317	..
		3	2005-2006	रूपान्तर	7	..	18,667
		3	2005-2006	रूपान्तर	7	38,340	..
		4	2005-2006	पैंशन की अदायगी बिना डीटीओ स्क्रोल के की गई	12	92,812	..
15.	उप-कोष, ननखड़ी	2	2005-2006	परिवार पैंशन	1	..	375
16.	उप-कोष, नेरवा	1	2005-2006	एलटीए (पैंशन)	1	..	3,661
17.	जिला कोष, नाहन	1	2005-2006	रूपान्तर	5	51,796	20,055
		1	2005-2006	पैंशन	1	..	9,210
		1	2005-2006	परिवार पैंशन	4	61,815	..
		2	2005-2006	पैंशन	2	..	57,109
		2	2005-2006	परिवार पैंशन	1	..	12,385
		3	2005-2006	डीपी/डीए	1	55,584	..
		4	2005-2006	डीपी/डीए	1	..	20,970
		5	2005-2006	पैंशन	1	19,085	1,035
18.	जिला कोष, सोलन	2	2005-2006	परिवार पैंशन	4	..	42,696
		3	2005-2006	परिवार पैंशन	2	..	7,257
		4	2005-2006	रूपान्तर	2	..	35,563
19.	जिला कोष, ऊना	2	2005-2006	रूपान्तर	1	..	33,251
		2	2005-2006	डीपी/डीए	..	..	4580♣
		3	2005-2006	रूपान्तर	1	..	14,252
		4	2005-2006	डीपी/डीए	1	..	11,266
	जोड़:					**36,38,072**	**18,95,301**
	सकल जोड़:				**326**		**55,33,373**

♣ परिच्छेद 2 की अंश मद। अत: मामले की संख्या नहीं दी गई।

परिशिष्ट-XXI

(संदर्भ: परिच्छेद 4.38; पृष्ठ 186)

जून 2007 तक बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों /पैरों का वर्षवार विखण्डन

अवधि	विभाग का नाम									
	पशुपाल		ग्रामीण विकास		पर्यटन		खाद्य एवं सिविल आपूर्ति		सैनिक कल्याण	
	नि0प्र0	प0	नि0प्र0	प0	नि0प्र0	प0	नि0प्र0	प0	नि0प्र0	प0
मार्च 1997 तक	2	2	150	210	..	..	14	19	4	4
1997-98	..	..	12	42	..	..	..	..	..	..
1998-99	..	..	11	16	1	3	..	..	2	3
1999-2000	1	1	16	32	1	1	..	..	2	3
2000-2001	1	1	21	60	5	14	..	..	1	5
2001-2002	1	1	22	53	1	2	3	4	1	3
2002-2003	6	14	45	85	1	3	6	15	2	4
2003-2004	1	5	32	111	1	4	3	8	2	3
2004-2005	6	11	20	63	2	3	5	8	1	4
2005-2006	6	22	43	138	4	13	4	6	4	13
2006-2007	4	11	24	183	3	26	4	13	1	7
योग:	**28**	**68**	**396**	**993**	**19**	**69**	**39**	**73**	**20**	**49**

नि0प्र0= निरीक्षण प्रतिवेदन

प0 = परिच्छेद

परिशिष्ट-XXII

(संदर्भ: परिच्छेद 4.38; पृष्ठ 185)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में गम्भीर अनियमितताओं पर की गई टिप्पणियां दर्शाने वाली विवरणी

अनियमितताओं की प्रकृति	पशुपालन		ग्रामीण विकास		पर्यटन		खाद्य एवं सिविल आपूर्ति		सैनिक कल्याण		सकल योग	
	परिच्छेद	राशि (लाख रूपए में)	परिच्छेद	राशि (लाख रूपए में)	परिच्छेद	राशि (लाख रूपए में)	परिच्छेद	राशि (लाख रूपए में)	परिच्छेद	राशि (लाख रूपए में)	कुल परिच्छेद	राशि (लाख रूपए में)
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	1	102	72	3241.92	5	2045.92	..	..	1	3.45	79	5393.29
आकस्मिक अग्रिमों का समायोजन न करना	3	172.71	21	16.22	2	0.34	2	27.87	..	..	28	217.14
संस्वीकृतियों के अभाव में अधिक/अनियमित व्यय	17	193.00	72	1936.71	15	112.66	13	66.59	7	10.38	124	2319.34
निरर्थक/अलाभकारी/निष्फल व्यय	1	4.18	57	613.92	12	485.92	2	15.86	3	5.82	75	1125.70
निधियों का अपवर्तन	1	109.14	40	540.60	2	47.94	1	200.00	..	..	44	897.68
अधिक अदायगी/किराये, अग्रिमों/विविध वसूलियों की अवसूली	8	3.36	145	42.67	5	104.97	15	18.51	15	5.49	188	175.00
वास्तविक आदाता रसीदें प्रस्तुत न करना	2	13.21	10	10.65	..	..	1	0.33	3	64.41	16	88.60
बकाया ऋण	..	..	51	360.20	..	..	..	..	..	..	51	360.20
सड़कों पर न चलने वाली गाड़ियों सहित बेकार मशीनरी/उपस्कर	1	6.97	1	0.14	..	..	1	0.20	..	.	3	7.31
भण्डारों/नकद आदि का लेखांकन न करना/कम लेखांकन	1	0.51	31	37.99	1	0.69	8	28.07	2	201.11	43	268.37
व्यय की पूर्ति न करना	..	..	1	1.00	..	..	..	..	..	..	1	1.00

भण्डारों/नकदी/निधियों का दुर्विनियोजन	..	..	53	75.32	1	0.31	6	4.86	1	1.53	61	82.02
अधूरे/परित्यक्त निर्माण कार्य	10	576.80	76	2447.38	4	177.33	2	21.40	2	8.62	94	3231.53
हानि/चोरी/गबन/व्यपहरण आदि	4	18.01	49	68.73	4	2523.71	2	1.43	2	3.24	61	2615.12
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करना	1	61.29	8	126.86	4	434.92	..	..	2	132.43	15	755.50
भण्डारों की निष्प्रावेज्य वस्तुओं का निपटारा न करना	1	0.41	37	113.37	1	0.20	2	1.29	..	..	41	115.27
खजानों/बैंकों के साथ मिलान न करना	..	..	36	272.78	..	..	2	2.19	2	0.84	40	275.81
सहायता अनुदानों का उपयोग न करना	..	..	4	606.67	1	53.20	..	..	..	..	5	659.87
कोष में ब्याज जमा न करवाना	..	..	12	32.97	4	94.96	..	..	1	0.11	17	128.04
विविध अनियमितायें	17	3280.21	217	3667.91	8	1673.41	16	821.91	8	99.53	266	9542.97
जोड़:	**68**	**4541.80**	**993**	**14214.01**	**69**	**7756.48**	**73**	**1210.51**	**49**	**536.96**	**1252**	**28259.76**